

संस्कृतान्तिका

संपादक

डॉ० माला मिश्र

प्रोफेसर, अदिति महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

डॉ० एस. लिंगमूर्ति

असिस्टेंट प्रोफेसर, कर्नाटक केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कलबुर्गी

अलका पब्लिकेशन्स

448, पॉकेट-5, मयूर विहार, फेज-I, दिल्ली-110091

वर्ष : 16 अंक : 3 □ जुलाई-सितम्बर, 2023

सौध्रान्तिाकी

संपादकीय सम्पर्क:

448, पॉकेट-5, मयूर विहार, फेज-1,
दिल्ली-110091

फोन : 011-40564514, 011-22753916, 8510050610

e-mail : saidhantiki.journal@gmail.com

शाखा कार्यालय:

502, सरस्वती टॉवर, कुसुमपुरम, पटना-801503

फोन : 6201418851

View Point

August 23, 2023, will be considered a historic day when Chandrayaan-3 of India's moon mission made a successful soft landing on the moon. It was the third lunar mission of the Indian Space Research Organisation (ISRO) and the world's first spacecraft to reach the Moon's South Pole. The mission was launched on 14 July 2023 and on 23 August 2023, the lander Vikram landed on the lunar surface. India's first moon mission Chandrayaan-1 was launched on October 22, 2008. The spacecraft carried scientific equipment from the United States, the United Kingdom, Germany, Sweden, and Bulgaria, apart from five Indian instruments. Its scientific goals included the study of the chemical, mineralogical and photo-geologic mapping of the Moon. This campaign has been instrumental in developing our understanding of the Moon.

Chandrayaan-2, launched on July 22, 2019, consisted of an Orbiter, Lander and a Rover. The Lander Vikram and the Rover Pragyan were supposed to land on the Moon's South Pole, but Vikram crashed about 600 meters from the landing site, The mission's orbiter is still working and collecting important data about the Moon. India's space programme has reached a significant milestone after Chandrayaan-3 landed on the Moon's South Pole. That is, it can be said that India's moon mission has been successful to a great extent so far. There are only a few countries in the world that have their independent space programme. Apart from India, the USA, Russia, China, the European Space Agency, Japan, Canada, South Korea, Israel etc. have their space programs. But if seen, India is the fourth country in the world to land its spacecraft on the surface of the Moon, but India is the first country to land a vehicle on the South Pole of the Moon.

It is believed that due to the rough surface of the Moon and low gravitational force, it is very difficult to land a spacecraft on the Moon, and it's still more difficult to land a spacecraft on the South Pole of the moon. Indian scientists have intelligently and cleverly landed the lander Vikram on the moon, for which Indian scientists deserve special appreciation. The USA is considered the economic, strategic and technological superpower of the world, so naturally the Moon mission was first started by the USA. India sent its spacecraft Aryabhata into orbit of space in the year 1975. In this 358 kg spacecraft, scientific instruments were sent to study the Earth's atmosphere and radiation belts. The process of sending INSAT spacecraft started in 1982 and at present India has 17 INSAT spacecraft in space orbit. In addition to the three Moon missions, in 2013, India launched its Mangalyaan for Mars, which reached Mars orbit in September 2014 and is still studying Mars. India is about to start its first human space flight program soon.

It can be believed that after the USA, Russia and China, India has now become a major player in the world's space programme. India's space programs are generally admired around the world, but despite this, some people in India and abroad criticize the space program saying that India is a poor country and cannot afford the 'luxuries' of such programmes. They say that instead of spending on space programs, we should rather provide facilities for the poor in the country. Some people also say that instead of spending on space programs, it would be better if more is spent on the security of our country.

After the success of Chandrayaan-3, there is going to be a significant change in the attitude of the world towards India. Prime Minister Narendra Modi has said that the success of India's Chandrayaan-3 at the very beginning of 'Amrit Kaal' is the first step towards making

India a developed nation in this Amrit Kaal. It is worth mentioning that in the world GDP ranking, India has moved ahead from 10th position in the year 2014 to 5th position in the year 2023 and by 2025, it can reach the fourth position and by the year 2028, it can reach the third position. Based on purchasing power parity, India has already reached the third position with a GDP of over \$12 billion.

Space missions have been run at huge costs in the world, but the budget of India's space programs is an example of the world. Look at the moon mission, the budget of Chandrayaan-3 is only 615 crore rupees (\$75 million US). The speciality of India's space program is that ISRO partners with the world using the country's technology. The economy with which India's space program operates has taken the world by surprise. Elon Musk, a top billionaire, running one of the world's largest space programs, has praised India's space programme, saying Hollywood's science movie, Interstellar cost USD 165 million, compared to which India's Chandrayaan-3 mission costs only \$75 million US. Significantly, the first phase of the Moon mission of the USA, known as the Apollo program which ran between 1961 and 1972, cost 25.8 billion US dollars (as per value of dollar in the year 1973), which was equivalent to 164 billion dollars in 2021. Each of America's Apollo missions cost 300 to \$450 million (as per the value of the dollar in 1973). The interesting thing is that we have landed Chandrayaan on the Moon at a cost less than what it would cost to build a 20-kilometer highway of four lanes in India.

As far as India's capability is concerned, India has been successful in launching spacecraft (satellites) not only of its own but of many other countries including the world's superpowers. ISRO has launched satellites in more than 20 countries in recent years, including the United States of America, France, Canada, Italy, Singapore and England. These satellites are launched for various purposes including communication, earth observation, remote sensing and scientific research.

In 1993, India launched the Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV) for the first time. Though it was launched to place India's remote sensing satellites in sun-synchronous orbit, it has launched 58 flights to date, of which 55 were completely successful, one partially successful and two unsuccessful. The cost of each launch varies between Rs 130 crore and Rs 200 crore depending on its carrying capacity.

But by launching the satellite of our country and other countries, the revenue made by ISRO is much more than that. Notably, PSLV's 37th flight had created a history by putting 104 satellites in space simultaneously.

Interestingly \$30,000 US to \$40,000 US is charged per kilogram of load made by ISRO to launch a satellite, which is much less than the charge made by the American agency 'NASA'. It is believed that the entry of Indian private companies into the space market will further increase competition and reduce costs further. ISRO has already started making efforts in this regard.

It can be believed that shortly, India will be able to register its presence in the world's space market due to its efficiency, accuracy and low cost. This will be the first step towards India becoming the superpower of the world.

—Editor

Contents

संस्कृति के पर्याय लोक संगीत परम्पराओं का हिन्दी सिनेमा में समन्वय—अरविन्द कुमार गुप्ता	7
उत्तर प्रदेश शासन एवं विभिन्न मतावलंबियों द्वारा संचालित माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की विद्यालयी व्यवस्था के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन—प्रो० सुषमा पाण्डेय—मनोज कुमार गुप्ता	9
महाकवि माघ प्रणीत 'शिशुपालवधम्' में नारियों की दशा का अध्ययन—विवेक कुमार राठौर; डॉ० वेद प्रकाश मिश्र	16
मानव अधिकार और भारतीय प्रजातंत्र—डॉ० अनिल कुमार सिंह	21
1937 का आम चुनाव और भारतीय किसान—डॉ० बमबम यादव	25
सैयद जैगम इमाम कृत 'दोजख' उपन्यास में भारतीय संस्कृति का चित्रण—डॉ० माजिद पटेल	32
कामायनी का महाकाव्यत्व और हिन्दी समीक्षकों का समीक्षात्मक अध्ययन—प्रतिभा कुमारी	36
मौर्यकाल में प्रशासनिक एवं सामाजिक शासन व्यवस्था—मानशी	40
भारत में कामकाजी महिलाओं के कार्यक्षेत्र में आने वाली समस्याएं व समाधान: एक अध्ययन—मोनिका; डॉ० बबीता	47
कन्या भ्रुण हत्या: कारण एवं समाधान हरियाणा के संदर्भ में—निधि; डॉ० बबीता	53
बिहार के विकास में पंचायती राज की भूमिका—डॉ० मेराज दानापुरी	59
ग्रामीण जीवन पर आधुनिकीकरण का प्रभाव—नीतीश गिरि रंजन	63
भारत में जाति और राजनीति के मध्य संबंध—डॉ० सुरेन्द्र सिंह	69
ब्रिटिश भारत में पूर्वी उत्तर प्रदेश की भू-राजस्व नीति—डॉ० संजय कुमार मिश्र	73
राष्ट्रीय शिक्षा नीति - 2020—माया सोनकर	78
आधुनिक साहित्य में राजेन्द्र यादव के उपन्यासों में स्त्री विमर्श का अध्ययन—ऋतु रत्नम	82
पूर्व मुगल कालीन भारत में शहरीकरण की प्रक्रिया: एक अध्ययन—रघु यादव	85
भारत में एचआईवी/एड्स पॉजिटिव व्यक्तियों के बीच पोषण संबंधी ज्ञान, दृष्टिकोण और व्यवहार का समाजशास्त्रीय अध्ययन—चंद्रेश कुमार	89
छायावादी काव्य के विविध आय—सिद्धार्थ यादव	97
महासमुन्द जिले के बीएड प्रशिक्षार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि पर व्यक्तित्व प्रकार एवं राजनैतिक अभिरूचि के परिपेक्ष्य में अध्ययन—डॉ० हेमन्त कुमार खटकर	106
माया दर्पण: कहानी एवं फिल्म का तुलनात्मक अध्ययन—डॉ० सरिता यादव	112
Rules of Natural Justice in the Illumination of Administrative Law—Ms. Ruchi Kaushik	115
Role of Restructuring of Psb's in India's \$5 Trillion Economy—Dr. Ramveer	119
Human Diet And Dietary Pattern In Purnea District—Mrinal Kumar Verma	128
Freedom Fighter and Educationist Pandit Taranath (1891-1942 AD)—Dr. Bheemanna Ghanathe	133
A Study of Factor Influencing Online Shopping Behavior with Special Reference to the People of Bihar—Abhijeet Raj	136

Blockchain Technology as a Stepping stone Towards Responsible Artificial Intelligence in India- A Legal Analysis— <i>Yaman Kasturi; Prof. (Dr.) Eqbal Hussain</i>	144
Indelible Imprints, Connected hearts: Unifying threads of Undivided India — <i>Prof. Ravi Prakash Tekchandani; Dr. Neelam Mittal</i>	152
Imperialism cause of opium trade between India and China— <i>Sunil Kumar</i>	162
Good Governance through Constitutional Adjudication and Constitutionalism— <i>Dr. Anjay Kumar</i>	173
Digital Technology: Safe and Responsible use in School and Colleges— <i>Dr. Shailja Anand Srivastava</i>	184
Demystifying the Different Stages of Crime— <i>Dr. Savita Mishra</i>	188
Socio-economic impact on Water, Sanitation, and Hygiene services: An Analysis — <i>Dr. R. N. Tiwari; Manjari Nath</i>	196
Uses of Computer Subject in Teacher Training College— <i>Sangeeta Kumari; Dr. Gridhar Lal Sharma</i>	202
Social Media and Dalits: Representation, Issues, and Coverage— <i>Swadesh Singh, Smriti Yadav</i>	211

संस्कृति के पर्याय लोक संगीत परम्पराओं का हिन्दी सिनेमा में समन्वय

अरविन्द कुमार गुप्ता

शोधार्थी, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

सारांश- संस्कृति शब्द से तात्पर्य मानव जीवन की सम्पूर्ण जीवन चक्रिय में प्रयोग होने वाले संस्कारों, क्रियाकलापों से है। जो उसे अपने माता-पिता या बुजुर्गों से विरासत में मिली हैं। यही संस्कारित क्रिया-कलाप ही जब किसी मंच या विशेष अवसर पर मुखरित होते हैं, तो लोक परम्पराओं का रूप धारण करते हैं।

किसी भी क्षेत्र या राज्य, देश की लोक परम्पराएं अपनी विलक्षण, अनोखी, सौन्दर्यमय, प्रतिभा के साथ देश की संस्कृति में रची, पली, बड़ी है। कदाचित् हिन्दी सिनेमा के माध्यम से समस्त क्षेत्रीय लोकपरम्पराएं विश्व पटल के उच्चतम शीर्ष पर विद्यमान है। हां यह सत्य भी है, कि हिन्दी सिनेमा एक प्रबल माध्यम है जो किसी भी क्षेत्र या प्रदेश की लोकपरम्पराओं को समस्त भारत वर्ष में एक संस्कृति के रूप में संजोये हुए है।

किसी भी प्रदेश की लोक कला जैसे- उत्तर प्रदेश की कजरी (लोकगीत), नौटंकी (लोक नाट्य) या बिहार प्रदेश की पूर्वी, विदेशिया लोकगीत राजस्थान की ओल्या तथा पिपली (लोकगीत) आदि हिन्दी सिनेमा में किसी भी चलचित्र या फिल्म का एक अंग है। प्रस्तुत शोध पत्र के माध्यम से लोक संस्कृति एवं उसके पर्याय परम्पराओं का हिन्दी सिनेमा में प्रयोग बताया गया है।

शब्दावली- संस्कृति, लोक, परम्परा, फिल्मांकन, चलचित्र।

भारत एक ऐसा विशाल देश है जिसके अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रीय सांस्कृतिक परम्पराएं, लोक संगीत, काव्य कला, चित्र कला आदि एक विशिष्ट संस्कृति का परिचय देती है। जिनमें प्रदेश की सामाजिक आध्यात्मिक, भौतिक क्रिया-कलापों का समन्वय रहता है। जिनमें लोक-जीवन हर्ष उल्लास शोक आदि भावनाओं को चराचर जीता-जागता हुआ एक मूर्त है।

“संस्कृति शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के सम उपसर्ग के साथ (डु) (कृ) (ज) धातु के संयोग से हुयी है जिसका मूल अर्थ साफ या परिष्कृत करना है।” हिन्दी शब्द सागर के अनुसार रहन-सहन की रूढ़ी ही संस्कृति है। “डॉ० सम्पूर्णानन्द के कथनानुसार संस्कृति उस दृष्टिकोण को कहते हैं। जिसमें कोई समुदाय विशेष जीवन की समस्याओं पर दृष्टि निक्षेप करता है।” कदाचित् संस्कृति के सन्दर्भ में अनुमान लगाना कठिन कार्य तो है ही किन्तु, आकांक्षाओं से परे नहीं। संस्कृति रूपी सरोवर में प्रत्येक व्यक्ति समाज को अमृत स्नान करना ही पड़ता है। यथावत चिन्तनशील प्राणी, संस्कृति के जीवन रूपी कवच के साथ जन्म लेता हुआ सरिता के कल-कल मिनाद धाराओं की भाँति जीवन रूपी नैया के माध्यम से पूर्वजों से प्राप्त मानवीय मूल्यों को अपने आने वाली पीढ़ी में हस्तान्तरित करता है। कदाचित् इसी का नाम संस्कृति है।

यह सत्य भी है कि संस्कृति का पर्याय ही लोक कला है। लोक अर्थात् भूमण्डल पर निवास करने वाला समस्त जन समुदाय। लोक शब्द संस्कृत के (लोक-दर्शन) धातु में घ ज प्रत्यय पूर्वक निष्पन्न है। जिसका अर्थ है देखने वाला डॉ० कृष्ण देव उपाध्याय के मतानुसार “जो लोक संस्कृत या परिष्कृत वर्ग से प्रभावित न होकर अपनी पुरातन स्थितियों में रहते हैं लोक कहलाते है।

लोक शब्द का पर्याय सिर्फ जनपद एवं गांव ही नहीं बल्कि नगरों एवं गांवों में विस्तारित वह समुचित मानव जाति है जिसके व्यावहारिक ज्ञान का आधार सिर्फ पोथिया नहीं, ये लोक ग्राम में परिष्कृत एवं परिमार्जित रूची वाले लोगों की सम्पूर्ण जीवन की विलाशिता व सुकुमारिता को सतत् प्रवाह मान होने के लिए परस्पर अग्रशील रहते है।

कला जब मानव ने अपने हर्ष, उल्लास आदि भावाविवेक को अंग प्रत्यंग, कण्ठ व आदि के माध्यम से व्यक्त करता है तो कला निष्काम होता है। चाहे वह लोक संगीत से हो या काव्य से हो। धीरे-धीरे समय की बलवती धारा में सिनेमा, चलचित्र का आगमन हुआ एवं लोक कला व संस्कृति को मंच मिला तथा विभिन्न लोक कला परम्पराओं को समय-समय पर अभिनय के माध्यम से प्रदर्शित किया जाने लगा।

निम्नलिखित रूप में विभिन्न राज्यों के उन लोक कला परम्परा का दृष्टि निक्षेपण किया जा रहा है, जो भारतीय हिन्दी सिनेमा का एक अंग है। सिनेमा संगीत पहचान दरअसल, लोक संगीत के बिना हिन्दी सिनेमा की कल्पना ही अधूरी है। विभिन्न संगीतकारों जैसे- नौसाद, सी रामचन्द्र, जयदेव, एसडी बर्मन से लेकर लक्ष्मीकांत प्यारे लाल तक संगीतकारों की भरी पूरी पात है। जिन्होंने लोक गीतों के बुते सिनेमा संगीत की पूरी दुनिया रच डाली है। किसी ने गोवा के संगीत तटों से लोक संगीत की सजलता ली, तो किसी ने राजस्थान और पंजाब की छू जाने वाली धूनों को नये सिर से पिरोया है। इस दुनिया को आबाद करने में शैलेन्द्र, पण्डित नरेश शर्मा, कैफी, मजरूह, शकील, गीतकारों का अक्षर साथ मिला। यदि गुजराती लोक संगीत के बारे में चर्चा की जाय, तो महत्वपूर्ण तथ्य प्रकट होते हैं, कल्याण जी आनन्द जी के निर्देशन में बनी फिल्म सरस्वती चन्द्र में बंगाल के लोक गीत “मैं तो भूल गयी बाबूल का देश पिया का घर प्यारा लगे” लोक संगीत का प्रत्यक्ष उदाहरण है। इसके साथ ही देश प्रेम से परिपूर्ण गीत “मेरे देश की धरती सोना उगले-उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती” का फिल्मांकन किया, इस गीत के संगीत में लोक वाद्यों बैलो की टाप एवं घूँघरू की आवाज गीत की शोभा बढ़ाती है। इसी तरह काश्मीर के लोक संगीत का चित्रण मिशन काश्मीर में” बुम रहो बुम रहो श्याम रंग बुम रहो” लोक गीतों के रूप में किया गया है।

उत्तर प्रदेश के लोक संगीत पर चित्रण फिल्म “सिलसिला जो कि यश चोपड़ा जी के निर्देशन में बनी, में आधारित होली गीत “रंग बरसे भीगे चुनर वाली” कजरी है जिसमें, ढोल, शहनाई आदि लोक वाद्यों से संगत किया गया है।

एक दृष्टि यदि लोक नृत्य पर डाले तो पश्चिम बंगाल ओड़िसा एवं झारखण्ड के लोक नृत्य ‘छऊ’ को फिल्म बर्फी में दर्शाया गया है। ऐसे ही धर्मेश दर्शन के निर्देशन में बनी फिल्म “राजा हिन्दुस्तानी” में परदेसी-परदेसी गीत में राजस्थान का लोक नृत्य कालबेलिया का रूप देखने को मिला है। क्रमानुसार हिन्दी सिनेमा में भारतीय लोक कला व संस्कृति का दर्शन होता है। उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य का चित्रण फिल्म “शहजादी नौटंकी” जो कि नृत्य नाटक कथानक पर आधारित है, का प्रत्यक्ष उदाहरण है जिसमें ढोल, नगाड़ा आदि से संगत किया गया है। पंजाब के लोक नृत्य डफ-धमाल को सोहनी-माहीवाल फिल्म से दर्शाया गया है। इसी तरह विभिन्न राज्यों के लोक नृत्य संगीत का फिल्मांकन किया गया है। जिसमें भारत के लोक-कला परम्पराओं संस्कृति आदि का समन्वय है।

अब यदि काव्य या लेखन परम्परा पर दृष्टि डाली जाय तो आतिशयोक्ति नहीं होगी। कदाचित् फिल्मों की भूमिका रचने का कार्य रचनाकारों का है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में फिल्म या विभिन्न धारावाहिक है, जो साहित्यआंगन से निकल कर नाटक का रूप धारण कर ली है। जिसमें प्रदेश की मिट्टी की सुगंध आती है। इनमें सर्वप्रथम नाम आता है मुंशी प्रेमचन्द्र जी का इनके द्वारा रचित उपन्यास गबन, गोदान, बड़े घर की बेटी आदि ग्रामीण रहन-सहन का प्रत्यक्ष आइना है।

इसी क्रम में केशव प्रसाद जी द्वारा रचित उपन्यास ‘नदिया के पार’ जो अवधी भाषा में रचित है एवं उसमें गांव की चहक-महक, चार दिवारी आदि प्राकृतिक पर्यावरण का दृष्यण हुआ है। हिन्दी सिनेमा और भारतीय कला परम्पराओं का घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। या यू कहिए लोक परम्परा यदि शरीर है तो हिन्दी सिनेमा उसका प्राण।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. संस्कृति भाषा एवं साहित्य- प्रभाकरण हेब्बार
2. साहित्य निबन्ध- डॉ० द्वारिका प्रसाद सक्सेना
3. सिद्धान्त कौमदी- वेंकटेश्वर प्रेस, बम्बई
4. हिन्दी साहित्य का वृहत इतिहास- षोडस भाग
5. पुरूलिया का छऊ नृत्य- आशुतोष भट्टा चार्य

उत्तर प्रदेश शासन एवं विभिन्न मतावलंबियों द्वारा संचालित माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की विद्यालयी व्यवस्था के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन

प्रो० सुषमा पाण्डेय

शोध निर्देशक, शिक्षाशास्त्र विभाग, दी०द०उ० गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

मनोज कुमार गुप्ता

शोधार्थी, शिक्षाशास्त्र विभाग, दी०द०उ० गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

सारांश-

शिक्षा एक महत्वपूर्ण साधन है जो व्यक्ति को ज्ञान, कौशल, तकनीक एवं सूचना प्रदान करती है और लोगों को अपने परिवार, समाज तथा राष्ट्र के प्रति अपने अधिकारों और कर्तव्यों को जानने में सक्षम बनाती है जिससे सभी लोग आसपास की दुनिया को देखने के लिए अपनी दृष्टि और दृष्टिकोण का विस्तार करते हैं। यह जीवन के प्रति हमारी धारणा को बदल देती है। शिक्षा बालकों में रचनात्मकता को बढ़ाने के लिए नई चीजों का पता लगाने की क्षमता का निर्माण करती है और यही रचनात्मकता राष्ट्र को विकसित करने का एक उपकरण है। शिक्षा मानव जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है। देश के सभी नागरिक शिक्षित होने के पात्र हैं यह सभी का अधिकार भी है। लेकिन फिर भी बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे हैं जिनके पास शिक्षा प्राप्त करने का उचित अवसर नहीं है। इसके पीछे मुख्य कारण गरीबी है। इन सभी के लिए शिक्षा अभियान पर अपनी आवाज बुलंद करने की जरूरत है।

जीवन में आगे बढ़ने और सफल होने के लिए शिक्षा आवश्यक है। शिक्षा से आत्मविश्वास बढ़ता है और व्यक्ति इसी के द्वारा अपना विकास करता है। शिक्षा हमारे जीवन में एक बड़ी भूमिका निभाती है। शिक्षा जीवन में आगे बढ़ने और कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्यों को प्राप्त करने का मुख्य साधन है। वर्तमान समय में हमारे प्रदेश में विभिन्न मतावलंबियों द्वारा विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है जिसमें विद्यार्थियों की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए बहुत सी प्रभावी विद्यालयी व्यवस्थाओं पर बल दिया जा रहा है जो बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि को बढ़ाने में कारगर सिद्ध हो रही हैं।

मुख्य शब्द- उत्तर प्रदेश शासन, सरस्वती विद्या मंदिर, मदरसा, क्रिश्चियन विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, विद्यालयी व्यवस्था, अभिवृत्ति, मध्यमान, मानक विचलन, टी-परीक्षण इत्यादि।

प्रस्तावना-

हर बच्चे का जीवन में कुछ अनोखा करने का अपना उद्देश्य होता है। कभी-कभी माता-पिता भी अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, आई०ए०एस०, पी०सी० एस० अधिकारी अथवा उच्च व्यवसायी बनाने का सपना देखते हैं। बच्चों या माता-पिता के ऐसे सभी उद्देश्यों को शिक्षा द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रतिस्पर्धी युग में जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी के पास अच्छी शिक्षा और अच्छा ज्ञान होना चाहिए। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के विद्यालयों में अध्ययन करने

वाले बच्चों के समुचित विकास के लिए सम्बन्धित शिक्षण संस्था के वातावरण तथा वहाँ पर उपलब्ध संसाधनों के प्रति विद्यार्थियों की रूचि एवं अभिवृत्ति भी उनकी अधिगम क्षमता को बढ़ाने में सहायक होती है। शिक्षा न केवल अच्छी नौकरी देती है बल्कि जीवन को नए नजरिए से समझने की क्षमता भी बढ़ाती है। अच्छी शिक्षा जीवन में आगे बढ़ने के कई मार्ग दिखाती है। यह हमारे विशेषज्ञता स्तर, तकनीकी क्षमताओं और उत्कृष्ट कार्यों में सुधार करके हमें बौद्धिक और नैतिक रूप से शक्तिशाली बनाती है।

शिक्षा बालक और बालिकाओं दोनों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक स्वस्थ और विकसित समाज के निर्माण में दोनों की भूमिका आवश्यक है। शिक्षा एक शानदार भविष्य देने का एक आवश्यक तरीका है साथ ही राष्ट्र के विकास और सुधार में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वर्तमान समय में समाज के विभिन्न मतावलंबियों द्वारा विद्यालयों की स्थापना की गयी है जिसमें सभी का मुख्य उद्देश्य अच्छा विद्यालयी वातावरण का निर्माण कर विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना है।

समस्या के अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व-

वर्तमान समय में रोजगार के लिए शिक्षा बहुत ही जरूरी है। जब नौकरी पाने की बात आती है तो अशिक्षित लोग पीछे रह जाते हैं। शिक्षा केवल नौकरी पाने और आजीविका चलाने के लिए ही नहीं बल्कि समाज में स्वयं को स्थापित करने के लिए भी आवश्यक है। कोई भी विद्यालय अपने विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए विद्यालय में विद्यार्थियों के लिए आवश्यक समस्त सुविधाओं को प्रदान करने की कोशिश करता है। क्योंकि एक सुसज्जित और सुविधा युक्त विद्यालय ही अपने बच्चों में उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने में सफल होते हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत संचालित विभिन्न मतावलंबियों के द्वारा संचालित विद्यालयों के जिम्मेदार अधिकारियों व कर्मचारियों से यह उम्मीद की जाती है कि वे अपने-अपने विद्यालयों में विद्यार्थियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए आवश्यक विद्यालयी व्यवस्था बनाए रखेंगे। अलग-अलग विचारधाराओं के आधार पर स्थापित विद्यालयों में अलग-अलग तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं जिनमें से अधिकतर सुविधाएं विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सहायता प्रदान करती हैं परंतु इन विद्यालयों में कई तरह की समस्याओं का भी सामना विद्यार्थी कर रहे हैं जिसको विद्यालय प्रबंधन द्वारा ध्यान में रखते हुए उसे सही करने का प्रयास किया जाना चाहिए। प्रस्तुत शोध में शोधकर्ता द्वारा उत्तर प्रदेश शासन तथा विभिन्न मतावलंबियों द्वारा स्थापित शिक्षण संस्थाओं में विद्यालयी व्यवस्था के प्रति विद्यार्थियों की क्या अभिवृत्ति है? का अध्ययन करने का प्रयास किया गया है क्योंकि शोधकर्ता का मानना है कि विद्यार्थियों की अधिगम क्षमता को बढ़ाने में संस्थाओं की व्यवस्था महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है।

सम्बन्धित साहित्य का पुनरावलोकन-

सम्बन्धित साहित्य से तात्पर्य अनुसंधान की समस्या से सम्बन्धित उन सभी प्रकार की पुस्तकों, ज्ञान-कोषों, पत्र-पत्रिकाओं, प्रकाशित तथा अप्रकाशित शोध-प्रबन्धों एवं अभिलेखों आदि से है, जिनके अध्ययन से अनुसंधानकर्ता को अपनी समस्या के चयन, परिकल्पनाओं के निर्माण, अध्ययन की रूपरेखा तैयार करने एवं कार्य को आगे बढ़ाने में सहायता मिलती है।

किसी भी विषय के विकास में किसी विशेष शोध प्रारूप का स्थान बनाने के लिए शोधकर्ता को पूर्व सिद्धान्तों एवं शोधों से भली-भाँति अवगत होना चाहिए। इस जानकारी को निश्चित करने के लिए व्यवहारिक ज्ञान में प्रत्येक शोध प्रारूप की प्रारम्भिक अवस्था में इसके सैद्धान्तिक एवं शोधित साहित्य की समीक्षा करनी होती है, यहाँ साहित्य समीक्षा का अर्थ दिया गया।

सम्बन्धित साहित्य-

गुप्ता, सी. (2017) ने शैक्षिक अनुसंधान और एशिया का प्रौद्योगिकी क्षेत्र में विद्यार्थियों की आधुनिकीकरण के प्रति अभिवृत्ति अध्ययन किया है। प्रस्तुत अध्ययन उत्तराखण्ड राज्य के देहरादून जनपद के एक महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों पर किया गया। प्रस्तुत अध्ययन में विद्यार्थियों की आधुनिकीकरण के प्रति अभिवृत्ति के स्वरूप को जानने का प्रयास किया गया है क्योंकि विद्यार्थियों की सकारात्मक अभिवृत्ति राष्ट्र तथा समाज के विकास के लिए बहुत उपयोगी होती है। प्रस्तुत अध्ययन में विद्यार्थियों की अभिवृत्ति का अध्ययन करने के लिए 8 महाविद्यालयों के 200 छात्रों और 200 छात्राओं का चयन प्रतिदर्श के रूप में यादृच्छिक विधि द्वारा किया गया। विद्यार्थियों की अभिवृत्ति अध्ययन के लिए आर. एस. सिंह, ए.एन. त्रिपाठी तथा रामजी लाल द्वारा विकसित 'द मार्डनाइजेशन स्केल' का प्रयोग किया गया। प्रस्तुत अध्ययन का

उद्देश्य छात्र और छात्राओं के साथ-साथ विभिन्न वर्गों, शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र तथा संयुक्त और एकल परिवार की अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन से संबंधित हैं। प्रस्तुत अध्ययन में सांख्यिकी विधियों जैसे कि मध्यमान, मानक विचलन, टी. परीक्षण का उपयोग तुलनात्मक अध्ययन के लिए किया गया। प्रस्तुत अध्ययन के परिणामों के आधार पर यह निष्कर्ष प्राप्त हुए कि छात्रों और छात्राओं का लिंग, वर्ग, क्षेत्र तथा परिवार के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अंतर है। एकल तथा संयुक्त परिवार के छात्रों और छात्राओं की अभिवृत्ति में अंतर नहीं पाया गया है।

बाबल, जे. (2017) ने अंतरराष्ट्रीय जर्नल आफ अनुप्रयुक्त रिसर्च में सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यार्थियों की वैज्ञानिक अभिवृत्ति एवं कम्प्यूटर अभिवृत्ति का अध्ययन किया है। प्रस्तुत अध्ययन राजस्थान राज्य के उदयपुर जनपद में किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन में 50 सरकारी एवं 50 गैर सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों का चयन प्रतिदर्श के रूप में किया गया। प्रस्तुत अध्ययन में स्वयं निर्मित मापनी का निर्माण करके आंकड़ों को एकत्रित किया गया तथा सांख्यिकी विधियों के द्वारा आंकड़ों का विश्लेषण किया गया। प्रस्तुत अध्ययन के परिणामों के आधार पर यह निष्कर्ष प्राप्त हुए कि सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों की वैज्ञानिक अभिवृत्ति एवं कम्प्यूटर अभिवृत्ति में सार्थक अंतर है।

शोध अध्ययन का उद्देश्य-

प्रस्तुत शोध निम्न उद्देश्य के अनुसार सम्पादित किया गया है-

उत्तर प्रदेश शासन एवं विभिन्न मतावलंबियों द्वारा संचालित माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की विद्यालयी व्यवस्था के प्रति अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन करना।

शोध अध्ययन की परिकल्पना-

शोध अध्ययन में निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति हेतु निम्नलिखित परिकल्पनाएं बनाई गई हैं-

1. उ०प्र० शासन एवं सरस्वती विद्या मंदिर के माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की विद्यालयी व्यवस्था के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अंतर है।
2. उ०प्र० शासन एवं मदरसा के माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की विद्यालयी व्यवस्था के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अंतर है।
3. उ०प्र० शासन एवं क्रिश्चियन के माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की विद्यालयी व्यवस्था के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अंतर है।

शोध विधि- प्रस्तुत अध्ययन में प्रयोगात्मक शोध की सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है।

जनसंख्या- जनसंख्या का तात्पर्य सम्पूर्ण इकाइयों के निरीक्षण से होता है। इसमें कुछ इकाइयों का चयन करके न्यादर्श बनाया जाता है। गोरखपुर मंडल के अंतर्गत आने वाले जिलों में संचालित उत्तर प्रदेश बोर्ड, सरस्वती विद्या मंदिर, मदरसा तथा क्रिश्चियन विद्यालयों में अध्ययनरत क्रमशः 200 विद्यार्थियों को न्यादर्श के रूप में चुना गया है।

न्यादर्शन- जनसंख्या (इकाई, वस्तुओं या मनुष्यों का समूह) में किसी चर का विशिष्ट मान ज्ञात करने के लिए उसकी कुछेक इकाइयों को चुन लिया जाता है तो इस चुनने की क्रिया को न्यादर्शन कहते हैं, तथा चुनी हुई इकाइयों के समूह को न्यादर्श कहते हैं। प्रस्तुत अध्ययन में संभाव्यता न्यादर्शन के आधार पर आंकड़ों को लिया गया है।

शोध उपकरण-

प्रस्तुत शोध में उत्तर प्रदेश शासन एवं विभिन्न मतावलंबियों द्वारा संचालित माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों की विद्यालयी व्यवस्था के प्रति अभिवृत्ति को मापने के लिए स्वनिर्मित अभिवृत्ति मापनी का प्रयोग किया गया है।

इस अभिवृत्ति मापनी के विभिन्न आयामों के निर्धारण के पश्चात् पदों का निर्माण किया गया। पदों के निर्माण और विकास की प्रक्रिया अत्यन्त सहज एवं स्वाभाविक थी। पदों का निर्माण इस प्रकार से किया गया कि परीक्षण के सभी आयाम स्पष्ट हो सकें। साक्षात्कार से प्राप्त जानकारी एवं स्वानुभव के आधार पर पदों का विकास किया गया। यह मापनी अभिवृत्ति मापन से सम्बंधित निम्नलिखित आयामों पर निर्मित की गयी है-

1. भौतिक संसाधन सम्बन्धी अभिवृत्ति
2. मानवीय संसाधन सम्बन्धी अभिवृत्ति
3. विद्यालय परिसर सम्बन्धी अभिवृत्ति
4. शिक्षण अधिगम वातावरण सम्बन्धी अभिवृत्ति तथा
5. अन्य क्रियाकलाप सम्बन्धी अभिवृत्ति

विभिन्न आयामों को देखते हुए शोधकर्ता द्वारा प्रयुक्त शोध उपकरण में भौतिक संसाधन सम्बन्धी अभिवृत्ति के लिए 17 कथन, मानवीय संसाधन सम्बन्धी अभिवृत्ति के लिए 13 कथन, विद्यालय परिसर सम्बन्धी अभिवृत्ति के लिए 15 कथन, शिक्षण अधिगम वातावरण सम्बन्धी अभिवृत्ति के लिए 15 कथन तथा अन्य क्रियाकलाप सम्बन्धी अभिवृत्ति के लिए 15 कथनों का समावेश किया गया है।

इस प्रकार कुल 75 पदों की संरचना की गयी। पदों की संरचना के पश्चात् पञ्च बिन्दु मापनी का निर्माण किया गया। प्रत्येक कथन के पांच विकल्प पूर्णतः सहमत, सहमत, अनिश्चित, असहमत, पूर्णतः असहमत रखे गये हैं।

अंकन विधि- स्वनिर्मित अभिवृत्ति मापनी की अंकन विधि निम्नवत है-

रेटिंग	पूर्णतः सहमत	सहमत	अनिश्चित	असहमत	पूर्णतः असहमत
धनात्मक कथन	5	4	3	2	1
ऋणात्मक कथन	1	2	3	4	5

शोध से प्राप्त परिणामों का सारणीबद्ध व उनकी व्याख्या अग्रवत है-

परिकल्पना 1- उ०प्र० शासन एवं सरस्वती विद्या मंदिर के माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की विद्यालयी व्यवस्था के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अंतर है।

तालिका 1-उ०प्र० शासन एवं सरस्वती विद्या मंदिर के माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की विद्यालयी व्यवस्था के प्रति अभिवृत्ति का विवरण:

विद्यालय	संख्या	माध्य	मानक विचलन	स्वतंत्रता मान	टी-मान	टिप्पणी
उ०प्र० शासन	200	273.50	62.42	398	1.57	0.05 तथा 0.01 स्तर पर कोई सार्थक अन्तर नहीं हैं
सरस्वती विद्या मंदिर	200	243.88	68.40			

उपर्युक्त तालिका के अनुसार प्रथम समूह उ०प्र० शासन द्वारा संचालित विद्यालयों के विद्यार्थियों का है जिसका मध्यमान 273.50 तथा मानक विचलन 62.42 है, जबकि दूसरा समूह सरस्वती विद्या मंदिर विद्यालयों के विद्यार्थियों का है जिसका मध्यमान 243.88 तथा मानक विचलन 68.40 है। इन समूहों के चरों के मध्यमानों की सार्थकता ज्ञात करने के लिए टी-अनुपात परीक्षण का प्रयोग किया गया जिसके आधार पर क्रांतिक अनुपात की गणना की गई जिसका मान 1.57 प्राप्त हुआ है जो की .05 सार्थकता स्तर के मान 1.96 तथा 0.01 सार्थकता स्तर के मान 2.58 से कम है। अतः निष्कर्ष रूप में हम यह कह सकते हैं कि दोनों समूहों की विद्यार्थियों की विद्यालयी व्यवस्था के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नहीं है। इस प्रकार शोधकर्ता की परिकल्पना संख्या 1 स्वीकार की जाती है तथा प्राप्त परिणाम को भी स्वीकार किया जाता है।

परिकल्पना 2-उ0प्र0 शासन एवं मदरसा के माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की विद्यालयी व्यवस्था के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अंतर है।

तालिका 2-उ0प्र0 शासन एवं मदरसा के माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की विद्यालयी व्यवस्था के प्रति अभिवृत्ति का विवरण:

विद्यालय	संख्या	माध्य	मानक विचलन	स्वतंत्रता मान	टी-मान	टिप्पणी
उ0प्र0 शासन	200	273.50	62.42	398	2.06	0.05 स्तर पर सार्थक अंतर है तथा 0.01 स्तर पर कोई सार्थक अन्तर नहीं हैं
मदरसा	200	242.82	38.39			

उपर्युक्त तालिका के अनुसार प्रथम समूह उ0प्र0 शासन द्वारा संचालित विद्यालयों के विद्यार्थियों का है जिसका मध्यमान 273.50 तथा मानक विचलन 62.42 है, जबकि दूसरा समूह मदरसा विद्यालयों के विद्यार्थियों का है जिसका मध्यमान 242.82 तथा मानक विचलन 38.39 है। इन समूहों के चरों के मध्यमानों की सार्थकता ज्ञात करने के लिए टी-अनुपात परीक्षण का प्रयोग किया गया जिसके आधार पर क्रांतिक अनुपात की गणना की गई जिसका मान 2.06 प्राप्त हुआ जो 0.05 सार्थकता स्तर के मान 1.96 से अधिक तथा 0.01 सार्थकता स्तर के मान 2.58 से कम है। अतः निष्कर्ष रूप में हम यह कह सकते हैं कि दोनों समूहों के विद्यार्थियों की विद्यालयी व्यवस्था के प्रति अभिवृत्ति में 0.05 स्तर पर सार्थक अंतर है जबकि 0.01 सार्थकता स्तर पर सार्थक अंतर नहीं है। इस प्रकार शोधकर्ता की परिकल्पना संख्या 2, 0.05 सार्थकता स्तर पर स्वीकार की जाती है जबकि 0.01 सार्थकता स्तर पर अस्वीकार की जाती है।

परिकल्पना 3-उ0प्र0 शासन एवं क्रिश्चियन के माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की विद्यालयी व्यवस्था के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अंतर है।

तालिका 3- उ0प्र0 शासन एवं क्रिश्चियन के माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की विद्यालयी व्यवस्था के प्रति अभिवृत्ति का विवरण:

विद्यालय	संख्या	माध्य	मानक विचलन	स्वतंत्रता मान	टी-मान	टिप्पणी
उ0प्र0 शासन	200	273.50	62.42	398	0.178	0.05 तथा 0.01 स्तर पर कोई सार्थक अन्तर नहीं हैं
क्रिश्चियन विद्यालय	200	275.90	23.86			

उपर्युक्त तालिका के अनुसार प्रथम समूह उ0 प्र0 शासन द्वारा संचालित विद्यालयों के विद्यार्थियों का है जिसका मध्यमान 273.50 तथा मानक विचलन 62.42 है, जबकि दूसरा समूह क्रिश्चियन विद्यालयों के विद्यार्थियों का है जिसका मध्यमान 275.90 तथा मानक विचलन 23.86 है। इन समूहों के चरों के मध्यमानों की सार्थकता ज्ञात करने के लिए टी-अनुपात परीक्षण का प्रयोग किया गया जिसके आधार पर क्रांतिक अनुपात की गणना की गई जिसका मान 0.178 प्राप्त हुआ जो 0.05 सार्थकता स्तर के मान 1.96 तथा 0.01 सार्थकता स्तर के मान 2.58 से कम है। अतः निष्कर्ष रूप में हम यह कह सकते हैं कि दोनों समूहों की विद्यार्थियों की विद्यालयी व्यवस्था के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नहीं है। इस प्रकार शोधकर्ता की परिकल्पना संख्या 3 अस्वीकार की जाती है तथा प्राप्त परिणाम को स्वीकार किया जाता है।

निष्कर्ष:-

प्रस्तुत शोध में शोधकर्ता ने उत्तर प्रदेश शासन एवं सरस्वती विद्या मंदिर के माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की विद्यालयी व्यवस्था के प्रति अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन करने का प्रयास किया है। आंकड़ों के विश्लेषण एवं व्याख्या के पश्चात यह ज्ञात हुआ कि शोधकर्ता द्वारा निर्मित परिकल्पना संख्या 1 में उत्तर प्रदेश शासन एवं सरस्वती विद्या मंदिर के विद्यार्थियों की विद्यालयी व्यवस्था के प्रति अभिवृत्ति में कोई अंतर नहीं होता है अर्थात् उत्तर प्रदेश शासन एवं सरस्वती विद्या मंदिर के विद्यार्थियों की विद्यालयी व्यवस्था के प्रति अभिवृत्ति का स्तर एक समान होता है। प्राप्त निष्कर्ष के अनुसार उत्तर प्रदेश शासन के माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों तथा सरस्वती विद्या मंदिर के माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की विद्यालयी व्यवस्था के प्रति अभिवृत्ति एक जैसी प्राप्त हुई। ऐसा इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा संचालित माध्यमिक विद्यालय राज्य सरकार के विभिन्न अधिनियम के अंतर्गत संचालित किये जाते हैं जिस कारण से इन विद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों पर आधारित होती है इस कारण से इन विद्यालयों को समय-समय पर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के द्वारा विद्यालय प्रबंधन एवं व्यवस्था के संबंध में प्रशिक्षण एवं दिशा निर्देश प्रदान किया जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य की सबसे अधिक जनसंख्या इन्हीं विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करती है। जिस कारण से राजकीय विद्यालयों में विद्यालय व्यवस्था अच्छी पाई जाती है। सरस्वती विद्या मंदिर के द्वारा संचालित विभिन्न माध्यमिक विद्यालय एक व्यक्तिगत (निजी) प्रबंधन के माध्यम से संचालित किए जाते हैं। इन विद्यालयों में विद्यार्थियों से मोटी फीस वसूली जाती है और विद्यार्थियों को आवश्यक विद्यालयी व्यवस्था प्रदान की जाती है। अतः उत्तर प्रदेश शासन एवं सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की विद्यालय व्यवस्था के प्रति अभिवृत्ति एक समान होती है।

प्रस्तुत शोध में शोधकर्ता ने उत्तर प्रदेश शासन एवं मदरसा के माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की विद्यालयी व्यवस्था के प्रति अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन करने का प्रयास किया है। आंकड़ों के विश्लेषण में व्याख्या के पश्चात यह ज्ञात हुआ कि शोधकर्ता द्वारा निर्मित परिकल्पना संख्या 2 में उत्तर प्रदेश शासन एवं मदरसा के माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की विद्यालयी व्यवस्था के प्रति अभिवृत्ति में अंतर है अर्थात् उत्तर प्रदेश शासन एवं मदरसा विद्यालय के विद्यार्थियों की विद्यालयी व्यवस्था के प्रति अभिवृत्ति का स्तर अलग-अलग होता है। प्राप्त निष्कर्षों के अनुसार उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थी मदरसा विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों से विद्यालयी व्यवस्था के प्रति अधिक अभिवृत्ति रखते हैं क्योंकि राजकीय विद्यालयों में आवश्यक विद्यालयी व्यवस्था अच्छी पायी जाती है। मदरसा विद्यालय मुख्य रूप से मुस्लिम अल्पसंख्यक के बालकों को शिक्षित करने के उद्देश्य से स्थापित किए गए हैं। मदरसा विद्यालय का प्रबंधन व्यक्तिगत हाथों में होता है जो मुख्य रूप से किसी मुस्लिम समुदाय के नेता अथवा वरिष्ठ व्यक्तियों द्वारा प्रबंध किया जाता है। मदरसा विद्यालयों में पूरी तरह से धार्मिक क्रियाकलापों की प्रबलता होती है, और मुस्लिम समुदाय आधुनिकता को ग्रहण करने में अभी पीछे हैं जिसका प्रभाव विद्यालय संचालकों पर भी देखा जा सकता है। ज्यादातर मदरसा आज भी परंपरागत मुस्लिम शिक्षा व्यवस्था के आधार पर संचालित किये जा रहें हैं इसलिए मदरसा विद्यालयों में आज भी आधुनिक सुविधाओं की कमी है।

प्रस्तुत शोध में शोधकर्ता ने उत्तर प्रदेश शासन एवं क्रिश्चियन समुदाय द्वारा संचालित माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की विद्यालयी व्यवस्था के प्रति अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन किया है तथा उत्तर प्रदेश शासन एवं क्रिश्चियन समुदाय द्वारा संचालित विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की विद्यालयी व्यवस्था के प्रति अभिवृत्ति में अंतर जानने का प्रयास किया है। प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण एवं व्याख्या के पश्चात यह ज्ञात हुआ कि शोधकर्ता द्वारा निर्मित परिकल्पना संख्या 3 में उत्तर प्रदेश शासन एवं क्रिश्चियन समुदाय द्वारा संचालित माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की विद्यालयी व्यवस्था के प्रति अभिवृत्ति में कोई अंतर नहीं होता है अर्थात् उत्तर प्रदेश शासन एवं क्रिश्चियन समुदाय द्वारा संचालित विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की विद्यालयी व्यवस्था के प्रति अभिवृत्ति का स्तर एक समान होता है। दोनों प्रकार के विद्यालय अपने विद्यार्थियों को अच्छी से अच्छी सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं क्योंकि इन विद्यालयों में उपलब्ध सुविधाओं को देखकर ही कोई भी माता-पिता अपने बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए यहां भेजते हैं। अतः इन्हीं कारणों से हम देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश शासन एवं क्रिश्चियन समुदाय द्वारा संचालित माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की विद्यालयी व्यवस्था के प्रति अभिवृत्ति एक समान होती है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. शर्मा, आर०ए० (2008): भारतीय शिक्षा प्रणाली का विकास, आर०लाल बुक डिपो, मेरठ।
2. भटनागर, डॉ० ए०बी० (2008): अधिगम एवं शिक्षण, आर० लाल बुक डिपो, मेरठ।
3. अग्रवाल, डॉ० नीता (2008): बाल विकास, अग्रवाल पब्लिकेशन, आगरा।
4. नागर, डॉ० बीनू एवं राजपूत, डॉ० आशा (2010): बाल विकास आगरा पब्लिकेशन, आगरा।
5. जायसवाल, सीताराम (2012): व्यक्तित्व का मनोविज्ञान, श्री विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा।
6. श्रीवास्तव, डी०एन० एवं पाठक, के०पी० (2012): बाल विकास एवं बाल मनोविज्ञान, आगरा पब्लिकेशन, आगरा।
7. श्रीवास्तव, महेन्द्र नाथ एवं कुमार सतीश (2014): बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, अग्रवाल पब्लिकेशन, आगरा।
8. श्रीवास्तव, डॉ० डी०एन० (2020): अनुसंधान विधियाँ, साहित्य प्रकाशन, आगरा।
9. गुप्ता, प्रो० एस०पी० एवं गुप्ता, डॉ० अलका, (2013): सांख्यिकीय विधियाँ, शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद।
10. राय, पारस नाथ (2008): अनुसंधान परिचय, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा।
11. सिंह, अरूण कुमार (2017): मनोविज्ञान, समाजशास्त्र तथा शिक्षा में शोध विधियाँ, मोतीलाल बनारसीदास, बनारस।

महाकवि माघ प्रणीत 'शिशुपालवधम्' में नारियों की दशा का अध्ययन

विवेक कुमार राठौर

शोधार्थी (पी-एच.डी. संस्कृत) डॉ. सी. व्ही. रमन विश्वविद्यालय करगी रोड, कोटा, बिलासपुर (छ.ग.)

डॉ० वेद प्रकाश मिश्र

(प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष) संस्कृत एवं प्राच्य भाषा विभाग, डॉ. सी. व्ही. रमन विश्वविद्यालय करगी रोड, कोटा, बिलासपुर (छ.ग.)

सारांश:-

शिशुपालवधम् भागवत पुराण के महत्वपूर्ण घटना है जिसमें भगवान कृष्ण ने अपने द्वारका के राज्य सभा में राजा शिशुपाल का वध किया। नारी का स्थान उस काल में काफी ऊंचा था, पर पुरुष के समान नहीं था, यह उन ऋचाओं से मालूम होता है। इस घटना में नारियों की दशा का भी अपना महत्वपूर्ण स्थान है। शिशुपालवधम् में नारियों ने धैर्य, सामर्थ्य और प्रेम का प्रदर्शन किया है। उन्होंने शिशुपाल के अत्याचारों और अपमान के बावजूद अपने धर्म, मर्यादा और स्वाभिमान की रक्षा की। इस प्रकार, शिशुपालवधम् में नारियों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान हुआ और उन्होंने अपने वीरता और साहस का प्रदर्शन किया। इस शोध पत्र शिशुपालवधम् में नारियों की विस्तृत वर्णन कम होता है। जब कौरव सेना और पांडव सेना एकत्र हो गई, शिशुपाल ने अपमान करना शुरू कर दिया। उसने भगवान कृष्ण को बहुत सारे अभिशाप दिए और उन्हें नीच दिखाने की कोशिश की। इसके पश्चात्, भगवान कृष्ण ने अपनी सुंदरी दिव्यरूप का दर्शन किया और उसके बाद शिशुपाल को दो बार चेतावनी दी कि वह उसके सत्तापूर्वक अपमान करना बंद कर दे।

प्रस्तावना:-

माघ केवल सरस कवि ही नहीं थे, प्रत्युत एक प्रकाण्ड सर्वशास्त्रतत्त्वज्ञ विद्वान् थे। दर्शनशास्त्र, संगीतशास्त्र तथा व्याकरणशास्त्र में उनकी विद्वत्ता अप्रतिम थी। उनका पाण्डित्य एकांगी नहीं, प्रत्युत सर्वगामी था। अतएव उन्हें 'पण्डित-कवि' भी कहा गया है। एक और उल्लेखनीय विशेषता यह है कि महाकवि भारवि द्वारा प्रवर्तित अलंकृत शैली का पूर्ण विकसित स्वरूप माघ के महाकाव्य 'शिशुपालवधम्' में प्राप्त होता है, जिसका प्रभाव बाद के कवियों पर बहुत ही अधिक पड़ा। महाकवि माघ के 'शिशुपालवधम्' के प्रत्येक पक्ष की विशेषता का साहित्यिक अध्ययन विद्वानों ने किया है, शायद ही कोई पक्ष अछूता रहा है। पं० बलदेव उपाध्याय ने उचित ही कहा है- "अलंकृत महाकाव्य की यह आदर्श कल्पना महाकवि माघ का संस्कृतसाहित्य को अविस्मरणीय योगदान है, जिसका अनुसरण तथा परिवृंहण कर हमारा काव्य कर हमारा काव्य साहित्य समृद्ध, सम्पन्न तथा सुसंस्कृत हुआ है।"

संस्कृत साहित्य के काव्यकारों में माघ का उत्कृष्ट स्थान रहा है। यही कारण है कि उनके द्वारा विरचित 'शिशुपालवधम्' महाकाव्य को संस्कृत की बृहत्त्रयी में विशिष्ट स्थान मिला है। माघ के जीवन काल में हमारे देश की सामाजिक चेतना का स्पष्ट आभास शिशुपालवधम् से मिलता है। उस समय वर्ण व्यवस्था और वैदिक धर्म का ही प्राधान्य रहा। इस समय सती प्रथा और यज्ञानुष्ठान की प्रतिष्ठा रही।

विषय के आधार पर शिशुपालवधम् महाकाव्य का नामकरण किया गया है, क्योंकि शिवपाल का वध करना ही इस महाकाव्य का अभीष्ट है। माघ के पाण्डित्य ने 'शिशुपालवधम्' महाकाव्य का नामकरण किया गया है क्योंकि शिशुपाल का

वध करना है। इस महाकाव्य का अभीष्ट है। माघ के पाण्डित्य ने 'शिशुपालवधम्' महाकाव्य को आदर्श महाकाव्य का रूप प्रदान कर उसे उच्चकोटि के महाकाव्यों में स्थान दिलाया है। मल्लिनाथ ने 'शिशुपालवधम्' महाकाव्य की विशिष्टता को इस प्रकार बताया है-

तेताऽस्मिन्यदुनन्दनः स भगवा वीरप्रधानोरसः

श्रंगारादिभिरवान् विजयते पूर्णा पुनर्वर्णना।

इन्द्रप्रथ गमाद्युपायविषयञ्चौद्यासादः फल धन्यो

महाकविवयं तु कृतिनस्तत्सूक्तिसंसेवनात्।²

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर यह सिद्ध होता है कि शिशुपालवधम् सम्पूर्ण लक्षणों से युक्त एक महाकाव्य है। ऐसा प्रतीत होता है कि लक्षणकारों ने महाकाव्य को आधार बनाकर ही महाकाव्य के लक्षण निर्धारित किये हैं।

यह घटना भगवान कृष्ण के जीवन में एक महत्वपूर्ण पल है, जिसमें नारियों ने अपने धैर्य, संयम, और प्रेम की प्रदर्शन किया। वे शिशुपाल के अत्याचारों और अपमान के बावजूद शांत और स्थिर रहीं। उन्होंने धार्मिक और नैतिक मानदंडों का पालन किया और उनकी सामर्थ्य और प्रभाव में कोई कमी नहीं आई। यद्यपि विस्तृत वर्णन नहीं है, लेकिन शिशुपालवधम् की कथा में नारियों का योगदान उनके परिवर्तनशील और महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में मान्य है। वे धर्म, सामर्थ्य, और सम्मान के प्रतीक हैं, जो उनकी पुरुषों के साथ समान महत्वपूर्ण योगदान को प्रकट करता है।

काल-चक्र चलता रहा और महाभारत काल में जब कुरु कुल में कौरवों और पांडवों के बीच महाराज पांडू के ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर को युवराज घोषित करने का निर्णय लिया गया, तो इस शुभ प्रसंग के लिए राजसूय यज्ञ आयोजित करने का निर्णय लिया गया। इस हेतु सभी संबंधियों, रिश्तेदारों सहित अनेक राजाओं एवम् अन्य प्रतिष्ठित महानुभावों को आमंत्रित किया गया, तब वासुदेव श्री कृष्ण को भी आमंत्रित किया गया क्योंकि महारानी कुंती उनकी बुआ थी तथा शिशुपाल भी इस यज्ञ में शामिल हुआ, क्योंकि वह कौरवों एवं पांडवों का भी भाई था। इस समय एक बार फिर भगवान श्री कृष्ण और शिशुपाल का आमना-सामना हुआ।

भगवान श्री कृष्ण ने राजकुमारी रुक्मणी से विवाह किया था। परन्तु राजकुमारी रुक्मणी का विवाह उनके भाई राजकुमार रुक्मी ने अपने परम मित्र शिशुपाल के साथ करना निश्चित किया था। विवाह के सारे आयोजन हो चुके थे, परन्तु राजकुमारी रुक्मणी भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती थी और उन्ही से विवाह करना चाहती थी और राजकुमार रुक्मी ऐसा नहीं होने देना चाहते थे। तब भगवान श्री कृष्ण राजकुमारी रुक्मणी को महल से भगाकर ले गये और उनसे विवाह कर लिया। तब शिशुपाल ने इसे भगवान श्री कृष्ण द्वारा किया गया अपना अपमान समझा और भगवान श्री कृष्ण को अपना भाई न समझ कर शत्रु मान बैठा।

पति के हर कदम में पत्नी का साथ होना बेहद आवश्यक है। यज्ञ या धार्मिक अनुष्ठानों की पूर्णता के लिए पत्नी का साथ होना अनिवार्य है। परिवार प्रमुख, भले ही पुरुष हो, किन्तु गृहस्वामिनी तो नारी ही मानी गई। निस्संदेह नारी के लिए यह गौरव की बात है। महाभारत में पत्नी को पति का सच्चा मित्र बताया गया है-

भार्याश्रेष्ठतमः सखा, सखायं विहितां देवैः।

पुत्र आत्मा मनुष्यस्य भार्या देवकृतः सखा।³

नास्ति मातृसमो गुरुः।

माता गरीयसी यच्च तेनैतां मन्यते जनः।⁴

महाभारत में ही, माता के रूप में नारी को श्रेष्ठ गुरु बताया है।

नित्यं निवसते लक्ष्मीः कन्यकासु प्रतिष्ठिता।⁵

महाभारत में ही कन्याओं के लिए सुवचन भी कहे हैं तथा नारियों को समृद्धि की देवी के रूप में वर्णित किया गया है। शास्त्रों में नारियों को प्रारंभ से घर की लक्ष्मी माना गया है। वेदों में नारी को यज्ञीय, अर्थात् यज्ञ के समान पूजनीया, भी बताया गया है। यहीं नहीं, वेदों में नारियों की महत्ता को दर्शाने के लिए उसे कई अलंकरणों से सुशोभित किया गया। इनमें नारी को ज्ञान देने वाली, विशेष तेज वाली, देवी, सुख-समृद्धि लाने वाली, विद्या की दाता और सबको जाग्रत करने वाली, जैसे संबोधन सम्मिलित हैं।

“सतीव योषित् प्रकृतिः सुनिश्चला पुमांसभ्येति भवान्तरेष्वपि।”⁶

पतिव्रता नारी जिस प्रकार जन्मान्तर में भी पूर्वजन्म के पति को प्राप्त करती हैं उसी प्रकार सुनिश्चित स्वभाव भी जन्मान्तर में पुरुष को प्राप्त करता है।

शिशुपालवधम् में दूती का कार्य किया गया है।

“रतिपतिप्रहितेव कृतक्रुधः प्रियतेषु वधूरनुनायिकाः।”⁷

वर्तमान समय में भी दूती की अतीव आवश्यकता है, तत्कालीन दूती कार्य केवल नाम से परिवर्तित हो गया है आज से समाज सेविका एवं काउन्सलर नाम दे दिया गया है।

राजनीतिक स्तर पर देखा जाय तो रुक्मिणी को हरण करते हुए शिशुपाल को श्रीकृष्ण ने पराजित किया है इसलिए दृढ़मूल वाले वैररूपी वृक्ष की जड़ स्त्रियाँ ही होती हैं। इससे स्पष्ट होता है कि उस समय भी नारियों के कारण युद्ध होता था और वर्तमान समय में कुछ ऐसी नारियाँ हैं जो मूलतः युद्ध का कारण बन जाती हैं।

“त्वया विप्रकृतश्चौद्यो रुक्मिणी हरता हरे।

बद्धमूलस्य मूलं हि महद्वैरतरोः स्त्रियः॥”⁸

तत्कालीन रमणियाँ जल क्रीड़ा करती थी, जनक्रीड़ा के उपरान्त वह अपने विभिन्न प्रकार के सौन्दर्य प्रसाधन करती थी। इसके बाद वह अनेक प्रकार के रत्नजटित आभूषणों का सेवन करती थीं। आज भी इस वर्तमान समय में नारियाँ जलक्रीड़ा अर्थात् स्नान करती हैं, तदुपरान्त अनेक प्रकार के सौन्दर्य प्रसाधन का अपने शरीर पर लेप करती हैं। आज भी नारियों के लिए आभूषण एवं वस्त्र अत्यन्त प्रिय हैं जिनका सेवन इस भारतीय समाज में नारियाँ बहुत रोचक एवं मार्मिक ढंग से करती हैं।

तत्कालीन समय में रमणियाँ श्रीकृष्ण भगवान के आगमन को सुनकर उन्हें देखने के लिए इच्छुक थीं, वे रमणियाँ इतनी व्याकुल थीं कि शीघ्रता के कारण हार के स्थान पर करधनी को तथा केशों में कर्णपूर लगायी हुई दोनों कपड़ों के उलटा पहनी हुई अर्थात् ओढ़ने वाले दुपट्टे को पहनी हुई तथा पहनने वाली साड़ी को ओढ़ी हुई जा रही थीं—

“रसभेन हारपददत्तकाञ्चयः

प्रतिमूर्धजं निहितकर्णपूरकाः।

परिवतिताम्बरयुगाः समापतन्

वलयीकृत श्रवण पूरकाः स्त्रियः॥”⁹

उपरिलिखित वर्णन से स्पष्ट होता है कि समाज में आज भी ऐसी नारियाँ हैं जो किसी को देखने के लिए इच्छुक रहती हैं तथा अत्यन्त लगन के साथ अपने कार्य की समाप्ति कर वह वहाँ (जिसे देखने की अभिलाषा रहती है) समय पर पहुँच ही जाती हैं।

शिशुपालवधम् में रमणियों का विलास पूर्ण वर्णन है। रमणियाँ चिरकाल तक बनविहार करने के कारण थक गयी थी। लगातार पुष्प तोड़ने से अत्यन्त थकी हुई रमणियाँ अपने प्रियतम के साथ अलसा रही थी तथा कोई अंगड़ाई लेती हुई पति के सामने अपना मनोभाव प्रकट कर रही थी।

“अविरतकुसुमावचाय खेदात्

निहितभुजालत यैकयोपकण्डम्।

विपुलतर निरन्तरावलग्न

स्तनपिहित प्रियवक्षसा ललम्बे॥”¹⁰

शिशुपालवधम् का सम्पूर्ण अध्ययन करने करने के पश्चात् हम देखते हैं कि पतिकुल में किसी नारी का प्रासंगिक उल्लेख नहीं मिलता है फिर भी प्रियतम एवं रमणियों तथा यादव एवं यादवांगनाओं का वर्णन दृष्टिगोचर होता है। जब श्रीकृष्ण शिशुपाल से युद्ध करने के लिए सेना को सुसज्जित किये थे उस समय रास्ते में छः ऋतुओं का वर्णन आया है। ग्रीष्म ऋतु के वर्णन प्रसंग में शिरीष तथा नवमल्लिका के फूल विकसित हो गये, अपनी प्रियतमाओं के श्वासवायु के समान सुगन्धित गुलाब के विकसित होने पर कामीलोग चंचल हो उठे और रमणियाँ आर्द्र चन्दन लगाये हुए स्तनों को प्रियतम के वक्षस्थल पर रखकर बार-बार आलिंगन करने लगी।

दलितकोमल पाटल कुङ्मले

निजवधूश्वासिता नु विधायिनि।

गरुति वाति विलासिभिरुन्मद
भ्रमदलौ गदलौल्यमुपाददे।¹¹

शरदरुपणी नारियों ने वायु से चंचल, नये कमल केसर से उत्पन्न धूलि को हँसी करने की इच्छा से श्रीकृष्ण भगवान की प्रियाओं के उपर फ़ैलने के लिए फेंक दी। पति का परित्याग नारी के लिए बड़ा ही क्रूरतापूर्ण कर्म है। सत्पुरुषों ने इसकी निन्दा की है। पति की सेवा ही नारी का सनातन धर्म है। उत्कृष्ट गुण और जाति की दृष्टि से जो नारी परम उत्तम तथा व्रतोपवास में तत्पर होकर भी पति की सेवा नहीं करती है, उसे पापियों को मिलने वाली गति प्राप्त होती है।

कोई नायक नायिका के नेत्र में पड़े हुए धूल को निकाल रहा था, ऐसा देखकर सपत्नी ने क्रोध से अपने दोनों नेत्रों को लाल कर लिया। सपत्नी का नाम लेना अंगनाओं के लिए मानों अभिचार मन्त्र ही है क्योंकि इसे बुलाकर कोमल फूल से आहत भी सुन्दर शरीर वाली नायिका मूर्च्छित हो गयी-

“स्फुटमिदमभिचारमन्त्र एव
प्रतियुवतेरभिधानमङ्गनानाम्।
वरतनुरमुनोपहूय पत्या
मृदुकुसुमेन यदाहतामूर्च्छत्॥”¹²

जैसे इष्ट देवता पर ताजा फूल चढ़ाकर मन्त्र उच्चारण कर उस फूल से जिसे मारा जाता है, वह व्यक्ति मूर्च्छित हो जाता या मर जाता है, वैसे ही सपत्नी का नाम लेकर ताजे होने से कोमल फूल से आहत अङ्गना जो मूर्च्छित हो गयी, अतः पति द्वारा सपत्नी का नाम लेना अभिचारक मन्त्र ही है।

कोई नायिका सपत्नी पर अपने पति का प्रेम देखकर इतना रोने लगी कि आँसू से उनके दोनों स्तन भींग गये। स्नेह से अन्धे बने हुए प्रियतम के द्वारा सपत्नी का नाम लेकर फेंके गये जल रूपी बज्र को वह रमणी सह नहीं सकी। सखी के सामने दूसरी अर्थात् सपत्नी का नाम लेकर बुलायी गयी किसी नायिका की आँसूओं ने जलाशय में शीघ्र ही अन्तर्धान करने के लिए जलाशय के जल को बढ़ाने की इच्छा की-

“सिक्तायाः क्षणमभिसिच्य पूर्वमन्य
अमन्यस्याः प्रणयवता बलायाः।
कालिम्ना समधित मन्युरेव वक्त्रं
प्रापाक्षणोर्गलदपशब्दमञ्जनाम्भः॥”¹³

कष्ट है कि पति ने थोड़ी देर तक सपत्नी का सिंचन कर दूसरी नायिका का सिंचन किया, अतएव उस नायिका के क्रोध ने ही इसके मुख्य को श्यामवर्ण कर दिया। किंतु दुख के कारण रोने से गिरते हुए काजल से मिश्रित आँसू ने निंदा को प्राप्त किया।

जो अन्यान्य देवताओं की बन्दना और पूजा से दूर रहती है वह नारी भी केवल पति की सेवा मात्र से उत्तम स्वर्ग लोक को प्राप्त कर लेती है। अतः नारी को चाहिए कि वह पति के प्रिय एवं हित साधन में तत्पर रहकर सदा उनकी ही सेवा करें। नारी का वेद और लोक में प्रसिद्ध नित्य सनातन धर्म है- पति की सेवा। इसका वर्णन श्रुतियों और स्मृतियों में भी है।

शिशुपालवधनम् में महाराज युधिष्ठिर यज्ञ करने की तैयारी कर रहे थे तो द्रौपदी उसमें हाथ बटाने में अपना अधिकार समझती थी। द्रौपदी ने हवन आदि सामग्री को तैयार किया था जिससे ऋत्विक् लोग अग्नि में हवन करने लगे।¹⁴

महाकवि माघ ने द्रौपदी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हस्तिनापुर की कुलवधू और साम्राज्ञी और पाँडवों की धर्मपत्नी का इस तरह भरी सभा में अपमान, न केवल पाँडवों के लिए एक घृणित कलंक भरी घटना थी, अपितु तत्कालीन समाज के लिए भी सांस्कृतिक ग्रहण से कम नहीं थी। एक स्त्री, घर की स्वामिनी के साथ-साथ घर की मर्यादा और लज्जा भी होती है। उसका अपमान पूरे घर का अपमान होता है। एक नारी ही अपने परिवार के मान का सूचक है। नारी का अपमान परिवार का अपमान है और नारी की प्रशंसा परिवार की प्रशंसा है। जब द्रौपदी का अपमान हुआ, तो वो केवल द्रौपदी का नहीं, पूरे हस्तिनापुर और पाण्डवों का अपमान था। यह द्रौपदी पर कलंक नहीं था, पूरे साम्राज्य और समाज पर लगा कलंक था। जहाँ एक नारी का मान-सम्मान नहीं होता, जहाँ एक नारी की मर्यादा की रक्षा नहीं की जाती, वहाँ सर्वनाश निश्चित है। इस सबकी याद दिलाते हुए ही द्रौपदी अर्जुन को इस कलंक से मुक्त होने के लिए कहती है। द्रौपदी एक सशक्त, स्वाभिमानी और सबल

नारी होने के साथ-साथ एक ज्ञानवान नारी भी थी। वह राजनीतिक और सामाजिक ज्ञान की भी धनी थी। द्रौपदी एक ऐसी नारी का प्रतीक है, जो सर्वगुण सम्पन्न है, चाहे वो रूप, गुण, सौंदर्य, का विषय हो अथवा अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता और उनकी रक्षा या फिर अपनी गरिमा और स्वाभिमान के प्रति जागरूकता हो।

उपसंहार:-

निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि नारी जो समाज में गौरवपूर्ण स्थान रखती थी वह घर की महारानी मानी जाती थी। आज भी समाज में लोग घर की वधू को बहुरानी कहकर सम्बोधित करते हैं वह पति की सामाजिक होती है। पति की सम्पत्ति पर उसका पूर्णरूपेण अधिकार होता है। यदि कोई छलपूर्वक उसकी सम्पत्ति का हनन करता है तो वह अधिकारपूर्वक पति की सम्पत्ति प्राप्त करने हेतु युद्ध तक के लिए विवश कर सकती है। द्रौपदी ने बृहत्तरयी में जहाँ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उपयोग करते हुए युधिष्ठिर को प्रोत्साहित किया और अन्ततः सामाजिक-राजनीतिक स्थितियों को बदला। महाकाव्यकालीन नारी आध्यात्मिक, व्यवहारिक, राजनैतिक, धार्मिक, व्यवसायिक शिक्षा ग्रहण करने की अधिकारी थी। नारी शिक्षित होगी तो परिवार, समाज व देश की उन्नति शीघ्र होगी। अतः संक्षेप में कहा जा सकता है नारियों को तत्कालीन महाकाव्यों में उन्नति के पथ पर अग्रसर होते हुए दर्शाया है। नारियों का घर व समाज में महत्वपूर्ण पद था, उन्हें परिवार व समाज का अभिन्न अंग माना जाता था, नारियों के अभाव में परिवार अधूरे होते थे। आज भी लगातार नारी संघर्ष करती हुई अपनी निष्कलक छवि को बरकरार रखती हुई अनवरत आगे बढ़ के लिए प्रयत्नशील है और रहेगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

1. डॉ० आद्या प्रसाद मिश्र, शिशुपालवधम्, व्याख्याकार - अक्षयवट प्रकाशन, इलाहाबाद पृ. 13
2. डॉ० आद्या प्रसाद मिश्र, शिशुपालवधम्, व्याख्याकार - अक्षयवट प्रकाशन, इलाहाबाद पृ. 49
3. दत्त, रामनारायण पण्डित (अनु.), 'महाभारत' 'राम', गीताप्रेस गोरखपुर। - 9/374/73
4. दत्त, रामनारायण पण्डित (अनु.), 'महाभारत' 'राम', गीताप्रेस गोरखपुर। - 13/105/15/16
5. दत्त, रामनारायण पण्डित (अनु.), 'महाभारत' 'राम', गीताप्रेस गोरखपुर। - 13/11/14
6. हरगोविन्द शास्त्री (पं.), माघ, शिशुपालवधम् चौखम्बा विद्याभवन वाराणसी, संस्करण 2015. 1/72
7. हरगोविन्द शास्त्री (पं.), माघ, शिशुपालवधम् चौखम्बा विद्याभवन वाराणसी, संस्करण 2015. 2/38
8. हरगोविन्द शास्त्री (पं.), माघ, शिशुपालवधम् चौखम्बा विद्याभवन वाराणसी, संस्करण 2015. 2/38
9. हरगोविन्द शास्त्री (पं.), माघ, शिशुपालवधम् चौखम्बा विद्याभवन वाराणसी, संस्करण 2015. 13/32
10. हरगोविन्द शास्त्री (पं.), माघ, शिशुपालवधम् चौखम्बा विद्याभवन वाराणसी, संस्करण 2015. 7/71
11. हरगोविन्द शास्त्री (पं.), माघ, शिशुपालवधम् चौखम्बा विद्याभवन वाराणसी, संस्करण 2015. 6/23
12. हरगोविन्द शास्त्री (पं.), माघ, शिशुपालवधम् चौखम्बा विद्याभवन वाराणसी, संस्करण 2015. 7/58
13. हरगोविन्द शास्त्री (पं.), माघ, शिशुपालवधम् चौखम्बा विद्याभवन वाराणसी, संस्करण 2015. 8/58
14. हरगोविन्द शास्त्री (पं.), माघ, शिशुपालवधम् चौखम्बा विद्याभवन वाराणसी, संस्करण 2015. 9/12

मानव अधिकार और भारतीय प्रजातंत्र

डॉ० अनिल कुमार सिंह

डीन, सामाजिक विज्ञान संकाय, जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा

अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थियाँ हैं, जिनके बिना मनुष्य अपना सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता
- हेरल्ड जे लास्की

सारांश

सम्पूर्ण विश्व में हुए अनेक भयंकर युद्धों की विभीषिका एवं साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद के शोषक स्वरूप ने मानवीय भावनाओं को भीतर तक झकझोर कर रख दिया। मानव अपने अस्तित्व तथा अधिकारों के लिए छटपटाने लगा। बुद्धिजीवियों, समाजसुधारकों, चिंतकों ने इस पर शताब्दियों तक गम्भीर चिंतन किये, धीरे-धीरे शिक्षा का दायरा बढ़ा जिससे जनजागृति फैली, समाज सजग हुआ तथा मानवाधिकारों के प्रति संकल्प की भावना बलवती हुई।

विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र भारत मानवाधिकारों की रक्षा के लिए निरन्तर प्रयत्नशील है। भारत ने मानवाधिकारों की रक्षा के लिए स्वयं का एक 'मानवाधिकार आयोग' स्थापित किया है जो देश में किसी भी मानवाधिकार विरोधी घटना को संज्ञान में लेकर उसका निराकरण करता है। किन्तु वैश्विक स्तर पर भारत का मानवाधिकार सम्बन्धी रिपोर्टकार्ड ज्यादा अच्छा नहीं है। अधिक आबादी, जागरूकता का अभाव तथा भारतीय मानवाधिकार आयोग में कर्मचारियों की कमी भी इसका एक कारण है। यद्यपि विभिन्न राष्ट्रों के निजी स्वार्थों के कारण तथा कूटनीतिक दबाव की नीति की वजह से भारत का मानवाधिकार रिपोर्टकार्ड ज्यादा अच्छा नहीं दिखाया जाता। किन्तु यह भी सत्य है कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाले इस देश में मानवाधिकारों की वर्तमान स्थिति संतोषजनक नहीं कही जा सकती।

मुख्य शब्द:- मानवाधिकार, स्वतंत्रता, समानता, संयुक्त राष्ट्रसंघ,

प्रस्तावना

स्वतंत्रता के पश्चात भारत में लोकतान्त्रिक व्यवस्था के साथ-साथ लोक कल्याणकारी राज्य के स्वरूप को अपनाया गया। इस व्यवस्था को सार्थक रूप में अपनाने के लिए संविधान में विशेष उपबंध भी किये गये। सरकार के द्वारा इन उपबंधों के क्रियान्वयन हेतु विस्तृत प्रशासनिक ढांचा तैयार किया गया। प्रशासनिक मशीनरी का उद्देश्य केवल कानूनों को लागू करना ही नहीं अपितु संविधानों के मूल में निहित आदर्शों को प्राप्त करना है।

मानव अधिकार

मानव अधिकार का अर्थ है, सम्पूर्ण मानव जाति के अधिकार जिसमें उनकी मान मर्यादा जन्म से समान होती है। प्रारंभ में मानवाधिकार प्राकृतिक नियम के रूप में विद्यमान थे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसे व्यवस्थित रूप प्राप्त हुआ। व्यक्ति को समाज एवं राष्ट्र का सदस्य होने के नाते मानवाधिकार उसे अन्तर्राष्ट्रीय न्याय व्यवस्था द्वारा मान्य होते हैं, ये जो अधिकार हैं कम से कम राष्ट्र द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को मिलने ही चाहिए। हमारे भारतीय संविधान में इन्हीं अधिकारों की रक्षा के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान है। स्वतंत्रता समानता के आधार पर यहां अधिकारों का वर्गीकरण किया गया है जिसमें विधि के समक्ष समानता, धर्म, लिंग, वही जाति, रंग, भाषा आदि के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है, स्वतंत्र अभिव्यक्ति की अवधारणा, अपने प्राणों की रक्षा का अधिकार डालते हुए व्यक्ति को उसके नैसर्गिक अधिकारों से लैस किया गया है,

संक्षेप में मानवाधिकार समाजिक जीवन कि वे परिस्थितियां है जिनके आभाव में व्यक्ति का पूर्ण विकास संभव नहीं है², और जिन्हें देश के संविधान व कानून आदि के द्वारा मान्यता प्राप्त है मानवाधिकार प्रजातंत्र का सबसे जरूरी अंग है जो कि एक सुव्यवस्थित राष्ट्र कि नींव होती है। भारत एक प्रजातांत्रिक देश है।

प्रजातंत्र

भारतीय प्रजातंत्र जो कि पूरे विश्व में सबसे बड़ा प्रजातंत्र है उसके अनुसार मानव अधिकार एवं मूल स्वतंत्रता है उसके गुण प्रतिभा, बुद्धिमत्ता और विवेक के प्रयोग कि स्वीकृति देती है तथा साथ ही साथ यह हमारे आत्मिक तथा अन्य जरूरतों के प्रयोग कि स्वीकृति देती है, इन मानवीय प्रतिष्ठा आदर और सुरक्षा मानव के सभी आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक जीवन आदि का केन्द्र बिंदु है, इसलिए इन विशेषताओं से वंचित होकर मानव की परिभाषा बनायी ही नहीं जा सकती है। प्रजातंत्र एक ऐसी व्यवस्था है, जिसका संचालन और नियंत्रण जनता के द्वारा किया जाता है प्रजातंत्र का आधार ही मानवीय मूल्यों कि सुरक्षा है। भारतीय इतिहास में मानवाधिकार का प्रश्न ही सम्यक है, क्योंकि जिसकी समय सभ्यता और संस्कृति का केंद्र बिंदु है—‘बहुजन हिताय-बहुजन सुखाय’ रहा हो तो वह देश प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों रूपों में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए करबद्ध होगा ही।³

प्रजातंत्र रूपी इमारत का आधार भी सामान्य जन है और छत भी, अर्थात् लोकतंत्र अथवा प्रजातंत्र का पहला आदर्श है समानता, धर्म, जाति, लिंग, पद आदि के भेदभाव के बिना समान मानवाधिकार को लोकतंत्र में स्थान प्राप्त रहता है, ऐसे में उनके अधिकारों का हनन कम से कम होता है जिससे मानव सुखपूर्वक व विकासशील जीवन बिता सकता है। भारतीय प्रजातंत्र का उद्देश्य ही उपरोक्त तथ्यों के समावेश से ही हुआ है, भारतीय प्रजातंत्र एक नागरिक समाज कि तरह है नागरिक समाज में समाज का संचालन मानवाधिकारों के आधार पर होना है। समाज के समस्त व्यक्तियों के हितों की रक्षा के लिए कानून होते है इसी तरह प्रजातंत्र में भारतीय नागरिकों के अधिकारों हेतु कानून बने हुए है। नागरिक समाज व्यक्तियों को समाज में मूल्यों पर साथ रहने की स्थिति का निर्माण करने में सक्षम होने के साथ-साथ देश के संविधान में मानवाधिकारों की सुरक्षा की गारंटी प्रदान करता है।

मानव अधिकार जो मानव जीवर के लिए आवश्यक है जिसका भारतीय प्रजातंत्र के सबसे अहम् एवं प्रमुख स्तंभ है जिन्हे भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किये गये है। इन अधिकारों का व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका द्वारा भी अतिक्रमण नहीं किया जा सकता है।⁴ यदि उनके द्वारा ऐसे कानूनों का निर्माण किया जाता है जिससे संविधान में उल्लेखित अधिकारों का उल्लंघन होता है तो जो न्यायिक संस्थाएं है उनके ऐसे कानूनों को असंवैधानिक धोषित कर सकती है। प्रजातंत्र में शासन व्यवस्था का अंग है है जहां जनता के जीवन की रक्षा तथा व्यवस्थित के बहुमुखी विकास के लिए मूल अधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण है इसके अतिरिक्त, बहुमत की तानाशाही पर अंकुश नियंत्रण में समन्वय स्थापित करते है और सरकार की शक्तियों को नियंत्रित एवं सीमित करके संविधान के मार्ग को प्रशस्त करते है जो कि प्रजातंत्र के लिए अति आवश्यक है।

भारतीय प्रजातंत्र का दर्शन

उपरोक्त मानवाधिकार भारतीय प्रजातंत्र के नींव है। ये मानवाधिकार मुख्य रूप से मानवाधिकार कहलाते है। भारतीय प्रजातंत्र मुख्यतः सर्वे भवन्तु सुखिनः यदि कि अपने साथ-साथ सभी को सुख पूर्वक रहने दो पर आधारित है इस शीर्षक के परिपेक्ष्य में धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष ही भारतीय जीवन के प्रमुख दर्शन है तथा इनकी प्राप्ति ही मानव का चरम ध्येय है और इसी प्रयास का अर्थ हम शांतिपूर्ण, खुशहाल जीवन में लगा सकते है अगर प्रत्येक व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा और स्वतंत्रता के साथ-साथ दूसरे व्यक्तियों के साथ भ्रातृत्व के भाव से रहे तो हम “वसुधैव कुटुम्बकम्” की संकल्पना को साकार कर सकते है तथा साथ ही साथ “सर्वे भवन्तु सुखिनः” की संकल्पना को भी सचकर सकते है अपने मूल अधिकारों के हनन से ही समाज में असंतोष व्याप्त होता है यह ही असंतोष धीरे-धीरे उग्र होता जाता है। और अंततः हिंसा का रूप ले लेता है। अतः यदि हम अपने अधिकारों का सुरक्षित रखते हुए दूसरे के अधिकारों का सम्मान का यानि “जीयो और जीने दो” के सिद्धांत को अपनाये तो हम अपने लक्ष्य तक सहज पहुँच सकते है। भारतीय प्रजातंत्र में भी यह कथन बिल्कुल सही है हमारे प्राचीन ऋषियों विद्वानों

आदि से लेकर हमारे संविधान निर्माताओं तक सबका उद्देश्य ही है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 51 में विचार संपूर्ण विश्व शांति और सद्भावना का आह्वान करता है। भारतीय प्रजातंत्र में मानव के अधिकारों की रक्षा के लिए 27 दिसंबर 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया ।

भारतवर्ष में मानवाधिकारों की सुरक्षा में सर्वोच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालयों की भूमिका-

भारतीय प्रजातंत्र यू तो किसी भी अधिकार के आधार पर किसी भी दावे के लिए विभिन्न न्यायालय है और उनके लिए विभिन्न कानून भी है, किंतु कुछ अधिकार ऐसे होते हैं जिनके लिए स्पष्ट कानून नहीं होता है, उन्हें विशेष न्यायालयीन उपाय (एक्सट्रा ज्युडिसियल रेमेडी) कहते हैं इसी के साथ भारत के संविधान के मूल में मानवाधिकारों को जो स्थान प्राप्त उनकी रक्षा भी सामान्य विधि द्वारा नहीं की जा सकती है इन अधिकारों का हनन की स्थितियों के लिए संविधान द्वारा राज्यों के उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय को शक्ति प्रदान की गई जिनके अंतर्गत वे किसी भी संबंधित मामले में किसी भी व्यक्ति, संसार यहाँ तक की सरकार को भी निर्देशित कर सकते हैं और उत्पीडित व्यक्ति की कोई भी सहायता कर सकते हैं।⁵

भारतीय प्रजातंत्र में मानव अधिकार दो प्रकार हैं- (1) व्यक्तिगत अधिकार (2) सामूहिक अधिकार। व्यक्तिगत अधिकारों में नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार तथा आर्थिक एवं सामाजिक अधिकार आते हैं। जैसे जीने का अधिकार, घूमने का अधिकार, विचार व्यक्त करने का अधिकार, वोट देने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, विवाह का अधिकार, काम करने का अधिकार, उचित वेतन का अधिकार, सामाजिक कार्यों में भाग लेने का अधिकार आदि ये सब मानव के व्यक्तिगत अधिकार हैं यद्यपि ये सब अधिकार एक दूसरे पर निर्भर हैं और एक दूसरे के पूरक भी हैं परंतु फिर भी इनको व्यक्तिगत अधिकार कहा जाता है इनमें कुछ अधिकार ऐसे हैं जिन्हें प्राकृतिक अधिकार कहा जाता है जैसे जीने का अधिकार, रहने का अधिकार, खाने का अधिकार, जिनके बगैर मनुष्य बिल्कुल जीवित भी नहीं रह सकता ये अधिकार तब से चले आ रहे हैं, जब से मानव ने धरती पर जन्म लिया है⁶ परंतु अब इन अधिकारों स्वरूप बड़ा हो गया है और इसे व्यवहारिक रूप भी दे दिया गया है।

हम वर्तमान में भारतीय प्रजातंत्र में मानवाधिकारों व कर्तव्यों की उचित जानकारी कैसे कर सकते हैं। मानवाधिकार अधिकारों का ही संतुलन नहीं बल्कि एक संपूर्ण जीवन शैली है और मानवीय कर्तव्य अधिकार की ही जाति है कर्तव्य आदर्शों से प्रेरित होते हैं क्योंकि कर्तव्य शब्द में किसी प्रकार कि कानून बंधनकारिता का आभास नहीं होता, जबकि अधिकार शब्द नैसर्गिक यथार्थ है जिसे पाना प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है यदि ऐसे अधिकार का हनन होता है वो वह सूनवायी और न्यायिक प्रक्रियाओं के घेरे में आ जाता है मानवाधिकार एक नकारात्मक शब्द है जबकि मानव कर्तव्य एक सकारात्मक शब्द है मानवाधिकार और मानवीय कर्तव्य एक दूसरे से परस्पर अन्योन्याश्रित हैं हम इन घरेलु अधिकार क्षेत्र को समझे और यह जाने कि अधिकार शब्द निरंकुश विचार तो नहीं है अपने अधिकारों को परहित से परे होकर नहीं देखें मानवीय कर्तव्य और अधिकार के बीच सर्वश्रेष्ठ सामंजस्य संभव है गैर सरकारी संस्थाओं के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदाओं और सम्मेलनों के और तथ्यों का एक ही केंद्र बिंदु है 1948 के मानवाधिकारों⁷ से संबंधित विश्व घोषणा अधिकारों के प्रति एक सही सामंजस्य स्थापित करके बेहतर हम अपने मानवाधिकारों की रक्षा कैसे कर सकते हैं-

- 1) हम अपने अधिकारों या इससे पर्याप्त क्षतिपूर्ति न मिलने पर हम भारतीय मानवाधिकार आयोग से पत्राचार या मौखिक रूप से न्याय की मांग कर सकते हैं
- 2) इसके अलावा या इससे पर्याप्त क्षतिपूर्ति न मिलने पर हम भारतीय मानवाधिकार आयोग से पत्राचार या मौखिक रूप से न्यायिक प्रावधान की मांग कर सकते हैं।
- 3) अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बने मानवाधिकार कानूनों को संग्रहित करने उसके उपयोग हेतु अपने न्यायिक निकाय से अपील कर सकते हैं।

उपरोक्त उपायों के द्वारा हम अपने मानवाधिकारों की रक्षा कर सकते हैं

प्राचीन भारतीय इतिहास से मध्य मध्यकालीन भारत के शासकों में प्रमुख क्रमशः अशोक और अकबर ने मानवाधिकारों को अत्याधिक महत्व दिया था। आधुनिक काल का इतिहास औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने मूल अधिकारों की मांग को

लेकर आंदोलन करता गया आज भारत स्वतंत्र है हम बीते कल तक अपने मानवाधिकारों के प्रति जागरूक थे लेकिन आज की स्थिति कुछ भिन्न है यद्यपि हमारा संविधान मानवाधिकारों की रक्षा केंद्रित कटिबद्ध हमारे संविधान के प्रस्तावना, मौलिक अधिकार अनुच्छेद 14-32 में, और नीति निर्देशक तत्वों अनुच्छेद 36-51 के द्वारा मानवाधिकार संवृद्धि सुरक्षा की गारंटी देता है इसके बावजूद व्यवहार में भारत में भी मानवाधिकार हनन की समस्या भयावह होती जा रही है। इसके अनेक कारण हैं, जिसमें प्रमुख कारण है आर्थिक और राजनीतिक पिछड़ापन भारतीय प्रजातंत्र की करीब आधी जनसंख्या निरक्षर है इसके अलावा एक तिहाई जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे आते हैं जो इन सबे बीच मानवाधिकारों की चर्चा करना अनेक जीवन का मजाक उड़ाना है।⁸ भारतीय प्रजातंत्र अपने संविधान में उल्लेखित आदर्शों के सबके लिए शिक्षा, न्याय, समानता, बंधुत्व, मूल अधिकारों और कर्तव्यों को पूरा करने में पिछले 75 वर्षों के दौरान सक्षम नहीं हो सका है इन सबके पीछे कई कारण यदि हम जनसंख्या वृद्धि में लगाम, अशिक्षा, बेरोजगारी, गरीबी, जातिवाद, साम्प्रदायिकता, सरकार की नीतियां व दोष पूर्ण वितरण प्रणाली आदि महत्वपूर्ण तथ्यों पर गौर नहीं करेंगे तो शायद हम अपने सपनों को भी साकार नहीं कर पायेंगे जा कि एक समृद्ध एवं सुव्यवस्थित राष्ट्र का है।

संदर्भ ग्रंथ सूची-

- 1) भारत का राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग- अरूण राय
- 2) नागरिक स्वतंत्रताओं को सुरक्षित करने के लिए भारत में जन आंदोलन (1952-92)-डॉ. अनिता चावला
- 3) भारत में पंचायती राज-डॉ. आर. पी. जोशी एवं डॉ. रूपा मंगलानी
- 4) भारत में समाज कल्याण प्रशासन-डॉ. डी. आर. सचदेव
- 4) सामाजिक समस्याएं-राम आहुजा
- 5) शोध प्रत्रिका, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली, जनवरी-जून 2011
- 6) कुरुक्षेत्र-मार्च 2007
- 7) योजना-अक्टूबर 2008 एवं अप्रैल 2011
- 8) प्रतियोगिता दर्पण-सितंबर 2008 एवं जून 2010

1937 का आम चुनाव और भारतीय किसान

डॉ० बमबम यादव

1919 ई० के मॉटेन्य-चेम्सफोर्ड घोषणा-पत्र द्वारा पहली बार प्रांत में द्वैद शासन व्यवस्था स्थापित की गई, जिसके अन्तर्गत सभी विषयों को रिजर्व और ट्रांसफर्ड में बांट दिया गया। कृषि को इस समय ट्रांसफर्ड श्रेणी में रखा गया, परन्तु ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में संवैधानिक सुधार की दिशा में किया गया एक यह बेहतरीन प्रयास था, जिसके द्वारा भारतीयों को लेजिस्लेटिव कौंसिल में निर्वाचित होकर पहुंचने का मौका मिला। पुनः 1935 भारत शासन अधिनियम प्रांतों में द्वैद शासन व्यवस्था को समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना की गई। इस प्रकार 1935 के पश्चात प्रांतीय शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए 1937 में आम चुनावों की घोषणा की गई। 1937 का वर्ष विभिन्न राजनीतिक ताकतों और उनके घोषणाओं को एक कठिन परीक्षण का मौका प्रदान किया। 1934 के आम चुनावों में यद्यपि भू-स्वामियों को संतोषजनक सफलता नहीं मिल सकी। अभी तक के 30प्र० लेजिस्लेटिव कौंसिल के चुनावों का बहिष्कार कांग्रेसियों द्वारा किया गया, परन्तु उनके अधीन स्वराजिस्ट व कांग्रेस पूर्व के चुनावों में भू-स्वामियों के उम्मीदवारों को नीचा दिखाने के लिए कुछ दिखावटी उम्मीदवार खड़ा कर देती थी।¹

1937 के समान्य निर्वाचन के पूर्व अवध प्रोविंसेज में जमींदारों, तालुकदारों एवं अन्य भू-स्वामी वर्गों का सम्मिलित दल नेशनलिस्ट एग्रीकल्चरिस्ट पार्टी (NAP) नाम से अस्तित्व में आ चुका था। इस दल के अन्तर्गत 'नेशनल एग्रीकल्चरिस्ट पार्टी ऑफ आगरा (NAPA)' और "नेशनल एग्रीकल्चरिस्ट पार्टी ऑफ अवध (NAPO)" के भू-स्वामी वर्ग शामिल थे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही भू-स्वामियों को अपनी तरफ झुकाने का प्रयास किया, परन्तु पहली बार भू-स्वामियों ने अलग पार्टी के रूप में निर्वाचन में भाग लिया। इस प्रकार 1937 के इस चुनाव में मुख्यतः तीन पार्टियों कांग्रेस, मुस्लिम लीग और नेशनल एग्रीकल्चरिस्ट पार्टी में संघर्ष दिखा।

अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1936 के फैजपुर अधिवेशन, जिसमें कृषक समस्या से संबंधित बेहतरीन सुधार की घोषणा की गई थी, के पश्चात कांग्रेस एक बेहतरीन संगठित दल के रूप में उभर कर सामने आई। कांग्रेस ने केन्द्रीय व प्रांतीय स्तर पर चुनावी प्रचार-प्रसार व सहयोग के लिए पार्लियामेंटरी बोर्ड की स्थापना की जिसके प्रमुख क्रमशः सरदार पटेल, मौलाना आजाद और राजेन्द्र प्रसाद तथा प्रांतों में रफी अहमद किदवई थे। इसी प्रकार मुस्लिम लीग द्वारा भी जिन्ना के अधीन सेन्ट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड व खलीकुज्जमा के अधीन प्रांतीय बोर्ड का गठन कर चुनावी प्रचार-प्रसार को एक संगठित रूप प्रदान करने का कार्य किया गया। नेशनल एग्रीकल्चरिस्ट पार्टी द्वारा किसी ठोस संगठन के अभाव में पुरानी व्यवस्था के अनुसार ही कार्य किया गया।²

सहजानन्द सरस्वती ने लक्षित किया कि असहयोग आन्दोलन से पहले के किसान आन्दोलन असंगठित थे, उनमें शिक्षित नेतृत्व का अभाव था और दिशाहीनता के कारण ये प्रायः मार-काट का आश्रय लेते थे। खेड़ा (सरदार वल्लभभाई पटेल), चंपारण (महात्मा गांधी) और संयुक्त प्रांत (नेहरू) के किसान संघर्षों में 'शांतिपूर्ण और उदान्त नेतृत्व' देखने को मिला, लेकिन तीनों असंगठित थे। संगठित किसान आंदोलन का निर्माण और विकास भारतीय किसान आंदोलन के इतिहास में सहजानन्द की बहुत बड़ी देन है। सहजानन्द ने महसूस किया कि यह काम असहयोग आन्दोलन से पहले संभव न था, 'असहयोग के पूर्व किसान आंदोलन में दृढ़ता न आ सकी और उसे जो पूर्ण संगठित रूप न मिल सका उसके दो बड़े कारण थे, एक तो किसान जनता में आत्मविश्वास न था। सदियों से कुचले, पिसे किसान आत्मविश्वास खो चुके थे। दूसरे आन्दोलन चलाने के लिए बहुसंख्यक पठित कार्यकर्ता और नेता भी नहीं प्राप्त थे। ऐसे नेता और कार्यकर्ता जिन्हें आत्मविश्वास हो और जो धुन के पक्के

हों, कि लक्ष्य तक पहुंच कर ही दम लें। असहयोग आन्दोलन ने ये दोनों कमियां दूर कर दी, एक ओर इस आन्दोलन में किसानों को अपनी अंतर्निहित सामूहिक शक्ति का बोध हुआ, दूसरी ओर हजारों शिक्षित कार्यकर्ता निकल आए। स्वयं सहजानन्द सरस्वती ने इसी आंदोलन की राह से राजनीति में प्रवेश किया था।³

इस समय अवध की कृषिगत स्थिति अत्यधिक चिंता जनक थी। जिस समय कांग्रेस ने अंतरिम सरकार के गठन का कार्य किया, उस समय लम्बे अन्तराल से निचले तबके के कृषक वर्ग भूमि सम्बन्धी अराजकतावाद द्वारा प्रताड़ित किये जा रहे थे।⁴ अवध में विनाशक तालुकेदारी व्यवस्था का प्रचलन था जिसके तहत कृषक को यह निश्चित नहीं रहता था कि अगले जोत तक जमीन उसके पास शेष रहेगी। इन परिस्थितियों में प्रांत में अनेक कृषक आंदोलन हुए। अतः कांग्रेस ने सही मायने में कृषकों के उत्पीड़न के कारणों के जांच की कोशिश की जिन्हें 1937 में उन्हें मतदान द्वारा ऐसा कर पाने की शक्ति प्रदान की थी। इस उत्पीड़न के पीछे भू-स्वामी वर्ग के अलावा तुच्छ राजस्व अधिकारी जैसे- पटवारी कानूनगो और तहसीलदार ऐसा करने को मजबूर करते थे। इसके अतिरिक्त अवध प्रांत के गवर्नर हैली के उदासीन दृष्टिकोण ने भी कृषकों की समस्या को बढ़ाने का कार्य किया। हैग, जो इस प्रांत का गवर्नर था, तो कृषकों की शिकायतों व शासन के संबंध में (हारी, बेगारी, घोड़वान, हाथिवान) जिसे मेहता रिपोर्ट में प्रदर्शित किया गया था, कुछ लेना-देन नहीं था और इससे कृषक सीधा प्रभावित होते थे। इसके अतिरिक्त गवर्नर द्वारा भू-स्वामियों को संरक्षण प्रदान कर लगान और अन्य करों द्वारा कृषकों को प्रताड़ित किया गया, जिसने कृषकों को सूदखोरों के चंगुल में फंसा दिया जहां से मुक्ति पाना उनके लिए कठिन हो गया।⁵

1937 के चुनाव के पूर्व कांग्रेस ने किसानों के बीच मजबूत प्रचार किया था और चुनाव घोषणा-पत्र में किसानों की मांगों को प्रमुख स्थान दिया था क्योंकि देश में किसान का बहुमत था और जमींदार ब्रिटिश साम्राज्यवाद के आधार स्तम्भ थे। 1921 में अवध में किसानों का समर्थन करने तथा 1930 में लगान बंदी आन्दोलन चलाने के कारण जमींदार कांग्रेस के विरोध में थे। इस प्रकार कांग्रेस ने अपने फैजपुर अधिवेशन में प्रसिद्ध भूमि संबंधी कार्यक्रमों को स्वीकार किया। ये भूमि संबंधी कार्यक्रम प्रोविंसियल कमेटी की रिपोर्ट और किसान सभा की संस्तुतियों पर आधारित होकर निर्धारित किए गए थे। इसमें उन्होंने लगान और राजस्व में 50 प्रतिशत की कमी, अतिरिक्त लगान और भूमि कर से छूट, कृषिगत आय पर करारोपण, वेगार और आबवाब की समाप्ति, बकाया राशि में छूट, बेदखली संबंधी कानून से सुधार, ग्रामीण ऋणग्रस्तता का निस्तारण और कृषक संघों के अस्तित्व को स्वीकार करने की मांग की गयी।⁶

चुनावों में जमींदारों के सारे आतंक के बावजूद किसानों के बल पर कांग्रेस ने बहुमत प्राप्त किया। कांग्रेस ने प्रदेश के गवर्नर के मतभेद के कारण चुनाव के तुरन्त बाद सरकार नहीं बनायी। कांग्रेस ने महसूस किया कि चुनाव में इनकी सफलता कृषकों के सहयोग के कारण संभव हो सकी है, जो कि लोअर हाऊस के मतदारत थे। 'अपर हाऊस' के लिए भू-स्वामी, महाजन और अन्य विशेषाधिकारी प्राप्त वर्ग मतदाता थे और वहां कांग्रेस सफल नहीं रही। अंततः कांग्रेस द्वारा मंत्रिमण्डल न बनाने के घोषणा के बाद भू-स्वामी वर्ग की उम्मीदें बढ़ गईं। अब उत्तर प्रदेश में छत्तरी के नवाब, जो नेशनल एगीकल्चरिस्ट पार्टी के नेता थे, वो सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया। यहां यह अफवाह भी फैली कि यह मंत्रिमण्डल, अगस्त में बहुमत साबित/प्राप्त करने की कोशिश करेगा, जब दोनों सदनों का अधिवेशन बुलाया जायेगा। छत्तरी सरकार न तो प्रसिद्ध हुई और न ही स्थायित्व प्राप्त कर सकी। जमींदार पार्टी को संगठित करने के स्थान पर इन्होंने कांग्रेस के महत्व को समाप्त करने हेतु बकाया लगान की राशि से तत्काल अदा करने का आज्ञा-पत्र जारी किया। इन परिस्थितियों में एक बार पुनः गांवों में नियम व कानून बेहाल होने की स्थिति में पहुंच गया।⁷

मार्च 1937 में कांग्रेस का दिल्ली अधिवेशन हुआ, बड़ी संख्या में कांग्रेस जनों ने यह निर्णय किया कि पार्टी कानून के दायरे में रहकर कृषकों और मजदूरों को ज्यादा राहत प्रदान कर सकती है। अगस्त 1937 में कांग्रेस ने यू0पी0 में सरकार का गठन किया। सरकार के बनने पर किसानों को लगा कि उनके कष्ट समाप्त हो जायेंगे परन्तु अपने प्रथम शासनकाल में कुछ छोटे सुधारों के अतिरिक्त कांग्रेस सरकार, किसानों के पक्ष में या राजस्व व्यवस्था में परिवर्तन के नाम पर कुछ भी सार्थक नहीं कर सकी। इसमें प्रमुख दो कारण देखे जा सकता है, प्रथम यह कि सरकार की भी सीमाएं थीं और अपनी कार्यविधि और कानून बनाने में वह स्वतंत्र नहीं थी तथा दूसरा यह कि कांग्रेस का अपना संगठन बहुवर्गीय था जिसमें किसान, जमींदार,

पूँजीपति तथा मजदूर सभी लोग थे और कांग्रेस इनमें से किसी भी वर्ग को नाराज कर आजादी की लड़ाई को कमजोर नहीं करना चाहती थी। परन्तु मंत्रिमण्डल के गठन के बाद सुधारों से संबंधित एक सीरिज पास की गई, जिसमें भू-स्वामियों की समस्या को और बढ़ा दिया। 2 अगस्त 1937 को प्रधानमंत्री पंत ने घोषणा की कि सरकार की योजना है कि काश्तकारी के प्रकार और भू-राजस्व कानून के निर्धारण के लिए दो समितियां नियुक्त की जायें, जो ग्रामीण ऋणग्रस्तता को राहत पहुंचाने के लिए बनाए गए अनुबंधों का परीक्षण करें।⁸

कांग्रेस द्वारा अपने चुनावी एजेंडे में प्रचारित कृषकों को लगान में छूट और भूमि पर अधिकार संबंधी अनुबंधों ने कृषकों को लगान न अदा करने का आधार प्रदान किया। लगान अदा करने की स्थिति में कृषकों को चिन्हित कर निष्कासित करना शुरू कर दिया गया तथा भयभीत जमींदार व तालुकेदार वर्ग अपने सर व खुदकाश्त भूमि को बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। इस जटिल परिस्थिति में कांग्रेस मंत्रिमण्डल द्वारा दो महत्वपूर्ण कदम उठाए गए-

1. सरकार द्वारा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को आदेशित किया गया कि वह ऐसा अनुदेश जारी करें जो बकाया लगान के अदायगी संबंधी प्रोसीडिंग पर रोक लगा सके और यह अनुबंध बेदखली या किसी और तरीके से कृषकों को परेशान न कर सकें।
2. इसने एक और अनुदेश जारी किया कि इनकम्बर्ड इस्टेट्स एक्ट के अन्तर्गत ऋणग्रस्तता के निर्धारण के लिए बनी प्रोसीडिंग पर रोक लगाई गई।

दो प्रोसीडिंग एक्ट जिसमें एक सिविल कोर्ट को और दूसरा रेवेन्यू कोर्ट को प्रभावित करते थे संबंधी अधिनियम भी पास हो गया जिससे पुरानी लगान संबंधी और सिविल कर्जों से संबंधित स्टे आर्डर को अमली जामा पहनाया जा सके। इसी समय एक्सपर्ट कमेटी को यह जांच करने का आदेश दिया गया कि वह रूरल इनडेब्टेनेस एंड द एक्जिस्टिंग डेब्ट एक्ट्स की पूर्णतया जांच करें। यह दोनो कदम कृषकों के हितों को ध्यान में रखते हुए बनाए गए थे परन्तु इसने कृषक और तालुकेदार दोनो पर बुरा प्रभाव डाला। एक तरफ जहां तालुकेदारों ने राजस्व वसूलने के पश्चात भी राजस्व सरकारी कोष में अदा नहीं किया, तद्वैव, दूसरी तरफ कृषकों ने भी लगान अदा करना बंद कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि यदि वे ऐसा करते हैं तो यह कानून से प्राप्त लाभ को हानि में बदल देगा।⁹

कांग्रेस मंत्रिमण्डल द्वारा बनायी गयी इन प्रारंभिक सुधारों योजनाओं का जरबदस्त विरोध हुआ और इसने भू-स्वामी वर्ग को संगठित करने का कार्य किया। यूनाइटेड प्रोविंसेज जमींदारों का कांग्रेस का आयोजन लखनऊ में अक्टूबर 1937 के अन्त में हुआ, जिससे जमींदारों ने स्टे प्रोसिडिंग को मानने से इन्कार कर दिया और इसे अपने हितों के विरुद्ध बताया। 30 अक्टूबर 1937 को उन्होंने सरकार से प्रार्थना की कि उत्तर के स्थायी बंदोबस्त वाले जिलों में समझौतों के टर्म का आदर किया जाए। भू-राजस्व दर में 15 प्रतिशत की कमी की जाए। जमींदारों के अधिकारों को सुरक्षित करने हेतु सुरक्षा संबंधी व्यवस्था की जाए। इसी क्रम में राजस्वमंत्री रफी अहमद किदवई ने असेम्बली में सितम्बर में एक बिल पेश किया था जिसका उद्देश्य 'आगरा टेनेन्सी एक्ट' तथा अवध रेन्ट एक्ट के अन्दर आने वाले मामलों की कार्यवाही रोकना था। जमींदारों के प्रवक्ताओं विजयानगरम् के महाराज कुमार, तिरवा के राजा तथा नवाब मुहम्मद युसुफ खां आदि ने इसका विरोध किया। मोहनलाल गौतम तथा आचार्य नरेन्द्र देव ने इसे जमींदारों के पक्ष में बताया। यह बिल काफी बहस के बाद पास हुआ और इसके द्वारा किसानों के विरुद्ध की गयी दीवानी की डिगरियों की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया।¹⁰

19 दिसम्बर 1937 को नरींदर प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट पॉलिटिकल कांग्रेस हुई, जिसमें जवाहर लाल नेहरू, पी0डी0 टण्डन, रफी अहमद किदवई, के0एन0 काटजू और लगभग 40,000 लोग शामिल हुए थे। इस कांग्रेस में जो अनुबंध पारित किए गए उसमें सरकार से जमींदारी प्रथा को समाप्त करने की अपील की गई। परन्तु सरकार से इन्होंने यह अपील भी की कि वे कृषकों से यह प्रार्थना करें कि वे कर अदा करें और यदि वे लगान अदा नहीं करते हैं तो कृषकों की फसल को बर्बाद करने का अधिकार भू-स्वामियों को प्रदान करें। उ0प्र0 में कांग्रेस मंत्रिमण्डल किसानों की कार्यवाहियों के कारण असंतुष्ट था। उन्हें यह सन्देह था कि कृषक संगठनों की कार्यवाहियों को नियंत्रित और निर्देशित करने का कार्य कम्युनिष्ट कर रहे हैं। कांग्रेस मंत्रिमण्डल का यह मानना था कि तालुकेदार वर्ग सरकार का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि

कांग्रेस द्वारा बकाया लगान के संबंध में सभी प्रकार की कार्यवाही पर रोक लगा दी गई। तालुकेदार वर्ग के समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से रफी अहमद किदवई ने अपील की कि कृषक सभी प्रकार की कार्यवाहियों को समाप्त करके लगान अदा करें। प्रदेश के पूर्वी जिलों गोरखपुर, बस्ती में दर्जनों सभाओं को संबोधित किया और इन बातों पर कांग्रेस की ओर से किसानों को आश्वस्त किया।

किसानों की पडरौना की सभा में किदवई ने कांग्रेस सरकार द्वारा निश्चित भाव से गन्ने का भाव घटाने की निन्दा की और सरकार को चेतावनी दी कि भाव घटाना बन्द करें अन्यथा गन्ना किसानों का बड़ा आन्दोलन हो जाने की सम्भावना है।¹¹ कांग्रेस मंत्रियों द्वारा किसान नेताओं से पूर्व के कांग्रेस आंदोलन में उनके द्वारा किसान नेताओं से पूर्व के कांग्रेस आंदोलन में उनके द्वारा किए गए सहयोग की याद दिलाते हुए कहा गया कि कृषक क्षेत्रों में सुधार के लिए कृषक सभा और कांग्रेस की कार्यप्रणालियों के मध्य गहरा संबंध होना चाहिए। यह अपील उस समय किया जब किसान हिंसक गतिविधियों को अपना आधार बना चुके थे। बहराइच में कृषकों ने ठेकेदार के कारिंदों को लूटा और उन्नाव जिले के गावों से जमींदारों के सामाजिक बहिष्कार संबंधी रिपोर्ट प्राप्त हुई। बहुत से गावों में नाई-धोबी और अन्य निम्न जाति के लोगों ने जमींदारों के लिए कार्य करने से इन्कार कर दिया। कांग्रेस मंत्रिमण्डल ने कृषकों में बढ़ रहे इस असंतोश को दबाने के लिए अंततः स्थानीय प्रशासन से पुलिस कार्यवाही करने की अपील की। इसके विरोध में किसान सभा के नेताओं ने सरकार के आदेश की खुली अवहेलना की और कृषकों को आदेश दिया कि वे उस भूमि पर कृषि कार्य करते रहें, जहां से उन्हें बेदखल कर दिया गया है।¹²

कांग्रेस मंत्रिमण्डल ने यह महसूस किया कि कृषकों की ऋणग्रस्तता एक प्रमुख समस्या है अतः उन्हें बचाने के लिए इस क्षेत्र में सुधार करना आवश्यक है। राजस्व मंत्री रफी अहमद किदवई ने घोषणा की कि किसान वर्ग, सरकार द्वारा पूर्व में वास्तविक राहत प्राप्त करने में असफल रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार द्वारा लगान में जो छूट और माफी प्रदान की जाती थी, वह केवल राजस्व दर पर ही लागू होती थी और इसलिए कृषक वर्ग राहत संबंधी आदेश का वास्तविक लाभ प्राप्त करने में असफल हो जाते थे। अक्टूबर में ही एक बिल “यू0पी0 रेंट एंड रेवेन्यू रिलीफ बिल” जो असेम्बली से पास था, कौंसिल में विचारार्थ पेश हुआ।¹³ जिस दिन यह बिल लेजिस्लेटिव कौंसिल में प्रस्तुत हुआ, उसी दिन ‘उत्तर प्रदेश किसान सभा’ ने प्रदर्शन करने का निर्णय लिया, जिसे समर्थन देने का कार्य किसान वर्कर्स कांग्रेस ने किया। इसमें 30 जिलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और जिसके प्रमुख थे- आचार्य नरेन्द्र देव। सरकार ने असेम्बली का दूसरा सत्र शुरू होने (1 मार्च 1938) के बाद उत्तर प्रदेश काश्तकारी अधिनियम के संबंध में अपने प्रस्ताव प्रकाशित कर दिये और काश्तकारी कानून विधान सभा में पेश हुआ जहां उसको सेलेक्ट कमेटी में भेजने का निर्णय किया गया। बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजने पर जमींदारों के प्रतिनिधियों ने ज्यादा जोर दिया था क्योंकि कांग्रेस सरकार न काश्तकारी कानून के जो प्रस्ताव प्रकाशित किये थे वह यद्यपि बहुत क्रान्तिकारी नहीं थे जितना जमींदार सोचते थे, परन्तु फिर भी जमींदारों के स्वार्थ को हानि पहुंचाने वाले तो निश्चित रूप से थे। वे बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजकर तथा उस पर असेम्बली तथा कौंसिल में लम्बी बहसे चलाकर मामलों को टालना चाहते थे, जिससे उनके कांग्रेस के उच्च नेतृत्व वर्ग तथा हाईकमान से समझौते तथा सौदेबाजी के लिए समय मिल सके जो निश्चित रूप से जमींदारों का विरोधी नहीं था क्योंकि नेतृत्व का बड़ा भाग, मुट्ठी भर लोगों को छोड़कर जमींदारी बिना उचित मुआवजा दिये समाप्त करने के पक्ष में नहीं था।

जनवरी 1932 में कांग्रेस कार्य समिति ने पारित एक प्रस्ताव में जमींदारों को स्पष्ट आश्वासन देते हुए कहा था कि उत्तर प्रदेश में जमींदारों के मन में यह भ्रम पैदा किया जा रहा है कि कांग्रेस उनके विरुद्ध है और करबन्दी तथा लगान बन्दी की बात करके कांग्रेस वर्ग युद्ध को प्रश्रय देना चाहती है। हम उन्हें विश्वास दिलाना चाहते हैं कि ये प्रस्ताव किसी भी प्रकार उनके विरुद्ध नहीं है और किसान बहुमत की आर्थिक आवश्यकताओं को प्रतिबिम्बित मात्र करते हैं।¹⁴ जमींदारों तथा प्रदेश की कांग्रेसी सरकार के बीच किसी समझौते की चर्चा करते हुए नेशनल फ्रन्ट ने लिखा कि- पता चला है कि प्रदेश सरकार भूमि कानून (टेनेन्सी बिल) के सम्बन्ध में जमींदारों से किसी समझौते पर पहुंच गयी है, जिसका कांग्रेस पार्टी तथा कांग्रेस की सब कमेटी ने भी समर्थन किया है। जमींदारों की ऐसी हरकतों से क्षुब्ध होकर राजस्वमंत्री रफी अहमद किदवई ने उन पर आरोप लगाते हुए अपने एक वक्तव्य में कहा कि बिल पास होने तथा सेलेक्ट कमेटी में भेजने के निर्णय के बाद तय किया गया

कि 5 जुलाई तक विचार स्थगित रखा जाये। जमींदार सदस्यों के 8 प्रतिनिधि प्रधानमंत्री से मिले जिन्होंने साफ कहा कि 'सीर' के मामले पर किसी किस्म का ऐतराज नहीं सुना जायेगा। बेगम एजाज रसूल वगैरह ने उन्हे विश्वास दिलाया कि बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजने पर जोर इसलिए दिया जा रहा है कि मौलाना आजाद द्वारा उनको और राजा श्रीराम को हाल ही में आश्वासन दिया गया था कि कांग्रेस वर्तमान नेतृत्व के रहते कोई ऐसा काम नहीं करेगी, जिसका जमींदारो पर उल्टा असर पड़े। सेलेक्ट कमेटी में बिल को भेजने का उद्देश्य यही है कि इस समझौते में तय पायी गयी शर्तें बिल में शामिल कर ली जायें। सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट पर हस्ताक्षर होने वाले थे कि समझौते के विरोधी जमींदार सदस्यों ने समझौते के खिलाफ कड़े शब्दों में प्रचार शुरू किया। बेदखली के मामले में उनके दुराग्रह ने पेचीदा स्थिति पैदा कर दी है परन्तु सरकार अपना धैर्य नहीं खोयी है। यह उनके हक में अच्छा है कि वे बिल को पास हो जाने दें।¹⁵

जमींदार कांग्रेस समझौते पर टिप्पणी करते हुए भूमिगत कम्युनिष्ट पार्टी के प्रमुख पत्र नेशनल फ्रंट ने लिखा है कि जमींदारों ने कांग्रेस हाईकमान पर दबाव डालकर उत्तर प्रदेश काश्तकारी अधिनियम के प्रस्तावों को और भी जमींदार समर्थक बनाने के लिए शुरूआत की जिसे संसदीय बोर्ड तथा हाईकमान ने स्वीकार किया। यह प्रत्येक कांग्रेसजन के लिए शर्म की बात है और प्रत्येक सच्चे कांग्रेसी ने अपने को प्रताड़ित महसूस किया है क्योंकि मुट्ठीभर कांग्रेस के शत्रु जमींदार प्रदेशीय कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ताओं तथा लाखों जनता से हाई कमान के लिए अधिक महत्वपूर्ण साबित हुए हैं।¹⁶

कांग्रेस द्वारा जमींदारों के पक्ष में इस प्रकार घुटने टेक देने के कारण प्रदेश में स्थान-स्थान पर इस समझौते के विरोध में किसान संघ की सभाएं हुईं जिनमें सरकार से अपने फैसले पर पुनः विचार करने और काश्तकारी कानून को जमींदारों के पक्ष में और उदार करने की अपील की गयी। सरकार द्वारा भी हाईकमान की इच्छा का स्वागत किया गया और जमींदारों से समझौते तथा उनकी प्रमुख शर्तें मानने के बाद 17 पंत ने स्पष्टतः कहा कि सरकार जमींदारी व्यवस्था को रद्द करने के लिए उत्सुक नहीं है परन्तु मंत्रीगण जमींदारी व्यवस्था के अंतर्गत ही कृषको को पूर्णतया सुरक्षा प्रदान करने से इनकार नहीं करते।

2 अप्रैल 1938 को समिति की संस्तुति प्रस्तुत की गई, वह फैजपुर घोषणा पत्र के अनुसार इसमें निम्न प्रावधान किए गए थे—

1. सभी कृषकों को भूमि में काश्तकारी संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई, सभी वैधानिक कृषक जिनसे सर भूमि के किसान जुड़े थे, उन्हें आनुवंशिक अधिकार प्रदान किया गया।
2. यद्यपि कृषकों के लिए हस्तांतरण संबंधी अधिकार सीमित मात्रा में दिए गए थे, परन्तु वे केवल अपनी जोत के एक भाग को रहने दे सकते थे।
3. 'सीर' भूमि को अपने अधिकार में रखने का अधिकार मिला परन्तु उस क्षेत्र पर जो 'सीर' के रूप में थे पर कुछ बंधन लगाए गए।
4. सबटिनेट्स के अधिकारों को भी सुरक्षा प्रदान की गई।
5. कृषकों को भू-स्वामी की अनुमति के बिना ही वृक्ष लगाने, बागवानी करने और कुएं खोदने का अधिकार प्रदान किया गया।
6. लगान इस प्रकार से निश्चित किया गया कि कृषकों के पास कुछ राशि छोड़ी जा सके, जिसे वे अपनी व्यक्तिगत मांग हेतु प्रयोग करें। लगान मिट्टी की प्रकृति के आधार पर निश्चित किया गया।

कांग्रेस संगठन के अंतर्गत ही समाजवादी गुट इस सुधार संस्तुतियों से सहमत नहीं था और उन्होंने किसान सभा के साथ मिलकर कृषकों को और अधिक सुविधाएं प्रदान करने की गुजारिश की। सरकार पर दबाव डालकर अधिक सुविधाएं प्राप्त करने का किसानों का प्रयास कार्य सिद्ध हुआ। वस्तुतः यू0पी0 रेंड एण्ड रेवेन्यू बिल का उद्देश्य यू0पी0 टेनेंसी बिल 1939 के सेलेक्शन 123 में शामिल कर दिया गया, जिस पर यू0पी0 लेजिस्लेटिव एसेंबली में चर्चा की गई। बिल पर सदन में बहस के दौरान एक तरफ जहां किसान हितो से संबंधित मुद्दों पर बहस छिड़ी, तदैव, दूसरी तरफ कृषक वर्ग इस बिल का तात्पर्य लगान में पूर्णतया छूट के रूप में देय लगान देने से इन्कार कर दिया।¹⁸ अप्रैल 1938 के बाद एक बार पुनः तालुकदारो ने राजस्व

वसूल करने हेतु ताकत का इस्तेमाल किया, और भू-स्वामी और कृषक के बीच तनाव बढ़ गया।¹⁹ बिल प्रकाशन के अवसर पर इस कानून को अन्य राज्यों के कानूनों की तुलना में अधिक गतिशील बताते हुए भूमिगत कम्युनिस्ट पार्टी के महामंत्री पी०सी० जोशी ने नेशनल फ्रंट में अपने लेख में लिखा था कि यह अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक किसान समर्थक हैं परन्तु कांग्रेस चुनाव घोषणा-पत्र में किये गये वादे पूर्ण नहीं किये गये। काश्तकारी कानून पर गवर्नर की मंजूरी मिलने तथा उसक कानून के रूप में परिवर्तित हो जाने के विरोध में जमींदारों ने प्रयाग हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की।²⁰ 11 मार्च 1940 को दिये गए निर्णय में हाईकोर्ट की फुलबेंच ने इसे अवैध ठहराया जिसका किसानों ने विरोध किया तथा उत्तर प्रदेश सरकार ने इस निर्णय को तथा बकाया लगान माफी के विरुद्ध हाईकोर्ट के निर्णय के विरोध में फेडरल कोर्ट में अपील की तथा तब तक बकाया लगान माफी के संबंध में जो मुकदमें जमींदारों द्वारा किसानों पर चलाये जा रहे थे उनकी कार्यवाही रोक रखने के लिए सभी जिलों की राजस्व अदालतों को निर्देश दिये गए।

अवध किसान सभा और कांग्रेस द्वारा चलाये गये संगठित किसान संघर्षों तथा सत्ता समाप्ति के बाद इसके आन्दोलन के अतिरिक्त भी देश प्रदेश में भिन्न-भिन्न स्थानों पर किसान असंतोष का विस्फोट होता रहा। 1935 के अन्त में अनेक वामपंथी नेताओं ने मेरठ में एक बैठक में अखिल भारतीय किसान संगठन के बारे में विचार किया। अप्रैल 1936 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में स्वामी सहजानन्द सरस्वती के सभापतित्व में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई।²¹ स्थापना वर्ष से सहजानन्द 1938 के कोमिल्ला अधिवेशन और 1944 के विजयवाड़ा अधिवेशन को छोड़कर हमेशा इसके महामंत्री रहे और इसका कार्यालय उन्हीं के जिम्मे रहा। 1938 और 1944 के अधिवेशनों की अध्यक्षता स्वामी सहजानन्द ने की थी। स्वामी सहजानन्द ने इस नई जिम्मेदारियों के साथ-साथ जमीनी लड़ाई भी जारी रखी। बिहटा चीनी मिल के मालिक रामकृष्ण डालमिया पर उन्होंने किसानों की सामूहिक शक्ति का ऐसा दबाव डाला कि वे ऊख/गन्ना का दाम किसानों को तीन आने मन के बजाय 7-8 आने प्रति मन तक देने को मजबूर हो गए। इसके अलावा किसानों और मजदूरों की मांग को लेकर उन्होंने मील मालिक के खिलाफ 1936 से 1938 तक एक के बाद एक तीन हड़तालें कराई और हर बार जीत हासिल की।

असेम्बली के चुनावों को ध्यान में रखते हुए किसानों के हित में एक प्रगतिशील कार्यक्रम बनाने के लिए सहजानन्द और उनके साथियों ने बार-बार दबाव डाला तब कहीं जाकर कांग्रेस ने दिसम्बर 1936 के फैजपुर अधिवेशन में एक किसान कार्यक्रम तैयार किया। इस कार्यक्रम के साथ कांग्रेस भविष्य में कैसा मजाक करने वाली थी इसका कुछ-कुछ आभास 1937 के असेम्बली के चुनावों के लिए उम्मीदवार तय करने के दौरान ही हो गया। बिहार कांग्रेस कार्यकारिणी के घाघ नेताओं ने जब एक से एक देशभक्त खाटी कांग्रेसियों को छोड़कर बड़े जमींदारों को उम्मीदवार नामजद करना शुरू किया तो इस पैतरेबाजी से आजिज आकर सहजानन्द ने कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया और पुरी चले गए, जहां उन्हें उत्कल प्रान्तीय किसान सम्मेलन का सभापतित्व करना था। वहां से आने पर बाबू राजेन्द्र प्रसाद के मान-मनौवल से विवश होकर उन्होंने इस्तीफा वापस ले लिया।²²

सहजानन्द ने कांग्रेस के पक्ष में जमकर चुनाव-प्रचार किया और किसान सभा के सहयोग से कांग्रेस ने बिहार में शानदार जीत हासिल की। कांग्रेस का मंत्रिमण्डल बनते ही नेताओं का अमीर परस्त चेहरा सामने आने लगा। सहजानन्द ने “The other side of the shield” और “Rent reduction bill: How it works in bihar” नाम की दो पुस्तिकाएं लिखकर सरकार का पर्दाफाश किया।²³

सन्दर्भ ग्रन्थ

1. रिपोर्ट ऑन द एका मूवमेंट, उ०प्र० सरकार गजेटियर भाग टप्पू 13 मई 1922, पृ० 276-277.
2. तदैव, पृ० XVII
3. प्रधान, अवधेश, स्वामी सहजानंद सरस्वती: किसान आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि (रजनीतिक और किसान आंदोलन संबंधी लेखों आदि भाषाओं का संकलन ग्रंथ शिल्पी 2012 पृ०-39
4. रिपोर्ट ऑन द एकामूवमेंट: तदैव, पृ० XVII
5. मेहता रिपोर्ट उ०प्र० अभिलेखागार फा० नं० 753, म 1920 राजस्व विभाग पृ०-2-5

6. रसूल, एम0ए0: अ हिस्ट्री ऑफ द ऑल इण्डिया सभा, कलकत्ता 1974 पृ0-11
7. क्वार्टलरी सर्वे ऑफ द पोलिटिकल एण्ड कांशीटयूशनल पोजिशन इन ब्रिटिश इण्डिया, 26.01.1937, लिनलिथगो पेपर्स एस0 नं0-142 एन0एम0एम0एल0, नई दिल्ली
8. आज 'दैनिक (वाराणसी) 7 जनवरी 1940, प्रोसिडिंग ऑफ द लेजिस्लेटिव असेम्बली, 2 अगस्त 1937, श्रीवास्तव, गोपीनाथ: व्हेन कांग्रेस रूल्स' पृ0-22
9. श्रीवास्तव, गोपनीय: व्हेन कांग्रेस रूल्स अ क्लोज-रेन्ज सर्वे आफ द कांग्रेस एडमिनिस्ट्रेशन डूरिंग द टवेन्टी-एट मंथ- 1937-39, अपर इण्डिया पब्लिकेशन हाऊस लखनऊ-पृ0-24
10. अभ्युदय (साप्ताहिक, इलाहाबाद) 9 अगस्त 1937
11. आज: 9 जनवरी 1940
12. संघर्ष 26.12.1937
13. यू0पी0 रेंट एण्ड रेवेन्यू रिलीफ बिल 1938, फा0 नं0 597 ई 1938 बॉक्स नं0-644 रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट यू0पी0 एस0ए0, लखनऊ।
14. शर्मा, जे0एस0: इंडियाज स्ट्रगल फार फ्रीडम खण्ड-1 पृ0-27
15. अभ्युदय: साप्ताहिक 21 अगस्त 1939.
16. नेशनल फ्रन्ट: साप्ताहिक 30 अक्टूबर 1939.
17. अभ्युदय: साप्ताहिक 10 जुलाई 1939
18. यू0पी0 कांग्रेस और किसान सभा, 1938 फाइल नं0 20 पृ0-2
19. तदैव, पृ0-2
20. नेशनल फ्रन्ट: साप्ताहिक 4 सितम्बर 1938
21. आज दैनिक (वाराणसी) 4 जनवरी 1946, प्रधान, अवधेश, स्वामी सहजानन्द और उनका किसान आन्दोलन नयी किताब दिल्ली 2016 पृ0-18
22. प्रधान, अवधेश: स्वामी सहजानन्द और उनका किसान आन्दोलन नयी किताब दिल्ली 2016 पृ0-18
23. तदैव, पृ0-19

सैयद जैगम इमाम कृत 'दोजख' उपन्यास में भारतीय संस्कृति का चित्रण

डॉ० माजिद पटेल

हिंदी विभाग, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय, औरंगाबाद

सैयद जैगम इमाम समकालीन समय के एक युवा साहित्यकार के रूप में अपना एक अलग पहचान बना चुके हैं। साहित्य लेखन के अलावा वे एक कुशल पत्रकार के रूप में भी जाने जाते हैं। और वे हिंदी सिनेमा के क्षेत्र में भी अपनी छाप छोड़ चुके हैं। उन्होंने ने लगभग साहित्य के सभी विधाओं में अपनी कलम चलाई परंतु उन्हें ख्याति 'दोजख' उपन्यास से प्राप्त हुई है। यह उपन्यास मूलतः बनारस की पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। जिसमें गंगा-जमुना संस्कृति की झलक पाई जाती है। लेखक का यह उपन्यास का पहला उपन्यास है जो बहुत चर्चा में रहा। इस उपन्यास पर सन् 2015 में फिल्म बनाई इस फिल्म ने 'फिल्म फेस्टिवल' में काफी सुर्खियां बटोरी। जैगम इमाम ने फिल्म निर्देशन में बनी यह पहली फिल्म थी जिसकी खूब चर्चा हुई। निर्देशक इस के महत्वपूर्ण कार्य के लिए उन्हें अमेरिका के 'इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ द 'बोस्टन' में जैगम इमाम को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का सम्मान भी प्राप्त हो चुका है।

'दोजख' लेखक का पहला उपन्यास है जो बनारस के एक छोटे से कस्बे के मुस्लिम परिवार में जन्मे एक ऐसे लड़के की कहानी है, जिसे हिंदू या मुसलमान होने का मतलब भी ठीक से पता नहीं धर्म पाबंदियां उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। इस उपन्यास के माध्यम से गंगा-जमुना संस्कृति जो भारतीय संस्कृति का प्रतीक मानी जाती है इसका अति सूक्ष्म चित्रण किया है। साथ ही साथ समाज में व्याप्त रूढ़िवादिता तथा कट्टरता के खिलाफ कड़ा संदेश भी दिया है। इस उपन्यास का नायक मुस्लिम परिवार में जन्म हुआ जरूर परंतु वह धर्म के बंधनों से परे है हालांकि उसके परिवार में सभी सदस्य धर्म को मानते हैं। परंतु अल्लन एक ऐसा बालक है जो अपने मन के मुनाफिक जीवन जीना चाहता है। उपन्यास के नायक के संदर्भ में लेखक लिखते हैं कि "यह उपन्यास मजहब और इंसानियत के बीच चलने वाली एक अजीबो-गरीब कश्मकश की कहानी है एक ऐसे लड़के की दास्तान है जिसे हिंदू या मुसलमान होने का मतलब नहीं मालूम है वह सिर्फ इतना कि वह एक इंसान है जिसकी सोच और समझ गाइडलाइन की मोहताज नहीं है।"¹

लेखक का उपन्यास भारत की गंगा-जमुनी संस्कृति का प्रतीक और इसका चित्र लेखक ने इस उपन्यास में अल्लन के माध्यम से किया है। अल्लन एक ऐसा लड़का है जिसे धर्म के बंधन में बंद कर जीना पसंद नहीं है। उसे हिंदू मठ में जाना पसंद है। वह कभी-कभी भगवान का मंत्र पढ़ता है। तो वह कभी मंदिर में भंडारा खाता भी है। भजन-कीर्तन सुनता है। उसकी एक प्रेमिका है जो हिंदू धर्म की है। जिसका नाम नीलू है। वह उसे बहुत प्रेम करता है। उससे वह मिलने हर दिन मंदिर जाता है। वह उसके साथ कभी-कभी पूजा भी करता है। इस प्रकार से अल्लन को अपने धर्म की तरह अन्य धर्म से भी मोहब्बत है। अचानक अल्लन के नाना का देहांत हो जाता है। देहांत होने के पश्चात जब उन्हें कब्रिस्तान में एक गड्डे में दफनाने ले जाते हैं। वह कहता है की- "नाना का जनाजा कब्रिस्तान जाने के लिए तयार था लोग बारी-बारी से अपना कंधा दे रहे थे। एक घंटे के अंदर जनाजा कब्रिस्तान पहुँच गया था। पाच फुट गहरी कब्र में दो फिट नालीनुमा कब्र अलग से बनी थी। नमजे जनाजा हो चुकी थी। दो लोग कब्र के भीतर घुसकर मृत शरीर को सहारा दे रहे थे। मौलाना साहब ने कब्र में मिट्टी भरने का हुक्म सुना दिया था। आधे घंटे के अंदर कब्र पुरी लबालब भर गयी थी।"² तब से उसे कब्र के उस गड्डे से डर लगता है। उसके बाल मन में विद्रोह जाग उठता है। अल्लन नीलू से प्रेम करते हैं पर उसका विवाह किसी और से हो जाता है। इस कारण वह जीवन से निराश हो उठता है। कुछ समय पश्चात अल्लन की अम्मा का भी देहांत हो जाता है। उन्हें कब्रिस्तान लेजा कर दफन किया जाता है। अल्लन अपने पिता से कहता है कि इतने बड़े घर में रहने वाली अम्मा इस गड्डे (कब्र) में

कैसे रह पायेगी। वह कब्र के गड्ढे में दफनाने का विरोध वह मन ही मन करता है। वह अपने पिता से यह प्रश्न भी करता है कि हम हिंदुओं की तरह मृत शरीर जलाते क्यों नहीं? उसे कब्र से डर लगता है। मां की मौत कारण उसका बाल मन उदास उठता है और उसे यह दुनियाँ दोजख लगती है। मां के देहांत के पश्चात अल्लन और भाई आलम दोनों में झगड़ा होता है और आलम घर छोड़कर पत्नी के साथ चला जाता है। इस कारण अल्लन को अपने पिता हाशिम मियां से काफी डांट फटकार खानी पड़ती है और वह इस डांट फटकार से निराश होकर घर से कई निकल पड़ता है क्योंकि उसे अब यह दुनिया दोजख लगने लगती है वह उस पवित्र गंगा में अपने को समालेन पसंद करता है। उसे गंगा बचपन से पसंद थी। वह गंगा में कूद कर दुनिया को वह छोड़ कर चला जाता है। इस बात का पता हाशिम मियां को आपको लगता है तो उन का बूढ़ा मन टूट जाते हैं। वह उसका मूर्त शरीर बनारस के मणिकर्णिका घाट पर लेक जा कर उसका अंतिम संस्कार करते हैं क्योंकि “मेरे अल्लन को गाड़ाना नहीं मरने से पहले हम से कहे थे हमको गाड़िएगा मत, कब्र से डर लगता है।”³ इस कारण हाशिम मियां अंतिम संस्कार के पश्चात उसके राख को अपनी मुट्ठी में लेकर अपने पत्नी के कब्र पर गड्ढा करके उसके सीने पर उस राख को गाड़ कर कहते हैं लो संभालो अपने अल्लन को! इस प्रकार से लेखक ने उपन्यास में भारतीय समाज की गंगा-जमुना संस्कृति का से मार्मिक चित्रण किया है।

अल्लन ने अपने जीवन में कभी धर्म या मजहब के बंधन नहीं माने, न ही उसे इसकी समझ थी। वह अपने मन की सुनता है उसे धर्म की बातें या धर्म के बताए गए नियम एवं सामाजिक बंधनों से उसके बाल मन को चीड़ है और इस्लाम में तो नियम ही नियम है। वह कहता है कि “न नाच सकते हैं न गा सकते हैं। टी.वी. देखना भी मना है। सब लड़के मौज करते हैं, मगर अब्बा अल्लाह रसूल के नाम पर हमेशा पीछे पड़े रहते हैं।”⁴ इस प्रकार अल्लन को बंधन में जीवन जीना पसंद नहीं है। वह नाच-गाना चाहता है। मस्ती करना चाहता है। धर्म की बातों में उसका मन नहीं रमता।

लेखक मुस्लिम समाज प्रथा, नियम, बंधन एवं धार्मिक कट्टरवाद इसको बारीकी से प्रकाश में लाया है। उपन्यास का नायक अल्लन के पिता हाशिम मियां जो पंज वक्त नमाजी है। उनकी एक छोटी सी दुकान है। उसी से ही परिवार का पालन पोषण करते हैं। धर्म के नियमों वह अल्लन को समझते हैं इस्लाम में नाच-गाना, झुठ बोलना, टी.वी.देखना आदि हराम है। परंतु उनकी यह सब बातें अल्लन की समझ से परे थी। हाशिम मियां कहते हैं कि “मुसलमानों को टी.वी. देखना हराम है। एंटीना शैतान है। कुरान में लिखा है कि एक जमाने में सब की छत पर यह शैतान रहेगा। वह जमाना आ गया है। अब जिसको दोजख से बचना है वह टीवी न लगाए।”⁵ अल्लन को उनकी यह सब बातें समझ नहीं आती। वह धर्म के बंधन में कभी बनना ही नहीं चाहता था वह अपने मन के माफिक जीवन बिताता है कभी मंदिर में जाकर खेलता है। वहां रोज मंदिर में पढ़े जाने वाले मंत्र को सुनता है, तो वह कभी उन मंत्रों को गुनगुनाता है। अल्लन के मुंह से यह सब जब हाशिम मियां सुनते हैं तो वह उस पर गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि “ईसब गैर मजहब की बातें हैं। बुरी बातें हैं। इनको सुनना हराम है”⁶ अल्लन हिंदू समाज की लड़की नीलू से प्रेम करता है उससे मिलने के लिए मंदिर में जाता है। उसका ज्यादा समय मंदिर में ही बिताता है। वह उसके साथ खेलता है, भगवान की पूजा भी करता है इस बात की खबर जब उसके परिवार को मिलती है तब हाशिम मियां उसे बहुत मारते-पीटते हैं। अल्लन की माँ उसे बड़े मौलाना साहब के पास दुआ फुकने के लिए लेकर आती है ताकि वह सही राह पर आ जाए। अल्लन कहता है कि “पीर वाली गली में अम्मा के मौली साहब रहा करते थे। अल्लाह जब छोटा था तो एक बार यहा आया था। मौली साहब के यहां आदमी न आते थे बस औरतों की फौज खड़ी रहती थी किसी को बेटी की सुहाग की फिक्र है तो कोई अपने सास को बस में करने की बूटी के लिए आती थी”⁷ इस प्रकार की अंधविश्वास लगभग सभी धर्म के अंतर्गत दिखाई देती है। जिसका सूक्ष्म चित्रण यहां पर लेखक ने किया है।

अल्लन इस उपन्यास का एक ऐसा पात्र है जो धर्म के बंधनों से मुक्त हैं। पुजारी से उसकी अच्छी मित्रता है वह मठ में पंडित जी से प्रश्न करता है कि

“ए पंडित जी स्वर्ग कहां है।

ऊपर।

और नरक कहां है।

वह भी ऊपर है।

ए पंडित जी मियां लोग स्वर्ग में जाएंगे कि नहीं”⁸

यह लेखक ने बहुत ही मत्वपूर्ण प्रश्न को समाज समक्ष रखा है की स्वर्ग नरक की बात तो हम करते हैं, तो क्या अन्य धर्मिय लोग उस में होंगे या नहीं। दोजख का भी चित्रण लेखक ने इस उपन्यास में किया है। स्वर्ग-नरक की तरह मुस्लिम धर्म में जन्नत-दोजख की मान्यता है हाशिम मियां इस कथन से अंकित होता है कि “हर दौर में शैतान पूजे जाएंगे जो इस के चक्कर में नहीं आएगा वह जन्नत में जाएगा बाकी सब दोजख में”⁹ दोजख का यथार्थ चित्रण इस उपन्यास में किया है।

इसी के साथ लेखक ने समाज में व्याप्त धर्म को लेकर पनपने वाली संकीर्ण मानसिकता का चित्रण मार्मिकता से किया है। अल्लन कहता है कि “महेंद्र टेक्निकल इंटर कॉलेज जिसे वहां की जबान में महेंद्रा कहा जाता था। अल्लन का यह स्कूल पढ़ाई से ज्यादा मारपीट के लिए मशहूर था यहां पर पढ़नेवालों में ज्यादातर ठाकुर और ब्राह्मण के बच्चे थे सच कहा जाए तो स्कूल स्वर्ण मानसिकतावादी था। स्वर्ण के बच्चे को मास्टर साहब कब मरते थे, जबकि दूसरे बच्चों का मार-मार कर भुर्ता बना दिया जाता था।”¹⁰ इस प्रकार लेखक ने भारतीय मुस्लिम समाज में पनपने वाली संकीर्ण मानसिकता को भी हमारे समक्ष रखा है। जो आज के दौर की जटिल समस्या बनी हुई है।

अल्लन के अब्बा हाशिम मियां का परिवार गरीबी के रेखा के नीचे जीवन यापन करता है। घर में हाशिम मियां के अलावा कोई कमाने वाला नहीं है। बस एक छोटी सी दुकान के भरोसे वह परिवार को पाल रहे हैं हाशिम मियां यदि बीमार हो जाए तो घर में अर्थ की कमी आ जाती थी। यह इस कथन से यह स्पष्ट होता है कि “अब्बा की बीमारी का असर सबसे ज्यादा दुकान पर पड़ रहा था। दुकान सही वक्त पर नहीं खुल पाती ज्यादातर ग्राहकों को खाली हाथ वापस लौटना पड़ता था। दुकान नहीं खुलती तो घर में पैसों की तंगी भी रहती।”¹¹ अर्थ अभावी जीवन अल्लन के परिवार की ही समस्या नहीं वरन संपूर्ण मुस्लिम समाज यही हाल है।

वर्तमान समय में बढ़ती महंगाई में कई परिवार की कमर तोड़ दी। इस कारण निम्नवर्ग का जीना दुश्वार हो गया है। आर्थिक तंगी से ग्रसित परिवारी भूख मरी के शिकार हो रहे हैं। कई प्रकार के जोड़ व्यवसाय करने के लिए वह विवश है। इस उपन्यास में अल्लन की मां आर्थिक तंगी के कारण दुकान के साथ-साथ अंडे बेचना भी शुरू करती है। अल्लन अपनी माँ से इस संदर्भ में पूछता है। तब वह कहती है “न कमाएं तो क्या भूखे मर जाए। गल्ला-बल्ला होता नहीं चार बीघा खेत बस नाम का रखा हुआ है। फिर तुमको तो दुकान पर बैठना नहीं है। फिर हम अंडे भेचे या फिर कुछ ओर।”¹² इस प्रकार से लेखक ने मुस्लिम समाज की गरीबी को यहां पर सामने लाया है

सैयद जैगम इमाम ने मुस्लिम समाज में व्याप्त बुर्का प्रथा का भी चित्रण किया है मुस्लिम समाज के अंतर्गत कई प्रथाएं हैं जो आज भी प्रचलित हैं। उपन्यास में नायक अल्लन की अम्मा जब भी घर से बाहर निकलती है बुर्का पहनती है। इस संदर्भ में अल्लन कहता है “अम्मा पुराने ख्यालात की औरत थी। हालांकि फिर भी उनमें कई बातें दिलचस्पी थी कस्बे में वह नकाब ओढ़ती, मगर जब वह कहीं बाहर जाना होता तो अपना काला नकाब ओढ़ना न भूलती।”¹³

लेखक ने इस उपन्यास में मुस्लिम समाज में प्रचलित प्रथाओं के साथ-साथ हिंदू धर्म में पनपने वाली प्रथा का भी चित्रण किया है अल्लन कहता है कि “बस गंगा जी के ऊपर पहुंची तो सिक्कों की खनक ने की आवाज आने लगी कई सिक्के रेलिंग से टकरा-टकराकर पुल के ऊपर सड़क पर ही गिर गए थे। जबकि कई सिक्के गंगा जी में जा रहे थे। अल्लन ने अपना सिक्का जोर से पानी के और उछाला था। दिल में दुआ की थी। ‘नानी ठीक हो जाए’ सिक्का सीधे गंगा जी के पानी में जा गिरा।”¹⁴ इस प्रकार से लेखक ने गंगा को लेकर मन में पनपने वाली धारणा का सजीव चित्र हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है।

निष्कर्षतः हम यह कह सकते हैं कि जैगम इमाम ने भारतीय मुस्लिम समाज के अंतर्गत प्रचलित प्रथा, संस्कार, धार्मिक कट्टरवाद तथा परंपरा आदि समस्याओं का सूक्ष्म चित्रण किया है। साथ ही यह गंगा-जमुना-संस्कृति को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। साथ ही लेखक ने समाज में पनप रही संप्रदायिकता को भी सामने लाया है। साथ ही सांप्रदायिकता के इस खाई को मिटाने का प्रयास भी किया है। उनका यह मानना है कि यदि इस संप्रदाय के खाई को हम धार्मिक सद्भावना से कम कर सकते हैं। हम एक दूसरे के धर्म को कम आंकने के बजाय एक दूसरे के धर्म से प्रेम करें तो यह खाई हम कम कर सकते हैं। समाज के नियम व बंधन न मानने वाले अल्लन की तरह यदि सभी सोचने लगे तो हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। धर्म को लेकर संकीर्ण सोच पर इस उपन्यास के माध्यम से प्रहार किया है। लेखक इस उपन्यास के माध्यम से गंगा-जमुना संस्कृति चित्र हमारे समक्ष वर्णित किया है।

संदर्भ:

1. दोजख, सैयद जैगम इमाम, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, मुख्य पृष्ठ से
2. वही पृ. 114
3. वही पृ.169
4. वही पृ.53
5. वही पृ.12
6. वही पृ.12
7. वही पृ.96
8. वही पृ.28
9. वही पृ.53
10. वही पृ.19-20
11. वही पृ.85
12. पृ 150
13. पृ 14
14. पृ 111

कामायनी का महाकाव्यत्व और हिन्दी समीक्षकों का समीक्षात्मक अध्ययन

प्रतिभा कुमारी

शोधार्थी, हिन्दी विभाग, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा (भोजपुर), बिहार

किसी भी प्रबन्ध काव्य के महाकाव्यत्व वाले रूप पर प्रश्न-चिन्ह तभी लगता है, जब वह कृति महाकाव्य की शास्त्रीय परम्परा से भिन्न नवीन मार्ग पर चलती है। 'कामायनी' ऐसी ही प्रबन्ध-रचना है, जिसका महाकाव्यत्व विवादास्पद है। वाल्मीकि कृत 'रामायण' और व्यास विरचित 'महाभारत' आदि प्रबन्ध कृतियों के लक्षणों के आधार पर ही महाकाव्य के शास्त्रीय निकष तैयार किये गये अर्थात् इन महान् कृतियों में प्रच्छन्न (निहित) लक्षणों को ही महाकाव्य के प्रामाणिक और स्वीकृत लक्षण घोषित कर दिये गए। संस्कृत के लक्षण-ग्रन्थों की रचना में उक्त रचनाएँ ही केन्द्र में रही हैं। अस्तु, भारतीय महाकाव्य की परम्परा उन्हीं से प्रारम्भ होती है। उनके प्रमाण-चिन्हों की, जिन-जिन रचनाओं में न्यूनता दिखाई पड़ी, उनके महाकाव्यत्व को संदिग्ध घोषित कर दिया गया। दसवीं शताब्दी से लेकर अद्यतन जितने भी लब्ध-प्रतिष्ठ हिन्दी महाकाव्य हैं, उनकी परम्परा में प्रायः न्यूनाधिक रूप से शास्त्रीय लक्षणों का निर्वाह हुआ है। 'पृथ्वीराजरासो' हिन्दी का पहला महाकाव्य है। भले ही उसकी प्रामाणिकता संदिग्ध हो किन्तु इसका महाकाव्यत्व वाला रूप अक्षुण्ण और निर्विवाद है। हाँ, कई कारणों से इसे संवर्द्धन महाकाव्य कहा गया है, परन्तु महाकाव्य-सम्बन्धी स्वीकृत लक्षणों का सम्यक् निर्वाह इसमें हुआ है। 'पद्मावत' और 'रामचरित मानस', भक्तिकाल के ही नहीं, अपितु अद्यावधि लिखे गए हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य हैं। महाकाव्य-सम्बन्धी शास्त्रीय लक्षणों का सर्वाधिक निर्वाह उक्त महाकाव्यों में हुआ है। हिन्दी-साहित्य का आधुनिक युग खड़ी बोली भाषा-क्रान्ति के लिए ऐतिहासिक दस्तावेज है। द्विवेदीयुगीन प्रभावों से सम्पन्न अयोध्या प्रसाद सिंह 'हरिऔध' ने 'प्रिय-प्रवास' महाकाव्य रचा, तो मैथिलीशरण गुप्त ने 'साकेत' जैसा महाकाव्य लिखा।

छायावादी-युग का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य 'कामायनी' है। इसमें पूर्व-उल्लिखित महाकाव्यों की तरह पारम्परिक लक्षणों का निर्वाह नहीं हुआ है। इसके महाकाव्यत्व में शिल्प की न्यूनताएँ हैं। सच तो यह है कि हिन्दी की महाकाव्य-परम्परा में इसने सर्वथा नवीन दिशान्तर प्रस्तुत कर लक्षण मुक्त (स्वच्छन्द) महाकाव्य-सृजन का मार्ग प्रशस्त किया है। छायावादी शिल्प में शिल्पित 'कामायनी' का महाकाव्यत्व-शिल्प नवीन किन्तु संश्लिष्ट है। इसकी कथा-स्वल्पता की प्रवृत्ति, कम पात्रों की योजना, नाटकीयता, पूर्ण वस्तु-विस्तार की न्यूनता, व्यापक आधार-फलक का अभाव, रस-निरूपण की जगह भाव-विश्लेषण की प्रवृत्ति, ब्राह्मार्थ निरूपण के स्थान पर आभ्यान्तरिक-विश्लेषण एवं अन्य प्रसरण वैशिष्ट्य के स्थान पर द्वन्द्वात्मक केन्द्रीयता आदि विशेषताओं ने इसे फौलाव का नहीं, अपितु गहराई का महाकाव्य बना दिया है। 'कामायनी' ने सर्वप्रथम हिन्दी-महाकाव्य के शिल्प की नूतनता और मौलिकता से परिचित कराया; उसे नूतन शिल्प-विधान का प्रस्थान-बिन्दु कहना चाहिए। छायावादोत्तर प्रबन्ध-काव्यों के लिए परिचित मार्ग से अधिक, इस आकर्षक, रोचक, अह्लादक और नवीन मार्ग ने प्रयोग की अर्गला खोल दी।" डॉ० श्यामनन्दन किशोर ने लिखा है- "महाकाव्य के क्षेत्र में यह एक अभिनव प्रयोग है और शिल्प-विधान की दृष्टि से विश्व-साहित्य की एक अनुपम देन है।" छायावाद और विशेष रूप से 'कामायनी' के प्रति अपनी कृपण उदारता के लिए प्रसिद्ध आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने स्पष्ट शब्दों में 'कामायनी' के लिए 'महाकाव्य' शब्द का प्रयोग नहीं किया किन्तु छायावादी शैली का नवीन प्रबन्ध काव्य तो इसे माना ही- "यदि हम विराट काव्य की अन्योंजना पर ध्यान न दें, समष्टि रूप में कोई समन्वित प्रभाव न ढूँढे, श्रद्धा, काम, लज्जा, इडा इत्यादि को अलग-अलग लें, तो हमारे सामने बड़ी ही रमणीय चित्रमयी कल्पना, अभिव्यंजना की अत्यन्त मनोरम पद्धति आती है..... इस प्रकार प्रसाद जी प्रबन्ध क्षेत्र में भी छायावाद की चित्र-प्रधान और लाक्षणिक शैली की सफलता की आशा बँधा गए हैं।" दूसरी तरफ आचार्य नन्द दुलारे वाजपेयी ने 'कामायनी' को छायावाद-युग की स्थापना के रूप में प्रतिष्ठित किया क्योंकि वे आधुनिकता के समर्थक और जड़ शास्त्रीय सिद्धान्तों के विरोधी

रहे हैं। पर, 'कामायनी' को उन्होंने भी पारम्परिक महाकाव्य से भिन्न माना है। उनकी मान्यता है कि- परम्परा महाकाव्य के लक्षणों की पूर्ति न करने पर भी 'कामायनी' को नए युग का प्रतिनिधि महाकाव्य कहने में हमें कोई हिचक नहीं होती।¹⁴ डॉ० नगेन्द्र की दृष्टि में भी 'कामायनी' साहित्य के इतिहास में एक नवीन प्रयोग है- एक अद्भुत उपलब्धि। उनके ही शब्दों में "कामायनी' महान् काव्य है- महाकाव्य। मानव-चेतना के विकास का यह महाकाव्य अथवा मानव-सभ्यता के विकास का विराट रूपक साहित्य के इतिहास में एक नवीन प्रयोग है- एक अद्भुत उपलब्धि।"¹⁵ 'कामायनी' को नवीन महाकाव्य मानने वाले आलोचकों में डॉ० प्रेम शंकर का स्पष्ट मत है- "कामायनी' कालजयी कृतियों में है। उसे 'रामचरित मानस' जैसे जन-काव्य के रूप में देखना भूल है, क्योंकि इस प्रतियोगिता में तो कालिदास भी भाग नहीं लेना चाहेंगे।"¹⁶ आगे वे लिखते हैं- 'कामायनी' हिन्दी-महाकाव्य का नवीनतम स्वरूप है। प्रसाद ने उसमें केवल बिखरी हुई कथा को ही एक सूत्र में नहीं बाँधा, वरन् उन्होंने समस्त प्राप्त सामग्री का भी उपयोग किया। 'कामायनी' देश, काल और जाति की सीमा लाँघ गयी। वह मानव और मानवता को अपनी विषय बनाती है।"¹⁷ डॉ० द्वारिका प्रसाद सक्सेना ने भी इसे नवीन मान्यताओं का महाकाव्य माना है- 'कामायनी' आधुनिक युग की परिवर्तित विचार-धारा के आधार पर निर्मित महाकाव्य है, जिसमें भारतीय एवं पाश्चात्य-दोनों देशों की अधिकांश प्राचीन और नवीन मान्यताओं के दर्शन होते हैं।"¹⁸ प्रसिद्ध समीक्षक डॉ० नामवर सिंह की दृष्टि 'कामायनी' की प्रासंगिकता पर जाती है और इसे 'आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि महाकाव्य' कहते हैं। डॉ० फतह सिंह कई कारणों से 'कामायनी' के महाकाव्यत्व को स्वीकार करते हैं- "प्रकृति-चित्रण की विराट पृष्ठभूमि और सुन्दर स्थितियों में विभिन्न छन्दों के प्रयोग से इसके अन्तरंग और बहिरंग दोनों की अनुकूलता महाकाव्यत्वपूर्ण है। प्रबन्ध काव्य में जैसी नाटकीयता चाहिए, वैसी ही नाटकीयता 'कामायनी' में है।"¹⁹ डॉ० हरि प्रसाद गुप्त का कहना है- 'कामायनी' सतही काव्य नहीं है, यह रामायण-महाभारत की भाँति जीवन-मूल्यों का, संस्कृति विचारों का, उत्साहवर्धक प्रेरणाओं एवं सौन्दर्य का महाकाव्य है।"²⁰ सुधाकर पाण्डेय की धारणा तो और भी ऊँची है- "ज्यों-ज्यों दिन बीतते जा रहे हैं, 'कामायनी' की आभा का प्रकाश बढ़ता जा रहा है और संभव है, आधुनिक युग के सर्वोत्तम महाकाव्य के रूप में उसकी गरिमा सदैव अक्षुण्ण रहे। ...'कामायनी' महाकाव्य ही नहीं, वह 'रामचरित मानस' के पश्चात् रचा गया आज तक का हमारा सर्वोत्कृष्ट प्रबन्ध ग्रंथ भी है।"²¹ डॉ० वचनदेव कुमार इसकी तुलना 'रामचरित मानस' से करते हुए कहते हैं- "कामायनी के प्रकाशन के बाद से ही इस बात पर बल दिया जाता रहा है कि यह 'रामचरित मानस' की तरह ही विश्व-महाकाव्य है।"²² डॉ० दिनेश्वर प्रसाद ने इसे 'मिथक प्रतीकात्मकता का महाकाव्य' माना है।²³ डॉ० राम लाल सिंह ने इसे नवीन पद्धति और शैली का महाकाव्य कहा है। उनके ही शब्दों में- "कामायनी में शास्त्र के कुछ स्थूल नियमों तथा बहिरंग की कुछ भिन्नता तथा न्यूनता होते हुए भी उसके अन्तरंग तत्वों में किसी प्रकार की कमी नहीं है। रीति-ग्रन्थों के कुछ स्थूल नियमों के अतिक्रमण का कारण कवि की महाकाव्य-रचना की नवीन पद्धति तथा शैली है।"²⁴ डॉ० राजेश शर्मा 'पीयूष' ने कहा है- "कामायनी हिन्दी महाकाव्यों के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली रचना है।"²⁵ डॉ० हरदेव बाहरी का कहना है- "कामायनी पन्द्रह सर्गों का मनोवैज्ञानिक-सांस्कृतिक महाकाव्य है। यह प्रेमाख्यानक काव्य का नवीन सांस्कृतिक रूप है।"²⁶ उक्त समीक्षात्मक कथनों से इतना स्पष्ट हो जाता है कि हिन्दी के बहुसंख्यक समीक्षकों ने 'कामायनी' की आधुनिक युग का नवीन महाकाव्य माना है, जिसमें लक्षणोन्मुखता से अधिक प्रयोगोन्मुखता है। छायावाद के अन्य दो श्रेष्ठ कवि सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला' और सुमित्रानन्दन पंत ने भी 'कामायनी' के गुण-दोष का विश्लेषण करते हुए इसके महाकाव्यत्व को स्वीकार किया है, 'निराला' ने 'कामायनी' को एक 'युगान्तकारी महाकाव्य' कहा है और यह भी कि 'कामायनी' रहस्यवाद का प्रथम महाकाव्य है। उन्होंने यहाँ तक स्वीकार किया- "मैंने हिन्दी और बंगला के नवीन साहित्य में ऐसा महाकाव्य अन्यत्र नहीं देखा है।"²⁷ पंत ने 'कामायनी' को पुनर्जागरण का महाकाव्य कहा है- "कामायनी भारतीय पुनर्जागरण का महाकाव्य है। इसमें भारत की अतीत साधना के नवगीत, शैवागम-दर्शन के आनन्द चौतन्य का अमृत नहीं, आधुनिक युग के मनोविज्ञान, विकासवाद तथा भौतिक-राजनीतिक, संघर्ष की अनुगुंजें भी मिलती हैं। यह महाकाव्य कवि-दृष्टि के अंतर्मुखी आरोहरण का सोपान है।"²⁸ दूसरी ओर कुछ ऐसे भी समीक्षक हैं, जो 'कामायनी' के वैशिष्ट्य को स्वीकार करते हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से इसके महाकाव्य का उल्लेख नहीं करते हैं।

आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की मान्यता है- "कामायनी' प्रसाद जी का सबसे बड़ा काव्य है। सस्ती भावुकता से जर्जर वर्तमान हिन्दी काव्य-जगत 'कामायनी' को पाकर शान्ति और संतोष की सांस लेगा।"²⁹

डॉ० विजयेन्द्र स्नातक के शब्दों में- "कामायनी' आधुनिक हिन्दी-साहित्य की एक अप्रतिम रचना है। पुरातन कथावस्तु के क्षीण तन्तुओं से महाकवि प्रसाद ने मानव-विकास की चिरन्तम गाथा ही इसके द्वारा प्रस्तुत की है।"³⁰

गजानन माधव 'मुक्तिबोध' का कहना है- "कामायनी' उस अर्थ में कथा-काव्य नहीं है, जिस अर्थ में 'साकेत' है। 'कामायनी' की कथा केवल एक फ़ैण्टेसी है।"²¹

आचार्य जगदीश पाण्डेय इसे उदात्त की दृष्टि से देखते हुए मानते हैं- "प्रयोजन की दृष्टि से यह शीलोदात्त का आकांक्षी है और शिल्पन की दृष्टि से अपोदात्त का अपराधी। लेकिन, शीर्षक के मूल में प्रबन्ध-रचना की रामायण-वासना प्रत्यक्ष है।"²²

डॉ० रामस्वरूप चतुर्वेदी का मन्तव्य है कि "कामायनी' को महाकाव्य कहकर हम इस कृति के विशिष्ट और समग्र विधान की प्रायः उपेक्षा करते हैं। हिन्दी-समीक्षा में यह चलन है, लगभग अंधविश्वास के स्तर पर कि बिना किसी रचना को महाकाव्य कहे, हम उसे श्रेष्ठ और महत्वपूर्ण घोषित नहीं कर सकते।"²³

डॉ० रमेश कुन्तल मेघ की धारणा नवीन व्याख्या प्रस्तुत करने की है- "प्रसाद ने लिरिकल विषयवस्तु को क्लासिक ढाँचे में बाँधने के प्रयत्न किये हैं किन्तु हमने देख ही लिया है कि उन्हें माध्यम को भी मोम की तरह तदनुकूल ढालना पड़ा है। अतः महाकाव्य के नियम और बन्धन छिन्न-भिन्न हो गए हैं।"²⁴

डॉ० वीर सिंह भी अपनी गवेषणात्मक धारणा व्यक्त करते हुए कहते हैं- "कामायनी' आधुनिक युग की प्रतिनिधि रचना है। अतः उसमें आधुनिक युग के विविध ज्ञान का भी उपयोग किया गया है।"²⁵

डॉ० अम्बादत्त पाण्डेय के अनुसार- "कामायनी' में मानव-जीवन के विकास की कहानी को वैज्ञानिक आधार दिया गया है।"²⁶

तीसरी ओर कुछ ऐसे भी समीक्षक हैं, जो 'कामायनी' को एक असफल कृति मानते हैं। ऐसे समीक्षकों में तीन नाम विशेष उल्लेखनीय हैं- श्री रामधारी सिंह 'दिनकर', डॉ० इन्द्रनाथ मदान और डॉ० राम स्वरूप चतुर्वेदी। 'दिनकर' का 'कामायनी' से सम्बन्धित एक समीक्षात्मक निबन्ध है- 'कामायनी दोषरहित-दूषण सहित'। यह सही है कि इन्होंने 'कामायनी' को छायावाद का सम्पूर्ण उदाहरण माना है लेकिन इसके महाकाव्यत्व पर कुछ नहीं विचार किया। इसके गुणों का उल्लेख करते हुए भी 'दिनकर' ने 'कामायनी' के असंख्य दोषों की ओर संकेत किया है- "मेरा ख्याल है, 'कामायनी' के दोष उंगलियों पर क्या, उंगलियों की पोरों पर भी नहीं गिने जा सकते। अगर उंगलियों पर गिनना हो, तो प्रत्येक उंगली की प्रत्येक पोर को अनेक बार छूना पड़ेगा।"²⁷ और यह भी- "खड़ी बोली का जितना असमर्थ रूप प्रकट हुआ है, उतना असमर्थ रूप किसी और काव्य में नहीं मिलता। 'कामायनी' में ऐसे अंश कम हैं, जिन्हें पढ़ते हुए मन पर अप्रियता के धक्के न लगते हो, अभिव्यक्ति की असमर्थता और शब्दों के कुप्रयोग से पाठक का मन खीझता हो।"²⁸ डॉ० इन्द्रनाथ मदान ने अपने एक समीक्षात्मक निबन्ध में कुछ अन्य समीक्षकों की कामायनी-सम्बन्धी समीक्षाओं में से उन संदर्भों को लेकर अपने कथन ('कामायनी एक असफल कृति') की पुष्टि की है, जिन संदर्भों में 'कामायनी' की दुर्बलताओं का उल्लेख है। सर्वप्रथम डॉ० मदान ने मुक्तिबोध के प्रसिद्ध आलोचनात्मक ग्रंथ ('कामायनी: एक पुनर्विचार') में उद्धरण लिया है- "कवि के चिन्तन ने न केवल 'कामायनी' के कथा-विकास को बिगाड़ा है, चरित्र-विकास में भी दोष पैदा कर दिया है। इतना ही नहीं, 'कामायनी' की भीतरी रचना को बिगाड़ा है।"²⁹

इसी तरह डॉ० मदान ने डॉ० नामवर सिंह के कामायनी-संबन्धी अनेक उद्धरणों को लेकर 'कामायनी' को असफल कृति सिद्ध करना चाहा है। डॉ० नामवर सिंह का उद्धरण डॉ० मदान ने लिया है- "नारी तुम केवल श्रद्धा हो" का नारा लगाने वाले जो इसे 'कामायनी' का संदेश भी बतलाता है, नारी की दासता चाहने वाले हैं।"³⁰ फिर वे डॉ० रमेश कुन्तल मेघ की प्रसिद्ध रचना 'मिथक और स्वप्न' के उद्धरण को लेकर अपने तर्क को समृद्ध करते हैं- "कवि ने मिथक से स्वप्न में लम्बी छलांग क्यों लगायी है?" 'कामायनी' ऐतिहासिक स्थिति लाँघ कर ऐतिहासिक स्थिति को भुलवा देती है। मिथकीय काल चिरन्तन या महाकाल हो गया है। वैदिक मनु, श्रद्धा और इड़ा को महाकाल की प्रक्रिया में आँकने से मिथक का जाल झुलस जाता है।"³¹

और अन्त में डॉ० मदान अपना निष्कर्ष देते हैं- "कामायनी' की असफलता इसके भीतर है न कि इसके बाहर इसके रचना-विधान में है, न कि इसके चिन्तन या इतिहास के सही गलत होने में।"³²

इसी तरह डॉ० राम स्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार "कामायनी' संश्लिष्ट काव्यविधा का काव्य है और उसे महाकाव्य के रूप में परीक्षित करना आवश्यक नहीं है।"³³

अस्तु, 'कामायनी' के महाकाव्य-सम्बन्धी उक्त सर्वेक्षण से सिद्ध हो गया कि परम्परागत महाकाव्य के लक्षणों के अभाव में भी 'कामायनी' नये युग का प्रतिनिधि नूतन महाकाव्य है।

संदर्भ:-

1. डॉ० दीनानाथ सिंह: छायावादोत्तर प्रबन्ध-शिल्प, पृ. 1
2. आधुनिक हिन्दी महाकाव्यों का शिल्प विधान, सरस्वती पुस्तक सदन, आगरा, पृ. 140
3. हिन्दी साहित्य का इतिहास, नागरी प्रचारिणी सभा, काशी, पृ. 694
4. आधुनिक साहित्य, भारतीय भण्डार, लीडर प्रेस, इलाहाबाद, पृ. 80
5. कामायनी के अध्ययन की समस्याएँ, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली, पृ. 10
6. कामायनी रचना संसार, भारती भण्डार, लीडर प्रेस, इलाहाबाद, पृ. 14
7. वही, पृ. 179
8. 'कामायनी में काव्य, संस्कृति और दर्शन', विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा, पृ. 136
9. कामायनी-सौन्दर्य, भारती भण्डार, लीडर प्रेस, इलाहाबाद, पृ. 179
10. कामायनी: संस्कृति-सौन्दर्य-श्रेयस का संगीत, भाषा साहित्य संस्थान, इलाहाबाद, पृ. 45
11. कामायनी-समीक्षा, अराधना प्रकाशन, वारणसी, पृ. 89
12. सं. डॉ० वचनदेव कुमार: कामायनी - एक सह-चिन्तन, पृ. 134
13. वही, पृ. 93
14. कामायनी-अनुशीलन, इंडियन प्रेस लिमिटेड, प्रयाग, पृ. 109
15. कामायनी में सौन्दर्य-विधान, मीनाक्षी प्रकाशन, अजमेर, पृ. 27
16. प्रसाद साहित्य कोश, पृ. 89
17. कामायनी: एक सह-चिन्तन में संकलित निराला का निबंध- 'कामायनी: एक युगान्तकारी महाकाव्य', पृ. 3
18. कामायनी: एक सह-चिन्तन में संकलित निबंध- 'कामायनी: एक पुनरावलोकन', पृ. 10
19. कामायनी: एक सह-चिन्तन में संकलित आचार्य द्विवेदी का निबंध- 'कामायनी: एक सर्वेक्षण', पृ. 64
20. कामायनी: एक सह-चिन्तन में संकलित डॉ० विजयेन्द्र स्नातक का निबंध- 'कामायनी: एक सर्वेक्षण', पृ. 76
21. कामायनी: एक पुनर्विचार, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. 8
22. उदात्त: सिद्धान्त और विनियोग, पृ. 163
23. कामायनी का पुनर्मूल्यांकन, लोक भारती प्रकाशन, इलाहाबाद, पृ. 19
24. मिथक और स्वप्न: कामायनी की मनसौन्दर्य सामाजिक भूमिका, ग्रथम, रामबाग, कानपुर, पृ. 162
25. कामायनी की कथा: गवेषणात्मक अनुशीलन, आशा प्रकाशन गृह, नई दिल्ली, पृ. 410
26. छायावादी काव्य में लोक-मंगल की भावना, प्रेम प्रकाशन मन्दिर, दिल्ली, पृ. 192
27. पंत, प्रसाद और मैथिलीशरण, पृ. 77
28. वही, पृ. 77
29. कामायनी: एक पुनर्विचार, पृ. 181
30. इतिहास और आलोचना, पृ. 155
31. मिथक स्वप्न, पृ. 213
32. सं. डॉ० इन्द्रनाथ मदान: कामायनी: मूल्यांकन और मूल्यांकन, पृ. 196
33. कामायनी का पुनर्मूल्यांकन, पृ. 19

मौर्यकाल में प्रशासनिक एवं सामाजिक शासन व्यवस्था

मानशी

नेट/जे० आर० एफ० (इतिहास) महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक (हरियाणा)

परिचय

मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण अध्याय था, जिसे चन्द्रगुप्त मौर्य ने एक विशाल एवं शक्तिशाली राज्य की स्थापना की। मौर्य शासको ने 'देवनानामपिय्य' नामक उपाधि धारण की। धर्मशास्त्र के अनुसार राजा केवल धर्म का रक्षक होता था, प्रतिपादक नहीं। अर्थशास्त्र में राजत्व की नई अवधारणा दी गई है। अर्थशास्त्र के अनुसार राजपद व्यक्ति चरित्र और मानवीय व्यवहार से ऊपर होता है। अर्थशास्त्र में पहली बार चक्रवर्ती शब्द का प्रयोग हुआ है। राज्य की सप्तांग विचारधारा भी लोकप्रिय होने लगी अर्थात् राज्य के सात अंग हैं राजा, मन्त्री, मित्र, कर या कोप, रूप में शत्रु को भी जोड़ा गया है। कौटिल्य के अनुसार इनमें सबसे महत्वपूर्ण राजा है। दूसरी तरफ आचार्य भारद्वाज मन्त्री को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। आचार्य विशालाक्ष देश या भूमि को अधिक महत्वपूर्ण पर पराशर दुर्ग या कोप (कर) को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं।¹ मौर्यकालीन सम्राज्य अत्यधिक विशाल था। स्वयं कौटिल्य ने कहाँ है-

प्रजासुख राज्ञः प्रजानां च हिते हितम्।

नात्यप्रियं हितं राज्ञः प्रजानां तु प्रियं हितम्।²

प्रमुख शब्दावली- शक्तिशाली, उपाधि, राजत्व, चक्रवर्ती, शत्रु, दुर्ग, सुदृढ़।

मौर्यकालीन शासन व्यवस्था

कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मैगस्थनीज की इण्डिका, यूनानियों के विवरण, अशोक के शिलालेख, जैन व बौद्ध ग्रन्थ, दण्डी का दशकुमारचरित व रूद्रदामन का जुनागढ़ अभिलेख आदि से मौर्यों के शासन प्रणाली के बारे में पता चलता है।³ मौर्यकालीन शासन व्यवस्था को निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है-

केंद्रीय प्रशासन

राजा

राजा राज्य का सर्वोच्च अधिकारी था। नीति संबंधी प्रत्येक समस्या को खुद तय करता था तथा महत्वपूर्ण निर्णय भी स्वयं लेता था। अर्थशास्त्र इस बात की साफ तौर पर पुष्टि करता है कि यदि किसी समस्या के सुलझाने में नीतिशास्त्र और राजा के कानून में मतभेद होता था तो राजा का कानून ही मान्य होता था।⁴ चाणक्य के अनुसार राज्य के सात अंगों में केवल दो की प्रधानता है राजा और देश की प्रचीन परम्परा के अनुसार राज्य के सात अंग माने जाते थे राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोप, दण्ड, मित्र पुराने युग में जब छोटे-छोटे जनपद होते थे। और इनमें एक ही जन्म का निवास होता था, तो राजा की उनमें विशेष महत्ता नहीं होती थी। इसलिए आचार्य भारद्वाज की दृष्टि में राजा की अपेक्षा अमात्य की अधिक महत्ता थी। अन्य आचार्यों की दृष्टि में अमात्य की अपेक्षा भी जनपद, दुर्ग या कोश आदि का अधिक महत्व था। प्राचीनकाल के ऐसे जनपदों में जिनमें एक ही 'जन' का निवास था राजा की अपेक्षा अन्य अंगों या तत्वों की प्रमुखता सर्वथा स्वभाविक थी। उसी ने कोश, सेना,

दुर्ग आदि का संगठन कर अपनी शक्ति का विस्तार किया था। कौटिल्य के शब्दों में 'मंत्री' पुरोहित आदि भृत्य वर्ग की और राज्य के विविध अध्यक्षों व अमात्यों की नियुक्ति राजा ही करता है।⁵

जब सम्राज्य में राजा का इतना अधिक महत्व हो, तो राजा को भी एक आदर्श व्यक्ति होना चाहिए। कोई साधारण पुरुष राज्य में कुटस्थानीय नहीं हो सकता। चाणक्य के अनुसार राजा में निम्नलिखित गुण आवश्यक हैं "वह ऊँचे कुल का हो, उसमें दैवी बुद्धि और दैवी शक्ति हो, वह वृद्ध जनो की बात को सुनने वाला हो, धार्मिक हो, सत्य भाषण करने वाला हो, परस्पर विरोधी बातें न करें, कृतज्ञ हो, उसका लक्ष्य बहुत ऊँचा हो, सामंत राजाओं को वह अपने वश में रखने में समर्थ हो, उसकी बुद्धि दृढ़ हो, उसकी परिषद छोटी न हो और वह विनय (नियन्त्रण) का पालन करने वाला हो।" इनके अतिरिक्त और भी बहुत से गुणों का चाणक्य ने विस्तार से वर्णन किया है, जो राजा में अवश्य होने चाहिए।⁶ अर्थशास्त्र के अनुसार राजा की केंद्रीय भूमिका है क्योंकि राज्य ही-

1. मंत्रियों की नियुक्ति का निष्कासन करता है
2. जनता और कोष की रक्षा करता है
3. जनता के कल्याण के लिए काम करता है
4. दुराचरियों को दंडित करता है
5. अपने चरित्र से जनता को प्रभावित करता है
6. राजा प्रजा के पिता तुल्य है।⁷

धोली के लेख में अशोक कहता है- 'प्रत्येक व्यक्ति मेरी संतान है और जो कामना मैं अपनी संतान के लिए करता हूँ कि उसे इस संसार में दुसरे में भी सुख और शांति मिले, वही कामना मैं प्रत्येक व्यक्ति के लिए करता हूँ।'⁸

मन्त्रिपरिषद

चाणक्य ने राजवृत्ति के तीन प्रकार बताये हैं प्रत्यक्ष, परोक्ष और अनुमेय। जो अपने सामने हो वह प्रत्यक्ष है, जो दुसरे बताए वह परोक्ष और किए हुए कर्म से बिना किए का अंदाज करना अनुमेय कहलाता है। अर्थशास्त्र के अनुसार 'राज्य का कार्य बिना किसी की सहायता के नहीं चल सकता है। इसके अनुसार रथ केवल एक पहिए से नहीं चलता। इसलिए राजा को मंत्रियों की नियुक्ति करनी चाहिए' और उनकी सलाह के अनुसार कार्य करना चाहिए।

चौथे शिलालेख के अनुसार राजा की अनुपस्थिति में मंत्री उसकी नीतियों पर विचार कर सकते हैं उसमें संसोधन करने की सलाह दे सकते हैं तथा जो भी महत्वपूर्ण समस्या राजा ने उनको सौंपी है उस पर निर्णय ले सकते हैं, पर परिषद को अपने विचारों से राजा को तुरंत अवगत कराना होगा। कौटिल्य के अनुसार मन्त्रिपरिषद में बहुमत के आधार पर परियोजनाओं का निर्णय होना चाहिए। यदि राजा समझता है कि बहुमत का फैसला लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उचित नहीं है तो उसे स्वयं निर्णय लेना चाहिए। वह स्पष्टतः रूप से कहता है 'मंत्रियों को यह भलि भाँति देखना चाहिए कि राजा के आदेश का पालन हो। मन्त्रिपरिषद का अस्तित्व मौर्य सविधान का एक प्रमुख तत्व था। पंतजलि चंद्रगुप्त की सभा का उल्लेख करता है। पिलनी के अनुसार धनी वर्ग के राजा के साथ परिषद में बैठते थे।

1. मन्त्रिपरिषद की बैठक जिस भवन में होती थी उसे 'मंत्र' 'भूमि' कहते हैं। मन्त्रिपरिषद की कार्यवाही गुप्त रखी जाती थी।
2. मन्त्रिपरिषद के सदस्यों को 12,000 पण वेतन दिया जाता था।
3. डॉ०आर०सी० मजूमदार ने मौर्यकालीन मन्त्रिपरिषद की तुलना इंग्लैंड की प्रिवी कौंसिल से की है।
4. बड़ी मन्त्रिपरिषद के अतिरिक्त एक छोटी सी उपसमिति भी होती थी, जिसमें तीन
5. या चार खास मंत्री होते थे। और इसे मन्त्रिण कहाँ जाता था। जरूरी मामलों पर इसकी सलाह ली जाती थी। अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्यों में 'मन्त्रिण' और 'मन्त्रिपरिषद' की सम्मिलित बैठक होती थी और उसमें जो बहुमत होता था या जिसे राजा कार्यसिद्धिकार मानता था, वही किया जाता था।

‘मंत्रिपरिषद्’ के सदस्य अमात्य कहलाते थे। अमात्य की नियुक्ति ‘नस्सृष्टार्थ’ साधिकार मंत्री, लेखक, पत्राचारमंत्री तथा अध्यक्ष का निरीक्षक, के रूप में की जाती थी। अमात्य अपने विभाग का अध्यक्ष होता था। परिषद् की सलाह मानना न मानना राजा की इच्छा पर निर्भर था। मौर्यशासन में ‘मंत्रिपरिषद्’ की सत्ता थी। अशोक के शिलालेख में जिसे परिषद् कहा गया है, वही अर्थशास्त्र में मंत्री परिषद् के मंत्रियों की नियुक्ति राजा अपनी इच्छा से करता था। मंत्री विश्वस्त, ईमानदार, बुद्धिमान और कर्तव्यपरायण होते थे। शासन के विभिन्न विभाग अन्य उच्चपदस्थ कर्मचारियों के निरीक्षण में काम करते थे। ‘मंत्रिपरिषद्’ के सदस्यों का वेतन 12,000 पण था।

मंत्री और पुरोहित

ये दोनों अलग-अलग पद थे पर संभावतः चन्द्रगुप्त मौर्य के समय में आचार्य चाणक्य मंत्री और पुरोहित दोनों पदों पर विद्यमान थे। बाद में राधागुप्त जैसे प्रतापी अमात्य भी सम्भवतः मंत्री और पुरोहित दोनों पदों पर रहे। कौटिल्य अर्थशास्त्र में इन दोनों पदों का उल्लेख प्रायः साथ-साथ आया है। राजा इन्हीं के साथ मिलकर अन्य राज कर्मचारियों की सोचा-सोच की परीक्षा लेता था। प्रजा की सम्मति जानने के लिए गुप्तचर को नियत करता था। विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति और राष्ट्र नीति का संचालन करता था। मौर्य साम्राज्य के शासन में पुरोहित का इतना अधिक महत्व था कि चाणक्य के अनुसार राजा को पुरोहित का उसी ढंग से अनुसरण करना चाहिए जैसे शिष्य-गुरु का पुत्र पिता का या भारतीय स्वामी का करता है। पुरोहित द्वारा बढ़ाया हुआ और मंत्री के परामर्श से पुष्ट हुआ क्षत्र (राजा) स्वयं अप्राजित रहकर दूसरों को विजय करने में समर्थ होता है।

शासन के प्रमुख पदाधिकारी

शासन को सुचारू रूप से चलने के लिए विषयों के अनुसार विभागों में बांट दिया गया था जिन्हें ‘तीर्थ’ कहा जाता था। प्रत्येक विभाग के संचालन के लिए एक सर्वोच्च अधिकारी होता था जिसे अमात्य कहा जाता था। प्रत्येक विभाग के अपने अन्य उपविभाग होते थे। इनके अधिकारी को अध्यक्ष कहा जाता था। अर्थशास्त्र में जिन अमात्यों का वर्णन किया वह निम्नवत है-

मंत्री पुरोहित	प्रधानमंत्री तथा प्रमुख धर्माधिकारी होते थे।
समाहर्ता	राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी
सन्निधाता	राजकीय कोषादीकरण का प्रमुख अधिकारी
सेनापति	युद्ध विभाग का मंत्री
युवराज	राजा का उत्तराधिकारी
प्रदेश	फौजदारी न्यायलय का न्यायधीश
व्यवहारिक	दीवानी न्यायलय का न्यायधीश
नायक	सेना का संचालक
कर्मान्तिक	देश के उद्योग धंधों का प्रधान निरीक्षक
मंत्री परिषदाध्यक्ष	मंत्री परिषद् का अध्यक्ष
दण्डपाल	सेना के लिए सामग्री जुटाने वाला
अन्तपाल	सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक

विभिन्न अध्यक्ष कौटिल्य ने विभिन्न विभागों के अध्यक्षों की नियुक्ति का निर्देश किया है। जो मुख्य रूप से निम्न है-

आकराध्यक्ष	खानों से संबंधित कार्यों का अध्यक्ष
सौवर्णिक	टकसाल के अध्यक्ष को सौवर्णिक कहते हैं
कोषागाराध्यक्ष	विविध वस्तुओं के गोदाम का अध्यक्ष
मुद्राध्यक्ष	मुद्रा विभाग का अध्यक्ष
विविताध्यक्ष	चरागाहों का अध्यक्ष
गो- अध्यक्ष	राजकीय मवेशियों का प्रबंध एवं नियंत्रण इन्हीं अधिकारियों के अंतर्गत था
नौ- अध्यक्ष	जलमार्गों का प्रबंध उनके अधीन था
गणिकाध्यक्ष	वैश्यालयों का नियंत्रण रखने वाला
पण्याध्यक्ष	ये व्यापार पर नियंत्रण रखते थे
लक्षणाध्यक्ष	संपूर्ण मुद्रा पद्धति उनके अधीन थी

प्रांतीय शासन

अत्यधिक विशाल साम्राज्य होने के कारण संपूर्ण साम्राज्य पर केंद्र (पाटलिपुत्र) से शासन करना संभव न था। अतः शासन सुविधा की दृष्टि से मौर्य शासको ने संपूर्ण मौर्य साम्राज्य को पांच प्रति भागों में विभक्त कर दिया था। इन प्रति को चक्र कहा जाता था। इन प्रति की संख्या अलग-अलग शासको के काल में अलग थी, किंतु अशोक के शासनकाल में पांच प्रांत अस्तित्व में थे। ये प्रांत थे-

प्रांत	राजधानी
उत्तरपथ	तक्षशिला
अवन्ति	उज्जयिनी
दक्षिणापथ	सुवर्णागिरी
कालिंग	तोसाली
मध्यदेश	पाटलिपुत्र

साधारणतः इन प्रान्तों के शासक राजवंशीय व्यक्ति थे। जिन्हें कुमार कहा जाता था। कुमार महतो की सहायता से शासन करते थे इन प्रान्तों पर सम्राट का पूर्ण अधिकार था। परंतु योग्य व्यक्ति को भी राज्यपाल बनाया था। अर्थशास्त्र के अनुसार राज्यपाल को 12000 पण वार्षिक वेतन मिलता था। चन्द्रगुप्त ने पुष्यगुप्त वैश्य को काठियावाड़ का राज्यपाल बनाया था।

मंडल जिला तथा नगर प्रशासन

प्रान्त जिलों में विभक्त थे जिन्हें 'आहार या विषय' कहते थे और जो सम्भवतः विषयपति के अधीन था जिले का शासक स्थानिक होता था और स्थानिक के अधीन गोप होते थे जो पूरे 10 गांवों के ऊपर शासन करते थे। स्थानिक समाहर्ता के अधीन भी था समाहर्ता के अधीन एक और अधिकारी शासन कार्य चलता था। जिसे 'प्रदेष्ट्री' कहा गया है। नगरों के प्रशासन के लिए

‘नागरिक’ नामक अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी।

मैगस्थनीज ने नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण दिया है जिसमें पता चलता है कि पाटलिपुत्र नगर का प्रबंध करने के लिए 6 समितियों का एक बोर्ड होता था मौर्यकालीन नगरों की व्यवस्था आधुनिक नगरों की भांति थी नगर प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए विभिन्न नियम थे जिनका पालन करना जनता के लिए अनिवार्य था। मैगस्थनीज ने नगर व्यवस्था हेतु पांच-पांच सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया है, जो निम्नवत थी-

शिल्पकला समिति	उद्योग शिल्पो का निरीक्षण करता था
वैदेशक समिति	विदेशियों की देखरेख करती थी
जनसंख्या समिति	जन्म मरण का हिसाब रखती थी
वाणिज्य समिति	वाणिज्य व्यापार की देखरेख करती थी
उद्योग समिति	निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करना
कर समिति	बिक्री कर वसूल करना

ग्राम प्रशासन

ग्राम प्रशासन सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम का आधिकारिक ग्रामीण कहलाता था इसका निर्वाचन ग्राम की जनता द्वारा किया जाता था। आर्थिक कार्य तथा राज्य के आदर्शों को लागू करने के लिए कर्मचारी होते थे। इन कर्मचारियों को राजा द्वारा वेतन दिया जाता था। ग्राम के आपसी झगड़ों का निपटारा ग्राम सभा द्वारा किया जाता था। इस प्रकार गांव में प्रजातंत्र में सुशासन प्रणाली दोनों ही अस्तित्व में थी। आठ या दस गांव का प्रशासनिक प्रबंध करने के लिए ‘गोप’ नामक अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी। इन ग्राम संघ के सदस्यों को ‘ग्रामवृद्ध’ कहा जाता था। ग्रामवृद्धों द्वारा ही ग्राम संघ का निर्माण होता है। चन्द्रगुप्त मौर्यकालीन ग्राम शासन के विषय में सोहगौरा ‘गौरखपुर’ तथा माहास्थान (बांग्लादेश) के बोगास जिले में स्थित लिखो में कुछ सूचनाएं प्राप्त हैं। इनमें जनता के लिए कोष्ठाकारों का उल्लेख मिलता है।

व्यवसायी संगठन

उस समय व्यवसायी और शिल्पी श्रेणियां में संगठित थे। श्रेणियां अपने लिए नियम स्वयं बनती थी और अपने संग में सम्मिलित शिल्पियों के जीवन और कार्य पर नियंत्रण रखती थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी इसका उल्लेख है श्रेणियों के नियम व्यवहार चरित्र आदि भी राजा की ओर से स्वीकृत किए जाते थे। ऐसा लगता है कि सम्राट निरकुंशता का उन पर विशेष असर नहीं होता था।

न्याय प्रशासन

मौर्यों की एकतन्त्रात्मक शासन में सम्राट सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। वह सभी प्रकार के मामलों की सुनवाई की अंतिम अदालत था। इसके अतिरिक्त संपूर्ण साम्राज्य में अनेक अदालत होती थी। न्यायलय दो प्रकार के होते थे। धर्मस्थीय, कंटक शोधक, हम इन्हें दीवानी व फौजदारी न्यायलय भी कह सकते थे। धर्मस्थीय न्यायालयों के न्यायाधीश धर्मस्थ या व्यवहारिक कहलाते थे और कंटक शोधक के प्रदेश था धर्मस्थीय न्यायलय में व्यक्तियों के आपस के मुकदमे पेश होते थे। इसके विपरीत कंटक शोधक न्यायालय में भी मुकदमें उपस्थित किए जाते थे, जिनका संबंध राज्य से होता था। कंटक शोधन का अभिप्राय ही यही है कि राज्य के कंटको (कांटों को दूर करना) इन दोनों में तीन-तीन न्यायाधीश बैठकर कार्य करते थे। विदेशियों की अलग-अलग अदालतें संगठित थीं। दंड विधान बहुत कठोर थे। सामान्य अपराधों के लिए आर्थिक जुर्माना लगाया जाता था।

अर्थशास्त्र में तीन प्रकार के अर्थदण्डों का प्रयोग किया है-

पूर्व साहस दण्ड	यह 48 से लेकर 96 पण तक होता था
मध्यम साहस दण्ड	यह 200 से लेकर 500 पण तक होता था
उत्तम साहस दण्ड	यह 500 से लेकर 1000 पण तक होता था

इसके अतिरिक्त कैद, कौड़े मारना, अंग भंग तथा मृत्युदंड की सजा दी जाती थी। ब्राह्मण विद्रोहियों को जल में डूबाकर मृत्युदंड दिया जाता था।

प्रत्यक्ष कर

मापतौल के परिणामों पर कर लिया जाता था। जुआ खेलने की अनुमति लेने पर कर देना पड़ता था। आजीविका चलाने वाली वेश्याओं से भी कर लिया जाता था। हर तरह के शिल्पियों से भी कर लिया जाता था। यह सभी प्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आते हैं।

आपातकालीन कर

आपातकाल में अनेक प्रकार के कर लगाए जाते थे-

1. सुखा या अपात की स्थिति में
2. जिर्णोद्धार की स्थिति में
3. अधिक धन व्यय (सेनाखर्च इत्यादि) की स्थिति में

वर्तनी- सीमा पार करने पर लिया जाने वाला कर

गुल्मदये- सैनिकों की फीस

तरदेय- पूल कों पर करने पर लिया जाने वाला कार

सेवा भक्त- युद्ध के दौरान सेना जिस मार्ग से गुजरती थी उस गांव के लोग सेना को अनिवार्य रसद प्रदान करते थे।

सैन्य प्रशासन

यह प्रशासन कौटिल्य सेना के तीन भागों का उल्लेख करता है पुश्तैनी सेना, किराए की सेना, और नगर पालिका से संबंधित सेना। प्लिनी ने मौर्य सैनिकों की संख्या 6 लाख मैगस्थनीज ने चार लाख तथा प्लुटार्क ने दो लाख बतलाया है मैगस्थनीज पांच-पाँच सदस्यों वाली 6 समिति का उल्लेख करता है जिसके माध्यम से सैन्य प्रशासन को विनियमित किया जाता था। यह समितियां पैदल घुड़सवार हाथी रथ जो तथा रसद विभाग से संबंधित थी। कौटिल्य नवाध्यक्ष का उल्लेख करता है जो नौसेना विभाग का अधिकारी था। और इस युद्ध के संबंध समस्याओं पर विचार करना था। सिकंदर के अभियान के क्रम में सर्वप्रथम जहाज का प्रयोग किया गया। आर्यन उत्तर पश्चिम में जथ्रोई जाति के पास जहाज का उल्लेख करता है। स्ट्रेबो के अनुसार पोत-निर्माण पर राज्य का अधिकार था 'अर्थशास्त्र' में माल और भारत बल के अतिरिक्त 'श्रेणीबल' 'अटविबल' और मित्र बल का भी उल्लेख है सेनाध्यक्ष के अतिरिक्त हस्त्यध्यक्ष, अश्वध्यक्ष और अशोक कालीन 'ब्रजभूमिक' आदि प्रमुख अफसर होते थे। मौर्य काल में सैनिक दृष्टिकोण से दुर्ग का भी बड़ा महत्व था। इस समय पांच प्रकार के दुर्गों का उल्लेख मिलता है स्थल दुर्ग, जल दुर्ग, नव दुर्ग, गिरी दुर्ग, और मरू दुर्ग इन दुर्गों की रक्षा की उचित व्यवस्था थी।

गुप्तचर व्यवस्था

मौर्य शासन व्यवस्था में गुप्तचर प्रत्येक बात की सूचना राजा को देते थे। गुप्तचर से संबंधित विभाग एक विशेष अमात्य के अंतर्गत था। जिसे महामात्यापसर्प कहा जाता था एरियन ने ओवरसियर और स्ट्रेबो ने इंस्पेक्टर नाम से संबोधित किया है गुप्तचर अपने कार्य में सफल होने के लिए स्त्री और वेश्याओं का भी उपयोग करते थे। कौटिल्य भी इस बात की पुष्टि करता है। इन पशुओं पर सबसे अधिक विश्वास तो और कार्य कुशल लोग ही नियुक्त होते थे। एरियन के गुप्तचर स्ट्रेबो के इंस्पेक्टर

जूनागढ़ शीला से शिलालेख के राष्ट्रीय और अर्थशास्त्र के प्रदेष्टा या गूडपुरुष गुप्तचर के ही पर्याय हैं नगर के गुप्त चरणों को स्त्रियों ने सीट इंस्पेक्टर कहा है गुप्तचरे द्वारा विदेशियों पर कड़ी निगरानी रखी जाती थी।

निष्कर्ष

मौर्यों के विकाश से पूर्व भारत उनके छोटे बड़े जनपदों में विभक्त था। जिनमें अनेक शासन पद्धतियाँ विद्यमान थी। मौर्यों के उत्थान के बाद अनेक मौर्यों शासकों यथा चन्द्रगुप्त मौर्य, बिन्दुसार, अशोक आदि ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। यह शासन व्यवस्था मौर्यों के अन्तःकाल तक चलती रही, सर्वप्रथम मौर्य वंश में चन्द्रगुप्त मौर्य ने सुदृढ शासन व्यवस्था स्थापित की। इस शासन व्यवस्था के बाद में अशोक ने परिवर्तन किए। मौर्य प्रशासन सुशासन के आदर्शों से प्रेरित था। प्रजाहित जिसका मुख्य केन्द्र बिन्दु था।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. सेंगर शैलेन्द्र: प्रचीन भारत का इतिहास एटलांटिक पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, 2005 नई दिल्ली
2. कौर ए०वी०: मगध साम्राज्य का इतिहास (छठी शताब्दी ईसा पूर्व से मौर्यकाल तक) यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2013
3. गैरोला वाचस्पति: 'कौटिल्य का अर्थशास्त्र' चौखम्भा विद्याभवन, वाराणसी, 1962
4. सत्यकेतु विद्यालंकार: मौर्य साम्राज्य का इतिहास श्री सरस्वती सदन, नई दिल्ली, 2010
5. अशोक का धोली लेख
6. जैन कैलास चन्द: प्राचीन भारत का आर्थिक इतिहास, युनिवर्सिटी पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2011
7. कृष्ण कुमार: प्राचीन भारत की प्रशासनिक एवं राजनीतिक संस्थायें, श्री सरस्वती सदन, नई दिल्ली, 1918, दुसरा संस्करण 2010
8. विद्यालंकार सत्यकेतु: प्राचीन भारत की शासन पद्धति और राजशास्त्र, श्री सदन, नई दिल्ली, नौवीं बार छपी 2011

फुटनोट

- 1 सेंगर शैलेन्द्र: प्रचीन भारत का इतिहास एटलांटिक पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, 2005, नई दिल्ली
- 2 गैरोला वाचस्पति: 'कौटिल्य का अर्थशास्त्र' चौखम्भा विद्याभवन, वाराणसी, 1962
- 3 कौर ए०वी०: मगध साम्राज्य का इतिहास (छठी शताब्दी ईसा पूर्व से मौर्यकाल तक) यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2013
- 4 विद्यालंकार सत्यकेतु: मौर्य साम्राज्य का इतिहास श्री सरस्वती सदन, नई दिल्ली, 2010
- 5 अशोक का धोली लेख
- 6 जैन कैलास चन्द: प्राचीन भारत का आर्थिक इतिहास, युनिवर्सिटी पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2011
- 7 कृष्ण कुमार: प्राचीन भारत की प्रशासनिक एवं राजनीतिक संस्थायें, श्री सरस्वती सदन, नई दिल्ली, 1918, दुसरा 2010
- 8 विद्यालंकार सत्यकेतु: प्राचीन भारत की शासन पद्धति और राजशास्त्र, श्री सदन, नई दिल्ली, नौवीं बार छपी 2011 2011

भारत में कामकाजी महिलाओं के कार्यक्षेत्र में आने वाली समस्याएं व समाधान: एक अध्ययन

मोनिका

शोधार्थी, राजनीति एवं लोक प्रशासन विभाग, बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय, रोहतक (हरियाणा)

डॉ० बबीता

सहायक प्रोफेसर, राजनीति एवं लोक प्रशासन विभाग, बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय, रोहतक (हरियाणा)

सारांश

देश व समाज में महिलाओं की विशेष भूमिका होती हैं। परन्तु महिलाओं की भूमिका के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण संकीर्ण विचारधारा से ग्रसित है। महिलाओं की भूमिका के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण संकीर्ण विचारधारा से ग्रसित है। यह मानसिकता जो महिलाओं को कुछ नौकरियों के लिए योग्य मानती है और कुछ के लिए नहीं। यह सोच कर्मचारियों की भर्ती करने वालों की संकीर्ण मानसिकता को दर्शाता है। इस प्रकार नर्सों, डॉक्टरों, शिक्षकों, देखभाल और पोषण क्षेत्रों, सचिवों जैसी नौकरियों को लिए महिलाओं को योग्य समझा जाता है। लेकिन भले ही महिला कितनी भी योग्य इंजीनियर या प्रबंधक या भूवैज्ञानिक हो ऐसी नौकरियों के लिए समान योग्यता वाले पुरुषों को ही वरीयता दी जाएगी। यह लैंगिक पूर्वाग्रह भर्ती चरण में बहुत अधिक बाधा उत्पन्न करता है। जब पारिश्रमिक की बात आती है तो कानून समानता की घोषणा करता है लेकिन इसे शायद ही कभी व्यवहार में लाया जाता है। पुरुषों की यह धारणा कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में काम करने में कम सक्षम हैं या पुरुषों की तुलना में कम कुशल हैं, समान नौकरी के लिए असमान वेतन और मजदूरी के नियम को नियंत्रित करती हैं। इस लेख में शोधार्थी ने भारतीय कामकाजी महिलाओं की वास्तविक स्थिति को समझाने की कोशिश की है। यह शोध पत्र कामकाजी महिलाओं द्वारा झेली जाने वाली समस्याओं को अनवेधित कर उसके निदान के लिए उचित समाधान ढूंढने का प्रयास करता है।

मुख्य शब्द: महिला समस्याएं, लैंगिक भेदभाव, यौन उत्पीड़न, रोजगार, कामकाजी महिलाएं।

भूमिका

प्राचीन काल से, महिलाओं द्वारा किए गए कार्य या उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के मूल्य को विशेष महत्व नहीं दिया गया है। भारत एक बहुआयामी समाज है जहां पूरे देश के विभिन्न क्षेत्रीय, धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक समूहों पर कोई सामान्यीकरण लागू नहीं हो सकता है। फिर भी, कुछ व्यापक परिस्थितियाँ जिनमें भारतीय महिलाएँ रहती हैं, अर्थव्यवस्था में उनके भाग लेने के तरीकों को प्रभावित करती हैं।

भारत में कामकाजी महिलाओं को दुनिया के अन्य हिस्सों में अपने समकक्षों की तुलना में बहुत अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। भारत में अधिकांश घरेलू कामों में पुरुषों का हाथ नहीं होता, महिलाओं को ही खाना बनाना, घर साफ करना, अपने बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना इत्यादि घरेलू कार्य करने पड़ते हैं। ऐसे में परिवार चलाने का सबसे ज्यादा बोझ महिलाओं के कंधों पर होता है। जब तक वे गृहिणी थीं, तब तक महिलाओं के लिए सभी कामों को संभालना ठीक था। अब परिवार के लिए कुछ आय प्राप्त करने की उनकी बढ़ती आवश्यकता के साथ, उन्हें और अधिक कठिन परिश्रम करना पड़ता है। उन्हें 9 से 5 की नौकरी करनी पड़ती है और साथ ही घर के सभी कामों को संभालना पड़ता है जो वे एक गृहिणी के रूप में संभालती हैं जबकि पुरुषों की भूमिका ज्यादा परिवर्तन नहीं आया है।

महिलाएं पहले की तुलना में कम सोने लगी हैं क्योंकि जल्दी उठने पर ही वे परिवार के लिए खाना बना सकती हैं, नौकरी के लिए खुद को तैयार कर सकती हैं, अपने बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कर सकती हैं, इस तरह महिलाओं को प्रतिदिन औसतन 2 घंटे की नींद गंवानी पड़ती है और प्रति सप्ताह 14 घंटे तक की नींद। यदि वे अत्यधिक दबाव वाले वातावरण में काम करते हैं, तो वे अपना काम घर ले आते हैं और इससे कुछ और घंटे की नींद कम हो जाती है। बात सिर्फ कम नींद की नहीं है, बल्कि इस तरह की जीवनशैली तनाव पैदा करती है। यह तनाव परिवार में शामिल हो जाता है और परिवार में निराशा का स्तर बढ़ जाता है।

कामकाजी महिलाओं की समस्या के कारण

भारतीय परिवारों पर आर्थिक मांग प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जीवन यापन की आसमान छूती लागत, बच्चों की शिक्षा पर बढ़ता खर्च, भारत में आवास संपत्तियों की बढ़ती लागत भारत में हर परिवार को घरेलू आय बढ़ाने के तरीकों और साधनों की तलाश करने के लिए मजबूर करती है। नतीजतन, भारत में महिलाएं जिन्हें ज्यादातर गृहिणी के रूप में जाना जाता था, उन्हें नौकरी के लिए जाने और यहां तक कि पुरुषों के लिए उपयुक्त करियर बनाने के लिए मजबूर किया जाता है, जैसे कि कॉल सेंटर में रात के समय काम करना।

उन्हें अपने कार्यस्थल पर उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, कभी-कभी यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनकी नौकरी किसी भी तरह से खघ्तरे में न पड़े, बहुत सी अनचाही बातों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। कई भारतीय परिवार अभी भी माता-पिता और ससुराल वालों के साथ संयुक्त परिवार के रूप में रह रहे हैं। इससे उनका तनाव और बढ़ जाता है क्योंकि उन्हें अपने पति के परिवार के सभी सदस्यों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाना होता है। उनकी शिकायतों को सुनें जो वे उसके विरुद्ध करते हैं और उनकी बातों को अनसुना कर देते हैं, इत्यादि। कुल मिलाकर, भारत में अधिकांश महिलाएं इस उम्मीद में जीती हैं कि आने वाले समय में उनकी स्थिति बेहतर हो जाएगी। बहुत सी महिलाओं ने उस उम्मीद को छोड़ दिया है और परिस्थिति को स्वीकार करना सीख लिया है और हालात से समझौता कर लिया है कि अब इसके बारे में कुछ भी नहीं किया जा सकता है। भारतीय महिलाएं अपना जीवन पूरी तरह से जी सकें, इसके लिए भारत को अभी लंबा रास्ता तय करना है।

भारत में महिला रोजगार

हालाँकि भारत में अधिकांश महिलाएँ किसी न किसी रूप में काम करती हैं और अर्थव्यवस्था में योगदान देती हैं, लेकिन उनके अधिकांश काम का आधिकारिक आंकड़ों में दस्तावेजीकरण या लेखा-जोखा नहीं किया जाता है। महिलाओं को नई तकनीकी से उत्पन्न हुई नौकरियों से लाभ नहीं हो सकता है। नई नौकरियाँ (जैसे, गेहूँ पीसने की मशीन ऑपरेटर) आमतौर पर पुरुषों के पास जाती हैं, और ऐसे उपकरण बनाने वाली फैक्ट्रियों में महिलाओं को नियुक्त करना भी दुर्लभ है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण डेटा इस प्रवृत्ति का उदाहरण है। 1970 के दशक से, ग्रामीण क्षेत्रों में कुल रोजगार के अनुपात में कुल महिला स्वरोजगार और नियमित रोजगार घट रहा है, जबकि आकस्मिक श्रम बढ़ रहा है।

हाल के वर्षों में भारत में कामकाजी महिलाओं की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। विडंबना यह है कि अपनी स्थिति में सुधार के बावजूद वे अब भी खुद को पुरुषों पर निर्भर पाती हैं। यह इस तथ्य के कारण है कि पितृसत्तात्मक समाज में मनुष्य ने हमेशा आर्थिक स्वतंत्रता और निर्णय लेने की शक्ति का इस्तेमाल किया है।

भारतीय महिलाओं की स्थिति में काफी बदलाव आया है। हालाँकि भारतीय महिलाएं कहीं अधिक स्वतंत्र हैं और अपने कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूक हैं काम का अधिकार, समान व्यवहार, संपत्ति और भरण-पोषण जैसे अधिकारों के बारे में अधिकांश महिलाएं इन अधिकारों से अनभिज्ञ रहती हैं।

शोध पद्धति

प्रस्तुत शोध पत्र के लिए द्वितीयक स्रोतों जैसे- पुस्तकों, समाचार पत्रों, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिका में प्रकाशित शोध पत्रों एवं विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं का प्रयोग किया गया है। शोध पत्र में विश्लेषणात्मक पद्धति का प्रयोग किया गया है।

शोध का उद्देश्य

इस शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य

- कामकाजी महिलाओं द्वारा कार्य क्षेत्र पर आने वाली समस्याओं का गहन रूप से अध्ययन करना है।
- सरकार द्वारा कामकाजी महिलाओं के लिए किए जाने प्रयासों का अवलोकन करना।

सहित्य अवलोकन

कमला कांता महापात्रा (2012) “वोमैन वर्कर्स इन इनफॉर्मल सैक्टर: अंडरस्टैंडिंग द औकुपेशनल वलनबिलिटी”: लेखक ने अपने इस शोध पत्र में बताया की असंगठित या अनौपचारिक कार्य क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। विकासशील दुनिया में 60 प्रतिशत या अधिक महिला श्रमिक अनौपचारिक रोजगार (कृषि क्षेत्र से अलग) में हैं। भारत में अनौपचारिक कार्यबल अर्थव्यवस्था में देश का लगभग 86 प्रतिशत कार्य बल और 91 प्रतिशत को रोजगार देती है। इनमें से कई महिला श्रमिक अपने परिवारों के लिए एकमात्र कमाने वाली हैं।

उर्वशी बुटालिया, अनीता रॉय, (2010) ‘वीमेन चेंजिंग इंडिया’: इस पुस्तक में बताया गया है कि आजादी के बाद से भारत दुनिया को देखने का नजरिया बदल रहा है। भारत में बदलाव का श्रेय महिलाओं के प्रयासों को जाता है। भारत में व्यापक रूप से महिलाओं के जीवन में बदलाव आया है क्योंकि महिलाएं भारतीय समाज की बदलती राजनीति, अर्थशास्त्र और सामाजिक पहलुओं की दिशा में काम कर रही हैं। महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में योगदान दे रही हैं और देश में अपने लिए एक नए भविष्य की कल्पना कर रही हैं।

श्वेता प्रसाद (2011), “भारत में महिलाएं”, इस पुस्तक में लेखक ने महिलाओं द्वारा झेली जाने वाली हिंसा एवं शोषण, महिलाओं के खिलाफ अपराध आदि मुद्दों पर चर्चा की है। उन्होंने सुझाया है कि आज की मुख्य जरूरत महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करने की है।

सी.पी. राय (2002), “वर्किंग विमेन इन इंडिया”, पुस्तक में लेखक ने कामकाजी महिलाओं की स्थिति से अवगत कराया है कि कैसे भारतीय नारी मां, पत्नी आदि सभी भूमिका निभाती है, साथ ही कैसे अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए नौकरी करती हैं।

उर्मिला पटेल (1994), “भारत में कामकाजी महिलाओं की समस्या”, लेखिका ने अपने शोध में पाया कि भारतीय समाज अधिकतर महिलाओं के काम से असंतुष्ट है तथा कामकाजी महिलाओं कि देर तक काम करने के कारण निंदा करते हैं।

एम.डी. सिंह और गुरप्रीत (2004), “भारत में महिलाओं का यौन शिकार”, शोध पत्र में लेखक ने उल्लेखित किया है कि कामकाजी महिलाओं को काम के दौरान यौन आक्षेप, उचित समर्थन ना मिलना जैसे असाधारण व्यवहार शामिल हो जाते हैं। ऐसे व्यवहार की बहुलता यौन शोषण को बढ़ावा देती है।

भारत में कामकाजी महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली समस्याएं:

मानसिक प्रताड़ना:

यह एक पुरानी परंपरा है कि पुरुषों की तुलना में महिलाएं काम करने में कम सक्षम हैं। वह मानसिकता जो महिलाओं को कुछ नौकरियों के लिए अनुपयुक्त मानता है, महिलाओं को पीछे धकेलता है। संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद लैंगिक भेदभाव उनकी भर्ती में बाधा उत्पन्न करता है। इसके अतिरिक्त वे समान कार्य के लिए असमान वेतन की समस्या का भी सामना करती है। आजादी के 61 साल बाद भी सच्ची समानता हासिल नहीं की जा सकी है।

कोई भी तकनीकी प्रगति के साथ महिलाओं के कार्य कौशल को उन्नत करने के बारे में नहीं सोचता है जिससे महिलाओं के रोजगार को समाप्त करना और अन्य व्यक्तियों को नियुक्त करना आसान हो जाता है। मातृत्व अवकाश बहुत कम दिया जाता है। अधिकांश ट्रेड यूनियनों की प्राथमिकता सूची में महिलाओं के मुद्दे नहीं आते हैं। परंपरागत रूप से महिलाओं को घर

की रखवाली करने वाली और बच्चे पैदा करने वाली के रूप में देखा जाता है। एक महिला अभी भी इन समस्याओं को सहन कर सकती है यदि वह उस पैसे पर नियंत्रण रखती है जो वह कमाती है लेकिन ज्यादातर मामलों में, उनका वेतन पिता, पति या ससुराल वालों को सौंप दिया जाता है। इसलिए, स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए रोजगार की तलाश का मुख्य उद्देश्य कई मामलों में अशक्त हो जाता है।

यौन उत्पीड़न

आज, लगभग सभी कामकाजी महिलाएं अपनी स्थिति, व्यक्तिगत विशेषताओं और उनके रोजगार के प्रकार के बावजूद यौन उत्पीड़न की शिकार हैं। जब वे शिकायत दर्ज कराने जाती हैं तो रास्ते में परिवहन, कार्यस्थलों, शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, घरों और यहां तक कि पुलिस थानों में भी उन्हें यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। सार्वजनिक परिवहन प्रणाली भीड़भाड़ वाली है और महिलाएं शारीरिक उत्पीड़न का आसान निशाना बन जाती हैं। अधिकांश महिलाएं खराब सेवा वाली नौकरियों में कार्यरत होती हैं जबकि पुरुष तत्काल पर्यवेक्षण की स्थिति में होते हैं, जो उन्हें अपनी अधीनस्थ महिलाओं का शोषण करने का अवसर देता है। अगर उच्च अधिकारी यौन अनुग्रह की मांग करता है तो यह महिला के लिए एक कठिन स्थिति है। मना करने पर बॉस उसके जीवन को दयनीय बनाने के लिए अन्य हथकंडे अपनाता है। हाल ही में यौन उत्पीड़न के कई मामले सामने आए हैं जिनमें वरिष्ठ महिला अधिकारी भी शामिल हैं। यदि किसी महिला की उसके काम के लिए प्रशंसा की जाती है या योग्यता के आधार पर उसे पदोन्नत किया जाता है, तो उसके सहकर्मी इसे यौन अनुग्रह का श्रेय देने में संकोच नहीं करते। यह मनोवैज्ञानिक दबाव आसानी से एक महिला को अपनी नौकरी से इस्तीफा देने के लिए प्रेरित कर सकता है। हमारे समाज में, यौन शोषण के अधिकांश मामले इससे जुड़े सामाजिक कलंक के कारण दर्ज नहीं होते हैं।

मातृत्व अवकाश का उचित लाभ न मिलना

यद्यपि सरकार द्वारा कामकाजी महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश का प्रावधान किया गया है ताकि उनकी नौकरी सुरक्षित रहे। परन्तु सैद्धान्तिक व व्यावहारिक धरातल में अंतर है। अधिकांश अनौपचारिक संगठनों में कामकाजी महिलाओं का मातृत्व अवकाश नहीं दिया जाता बल्कि उन्हें अपनी नौकरी से त्यागपत्र देना पड़ता है। इसका उनकी आर्थिक स्थिति पर भी पड़ता है।

कार्यस्थल पर भेदभाव

हालाँकि, भारतीय महिलाओं को अभी भी अपने कार्यस्थलों पर घोर भेदभाव का सामना करना पड़ता है। समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 की रिपोर्ट के तहत बहुत सारी कामकाजी महिलाओं को समान वेतन के उनके अधिकार से वंचित रखा जाता है और उन्हें उनके पुरुष सहयोगियों की तुलना में कम वेतन दिया जाता है। यह आमतौर पर कारखानों और श्रम-उन्मुख उद्योगों में होता है।

कामकाजी महिलाएं भरण-पोषण का दावा कर सकती हैं:

आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत अपने पति से रखरखाव का दावा करने का एक महिला का कानूनी अधिकार है। हिंदू दत्तक ग्रहण और रखरखाव अधिनियम, 1956 की धारा 24, एक महिला को उसके अलग हुए पति से रखरखाव का दावा करने का अधिकार देती है। साथ ही, भरण-पोषण का दावा उसके अवयस्क बच्चों तक बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा, इन कानूनों में प्रावधान है कि तलाक से पहले, अलगाव के दौरान भी भरण-पोषण का दावा किया जा सकता है।

प्रारंभ में, यह माना जाता था कि भारत में एक कामकाजी महिला रखरखाव का दावा करने की हकदार नहीं है, क्योंकि वह खुद को बनाए रखने में सक्षम है। हालाँकि, भगवान बनाम कमला देवी, (1975) 2 एससीसी 386 के एक महत्वपूर्ण फैसले से यह अस्पष्टता साफ हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक कामकाजी महिला अपने पति से रखरखाव का दावा कर सकती है, अगर उसकी मासिक आय उसके रखरखाव के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि 'खुद को बनाए रखने में असमर्थ' शब्द का अर्थ यह नहीं है कि एक महिला पूर्ण रूप से निराश्रित हो, ताकि वह भरण-पोषण का हकदार हो सके।

सरकार व कानून द्वारा महिलाओं की समस्या के निदान हेतु किए गए प्रयास

- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने बीते 7 साल के दौरान महिलाओं के सशक्तिकरण और उनकी सुरक्षा की दिशा में कई कदम उठाए हैं। यौन हमलों के घृणित मामलों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए भारत सरकार ने आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, 2018 के माध्यम से बलात्कार की सजा को ज्यादा कठोर कर दिया है।
- यौन अपराधों के लिए जांच निगरानी प्रणाली (आईटीएसएसओ), यौन अपराधियों का राष्ट्रीय डाटाबेस (एनडीएसओ), सीआरआई-एमएसी (क्राइम मल्टी-एजेंसी केन्द्र) और नई नागरिक सेवाएं शामिल हैं। आईटी से जुड़ी इन पहलों से समयबद्ध और प्रभावी जांच में सहायता मिलती है।
- यौन अपराधों के लिए जांच निगरानी प्रणाली (आईटीएसएसओ) एक ऑनलाइन विश्लेषणात्मक साधन है, जिसे यौन हमलों के मामलों में पुलिस जांच की निगरानी और समयबद्ध तरीके से पूरा किए जाने के लिए लॉन्च किया गया है।
- महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए एमएचए द्वारा निर्भया कोष से वित्तपोषित परियोजनाओं को तेजी से लागू किया जा रहा है। 'आपात प्रतिक्रिया समर्थन प्रणाली (ईआरएसएस)' ऐसी पहलों का एक उदाहरण है। यह अखिल भारतीय, एकल, कई आपात स्थितियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त नंबर 112 है।
- एमएचए का महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध रोकथाम पर मुख्य जोर है। वर्तमान में, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, मिजोरम, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सहित 14 राज्यों ने साइबर फॉरेंसिक ट्रेनिंग लैबोरेटरी की स्थापना कर ली है।
- संसद में पारित हो चुके इस मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम के मुताबिक मां बनने पर बच्चे की देखभाल के लिए महिलाओं को पूरे वेतन के साथ पहले के 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह के अवकाश का प्रावधान किया गया है। सबसे खास बात यह है कि निजी व सरकारी संस्थानों में जहां भी 10 या इससे ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं, वहाँ पर यह अधिनियम लागू होगा।
- घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 का उद्देश्य संविधान के तहत गारंटीकृत महिलाओं के अधिकारों की अधिक प्रभावी सुरक्षा प्रदान करना है, जो परिवार के भीतर होने वाली किसी भी प्रकार की हिंसा और इससे जुड़े या उसके प्रासंगिक किसी भी प्रकार के मामलों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान रखता है।
- तेजाब हमलों को एक विशिष्ट अपराध बना दिया जिसमें कम से कम 10 साल की कैद की सजा हो सकती है और जिसे आजीवन कारावास और जुर्माने तक बढ़ाया जा सकता है।
- जब कोई महिलाओ की शालिनत या गरिमा के साथ खिलवाड़ करता है तो धारा 509, भारतीय दंड संहिता, के तहत ऐसे प्रावधान है, जिनके तहत उसे कड़ी से कड़ी सजा भुगतनी पड़ती है।
- महिला को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले एक महिला पुलिस अधिकारी द्वारा मजिस्ट्रेट की विशेष अनुमति के बिना गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है।

निष्कर्ष

यह सच है कि कामकाजी महिलाओं को अपने लिंगभेद के कारण समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सदियों से महिलाओं को शारीरिक, यौन और मानसिक रूप से शोषण और प्रताड़ना का शिकार होना पड़ा है। घर और कार्यस्थल दोनों जगह इनके सामने असंख्य चुनौतियाँ और समस्याएँ आती हैं।

परन्तु इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि सरकार निरंतर महिलाओं की स्थिति में सुधार करने व उन्हें सुरक्षा प्रदान करने हेतु निरंतर प्रगतिशील है। सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों के साथ-साथ समाज को भी महिलाओं के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा। ताकि महिलाएं भी अपने जीवन को उन्नती के मार्ग पर अग्रसर कर सकें तथा देश व समाज के विकास में अहम योगदान दे सकें।

संदर्भ

1. उर्वशी बुटालिया, अनीता रॉय, 'वीमेन चेंजिंग इंडिया', जुबान, 2010।
2. कपूर प्रोमिला, "विवाह और कामकाजी महिलाएं भारत में", दिल्ली, विकास प्रकाशन, 1970
3. कपूर प्रोमिला, "भारत में कामकाजी महिलाओं की बदलती स्थिति", विकास प्रकाशन, दिल्ली, 1974
4. कमला कांता महापात्रा, "वोमैन वर्कर्स इन इनफॉर्मल सेक्टर: अंडरस्टैंडिंग द औकुपेशनल वलनबिलिटी", इंटरनेशनल जनरल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस वाल्यूम 2 नंबर 21, पृ० 197-201, 2012
5. श्वेता प्रसाद (2011), 'भारत में महिलाएं', विवा बुक्स, दिल्ली
6. सी.पी. राय (2002), वर्किंग वीमेन इन इंडिया, अनमोल प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ० 459
7. उर्मिला पटेल (1994), "भारत में कामकाजी महिलाओं की समस्याएं", मित्तल प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ० 216-217
8. एमडी सिंह और गुरप्रीत (2004), "भारत में महिलाओं का यौन शिकार", 30 (1) भारतीय सामाजिक-कानूनी जर्नल, पृ० 40-47।
9. खन्ना गिरजा और ए. मरियम्मा वर्गीज, इंडियन वीमेन टुडे, विकास प्रकाशन, दिल्ली, 1978।
10. गाडगिल डी.आर., "वीमेन इन वर्किंग फोर्स इन इंडिया", एशिया पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, 1965
11. हेट चंद्रकला ए, "आधुनिक भारत में महिलाओं की बदलती स्थिति", विकास प्रकाशन, दिल्ली, 1969।
12. जैन देविका (संपा.) "भारतीय महिला" प्रकाशन विभाग, भारत सरकार, दिल्ली, 1975।
13. श्रीनिवास एम. एन. "भारतीय महिलाओं की बदलती स्थिति, दिल्ली, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 1978।
14. शोभा वी. "ग्रामीण महिला और विकास" मित्तल प्रकाशन, दिल्ली, 1987।
15. विद्या रानी जी. "सरकार में महिला कर्मचारियों की स्थिति, मित्तल प्रकाशन, नई दिल्ली, 1990।

कन्या भ्रूण हत्या: कारण एवं समाधान हरियाणा के संदर्भ में

निधि

शोधार्थी, राजनीतिक विज्ञान एवं लोक प्रशासन विभाग, अस्थल बोहर, (रोहतक) हरियाणा

डॉ० बबीता

शोध निर्देशक, असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीतिक विज्ञान एवं लोक प्रशासन विभाग, अस्थल बोहर, (रोहतक) हरियाणा

सारांश

आज भारत देश उन्नति के चरम शिखर पर है, लेकिन जब भी हम भारतीय समाज के अंदर गहराई से देखते हैं तो हमें इसके अंदर अनेक सामाजिक समस्याएं दिखाई देती हैं। स्वतंत्रता के इतने वर्षों बाद भी समाज में महिलाओं की स्थिति विरोधाभासी है। एक तरफ जहां उन्हें शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित किया जाता है वहीं दूसरी तरफ उन्हें घरेलू हिंसा, बाल विवाह व कन्या भ्रूण हत्या जैसी कुप्रथाओं का शिकार होना पड़ता है। कन्या भ्रूण हत्या महिलाओं के खिलाफ हिंसा के सबसे बुरे रूपों में से एक है जहां महिला को उसके सबसे महत्वपूर्ण और मौलिक अधिकार अर्थात् “जीवन के अधिकार” से वंचित कर दिया जाता है। भारत में कन्या भ्रूण हत्या की घटना कोई नई नहीं है, इससे पहले भी यह समाज में विद्यमान थी लेकिन प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण के बाद कन्या भ्रूण को चुनिंदा रूप से समाप्त किया जाने लगा। चयनात्मक गर्भपात के कारण भारत देश से 35 से 40 मिलियन लड़कियां गायब हैं तथा 2011 की जनगणना के अनुसार अनेक राज्यों जैसे- पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आदि में लिंगानुपात 900 से भी कम है।

मूल शब्द:- कन्या भ्रूण हत्या, महिलाएं, लिंगानुपात, हरियाणा

प्रस्तावना

महिलाएं किसी भी समाज का महत्वपूर्ण अंग होती हैं, महिलाओं की प्रगति के अभाव में समाज की प्रगति भी असंभव है। परिवार, समाज तथा राष्ट्र के विकास में पुरुषों का समान योगदान होता है इसलिए समाज में महिलाओं तथा पुरुषों का अनुपात भी समान होना चाहिए नहीं तो संपूर्ण विकास संभव नहीं है। प्रकृति ने भी इस व्यवस्था को बनाए रखने का प्रयास किया है लेकिन कुछ निर्दयी माता पिता ने इस लिंगानुपात को विषम बना दिया है। आज भी हमारे समाज में बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या तथा आनर किलिंग जैसी कुरीतियां विद्यमान हैं। लड़कियों के शारीरिक व मानसिक अत्याचार की कहानी पहले घर से ही शुरू होती है क्योंकि भ्रूण हत्या के जरिए उन्हें मां के गर्भ में ही मार दिया जाता है। अतः लिंगभेद पर आधारित समाज में महिलाओं पर अत्याचार मां के गर्भ में ही शुरू हो जाते हैं। चिकित्सा विज्ञान ने मनुष्य की सहायता के लिए अनेक मशीनों का निर्माण किया है लेकिन मनुष्य अपने स्वार्थ के कारण अच्छी चीजों का भी दुरुपयोग करता है। गर्भ में शिशु के स्वास्थ्य की जांच के लिए अल्ट्रासाउंड तकनीक का प्रयोग किया जाता है लेकिन इस तकनीक के दुरुपयोग ने कन्या भ्रूण हत्या की संख्याओं में वृद्धि कर दी, क्योंकि तकनीक से यह ज्ञात हो जाता है कि गर्भ में लड़का है या लड़की। यदि वह भ्रूण लड़की है तो उसे गर्भ में ही समाप्त कर दिया जाता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों का लिंगानुपात 960 है। देश में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, चण्डीगढ़, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र आदि में लिंगानुपात की स्थिति बेहद खराब है। शून्य से चार वर्ष तक के आयु वर्ग के बच्चों की मृत्युदर में एक बड़ा हिस्सा लड़कियों का होता है। एक अनुमान के अनुसार प्रतिवर्ष 1 करोड़ 20 लाख लड़कियों का जन्म होता है जिसमें से प्रतिवर्ष 3 लाख

लड़कियों की मृत्यु हो जाती है, जो जीवित बचती है उनमें से 25 प्रतिशत लड़कियों की मृत्यु कुपोषण तथा स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में हो जाती है। कन्या भ्रूण हत्या समाज में कोई नई समस्या नहीं है। यह समाज में प्राचीन समय से ही विद्यमान है जिस पर आज तक अंकुश नहीं लग पाया है। कुछ दशक पहले जहां कन्याओं को अफीम चटाकर, दूध में डुबोकर तथा गला घोटकर मार दिया जाता था वहीं अब इससे भी एक कदम आगे बढ़कर उन्हें जन्म देने से ही वंचित कर दिया जाता है। अतः कन्या भ्रूण हत्या की बढ़ती हुई समस्या को देखते हुए भारत सरकार ने प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994 बनाया। इस कानून के तहत अल्ट्रासोनोग्राफी तथा गर्भ जांच परीक्षण केवल विशेष परिस्थितियों में ही किए जा सकते हैं।

उद्देश्य:-

1. कन्या भ्रूण हत्या के कारणों का पता लगाना।
2. हरियाणा के सभी जिलों में बाल लिंगानुपात के आंकड़ों का विश्लेषण करना।
3. हरियाणा में कन्या भ्रूण हत्या रोकने हेतु सरकार द्वारा की गई पहल व नीतियों की जांच करना।

शोध प्रविधि:-

यह शोध पत्र द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है जिसके लिए पुस्तकों, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय शोध जर्नल में प्रकाशित शोध पत्रों का अध्ययन किया गया है तथा विभिन्न समाचार पत्रों व पुस्तकों से आंकड़ों को इकट्ठा किया गया है। इस प्रकार शोध पत्र हेतु विश्लेषणात्मक पद्धति का प्रयोग किया गया है।

साहित्य अवलोकन:-

अंजू (2018)¹ “कन्या भ्रूण हत्या: एक सामाजिक अभिशाप” प्रस्तुत शोध में लेखिका ने बताया है कि कन्या भ्रूण हत्या वर्तमान समय में भी एक विकट समस्या बनी हुई है। बेटों की चाह में हम न केवल कन्या भ्रूण हत्या जैसी बुराई को बढ़ावा देते हैं बल्कि राष्ट्रद्रोह भी करते हैं क्योंकि स्त्री-पुरुष समानता समान रूप से राष्ट्र की प्रगति में सहायक है। सरकार द्वारा कन्या भ्रूण हत्या को रोकने हेतु अनेक नियम और योजनाएं चलाई जा रही हैं फिर भी शिशु लिंगानुपात में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ है।

मनिता (2020)² “महिला सशक्तिकरण और कानूनी प्रावधान” प्रस्तुत शोध में लेखक ने उन कानूनी प्रावधानों का वर्णन किया है जो महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हैं। लेखक ने सुझाव दिया है कि महिलाओं के संरक्षण के लिए नये कानून तो बन रहे हैं परन्तु उनका क्रियान्वयन ठीक ढंग से नहीं हो पाता। इसलिए समाज में महिलाओं की स्थिति को सुधारने व उन्हें सशक्त बनाने के लिए महिलाओं से संबंधित कुप्रथाओं को हटाना होगा।

राजकुमार (2003)³ “भारतीय नारी सामाजिक अध्ययन” प्रस्तुत पुस्तक में लेखक ने महिलाओं की सामाजिक, शैक्षणिक और वैधानिक स्थिति के बारे में बताया है। प्राचीन काल में महिलाओं को समाज में सम्मानजनक स्थान प्राप्त था लेकिन समय के साथ-साथ महिलाओं की स्थिति में बदलाव आता रहा है। लेखक ने बताया कि समाज में आज भी महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम महत्व दिया जाता है जो समाज के लिए हितकर नहीं है।

सिन्हा (2016)⁴ “वूमन इन रूरल इंडिया” लेखक ने अपनी पुस्तक में कन्या भ्रूण हत्या के उतरदायी कारणों का वर्णन किया है। लेखक ने महिलाओं की सामाजिक स्थिति का वर्णन करते हुए कहा है कि भले ही आज महिलाएं आधुनिकता के परिवेश में जी रही हैं फिर भी उनके साथ पक्षपातपूर्ण एवं संवेदनहीन व्यवहार किया जाता है।

मंजूलता (2010)⁵ “भारतीय नारी: शोषण के बदलते आयाम” प्रस्तुत पुस्तक में लेखिका ने महिलाओं की स्थिति का वर्णन करते हुए कहा है कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी महिलाओं की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है। आज भी नारी का विभिन्न प्रकार से शोषण किया जाता है। इसलिए महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार देकर उन्हें सशक्त बनाना चाहिए।

रितु (2018)⁶ “फीमेल फोटिसाइड” लेखिका ने अपने शोध में सुझाव दिया है कि लिंग निर्धारण परीक्षण पर रोक लगाना कन्या भ्रूण हत्या को रोकने हेतु एक आवश्यक कदम तो है लेकिन यह समस्या का अंतिम समाधान नहीं है। परिवार व समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार करके ही महिलाओं के खिलाफ सामाजिक पूर्वाग्रहों को दूर किया जा सकता है।

अनूप (2019)⁷ “ज्योग्राफिकल एनालिसिस आफ सेक्स रेशयो इन हरियाणा 2011” प्रस्तुत शोध में लेखक ने बताया है कि लिंग असमानता समाज के लिए घातक है तथा यह समाज के लिए सबसे बड़ी चुनौती भी है। महिलाओं की घट रही

जनसंख्या के लिए महिलाएं व पुरुष दोनों समान रूप से जिम्मेदार हैं। इसलिए कन्या भ्रुण हत्या को खत्म करने के लिए समाज को जागरूक करने की आवश्यकता है।

सुमन (2020)⁸ “भारत में कन्या भ्रुण हत्या: कारण, रोकने के उपाय एवं कानून की भूमिका” प्रस्तुत शोध में लेखिका ने देश में महिला-पुरुष के बीच बढ़ते असंतुलन का मुख्य कारण गर्भ में पल रहे बच्चे को कन्या जानकार उसका गर्भपात कराना या फिर जन्म लेने के बाद उसके लालन पालन में असावधानी बरतने पर मृत्यु हो जाना बताया है।

अभिनव (2022)⁹ “कन्या भ्रुण हत्या: एक निन्दनीय कृत्य” ने अपने शोध में बताया है कि कन्या भ्रुण हत्या जैसी समस्या का समाधान सिर्फ कानून बना देने से नहीं होगा क्योंकि समाज में महिलाओं के प्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार सामान्य सी बात है। सामान्य तौर पर महिलाओं की उपेक्षा हमारे समाज की जड़ों में व्याप्त है। विभिन्न कानून होने के बाद भी समाज में पुरुषों की श्रेष्ठता की गलत धारणा समाज के लिए घातक है। इसलिए महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध भेदभाव करने वाली रूढ़िवादी प्रथाओं के उन्मूलन के लिए समाज को संवेदनशील बनाने की तत्काल आवश्यकता है।

तालिका 1.1: भारत में बाल लिंगानुपात के आंकड़े वर्ष 2001 तथा 2011 की जनगणना के अनुसार

राज्य एवं केन्द्र शासित प्रदेश	बाल जनगणना 2001	बाल जनगणना 2011
भारत	2001	2011
दिल्ली	868	866
पंजाब	798	846
हिमाचल प्रदेश	896	906
उत्तराखण्ड	908	886
हरियाणा	819	830
बिहार	942	933
चण्डीगढ़	845	867
राजस्थान	909	883
मणिपुर	957	934
महाराष्ट्र	913	883
गुजरात	883	886
असम	965	957
मेघालय	973	970
त्रिपुरा	966	953
सिक्किम	963	944
मिजोरम	964	971
जम्मू एवं कश्मीर	941	859
उड़ीसा	953	934
केरल	960	959
तमिलनाडु	942	946
गोवा	938	920
कर्नाटक	946	943
पश्चिम बंगाल	960	950
झारखण्ड	965	943
मध्यप्रदेश	932	912
आंध्र प्रदेश	961	943
दमन एवं दीव	926	909
अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह	957	966
दादर नगर हवेली	979	924
लक्षद्वीप	959	908
अरुणाचल प्रदेश	964	960
उत्तर प्रदेश	916	899
नागालैंड	964	944
पुडुचेरी	967	965

स्त्रोत: भारत की जनगणना 2011

तालिका 1.1 में भारत में वर्ष 2001 तथा 2011 के बाद लिंगानुपात के आंकड़ों को दर्शाया गया है। 2011की जनगणना के अनुसार हरियाणा (830), पंजाब (846), दिल्ली (866), उत्तराखंड (886), चण्डीगढ़ (867), राजस्थान (883), गुजरात (886), जम्मू एवं कश्मीर (859), व उत्तर प्रदेश (899) आदि में बाल लिंगानुपात की स्थिति बेहद निम्न है। इसके अलावा वर्ष 2001 व 2011 की जनगणना के आंकड़ों की तुलना करने पर पाया है कि केवल कुछ राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों जैसे तमिलनाडु, गुजरात, पंजाब, मिजोरम में ही बाल लिंगानुपात के आंकड़ों में सिर्फ कुछ अंकों की ही वृद्धि हुई है, नहीं तो हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, झारखंड, मणिपुर, बिहार, दिल्ली, गोवा, पश्चिम बंगाल, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, पुडुचेरी आदि सभी क्षेत्रों में बाल लिंगानुपात के आंकड़ों में वर्ष 2001 की तुलना में गिरावट आई है और इस गिरते हुए बाल लिंगानुपात का कारण कन्या भ्रूण हत्या और लड़कियों के स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह होना है।

तालिका 1.2: हरियाणा के विभिन्न जिलों में बाल लिंगानुपात

जिलों के नाम	0 से 6 वर्ष बाल लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार	जनवरी 2023 में बाल लिंगानुपात की स्थिति
हरियाणा	830	913
सोनीपत	852	905
कैथल	821	948
करनाल	820	927
हिसार	849	933
झज्जर	774	907
रोहतक	807	942
अंबाला	807	908
यमुनानगर	825	958
गुरुग्राम	829	912
रेवाड़ी	784	918
महेंद्रगढ़	778	842
पंचकूला	850	895
फरीदाबाद	842	911
फतेहाबाद	845	955
कुरुक्षेत्र	817	907
पलवल	862	921
मेवात	903	883
भिवानी	831	839
सिरसा	852	840
चरखी दादरी	—	799
जींद	835	986
पानीपत	822	959

स्रोत: हरियाणा की जनगणना 2011 एवं दैनिक जागरण 01/02/2023

तालिका 1.1 से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत में बाल लिंगानुपात के आंकड़ों में हरियाणा राज्य की स्थिति बेहद खराब है क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का बाल लिंगानुपात 830 है। लिंगानुपात की इसी निम्न स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा हरियाणा से 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया गया था। यह अभियान कुछ हद तक सफल भी रहा है क्योंकि जनवरी 2023 में हरियाणा का बाल लिंगानुपात 913 रहा है तथा विभिन्न जिलों जैसे जींद (986), पानीपत (959), रोहतक (942), करनाल (927) सोनीपत (905), कैथल (948), यमुनानगर (958), गुरुग्राम (912) आदि जिलों में लिंगानुपात में सुधार आया है क्योंकि 2011 की बाल जनगणना के अनुसार विभिन्न जिलों में जैसे सोनीपत (852), पानीपत (822), करनाल (820), झज्जर (774), महेंद्रगढ़ (778), भिवानी (831), जींद (835), रोहतक (807), कुरुक्षेत्र (817) में लिंगानुपात की स्थिति बेहद निम्न थी।

कन्या भ्रूण हत्या के कारण:- कन्या भ्रूण हत्या की समस्या के लिए अनेक सामाजिक, आर्थिक कारण जिम्मेदार हैं जिनमें दहेज प्रथा, गरीबी, लड़कियों के प्रति संकीर्ण मानसिकता आदि शामिल हैं। इन कारणों का वर्णन निम्नलिखित है-

1. परिवार का छोटा आकार:- वर्तमान समय में परिवारों के आकार छोटे होते जा रहे हैं। जिसमें माता पिता बेटी के स्थान पर बेटे के जन्म को वरीयता देते हैं तथा कन्या के लिए भ्रूण हत्या का विकल्प चुन लेते हैं।

2. दहेज प्रथा:- दहेज कन्या भ्रुण हत्या का सबसे प्रमुख कारण है। दहेज विरोधी कानून बन जाने के बाद भी इस पर आज तक अंकुश नहीं लग पाया है। इस कारण ज्यादातर माता पिता लड़की को नहीं चाहते क्योंकि उनका मानना है कि लड़की पराया धन होती है तथा इसकी शादी में दहेज जैसी कुप्रथा के कारण उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।
3. असुरक्षित समाज:- कन्या भ्रुण हत्या समाज की सबसे बड़ी बुराई है। वर्तमान समय में माता पिता समाज के हर कोने में बेटियों को असुरक्षित महसूस करते हैं। विभिन्न समाचार पत्रों में प्रतिदिन अपहरण और छेड़छाड़ की घटनाएं देखने को मिलती हैं। जिस कारण माता पिता उनका न होना ही उचित समझते हैं।
4. महिलाओं के खिलाफ अपराध:- हरियाणा में महिलाओं के खिलाफ अपराध के बढ़ते मामले भी कन्या भ्रुण हत्या का प्रमुख कारण है। एनसीआरबी की नई रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में 27 प्रतिशत वृद्धि देखी गई है। जिसके अनुसार 2020 में 13000 से 2021 में 16658 मामले दर्ज हुए हैं। इस प्रकार अपराधों की बढ़ती संख्या व उनकी सुरक्षा की चिंता भी कन्या भ्रुण हत्या का एक प्रमुख कारण है।
5. प्रौद्योगिकी का दुरुपयोग:- एमनियोसैंटेसिस और अल्ट्रासोनोग्राफी जैसे परीक्षण मूल रूप से भ्रुण की जन्मजात असमानताओं का पता लगाने के लिए डिजाइन किए गए थे। लेकिन इन परीक्षणों का प्रयोग भ्रुण के लिंग का पता लगाने के लिए किया जा रहा है। इस प्रकार चोरी छिपे इस प्रौद्योगिकी का दुरुपयोग भी कन्या भ्रुण हत्या का एक प्रमुख कारण है।
6. कानून का कमजोर क्रियान्वयन:- प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994 भ्रुण के लिंग निर्धारण पर रोक लगाता है तथा आनुवांशिक परामर्श केंद्रों, क्लीनिकों, अस्पतालों तथा नर्सिंग होम आदि के अनिवार्य पंजीकरण का प्रावधान करता है। हालांकि इस कानून का क्रियान्वयन कमजोर है क्योंकि इसमें केवल अल्ट्रासाउंड मशीनों की संख्या के पंजीकरण पर ध्यान दिया जाता है न कि कन्या भ्रुण के गर्भपात के वास्तविक कार्य पर। इसके अलावा अनेक मामलों में अभियुक्तों पर अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला भी दर्ज नहीं किया जाता।

कन्या भ्रुण हत्या को रोकने हेतु सरकार द्वारा बनाए गए नियम:-

एमटीपी एक्ट 1971:-

गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम 1971 में असितत्व में आया। यह गर्भावस्था की समाप्ति को विनियमित करने वाला पहला कानून था। इस कानून के अनुसार महिलाओं को विशेष परिस्थितियों में गर्भपात कराने का अधिकार दिया गया है जैसे-

1. यदि गर्भ को बनाए रखने से गर्भवती महिला की जान को खतरा हो।
2. यदि होने वाले बच्चे के शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग होने की आशंका हो, आदि

पीएनडीटी एक्ट:-

प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994 में बनाया गया था जो शिशु के लिंग की जांच और कन्या भ्रुण हत्या का प्रतिषेध करता है। इस अधिनियम के प्रावधान निम्नलिखित हैं

1. यह अधिनियम गर्भाधान से पहले या बाद में लिंग चयन पर रोक लगाता है।
2. यह केवल कुछ मामलों का पता लगाने के लिए उनके उपयोग की अनुमति देकर अल्ट्रासाउंड और एमनियोसैंटेसिस जैसी प्रसव पूर्व निदान तकनीकों के उपयोग को नियंत्रित करता है।
3. भ्रुण के लिंग को निर्धारण करने के उद्देश्य से कोई प्रयोगशाला या क्लिनिक अल्ट्रासोनोग्राफी सहित कोई परीक्षण नहीं करेगा।
4. यह अधिनियम सभी नैदानिक प्रयोगशालाओं, सभी आनुवांशिक परामर्श केंद्रों, आनुवांशिक क्लीनिकों तथा अल्ट्रासाउंड क्लीनिकों के पंजीकरण को अनिवार्य करता है।

इन कानूनों के अलावा हरियाणा सरकार द्वारा कन्या भ्रुण हत्या को रोकने हेतु व बालिकाओं के जन्म को प्रोत्साहित करने हेतु अनेक प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं भी चलाई गई हैं जैसे आपकी बेटी हमारी बेटी योजना, लाडली योजना, बेटी

बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, धनलक्ष्मी योजना, किशोरी शक्ति योजना, शक्ति योजना तथा कन्या कोष की भी स्थापना की गई है।

निष्कर्ष एवं सुझाव:-

शोध पत्र में निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि वर्तमान समय में भी समाज में कन्या भ्रूण हत्या का प्रचलन यह बताता है कि हमारी सोच एवं मूल्य आज भी खोखली परंपराओं से बंधे हुए हैं। सरकार ने कन्या भ्रूण हत्या जैसी सामाजिक बुराई को रोकने हेतु अनेक कानून बनाए हैं ताकि कन्या भ्रूण हत्या को रोका जा सके तथा बालिका के जन्म को प्रोत्साहित किया जा सके। लेकिन इन कानूनों का तब तक कोई महत्व नहीं है जब तक इन्हें जनता का कोई सहयोग ना मिले, क्योंकि कन्या भ्रूण हत्या एक ऐसा अपराध है जिसमें परिवार व समाज के लोगों की ही भागीदारी होती है। इसलिए इन्हें जागरूक करके ही इस कुकृत्य को समाप्त किया जा सकता है।

इसके अलावा सरकार द्वारा कन्या भ्रूण हत्या को रोकने हेतु कठोर से कठोर कानून बनाने चाहिए और इन कानूनों को पालन न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। एन.जी.ओ., सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी कन्या भ्रूण हत्या को रोकने हेतु व समाज को जागरूक करने के लिए विशेष प्रयास करने चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

1. अनु, कन्या भ्रूण हत्या एक सामाजिक अभिशाप, एन्थोलाजी था रिसर्च, वोल्यूम-3, मार्च 2016
2. मनिता, महिला सशक्तिकरण एवं कानूनी प्रावधान, इंडियन जर्नल ऑफ रिसर्च, वोल्यूम-9, दिसम्बर 2020
3. राजकुमार, भारतीय नारी का सामाजिक अध्ययन, अर्जुन पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली, 2003
4. यशवंत सिन्हा, वूमन इन रूरल इंडिया, कामनवेल्थ पब्लिशर्स, नई दिल्ली, 2016
5. मंजुलता, भारतीय नारी शोषण के बदलते आयाम, अर्जुन पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली, 2010
6. रिनु, फीमेल फोटिसाइड, रिसर्च जर्नल ऑफ ह्यूमनिटिज एंड सोशल साइंस, वोल्यूम-3, 2018
7. अनूप, ज्योग्राफिकल एनालिसिस आफ सेक्स रेशयो इन हरियाणा 2011, इंटरनेशनल जर्नल एंड एनालिटिकल रिव्यू, वोल्यूम- 6, जून 2019
8. सूमन, भारत में कन्या भ्रूण हत्या: कारण, रोकने के उपाय एवं कानून की भूमिका, वोल्यूम - 5, 2020
9. अभिनव, कन्या भ्रूण हत्या एक निन्दनीय कृत्य, शोध मंथन, वोल्यूम- 8, मार्च 2022
10. प्रीति, भारत में बढ़ती कन्या भ्रूण हत्या एवं लैंगिक असमानता-एक चुनौती, वोल्यूम-6, जून 2021

बिहार के विकास में पंचायती राज की भूमिका

डॉ० मेराज दानापुरी

सहायक प्राध्यापक, राजनीतिशास्त्र विभाग, वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा

बिहार में वर्ष 2016 में गठित त्रि-स्तरीय पंचायती राज 73वां संविधान संशोधन : मेहता कमिटी और सिंधवी कमिटी के सुझावों को मिलाकर 73वें संविधान की संरचना की गई, जिसमें सभी राज्यों में पंचायत गठन की बात कही गई, जिसमें उस गांव के सभी मतदाताओं की सहभागिता हो, साथ ही पंचायतों का कार्यकाल पांच साल निर्धारित किया गया। कोई भी पद रिक्त होने पर छह माह के अन्दर चुनाव का उल्लेख किया गया। चुनाव में उम्मीदवारों की उम्र सीमा कम से कम 21 वर्ष हो।

सभी प्रतिनिधियों का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन से होना तय किया गया। महिलाओं के लिए सभी स्तरों एवं सभी पदों पर कम-से-कम एक-तिहाई आरक्षण की व्यवस्था करने की बात कही गई।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए पिछली जनगणना के आधार पर उनकी जनसंख्या के अनुपात में सभी पदों एवं हर स्तरों पर आरक्षण की व्यवस्था भी की गई। निष्पक्ष चुनाव का दायित्व निर्वाचन आयोग पर हो। साथ ही आर्थिक स्रोत के लिए हर पांच वर्ष पर एक वित्त आयोग का गठन हो। 73वें संविधान संशोधन के लागू होने के बाद राज्य सरकारों को पंचायत अधिनियम बनाने को कहा गया।

बिहार के विकास में पंचायती राज की भूमिका बिहार राज्य में महिलाओं को सशक्त करने में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। यहाँ कुल जनसंख्या का 47.93 प्रतिशत आबादी महिलाओं की है और पंचायती राज के कतिपय महत्वपूर्ण पदों पर 65 प्रतिशत प्रतिनिधित्व महिलाओं की है।

पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से विकेन्द्रीकरण प्रणाली प्रारम्भ की गयी और 50 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित की गयी है। परिणामस्वरूप पंचायत स्तर पर इतनी अधिक संख्या में भागीदारी ने महिलाओं में न केवल आत्मविश्वास का संचार किया है, अपितु उन्हें सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्तर पर जागरूक, निर्भिक और सशक्त भी किया है।

पंचायत स्तर की विभिन्न संस्थाओं में महिलाओं का एक बहुमत वाला समूह है और महिलायें जब समूह में होती हैं तो वे बड़ी से बड़ी कठिनाइयों एवं चुनौतियों का सामना कर लेती हैं। यह व्यवस्था सामाजिक समानता, स्थानीय विकास एवं स्थानीय स्वशासन का समन्वय प्रदर्शित करती है।

सामाजिक सुधार :

सामान्य ग्रामीणजन बाल विवाह, विधवा विवाह निषेध, दहेज प्रथा, ऊँच-नीच और छुआछूत की भावना जैसी विभिन्न सामाजिक कुरीतियों से ग्रस्त रहते हैं। इसीलिए कुछ विद्वानों ने भारतीय ग्रामीणों की तुलना में कुएं में रहने वाले मेंढक से की है। ग्राम पंचायतों की स्थापना के पश्चात् भारतीय ग्रामवासियों में इनके सामाजिक सुधार परिलक्षित हुए हैं और इस प्रकार परम्परागत कुरीतियों, रूढ़ियों और दुष्प्रथाओं का भी अन्त हुआ है।

शिक्षा की समुचित व्यवस्था :

भारतीय ग्रामों में आजादी के पूर्व सर्वत्र अशिक्षा का साम्राज्य स्थापित रहा है, तथापि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों की स्थापना के पश्चात् अधिकाधिक मात्रा में सर्वत्र शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण प्रगति सम्भव हुई है। ग्राम पंचायतें अपने-अपने क्षेत्रों में बालक-बालिकाओं की प्राथमिक शिक्षा के साथ-साथ प्रौढ़ शिक्षा की भी व्यवस्था करती हैं। ग्राम पंचायतों का यह कार्य अति महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ है।

बाल तथा मातृ कल्याण के कार्य :

ग्राम पंचायतें राष्ट्र के भावी नागरिकों के चतुर्दिक विकास में भी अपना योगदान करती हैं। यह बालकों को खेलकुद, मनोरंजन तथा अन्य सुविधायें प्रदान करके उनका शारीरिक और मानसिक विकास करती हैं। इसी प्रकार से वर्तमान युग में ग्राम पंचायतें मातृत्व कल्याण से सम्बद्ध विभिन्न कार्य करती हैं। ग्राम पंचायतों की स्थापना के पूर्व ग्रामीण समुदायों में अनेक चिकित्सकीय सुविधाओं की कमी के परिणामस्वरूप प्रस्ता महिलाओं की मृत्यु तक हो जाती थी। किन्तु अब इस क्षेत्र में भी ग्रामीण पंचायतें विभिन्न प्रकार की सुविधायें प्रदान करती हैं और इस प्रकार हर देश में प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में नवजात शिशुओं और प्रसूती स्त्रियों की प्राण रक्षा करती हैं।

मद्यपान निषेध कार्यक्रम :

अज्ञानता, अशिक्षा, मनोरंजनात्मक साधनों का अभाव और कुसंगति के कारण विभिन्न प्रकार के नशों के आदी बन जाते हैं, जिनमें शराब, भाँग, चरस, गाँजा, अफीम, ताड़ी आदि प्रचलित होते हैं। ग्राम पंचायतों की स्थापना के फलस्वरूप ग्रामीण सामाजिक जीवन में सर्वत्र नशा मुक्ति कार्यक्रम संचालित की गई हैं एवं ग्रामीण सामाजिक शांति में वृद्धि देखी गई है ग्रामोत्थान या ग्रामोन्नति - भारतीय समाज के सन्दर्भ में अति प्राचीन युग से ही ग्राम राजनैतिक जीवन की एक अति महत्वपूर्ण और विशिष्ट इकाई रहे हैं। इसलिए यह स्पष्ट है कि भारतवर्ष में कोई भी महत्वपूर्ण राजनैतिक कार्य अथवा आन्दोलन ग्रामोन्नति की उपस्थिति में कदापि सफलता नहीं प्राप्त कर सकता है। ग्राम पंचायतें अपने-अपने क्षेत्र के ग्राम वासियों में राष्ट्रीय चेतना और जागरूकता तथा स्वालम्बन की भावना के विकास हेतु उनमें श्रमदान, साप्ताहिक स्वास्थ्य दिवस, सचल पुस्तकालय आदि संचालित करती हैं और इस प्रकार राजनैतिक दृष्टिकोण से उनमें ग्रामोत्थान की भावना का विकास भी करती हैं। उत्तम नागरिकता का पाठ पढ़ाना आधुनिक भारतीय समाज में विशेषकर ग्रामीण समाज के सन्दर्भ में उत्तम नागरिकों की अतीव आवश्यकता है, जो कि ग्रामोत्थान और सामुदायिक उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सके। इस क्षेत्र में भी ग्रामीण पंचायतें सर्वथा महत्वपूर्ण और उपयोगी संस्था सिद्ध हुई हैं, क्योंकि यह विशेष रूप से ग्रामवासियों को उत्तम नागरिकता की शिक्षा प्रदान करती हैं।

प्रशासनिक शिक्षा देना :

सभी ग्राम पंचायतें अत्यधिक महत्वपूर्ण रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित विभिन्न प्रकार की सामुदायिक विकास योजनाओं को सफलता प्रदान करने और ग्रामोदय तथा ग्रामोत्थान आन्दोलन को सफल बनाने की दिशा में अपने-अपने क्षेत्र के ग्रामीणों को प्रशासनिक सम्बन्धी विभिन्न प्रकार का प्रशिक्षण प्रदान करती हैं। ग्राम पंचायतें इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण एवं स्तरीय योगदान करती हैं।

मुकदमेबाजी में कमी :

ग्राम पंचायत और पंचायती अदालतों की स्थापना के परिणामस्वरूप ग्रामीणों में जो मुकदमेबाजी की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती थी, उसमें भी कमी उत्पन्न हुई है, जिसका मुख्य श्रेय हम ग्रामीण पंचायतों को ही प्रदान कर सकते हैं। सामान्यतः ग्रामीणजन थोड़ी-थोड़ी समस्याओं और बातों पर भी एक-दूसरे से मुकदमेबाजी कर बैठते हैं। इस अवस्था में ग्रामीण पंचायतें दोनों पक्षों में पारस्परिक सौहार्द्र और स्वस्थ वातावरण स्थापित करके मुकदमेबाजी की दुष्प्रवृत्ति को समाप्त करती हैं।

शान्ति और सुरक्षा प्रदान करना :

ग्राम पंचायतें अपने विशेष अधिकारों और कर्तव्यों के आधार पर अपने-अपने क्षेत्र में सर्वत्र शान्ति और सुरक्षा का वातावरण भी स्थापित करती हैं। वास्तविकता भी यही है कि ग्राम्य जीवन में प्रबल और प्रभावी नियन्त्रण तथा महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष कार्यों के द्वारा शान्ति और सुरक्षा स्थापित हो सकती है, वह किसी भी अन्य संस्था के द्वारा सम्भव नहीं है।

आत्मनिर्भर ग्राम पंचायत के विकास के लिये कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए आत्मनिर्भर ग्राम पंचायत के विकास के लिए ग्रामीण इलाकों में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए कुटीर उद्योगों को बढ़ावा मिलना चाहिए। कुटीर उद्योग जैसे टिफिन बनाने का कुटीर व्यवसाय, अगरबत्ती बनाने का काम, नमकीन बनाने का उद्योग, बर्तन बनाने का उद्योग, साड़ी व कपड़ों का कुटीर व्यवसाय, रेस्टोरेंट व बेकरी कार्नर, मसाला बनाने का उद्योग, फर्नीचर बनाने का उद्योग आदि लगाने से लोगों में

आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और साथ ही समाज की एक बड़ी आबादी को रोजगार प्राप्त होंगे। महात्मा गांधी भी कुटीर उद्योगों को स्थापित करने के पक्ष में थे। कुटीर उद्योग में समूहों का निर्माण कर ना केवल युवा बल्कि महिलाएं भी अपना रोजगार शुरू कर सकती हैं और अपनी आजीविका बेहतर तरीके से चलाकर आत्मनिर्भर बन सकती हैं। आत्मनिर्भर ग्राम पंचायत के माध्यम से कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जा सकता है।

पंचायती राज का महत्त्व :

इसके माध्यम से शासन में समाज के अंतिम व्यक्ति की भागीदारी सुनिश्चित होती है जिससे सुदूर ग्रामीण प्रदेशों के नागरिक भी लोकतंत्रात्मक संगठनों में रुचि लेते हैं। स्थानीय लोगों को उस स्थान विशेष की परिस्थितियों, समस्याओं एवं चुनौतियों की बेहतर जानकारी होती है, अतः निर्णय में विसंगतियों की संभावना न्यूनतम होती है। पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से पेसा अधिनियम (PESA Act) जैसे प्रावधानों को लागू करने से हाशिये पर रहने वाले समुदाय भी अपने अस्तित्व एवं मूल्यों से समझौता किये बगैर शासन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं।

साथ ही महिलाओं को न्यूनतम एक-तिहाई आरक्षण प्रदान करने से महिलाएँ भी मुख्यधारा में शामिल होती हैं। यह स्वस्थ राजनीति की प्रथम पाठशाला साबित हो सकती है जहाँ से जमीनी स्तर पर समाज के प्रत्येक पहलू की समझ रखने वाले एवं स्थानीय समस्याओं के प्रति संवेदनशील नेता भविष्य के लिये तैयार हो सकते हैं। इसके माध्यम से केन्द्र एवं राज्य सरकारों के मध्य स्थानीय समस्याओं को विभाजित कर उनका समाधान अधिक प्रभावी तरीके से किया जा सकता है।

पंचायतें अगर सशक्त बनेंगी तो ग्रामीण स्तर पर कला एवं शिल्प, हस्तकला, हस्तकरघा आदि जैसे सूक्ष्म उद्योगों को प्रोत्साहन प्रदान करेंगी जिससे रोजगार में वृद्धि एवं प्रवासन में कमी होगी।

पंचायती राज्य की सफलता में बाधाएँ :

पंचायतों के पास वित्त प्राप्त का कोई मजबूत आधार नहीं है उन्हें वित्त के लिये राज्य सरकारों पर निर्भर रहना पड़ता है। ज्ञातव्य है कि राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराया गया वित्त किसी विशेष मद में खर्च करने के लिये ही होता है।

हालाँकि 14वें वित्त आयोग ने पंचायतों के लिये 2 लाख करोड़ रुपए की निधि तय की है जिसे किसी विशेष मद में खर्च करने की बाध्यता नहीं रहेगी।

कई राज्यों में पंचायतों का निर्वाचन नियत समय पर नहीं हो पाता है। कई पंचायतों में जहाँ महिला प्रमुख हैं वहाँ कार्य उनके किसी पुरुष रिश्तेदार के आदेश पर होता है, महिलाएँ केवल नाममात्र की प्रमुख होती हैं। इससे पंचायतों में महिला आरक्षण का उद्देश्य नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। क्षेत्रीय राजनीतिक संगठन पंचायतों के मामलों में हस्तक्षेप करते हैं जिससे उनके कार्य एवं निर्णय प्रभावित होते हैं।

इस व्यवस्था में कई बार पंचायतों के निर्वाचित सदस्यों एवं राज्य द्वारा नियुक्त पदाधिकारियों के बीच सामंजस्य बनाना मुश्किल होता है, जिससे पंचायतों का विकास प्रभावित होता है।

पंचायती राज का नकारात्मक पक्ष :

शक्तियों का अत्यधिक विकेंद्रीकरण केंद्रीय सत्ता को कमजोर कर सकता है, साथ ही अलगाववादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा दे सकता है। बहुसंख्यक भावनाओं व मान्यताओं के नाम पर जाति, धर्म, लिंग आधारित भेदभाव की घटनाओं में वृद्धि हो सकती है। केंद्र और राज्य सरकारों की तरह पंचायतों का भी अपना बजट होना चाहिये जिससे वित्तीय मामलों में पंचायतें आत्मनिर्भर हो सकें।

बजट के साथ-साथ पंचायतों के कार्यों का सामाजिक ऑडिट (Social Audit) भी किया जाना चाहिये, जिससे उनका उत्तरदायित्व सुनिश्चित हो सके। पंचायतों के निर्वाचित सदस्यों एवं राज्य द्वारा नियुक्त पदाधिकारियों के अनुक्रम में पारदर्शिता होनी चाहिये जिससे उनके बीच सामंजस्य की समस्या उत्पन्न न हो। महिलाएँ मानसिक एवं सामाजिक रूप से अधिक क-से-अधिक सशक्त बनें जिससे निर्णय लेने के मामलों में आत्मनिर्भर बन सकें।

पंचायतों का निर्वाचन नियत समय पर राज्य निर्वाचन आयोग के मानदंडों पर बिना क्षेत्रीय संगठनों के हस्तक्षेप के होना चाहिये। इन्हें और अधिक कार्यकारी अधिकार प्रदान किये जाने चाहिये।

निष्कर्ष :

पंचायती राज व्यवस्था राजनीतिक जागरूकता के साथ-साथ आम आदमी के सशक्तीकरण का भी परिचायक है। विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था और सहभागिता मूलक लोकतंत्र पंचायती राज व्यवस्था के दो मुख्य घटक हैं। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण लागू होने से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं में पुरुषों का क्षेत्र माना जाने वाला राजनीति में अपनी पकड़ और पहचान बना ली है जो किसी भी प्रदेश के विकास की सबसे बड़ी पहचान है। नीति-नियंता और नेतृत्वकारी भूमिका ने उन्हें वे सब कुछ सिखा दिया है, जिसे पहले पुरुषों में देखकर अपने में हीनता महसूस करती थी। यहाँ के महिलाओं की दक्षता और क्षमता ने देश-विदेश में बिहार का नाम रौशन किया है। देश के अन्य प्रदेशों की तरह बिहार की बेटियाँ शिक्षा, खेल, विज्ञान, सिनेमा, साहित्य, कला तकनीकी, राजनीति और समाज सेवा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कामयाबी हासिल की है। इनके बढ़ते कदम से ऐसा लगता है कि आने वाले समय में पुरुष सत्तात्मक समाज शब्द को भूलकर लोग 'स्त्री-पुरुष समाज' या 'मानव समाज' कहने लगेंगे।

संदर्भ :

1. कुमार, डॉ० जयेन्द्र: पंचायती राज व्यवस्था और महिलाएँ
2. कुमार, डॉ० विमलेश 'लोकप्रिय': पंचायती राज व्यवस्था में महिला आरक्षण एवं सहभागिता
3. चौधरी, प्रसन्न कुमार: सामाजिक परिवर्तन के लिए नए आयाम
4. देसाई, नीरा; ठक्कर, उषा: भारतीय समाज में महिलाएँ
5. सिंह, डॉ० विजय: बिहार के विकास में महिलाओं की भूमिका
6. सिंह, सीमा: पंचायती राज और महिला सशक्तीकरण
7. सिन्हा, मृदुला: महिला विकास : अवलोकन और आकलन

ग्रामीण जीवन पर आधुनिकीकरण का प्रभाव

नीतीश गिरि रंजन

शोधार्थी, अर्थशास्त्र विभाग, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा

भारत सदियों से एक कृषि-प्रधान देश रहा है। यहां रहने वाली संपूर्ण जनसंख्या की अधिकतर भाग गांवों में रहता है। भारत में आज ग्रामीण जनसंख्या और ग्रामीण आबादी सर्वाधिक है। भारत का प्रत्येक गांव आज भी अपनी अनमोल संस्कृति, विरासत एवं विविधता के लिए विश्वविख्यात है। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग अपनी कला, संस्कृति, परंपरागत तकनीक व परंपरागत रोजगार को साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आजादी के समय भी जब सारी आर्थिक गतिविधियाँ धीरे-धीरे आगे बढ़ रही थीं, उस समय भी इन्हीं परंपरागत तकनीकों एवं ग्रामीण जनों के कंधों पर देश के विकास की जिम्मेदारी थी, क्योंकि उस समय विशाल जनसंख्या के लिए सबसे बड़ी समस्या खाद्यान्न आपूर्ति की थी, जो विषम रूप धारण किए खड़ी थी। आज भी परंपरागत तकनीकों की प्रभावशीलता कुछ ग्रामीण इलाकों में नजर आती है।

इन सारी विशेषताओं की पुष्टि उस समय के महान स्वतंत्रता सेनानी राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी द्वारा दिए गए भाषणों में परिलक्षित होती है। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा था कि भारत का सर्वांगीण विकास तभी सुनिश्चित किया जा सकता है, जब भारत के सभी ग्रामीण इलाकों को तमाम बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराकर उन्हें मजबूत किया जाएगा। इसकी शुरुआत भी उन्होंने साबरमती आश्रम से ही कर दी, जब उन्होंने आश्रम में पढ़ने वाले बच्चों को बुनियादी शिक्षा के साथ-साथ तकनीकी शिक्षा ग्रहण करने की बात कही। उनका मानना था कि जब तक बच्चों में तकनीकी शिक्षा की रुचि को जागृत नहीं किया जाएगा, तब तक आधुनिक युग की शुरुआत नहीं हो सकती। इसके लिए उन्होंने आश्रम में ही बच्चों से छोटे-मोटे कार्य कराने प्रारंभ कर दिए, जो आने वाले दिनों में चलने वाले असहयोग आंदोलन और विदेशी वस्तु बहिष्कार आंदोलन के लिए काफी प्रभावकारी साबित हुए।

इसी प्रकार धीरे-धीरे आधुनिकता की लहर संपूर्ण भारत में फैलती गई। उस समय ग्रामीण इलाकों से लेकर छोटे-बड़े शहरों में भी चरखों और हस्तकरघा जैसे परंपरागत संसाधनों की मदद से सूत कटाई से लेकर बुनाई, सिलाई तक के कार्य किए जाने लगे। आज भले ही इन परंपरागत तकनीकों का स्थान आधुनिक मशीनों ने ले लिया हो, लेकिन आज भी इनकी महत्ता कई स्थान विशेषों में आज भी देखने को मिलती है। निःसंदेह हम उस युग को आधुनिकता की पहली सीढ़ी कह सकते हैं, जहां से चलकर आज उनके विकसित रूप संपूर्ण भारत में दिखाई दे रहे हैं। साथ ही इनका ग्रामीण जीवन पर लाभदायक प्रभाव भी देखे जा रहे हैं। इनमें से कुछ निम्न प्रकार हैं-

1. ग्रामीण इलाकों में पक्की सड़कों का विस्तार।
2. कृषि के अंतर्गत पाए जाने वाले परंपरागत संसाधनों का आधुनिकीकरण
3. आधुनिक एवं उत्तम प्रकृति के सुविधाजनक संसाधनों में वृद्धि

ग्रामीण इलाकों में पक्की सड़कों का विस्तार

1980 के दशक से पहले गाँवों से लेकर शहरों तक आवागमन के साधनों और सड़कों तक की सुविधाओं का काफी अभाव रहा। यहाँ तक कि शहरों में सड़कों एवं आवागमन की हालत कुछ ठीक भी थी, लेकिन ग्रामीण इलाकों में केवल कच्ची सड़कें ही पाई जाती थीं, जिस कारण से हमेशा ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए आवागमन साधनों के नाम पर केवल बैलगाड़ियां तथा घोड़ागाड़ियां ही मौजूद हुआ करती थीं। इन्हीं संसाधनों की मदद से किसान कृषि का कार्य भी संपन्न किया करते थे व एक स्थान से दूसरे स्थानों तक कृषि सामग्री को लाते तथा ले जाते थे। लेकिन 1980 के बाद परिस्थितियां बदलने लगीं। अब ग्रामीण इलाकों में भी पक्की ईंटों वाली सड़कों का निर्माण किया जाने लगा, साथ ही आवागमन जैसी सुविधाओं में भी वृद्धि हुई है। आज जिस प्रकार से पूरे देश में आवागमन के साधनों, जैसे- रेल सेवा, वायु सेवा, मोटर एवं डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन से चलने वाले वाहनों में वृद्धि देखी जा रही है, उसी तरह ग्रामीण इलाकों में भी कृषि कार्यों से लेकर आवागमन के साधनों में डीजल व पेट्रोल इंजनों कि भरमार होने लगी है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के द्वारा भी ग्रामीण इलाकों

में 1.66 लाख से ज्यादा सड़कों का निर्माण किया जा चुका है, ताकी सुदूर ग्रामीण इलाकों की पहुँच को शहरी बाजारों तक आसान बनाया जा सके। अब इन योजनाओं के लाभदायक प्रभाव भी ग्रामीण इलाके में बढ़ते शिक्षा संस्थानों की स्थिति का देखकर लगाया जा सकता है। केवल इतना ही नहीं, बल्कि ग्रामीण इलाकों में अच्छी सड़क निर्माण से रोजगार के स्तर में भी वृद्धि देखी जा रही है। अब लोग केवल कृषि व्यवसायों पर ही निर्भर नहीं हैं, बल्कि कृषि के अलावा कृषि से इतर क्षेत्रों में भी रोजगार की वृद्धि देखी जा रही है। अब अधिकर दुकानें, औद्योगिक प्रतिष्ठान से लेकर छोटे-मोटे उद्योग सड़कों किनारे अथवा चौराहे पर केंद्रीत होते जा रहे हैं, जिसके कारण वहां निवास करने वाले लोगों को काफी सुविधाएं मिल रही है। ग्रामीण इलाकों के नजदीक बाजारों का केंद्रीकरण निःसंदेह उस स्थान विशेष की तेज रफ्तार विकास की ओर इशारा करती है। वैसे भी ग्रामीण इलाकों में छोटे एवं ग्रामीण बाजारों का प्रचलन सदियों से रहा है, लेकिन सड़क के विकास के अभाव में इन बाजारों की पहुँच केवल ग्रामीण इलाकों तक ही सीमित हुआ करती थी। अब परिस्थिति बदल चुकी है। अब इन्हीं बाजारों की पहुँच बड़े शहरी बाजारों तक होने लगी है, जिससे न केवल यहां रहने वाले लोगों को लाभ प्राप्त होता है बल्कि यहां के किसानों के लिए भी काफी फायदेमंद साबित हो रही है। यहां के अधिकतम किसान मजबूरीवश बस बाजार सीमितता के कारण अपने कृषि उत्पादित फसलों को औने-पौने दामों में बेच देते थे, यह समस्या अब होने बंद होती जा रही है। यहां के किसान अब अपनी फसलों को बड़े बाजारों में बेचने में भी सक्षम हैं, क्योंकि अब बाजार के विस्तारीकरण के साथ-साथ आवागमन की सुविधाओं में भी उतनी ही वृद्धि होती जा रही है, या यों कहें कि अब आधुनिक युग का प्रभाव इन क्षेत्रों के लिए वरदान साबित हो रहा है, जो प्रधान मंत्री द्वारा कही गयी आय दो गुनी करने की बातों को सत्यता प्रदान कर रही है। जहां पहले कृषि उत्पाद में भी किसानों को सिचाई से लेकर कटाई, छंटाई, बुआई तक के कामों में परंपरागत संसाधनों का सहारा लेना पड़ता था, अब इनमें से अधिकतर कार्य तकनीकों की सहायता से संपन्न किए जा रहे हैं, जिससे समय श्रम और संसाधनों की बचत हो रही है।

कृषि के अन्तर्गत पाये जाने वाले परंपरागत संसाधनों का आधुनिकीकरण

राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी द्वारा कही गई बातों में आज भी सत्यता की झलक देखी जा सकती है। आज से कई दशकों पहले जब भी गांव की तरक्की का जिक्र होता है, तो किसानों कि तस्वीर उभर कर सामने आ जाती थी, क्योंकि गांव एक समग्र समाज का आंशिक रूप होता है, जहां पर सभी धर्मों एवं जातियों के लोग एक साथ रहते हैं। यहां तक की किसान से लेकर बढ़ई तक, कुम्हार से लेकर लोहार तक हर प्रकार के कार्य करने वाले कर्मठ युवा गांवों में ही निवास करते हैं जिनके अंदर स्वावलंबन एवं आत्मनिर्भरता कूट-कूट कर भरी होती है। यही मेहनतकश युवा आबादी अपनी कार्य कुशलता एवं कौशल दक्षता की बदौलत एक बेहतर एवं विकासशील समाज का निर्माण करते हैं जो आगे चलकर देश कि आर्थिक वृद्धि और उन्नति में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। दशकों तक यह समाज अपनी कर्तव्यनिष्ठा की बदौलत अपने परंपरागत संसाधनों को आत्मसात किए हुए देश की एक बड़ी आबादी का पोषण करता आया है। साथ ही अपने द्वारा उत्पादित कृषि उत्पादों को अन्य देशों के लिए निर्यात की आपूर्ति कराकर देश के विकास में योगदान देता आया है लेकिन देश कि बढ़ती जनसंख्या एवं खाधानों के बढ़ती मांगों के अनुरूप आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अब इनके परंपरागत संसाधन एवं औजार दम तोड़ रहे हैं। 1980 के दशक से पहले तक तो किसी प्रकार इनमें बदलाव लाकर मांग के अनुरूप आपूर्ति कराई गई लेकिन यह समस्या बढ़ती चली गई। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इनके उपयोग में आने वाले संसाधनों को आधुनिक बनाने कि योजना बनाई। इस योजना के बदौलत इनमें बदलाव देखे गए। पहले जहांकृषि कार्यों में मवेशियों के सहयोग से किसान कृषि कार्य सम्पन्न किया करते थे, वहीं उनके स्थान पर ट्रैक्टरों जैसे आधुनिक मशीनों एवं साधनों का प्रयोग होने लगा जिसके कारण उन बंजर भूभागों पर भी कृषि कार्य को संपन्न किए जाने लगे जो पहले कृषि की उपयोगिता से वंचित थे। इतना ही नहीं कटाई से लेकर बुआई, छंटाई तक के लिए भी आधुनिक मशीनों का उपयोग प्रारंभ हो गया।

सिंचाई के लिए भी जहां लोग कुओं, तालाओं, नदियों एवं प्रकृति की कृपा पर आश्रित थे, वहीं अब डीजल पम्प सेटों के प्रयोग ने इनकी इस समस्या का सामाधान करने में एक अहम भूमिका निभाई। पहले जहां लोग कृषि एवं गैर कृषि क्षेत्र को अलग अलग रूप से देखते थे वहीं अब कृषि क्षेत्र में बढ़ते आधुनिक मशीनों के प्रयोग से इन दोनों क्षेत्रों के सम्मिलित प्रभाव दृष्टिगत हो रहे हैं। जो यह बताते हैं कि ये दोनों क्षेत्र एक-दूसरे से अलग नहीं बल्कि एक-दूसरे के सहयोगी हैं जो एक-दूसरे को पूर्ण सहभागिता के साथ आगे बढ़ाते हैं। अब अगर कृषि क्षेत्र की गतिविधियों कि बात करें तो इनमें मूल रूप से फसल उत्पादन, पशुपालन, बागवानी, मच्छली पालन इत्यादि गतिविधियां शामिल हैं, जबकि गैर कृषि क्षेत्र के अंतर्गत कृषि फसलों का प्रसंस्करण, भंडारण, स्थानांतरण, अन्य कृषि-कार्य, खुदरा व्यापार आदि आते हैं। आसान शब्दों में कहा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में संपन्न की जाने वाली वो तमाम गतिविधियां जो प्रत्यक्ष रूप से कृषि से जुड़ी न हों कृषितर क्षेत्र कहलाती हैं। इनके तमाम स्रोत किसी-न-किसी रूप से कृषि क्षेत्रों से ही जुड़ी होती है। इसके साथ ही कृषि की अपेक्षा गैर कृषि क्षेत्रों में रोजगार

की असीमित संभावनाएं मौजूद हैं, जिनके विकास से एक बड़ी आबादी को रोजगार प्रदान की जा सकती है। अगर देखा जाए तो वर्ष 1977-78 के दौरान कुल कामगारों में से 84.4 प्रतिशत कामगार कृषि संबंधी गतिविधियों में शामिल थे, वहीं 2007-08 में शामिल कामगारों की जनसंख्या 1977-78 के 15 प्रतिशत से बढ़कर 2008-09 में 25 प्रतिशत तक पहुंच गई। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि कृषि क्षेत्रों तथा गैर कृषि क्षेत्रों में रोजगार कि असीमित संभावनाएं मौजूद है।

आधुनिक एवं उत्तम प्रकृति के सुविधाजनक संसाधनों के वृद्धि

आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। यह कथन अगर किसी ने कहा है तो यह आज के बदलते युग में सत्य प्रतीत होती है। जब देश में उत्तम प्राकृतिक संसाधनों कि कमी थी तब भी देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग अपनी सहूलियत के अनुरूप सुविधाजनक संसाधनों का स्वयं निर्माण कर अपने कार्य में आने वाली कठिनाइयों का समाधान करते थे एवं तरह तरह के औजारों का निर्माण करते थे। इसीलिए हमें क्षेत्रीय स्तर पर भी लोगों के काम करने के तरीके एवं उन कार्यों में उपयोग किए जाने वाले संसाधनों में भिन्नता दिखाई देती है। एक उदाहरण के अनुसार, शुरुआती दौर में जब लोगों को पानी कि आवश्यकता थी, तब लोग अपने निवास स्थान का निर्माण अक्सर नदी और तालाबों के आस-पास ही करते थे। धीरे-धीरे जागरूकता बढ़ी। लोगों ने कुओं का निर्माण करना शुरू किया, फिर ट्यूबवेल के आविष्कार हो जाने से लोगों को काफी सहूलियत मिलने लगी। आज यह प्रगति वोरवेल से लेकर समरसेवल तक पहुंच चुकी है। उसी प्रकार अन्य क्षेत्रों में भी प्रगति देखी गई। जैसे-जैसे समाज में उत्तम प्राकृतिक संसाधनों एवं सुविधाओं में प्रगति होती गई, लोगों का आर्थिक और सामाजिक विकास भी बदलता और बढ़ता गया। जहाँ पहले किसान सिंचाई के लिए प्रकृति की कृपा पर निर्भर थे, वहीं अब संसाधनों की उपलब्धता के कारण स्वनिर्भर बन चुके हैं, जिसके कारण कृषि उत्पादन में भी काफी वृद्धि देखी जा रही है। तकनीकी क्षेत्रों में भी आज लोग गैर कृषि से लेकर सेवा क्षेत्र एवं उद्योग क्षेत्र में असीमित सफलताएं प्राप्त कर रहे हैं।

आजादी से पहले तथा उसके बाद के कई दशकों तक बिहार समेत पूरे देश में भी तकनीकी कौशल एवं उद्योगों का घोर अभाव पाया जाता था। यहां तक कि तकनीकी कौशल एवं तकनीकी संसाधनों के अभाव में अर्थव्यवस्था की हालत दैनिक बनी हुई थी, लेकिन बाद के दशकों में जैसे-जैसे तकनीकों का विकास होता गया, वैसे-वैसे तकनीकी कौशल से युक्त व्यक्तियों की संख्या के साथ-साथ औद्योगिक प्रतिष्ठानों में भी वृद्धि देखी गई जिसके अन्तर्गत खाद्य पदार्थों से लेकर दैनिक सुविधाओं से संबंधित तमाम तरह की वस्तुओं के उत्पादन किए जाने लगे जिसके कारण बहुत हद तक आयातित वस्तुओं पर अंकुश लगाया जा सका। आज इनकी आयात में कमी के कारण सरकारी मुद्रा कोश में वृद्धि हो सकी। आज देश कि अर्थव्यवस्था उस मुकाम तक पहुंच चुकी है, जहां से भुगतान संतुलन को नियंत्रित कर सरकार निर्भरता के साथ आगे बढ़ रही है। रोजगार कि दृष्टि से भी अगर देखा जाए तो भारत जैसे-जैसे तकनीकी क्षेत्रों का विकास बढ़ाता जा रहा है, उससे अधिक अनुपात में रोजगार में भी वृद्धि हो रही है। यहां तक कि शहरी क्षेत्रों के अलावा ग्रामीण क्षेत्र भी अछूता नहीं रहा। इस तीव्र वृद्धि के पीछे कई कारण हो सकते हैं, लेकिन एक कारण सबसे महत्वपूर्ण मानी जा सकती है और वो है, बड़ी-बड़ी मशीनों का छोटे रूपों में रूपांतरण। जहां पहले किसी भी उद्योग में उत्पादन क्रिया को प्रारंभ करने के लिए जिन मशीनों का उपयोग किया जाता था वो आकार में बहुत बड़े होते थे, साथ ही उनमें काफी जटिलता पाई जाती थी, जिसके कारण उन्हें संचालित करने के लिए अच्छे एक्सपर्ट की जरूरत होती थी। इसके अलावा उन बड़ी मशीनों की स्थापना के लिए बड़े भूखंडों की आवश्यकता होती थी जिससे उनकी लागत भी ज्यादा होती थी। लेकिन अब तकनीकी प्रगति के कारण उनके छोटे रूप भी तैयार होने लगे, जिससे न केवल उत्पादन क्षमता ज्यादा होने के बाद भी उत्पादन लागत कम आती है, बल्कि उन्हें कहीं भी स्थापित किया जा सकता है। आज इन्हीं तकनीकी संसाधनों के छोटे स्वरूपों की उपलब्धता के कारण बड़े-से-बड़े उद्योगों को छोटी-से-छोटी जगहों पर भी स्थापित किया जा रहा है। इससे न केवल देश में उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो रही है बल्कि लाखों लोगों को रोजगार भी प्राप्त हो रहे है। ग्रामीण इलाकों में भी अनेक प्रकार के छोटे-बड़े लघु एवं कुटीर उद्योगों को संचालित किया जा रहा है, जिसके प्रभाव से आज ग्रामीण इलाकों से पलायन कर रहे मजदूरों की संख्या में कमी देखी जा रही है। भारत सरकार द्वारा भी डैडम् क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए तमाम तरह की योजनाएं बनाई जा रही हैं जिनके द्वारा ज्यादा-से-ज्यादा नये रोजगारों को सृजित किया जा सके। खास तौर से ग्रामीण इलाकों में संचालित होने वाले छोटे उद्योगों में महिलाओं की एक महत्वपूर्ण भूमिका मानी जा सकती है। अगर देखा जाए तो लघु एवं कुटीर उद्योग अधिकतर घरेलू प्रकृति के होते है जिन्हें घरो के भीतर भी संचालित किया जा सकता है, जिसके कारण इन उद्योगों में महिला श्रमिकों की संख्या भी अधिक देखी जा सकती है। जहां पहले महिलाओं को लैंगिक भेदभाव के कारण रोजगार के क्षेत्रों से अलग रखा जाता था, वहीं आज महिलाएं तकनीकों के आगमन की बदौलत स्वरोजगार के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा शक्ति का लोहा मनवा रही हैं। आने वाले भविष्य में यही महिलाएं अपनी कौशल प्रतिभा की बदौलत ग्रामीण क्षेत्रों को आर्थिक विकास की पटरी पर लाने में अपना भरपूर योगदान दे सकती है।

सरकार के द्वारा भी लघु एवं कुटीर उद्योग से जुड़ी महिलाओं को सहायता प्रदान करने और उन्हें प्रतिभा के अनुरूप रोजगार प्राप्त करने के लिए मुद्रा योजना को प्रमुखता से लागू की जा रही है, ताकि कुटीर एवं लघु उद्योग के सहारे स्वावलंबन की भावना रखने वाली महिलाओं को पूंजी की प्राप्ति आसानी से हो सके। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर महिलाओं को औद्योगिक प्रशिक्षण भी प्रदान किये जा रहे हैं, ताकि जो महिला कुटीर तथा लघु उद्योग के क्षेत्र में स्वरोजगार की आकांक्षा रखती हैं, उन्हें उनके रोजगार से जुड़ा प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके। भारतीय श्रमिक विभाग के द्वारा जारी किये गये आकड़ों के अनुसार 2011 में महिला श्रमशक्ति की संख्या 14.98 करोड़ थी जिनमें से 12.18 करोड़ ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएँ थीं, शेष 2.8 करोड़ शहरी क्षेत्रों की महिलाएँ थीं, लेकिन यह आंकड़े महिला सशक्तीकरण की आकांक्षाओं और अभिलाषाओं को संतुष्ट नहीं करती, क्योंकि यह उपलब्धि उम्मीदों से कम थी। आज भी सामाजिक रीति-रिवाजों की वजह से महिलाएं श्रमशक्ति की भागीदारी में अपेक्षित वृद्धि दर से काफी धीमी गति से आगे बढ़ रही हैं। सरकार द्वारा इस समस्या पर तत्काल अंकुश लगाने के लिए कई सारे कारगर उपाय अपनाए जा रहे हैं, जिसमें से वोकल फोर लोकल का संकल्प ग्रामीण इलाकों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

पहले जहां ग्रामीण इलाके में उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं एवं उत्पादों की पहुंच मात्र क्षेत्रीय इलाकों तक सिमित हुआ करती थी, वहीं अब प्रधान मंत्री द्वारा संचालित योजनाओं से इसे एक नई दिशा प्रदान की जा रही है, जिससे न केवल ग्रामीण स्तर पर काम कर रहे श्रम बलों के रोजगार में वृद्धि होगी बल्कि ग्रामीण इलाकों से हो रहे मजदूरों के पलायन की समस्या पर अंकुश लगाया जा सकेगा लेकिन, इससे पहले जमीनी स्तर पर कुछ कार्य करने की आवश्यकता है; जैसे-

1. ग्रामीण स्तर पर विपणन केन्द्रों की स्थापना।
2. उत्पादन से जुड़े प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना।
3. आवागमन एवं आधार संरचना का निर्माण

1 ग्रामीण स्तर पर विपणन केन्द्रों की स्थापना- ग्रामीण स्तर पर वोकल फोर लोकल के स्वप्न को साकार करने लिए इन क्षेत्रों में विपणन केन्द्रों की स्थापना करने की आवश्यकता है। विपणन केन्द्रों की स्थापना से न केवल किसानों को इसका लाभ मिलेगा बल्कि नये रोजगार भी सृजित किये जा सकते हैं। इसके लिए जमीनी स्तर पर इनसे जुड़े आधारीक संरचनाओं का निर्माण करना होगा क्योंकि विकसित अवसंरचनाओं का आर्थिक संवृद्धि के साथ सीधा संबंध माना जाता है। इसके अन्तर्गत यातायात की सुगमता, उर्जा की उपलब्धता, श्रमबल की अनुकूल उपस्थिति एवं अन्य आर्थिक कारकों को स्थान दिया जाता है। इन सबके बावजूद पूंजी, श्रम एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता भी आवश्यक मानी जाती है। इन सबके अलावा भी कुछ गैर आर्थिक चर अर्थात् राजनीतिक स्थिरता, उधमशीलता कि भावना तथा लोगों में जोखिम लेने की क्षमता का होना इसके आधारभूत तत्व हैं, जो इन्हें तीव्रता प्रदान करते हैं।

यदि हम ग्रामीण विपणन की अवस्था की आधारभूत अवसंरचनात्मक तत्वों की बात करें तो इसके अन्तर्गत भी ग्रामीण अवसंरचना का विकास, शहर और गांवों के बीच समन्वय, क्रय क्षमता, स्थानीय परिवेश, उपभोक्ता व्यवहार, राजनीकति स्थिरता व उद्यमशीलता जैसे तत्व शामिल हैं। लेकिन अब तक केवल गैर आर्थिक चरों को छोड़कर केवल कृषि पर ही ध्यान केन्द्रित किया गया। कृषि गतिविधियों के अन्तर्गत मुख्य रूप से फसल उत्पादन, पशुपालन, बागवानी, मच्छली पालन इत्यादि गतिविधियों शामिल होती हैं, वहीं गैर कृषि गतिविधियों के अंतर्गत निर्माण, खनन, खाद्य प्रसंस्करण, थोक व खुदरा व्यापार, संचार व यातायात, भंडारण, शिक्षा स्थल जैसी द्वितीयक व तृतीयक श्रेणी की गतिविधियां शामिल हैं, जो अनिवार्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में ही अवस्थित हों। अगर देखा जाए तो पहले ही इन क्षेत्रों से जुड़ी एवं बड़े उपभोक्ता वर्ग को लक्षित विपणन केन्द्र स्थापित किये जा चुके हैं, खासकर बड़ी कंपनियों के ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिन्होंने गो- रूरल के मंत्र पर चलकर असीमित मुनाफा कमाया है। इसके कुछ उदाहरण देखें, तो 2001 में हिन्दुस्तान युनिलीवर कंपनी ने प्रोजेक्ट शक्ति के अन्तर्गत विपणन केन्द्रों की स्थापना से समस्त ग्रामीण स्तर तक अपने उत्पादन को पहुंचाने का कार्य किया जो कंपनी और स्थानीय समुदाय दोनों के लिए आर्थिक तौर से लाभकारी सिद्ध हुआ। इसी प्रकार फिलिप्स कंपनी ने जब भारत में अपने उत्पादन का विस्तार करना चाहा, तो उसने ग्रामीण भारत को ही आधार बनाया और ग्रामीण अनुकूल उत्पाद तैयार किये। इसके मूल में स्थानिय जरूरतों के अनुरूप तथा कम बिजली की खपत वाले इलेक्ट्रॉनिक समान शामिल थे। इसी प्रकार एसजी कम्पनी ने भी भंडारण गृह एवं विपणन केन्द्रों की मदद से अपने उत्पादों को भारत के कोने-कोने में पहुंचाया जिससे उन्हें भारी मुनाफा प्राप्त हुआ।

2 उत्पादन से जुड़े प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना- ऐसा नहीं है कि भारत में प्रशिक्षण केन्द्रों का पूर्णतः आभाव रहा है। आजादी के समय से लेकर आज तक आवश्यकता के अनुरूप प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना होती रही है। पहले प्रशिक्षण कार्य

केवल औद्योगिक क्षेत्राधिकारों के अन्तर्गत आते थे, लेकिन धीरे-धीरे इसकी सीमा को बढ़ाया गया, जिनके द्वारा अनेक प्रशिक्षण केन्द्र औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर स्थापित किये गये। ये प्रशिक्षण केन्द्र या तो सरकारी योजनाओं के अधीन होते थे अथवा पूर्णतः निजी थे। कुछ प्रशिक्षण केन्द्र केवल सरकारी नियमों के अनुरूप केवल सरकारी कार्यों के लिए ही संचालित किये जाते थे। ऐसे प्रशिक्षण केन्द्रों को किसी भी प्रकार से निजी संचालकों द्वारा संचालित करने कि अनुमति नहीं थी, जैसे देश की सुरक्षा से जुड़े औद्योगिक केन्द्र तथा प्रशिक्षण केन्द्र, आयुध निर्माण संबंधी उद्योग आदि। इन सबके अलावा ग्रामीण इलाकों में किसी भी प्रकार के प्रशिक्षण केन्द्र नहीं स्थापित किये गए जिस कारण अधिकतर लोग केवल कृषि व्यवस्था पर ही निर्भर रह गए। इसके पीछे कई कारणों एवं समस्याओं को जिम्मेवार माना जा सकता है, जैसे अशिक्षित सामाज, पूंजी का आभाव, संचार एवं यातायात सुविधाओं का अभाव आदि। लेकिन आज परिस्थितियां बदल चुकी हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी द्वारा सुदूर स्थित ग्रामीण इलाकों में भी कौशल विकास योजना द्वारा संचालित प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की जा रही है। ये प्रशिक्षण केन्द्र प्रखण्ड स्तर पर स्थापित किए जा रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण आबादी इस योजना से लाभान्वित हो सके तथा उनके लिए स्व रोजगार के प्रति उन्मुक्तता का मार्ग प्रसस्त हो सके। बिहार के कृषि क्षेत्रों को गति प्रदान करने के लिए जिस उद्देश्य के साथ राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा की स्थापना की गई, वह उद्देश्य आज पूरा होते हुए दिख रहा है। आज पूसा कृषि अनुसंधान संरचना के बदौलत समस्तीपुर जिले समेत बिहार ही नहीं, बल्कि समस्त भारत के किसान उसके द्वारा विकसित किये गये बीजों की मदद से खाधान आपूर्ति के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भरता प्रदान कर रहे हैं। इसके अलावा भी बिहार में अन्य कृषि प्रशिक्षण केन्द्र एवं विश्वविद्यालय स्थापित किये जा चुके हैं, जो निम्नांकित हैं-

बिहार में कृषि महाविद्यालय

क्र०	विश्वविद्यालय	जिला
1	राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय	समस्तीपुर
2	बिहार कृषि विश्वविद्यालय (पूर्व का बिहार कृषि कॉलेज)	सबौर, भागलपुर
3	तिरहुल कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, होली	मुजफ्फरपुर
4	कॉलेज ऑफ फिशरीज	ढोली, मुजफ्फरपुर
5	बिहार पशु चिकित्सा कॉलेज	पटना
6	कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग	पूसा समस्तीपुर
7	संजय गांधी डेयरी प्रौद्योगिक संस्थान	पटना
8	कॉलेज ऑफ होम साइंस,	पूसा, समस्तीपुर
9	हॉर्टिकल्चर कॉलेज	नूरसराय, नालंदा
10	बेसिक साइंस एण्ड ह्यूमेनिटिज कॉलेज	पूसा समस्तीपुर
11	मंडन भारती कृषि कॉलेज	अगवनपुर, सहरसा
12	वीर कुंवर सिंह कृषि कॉलेज	डुमराव, बक्सर
13	भोला पासवान शास्त्री कृषि कॉलेज	पूरुषिया
14	डॉ० कलाम कृषि कॉलेज	थकशनगंज

3 आवागम एवं आधार संरचना का निर्माण- किसी भी क्षेत्र के आर्थिक विकास में आधारीक संरचना एवं परिवहन सुविधाओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसके बिना किसी क्षेत्र के आर्थिक उन्नति की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। लेकिन ये व्यवस्थाएं व सुविधाएं आजादी के दशकों बाद तक केवल शहरों तक ही सीमित रह गईं जिसके कारण एक बड़ी ग्रामीण आबादी इन सारी सुविधाओं के साथ-साथ अपनी आर्थिक विकास से भी अछूती रह गई। इसका मुख्य कारण उन

उद्योग-धंधों को माना जा सकता है, जिन्होंने उत्पादन केन्द्रीकरण के सिद्धान्त को छोड़कर उपभोक्ता केन्द्रीकरण की नीति को प्राथमिकता दी। भले ही उन उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति उन्हीं ग्रामीण किसानों द्वारा कराई जाती रही है। लेकिन, अब परिस्थितियां बदल रही हैं। अब समस्त ग्रामीण इलाकों में भी आधारिक संरचनाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है जिसके कारण अब ग्रामीण इलाकों में नये उद्योग-धंधे स्थापित किये जाने लगे हैं। साथ ही जहां पहले आवागमन के साधन सीमित मात्रा में ही उपलब्ध हुआ करते थे, अब उनमें भी वृद्धि देखी जा रही है। जहाँ पहले जो सड़कें कच्ची हुआ करती थीं, अब उन्हें भी पक्की सड़कों में परिवर्तित किया जा रहा है जिससे केवल बाजारों का विस्तारीकरण ही नहीं हो रहा है, अपितु उन प्रक्रियाओं से रोजगार के नये अवसर सृजित किये जा रहे हैं जो निस्संदेह आने वाले दिनों में ग्रामीण इलाकों की दशा और दिशा को नया आयाम प्रदान करेंगे। अगर हम ग्रामीण एवं शहरी इलाकों के अन्तर्गत पाये जाने वाले संचार माध्यम से जुड़ी सुविधाओं की बात करें, तो इनमें भी काफी परिवर्तन देखे जा सकते हैं। 1980 के दशक में जहां शहरी इलाकों में संचार व्यवस्था तेजी से अपने पैर पसार रही थी, वहीं ग्रामीण इलाकों में केवल संचार माध्यम के नाम पर रेडियो सेट की मौजूद था, लेकिन जैसे-जैसे शहरों में संचार माध्यम की रफ्तार बढ़ती गई, वैसे-वैसे धीरे-धीरे ही सही ग्रामीण इलाकों में भी फैलने लगी, जिसका लाभदायक परिणाम तब सामने आया। जब एक ग्रामीण आबादी का बड़ा तबका जन प्रसारित सूचनाओं से लाभ प्राप्त कर अपनी जीवन-शैली को सुधारने का प्रयास करने लगा। आज ग्रामीण इलाकों में भी शहर जैसी सुविधाएं देखी जा रही हैं। जहां लोग अपने उत्पादों को तकनीकी माध्यमों के द्वारा विकेन्द्रीकृत बाजारों तक फैलाने में सफलता प्राप्त कर रहे हैं, वहीं तकनीकों के माध्यम से ऑनलाइन जैसी आधुनिक सुविधाओं का साथ पाकर अपने जीवन शैली एवं शिथिलता में आधुनिक एवं तीव्रता समायोजन कर देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।

निष्कर्ष इन विवेचनाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि जैसे जैसे आधुनिकता की दौरे आगे बढ़ती गयी इसका प्रभाव भी आगे बढ़ता गया जो न केवल शहरी इलाकों को ही आत्मनिर्भर बना रहा बल्कि इसका लाभ उन ग्रामीण इलाकों तक भी पहुंच रहा जिससे आज ग्रामीण इलाकों में भी आधुनिकता की झलक देखी जा रही है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. बिहार एक परिचय
2. समग्र बिहार
3. योजना
4. कुरुक्षेत्र
5. प्रतियोगिता दर्पण
6. इंडियन इकोनॉमिक्स
7. वार्षिक इकोनॉमिक्स अतिरिक्तांक
8. सामान्य ज्ञान दर्पण
9. स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार रिपोर्ट
10. बजट दस्तावेज

भारत में जाति और राजनीति के मध्य संबंध

डॉ० सुरेन्द्र सिंह

आचार्य एवं विभागाध्यक्ष राजनीति विज्ञान विभाग, श्री राधेश्याम आर मोरारका राजकीय महाविद्यालय, झुंझुनू

सारांश:-

जाति और राजनीति के मध्य संबंध का विप्लेषण जाति राजनीति को कैसे प्रभावित करती है तथा राजनीति जाति को किस प्रकार प्रभावित करती है के आधार पर किया गया है। जाति व्यवस्था देश में लोकतंत्र को प्रभावित करने में लगी है। लोकतंत्र चुनाव पर आधारित व्यवस्था है चुनावों में ज्यादा से ज्यादा समर्थकों की आवश्यकता पड़ती है। उम्मीदवारों को सबसे अधिक समर्थन की उम्मीद अपनी जाति के लोगों से होती है। यही कारण है कि सम्पूर्ण भारत में अधिकतर सीटों पर उम्मीदवारों के चयन में जाति की मुख्य भूमिका होती है। इसी प्रकार मंत्रीमण्डल के गठन, विभिन्न पदों पर भर्ती तथा नियुक्तियों में जातिगत आधार पर सभी जातियों को सोशल इंजिनियरिंग द्वारा खुश करने का प्रयास किया जाता है इसे जातियों का समीकरण बनाना कहा जाता है। प्रस्तुत लेख में जाति और राजनीति के मध्य संबंध एक एथार्थ के रूप में भारतीय राजनीति में प्रायः सभी चुनावों में दिखाई देता है का अध्ययन किया गया है।

मुख्य शब्द:- राजनीतिकरण, जातिकरण, आरक्षण, जातिवाद, क्षेत्रवाद, वोटबैंक, हरित क्रान्ति

परिचय:-

भारत एक बहुभाषीय, बहुजातीय और विभिन्न धर्मावलम्बियों वाला देश है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विभेदीकरण जाति, वर्ग और जनजातीय संस्थाओं में देखने को मिलता है। जाति-व्यवस्था भारतीय समाज में हमेशा किसी न किसी रूप में विद्यमान रही है। हमारे समाज की एक मुख्य विशेषता यह है कि हर जाति के लोग अपने आप को एक अलग संगठित समूह मानते हैं। यह कहना भी गलत नहीं होगा कि वर्तमान भारतीय राजनीति एक हद तक जाति पर आधारित है। जाति लामबंद होकर राजनीति को प्रभावित करती है।¹ राजनीति को समझने के लिए जाति आधारित राजनीतिक लामबन्दी को जानना आवश्यक है। राजनीति में जाति की तथा जाति में राजनीति की अहम् भूमिका होती है। इस बात को अधिकांश राजनीतिज्ञों एवं समाजशास्त्रियों ने स्वीकार किया है।

जाति भारतीय सामाजिक व्यवस्था की एक अनोखी विशिष्टता है। 'जाति' नामक संस्था, जिसका जन्म समाज के संचालन के लिए हुआ था। आज इससे आगे बढ़कर, राजनीति एवं प्रशासन को प्रभावित कर रही है। व्यक्ति के जन्म के साथ ही उसकी जाति तय हो जाती है। सभी जातियों के बहुत से नियम, कायदे-कानून, रीति-रिवाज तथा मान्यताएँ होती हैं। भारतीय नेताओं का अनुमान था कि स्वतन्त्रता, समानता, सामाजिक न्याय तथा लोकतान्त्रिक संस्थाओं की स्थापना के साथ जाति-व्यवस्था का प्रभाव धीरे-धीरे कम हो जाएगा, पर जाति व्यवस्था का एक स्वरूप मतदान व्यवहार में देखा जा सकता है।²

यद्यपि समस्त मानव समाजों में किसी न किसी रूप में सामाजिक विशिष्टताएँ विद्यमान रहती हैं, लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब विभिन्न प्रकार के संसाधनों, सम्पत्ति, आय, शक्ति एवं प्रतिष्ठा का निर्धारण एकमात्र जाति के आधार पर होने लगता है। भारतीय जाति व्यवस्था स्तर विन्यास की एक संकीर्ण व्यवस्था मानी जाती है, जिसका अर्थ है कि व्यक्ति की सामाजिक पहचान का निर्धारण उसकी जाति होती है तथा समाज के द्वारा अन्य जातियों के साथ उसके व्यवहार एवं पारस्परिक सम्पर्क पर सीमाएँ निर्धारित कर दी जाती हैं।

अतः ऐसा मानना कि जाति-प्रथा का लोप हो रहा है, सर्वथा अनुचित है। समाज तथा जाति के महत्व को कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। रजनी कोठारी ने अपनी पुस्तक 'कास्ट इन इण्डियन पॉलिटिक्स,' में जाति-व्यवस्था व राजनीति में अंतःक्रिया का विश्लेषण किया है। उनके अनुसार जहाँ भारत में जाति ने राजनीति को प्रभावित किया है, वहाँ जाति भी राजनीति

से प्रभावित हुई है। इसके फलस्वरूप जहाँ राजनीति का जातीयकरण हुआ है, वहीं जाति का भी राजनीतिकरण हुआ है और वह एक सामाजिक इकाई से एक राजनीतिक इकाई बन गई है।³

भारत में जाति और राजनीति:-

भारत में जाति की व्यापकता एवं महत्व को बताते हुए डॉ. मजूमदार का कहना है कि जाति व्यवस्था भारत में अनुपम है। सामान्यतः भारत जातियों एवं सम्प्रदायों की परम्परागत स्थली माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ की हवा में भी जाति घुली हुई है और यहाँ तक कि मुसलमान और इसाई भी इससे अछूत नहीं बचे हैं।⁴

वास्तविकता यह है कि भारत में राजनीतिक प्रक्रिया के किसी भी अध्ययन में जाति के कारक को नजरअंदाज नहीं किया जाता है। चुनावों की राजनीति के कारण जातियों के वे संगठन भी लामबंद होकर राजनीति के अखाड़े में कूद पड़ते हैं, जिनका कार्यक्षेत्र पहले सामाजिक, धार्मिक अथवा शिक्षा तक ही सीमित था।

अब जाति के आधार पर 'वोट बैंक' बन गये हैं। इस नई चेतना ने जातिगत संगठनों को तीन व्यापक चरणों में प्रभावित किया है। प्रथम, इसने जाति के अस्तित्व को मजबूत किया, जैसे महाराष्ट्र में महारों व मराठों में, आन्ध्रप्रदेश में काम्मा एवं रैड्डियों⁵, कर्नाटक में लिंगायतों एवं वोक्कलिंगाओं में, बिहार में ठाकुर और भूमिहारों⁶ तथा राजस्थान में जाटों और राजपूतों में प्रतिद्वन्द्विता। द्वितीय, जाति के राजनीतिकरण से जातिगत लामबन्दी को बढ़ावा मिला है, जिसके फलस्वरूप जातियों के बीच विलय की प्रक्रिया शुरू हो गयी है। यद्यपि इसका मुख्य उद्देश्य सत्ता और संसाधन प्राप्त करने के लिए राजनीतिक आधार को मजबूत बनाना था। तृतीय विलयन की इस प्रक्रिया के चलते तीसरे चरण में जातीय संगठनों में विखण्डन की प्रक्रिया सामने आई है, जो उन आर्थिक और राजनीतिक प्रतिद्वन्द्विताओं से उत्पन्न आन्तरिक तनाव का परिणाम है, जो प्रतियोगी जातियों के बीच सत्ता और संसाधनों में हिस्सेदारी के असमान वितरण के कारण उत्पन्न होती है।⁷

भारतीय राजनीति के संदर्भ में जाति की भूमिका सम्बन्धी अध्ययनों से स्पष्ट होता है कि कुछ समय पूर्व तक राष्ट्रीय स्तर की राजनीति के मुकाबले राज्यों के स्तर पर राजनीति में जातियों की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण रही है, परन्तु आरक्षण के प्रश्न, उच्च जाति और निम्न जाति में विरोध एवं टकराव की जो स्थितियाँ उभरी है इससे जातीय आधार पर एक नयी राजनैतिक ध्रुवीकरण की प्रक्रिया को जन्म मिला है। इसके साथ ही जातियों की राजनीतिक भूमिका अति महत्वपूर्ण हो गयी है, जिससे जाति के प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता।⁸

वर्तमान समय में जातियों ने अपने स्थानीय घेरों को तोड़कर प्रान्तीय और राष्ट्रीय स्तर के संगठन बनाये हैं। राजनीतिक क्षेत्र में जातिवाद के परिणामस्वरूप जाति विशेष के लोगों ने अपनी ही जाति के सदस्यों के पक्ष में मतदान किया है। एम.एन. श्रीनिवास का मत है कि मैसूर में पंचायतों के चुनाव से लेकर राज्य सरकार में मंत्रियों और सचिवों की नियुक्ति तक में जातीय आधार को अपनाया गया है।⁹

यह कटु सत्य है कि शीर्षस्थ नेता भले ही जाति रहित समाज की स्थापना की घोषणा करें, परन्तु जनता जिसे मताधिकार मिले अधिक दिन नहीं हुए हैं, वह विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, केवल परम्परागत राजनीति की भाषा को ही समझती है। राजनीति जाति के चारों ओर घूमती है¹⁰ और शहरी क्षेत्रों से परे प्रजातंत्र में सत्ता प्राप्ति के लिए विभिन्न जातियों में टकराव रहता है। राजस्थान के संदर्भ में देखें तो यहाँ अनेक जातियाँ निवास करती है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व से लेकर आज तक राजस्थान में राजपूत और जाटों के मध्य टकराव चला आ रहा है।

प्राचीन काल में हमारे देश में व्यक्ति और उसके गुण और कर्म के अनुसार वर्ण व्यवस्था का निर्धारण किया गया था और उसे सामाजिक विकास के लिए उपयोगी तथा आवश्यक समझा गया था। श्रम एवं कर्तव्य का विभाजन एक समाज के संचालन के लिए आवश्यक होता है और इसी उद्देश्य से वर्गों का विभाजन किया गया। समय के बदलाव के साथ-साथ वर्ण व्यवस्था का रूप धारण कर लिया गया। समाज में अलग-अलग आर्थिक क्रियाओं के विकास के साथ-साथ अलग-अलग जातियाँ एवं उपजातियाँ बनती गई। जब जाति का निर्धारण व्यक्ति का गुण एवं कर्म नहीं रह गया बल्कि उसका जन्म निश्चित हो गया। तब जाति व्यवस्था ने जाति प्रथा का रूप धारण कर लिया।

आजादी के बाद इस जाति व्यवस्था ने स्वतन्त्र भारत के राजनेताओं की रगों में प्रवेश किया और वह वोट प्राप्त करने का जरिया बन गई। आजादी के 75 वर्ष बीतने के बाद आज भी सभी राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों को जातीय समीकरण के आधार पर खड़ा करते हैं तथा वोट मांगते हैं। यद्यपि राजनीति तथा राजनीतिक दलों में जातिवाद की भूमिका कहीं ना कहीं

हमेशा रही है, लेकिन हाल के वर्षों में कुछ आमवादों को छोड़कर सभी राजनीतिक दलों में जातिवादी संगठनों तथा इनके नेताओं का बोलबाला हो गया है। प्रत्येक राजनीतिक दल और उसके नेताओं को लगता है कि जाति विशेष का संगठन तथा उसके नेता अगर उनके साथ हो जायें तो उस जाति के सारे वोट उसकी झोली में चले जाएंगे। यही मृगतृष्णा उन्हें इन जातिवादी संगठनों को अपने पक्ष में करने के लिए उकसाती रहती है। राजस्थान भी उस मामले में अछूता नहीं है। राज्य में पारम्परिक रूप से जाट, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लोग कांग्रेस के साथ रहे हैं। इसी प्रकार भाजपा का शुरुआती दौर में वोट बैंक वैश्य, माली और ब्राह्मण थे, लेकिन बाद में राजपूत भी इससे जुड़ गये। लगभग प्रत्येक राजनेता की यह कोशिश रही है कि वह पार्टी से भी बड़ा नेता अपनी जाति के संगठन का बने। वह जितना बड़ा अपनी जाति का नेता होगा उतना ही अधिक दबदबा अपनी पार्टी में होगा। दूसरे शब्दों में कहें तो पार्टी के संगठन में अपनी लोकप्रियता से अधिक वह जाति के समर्पण पर अधिक भरोसा करता है।

राजस्थान में जाति और राजनीति:-

सन् 1998 के विधान सभा चुनावों में जाट नेताओं को लगता था कि अगर इस बार कांग्रेस को बहुमत मिलता है तो जाट ही राज्य का अगला मुख्यमंत्री होगा। यही कारण था कि जाटों ने लगभग एकजुट होकर कांग्रेस का साथ दिया। जब जाटों को पार्टी अलाकमान ने इस पद पर नहीं बिठाया तो जाट कांग्रेस से नाराज हो गये। सन् 2003 के चुनावों से पूर्व, जाटों की प्रतिनिधि संस्था के नाम से जानी जाने वाली संस्था जाट महासभा ने भाजपा का समर्थन करने की घोषणा की।

महासभा के अध्यक्ष का दावा है कि महासभा की अपील पर ही “सारे जाट समाज” ने भाजपा का साथ दिया और यही कारण था कि भाजपा सत्ता में आने में सफल रही।

सन् 2003 चुनावों में भाजपा को गुर्जरों का अच्छा खासा समर्थन मिला था। गुर्जर आन्दोलन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा था कि आरक्षण के मुद्दे पर राज्य सरकार से नाराज गुर्जर इस बार भाजपा का साथ नहीं देंगे। परन्तु गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति जिसकी छत्रछाया में आन्दोलन चला था, ने साफ कह दिया कि आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा तथा मुख्यमंत्री महोदय ने अपना वादा पूर्ण किया है इसलिए गुर्जर फिर भाजपा का साथ देंगे।

सैम्यूअल पी. हटिंग्टन¹¹ के द्वारा ग्रामीण तथा शहरी आधार पर विभिन्न जातियों के राजनीतिक झुकाव का अध्ययन किया गया है। वे कहते हैं कि विकासशील राष्ट्रों में शहर सरकार की अस्थिरता तथा सत्ता विरोधियों का केन्द्र होते हैं अगर सरकार को राजनीतिक स्थायित्व चाहिए तो उसका ग्रामीण इलाकों में जनाधार होना चाहिए। इतने वर्षों तक कांग्रेस की ताकत व स्थायित्व का कारण इसका ग्रामीण जनाधार है इसके अन्तर्गत कांग्रेस को जाट, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों का समर्थन प्राप्त होता रहा है तथा विपक्षी पार्टी भाजपा शहरों में ताकतवार है, क्योंकि इसे वैश्य, ब्राह्मण, राजपूत व व्यापारियों का समर्थन प्राप्त है।

हटिंग्टन आगे लिखते हैं कि राजस्थान के गाँवों में निम्न वर्ग में यह भावना व्याप्त है कि केवल उच्च सामाजिक, आर्थिक आधार वाले लोग ही चुनाव जीत सकते हैं निम्न वर्ग की जातियों का जनसंख्या के आधार पर बहुमत होने के बावजूद सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक पिछड़ेपन के कारण वे राजनीति में भाग नहीं लेते। राजस्थान की राजनीति में प्रथम तीन चुनावों में इस मानसिकता के आधार पर ही ब्राह्मण, वैश्य तथा राजघराने से सम्बन्धित व्यक्ति चुनाव जीतते रहे।

हरित क्रान्ति के पश्चात् स्थिति में परिवर्तन हुआ। कृषि करने वाली जातियों ने आर्थिक उन्नति की। आर्थिक शक्ति प्राप्त होने के पश्चात् इन्होंने राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने की सोची। अपने संख्या बल के आधार पर इन जातियों ने सवर्ण जातियों के नेतृत्व को चुनौती प्रदान की। इसके अन्तर्गत शेखावटी तथा मारवाड़ क्षेत्र के जाटों का उदाहरण दिया जा सकता है। अन्य कृषक जातियाँ जैसे यादव, गुर्जर, सैनी, मीणा भी राजनीतिक रूप से ताकतवर होती जा रही हैं।

राजनीति में सफलता के लिए विचाराधारा के स्थान पर व्यक्तिगत पंसद तथा जातिगत आधार पर राजनीतिक दल का सदस्य बना जाता है लेकिन राजनीतिक सफलता का आधार एकमात्र जाति भी नहीं हो सकता इसमें करिश्मावादी राजनीति की भी भूमिका होती है।

वोट की राजनीति ने भारतीय संविधान में जातिगत आरक्षण का प्रावधान किया। इस व्यवस्था का पिछड़ी जातियों के चंद विकसित लोगों ने न केवल दुरुपयोग किया बल्कि सवर्ण और पिछड़ी जातियों के बीच वैमनस्य को भी बढ़ाया। मण्डल आयोग ने जाति पर आधारित आरक्षण के सवाल को पुनः उजागर किया तो उसके विरोध में चले युवा वर्ग के आन्दोलन ने भारतीय

समाज की युवा मानसिकता को गहराई से विचलित कर दिया। सभी राजनीतिक दल जाति के जहर को लेकर अपना राजनीतिक कार्य-व्यापार करते हैं तथा समाज को बांट कर एक-दूसरे के विरुद्ध लड़ते हैं और उसके विभाजन को पक्का करते हैं। स्वतन्त्रता आन्दोलन के समय के नेता प्राचीन महानता, महान सभ्यता, राष्ट्र निर्माण तथा आधुनिकीकरण की बातें करते थे लेकिन वर्तमान समय के राजनेता आरक्षण, जातिवाद, क्षेत्रवाद तथा साम्प्रदायिकता की बातें करते हैं।

राजस्थान, जो स्वतन्त्रता से पूर्व राजा महाराजाओं तथा जागीरदारों के अधीन रहा था। स्वतन्त्रता के पश्चात् राजशाही समाप्त कर दी गई। जमींदारी का उन्मूलन कर दिया गया तथा भूमि सुधारों के द्वारा भूमिहीनों को लाभ प्रदान किया गया। राजस्थान राजनीतिक वि-केंद्रीकरण के द्वारा पंचायती राज लागू करने वाला प्रथम राज्य बना। तत्कालीन प्रधानमंत्री पण्डित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले में इसकी शुरुआत की गई। पंचायती राज की स्थापना से ग्रामीण क्षेत्रों में राजनीतिक जागृति आयी। राजस्थान के निर्माण के पश्चात् कुछ समय तक जाटों तथा राजपूतों के मध्य जातीय वैमनस्यता आयी। क्योंकि जाटों ने ही राजनीतिक जागरूकता तथा विभिन्न आन्दोलनों के द्वारा जमींदारी प्रथा समाप्त करने की मांग उठाई थी। धीरे-धीरे वैमनस्यता राजनीतिक जागृति के साथ समाप्त होती चली गई।

1990 के दशक में वी.पी. सिंह सरकार द्वारा मंडल आयोग को लागू करने से समस्त देश के साथ-साथ राजस्थान में भी जातीय राजनीति का दौर फिर से शुरू हो गया। अब सवर्ण तथा पिछड़ी जातियों के मध्य संघर्ष की शुरुआत हुई। सवर्ण वर्ग के अनेक युवाओं ने स्वतन्त्रता आन्दोलन में तो नहीं लेकिन इसके विरोध में आत्मदाह किये। समस्त समाज जातीय आधार पर विभाजित हो गया। नये-नये जातीय संगठन बनने लगे। प्रत्येक जाति राजनीतिक दलों के साथ सौदेबाजी करने लगी। इसे रजनी कोठारी ने जातियों का राजनीतिकरण कहा है तथा राजनीति का भी जातियकरण हो गया। जाटों ने राजनीतिक सौदेबाजी के आधार पर आरक्षण प्राप्त कर लिया। अब जाट जाति का झुकाव भाजपा की ओर हो गया है।

निष्कर्ष:-

राजनीतिक दलों की इस तरह जातिवादी संगठनों पर बढ़ती निर्भरता दलीय लोकतंत्र की भावना से मेल नहीं खाती। अगर यह प्रवृत्ति इसी तरह से आगे बढ़ती गयी तो राजनीतिक दलों में संगठन तथा इसके कार्यकर्ताओं का महत्व घटता चला जाएगा जो एक स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। किन्तु दोष जातियों में नहीं है जब तक मुद्दों पर आधारित राजनीति लुप्त रहेगी, नेताओं के कथनी से ज्यादा करनी पर विश्वास नहीं किया जायेगा तथा नेताओं का कार्यो का मूल्यांकन अपनी जाति तथा दुसरी जाति जैसे संकीर्ण तत्वों के अलग-अलग मापदण्डों के आधार पर होगा जातियों का राजनीति में प्रभाव बना रहेगा।

उपरोक्त अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि राजनीति कुछ लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सत्ता का अधिकरण है और सत्ता जाति का समर्थन जुटा कर पदों को मजबूत करके हासिल की जाती है। भारत में सामाजिक व्यवस्था जाति संग रचना के इर्द-गिर्द संगठित है, इस लिए जाति और राजनीति को कभी अलग नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार राजनीति में जातिवाद जाति के राजनीति के अलावा और कुछ नहीं है राजनीति में जाति का उपयोग सामाजिक, राजनीतिक उद्देश्यों के लिए किया है और करती रहेगी।

सन्दर्भ सूची

1. कोठारी, रजनी, कास्ट इन इण्डियन पॉलिटिक्स, ओरियन्ट लॉन्गमैन, नई दिल्ली, 1970, पृ. 156.
2. कुमार, कृष्ण, आधुनिक भारत में जाति और राजनीति, पोइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर 2012, पृ.सं. 1-2.
3. कोठारी, रजनी एण्ड माइरन वीनर, इण्डियन वोटिंग बिहेवियर, के.एल. मुखोपध्याय प्रेस, कलकत्ता, 1965, पृ. 195.
4. सिंह, सुनील कुमार, जाति व्यवस्था: निरन्तरता एवं परिवर्तन, रावत प्रकाशन, जयपुर 2010, पृ. 5.
5. कोठारी, रजनी, उपरोक्त संख्या 3, पृ. 140.
6. कुमार, कृष्ण, उपरोक्त संख्या 2, पृ.2.
7. चतुर्वेदी, दिनेशचन्द्र, भारतीय शासन और राजनीति, मीनाक्षी प्रकाशन, मेरठ, पृ. 419.
8. उपरोक्त, पृ. 420.
9. श्रीनिवास, एम.एन., आधुनिक भारत में जातिवाद तथा अन्य निबन्ध, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल, पृ. 3-4.
10. जोन्स, मोरिस, दि गवर्नमेन्ट एण्ड पॉलिटिक्स ऑफ इण्डिया, हचिनसन एण्ड कं. पब्लिशर्स, लन्दन, 1967, पृ. 57.
11. सैम्यूअल पी. हटिंगटन, इन इकबाल नारायण, द मरल एलीट एण्ड इलेक्शन इन एन इण्डियन स्टेट, विशाल प्रकाशन, नई दिल्ली, 1976

ब्रिटिश भारत में पूर्वी उत्तर प्रदेश की भू-राजस्व नीति

डॉ० संजय कुमार मिश्र

असि० प्रो०, इतिहास विभाग डी.ए.वी.पी.जी. कालेज, गोरखपुर

सार

शोषण के एक औपनिवेशिक साधन के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत अंग्रेजों ने उपनिवेशित भारत में विभिन्न भू-राजस्व बस्तियों का आविष्कार और प्रयोग किया। ऐतिहासिक रूप से ब्रिटिश भारत में शोषण बनाम प्रगतिशील मिशन के संदर्भ में यह विद्वानों के बीच चर्चा का एक प्रमुख मुद्दा बन जाता है। यहां, इस पत्र में ब्रिटिश भारत में पूर्वी उत्तर प्रदेश में भू-राजस्व नीति की व्याख्या करने का प्रयास किया गया है। और अंततः इस पत्र ने राजस्व आकलन के तरीकों के कारण-प्रभाव संबंध को दिखाने की कोशिश की है, जिससे बदले में, इसने अंग्रेजों को इंपीरियल होम कंट्री को विशाल आर्थिक सुविधाएं प्रदान करने में कैसे मदद की, और यह भारतीय पारंपरिक समाज और आर्थिक बदलाव में कैसे मदद करता है।

मुख्य-शब्द: ब्रिटिश भारत; दीवानी; रैयत; जमींदारी पद्धति; भू-राजस्व नीति।

आज 60 प्रतिशत से अधिक लोग कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं। यह क्षेत्र हमेशा भारत के लिए ताकत और आय का नंबर एक स्रोत रहा है। यहां तक कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने देश में प्रवेश किया, तो वे जितना संभव हो उतना पैसा हासिल करने के मकसद से आए थे, और ऐसा करने का सबसे अच्छा क्षेत्र कृषि क्षेत्र था, वे जितना संभव हो उतना कर इकट्ठा करना चाहते थे। वे हर वर्ष भूमि से अधिक से अधिक कर प्राप्त करना तथा अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहते थे।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में पहले, जमींदार राजस्व एकत्र करते थे जिसकी निगरानी मुगल दीवान करते थे, जमींदारों के अधीन 400 गाँव होते थे और वे ग्रामीणों से राजस्व एकत्र करते थे, लेकिन जब कंपनी को दीवानी मिल गई तो वे जमींदारों का प्रशासन करने में असमर्थ हो गए, इसलिए बदलाव की आवश्यकता थी।¹

- स्थायी बंदोबस्त की अवधारणा पहली बार 1786 में पेश की गई थी
- 1790 में निदेशक न्यायालय ने दस-वर्षीय समझौता जारी किया जिसे 1793 में स्थायी निपटान बना दिया गया (स्थायी निपटान अधिनियम 1793)

जमींदारों को सेना रखने और न्याय प्रशासन करने की शक्ति समाप्त कर दी गई और उनके पास केवल राजस्व एकत्र करने की शक्ति रह गई। स्थायी बंदोबस्त में शामिल की गई कुछ विशेषताएं यह थीं कि राजस्व की दर कभी नहीं बढ़ाई गई थी और इसे हमेशा के लिए तय कर दिया गया था, जिसका मतलब था कि ब्रिटिश सरकार के पास आय की एक निश्चित राशि होगी, जो अंग्रेजों के लिए अच्छा साबित हुई। जमींदारों की स्थिति बदल गई, जमींदार पहले गांवों के प्रशासक थे लेकिन अब वे व्यवहार में वंशानुगत भूमि के मालिक बन गए और उत्पादकता को अधिकतम करने और मुनाफा बनाए रखने के लिए उन्हें अपनी भूमि में निवेश करना पड़ा। यदि कोई किसान कर का भुगतान करने में विफल रहता है, तो उसकी जगह भूमि पर दूसरा किसान रख लिया जाता था। यह प्रणाली इस आशा के साथ काम करती थी कि चूंकि जमींदारों को इतनी लाभप्रद स्थिति में रखा जाएगा कि वे अंग्रेजों के प्रति और अधिक वफादार हो जाएंगे। अंग्रेजों के लिए लाखों किसानों की बजाय चंद जमींदारों से राजस्व वसूलना आसान था।²

जमींदारों को उन जमीनों का मालिक बना दिया गया, जिनमें वे पहले राजस्व एकत्र करते रहे थे, वे अपनी जमीन को स्थानांतरित कर सकते थे, उधार दे सकते थे और गिरवी रख सकते थे और जमींदारों की वफादारी और समर्थन हासिल करने

के लिए किसानों को कोई अधिकार नहीं दिया गया था। पूर्व-निर्धारित दिन की शाम तक राजस्व कंपनी को जमा करना पड़ता था, अन्यथा जमीन कंपनी द्वारा ले ली जाती थी और इसे “सनसेट लॉ” के नाम से भी जाना जाता था। नियम यह था कि कंपनी पहले से तय रकम से अधिक का दावा नहीं कर सकती थी। प्राप्त राशि को 11 भागों में विभाजित किया जाएगा, जिसमें से 1/11 हिस्सा जमींदार का होगा और 10/11 हिस्सा ईस्ट इंडिया कंपनी का होगा।³

पूर्व-औपनिवेशिक काल में, भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि प्रधान थी और लोगों का प्राथमिक व्यवसाय कृषि था। ब्रिटिश विजेताओं ने अधिकतम आर्थिक लाभ प्राप्त करने की कोशिश की और इसलिए उन्हें राज्य की आय के प्रमुख स्रोत के रूप में भू-राजस्व पर निर्भर रहना पड़ा। प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों को बंगाल प्रांत से राजस्व वसूलने का अधिकार प्राप्त हो गया।

पहला भूमि आय समझौता वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा पेश किया गया था, यह मानते हुए कि सभी भूमि संप्रभु की थी। उनके द्वारा किये गये बदलावों में शामिल हैं:

- उच्चतम बोली लगाने वाले को भूमि की नीलामी करना।
- पुराने जमींदारों/परिवारों को बाहर कर दिया गया और वार्षिक बंदोबस्त को बदलकर पंचवार्षिक (पांच-वार्षिक) कर दिया गया और फिर से सामान्य कर दिया गया।

ईस्ट इंडिया कंपनी के शुरुआती प्रशासकों ने इस सिद्धांत पर काम किया कि कंपनी खेती के खर्च और किसानों की मजदूरी को छोड़कर पूरे आर्थिक लगान की हकदार थी, जिसके परिणामस्वरूप कृषि में गिरावट आई। बड़े क्षेत्र खेती से बाहर हो गए और बार-बार अकाल पड़ने लगे। भूमि से आय की अत्यधिक मांग को प्रतिकूल दिखाया गया है। इस प्रतिकूल स्थिति ने नीति निर्माताओं को भारत में भूमि स्वामित्व के साथ प्रयोग करने के लिए मजबूर किया।⁴

जमींदारी प्रथा

जमींदारी प्रथा पहली बार लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा वर्ष 1793 में स्थायी बंदोबस्त के माध्यम से शुरू की गई थी, जिसमें उन सदस्यों के लिए भूमि अधिकार तय किए गए थे, जो निश्चित किराए या वास्तविक कृषकों के लिए कब्जे के किसी भी अधिकार के प्रावधान के बिना स्थायी थे।

जमींदारी व्यवस्था में, किसानों से भू-राजस्व बिचौलियों द्वारा वसूला जाने लगा, जिन्हें जमींदार कहा जाता था। जमींदारों द्वारा एकत्र किए गए राजस्व के मामले में सरकार का कुल हिस्सा 10/11वां था और इसका शेष हिस्सा जमींदारों को जाता था। जमींदारी प्रथा पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक प्रचलित हुई।⁵

स्थायी निपटान समझौता

स्थायी भू-राजस्व बंदोबस्त में जमींदारों को भूमि का स्थायी स्वामी माना गया और उन्हें वार्षिक राजस्व का लगभग 89 प्रतिशत राज्य को देने का निर्देश दिया गया तथा उन्हें अपने हिस्से के रूप में 11 प्रतिशत राजस्व का उपभोग करने की भी अनुमति दी गई। जमींदारों को अपने संबंधित डोमेन के आंतरिक मामलों में स्वतंत्र होने का भी अधिकार था।⁶

जमींदारी प्रथा की विशेषताएं

- जमींदारों को भूमि के वंशानुगत मालिक के रूप में मान्यता दी गई और उन्हें विरासत का अधिकार प्राप्त हुआ।
- मकान मालिक अपनी इच्छानुसार जमीन बेच या हस्तांतरित कर सकते हैं।
- मकान मालिक की संपत्ति तब तक बनी रहती है जब तक वह निर्दिष्ट दिन पर सरकार को एक निश्चित आय का भुगतान करता है। यदि वे भुगतान नहीं करते हैं, तो उनके अधिकार खत्म कर दिए जायेंगे और जमीन नीलाम कर दी जायेगी।
- जमींदारों को दी जाने वाली राशि एक निश्चित राशि थी। यह निर्णय लिया गया कि भविष्य में (हमेशा) इसमें वृद्धि नहीं होगी।
- निश्चित राशि अंग्रेजों के लिए राजस्व का 10/11 हिस्सा और जमींदार के लिए राजस्व का 1/11 हिस्सा थी। यह कर दर इंग्लैंड की तुलना में बहुत अधिक थी।

- जमींदार को किरायेदार को एक पेटेंट भी देना पड़ता था जिसमें उसे दी गई जमीन और जमींदार द्वारा दिए जाने वाले लगान का वर्णन होता था।
- किसानों की देखभाल की जिम्मेदारी भारतीय जमींदारों के कंधों पर आ गई।

व्यवस्था के स्थायी स्वरूप के कारण सभी में सुरक्षा की भावना थी। कंपनी को पता था कि वह कितना मुनाफा कमा रही है। मालिक को रकम का आश्वासन भी दिया गया। आख़रिकार, किसान भी खुर के बजाय अपनी संपत्ति पर भरोसा करते थे और जानते थे कि उन्हें कितना लगान देना होगा।

जमींदारी प्रथा से जुड़े मुद्दे

1. कृषकों के लिए: गांवों में कृषकों को यह व्यवस्था शोषणकारी होने के साथ-साथ दमनकारी भी लगी, क्योंकि जमींदारों को जो किराया वे देते थे, वह बहुत अधिक था, जबकि भूमि पर उनका अधिकार काफी कम था। कृषकों को लगान चुकाने के लिए ऋण लेना पड़ता था, या लगान न चुका पाने पर उन्हें उनकी भूमि से बेदखल कर दिया जाता था।
2. जमींदारों के लिए: जमींदारों को भुगतान करना कठिन लगता था क्योंकि राजस्व इतना अधिक निर्धारित किया गया था और भुगतान न करने पर, वे अपनी जमींदारी खो देते थे। इसलिए जमींदार भूमि सुधार के प्रति बहुत उत्सुक नहीं थे।
3. कंपनी के लिए: 19वीं सदी के पहले दशक से खेती धीरे-धीरे बढ़ी और बाजार में कीमतें भी बढ़ीं। हालाँकि, इससे कंपनी को कोई लाभ नहीं हुआ क्योंकि इससे राजस्व माँगों में वृद्धि नहीं हो सकी जो स्थायी रूप से तय हो चुकी थीं।

किरायेदारों की स्थिति

जमींदार बंदोबस्त ने पूरे किसानों को औपचारिक रूप से जमींदारों के किरायेदारों में बदल दिया, जो लगान भुगतान के लिए उत्तरदायी थे। शुरुआती वर्षों में किरायेदारों की स्थिति के साथ मुख्य समस्या यह थी कि सरकार ने यह सवाल खुला छोड़ दिया था कि जमींदार लगान बढ़ा सकते हैं या नहीं। और इस खेल में, प्रमुख और बड़े किरायेदारों को अक्सर मिलीभगत या मौन स्वीकृति के लिए रिश्वत दी जाती थी ताकि कमजोर किरायेदारों के पास भुगतान करने के अलावा कोई विकल्प न हो रत्नलेखा रे ने तर्क दिया कि जमींदारों की जमीन से दूरी और अस्थिरता का फायदा उठाते हुए आर्थिक स्थिति के कारण, बेहतर किरायेदारी अधिकार वाले धनी किसानों ने अपनी भूमि का विस्तार किया, इतना कि उन्होंने सीमा लगा दी।⁷

भू-राजस्व प्रणालियों का प्रभाव

ब्रिटिश राजस्व नीतियां किसानों के लिए शोषणकारी साबित हुईं, सरकारी कर की मांग अनम्य थी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कलेक्टरों ने सूखे, बाढ़ या अन्य प्राकृतिक आपदा के समय के लिए भत्ता देने से इनकार कर दिया और जमीन छीन ली गई, जिससे किसान भूमिहीन हो गए। भूमि एक ऐसी वस्तु बन गई जिसे बाजार में आसानी से खरीदा और बेचा जा सकता था। भू-राजस्व बहुत ऊँचा रखा गया।

इतिहासकार बर्नहार्ड कोहन और अन्य लोगों ने तर्क दिया है कि स्थायी बंदोबस्त के कारण सबसे पहले भूमि का व्यावसायीकरण हुआ जो पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश में नहीं था। और दूसरे, इसके परिणामस्वरूप, शासक वर्ग की सामाजिक पृष्ठभूमि में “वंश और स्थानीय प्रमुखों” से “सिविल सेवकों और उनके वंशजों के अधीन, और व्यापारियों और बैंकरों” में बदलाव आया।⁸

जिन स्थानों पर स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था, वहां जमींदारों ने अन्य लोगों को भूमि हस्तांतरित कर दी, जिससे कई बिचौलियों का उदय हुआ और किसानों का और अधिक शोषण हुआ, इसे अनुपस्थित जमींदारी या उप-संघर्ष के रूप में जाना जाता है। इस तथ्य के कारण कि राजस्व की मांग इतनी अधिक और कठोर थी, इससे किसानों के लिए आर्थिक कठिनाई पैदा हुई और पहले से मौजूद गरीबी में वृद्धि हुई, जो सरकार द्वारा स्थिति का फायदा उठाने का एक उदाहरण है।⁹

1. भूमि बस्तियां एक बाजार अर्थव्यवस्था के कार्यान्वयन और प्रथागत अधिकारों के उन्मूलन के लिए जिम्मेदार थीं।
2. नकदी के रूप में राजस्व की प्राप्ति ने धन उधार देने की प्रथा को बढ़ावा दिया।
3. धन उधार देने वालों को अधिकारियों की सहायता मिलती थी और वे ब्रिटिश नियंत्रण और कानूनी व्यवस्था के कानूनी नतीजों से सुरक्षित रहते थे। उन्होंने अत्यधिक ब्याज दर की मांग की, जो साहूकारों के शोषण के बराबर है।

4. इसने पहले से मौजूद आर्थिक असमानताओं और सामाजिक भेदों को उजागर किया। अदालतें अमीर लोगों के लिए उपलब्ध थीं ताकि वे अपनी संपत्ति की रक्षा कर सकें। दूसरी ओर, गरीबों के पास मुश्किल से ही किसी प्रकार का सहारा तंत्र था।

चूँकि अंग्रेज यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि तकनीकी प्रगति से किसानों को लाभ न हो, इसलिए उन्होंने निजी भूमि स्वामित्व की एक नई प्रणाली स्थापित की। सरकार के राजस्व प्रवाह की सुरक्षा के लिए भूमि को बेचने, गिरवी रखने और हस्तांतरित करने योग्य बनाया गया था। अंग्रेजों ने भूमि को एक वस्तु बना दिया था।

जमींदारी प्रथा का उन्मूलन

आजादी के बाद सरकार को एहसास हुआ कि अगर हम जमीन गरीबों को नहीं सौंपेंगे और गरीबों को हाथ नहीं मिलेगा तो हम गरीबी नहीं मिटा सकते और कुछ जमीनें उनके बीच बांटनी होंगी, ताकि वे मालिक बन जाएं और किसान बन जाएं और खेती करें। अपनी भूमि में जो गरीबी को कम करने में मदद कर सकता है। इस बदलाव को लाने के लिए सरकार ने 1950 में अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई जमींदारी प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। राजस्व प्रदान करने में असमर्थ होने की स्थिति में किसानों से उनकी जमीन जब्त करने के प्रावधान और जमीन का पूरा स्वामित्व जमींदारों को देने के कारण जमींदार बहुत शक्तिशाली हो गए और अधिक से अधिक किसान अपनी जमीन खो रहे थे, जिससे गरीबी बढ़ रही थी। जैसे-जैसे समय बीतता गया, जमींदार बहुत महत्वपूर्ण पदानुक्रम बन गए, उन्होंने अंग्रेजों के कार्यों को प्रभावित करना शुरू कर दिया। भारत सरकार बेगार और वेट्टी की प्रथा के बारे में भी बहुत स्पष्ट हो गई जिसका तात्पर्य बिना भुगतान के काम करने से है।¹⁰ तीन उपयुक्त जमींदार नियंत्रण थे

- खेती योग्य भूमि पर नियंत्रण: इसे आगे मान्यता प्राप्त किरायेदार प्रत्यक्ष खेती द्वारा खेती में उप-विभाजित किया गया था
- वन और बंजर भूमि पर नियंत्रण

निष्कर्ष

आशावादी अधिकारियों ने एक नई व्यवस्था की कल्पना की थी जो किसानों को अमीर किसानों में बदल देगी, लेकिन यह संभव नहीं हो सका। भूमि से आय बढ़ाने की प्रबल इच्छा के साथ, राजस्व अधिकारियों ने उन किसानों की मांग के लिए बहुत अधिक राजस्व तय किया था जो भुगतान करने में असमर्थ थे और परिणामस्वरूप, रैयत गांवों से भागकर निर्जन क्षेत्रों में चले गए थे।

सरकार ने भूमि के पुनर्वितरण की योजना लाई, सरकार किसानों से 30-40 गुना राशि पर जमीन खरीदेगी और जमीन खरीदने के बाद सरकार ने सभी मान्यता प्राप्त किरायेदारों को बुलाया और संपत्ति को उनके नाम पर बदल दिया। इस तरह 2 से 2.4 करोड़ लोग लाभान्वित हुए और जमीन के मालिक बन गये।

सरकार ने खेती योग्य भूमि ले ली और उनका पुनर्वितरण कर दिया; हालाँकि इस बात की कोई स्पष्टता नहीं थी कि एक व्यक्ति के पास कितनी जमीन हो सकती है। सरकार ने यह बाध्यता ला दी कि किरायेदारों को यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ राशि का भुगतान करना होगा कि उन्हें जमीन उनके नाम पर मिले। बाद में पता चला कि जमीन अभी भी जमींदारों के कब्जे में थी लेकिन अलग नाम से, जैसे परिवार के सदस्य के नाम से।

अगला विकल्प जंगल और बंजर भूमि थी जिसे जमींदारों द्वारा काट दिया गया और उन्होंने वन संपदा को बेच दिया और उस भूमि का उपयोग अन्य उद्देश्यों के लिए किया और सरकार बंजर भूमि पर नियंत्रण प्राप्त कर सकी।

जमींदारी प्रथा के उन्मूलन की इस प्रक्रिया ने 1950 में जमींदारी प्रथा और गरीबी जैसी लोगों की अधिकांश गंभीर समस्याओं को समाप्त करके एक बहुत ही प्रभावी बदलाव लाया।

संदर्भ

1. कार्ल मार्क्स, द फ्यूचर रिजल्ट ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया, न्यूयॉर्क डेली ट्रिब्यून, जून 1853. नंबर 3840, मार्क्स एंड एंगल्स में; उपनिवेशवाद पर विदेशी भाषा प्रकाशन गृह, मॉस्को, 1960, पृ. 85
2. शेखर बंधोपाध्याय; प्लासी से विभाजन तक: आधुनिक भारत का इतिहास, ओरिएंट लॉन्गमैन, नई दिल्ली, 2004, पृ. 82

3. हेनरी कॉटन; इंडिया इन ट्रांजिशन, बी.आर. पब्लिशिंग कॉर्पोरेशन, दिल्ली, 1885, पृ. 80-81
4. एरिक स्टोक्स, द इंग्लिश यूटिलिटेरियन्स एंड इंडिया, ऑक्सफोर्ड एट क्लेरेंडन प्रेस, लंदन, 1959, पृ. 81
5. नील चार्ल्सवर्थ, ब्रिटिश शासन और भारतीय अर्थव्यवस्था, 1800-1914, मैकमिलन प्रेस लिमिटेड, लंदन, 1982 पृष्ठ 17
6. गोहित, रोहित कुमार, आधुनिक भारत का सामाजिक और आर्थिक इतिहास, मुरारी लाल एंड सन प्रकाशन, मेरठ, 2007, पृष्ठ 138
7. रत्न लेखा रे, चेंज इन बंगाल एग्रेरियन सोसाइटी सी.1760-1850, दिल्ली: मनोहर, 1979 और रजत दत्ता, 'एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, सोशल पार्टिसिपेशन एंड डोमिनेशन इन लेट एटीन्थ सेंचुरी बंगाल: टुवर्ड्स एन अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन', जर्नल ऑफ पीजेंट अध्ययन, 17(1), 1989, पृ.68-113
8. रॉय; सेशन. सिट., पी. 50-51
9. कर्जन को दत्त का पत्र, दिनांक 20 फरवरी 1900, ऑपा सिट., प्रोफेसर सीडिंग नंबर 20, सीरियल नंबर 2, पी. 2
10. रीडिंग: फुकाजावा, एच., 'कृषि संबंध: पश्चिमी भारत', सीईएचआई 2, पीपी.177-206। विषय की एक पुरानी चर्चा पी.जे. थॉमसन और नटराजन, बी., 'मद्रास प्रेसीडेंसी में आर्थिक मंदी, 1825-54', एचईआर, खंड-7(1), 1936, पृष्ठ 67-75 में पाई जा सकती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति - 2020

माया सोनकर

अस्सिस्टेंट प्रोफेसर, दयानंद दनकू परागा ज्ञान उदय, महाविद्यालय मुरलीपुर घाटमपुर, कानपुर नगर

सारांश-

जैसा कि हमसब जानते हैं कि शिक्षा व्यक्ति के सम्पूर्ण विकास हेतु बहुत आवश्यक है। इसलिए यह आवश्यक है कि शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने हेतु वक्त के साथ शिक्षा नीति में भी बदलाव किया जाता रहे। इसलिए समय की माँग और जरूरत के हिसाब से देश की शिक्षा व्यवस्था को प्रभावी बनाए रखने हेतु चाँतीस वर्षों के बाद तीसरी बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लाई गई है।

इस शिक्षा नीति का उद्देश्य भारत में स्कूल एवं उच्च शिक्षा प्रणालियों में परिवर्तनकारी सुधारों का मार्ग प्रशस्त करना है। कहने का तात्पर्य यह है कि हर व्यक्ति को बढ़ने एवं विकसित होने के लिए एक समान अवसर प्रदान करना एवं विद्यार्थियों में ज्ञान, कौशल, बुद्धि तथा आत्म विश्वास का सर्जन कर उनके दृष्टिकोणों का विकास करना है। जो कि भारतीय शिक्षा पद्धति हेतु अति आवश्यक है।

अतः इन्ही महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर प्रकाश डालने हेतु इस विषय का पल्लवन हुआ जिसका विस्तार पूर्वक वर्णन मुख्य शोध प्रपत्र के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है।

मुख्य शब्द- राष्ट्रीय शिक्षानीति, शिक्षा, गुणवत्ता, परम्परा, सांस्कृतिकमूल्य

शिक्षा पूर्ण मानव क्षमता को प्राप्त करने, एक न्यायसंगत एवं न्यायपूर्ण समाज के विकास तथा राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने हेतु परमावश्यक है। गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुँच प्रदान करना वैश्विक मंच पर सामाजिक न्याय एवं समानता, वैज्ञानिक उन्नति, राष्ट्रीय एकीकरण तथा सांस्कृतिक संरक्षण के सन्दर्भ में देश की सतत् प्रगति एवं आर्थिक विकास की कुंजी है। सार्वभौमिक उच्चतर स्तरीय शिक्षा वह उचित माध्यम है, जिससे देश की समृद्ध प्रतिभा तथा संसाधनों का सर्वोत्तम विकास एवं संवर्द्धन व्यक्ति, समाज, राष्ट्र तथा विश्व के हित के लिए किया जा सकता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, 21वीं शताब्दी की पहली शिक्षा नीति है जिसका लक्ष्य हमारे देश के विकास हेतु अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करना है। यह नीति देश की परम्परा एवं सांस्कृतिक मूल्यों के आधार को बनाए रखने के साथ ही 21वीं सदी की शिक्षा हेतु आकांक्षात्मक लक्ष्यों, जिनमें एस डी जी चार सम्मिलित है, के संयोजन में शिक्षा व्यवस्था, उसके नियमन तथा गवर्नेंस सहित, सभी पक्षों के सुधार एवं पुनर्गठन का प्रस्ताव रखती है। यह शिक्षा नीति प्रत्येक व्यक्ति में निहित रचनात्मक क्षमताओं के विकास पर विशेष बल देती है। इसके साथ ही शिक्षा से न केवल साक्षरता एवं संख्या ज्ञान जैसी 'बुनियादी क्षमताओं' 'उच्चतर स्तर की तार्किक एवं समस्या समाधान सम्बन्धी संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास होना चाहिए अपितु नैतिक, सामाजिक एवं भावनात्मक स्तर पर भी व्यक्ति का विकास होना परम आवश्यक है।

देखा जाए तो यह शिक्षा नीति प्राचीन एवं सनातन भारतीय ज्ञान तथा विचार की समृद्ध परम्परा के आलोक में तैयार की गयी है। प्राचीन काल से ही भारत देश में शिक्षा का लक्ष्य सांसारिक जीवन अथवा स्कूल के बाद के जीवन की तैयारी के रूप में ज्ञान अर्जित करना नहीं अपितु पूर्ण आत्म-ज्ञान एवं मुक्ति के रूप में माना गया था। प्राचीन भारत के नालंदा, तक्षशिला, विक्रम शिला तथा वल्लभी जैसे विश्व-स्तरीय संस्थानों ने अध्ययन के विविध क्षेत्रों में शिक्षण एवं शोध के उच्च प्रतिमान स्थापित किए थे और इसी शिक्षा व्यवस्था ने विभिन्न पृष्ठभूमि एवं देशों से आने वाले विद्यार्थियों तथा विद्वानों जैसे- चरक, आर्यभट्ट, सुश्रुत, चाणक्य, पाणिनी, गौतम, पंतजलि, गार्गी, आदि को लाभान्वित किया। इन सभी विद्वानों ने वैश्विक स्तर पर ज्ञान के विविध क्षेत्रों, जैसे गणित, चिकित्सा विज्ञान, खगोल विज्ञान, भवन निर्माण, योग, दिशा ज्ञान, ललित कला इत्यादि क्षेत्रों

में प्रमाणित रूप से मौलिक योगदान दिये हैं। वैश्विक महत्व की इस समृद्ध विरासत को भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए न केवल सहेज कर संरक्षित रखने की आवश्यकता है अपितु हमारी शिक्षा व्यवस्था द्वारा उस पर शोध कार्य होने के साथ ही साथ उसे और अधिक समृद्ध किया जाना चाहिए।

यदि पिछली शिक्षा नीतियों पर दृष्टिपात करें तो यह देखा जा सकता है कि उनका जोर मुख्य रूप से शिक्षा तक के मुद्दों कहीं सीमित रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, जिसे 1992 (एन०पी०ई० 1986/92) में संशोधित किया गया था। उसके अधूरे कार्य को पूर्ण करने का पूरा प्रयास इस शिक्षा नीति के द्वारा किया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार सिद्धान्त- मूलभूत सिद्धांत जो उच्च स्तर पर शिक्षा प्रणाली एवं साथ ही व्यक्तिगत संस्थानों दोनों का मार्गदर्शन करेंगे, वो इस प्रकार है-

- हर बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं की स्वीकृति, पहचान और उनके विकास हेतु प्रयास करना शिक्षकों और अभिभावकों को इन क्षमताओं के प्रति संवेदनशील बनाना जिससे वे बच्चे की अकादमिक और अन्य क्षमताओं में उसके सर्वांगीण विकास पर भी पूरा ध्यान दें।
- बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को सर्वाधिक प्राथमिकता देना जिससे सभी बच्चे कक्षा 3 तक साक्षरता और संख्या - ज्ञान जैसे सीखने के मूलभूत कौशलों को हासिल कर सकें।
- लचीलापन, ताकि शिक्षार्थियों में उनके सीखने के तौर-तरीके और कार्यक्रमों को चुनने की क्षमता हो, और इस तरह वे अपनी प्रतिभा और रुचियों के अनुसार जीवन में अपना रास्ता चुन सकें।
- कला और विज्ञान के बीच, पाठ्यक्रम और पाठ्येतर गतिविधियों के बीच व्यावसायिक और शैक्षणिक धाराओं, आदि के बीच कोई स्पष्ट अलगाव न हों, जिससे ज्ञान क्षेत्रों के बीच हानिकारक ऊंच-नीच और परस्पर दूरी एवं असंबद्धता को दूर किया जा सके।
- सभी ज्ञान की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए एक बहु-विषयक दुनिया के लिए विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, मानविकी और खेल के बीच एक बहु-विषयक (multidisciplinary) और समग्र शिक्षा का विकास। अवधारणात्मक समझ पर जोर न कि रटत पढ़ति और केवल परीक्षा के लिए पढ़ाई।
- रचनात्मकता और तार्किक सोच तार्किक निर्णय लेने और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए।
- नैतिकता, मानवीय और संवैधानिक मूल्य जैसे, सहानुभूति, दूसरों के लिए सम्मान, स्वच्छता, शिष्टाचार, लोकतांत्रिक भावना, सेवा की भावना, सार्वजनिक संपत्ति के लिए सम्मान वैज्ञानिक चिंतन, स्वतंत्रता, जिम्मेदारी, बहुलतावाद, समानता और न्याय।
- बहुभाषिकता और अध्ययन-अध्यापन के कार्य में भाषा की शक्ति को प्रोत्साहन।
- जीवन कौशल जैसे, आपसी संवाद, सहयोग, सामूहिक कार्य, और लचीलापन।
- सीखने के लिए सतत मूल्यांकन पर जोर, इसके बजाय कि साल के अंत में होने वाली परीक्षा को केंद्र में रखकर शिक्षण हो जिससे कि आज की 'कोचिंग संस्कृति' को ही बढ़ावा मिलता है।
- तकनीकी के यथासंभव उपयोग पर जोर अध्ययन- अध्यापन कार्य में, भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने में, दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा को सुलभ बनाने में और शैक्षणिक नियोजन और प्रबंधन में।
- सभी पाठ्यक्रम, शिक्षण शास्त्र और नीति में स्थानीय संदर्भ की विविधता और स्थानीय परिवेश के लिए एक सम्मान, हमेशा ध्यान में रखते हुए कि शिक्षा एक समवर्ती विषय है।
- सभी शैक्षिक निर्णयों की आधारशिला के रूप में पूर्ण समता और समावेशन, साथ ही शिक्षा को लोगों की पहुँच और सामर्थ्य के दायरे में रखना - यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी छात्र शिक्षा प्रणाली में सफलता हासिल कर सकें।
- स्कूली शिक्षा से उच्चतर शिक्षा तक सभी स्तरों के शिक्षा पाठ्यक्रम में तालमेल, प्रारंभिक बाल्यवस्था देख-भाल तथा शिक्षा से।
- शिक्षकों और संकाय को सीखने की प्रक्रिया का केंद्र मानना उनकी भर्ती और तैयारी की उत्कृष्ट व्यवस्था, निरंतर व्यावसायिक विकास और सकारात्मक कार्य वातावरण और सेवा की स्थिति।

- शैक्षिक प्रणाली की अखंडता, पारदर्शिता और संसाधन कुशलता ऑडिट और सार्वजनिक प्रकटीकरण के माध्यम से सुनिश्चित करने के लिए एक हल्का, लेकिन प्रभावी' नियामक ढांचा-साथ ही साथ स्वायत्तता, सुशासन, और सशक्तीकरण के माध्यम से नवाचार और आउट-ऑफ-द-बॉक्स विचारों को प्रोत्साहित करना।
- गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और विकास के लिए उत्कृष्ट स्तर का शोध।
- शैक्षिक विशेषज्ञों द्वारा निरंतर अनुसंधान और नियमित मूल्यांकन के आधार पर प्रगति की सतत समीक्षा।
- भारतीय जड़ों और गौरव से बंधे रहना, और जहाँ प्रासंगिक लगे वहाँ भारत की समृद्ध और विविध प्राचीन और आधुनिक संस्कृति और ज्ञान प्रणालियों और परंपराओं को शामिल करना और उससे प्रेरणा पाना।
- शिक्षा एक सार्वजनिक सेवा है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच को प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार माना जाना चाहिए।
- एक मजबूत, जीवंत सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली में पर्याप्त निवेश- साथ ही सच्चे परोपकारी निजी और सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहन और सुविधा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विजन

भाग I. स्कूल शिक्षा

- प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा: सीखने की नींव
- बुनियादी साक्षरता एवं संख्या-ज्ञान: सीखने के लिए एक तात्कालिक आवश्यकता और पूर्वशर्त
- ड्रॉपआउट बच्चों की संख्या कम करना और सभी स्तरों पर शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना स्कूलों में पाठ्यक्रम और शिक्षण- शास्त्र: अधिगम समग्र, एकीकृत, आनंददायी और रुचिकर होना चाहिए
- शिक्षक
- समतामूलक और समावेशी शिक्षा: सभी के लिए अधिगम
- स्कूल कॉम्प्लेक्स / क्लस्टर के माध्यम से कुशल संसाधन और प्रभावी गवर्नेंस
- स्कूली शिक्षा के लिए मानक निर्धारण और प्रत्यायन

भाग II. उच्चतर शिक्षा

- गुणवत्तापूर्ण विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय: भारतीय उच्चतर शिक्षा व्यवस्था हेतु एक नया और भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण
- संस्थागत पुनर्गठन और समेकन
- समग्र और बहु-विषयक शिक्षा की ओर
- सीखने के लिए अनुकूलतम वातावरण व छात्रों को सहयोग
- प्रेरित, सक्रिय और सक्षम संकाय 14. उच्चतर शिक्षा में समता और समावेश
- शिक्षक शिक्षा
- व्यावसायिक शिक्षा का नवीन आकल्पन
- नवीन राष्ट्रीय अनुसंधान फाउण्डेशन (एनआरएफ) के माध्यम से सभी क्षेत्रोंमें गुणवत्तायुक्त अकादमिक अनुसंधान को उत्प्रेरित करना
- उच्चतर शिक्षा की नियामक प्रणाली में आमूल-चूल परिवर्तन
- उच्चतर शिक्षा संस्थानों के लिए प्रभावी शासन और नेतृत्व

भाग III. अन्य केंद्रीय विचारणीय मुद्दे

- व्यावसायिक शिक्षा
 - प्रौढ़ शिक्षा और जीवनपर्यंत सीखना 22. भारतीय भाषाओं, कला और संस्कृति का संवर्धन
 - प्रौद्योगिकी का उपयोग एवं एकीकरण
- ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा: प्रौद्योगिकी का न्यायसम्मत भाग उपयोग सुनिश्चित करना

IV. क्रियान्वयन की रणनीति

- केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का सशक्तीकरण
- वित्त पोषण: सभी के लिए वहनीय एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा
- कार्यान्वयन

इस प्रकार इस शिक्षा नीति का उद्देश्य भारत में स्कूल एवं उच्च शिक्षा प्रणालियों में परिवर्तकारी सुधारों का मार्ग प्रशस्त करना है। इस नीति के तहत स्कूल से लेकर कॉलेज शिक्षा नीति तक में बदलाव किया गया है। साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम परिवर्तित करके शिक्षा मंत्रालय रखा गया है। इसमें किये गये बदलाव आने वाले लगभग दो दशकों को ध्यान में रखकर किये गये हैं यह बदलाव एक बार में नहीं बल्कि एक के बाद एक करके अलग-अलग चरणों में लागू किये जाएंगे। अतः इस शिक्षा नीति का उद्देश्य शिक्षा के प्रारूप में बदलाव करके भारत को विकास की राह पर चलाकर वैश्विक ज्ञान महाशक्ति के रूप में स्थापित करना है।

सन्दर्भ सूची

1. <https://www.education.gov.in>
2. <https://www.news.sarvgyan.com>
3. <https://www.hindi.carecrindia.com>
4. <https://www.hi.m.wikipedia.org>
5. <https://www.m.youtube.com>

आधुनिक साहित्य में राजेन्द्र यादव के उपन्यासों में स्त्री विमर्श का अध्ययन

ऋतु रत्नम

शोधार्थी, हिन्दी विभाग, भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा

सार

कथा साहित्य को विकास की नयी दिशा देने और गहरे अर्थों में प्रभावित करने वाले रचनाकारों में राजेन्द्र यादव का नाम विशिष्ट है। स्वतंत्रता से पूर्व एवं पश्चात् देश की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधियों एवं परिस्थितियों में जो बदलाव आया, उसका सबसे ज्यादा प्रभाव मध्यवर्ग पर पड़ा। राजेन्द्र यादव ने इसी मध्यवर्ग को अपनी लेखनी का मूलाधार बनाया, तथापि उसकी कमजोरियों एवं विशेषताओं को यथार्थ के धरातल पर उद्घाटित किया है। उनके उपन्यासों का कथ्य जहाँ एक ओर मध्यवर्गीय जीवन में व्याप्त अन्तर्विरोधों एवं समस्याओं को उजागर करता है, वहीं दूसरी ओर गहरे उतरकर परिवेशजन्य विवशता में जीते हुए कमजोर, त्रस्त एवं उखड़े हुए व्यक्ति की वास्तविक तस्वीर प्रस्तुत करता है।

परिचय

किसी भी साहित्यकार के विचारों और आदर्शों को पूर्णतः समझने और जानने में उसका जीवन और व्यक्तित्व आधार भूमि का काम करता है। अतः मानव जीवन की दिशा निश्चित करने और उसे विशिष्ट रूपाकार देने में व्यक्ति की पैतृक, पारिवारिक, युगानुरूप, सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक आदि परिस्थितियों तथा उनकी मूल प्रवृत्तियों का पर्याप्त हाथ रहता है। किसी भी साहित्यकार के व्यक्तित्व के विषय में जानने हेतु उसके जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में उसकी मूल प्रवृत्तियों व अभिरूचियों आदि के विषय में जानना आवश्यक होता है। अतः उनके साहित्य के मूल में पहुँचने से पूर्व उनके जीवन में प्रवेश करना अनिवार्य होता है। मनुष्य का व्यक्तित्व उसके जीवन का अभिन्न पक्ष होता है जिसमें से किसी एक पक्ष का अध्ययन दूसरे पक्ष के अध्ययन के अभाव में अधूरा- सा रह जाता है। साहित्यकार का कृतित्व एक ओर उसके व्यक्तित्व की प्रतिच्छाया होता है दूसरी ओर अपने समय की सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक हलचलों से अनुप्राणित होता है। साहित्यकार युग दृष्टा भी होता है और युग सृष्टा भी। एक ओर वह अपने युग में होने वाले परिवर्तनों, समस्याओं आदि पर नजर रखता है तो दूसरी ओर अपने साहित्य के माध्यम से एक नये युग के निर्माण में सहायता देता है। वस्तुतः साहित्यकार के साहित्य का उद्देश्य ही क्रांति लाना होता है। इस प्रकार साहित्य के प्रति लेखक के निजी दृष्टिकोण से सम्यक् परिचय प्राप्त कर लेने से उनके साहित्य को समझने और उसका विवेचन करने में पर्याप्त सहायता मिलती है।

राजेन्द्र यादव हिन्दी कथा- साहित्य के प्रमुख हस्ताक्षर हैं। उनका नाम कथा साहित्यकारों में विशेष उल्लेखनीय है। राजेन्द्र यादव मुख्यतः सामाजिक चेतना के कथाकार हैं। उन्होंने साहित्य सृजन को स्वधर्म रूप में स्वीकार किया। अतः उन्होंने अपनी सर्जकता में अर्थ व राजनीति आदि को दृष्टि में रखकर समझौता नहीं किया। वे एक मात्र साहित्य के प्रति प्रतिबद्ध बने रहे। बाहरी दबावों से मुक्त होकर अपने लेखन को स्तरीय एवं प्रमाणिक बनाये रखने का उन्होंने सदैव प्रयत्न किया। यथार्थ एवं मानव मूल्यों की खोज के प्रति भी उनका झुकाव रहा है। सुप्रसिद्ध हिन्दी लेखक राजेन्द्र यादव का जन्म 28 अगस्त सन् 1929 को उत्तर प्रदेश में आगरा के राजा मंडी मोहल्ले में हुआ था। उनके पिता श्री मिस्त्रीलाल यादव और माता ताराबाई थी। अपने दस भाई- बहनों में राजेन्द्र यादव सबसे बड़े थे। उनके जीवन का अधिकांश समय आगरा के राजा की मण्डी में व्यतीत हुआ। उनके बाल्यकाल का विवरण बहुत ही कम उपलब्ध है क्योंकि उनका विचार है कि कलाकार का व्यक्तित्व उसका परिचय उसका विश्वास और उसकी प्रतिबद्धता सभी कुछ उसकी कला होती है। जो वहाँ नहीं है उसका महत्त्व और मूल्य क्या और क्यों हो। राजेन्द्र यादव आरम्भ से ही मस्तमौला स्वभाव के रहे हैं। सूसीर में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे मवाना भेज

दिये गये। मेरठ में अपने चाचा के यहां रहते हुए उन्होंने अपनी शिक्षा - दीक्षा प्राप्त की। वहां सब कुछ ठीक ही चल रहा था, किन्तु अचानक 9-10 वर्ष की अवस्था में हॉकी खेलते हुए उनकी एक टांग टूट गई थी और वे विकलांग हो गये। इस विकलांगता ने उन्हें जीवन के प्रति एक नये सत्य व नए दृष्टिकोण से परिचित कराया। इसमें कोई संदेह नहीं कि इस विकलांगता के कारण उनकी शारीरिक गतिविधियां अवश्य प्रभावित हुईं और अवरूद्ध भी हुईं परन्तु इस कमी को उन्होंने अपनी बौद्धिक और मानसिक गतिविधियों को बढ़ाकर पूरा किया। बाल्यावस्था के समान ही किशोरावस्था भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण में अपना असाधारण महत्त्व रखती है। राजेन्द्र यादव के जीवन में भी इस काल का विशेष महत्त्व रहा है। उन्होंने एक स्थान पर लिखा है। कलाकार अपने किशोर काल में अपने यथार्थ से असंपृक्त नहीं हो पाता वह या तो उसमें रस लेता है या उसे जस्टिफाई करता है, और जिन्दगी भर कला के नाम पर आत्मकथा के टुकड़े देता रहता है। कबीरी अंदाज में अपने व्यक्तित्व को अपने कृतित्व में ढूँढ़ने की सलाह देने वाले हिन्दी कथा-साहित्य के प्रमुख हस्ताक्षर राजेन्द्र यादव अपने या अपनी रचनाओं के संबंध में चुप्पी साधे रहना ही उचित समझते हैं। उनके मतानुसार एक ईमानदार और प्रतिबद्ध रचनाकार की रचनाएं ही उसका परिचय देने के लिए पर्याप्त है। उन्हीं के शब्दों में कहें तो एक तरह देखा जाये तो सारा ईमानदार कथा-लेखन औरों के यानी पात्रों के बहाने अपनी ही बात कहता है। कहीं बात घटनाओं, वार्तालापों और चरित्रों के स्तर पर होती है तो कभी अनुभवों, स्थितियों और उनकी प्रतिक्रियाओं के रूप में कभी इन सब अवधारणाओं आस्था और निष्ठा की शक्ति में, होता सब 'अपना' या 'आत्मकथा' ही है। ऐसे में क्या ईमानदार कथा लेखक के पास ऐसा कुछ बचा रहता है कि वह अलग से आत्मकथा लिख सके मुड़-मुड़के देखता हूँ के अन्तर्गत उन्होंने लिखा भी है कि आत्मकथा व्यक्ति की हो या संस्कृति की दोनों इस गढ़न्त से मुक्त नहीं हैं। वे स्वतन्त्र कथा-रचनायें (फिक्शन) हैं। वास्तविक नाम और स्थान कथा को विश्वसनीय बनाने की रचनात्मक तरकीबें (डिवाइस) होती हैं। कथा के प्रवाह में ध्यान न बटाए इसलिए कहानी और उपन्यासों में हम वास्तविक नामों, स्थानों को बदल देते हैं। वहाँ मुख्य तर्क कहानी है, आत्मकथा में मुख्य तर्क व्यक्ति है। दोनों जगह विश्वसनीयता का संकट स्थितियों- घटनाओं के चुनाव में कतर-ब्योत करता है कभी- कभी कुछ पीढियां अगलों के लिए खाद बनती है। बीसवीं सदी के उत्पादन हम सब खूबसूरत पैकिंग में शायद वही खाद है। यह हताशा नहीं अपने सही उपयोग का विश्वास है, भविष्य की फसल के लिए बुद्ध के अनुसार ये वे नावें हैं जिनके सहारे मैंने जिन्दगी की कुछ नदियाँ पार की हैं और सिर पर लादे फिरने की बजाय उन्हें वहीं छोड़ दिया है। राजेन्द्र यादव ने व्यक्तिगत जीवन में जो देखा, सुना, भुगता, अनुभव किया उन सबको अपने लेखन का अंग बना दिया। उनका लेखन उनके जीवन से अलग प्रतीत नहीं होता। राजेन्द्र यादव के पिता मिस्त्रीलाल यादव को उर्दू में रूचि थी, अतः उनकी प्राथमिक शिक्षा उर्दू में हुई। प्रेमचंद के समान ही राजेन्द्र यादव पहले उर्दू में पढ़े और बाद में हिन्दी में आए। उनकी मैट्रिक तक की शिक्षा झाँसी में अपने पिता के साथ हुई। अपनी कक्षा में वे एक बुद्धिमान छात्र माने जाते थे। छोटी उम्र में ही राजेन्द्र को पढ़ने का शौक लगा था। पढ़ना खूब पढ़ना, सामने आई हर चीज को पढ़ना उनके जीवन का अभिन्न अंग बन गया। राजेन्द्र यादव की शिक्षा एम.ए. तक हुई है। उन्होंने एम.ए. हिन्दी की परीक्षा आगरा विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी से पास की। अंग्रेजी, बंगाली, उर्दू आदि भाषाओं पर भी उनका अधिकार है। अध्ययन के समान उन्हें लेखन में भी विशेष रूचि थी। साहित्य लेखन के अतिरिक्त डायरी और पत्र वे पूरे मनोयोग से लिखते थे। डायरी लेखन का प्रभाव उनके रचनात्मक साहित्य पर देखा जा सकता है। उसके अतिरिक्त वे पत्र लेखन के काम में भी सतर्क रहते थे। साहित्य लेखन राजेन्द्र यादव के जीवन का सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण विषय है।

एम.ए. की परीक्षा उत्तीर्ण होने के उपरान्त राजेन्द्र यादव यदि चाहते तो वे सहज ही प्राध्यापक बन सकते थे। पण्डित जगन्नाथ तिवारी ने उन्हें अपने विभाग में लेना चाहा था परन्तु तब तक उन्हें लेखक के रूप में प्रसिद्धि भी मिल चुकी थी। स्वाभिमान की स्वभाव के कारण नौकरी के झंझट में पड़ना उन्हें पंसद नहीं था। फिर भी उन्होंने कुछ एक महिनो के लिए जियोजालिकल सर्वे में हिन्दी अध्यापक का काम किया था। राजेन्द्र यादव के जीवन में साहित्यिक प्रेरणा के अंकुरण तभी फूटने लगे थे जब वे भिक्खी चाटवालों से तरह - तरह की कहानियां सुना करते थे। इस प्रकार कथा कहानियों के संस्कार उनके मन पर बचपन से ही पड़े उनके बचपन का काल आजादी की लड़ाई का काल था। आजादी की लड़ाई में साहित्यकार भी अपना दायित्व निभा रहे थे। राष्ट्रकवि दिनकर भी स्वतंत्रता सेनानी को अपनी कविता के माध्यम से प्रेरित एवं उत्साहित करने का कार्य कर रहे थे। राजेन्द्र यादव उन्हें बहुत पढ़ते थे। कवि दिनकर की इन काव्य पंक्तियों ने उनके किशोर मन पर अमिट छाप छोड़ दी-सेनानी करो प्रयाण अभय, भावी इतिहास तुम्हारा है, ये नखत अमा के बुझते हैं, सारा आकाश तुम्हारा है। इन्हीं पंक्तियों के प्रभाव स्वरूप यादवजी का 'प्रेत बोलते हैं' उपन्यास बाद में 'सारा आकाश' शीर्षक हो गया।

उपन्यासकार

राजेन्द्र यादव का उपन्यास साहित्य, हिन्दी साहित्य जगत् में अपना उल्लेखनीय स्थान रखता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय जीवन पर आधारित उनके उपन्यासों में प्रगतिवादी चिंतन धारा अपनाते हुए मध्यवर्ग का जीवन चित्रित किया गया है।

राजेन्द्र यादव ने अपने अधिकतर उपन्यासों के माध्यम से मध्यवर्ग को उसकी शक्ति एवं सीमा के साथ उपस्थित किया है। मध्यम वर्गीय परिवार और व्यक्ति स्तर पर होने वाले बिखराव और टूटन को उन्होंने प्रमाणित रूप से उद्घाटित किया है। समकालीन जीवन की वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक समस्याओं का चित्रण इनकी कथा कृतियों की प्रमुख विशेषता है। व्यक्तिगत कुंठाओं तथा मानसिक विकृतियों की प्रतिक्रियात्मक संभावनाएं इनकी रचनाओं में प्रभावशाली रूप में अभिव्यक्त हुई हैं। उनके प्रकाशित उपन्यास निम्न हैं-

उपन्यास

1. सारा आकाश (आरम्भ में प्रेत बोलते हैं के नाम से प्रकाशित 1951) प्रथम संस्करण - सन् 1959
2. उखड़े हुए लोग-प्रथम संस्करण - 1956
3. कुलटा-प्रथम संस्करण - 1957
4. शह और मात-प्रथम संस्करण - 1959
5. एक इंच मुस्कान (मन्नू भण्डारी के साथ) प्रथम ज्ञानोदय में सन् 1963
6. अनदेखे अनजान पुल-प्रथम संस्करण -1963
7. मंत्रविद्ध-प्रथम संस्करण - 1967

उद्देश्य

- 1) राजेन्द्र यादव अपनी अपूर्ण रचनाओं को हमेशा दराज में बंद करके रखते हैं।
- 2) राजेन्द्र यादव एक बहुप्रतिभा सम्पन्न साहित्यकार थे।

उपसंहार

सामाजिक चेतनाशु शब्द का अर्थ मात्र सामाजिक जागृति ही नहीं, वरन् प्रत्येक मानवीय समस्या पर सामूहिक दृष्टि से विचार करना है। समस्त सामाजिक विषमताओं से संबंधित नागरिक जीवन की समानतामूलक भावना ही सामाजिक चेतना है। भारतीय साहित्य में सामाजिक चेतना की कथा हजारों वर्ष पुरानी है जिसका उल्लेख वेद, बुद्ध और वेदान्त की वाणी में भी मिलता है जहाँ समाज को नूतन ऊँचाइयों तक ले जाने का आह्वान किया गया है। उन्नीसवीं शती तक आते आते पश्चिम की जीवन-पद्धति के संपर्क से सामाजिक चेतना को नूतन आधार और आकार प्राप्त हुआ, जहाँ समाज संकीर्णता यानी व्यक्तिवादी चेतना से मुक्त होकर समष्टिवादी चेतना में प्रविष्ट होने लगा। इस शती में अनेक समाजसुधारकों के द्वारा समाज के अंधविश्वासों, अत्याचारों, सतीप्रथा, अन्याय, अनीति, शोषण आदि का विरोध, विधवाविवाह का समर्थन, बालविवाह का निषेध आदि पर गहरी चोटकर समाज को पुनर्गठित करने का प्रयास किया गया।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. यादव, राजेन्द्र; सारा आकाश, राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली, पहला संस्करण: 2008, पहली आवृत्ति: 2012
2. यादव, राजेन्द्र; उखड़े हुए लोग, राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली, दसवाँ संस्करण:
3. यादव, राजेन्द्र मंत्रविद्ध और कुलटा, राधाकृष्ण प्रकाशन, दिल्ली, पहला संस्करण: 1995, पहली आवृत्ति: 2004
4. यादव, राजेन्द्र; शह और मात, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण: 2005
5. यादव, राजेन्द्र; अनदेखे अनजान पुल, राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली, पहला संस्करण: 1998, दूसरी आवृत्ति: 2012
6. यादव, राजेन्द्र; एक इंच मुस्कान, राजपाल एण्ड सन्ज, दिल्ली, संस्करण: 2012
7. यादव, राजेन्द्र; एक था शैलेन्द्र, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण: 2006, आवृत्ति: 2009
8. काजल, डॉ. अजमेर सिंह; उपन्यासकार राजेन्द्र यादव, संजय प्रकाशन नई दिल्ली, संस्करण: 2015
9. परदेशी, डॉ. भाउसाहेब और देवरे, शिवाजी; राजेन्द्र यादव का रचना संसार, चन्द्रलोक प्रकाशन, कानपुर, संस्करण: प्रथम 2005
10. सिंह, त्रिभुवन; हिन्दी उपन्यास और यथार्थवाद, हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय, वाराणसी, प्रथम संस्करण: 1955
11. काजल, डॉ. अजमेर सिंह; उपन्यासकार राजेन्द्र यादव, संजय प्रकाशन नई दिल्ली, संस्करण: 2015
12. परदेशी, डॉ. भाउसाहेब और देवरे, शिवाजी; राजेन्द्र यादव का रचना संसार, चन्द्रलोक प्रकाशन, कानपुर, संस्करण: प्रथम 200

पूर्व मुगल कालीन भारत में शहरीकरण की प्रक्रिया: एक अध्ययन

रघु यादव

(शोध छात्र) इतिहास विभाग, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर

शहरीकरण या नगरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी राष्ट्र की जनसंख्या का आकार शहर की तरफ बढ़ने लगता है अर्थात् शहरों का अधिक पैमाने पर विस्तार होने लगता है। पी.एम. होसर के शब्दों में- “शहरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक विशेष निर्धारित आकार के बड़े समूह में एकत्रित होने की प्रवृत्ति रहती है।” यह एक सतत परिवर्तनशील प्रक्रिया है एवं इसके द्वारा ग्रामीण एवं शहरी जीवन के बीच अंतर स्पष्ट होने लगता है। इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या का शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन होने लगता है। इस प्रकार शहरीकरण का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जो अधिवासित प्रारूप में गत्यात्मक परिवर्तन लाता है।

डॉ. हरीश चंद्र वर्मा लिखते हैं कि- “शहरीकरण ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक जनपद का ग्रामीण स्वरूप क्रम से लुप्त हो गया और उसमें बसने वाले अधिकांश लोग गैर कृषक हो गए और लगभग नियमित रूप से अपने खाने का सामान खरीदने लगे।” उन्होंने आगे स्पष्ट किया है कि “ऐसी स्थिति में मुद्रा की अर्थव्यवस्था का वर्चस्व होना, उपभोग की वस्तुओं के उत्पादन और उपभोग का विस्तार होना अवश्यभावी था जिसके परिणाम स्वरूप अंदरूनी और बाहरी व्यापार होने लगा।”

डॉ. सतीश चंद्र लिखते हैं कि- “शहरों और शहरी जीवन को किसी देश के विकास और संस्कृति की अवस्था का सूचक माना जाता है। अबुल फजल के अनुसार: जो लोग दुनियाबी कामों से जुड़े हुए हैं वे शहरों में एकत्रित होंगे, जिसके बिना कोई प्रगति नहीं होती।’ शहरी जीवन मुसलमानी सभ्यता की एक विलक्षण विशेषता थी।’

प्रसिद्ध फ्रांसीसी इतिहासकार फर्ना ब्रोदेल कहते हैं कि- “शहर बिजली के ट्रांसफार्मर जैसे होते हैं; वे तनाव को बढ़ाते हैं, विनिमय के लय को गति देते हैं और मानव जीवन में हमेशा नई शक्ति का संचार करते हैं। शहर विस्तार को जन्म देते हैं और वे स्वयं विस्तार की उपज होते हैं।”

पूर्व मुगलकालीन साम्राज्य में शहरी विकास का अध्ययन करने के लिए यह आवश्यक है कि सल्तनत कालीन एवं उसके पूर्व की भी शहरी क्रांति का अध्ययन किया जाए। यदि भारतीय परिप्रेक्ष्य में हम इसका अध्ययन करें तो हम यह देखते हैं कि शहरीकरण की प्रक्रिया भारतीय समाज में प्राचीन काल से ही मानी जाती है परंतु हम इसकी जानकारी सिंधु सभ्यता से पाते हैं। सिंधु सभ्यता के प्रमुख शहरों जैसे मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, हड़प्पा आदि नगरों में जल निकासी एवं नगर नियोजन जैसी व्यवस्था थी। अतः सिंधु घाटी सभ्यता को प्रथम नगरी सभ्यता भी कहा गया। प्रारंभ में उत्तरी भारत में 13वीं और 14वीं शताब्दी के मध्य हुई शहरी क्रांति से संबंधित प्रो. हबीब ने अपने सिद्धांत दिए। इस सिद्धांत के अनुसार तुर्कों के आने के पूर्व भारत में उच्च वर्गों ने नगरों एवं शहरों पर अपना स्थायित्व बना रखा था एवं श्रमिक लोग अनारक्षित गांव एवं शहरों से बाहर बस्तियों में रहते थे। तुर्कों ने निम्न जाति के श्रमिकों के साथ होने वाले सभी भेदभाव मिटा दिए। औद्योगिक एवं प्रशासनिक उद्योगों के लिए निम्न जाति के श्रमिकों की आवश्यकता थी। जिससे नई शासन व्यवस्था में नगर उद्योग और व्यापार समृद्धि शाली केंद्र बन गए। अतः मोहम्मद हबीब के अनुसार तुर्की सुल्तानों के शासन में समूचे देश में होने वाले परिवर्तन दिल्ली शहर के तेजी से होने वाले विकास से परिलक्षित हुआ। पूर्व मुगलकालीन नगरीकरण के संबंध में जनसंख्या से संबंधित आंकड़े भी उपलब्ध नहीं हैं। अतः हम केवल विभिन्न शहरी क्षेत्रों में किए गए कर संग्रह के आधार पर विभिन्न शहरों के आकार एवं क्षेत्रीय शहरीकरण के स्तरों के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। उपलब्ध आंकड़ों में आईने अकबरी में उल्लेखित पञ्जाब में शहरी कर भी शामिल था जिसके आधार पर केवल कर अदा करने की सामर्थ्य का ही पता चलता है। जिसे हम यह जान

पाते हैं कि उस समय शहरीकरण का स्तर क्या था एवं विभिन्न क्षेत्रों में शहरी आय क्या थी। इस प्रकार पूर्व मुगलकालीन शहरी क्रांति ने मुगलकालीन शहरी क्रांति के लिए एक दिशा सूचक का कार्य किया।

मुगल काल में मुस्लिम शासन की स्थापना से शहरों का विकास फिर से प्रारंभ हुआ जिसके फलस्वरूप सुंदर और विशाल मस्जिदें बनवाई गईं जिससे भारतीय नगर नियोजन में मुस्लिमों का विशेष योगदान रहा। इनका शासनकाल अपनी सैनिक शक्ति पर निर्भर था एवं उस समय अत्यधिक कुशलता पूर्ण सैनिक उपकरणों का भी प्रमाण मिलता है। विभिन्न विद्वानों ने मुगल पूर्व भारत में शहरीकरण के विषय में अपने विचार दिए हैं परंतु कोई स्पष्ट विचार अभी तक प्राप्त नहीं हो पाया।

तुर्कों के भारत आगमन के समय उनके समक्ष तीन प्रमुख रुकावटें आयीं। यहां अच्छी सड़कें नहीं थी, संचार के साधनों का अभाव था तथा फारसी बोलने वाले ऐसे अधिकारियों की बहुत कमी थी जो जनता एवं राज्य के बीच सेतु का कार्य कर पाते। ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी लगभग न के बराबर थी जो नव स्थापित तुर्की राज्य का आधार बन सकती। वे भारतीय जनता के लिए अजनबी थे एवं उनकी सामाजिक प्रथाओं से अनभिज्ञ थे। अतः शासन चलाने के लिए सेना पर बहुत निर्भर रहते थे। अजनबी एवं अनभिज्ञ होने के कारण क्षेत्रीय विस्तार एवं धन प्राप्ति के लिए तथा अपना प्रभावी नियंत्रण कायम करने के लिए उन्हें राज्य को क्षेत्रीय, राजनीतिक और सामाजिक बाधाओं का उल्लंघन करने में कोई संकोच नहीं हुआ। तुर्की शासक उत्पादक नहीं थे बल्कि वे एक ऐसे उपभोक्ता थे जो अपव्ययी भी थे। अतः मोहम्मद हबीब के अनुसार नागरिक क्रांति लाने में तुर्क शासक वर्ग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी। उनके अनुसार यह महान परिवर्तन विशेष रूप से दिल्ली शहर के तेजी से होने वाले विकास में परिरक्षित हुआ। उनका मानना था कि नगरों की संख्या और संभवत उनके आकार में वृद्धि हुई लेकिन वह यह नहीं मानते कि तुर्कों की अधीनता में शहरी क्रमिकों या गांव के कृषकों एवं कारीगरों को अधिक स्वतंत्रता मिली। वह इस मत को भी नहीं स्वीकार करते हैं कि उत्पादन के उपकरण में कोई परिवर्तन हुआ। उनका मानना है कि इस अवधि के दौरान प्रौद्योगिकी में आवश्यक परिवर्तन और सुधार हुए।

मुगल काल के दौरान शहरीकरण की प्रक्रिया में तीव्र गति आई। बहुत से पुराने शहरों का विकास हुआ एवं कुछ नए शहर भी स्थापित हुए और यह प्रक्रिया लगभग 18 वीं शताब्दी तक जारी रही। इस दौरान दक्षिण में बीजापुर, गोलकुंडा जैसे नगर भी विकसित हुए तथा मसूलीपट्टनम जैसे नया शहर भी बसे। परंतु सल्तनत शासित संपूर्ण क्षेत्र में शहरी केंद्रों की संख्या बढ़ने के कारण स्पष्ट नहीं हो सके। इसके कुछ कारण मोहम्मद हबीब ने बताए। उनके अनुसार उत्तरी भारत में राजपूतों पर गौरी की विजय का सबसे बड़ा कारण “जाति व्यवस्था” और इससे उत्पन्न उपस्थिति थी। उनके अनुसार जाति व्यवस्था ऐसी व्यवस्था पैदा होने के कारण थी जिसमें उत्पीड़ितों और उत्पीड़ितों का पतन हुआ। मध्यकालीन सामाजिक और आर्थिक प्रगति में शहरीकरण का अत्यंत महत्व है। अतः मध्यकाल में विभिन्न जाति व्यवस्था होने के कारण नगरों में मिश्रित आबादी थी। जिसके परिणाम स्वरूप मिश्रित संस्कृति का भी विकास हुआ। समय-समय पर नए महल, राजधानी, घर आदि बनते रहे एवं नगरों का विकास होता रहा। मध्यकालीन शहरी जनसंख्या के संदर्भ में एक सर्वे के अनुसार 17 वीं शताब्दी तक देश की कुल आबादी की लगभग 15% शहरों में रहती थी अकबर के साम्राज्य में लगभग 120 बड़े शहर और 3200 कस्बे थे। अतः शहरीकरण की प्रक्रिया तेजी से हुई।

जहां तक मध्यकालीन नगरीय समाज का प्रश्न है तो हम देखते हैं कि उस समय कारीगरों, दासों, कर्मचारियों, व्यापारियों आदि की प्रधानता थी। शहरी क्षेत्रों में कुछ ऐसे लोग भी शामिल थे जो ग्रामीण क्षेत्रों की वस्तुओं को शहर में पहुंचाते थे। अतः मध्यकालीन भारत में व्यापारी वर्ग के अतिरिक्त लेखक, संगीतकार, इतिहासकार, दार्शनिक, चित्रकार, चिकित्सक आदि भी हुआ करते थे। शहरों में कारीगर इतने ही जरूरी थे जितने कि गांव में कृषक। यह लोग नगरों के आर्थिक जीवन के आधार थे और उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं के द्वारा ही नगर आत्मनिर्भरता हासिल कर सकता था।

इस प्रकार मध्यकालीन भारत में नगरों के विभिन्न स्वरूप दिखाई पड़ते हैं-

ऐसे नगर जहां प्रशासनिक गतिविधियां थी वह राजधानी वाले नगर थे जैसे- आगरा, दिल्ली, लाहौर आदि। इसके अलावा तीर्थ स्थलों के कारण प्रसिद्ध नगर जैसे- बनारस, इलाहाबाद, मथुरा, अजमेर आदि। कुछ ऐसे भी नगर थे जहां औद्योगिक विकास हुआ जैसे- सूरत, आगरा, पटना आदि एवं कुछ विशिष्ट वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध नगर थे जैसे- सूती वस्त्र के लिए गुजरात, अवध, बयाना नील के लिए एवं लाहौर, गुजरात आदि वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध प्रसिद्ध थे।

विभिन्न विद्वानों का यह भी मत है कि मध्यकालीन भारत के नगरों का अपना कोई कानून नहीं था परंतु यह उचित नहीं प्रतीत होता क्योंकि इस समय भारत के नगरों का प्रशासन कोतवाल के हाथों में था। अतः नगरों में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, सुरक्षा तथा पहरेदारी के लिए उनके अपने कर्मचारी होते थे। इसके अलावा इसमें फौजदार भी मदद कर सकते थे। नगरों में कीमतों पर नियंत्रण रखना, अवैध सड़कों पर रोक लगाना यह सब कोतवाल का दायित्व था तथा नागरिक सुविधा संबंधित उन्हें कई जिम्मेदारियां भी निभानी पड़ती थी। अतः भारतीय इतिहास के अनुभव और भारत का सामाजिक यथार्थ यूरोप से बिल्कुल भिन्न रहा है। अतः शहरीकरण के संबंध में यूरोपीय इतिहास कारों के किसी भी निदर्शन को मुगल कालीन भारत के शहरीकरण के लिए नमूना नहीं माना जा सकता परंतु उससे कुछ उपयोगी ज्ञान अवश्य मिलता है। सैयद नूर अल हसन ने इस विषय में कहा है कि जिस प्रकार के सामंतवाद के आधार पर तर्क दिए जा रहे हैं वैसा सामंतवाद भारत में सन 1200 के बाद विद्यमान नहीं था। तुर्की राज्य का होना बहुत केंद्रीकृत था। उसमें भू राजस्व की वसूली अकता दारों और जमींदारों के द्वारा किए जाने के कारण भू राजस्व की व्यवस्था एकीकृत थी। जिसमें नए प्रकार के ग्रामीण संबंध कायम हुए और जिनके परिणाम स्वरूप नगरों और कस्बों का विकास हुआ। अपना शासन स्थापित करने वाले और कब्जा करने वाले नए शासक वर्ग के रूप में तुर्क लोग मूलतः शहरों के निवासी थे और उनका हित भूमि से जुड़ा हुआ नहीं था। कब्जा जमाने वाले और शासन कायम करने वाले इस वर्ग ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था का भारी शोषण किया। इसके साथ ही डोब ने यह तर्क दिया है कि 16 वीं और 17वीं शताब्दी के बीच पूर्वी यूरोप में व्यापार के विकास से सामंतवाद के दायित्व में वृद्धि हुई। उन्होंने प्रमाणित करके यह प्रदर्शित किया है कि पश्चिमी यूरोप और इंग्लैंड में जिस काल में व्यापार की अवनति हुई उसी काल में कृषि दास प्रथा की भी अवनति हुई। जबकि यह प्रथा सामंती व्यवस्था की विशेषता थी। सल्तनत काल में ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास समान रूप से नहीं हुआ। 13वीं शताब्दी में तुर्की राज्य अपने स्थायित्व के विषय में आश्वस्त नहीं था। अमीर वर्ग के संदर्भ में नरेश तंत्र की स्थिति विकसित हो रही थी, शासक वर्ग का अभी निर्माण हो रहा था, अक्तादारी प्रथा का भी अभी परीक्षण हो रहा था, तुर्की शासन से पूर्व के जमींदार बिचोलिया की सत्ता अभी भी कायम थी। अच्छी सड़कें बहुत कम थी, शिल्प उत्पादों की उन्नति प्रारंभिक अवस्था में थी और बाजारों का विकास धीमी गति से और अव्यवस्थित ढंग से हो रहा था। मार्क्स ने भी इस तथ्य को इस तरह से प्रकट किया है कि अंग्रेजी सामंतवादी समाज में ही ऐसे अंतर्विरोध पैदा हुए जिनके परिणाम स्वरूप उनका विघटन हुआ। दूसरी ओर पोस्टन को व्यापार की वृद्धि और शहरों के विकास के बीच कोई अंतर्विरोध दिखाई नहीं देता। व्यापार की उन्नति 11वीं शताब्दी में शुरू हुई और उस समय सामंतवादी भी मजबूत हो रही थी। इस प्रकार उन्हें शहरों के विकास और सामंत शाही व्यवस्था का विकास केवल व्यापार के विकास के साथ होने के बीच संबंध नजर आता है। उनके शब्दों में शहर सामंतवादी सागर में गैर सामंती द्वीपों के समान थे।

भारतीय इतिहासकारों ने शहरीकरण के बारे में प्रभावित होकर हमें यह स्पष्ट करते हुए कहा है कि शहरी विकास मुख्यतः शासक वर्ग द्वारा भूमि कर के रूप में वसूल किए गए अधिशेष पर आधारित था जिसको मुख्यतः नगरों में रहने वाले उस वर्ग के सदस्यों, उनके आश्रितों और उनके नौकर-चाकरों में विभाजित किया जाता था। इस शोषण के परिणाम स्वरूप ऐसे शहरी केंद्रों की स्थापना हुई जो स्वभाव से परजीवी थे। उनके तर्क के अनुसार परजीवी गांव की अपेक्षा शहरों की ओर झुकाव मध्यकालीन आर्थिक इतिहास का महत्वपूर्ण पक्ष है। अतः इससे यह स्पष्ट होता है कि शहरीकरण की प्रक्रिया तुर्कों के आने से बहुत पहले ही हो गई थी। निसंदेह तुर्कों ने शहरीकरण की इस प्रक्रिया को गति प्रदान की लेकिन उन्होंने शहरीकरण का निर्माण स्वयं नहीं किया। शहरीकरण की यह प्रक्रिया इतनी जटिल थी कि उसको प्रोत्साहित करने का श्रेय शासकों को नहीं दिया जा सका। भारतीय किसान इतनी अधिक मात्रा में अधिशेष का उत्पादन करते थे कि उसे व्यापक शहरी विकास का पोषण करना संभव था और भारत में ऐसे बहुत से लोग थे जो शासकों और अन्य लोगों द्वारा पैदा की गई मांग की पूर्ति के लिए नए शिल्प सीखने और उन्हें अपनाने को तैयार थे। इसी विशेषता के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सन 1200 से पूर्व के भारत का तुर्की कालीन भारत के रूप में संक्रमण वस्तुतः क्रांतिकारी घटना थी। अन्य कारणों से ना सही लेकिन केवल इसी कारण से उसे क्रांतिकारी कह सकते हैं कि यह परिवर्तन बहुत तेजी से हुआ और बड़े पैमाने पर हुआ। जो समाज सामंतवादी राजनीतिक दृष्टि से विकेंद्रित, प्रधान रूप से ग्रामीण और उस समाज का एक अत्यधिक केंद्रीकृत, शहर और बड़े शिल्पो के उत्पादक के रूप में परिवर्तन होना अभूतपूर्व घटना था। विस्मय की बात तो यह है कि समाज में यह परिवर्तन अचानक और तेजी से आए उनको आने में शताब्दी या नहीं लगी। यूरोप और अन्य देशों में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन लाने में लोगों को अनेक शताब्दियों लगी। भारत में एक राजनीतिक घटना, अर्थात् तुर्की शासन की स्थापना के कारण व्यापक परिवर्तन हुए। स्पष्टतः ऐसी परिस्थिति में ग्रामीण जनता ने प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया होगा। इसकी पुष्टि इस तरह से

होती है कि नए राज्य का कोई सक्रिय अथवा निश्चेष्ट विरोध नहीं हुआ। प्रसंगवश इससे यह कथन भी गलत साबित होता है कि भारत में शहरी विकास का स्वरूप परजीवी था।

इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि पूर्व मध्यकालीन भारत एवं मध्य काल के प्रारंभ से लेकर 18 वीं शताब्दी तक नगरों का किस प्रकार क्रमिक विकास हुआ। इस दौरान वाणिज्य, एवं व्यापार के क्षेत्र में अपार वृद्धि हुई तथा साथ ही साथ लघु उद्योगों का भी विकास हुआ। इसके अलावा मध्य काल के दौरान सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं शहरीकरण के क्षेत्र की प्रक्रिया में तीव्रता आई। बहुत से पुराने शहर विकसित हुए और कुछ नए शहर बसे। अतः शहरीकरण के क्षेत्र में हमें 13 वीं से 18 वीं शताब्दी तक क्रमिक विकास निरंतर देखने को मिलता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. इरफान हबीब, इंडियन हिस्टोरिकल रिव्यू खंड 4 संख्या 1978, पृष्ठ 287 -88
2. टी.के. वेंकटेश सुब्रमण्यम डॉ. हरीश चंद्र वर्मा संपादित पूर्वोत्तर पृष्ठ 478
3. हरिश्चंद्र वर्मा मध्यकालीन भारत भाग- 1 पृष्ठ संख्या 407
4. घनश्याम दत्त शर्मा मध्यकालीन भारतीय सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक संस्थाएं, जयपुर 2001 पृष्ठ संख्या 29 - 93
5. क्लारा अशरफिया मेडिकल इंडियन सिटी ऑफ थर्टीन सेंचुरी।
6. निजामुद्दीन अहमद, तबकाते अकबरी, अंग्रेजी अनुवाद, भाग -3 कोलकाता 1936

भारत में एचआईवी/एड्स पॉजिटिव व्यक्तियों के बीच पोषण संबंधी ज्ञान, दृष्टिकोण और व्यवहार का समाजशास्त्रीय अध्ययन

चंद्रेश कुमार

(प्रवक्ता)

सारांश

इस वर्णनात्मक अध्ययन में भारत में एचआईवी/एड्स (पीएलएचआईवी) से पीड़ित लोगों के बीच पोषण संबंधी ज्ञान, दृष्टिकोण और व्यवहार (ज्ञामाव) की जांच की। पूर्व निर्धारित बहुविकल्पीय प्रश्नावली का उपयोग करके, कानपुर, भारत से 400 पीएलएचआईवी के नमूने से पोषण संबंधी ज्ञामाव और सामाजिक जनसांख्यिकीय प्रोफाइल से संबंधित डेटा एकत्र किया गया था। एचआईवी/एड्स पर ज्ञान कम था; पोषण संबंधी ज्ञान मध्यम था क्योंकि 80% उत्तरदाता 7 में से 4 प्रश्नों का सही उत्तर दे सके। रोग और भोजन के प्रति दृष्टिकोण सकारात्मक था, लेकिन पोषण संबंधी ज्ञान के अनुप्रयोग में कमी थी, जैसा कि 15 के कुल स्कोर में से 8.1 ± 2.3 के मध्यम अभ्यास स्कोर से संकेत मिलता है। लिंग के बीच स्कोर में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं था। पीएलएचआईवी को संक्रमण के दौरान पोषण के महत्व के बारे में ज्ञान था, रोग के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण था और रोग के दौरान पोषण के महत्व के बारे में था लेकिन इस ज्ञान का व्यवहार में अनुवाद कम था। इस प्रकार, ज्ञान को स्वस्थ आहार व्यवहार में परिवर्तित करने के लिए मुख्य रूप से व्यवहार परिवर्तन के उद्देश्य से निरंतर हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

मुख्य शब्द: एचआईवी/एड्स; ज्ञान, दृष्टिकोण और अभ्यास; पोषण; भारत

परिचय

भारत 1.4 अरब लोगों का देश है और यह दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। भारत में ह्यूमन इम्युनोडेफिशिएंसी वायरस (एचआईवी) मुख्य रूप से विषमलैंगिक संभोग के माध्यम से फैलता है। अल्सरेटिव यौन संचारित रोगों (एसटीडी) की उपस्थिति, कंडोम का अनियमित उपयोग, यौन संपर्क की आवृत्ति और यौन शुरुआत की उम्र इसे प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (एनएसीओ) के हालिया अनुमान के मुताबिक, 2008 में भारत में 2.2 मिलियन एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति थे, वयस्कों में अनुमानित एचआईवी प्रसार 0.29% था⁽¹⁾। एचआईवी में पोषण का महत्व अच्छी तरह से स्थापित है संक्रमण (2-4)। खराब पोषण स्थिति मृत्यु दर का एक मजबूत भविष्यवक्ता है। सीडी4+ कोशिकाओं की संख्या को नियंत्रित करने के बाद भी, आदर्श शरीर के वजन का 66% से अधिक वजन कम होना एड्स रोगियों (5-7) में मृत्यु के समय से जुड़ा था। हालाँकि एंटीरेट्रोवाइरल थेरेपी (एआरटी) से संबंधित ज्ञान, दृष्टिकोण और व्यवहार का आकलन करने वाले कई अध्ययन हुए हैं, लेकिन कई अध्ययनों ने पोषण को अपना मुख्य फोकस (8-10) के रूप में रखते हुए इसका आकलन नहीं किया है। इसलिए, यह अध्ययन पीएलएचआईवी के पोषण संबंधी ज्ञान, दृष्टिकोण और प्रथाओं का आकलन करने के लिए किया गया था।

सामग्री और विधियाँ

इस क्रॉस-सेक्शनल वर्णनात्मक अध्ययन के लिए विश्वनाथ मेमोरियल अस्पताल, कानपुर, भारत के एआरटी केंद्र में पंजीकृत कुल 400 पीएलएचआईवी (245 पुरुष, 144 महिला और 11 ट्रांसजेंडर) से डेटा एकत्र किया गया था। अध्ययन करने

की अनुमति 15 सप्ताह की अवधि के लिए प्राप्त की गई थी। इस निर्धारित समय सीमा को ध्यान में रखते हुए इन 400 पीएलएचआईवी से डेटा एकत्र किया गया। अध्ययन के लिए समावेशन मानदंड पीएलएचआईवी को नामांकित करना था जो तीन महीने की अवधि में एआरटी केंद्र में शामिल हुए थे, 21 वर्ष से अधिक उम्र के थे, डेटा संग्रह की तारीख से पिछले 30 दिनों के भीतर सीडी 4 अनुमानों का रिकॉर्ड रखते थे, और पोषण से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देने पर सहमत हुए। शिशुओं, बच्चों, किशोरों और गर्भवती/स्तनपान कराने वाली माताओं, जो केंद्र में पंजीकृत नहीं थे, और जिन्होंने अध्ययन में भाग लेने से इनकार कर दिया था, उन्हें बाहर रखा गया। संस्थान से नैतिक अनुमोदन प्राप्त किया गया था।

भारत के गृह अर्थशास्त्र संस्थान की संस्थागत आचार समिति से नैतिक अनुमोदन प्राप्त किया गया था। स्वयंसेवकों पर अध्ययन प्रक्रियाओं का विवरण दिया गया था सूचना पत्रक (अंग्रेजी एवं हिन्दी भाषा में)। लाभ, गोपनीयता और स्वैच्छिक भागीदारी से संबंधित विशेषताओं को समझाया गया, और सभी से लिखित सूचित सहमति प्राप्त की गई विषय। पूर्व निर्धारित बहुविकल्पीय प्रश्नावली का उपयोग करके समाजशास्त्री जानकारी एकत्र की गई थी। एक बंद, पूर्व-परीक्षित प्रश्नावली जिसमें तीन खंड शामिल हैं: ज्ञान (15 बहुविकल्पीय प्रश्न), दृष्टिकोण (15 कथन), और व्यवहार (15) बहुविकल्पीय प्रश्न) का उपयोग ज्ञामाव जानकारी प्राप्त करने में किया गया था।

स्कोरिंग

प्रत्येक अनुभाग के लिए स्कोरिंग तंत्र शोधकर्ताओं द्वारा विकसित किया गया था। ज्ञान के लिए, प्रत्येक सही उत्तर को 1 अंक दिया गया था जबकि प्रत्येक गलत उत्तर को 0 अंक दिया गया था। ज्ञान अनुभाग में प्रत्येक प्रश्न में केवल एक सही उत्तर और तीन गलत उत्तर थे। इस प्रकार, एक उत्तरदाता इस अनुभाग में अधिकतम 15 और न्यूनतम 0 अंक प्राप्त कर सकता है। दृष्टिकोण के लिए, 'असहमत' को 1 अंक दिया गया, 'नहीं पता' को 2 अंक दिया गया, और 'सहमत' को 3 अंक दिया गया। आठ नकारात्मक रूप से तैयार किए गए बयान थे जिनके लिए रिवर्स स्कोरिंग की गई थी जिसका मतलब है कि 'सहमत' के लिए 1, 'नहीं पता' के लिए 2 और 'असहमत' के लिए 3 अंक दिए गए थे। इस प्रकार, एक उत्तरदाता दृष्टिकोण अनुभाग में अधिकतम 45 और न्यूनतम 15 अंक प्राप्त कर सकता है। व्यवहार के लिए, प्रत्येक 'हाँ' प्रतिक्रिया को 1 अंक प्राप्त हुआ जबकि प्रत्येक 'नहीं' को 0 अंक प्राप्त हुआ।

इसलिए, एक उत्तरदाता अभ्यास अनुभाग में अधिकतम 15 और न्यूनतम 0 अंक प्राप्त कर सकता है। अंतिम क्वांटिफाई स्कोर की गणना व्यक्तिगत रूप से ज्ञान, दृष्टिकोण और अभ्यास अनुभागों के अंकों को जोड़कर की गई थी। कुल क्वांटिफाई स्कोर 15 से 75 के बीच था। स्कोर जितना अधिक होगा, उत्तरदाता का पोषण संबंधी ज्ञान, दृष्टिकोण और अभ्यास उतना ही बेहतर होगा। स्कोर को खराब, औसत और अच्छे स्कोर में भी वर्गीकृत किया गया था, जिसके लिए श्रेणियाँ थीं

तालिका 1 में दिखाया गया है।

सभी आवश्यक सांख्यिकीय विश्लेषण किए गये, जिसमें आवृत्ति गणना और प्रतिशत शामिल हैं सामाजिक जन सांख्यिकीय चर की स्पष्ट तस्वीर देने के लिए वर्णनात्मक आंकड़ों का उपयोग किया गया था।

परिणाम

समाजशास्त्रीय प्रोफाइल

अध्ययन नमूने की संपूर्ण सामाजिक-जन सांख्यिकीय प्रोफाइल तालिका 2 में दिखाई गई है। उनमें से अधिकांश (82.7%) 21-40 वर्ष के थे। लगभग 15% के पास कोई शिक्षा नहीं थी; 31% के पास प्राथमिक स्तर की शिक्षा थी; 44% माध्यमिक और 10% के पास कालेज स्तर या उच्च शिक्षा थी। अध्ययन नमूने में असुरक्षित यौन व्यवहार सहित विषम लैंगिक संपर्क, एचआईवी संचरण (76.5%) का प्रमुख मार्ग था। वैवाहिक स्थिति के संदर्भ में, 12% प्रतिभागी विधवा थे, 15.5% अविवाहित थे, और लगभग 1% अलग या तलाक शुदा थे। बाकी (71.75%) विवाहित थे। अधिकांश प्रतिभागियों (85.76%) ने हिंदू धर्म को अपना धर्म माना, और 11.28% ने इस्लाम का पालन किया। अधिकांश विषय (65%) एकल परिवारों से थे। साक्षात्कार के समय, 39 % विषय बेरोजगार थे, 9% किसी प्रकार के व्यवसाय में थे, 20.5% के पास वेतन भोगी नौकरियाँ थीं, 28% शामिल थे खेती या निर्माण कार्य जैसे भारी काम में, और 3.5% छात्र या घरेलू सहायक बताए गए हैं। लगभग 60% विषयों ने बताया कि उनकी वार्षिक पारिवारिक आय रुपये से कम है। 20,000. परिवार के औसत आकार को ध्यान में रखते हुए वर्तमान अध्ययन में 4, 50% विषयों में प्रति व्यक्ति था मासिक आय रु. से कम. 525.

ज्ञान

ज्ञान अनुभाग में एक समग्र स्कोर था की गणना सही प्रतिक्रियाओं की संख्या के रूप में की जाती है प्रश्न (श्रेणी 0-15). समग्र माध्यम 8.3±2.2 था, जो दर्शाता है कि, औसतन, उत्तरदाताओं को 55% सवालों का सही उत्तर पता था

	ज्ञान	मनोवृत्ति	व्यवहार	ज्ञामव्
स्कोरिंग	सही उत्तर के लिए 1 अंक गलत उत्तर के लिए 0 अंक	1=असहमत 2=पता नहीं 3=सहमत	1=हां 0=नहीं	ज्ञान स्कोर + मनोवृत्ति स्कोर + व्यवहार स्कोर
रेंज	0-15	15 -45	0 -15	15 -75
वर्गीकरण	खराब: 0-5 औसत: 6-10 अच्छा: 11-15	खराब: 15-25 औसत: 26-35 अच्छा: 36-45	खराब: 0-5 औसत: 6-10 अच्छा: 11-15	खराब: 15-35 औसत: 36-55 अच्छा: 56-75

विशेषताएँ	पुरुष एन (%)	महिला एन (%)	ट्रांसजेंडर एन (%)	कुल एन (%)
Age (years)				
21-<41	203 (82.9)	120 (83.3)	8 (72.7)	331 (82.7)
41-59	42 (17.1)	24 (16.7)	3 (27.3)	69 (17.3)
एचआईवी प्राप्त करने के लिए जोखिम कारक				
यौन मार्ग	187 (76.3)	114 (79.2)	5 (45.5)	306 (76.5)
दवा का इंजेक्शन लगाना	8 (3.3)	1 (0.7)	5 (45.5)	14 (3.5)
रक्त आधान	13 (5.3)	15 (10.4)	0	28 (7)
माँ से बच्चे में संचरण	2 (0.8)	0	0	2 (0.5)
संभावित असुरक्षित इंजेक्शन	14 (5.7)	1 (0.7)	1 (9.0)	16 (4)
अज्ञात	21 (8.6)	13 (9.0)	0	34 (8.5)
वर्तमान उपचार की स्थिति				
एआरटी पर	166 (67.8)	89 (61.8)	7 (63.6)	262 (65.5)
एआरटी पर नहीं	79 (32.2)	55 (38.2)	4 (36.4)	138 (34.5)
शिक्षा				
कोई शिक्षा नहीं	52 (21.3)	62 (43.1)	9 (81.8)	123 (30.7)
प्राथमिक	128 (52.2)	47 (32.6)	1 (9.1)	176 (44)
माध्यमिक	42 (17.1)	18 (12.5)	1 (9.1)	61 (15.3)
कालेज और उससे ऊपर	23 (9.4)	17 (11.8)	0	40 (10)
वैवाहिक स्थिति				
एकल	30 (12.3)	13 (9.0)	6 (54.6)	49 (12.4)
विवाहित	191 (78)	89 (61.8)	3 (27.3)	283 (70.7)
तलाक शुदा/पृथक	3 (1.2)	0	0	3 (0.8)
विधवा	12 (4.9)	50 (34.7)	0	62 (15.5)
धर्म				
हिंदू	208 (85.2)	126 (87.5)	5 (45.4)	339 (84.8)
मुस्लिम	39 (15.9)	5 (3.5)	8 (72.7)	52 (13)
अन्य	6 (2.5)	5 (3.5)	0	11 (2.8)

ज्ञान अनुभाग (तालिका 3) में, पहले आठ प्रश्न विशेष रूप से एचआईवी/एड्स से संबंधित, एचआईवी संचरण के तरीकों, जोखिम, लक्षणों और एआरटी के दुष्प्रभावों के बारे में प्रतिभागियों का ज्ञान प्राप्त करना। आठ प्रश्नों में से, 50% से अधिक उत्तरदाताओं द्वारा केवल तीन का सही उत्तर दिया गया, जो एचआईवी/एड्स पर सीमित ज्ञान का संकेत देता है। केवल लगभग 40% ही सही तरीकों की पहचान कर सके

एचआईवी का संचरण, एचआईवी/एड्स के लक्षण, और एआरवी दवाओं के दुष्प्रभाव। तीन-चौथाई (75%) उत्तरदाताओं को पता था कि एआरवी दवाएं एचआईवी पॉजिटिव लोगों को दी जाती हैं, और लगभग 65% यह पहचान सकते हैं कि कम सीडी 4 गिनती एचआईवी पॉजिटिव स्थिति की पुष्टि करती है।

उत्तरदाताओं के बीच समग्र पोषण-संबंधी ज्ञान अच्छा था क्योंकि लगभग 80% उत्तरदाता पोषण-संबंधी 50% से अधिक प्रश्नों का सही उत्तर दे सकते थे। विशिष्ट पोषक तत्वों से संबंधित जानकारी का अभाव था क्योंकि केवल 24% उत्तरदाता संक्रमण के दौरान आवश्यक सही पोषक तत्वों की पहचान नहीं कर सके।

कुल मिलाकर, विषयों का ज्ञान स्कोर (मतलब एएसडी) 8.3±2.2 था, जो मध्यम श्रेणी में था। निम्न (0-5) के आधार पर विषयों का वर्गीकरण, औसत (6-10), और अच्छा (11-15) ज्ञान स्कोर में 12%, 71.2% और 16.8% विषयों का संकेत संबंधित श्रेणियाँ दिया गया।

तालिका 3. उत्तरदाताओं का प्रतिशत जिन्होंने ज्ञान-संबंधी प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर दिया	
प्रश्न	एन (%)
एचआईवी/एड्स के संचरण के तरीके	157 (39.3)
एचआईवी संक्रमण होने का सबसे अधिक खतरा किसे है?	205 (51.3)
एचआईवी संक्रमण के सामान्य लक्षण	151 (37.8)
एचआईवी स्थिति की पुष्टि किस जैविक स्थिति से होती है?	269 (67.3)
एचआईवी संक्रमण से शरीर का कौन सा घटक प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है?	124 (31)
निम्नलिखित में से कौन सी दैनिक गतिविधियाँ एचआईवी संक्रमण के प्रसार का कारण बनती हैं ?	185 (46.3)
एआरवी दवाएँ किसे दी जाती हैं ?	295 (73.8)
एआरवी दवाओं के सामान्य दुष्प्रभाव	155 (38.8)
एचआईवी संक्रमण से शरीर की किन पोषक तत्वों की आवश्यकता बढ़ जाती है ?	101 (25.3)
पीएलएचआईवी को अपनी दैनिक दिनचर्या में किन स्वस्थ प्रथाओं का पालन करना चाहिए?	325 (81.3)
पीएलएचआईवी को निम्नलिखित में से किस आहार पद्धति का पालन नहीं करना चाहिए?	293 (73.3)
निम्नलिखित में से किसका स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है?	360 (90)
निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन के उत्कृष्ट स्रोत हैं?	94 (23.5)
निम्नलिखित में से पानी पीने का सबसे सुरक्षित तरीका कौन सा है?	261 (65.3)
एआरवी दवाओं के साथ किन खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए ?	359 (89.8)

बयानों पर प्रतिक्रियाएं जानने के लिए तैयार की गई हैं पीएलएचआईवी की मनोवृत्ति को तीन सूचकों पर अंकित किया गया स्केल (सहमत, पता नहीं, और असहमत) जैसा दिखाया गया है तालिका 4 में।

तालिका 4. उत्तरदाताओं का दृष्टिकोण			
कथन	सहमत हूँ	नहीं जानता हूँ	असहमत हूँ
	नं. (%)	नं. (%)	नं. (%)
नर और मादा को प्राप्त करने की संभावना समान होती है			
एचआईवी संक्रमण	191 (47.8)	83 (20.7)	126 (31.5)
एचआईवी/एड्स अमीर और गरीब दोनों को प्रभावित करता है 324 (81) 27 (6.8) 49 (12.2)			
एचआईवी संक्रमित माताओं से पैदा हुए बच्चों को ऐसा नहीं करना चाहिए			
टीकाकरण प्राप्त करें	138 (34.5)	130 (32.5)	132 (33)
टीबी हमेशा एचआईवी/एड्स के साथ होती है	187 (46.8)	114 (28.5)	99 (24.7)
एचआईवी/एड्स के साथ अवसरवादी संक्रमण होते हैं			
कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता के कारण	211 (52.8)	52 (13)	137 (34.2)
मांसाहारी भोजन शाकाहारी भोजन से अधिक पौष्टिक होता है 132 (33) 103 (25.8) 165 (41.2)			
रोजाना हल्का व्यायाम इसमें महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है			
एचआईवी/एड्स का प्रबंधन	134 (33.5)	84 (21)	182 (45.5)
धूम्रपान से शरीर को कोई अतिरिक्त नुकसान नहीं होता 67 (16.8) 50 (12.5) 283 (70.7)			
पौष्टिक आहार में महंगा भोजन शामिल है	53 (13.3)	31 (7.7)	316 (79)
स्व-स्वच्छता बनाए रखना खाने जितना ही महत्वपूर्ण है			
पौष्टिक भोजन	291 (72.8)	45 (11.2)	64 (16)
आहार और पोषण इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं			
पीएलएचआईवी में अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखना	290 (72.5)	49 (12.3)	61 (15.2)
पकी हुई सब्जियाँ सूक्ष्मजीवविज्ञानी रूप से अधिक सुरक्षित हैं लेकिन			
कच्ची सब्जियों से कम पौष्टिक	209 (52.3)	59 (14.7)	132 (33)
एआरवी जैसी दवाएं साइड-इफेक्ट्स से जुड़ी होती हैं जो हो सकते हैं			
भोजन का सेवन कम करें	137 (34.3)	52 (13)	211 (52.7)
दस्त की अवस्था में भोजन नहीं करना चाहिए	108 (27)	105 (26.3)	187 (46.7)
भोजन कभी भी संक्रमण का स्रोत नहीं हो सकता	161 (40.3)	70 (17.5)	169 (42.2)

नमूने के लिए समग्र दृष्टिकोण स्कोर 34.4 ± 3.7 था। उत्तरदाताओं के एक बड़े प्रतिशत का मानना था कि एचआईवी/एड्स अमीर और गरीब (81%) दोनों को प्रभावित करता है, अवसरवादी संक्रमण अनिवार्य रूप से कमजोर प्रतिरक्षा (53%) के कारण होता है, और टीबी को हमेशा एचआईवी/एड्स (47%) से जुड़ा माना जाता था। लिंग के संबंध में, एक नकारात्मक रवैया कायम रहा क्योंकि केवल 35% का मानना था कि एचआईवी संक्रमण पुरुषों और महिलाओं दोनों में आम है। वर्तमान नमूने में बाल टीकाकरण के मुद्दे पर अधिक स्पष्टता नहीं थी।

पोषण और एचआईवी/एड्स के प्रति पीएलएचआईवी की धारणा को देखने के लिए दस कथन तैयार किए गए थे। वक्तव्यों में स्वस्थ भोजन विकल्प, स्वस्थ आहार पद्धतियाँ और भोजन परस्पर क्रिया जैसे विषयों को शामिल किया गया। बीमारी के दौरान, चार नकारात्मक रूप से तैयार किए गए कथन थे, जिन्हें स्कोरिंग के उद्देश्य से उलट दिया गया था।

अधिकांश उत्तरदाताओं (लगभग 75%) का मानना था कि व्यायाम बीमारी के प्रबंधन में मदद करता है, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, स्व-स्वच्छता बहुत महत्वपूर्ण है, और पीएलएचआईवी के लिए अच्छा पोषण महत्वपूर्ण है। हालाँकि, स्वस्थ भोजन विकल्प चुनना, सब्जियाँ पकाना, एआरटी दुष्प्रभावों का प्रबंधन और खाद्य सुरक्षा जैसे मुद्दों के प्रति उत्तरदाताओं का रवैया कमजोर था क्योंकि उनकी प्रतिक्रिया में ताकत न तो सकारात्मक थी और न ही नकारात्मक।

दृष्टिकोण अनुभाग पर प्राप्त अंकों के आधार पर विषयों का वर्गीकरण इस अनुभाग में अच्छे (36-45) में 38%, औसत में 60.8% (26-35) और खराब (15-25) में केवल 1.2% दर्शाता है।

आचरण/ व्यवहार

द्वारा प्रथाओं की जानकारी प्राप्त की गई उत्तर 'हाँ' या 'नहीं' में। का प्रतिशत जिन उत्तरदाताओं ने स्वस्थ आहार अपनाया आचरण/ व्यवहारों को तालिका 5 में दिखाया गया है।

अभ्यास सत्र में समग्र स्कोर 0 से 15 के बीच था, और नमूने का औसत स्कोर 8.1±2.3 था, जो फिर से मध्यम श्रेणी (6-10) में था। प्रथाओं आचरण/ व्यवहार से संबंधित प्रश्नों से बहुत ही रोचक जानकारी प्राप्त हुई। प्रतिभागियों ने भोजन के बाद दवाएँ लेना (90.3%), अपने दैनिक आहार में फलों और सब्जियों को शामिल करना (85%), खाने से पहले फलों और सब्जियों को धोना (87.5%) जैसी कई अच्छी प्रथाओं आचरण/ व्यवहार को अपनाया, और लगभग 82% ने बताया कि पिछले छह महीनों में शराब और सिगरेट का सेवन (85.5%) कम हो गया है। दूध या दूध उत्पादों की दैनिक खपत जैसी प्रथाओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि केवल 45% उत्तरदाताओं ने इन उत्पादों की दैनिक खपत की सूचना दी है। लगभग 65% उत्तरदाताओं ने बताया कि अनिवार्य रूप से स्वस्थ नहीं होने वाले स्नैक्स और तले हुए भोजन की खपत अधिक थी। नमूने में किसी भी प्रकार के व्यायाम या तनाव-मुक्ति प्रथाओं में लिप्तता बहुत कम थी। इसके अलावा, नमूने के बहुत कम अनुपात (क्रमशः 28% और 16%) द्वारा फिल्टर किए गए या उबले हुए पानी या विटामिन/खनिज की खुराक की खपत की सूचना दी गई थी। इस प्रकार, ऐसे क्षेत्रों की पहचान की गई (स्वस्थ और सुरक्षित भोजन विकल्प और प्रथाएँ, स्वस्थ नाश्ता, नियमित स्वास्थ्य निगरानी और नियमित व्यायाम), जिसके लिए व्यवहार में बदलाव लाने और पीएलएचआईवी के बीच अच्छी आहार संबंधी आदतें विकसित करने के लिए परामर्श की आवश्यकता थी।

तालिका 5. स्वस्थ आहार आचरण/ व्यवहार में शामिल उत्तरदाताओं का प्रतिशत	
प्रश्न	एन (%)
क्या आप प्रतिदिन किसी प्रकार का व्यायाम या हल्की शारीरिक गतिविधि करते हैं?	56 (14)
क्या आप पीने से पहले फ़िल्टर्ड पानी या उबला हुआ पानी पीते हैं?	118 (29.5)
क्या आप अपने मुख्य भोजन के बीच में स्नैक्स शामिल करते हैं?	212 (53)
क्या आप रोजाना अपने आहार में मौसमी फल या सब्जियों का सेवन करते हैं?	233 (58.3)
क्या आप प्रतिदिन दूध या दूध से बने उत्पाद , जैसे पनीर, दही आदि का सेवन करते हैं ?	199 (49.8)
क्या आप हर दिन कम से कम 8-10 गिलास पानी पीते हैं?	227 (56.8)
क्या आप बीमारी के दौरान भी खाना खाते रहते हैं?	233 (58.3)
क्या पिछले छह महीनों में शराब की खपत या सिगरेट पीने की संख्या में कोई कमी आई है ?	322 (80.5)
क्या आप भोजन के बाद दवाइयाँ लेते हैं?	251 (62.8)
क्या आप योग, प्रार्थना आदि जैसे तनाव-मुक्ति अभ्यासों में शामिल होते हैं?	65 (16.3)
क्या आप अपने वजन पर नज़र रखते हैं ?	251 (62.8)
क्या आप तले हुए खाद्य पदार्थ खाते हैं या खाने से पहले बर्तनों में तेल डालते हैं ?	358 (89.5)
क्या आप अपने भोजन में मेवे , गुड़ आदि डालकर पौष्टिक बनाते हैं ?	153 (38.3)
क्या आप किसी प्रकार का विटामिन या खनिज अनुपूरक ले रहे हैं ?	82 (20.5)
क्या आप खाने से पहले फल और सब्जियाँ धोते हैं?	381 (95.3)

ज्ञामव में कुल स्कोर

ज्ञान, दृष्टिकोण, पर नमूने के औसत अंक प्रथाओं और कुल केएपी को तालिका 6 में दिखाया गया है। ज्ञान, दृष्टिकोण, अभ्यास और कुल केएपी में समग्र स्कोर मध्यम श्रेणी (6-10 के लिए) में आते हैं ज्ञान और अभ्यास, दृष्टिकोण के लिए 26-35, और पूरे नमूने के लिए कुल ज्ञामव के लिए 36-55)।

तालिका 6. नमूने का माध्य±एसडी ज्ञामव स्कोर					
अनुभाग	स्कोर रेंज	पुरुष (n=245)	महिला (n=144)	ट्रांसजेंडर (n=11)	कुल (n=400)
ज्ञान	0-15	8.5±2.2	8.1±2.3	9.4±2.1	8.3±2.2
मनोवृत्ति	15-45	34.6±3.6	34.3±3.7	32.5±4.5	34.4±3.7
व्यवहार	0-15	8.1±2.5	8.0±1.9	9±2.9	8.1±2.3
कुल ज्ञामव	15-75	51.1±5.4	50.4±5.7	50.8±4.7	50.8±5.5

बहस/ परिचर्चा

पीएलएचआईवी की देखभाल और उपचार में पोषण का महत्व अच्छी तरह से स्थापित है। उपचार पाठ्यक्रम पर प्रतिकूल प्रभाव डालने में कुपोषण की भूमिका भी अच्छी तरह से प्रलेखित है(11)। भारत में, पोषण संबंधी ज्ञान के स्तर, दृष्टिकोण और पीएलएचआईवी के बीच प्रचलित सामान्य पोषण प्रथाओं के बारे में बहुत कम जानकारी है। यह अध्ययन इन सभी मुद्दों पर जानकारी प्राप्त करने का एक प्रयास था।

अध्ययन के नतीजों से संकेत मिलता है कि विषयों में एचआईवी से संबंधित बुनियादी ज्ञान की कमी थी। हालाँकि, पोषण संबंधी पहलुओं पर उनका ज्ञान मध्यम था। एआरटी सेंटर में बार-बार काउंसलिंग सेशन इसका कारण हो सकता है इन विषयों में बेहतर ज्ञान स्कोर। वर्तमान नमूने में पीएलएचआईवी का रोग के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण था और उन्होंने एचआईवी में पोषण के महत्व को पहचाना। अध्ययन में कुछ ऐसे क्षेत्रों की भी पहचान की गई जहां पीएलएचआईवी का सकारात्मक रवैया नहीं था

जिसमें नकारात्मकता को दूर करने और इस विश्वास को मजबूत करने के लिए प्रभावी संदेश तैयार और वितरित किए जा सकते हैं कि स्वस्थ जीवन के लिए अच्छा और पौष्टिक भोजन महत्वपूर्ण है। खाद्य सुरक्षा और स्वस्थ भोजन के विकल्प चिन्हित क्षेत्र हैं। वर्तमान अध्ययन में पीएलएचआईवी के पास पोषण के बारे में ज्ञान था लेकिन उन्हें बहुत अधिक अंक नहीं मिले

निष्कर्ष

अभ्यास अनुभाग में, इससे पता चलता है कि उनके पास मौजूद पोषण संबंधी ज्ञान को उनके दैनिक व्यवहार में लागू नहीं किया गया। वर्तमान अध्ययन में व्यायाम न करने, पानी पीने से पहले न उबालने, आहार की गुणवत्ता में सुधार के लिए कोई प्रयास न करने के कारणों के बारे में पूछताछ नहीं की गई। हालाँकि, पिछले अध्ययन हैं जिन्होंने उपलब्धता सुनिश्चित करने में घरों की विफलता की पहचान की है भोजन और पहुंच की कमी, निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति, शिक्षा का स्तर, व्यक्तिगत विश्वास, भोजन की उपलब्धता और कम पोषण संबंधी ज्ञान खराब आहार प्रथाओं (12-17) के कारण थे। जरूरत मुख्य रूप से अच्छे और स्वस्थ पोषण प्रथाओं को विकसित करने के लिए पीएलएचआईवी में व्यवहार परिवर्तन लाने के उद्देश्य से हस्तक्षेप करना है।

संदर्भग्रन्थ सूची

1. भारत. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, विभाग एड्स नियंत्रण का, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन। वार्षिक रिपोर्ट 2009-10। नई दिल्ली: राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, विभाग एड्स नियंत्रण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, 2010. 108 पी.
2. किम जेएच, स्पीगलमैन डी, रिम ई, गोर्बाच एसएल। सहसंबंध एचआईवी पॉजिटिव वयस्कों के बीच आहार का सेवन। एम जे क्लिनिक न्यूट्र 2001;74:852-61।
3. कनिंघम-रंडल्स एस. पोषण संबंधी स्थिति के प्रभाव प्रतिरक्षा विज्ञानी कार्य पर. एम जे क्लिनिक न्यूट्र 1982;35(सरप्ल 5):1202-10।
4. कूडली जीओ, कूडली एमके, नेल्सन एचडी, लवलेस एमओ। एचआईवी बर्बादी में सूक्ष्म पोषक तत्वों की सांद्रता सिंड्रोम. एड्स 1993;7:1595-600।
5. सुट्टमन यू, ओकेन्गा जे, सेलबर्ग ओ, हुगोस्ट्राट एल, डेइचर एच, मुलर एमजे। घटना और पूर्वानुमानित मूल्य कुपोषण और मानव इम्यूनोडेफिशिएंसी में बर्बादी का वायरस से संक्रमित बाह्य रोगी। जे प्रतिरक्षा प्राप्त करें डेफिक सिंडर हम रेट्रोविरोल 1995;8:239-46।
6. सेम्बा आरडी, कैफा डब्ल्यूटी, ग्राहम एनएम, कोहन एस, व्लाहोव डी. विटामिन ए की कमी और बर्बादी के पूर्वानुमानक के रूप में इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस से संक्रमित मानव में मृत्यु दर इंजेक्शन दवा उपयोगकर्ता. जे इंफेक्ट डिस 1995;171:1196- 202.
7. कोटलर डीपी, टियरनी एआर, वांग जे, पियर्सन आरएन, जूनियर मैग्नीट्यूड शरीर-कोशिका-द्रव्यमान की कमी और समय एड्स में बर्बादी से मृत्यु का। एम जे क्लिन न्यूट्र 1989;50:444-7.
8. रग्नेस्टेड टी, हाना जे, मैहरे एके। [यौन संचारित मुदजी, जिम्बाब्वे में बीमारियाँ, एचआईवी संक्रमण और एड्स। ज्ञान, दृष्टिकोण और अभ्यास का अध्ययन दक्षिणी अफ्रीका के एक ग्रामीण क्षेत्र में]। Tidsskr Nor Laegeforen 1994;114:1045-9. [नार्वेजियन]
9. रामचंदानी एसआर, मेहता एसएच, सैपल डीजी, वैद्य एसबी, पांडे वीपी, वद्रेवु आर एट अल। ज्ञान, दृष्टिकोण, और एचआईवी संक्रमित लोगों के बीच एंटीरेट्रोवाइरल थेरेपी की प्रथाएं निजी और सार्वजनिक क्लिनिकों में जाने वाले वयस्क भारत। एड्स रोगी देखभाल एसटीडीएस 2007;21:129.
10. चोमैट एएम, विल्सन आईबी, वांके सीए, सेल्वाकुमार ए, जॉन केआर, इसहाक आर. ज्ञान, विश्वास और स्वास्थ्य देखभाल वेल्लोर, भारत में एचआईवी के उपचार से संबंधित प्रथाएँ। एड्स रोगी देखभाल एसटीडीएस 2009;23:477-84.
11. गिलेस्पी एस, कडियाला एस. एचआईवी/एड्स और भोजन और पोषण सुरक्षा: सबूत से कार्रवाई तक. वाशिंगटन, डीसी: अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान, 2005. 149 पी. (खाद्य नीति समीक्षा 7)
12. टोरहेम एलई, औटारा एफ, डायरा एमएम, थियाम एफडी, बारिकमो मैं, हैटलोय ए एट अल। पोषक तत्वों की पर्याप्तता और आहार ग्रामीण माली में विविधता: संघ और निर्धारक। यूर जे क्लिन न्यूट्र 2004;58:594-604।
13. हू एसपी, लियू जेएफ, शीह एमजे। पोषण ज्ञान, दृष्टिकोण और वरिष्ठ मेडिकल छात्रों के बीच अभ्यास ताइवान में। जे एम कोल न्यूट्र 1997;16:435-8.
14. हैटलोय ए, हालुंड जे, डायरा एमएम, ओशौग ए. खाद्य विविधता, सामाजिक आर्थिक स्थिति और पोषण संबंधी स्थिति कौटियाला (माली) में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र। सार्वजनिक स्वास्थ्य न्यूट्र 2000;3:57-65
15. ओगल बीएम, हंग पीएच, तुयेट एचटी। जंगली का महत्व महिलाओं के सूक्ष्म पोषक तत्वों में सब्जियां वियतनाम: भोजन की विविधता का विश्लेषण। एशिया पीएसी जे क्लिन न्यूट्र 2001;10:21
16. डेलॉनविले जे, मारेकॉक्स एन, कॉटेल डी, बिंघम ए, अमौयेल पी. पोषण ज्ञान के बीच संबंध और मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों में पोषण का सेवन उत्तरी फ्रांस. सार्वजनिक स्वास्थ्य पोषण 2001;4:27
17. बुकुसुबा जे, किकाफुंडा जेके, व्हाइटहेड आरजी। पोषण महिलाओं के जीवन जीने का ज्ञान, दृष्टिकोण और प्रथाएँ पूर्वी युगांडा में एचआईवी के साथ। जे हेल्थ पॉपुल न्यूट्र 2010;28:182-8.
18. नारायण जेपी, झा ए, लाल एस, सालुंके एस. एचआईवी के लिए जोखिम कारक भारत में प्रसारण. एड्स 1994;8(सप्ल 2):एस77-82.

छायावादी काव्य के विविध आय

सिद्धार्थ यादव

(यू जी सी नेट)

हिन्दी साहित्य में काव्य लेखन की एक विस्तृत परंपरा रही है। उसी संदर्भ में आधुनिक कालीन परंपरा में छायावादी काव्य का प्रादुर्भाव 1918 के बाद और समापन काल 1936-1937 के आस-पास माना जाता है। स्पष्ट है कि राजनैतिक दृष्टि से यह वह समय था जब एक विशाल उपनिवेश अपने स्वतन्त्र अस्तित्व के निर्माण की प्रक्रिया में अग्रसर था। विश्व में औद्योगिक क्रान्ति घटित हो चुकी थी। विज्ञान और धर्म की अपनी टकराहटें हर देश अपने-अपने ढंग से अनुभव कर रहे थे।

अनेक सामन्ती मूल्य निरस्त हो रहे थे, परम्परा और आधुनिकता के बीच लगातार संघर्ष चल रहा था। सम्पूर्ण दुनिया के साथ घटित होने वाला पुनर्जागरण भारतीय उपमहाद्वीप में अनेक रूपों में सक्रिय था। रिश्तों, परिवारों, राष्ट्रीय सन्दर्भों, युद्ध, प्रेम, ईर्ष्या, व्यक्तित्व, समाज, स्वतन्त्रता, दासता और अधिकार, उत्पादन वितरण, समता-विषमता, आदि अनेक परिसन्दर्भ, विश्वचिन्तन के धरातल पर उभर रहे थे और वे भारतीय भाषाओं को भी प्रभावित कर रहे थे। एक ओर गाँधी जी की सक्रिय राजनीति जनमानस को उद्वेलित कर रही थी, दूसरी ओर पढ़ा लिखा समाज और राष्ट्र के सन्दर्भ में नयी-नयी शोच से आलोचित हो रहा था। ऐसे समय में छायावादी कवि अपनी विशेष प्रतिभा के साथ हिन्दी के क्षेत्र में पदार्पण करता है। यहाँ तक आते-आते खड़ी बोली काव्य भाषा बन चुकी थी। भारतेन्दु युगीन संक्रान्ति का समय बीत चुका था और द्विवेदी युग सुधार और नैतिकता के आग्रह से अपना सर्वोत्तम हिन्दी जगत को समर्पित कर चुका था। छायावादी कवि अपेक्षाकृत रूमानी, कल्पनाशील और बहुत हद तक कलावादी थे, उनमें रचना की स्वायत्ता के प्रति गहरी निष्ठा थी। इन कवियों को यह विश्वास था कि साहित्य समाज का निर्माणकर्ता है, समाज प्रत्यक्ष रूप से साहित्य का मुख्य विधेयात्मक घटक नहीं है। द्विवेदी युगीन अतिशय सामाजिकता के प्रति विद्रोह की भावना ने इन कवियों को समाज के प्रचलित मुहावरों का अतिक्रमण करने को बाध्य किया। इसीलिए छायावादी काव्य में समाज की स्थिति का अन्वेषण अलग से गवेषणा का विषय बना। छायावाद के सर्वप्रमुख कवियों में जयशंकर प्रसाद अग्रणी माने जाते हैं। उन्होंने समाज की परिकल्पना प्रस्तुत की है वह भारतीय संस्कृति के अनुरूप एक दार्शनिक और धार्मिक समाज की कही जा सकती है। उनकी दृष्टि में मनुष्य विधाता की सर्वश्रेष्ठ रचना है। स्पष्ट है कि इस अवधारणा के पीछे प्रसाद के अपने संस्कार थे और उन संस्कारों में व्यक्ति और समाज का सम्बन्ध इतना पवित्र है कि लगभग देवता की तरह समाज का अस्तित्व स्वीकारा जाय और स्वयं को उपासक के रूप में प्रतिष्ठित किया जाय। एक प्रकार से जयशंकर प्रसाद की सामाजिक चेतना इसी अर्थ में गरिमामय महान् और भव्य संदर्भ में एवं प्रसाद जी ने 'कामना', 'एक घूँट' से लेकर 'कामायनी' तक जिस समाज की दृष्टि का निर्माण किया, वह एक समन्वयात्मक परम्परानुलम्बी समाज है। जो व्यक्ति और समाज दोनों को आध्यात्मिक आनन्द की कोटि में ले जाता है। 'कामायनी' में श्रद्धा मनु से कहती है-

“औरों को हँसते देखो मनु
हँसों और सुख पाओय
अपने सुख को विस्तृत कर लो
सबको सुखी बनाओ।”

जयशंकर प्रसाद के अनुसार साहित्य में समाज का निरूपण वह नहीं है जिसमें समाज को कच्चा माल समझा जाता है साहित्य के लिए, बल्कि समाज वह है जिसे साहित्यकार रचने का संकल्प करता है, दूसरे शब्दों में शिष्ट समाज का यथार्थ नहीं, समाज का स्वप्न है, जिसे वह देखता है। इस दृष्टि से छायावादी कवियों के समाज की अवधारणा आदर्शवादी कही जा सकती है। इसीलिए छायावाद कालीन निबन्धों, नाटकों, उपन्यासों, कहानियों और कविताओं में जीवन के आदर्श की तुलना में रचनाकारों का आवेशात्मक संकल्प अधिक विधायक तत्व के रूप में उभरा है। उदाहरण के लिए निराला की प्रसिद्ध रचना

‘राम की शक्ति पूजा’ में पौराणिक यथार्थ की संकल्पना करते हुए महाकवि निराला हर युग के राम के सामने आये संघर्ष के महान अंधकार का चित्रण करते हैं। किन्तु कहीं न कहीं से उस आस्था के दिये के प्रकाश के प्रति अपनी प्रतिश्रुति भी व्यक्त करते हैं, जो एक संकल्पशील व्यक्ति या समाज के जीवन में व्याप्त है- “वह एक और मन रहा राम का जो न थका जो नहीं जानता दैन्य नहीं जानता विनय”² स्पष्ट है कि इसी मन का परिणाम था कि भगवती ने प्रकट होकर स्पष्ट आश्वासन दिया-

“होगी जय, होगी जय, हे पुरुषोत्तम नवीन!
कह महाशक्ति राम के बदन में हुई लीन।”³

छायावाद का इतिहास दो महायुद्धों के बीच फैला है, पर आन्दोलन का संदर्भ आन्तरिक तनाव के रूप में सर्वथा प्रकट है। निराला ने इस कविता के माध्यम से उस समय व्याप्त तनाव, कुंठा, जड़ता आदि को वाणी दी है। प्रसाद ने ‘कामायनी’ में काम के शाप के माध्यम से अपने समय की मानवता के सम्पूर्ण दुरितों और अंधकारों का उल्लेख किया है। प्रसाद की मान्यता है कि मानवता धीरे-धीरे उच्चस्तरीय महत्व और गुरुता की भावना को खोती जा रही है और उसी का परिणाम है कि समस्त मानव जाति या तो देवताओं की स्वार्थ बुद्धि से परिचालित है या फिर दानवों की भोग वृत्ति से, कामायनी में वे कहते हैं कि-

“मनु, तुम श्रद्धा को गये भूल,
उस पूर्ण आत्मविश्वासमयी को उड़ा दिया था समझ तूल।
तुम भूल गये पुरुषत्व-मोह में कुछ सत्ता है नारी की
समरसता है सम्बन्ध बनी अधिकार और अधिकारी की।”⁴

छायावादी काव्य का लोकतत्व मध्यकालीन, भारतेन्दु युगीन और द्विवेदीयुगीन लोकतत्व से अलग एक सांस्कृतिक भावात्मक लोकतत्व है, जो मानवतावाद पर अवलम्बित है। वास्तव में इस मानवतावाद की आधारशिला कवि कुल गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर और चिन्तक मानवेन्द्रनाथ राय ने आधुनिक युग में रखी थी। इस मानवतावाद के अनुसार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होते हुए प्रकृति के अन्यान्य तत्वों से जुड़ा हुआ एक संवेदशील चेतन पिन्ड है, जिसकी सार्थकता स्वयं को सुखी रखने तथा दूसरों के दुख से विचलित होने में निहित है। इसी से ‘कामायनी’ में श्रद्धा मनु से जीवन के मूलभूत सिद्धान्त को अपनाने की सलाह देती हैं। जब श्रद्धा मानव को अपने गर्भ में धारण कर लेती है और मनु दो असुर गुरुओं की प्रेरणा से उसके शरीर से विकर्षित होकर अन्यत्र चले जाते हैं। इड़ा को स्वायत्त्व करने की चेष्टा में प्रजा के विद्रोह का सामना करते हैं। युद्ध भूमि में आहत होकर गिर पड़ते हैं, तो श्रद्धा उन्हें प्रबोधन देते हुए कहती है कि अपना सुख देखना एक तुच्छ विचार है। मनुष्य को संकीर्ण सुखों से उपर उठकर समग्र मानवता के सुख में ही अपना सुख देखना चाहिए-

“अपने सुख को विस्तृत कर लो
सब को सुखी बनाओ।”⁵

छायावादी कविता का यह स्वप्नमय यथार्थ लोककल्याण की एक नयी भूमि का निर्माण करता है जिसकी अपनी विशेषताएँ हैं पंत ने जग के सुख और सम्पन्नता की कामना करते हुए गुंजन ‘की प्रस्तुत पंक्ति में व्यापक लोक कल्याण की प्रतिष्ठा की है- “बरसो सुख बन, सुषमा वन बरसो जगजीवन के घन।”⁶ अर्थात् कवि सारे संसार में सुख की वर्षा की कामना करता है। मानवीय चेतना के बादल संसार में सुख के बूदों की वर्षा करे तभी धरती की प्यास मिट सकती हैं, शक्ति के फूल खिल सकते हैं। न केवल पंत में अपितु महादेवी के गीतों में भी यह इच्छा किसी न किसी रूप में व्यक्त हुई है, पर जैसा कि सर्वज्ञात है महादेवी जीवन को दुख की भाषा में समझती हैं और अपने परिचित मुहावरे में ही दुःखों की निवृत्ति स्वरूप विश्व कल्याण चेतना का उद्गार व्यक्त करती हैं। वे अपने एक गीत में पाठकों से प्रश्न करती हैं कि वे दुख से भरी हुई आँखों की ओर दृष्टिपात करें या खुशी से चमकती हुयी आँखों के हीरक प्रकाश का निरूपण प्रस्तुत करें? प्रकट है कि इस प्रश्न का उत्तर दूसरा न होकर पहला ही है। उनके शब्द हैं-

‘देखूँ खिलती कलियाँ या प्यासे सूखे अधरों को,
तेरी चिर यौवन सुषमा या जर्जर जीवन देखूँ ,
देखूँ हिम हीरक हँसते हिलते नीले कमलो पर,
या मुरझाई पलकों से झरते आँसू कण देखूँ।”⁷

प्रसाद, निराला, पंत या फिर महादेवी हों इन सभी महाकवियों ने छायावादी लोक चेतना को उदात्त और गरिमामय बनाने का प्रयास किया। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि इसके पहले की रचनाशीलता में लोक का गुरुत्व न्यूनतर था, बल्कि इसका सिर्फ इतना ही तात्पर्य है कि छायावाद ने लोककल्याण को छिछले स्तर से ऊपर उठाकर सांस्कृतिक चेतना के उदात्त आकाश

में प्रतिष्ठित कर दिया। छायावाद इस प्रयोजन की सिद्धि के लिए कभी अतीत के गौरवशाली इतिहास को आइना बनाता है, कभी दर्शन और आध्यात्म के हिमशिखरों को स्पर्श करता है और कभी प्रकृति के अनन्त विस्तार में एक ही रागात्मक सत्ता के संगीत का स्वर सुनता है। छायावाद की उक्त अन्तरिम लोक संग्रही मानसिकता का दूरगामी प्रभाव छायावादी कवियों के काव्यात्मक गतिविधियों पर पड़ा। ये सभी कवि अपने समय के मनुष्य की समस्याओं को एक विस्तृत आयाम में प्रस्तुत करते हैं। यही कारण है कि इन कवियों का न तो व्यक्तिगत प्रेम नितान्त निजी है, न सामाजिक प्रेम और न ही राष्ट्रीय प्रेम। ये कवि लोक के विषय में भी इतने स्वप्न द्रष्टा हैं कि इनका लोक भी महिमा मण्डित है। निराला ने तो इस लोक को शाश्वत चेतना के बिम्ब के रूप में प्रस्तुत किया है। प्रकारान्तर से छायावादी कवियों की लोकदृष्टि सुरुचिपूर्ण आध्यात्मिक भी हैं। इस चेतना का प्रभाव छायावादी कवियों की लोकसम्मत और लोक कल्याणपरक भावना पर पड़ा है। उनकी रचनाओं में लोक और अभिजात्य का अन्तर समाप्त सा प्रतीत होता है। पंत छायावाद के एक ऐसे रचनाकार हैं जिसमें लोककल्याण की प्रवृत्ति कुछ ज्यादा ही है। ग्राम्या, स्वर्णकिरण, स्वर्णधूलि, लोकायतन जैसी महत्वपूर्ण कृतियों के माध्यम से कवि ने अपने समय की मानवता एवं शाश्वत मानवता के लिए अच्छे दिनों के स्वप्न देखने की भाषा प्रदान की है। विषमता, अन्याय, उत्पीड़न और दूसरी राजनैतिक, सामाजिक समस्याओं के अत्यान्तिक अभाव की इच्छा छायावादी कवियों की लोककल्याण भावना का पर्याय है। छायावादी कवियों ने वैदिक ऋषियों की उदारचेता विश्वबन्धुत्व की भावना को व्यापक मानवतावाद के धरातल पर प्रतिष्ठित किया है। ध्यान से देखा जाय तो छायावादी कविता का स्वर लगभग वहीं है जो वैदिक ऋषियों का है, जैसे वैदिक ऋषि प्रकृति, परमात्मा और आत्मा को एक ही सूत्र में पिरोया हुआ अनुभव करते हैं। उसी प्रकार छायावादी कवि भी कण कण में स्पन्दित चेतना के विस्तार का चित्रण अपनी रचनाओं में करते हैं। इस प्रकार छायावादी कवियों का लोक भूमा की अखण्ड अवधारणा का पर्याय है। इसमें जड़ चेतन की सत्ता एक ही परमसत्ता से अनुप्राणित है। प्रसाद जी कामायनी में अपनी लोक सम्बन्धी इसी उदात्त चेतना का परिचय देते हुए श्रद्धा के माध्यम से कहते हैं-

“विषमता की पीड़ा से व्यस्त हो रहा स्पंदित विश्व महानय

यही दुख सुख विकास का सत्य यही भूमा का मधुमय दान।”⁸

इस लोक की विचित्र दार्शनिक पृष्ठभूमि ने छायावादी कवियों की लोककल्याण संवेदना का उदात्तीकरण कर दिया है। छायावादी कवियों के लिए लोक मनुष्य की संकीर्ण सामाजिकता मात्र न होकर विश्वचेतना का सौहार्दपूर्ण अधिष्ठान है, जिसके प्रति सभी स्पृहा की दृष्टि से देखते हैं, दूसरे शब्दों में जीवन के खिले हुए पुष्पों का इसी रूप में आस्वाद प्राप्त कर सकते हैं। यही कारण है कि छायावादी कवियों की लोककल्याण भावना में युग के मुहावरे की जगह प्रेम के मुहावरे अपना अर्थ प्राप्त करते हैं। अपने समय के समाज को वे लड़ने की जगह प्यार करने की भाषा सिखाते हैं। छायावादी कवि लोककल्याण की उपदेशपरक संकीर्ण नीतिपरकता का अतिक्रमण कर जाते हैं। यही छायावादी कवियों की लोककल्याण दृष्टि का विशेष काव्यात्मकता का व्यापक रूप भी है। छायावादी कवियों की लोककल्याण चेतना का स्वर इतना गहरा है कि इस धारा के प्रमुख कवि सुमित्रानन्दन पंत को आलोचकों ने लोककल्याणकारी कवि के रूप में रेखांकित किया है। पंत ने प्रकृति, मनुष्य, प्रेम, विषमता और अन्याय के प्रतिकार के संन्दर्भ में जितनी कविताएँ लिखी है यदि उसका सार प्रस्तुत किया जाय तो किसी न किसी रूप में उसका पर्याय लोककल्याण ही है। पंत की इस प्रधान प्रवृत्ति के पीछे कहीं न कहीं भारतीय साहित्य की अवधारणा ही कार्यरत है कि साहित्य का उद्देश्य समाज का हित ही है, यह हित इस बात पर निर्भर करता है कि समाज के अहितकारी तत्वों को पहचाना जाय और उनसे मुक्ति पाने की चेष्टा की जाय। इसी लोक कल्याण के परिप्रेक्ष्य में दलितों, पीड़ितों, अभावग्रस्त जन के प्रति सहानुभूति छायावाद की एक प्रमुख विशेषता बनती है। जिसे सभी आलोचकों ने अपने ढंग से रेखांकित किया है।- “रचनाकार चाहता है कि जिस व्यवस्था में मनुष्य जीता और रहता हो, उसमें भाईचारा हो, उसमें विकास की संभावनाएँ मौजूद हो, स्वार्थ, ईर्ष्या, द्वेष की प्रतियोगिताएँ न हों, लगातार बेहतर भविष्य के लिये उसकी शक्ति का उपयोग हो, यथा स्थितियाँ प्रगतिशीलता को बाधित न कर पायें और कुल मिलाकर वह शोषण विहीन हो। जब उसके मन का समाज नहीं होता, तभी वह उस व्यवस्था का विरोध करता है।”⁹ जयशंकर प्रसाद ने अपनी पुस्तक ‘काव्य और कला’ में इसे लघुता के प्रति सहानुभूति कहा है। यह सही है कि काव्य विशिष्ट जनों की भाषा और संवेदना की दुनिया में सराहा जाने वाला कला व्यापार है और यह कि आभिजात्य उसका सहजधर्म है, किन्तु रचनाकारों ने दलित, पीड़ित, अभावग्रस्त मानवता को सदा से करुणा और सहानुभूति की आखों से देखा है अपितु उसे चित्रित करने का इतिहास भी रचा है। छायावाद ने इस इतिहास को और अधिक गहरा किया क्योंकि यहाँ तक आते-आते समय का रथ सामान्य जन का वाहन बन चुका था। धीरे-धीरे देवी देवता, राजे महाराजे, सामन्त इस रथ से उतारे जा चुके थे। दूसरे शब्दों में आम जनता की संवेदना को मुख्य रचनात्मक धारा मानने

के कारण छायावादी कवियों ने जिस प्रकार स्त्री को महत्व दिया, उसी प्रकार शूद्र और दलित को भी रचना के मुख्य विषय के रूप में स्वीकार किया।

छायावादी कवियों में निराला इस चेतना के सर्वाधिक शक्तिशाली कवि हैं, क्योंकि जिस पृष्ठभूमि और संघर्ष की ऊबड़-खाबड़ भूमि से उनकी साहित्य यात्रा आरम्भ हुई थी, वह पृष्ठभूमि दलित, पीड़ित को अनिवार्य रूप से बहुत देने की संवेदनशीलता से अलग हो ही नहीं सकती थी।- “निराला ने अपने व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों के माध्यम से अकेले संघर्ष किया। वे अंत तक जनता से जुड़े रहे और अपने परिवेश तथा परिप्रेक्ष्य सम्बन्धी सारे अन्तर्विरोधों को झेलते रहे। आजादी से पूर्व निराला भारत के मुक्ति-संग्राम से जुड़े रहे। आजादी के बाद हमारे मुक्ति संग्राम ने जो मोड़ लिया, उसका जैसे-जैसे विकास होता गया, निराला कदम-दर-कदम उसके साथ चलते रहे। देश की दलित, शोषित और मेहनतकश जनता से उनका संपर्क कभी नहीं टूटा।”¹⁰ इसीलिए निराला का रचना संसार ‘दलित जन पर करो करुणा’ के मुहावरे को बार-बार महत्व देता है। वे लिखते हैं-

“दलित जन पर करो करुणा।

दीनता पर उतर आये

प्रभु, तुम्हारी शक्ति अरुणा।”¹¹

छायावादी कवियों ने काव्यगत चली आ रही प्राचीन रूढ़ियों का खुलकर विरोध किया। परन्तु अपने पुरातन एवं स्वस्थ ग्रहणीय अंश की उन्होंने कभी भी उपेक्षा नहीं की। ‘युगान्त’, ‘युगवाणी’ तक आते-आते कवि पंत कल्पना लोक से विचरण करके ठोस यथार्थ की धरती पर आ जाते हैं। जीवन के संघर्षों से दुःखी होकर भागने वाला कवि जीवन की निराशाओं, जटिलताओं से प्रभावित होकर जन-जीवन के कल्याण की कामना करने लगता है।-

“झरे जाति कुल वर्ण पर्ण धन।

बँधे नीड़ वे रूढ़िरीति छन।”¹²

छायावादी कविता की प्रारम्भिक अवस्था कवियों के निजी सुख-दुख, प्रेम जगत की विवृत्ति के रूप में व्यक्त हुई थी। इसी क्रम में आगे चलकर कवियों ने जब जीवन-जगत में प्रवेश किया तो उनकी आँखों के सामने विराट मानवता के सुख-दुख का विशाल चित्रपट था। किन्तु प्रतिभाशाली कवियों ने देखा कि सुख तो मात्र बूंदों की तरह है, पर दुख सम्पूर्ण मानव जाति में प्रशान्त महासागर की भाँति हाहाकार कर रहा है। जब इन कवियों ने इनका विश्लेषण किया तो इन दुखों के पीछे इतिहास के शोषण चक्र का परिदृश्य उनकी आँखों के सामने खुल गया। सभ्यता के विकास क्रम में ऐसा कुछ उन्हें अनुभूत हुआ कि यह सभ्यता थोड़े से लोगों को तो सब कुछ प्रदान करती है, परन्तु अधिकांश लोग विज्ञान धर्म और व्यापार के विकास के बाद भी सुख-सुविधा की जिन्दगी से विहीन रह जाते हैं। इन कवियों ने इन सुख-सुविधाओं से विहीन मानवता को अपनी रचनाओं में स्थान देने का मन बनाया और रोमैन्टिक दशा से हटकर यथार्थवाद की पृष्ठभूमि पर शोषितों के जीवन को चित्रित करना आरम्भ किया, ताकि उन्नति और विकास के मंसूबे बनाने वाली मानवता यह देख सके कि उसके दामन में कितना दाग है। कहने का तात्पर्य यह है कि विशिष्ट समुदाय यह देख सके कि उन्हीं लोगों की स्वार्थी प्रवृत्तियों के कारण वाँछित मानवता ने अपने हिस्से का सुख खो दिया। संघर्ष करके उसे वापस पाना है और इसके लिए उन्हें स्वयं को संघर्ष के लिए तैयार और संगठित भी करना है। इस प्रगतिशील चिन्ता को सर्वाधिक रचनात्मक आधार निराला ने प्रदान किया। उनकी कुछ प्रसिद्ध कविताएँ यथा ‘भिक्षुक’, ‘दान’, ‘विधवा’, ‘तोड़ती पत्थर’, ‘कुकुरमुत्ता’, ‘झींगुर डटकर बोला’, ‘गर्म पकौड़ी’, आदि जब प्रकाश में आयी तो पाठकों, आलोचकों और समाज का ध्यान इस ओर गया। निराला अपनी अनेक कविताओं में अन्याय और शोषण के आधार पर निर्मित समाज के सम्पूर्ण विनाश की कामना प्रस्तुत करते हैं, उनकी ‘बादल राग’ कविता में बादलों को विप्लव के वीर के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो अपनी क्रान्ति की वर्षा द्वारा सामन्तवाद और पूँजीवाद के प्रबल शिखरों को ध्वस्त कर देते हैं।-

“बार-बार गर्जन,

वर्षण है मूसलधार,

हृदय थाम लेता संसार,

सुन-सुन घोर ब्रज -हुंकार।”¹³

छायावादी कवि स्त्री के यथार्थ और आदर्श इन दोनों ही संवेदनाओं से रचनात्मक स्तर पर टकराते हैं और स्त्री के सम्मान और व्यक्तित्व के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त करते हैं। यह निष्ठा इतनी प्रगाढ़ है कि कुछ आलोचकों ने छायावाद को स्त्री साहित्य तक कह डाला। पर इन आलोचनाओं की परवाह न करते हुए छायावादी कवि स्त्री को पुरुषों के समान महत्व देने की सृजनात्मक प्रक्रिया में लगे रहे। नारी छायावादी कवियों की चेतना का महत्वपूर्ण विषय रही है। नामवर सिंह ने इन कवियों की चेतना को अपनी पुस्तक 'छायावाद' में स्त्री संवेदना के सन्दर्भ में रेखांकित करते हुए स्पष्ट किया कि लगभग सभी छायावादी कवि नारी को "देवी माँ सहचरि प्राण"¹⁴ मानते हैं। स्त्री जो अब तक कविता में विलास की वस्तु थी, जो अलंकरण थी, जो शृंगार की आलम्बन थी, जो जीवन में माधुर्य के हेतु मात्र थी, जिसका अंग-अंग और अलंकार रसिकों के सर्वस्य थे, जो स्वतन्त्र व्यक्तित्व की धनी नहीं हो पायी थी। छायावादी कवियों ने व्यापक धरातल पर स्त्री के व्यक्तित्व को पहचाना और उसे दूसरे दर्जे की नागरिकता से मुक्त किया। इसका परिणाम यह हुआ कि छायावादी जीवन दर्शन में स्त्री की भूमिका अहम् हो गयी। स्त्री जो रीतिकाल और दूसरे साहित्यिक कालखण्डों में इस तरह का महत्व नहीं प्राप्त कर सकी थी, छायावाद ने उसे वह सम्मान समर्पित किया। इस सन्दर्भ में नारी मुक्ति आन्दोलन से आगे बढ़कर छायावादी कवियों ने स्त्री को पुरुषों की बराबरी का दर्जा ही नहीं दिया, अपितु उसे उसकी मृदलता के कारण करुणाशीलता के अनुरोध से देवी के रूप में प्रतिष्ठित किया। ऐसा प्रतीत होता है कि छायावाद पर भारतीय धर्म साधना की शाक्त परम्परा का प्रभाव है, जो यह मानता है कि अचिन्त्य शक्ति ही सभी कारणों की कारक है, जो निर्गुण ब्रह्म को भी सगुण ब्रह्म के रूप में जन्म देने का कार्य करती है। प्रकृतिवाद और इसमें निहित रहस्यवाद को समीकृत करते हुए छायावादी कवि प्रकृति और नारी को एक दूसरे का पर्याय बना देते हैं। इस प्रकार स्त्री के लघु को विराटत्व में परिवर्तित कर देते हैं। निराला अपने एक गीत में लिखते हैं-

“कुछ न हुआ, न हो।

मुझे विश्व का सुख श्री, यदि केवल

पास तुम रहो।”¹⁵

प्रसाद जी ने जीवन के विराट भू भाग में स्त्री की उपस्थिति को श्रद्धा अर्थात् महत्वपूर्ण भावना का पर्याय माना है। जिसको तिरस्कृत करने के बाद मनुष्य के पास संघर्ष और अशान्ति के अलावा कुछ नहीं रह जाता। सत्यं शिवं और सुन्दरम् का एक साथ एकान्त प्रतिफल यदि कहीं है तो विश्वास और प्रेम से भरी हुई स्त्री ही इसका पर्याय है। जिसके बिना समस्त मानव जाति में शक्ति और सद्भाव असम्भव है। प्रसाद ने 'कामायनी' में नारी को श्रद्धामयी कहकर प्रतिष्ठित किया है-

“नारी! तुम केवल श्रद्धा हो

विश्वास रजत नग पग तल मेय

पीयूष स्रोत सी बहा करो

जीवन के सुन्दर समतल में।”¹⁶

आध्यात्मिकता के साथ-साथ जीव के सर्वांगीण विकास के लिए स्त्री को शक्ति के रूप में पहचानने का कार्य छायावादी कवियों ने किया। जिस प्रकार स्त्री परिवार की केन्द्र है, सृष्टि विस्तार की भूमि है, पुरुष की विजय यात्रा के पहियों का रथ है, प्रेम वात्सल्य और करुणा की पूर्ति के रूप में भी उसका योगदान अन्य भूमिकाओं की तुलना में कहीं ज्यादा है। क्योंकि इन्हीं भावनाओं के कारण यह संसार जीने योग्य संसार बनता है। स्त्री-स्त्रीत्व के अभाव में समाज का प्रकाश धुंधला पड़ जाता है। स्त्री का समर्पणपूर्ण व्यक्तित्व परिजनों और देशों के सांस्कृतिक भूगोल को प्राप्त न होता तो यह संसार कला, संगीत और सौन्दर्य की चेतना से रहित हो जाता है। यहाँ तक कि जीवन का प्रवृत्ति मार्गजन्य आनन्द भी तिरोहित हो जाता है। पुरुष की पुरुषता नारी के कोमलता के अभाव में संतुलन रहित होकर हिंसा, और संघर्ष के रक्त पात को संसार के सत्य के रूप में इस तरह लिखता कि मानवता शान्ति की जगह अशान्ति, चैन की जगह बेचैन जीवन को ही अपनी नियति मान लेता। छायावादी कवि इसीलिए स्त्री के माधुर्य को अजस्र स्रोत के रूप में अपने साहित्य में प्रतिष्ठित करते हैं। स्त्री की पार्थिवता को मुक्त करके उसे अपार्थिव रूप में प्रस्तुत कर छायावादी कवियों ने तथाकथित शुद्रों से भी बदतर नारी को भावना के सर्वोच्च आसन पर प्रतिष्ठित किया। पंत की पंक्तियाँ इस प्रकरण में प्रमाण है। इस सन्दर्भ में इतना और निवेदनीय है कि पंत ने नारी की लौकिकता और अलौकिकता के बीच शरीर और आत्मा के बीच की दीवार को ध्वस्त करते हुए एक नये प्रकार की अभिरूचि का परिचय दिया है जो छायावाद के नारी विषयक दृष्टिकोण को और अधिक मुखर करता है एवं सराहनीय बनाता बनाता है-

“तुम्हारे छूने में था प्राण,
संग में पावन गंगा स्नानय
तुम्हारी वाणी में कल्याणि!
त्रिवेणी की लहरों का गान।”¹⁷

छायावादी कवियों के मन में प्रकृति के प्रति विशेष लगाव रहा, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने प्रकृति के विराट और सूक्ष्म वैभव को एक नयी अभिव्यक्ति प्रदान की। छायावादी कवियों ने प्रकृति को विराट शक्ति से उद्भूत माना, जिससे वे स्वयं निर्मित हुए हैं। छायावादी कवियों ने प्रकृति के साथ गहरा तादात्म्य स्थापित करते हुए उसे और अधिक सम्मान दिया। जब भी कवियों को सुख की अभिव्यक्ति करनी हुई उन्हें फूलों की याद आयी, जब भी दुःखों की अभिव्यक्ति का प्रश्न आया उन्हें प्रायः काटें ही याद आये। संसार सागर है मौन पर्वत, आँखों में हमेशा झील की गहराई होती है। स्वयं शब्द आकाश का गुण है और मनुष्य के हृदय में रहने वाली कीमती भावना क्षमा पृथ्वी का पर्यार्य, नदियाँ स्त्रियों का पर्यार्य धारण करती हैं और महानता का प्रतीक हमेशा हिमालय रहा, गाम्भीर्य समुद्र का गुण है और सुन्दर चेहरे हमेशा चन्द्रमा से उपमित होते रहे, काली रातें हमेशा निराशाओं की अभिव्यक्तियाँ प्रस्तुत करती रहती हैं। चाँदनी अच्छे दिनों की प्रतीक है तो अँधेरी रात बुरे दिनों की। तात्पर्य यह है कि कविता और प्रकृति का रिश्ता उतना ही सनातन है, जितना भावना और भाषा का रिश्ता, प्रेम और प्रेमास्पद का रिश्ता, सुख और दुःख का रिश्ता। छायावादी कवि भला इस नियम के अपवाद कैसे हो सकते थे। सच तो यह है कि प्रकृति को और गहन संवेदना से स्पर्श देने का काम छायावादी कवियों ने किया। प्रकृति से पृथक छायावाद का अस्तित्व पंगु-सा है। छायावाद और प्रकृति के सम्बन्ध को स्पष्ट करती हुई महादेवी वर्मा लिखती हैं- “छायावाद ने मनुष्य के हृदय और प्रकृति के उस सम्बन्ध में प्राण डाल दिया है जो प्राचीन काल से बिम्ब प्रतिबिम्ब रूप में चला आ रहा था, जिसके कारण मनुष्य को अपने दुःख में प्रकृति उदास और सुख में पुलकित जान पड़ी थी। जब प्रकृति की अनेकरूपता में कवि ने ऐसा तादात्म्य खोजने का प्रयास किया तब प्रकृति का एक-एक अंग अलौकिक व्यक्तित्व लेकर जाग उठा।”¹⁸ अज्ञेय जी ने ‘रूपाम्बरा’ के सम्पादकीय में लिखा है कि- “छायावाद ने प्रकृति को एक नया सन्दर्भ नया अर्थ दिया, जो न केवल उससे तत्काल पहले खड़ी बोली के युग से अलग करता है बल्कि खड़ी के उत्थान से पहले सभी युगों से भी अलग करता है।”¹⁹ छायावादी कवियों ने प्रकृति के स्थूल चित्रण को महत्व न देकर उसके अन्तःस्पंदनों का सूक्ष्म अंकन किया है। आलोचकों ने तो यहाँ तक कहा है कि छायावादी रचना संसार में प्रकृति की उपस्थिति स्त्री की उपस्थिति के समानान्तर एक महत्वपूर्ण, सुखद स्पृहणीय घटना है। छायावादी कविता में प्रकृति की स्वतन्त्र सत्ता पूर्ण रूप से स्थापित हुई है। प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा आदि कवियों ने प्रकृति को विराट और व्यापक रूप से अपनाया है। छायावादी कवियों के प्रकृति चित्रण पर कुछ लोगों ने पश्चिम के रोमांटिक कवियों जैसे- शेली, कीट्स, बर्डस्वर्थ आदि का प्रभाव भी माना है। इस तथ्य को अज्ञेय जी स्वीकारते हुए लिखते हैं- “प्रकृति को काव्य में नये प्राण देने की प्रवृत्ति हिन्दी में पश्चिमी साहित्य के अथवा उनसे प्रभावित बंगला साहित्य के सम्पर्क से जागी।”²⁰ “छायावादी कवियों ने मानव को प्रकृति के सम्पर्क में लाकर उसकी स्वाभाविकता और उदार निश्छलता का संकेत दिया। प्रकृति के कण-कण में व्याप्त दिव्यता छायावादी कवियों के सामने जीवन्त रूप में प्रकट हो उठा।”²¹ छायावादी कवियों ने प्राकृतिक वर्णन प्रकृति की चली आ रही परम्परा से भिन्न प्रकृति का रमणीय एवं सप्राण चित्रण किया, जिससे जड़ प्रकृति भी प्राणवान हो उठी। छायावादी कवि उन्हें ऐसा सजीव रूप प्रदान करते हैं जिसके साथ देशवासियों का रगात्मक सम्बन्ध अनायास ही स्थापित हो जाता है। छायावादी कविता में प्रकृति का मानवीकरण प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा ने अत्यन्त रमणीय ढंग से किया है। प्रसाद जी के काव्य में साहित्य का आरम्भ ऐसी ही कविताओं से होता है, जिनमें प्रकृति और भावना का बिम्ब-प्रतिबिम्ब चित्रण प्राप्त होता है। प्रसाद ने ‘झरना’, ‘लहर’, ‘आँसू’, ‘कामायनी’ आदि कृतियों में प्रकृति का मानवीकरण किया है। लहर की प्रस्तुत पंक्तियों में वर्णित प्राकृतिक अंगों का यह प्रणय चित्र प्रसाद की प्रकृति विषयक सूक्ष्म सौन्दर्य दृष्टि का परिचायक है-

“जिस निर्जन में सागर लहरी
अम्बर के कानों में गहरी,
निश्छल प्रेम कथा कहती हो।”²²

महादेवी जी की प्रकृति तो सदैव चेतन रूप में ही उपस्थित हुई हैं। महादेवी जी का प्रकृति के प्रति अनुराग बचपन से ही रहा है। इस सन्दर्भ में वे स्वयं ही कहती हैं। “मेरे निकट आँधी, तूफान, बादल, समुद्र आदि कुछ ऐसे विषय हैं, जिस पर चित्र बनाना अनायास और बना लेने पर आनन्द स्थायी होता है।”²³ महादेवी के काव्य का अप्रतिम दृश्य-

“हँस देता जब प्रात सुनहले अंचल में फैला रोली,
लहरों को विछलन पर जब मचली पड़ती किरणें भोली,
तव कलियाँ चुपचाप उठाकर पल्लव के घूँघट सुकुमार
छलकी पलकों से कहती हैं, कितना मादक है संसार।”²⁴

निराला की ‘जूही की कली’, ‘संध्या सुन्दरी’, ‘यमुना के प्रति’, साथ ही ‘परिमल’, ‘गीतिका’, ‘बेला’, नये पत्ते के संग्रहों में भी ऐसे वर्णन मिलते हैं। परिमल में सन्ध्या का यह चित्र मेघमय आसमान से धीरे-धीरे उतरने वाली सुन्दरी परी जैसी सन्ध्या के आलस्य और शान्त वातावरण का चित्रण-

“अलसता की सी लता,
किन्तु कोमलता की वह कली
सखी नीरवता के कंधे पर डाले बाँह
छाँह-सी अम्बर पथ से चली।”²⁵

इस प्रकार छायावादी कवियों ने अनेक रूपों में प्रकृति का मानवीकरण किया है और प्रकृति उनके सहचरी के रूप में दिखाई पड़ती है।

राष्ट्रवाद एक सामयिक, सर्वकालिक मानवीय सरोकार है। छायावादी काव्य का उद्भव ही जिन परिस्थितियों में हुआ उसमें राष्ट्रीय आन्दोलन अपने चरम पर था। गाँधी जी का असहयोग सत्याग्रह और दासता से मुक्ति का अभियान चल रहा था। सम्पूर्ण भारतीय परिवेश में काव्य और संस्कृति के क्षेत्र में सभी बुद्धिजीवी और कवि लेखक अपने देश की पराधीन चेतना से प्रेरित और परिचालित थे। यही कारण था कि स्वातंत्र्य जैसे मूल्य को बनाये रखने के लिए तथा उसे प्रतिष्ठित करने की मानसिकता छायावाद के अंतर्गत भी समाहित थी। छायावादी कवियों ने इसी सर्वकालिक राष्ट्रीयता की अभिव्यक्ति अपने काव्य संसार में की। स्वधर्म, स्वभूमि और स्वतंत्रता के प्रति आग्रह प्रस्तुत करने वाले ये कवि इतिहास ग्रस्त न होकर लगभग सभी सन्दर्भों की दृष्टि से अपनी नैसर्गिक राष्ट्र भावना को प्रकट करते हैं। छायावादी कवि प्रेम और करुणा जैसे बुनियादी भावों की अभिव्यक्ति के लिए भी स्वतंत्रता और इससे आगे बढ़कर क्रान्तिकारिता के प्रति विशेष जागरूक दिखाई पड़ते हैं। यह मात्र कारण नहीं है कि ‘आँसू’, ‘कामायनी’, ‘पल्लव’, ‘वीणा’, ‘गुंजन’, ‘परिमल’, और अनामिका के अनेक गीतों, प्रगीतों में एक प्रकार की उद्यमता और रूढ़ि भंजकता का समावेश प्राप्त होता है। यह आवश्यक भी था, क्योंकि आत्मचेतना और स्वाधीनता के बिना न तो कोई व्यक्ति मुक्त होता है और न कोई राष्ट्र। प्रेम पूर्ण जीवन के लिए भी स्वतंत्र परिस्थितियाँ चाहिए इस परिस्थिति के निर्माण में छायावादी कविताओं की भूमिका देखने से छायावाद की व्यापक राष्ट्रीय चेतना का अनुभव किया जा सकता है।

छायावादी साहित्य के मूल में भारतीय समाज के नवजागरण का अभ्युदय था। यह समय भारत के इतिहास में स्वतंत्रता संग्राम, सामाजिक धार्मिक सुधार आन्दोलन, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के प्रभाव का परिणाम था प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी जी का काव्य साहित्य। यह समय जहाँ एक तरफ भारत की राजनीतिक पराधीनता, आर्थिक दुर्दशा और भारतीय संस्कृति को विध्वंस करने का ब्रिटिश षडयन्त्र का युग है तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय नवजागरण, स्वदेशाभिमान तथा क्रियाशीलता का भी समय है। इस नवीन चेतना और भारतीय नवजागरण के मूल में भारत की अपनी खोई हुई अस्मिता प्राप्ति का अथक प्रयास था, स्वतंत्रता संग्राम उसी प्रयास का प्रबलतम पक्ष था। जिस राष्ट्रीयता का उद्भव उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में हुआ था, वह अनेक देशभक्तों के सतप्रयासों से विराट रूप धारण कर चुका था। सुधारवादी आन्दोलन के मूल में राष्ट्रीय जागरण ही था। राजनीतिक पटल पर गाँधी जी देश को राजनीतिक दृष्टि से जागृत कर रहे थे, तो दूसरी तरफ भारतीय भाषाओं के सभी बड़े कवियों ने भारतवासियों की सोई हुई चेतना को प्रदीप्त करने का प्रयास किया। “इस समय छायावाद युग में हिन्दी कविता के दो रूप दिखाई पड़े एक तो वह जिससे देश की स्वाधीन भावना मुक्त कंठ से मुखरित हो रही थी, दूसरी वह जिसमें धैर्य, समाज, साहित्य की रूढ़ियों से विमुख होकर कवि अपनी सत्ता को स्वच्छन्द रीति से प्रतिष्ठित करने का आग्रह कर रहे थे”²⁶

देश को विदेशी शासन से पीड़ित और त्रस्त देखकर छायावादी कवियों ने समस्याओं के समाधान के लिए भारत के स्वर्णिम अतीत की ओर दृष्टिपात किया। छायावादी कवियों ने प्राचीन वीरों और आदर्श पुरुषों के काव्य स्तवन से जनता को प्रेरणा लेने का उत्साह दिया और तत्कालीन सन्दर्भ में उन्हें आशा की किरण दिखाई। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध जो तत्कालीन व्यापक आन्दोलन चल रहा था, उसका स्पष्ट प्रतिबिम्ब छायावादी काव्य में देश प्रेम, जागरण और आत्मगौरव की भावनाओं के चित्रण में विशेष रूप से सक्रिय दिखाई पड़ता है। छायावादी कवियों के काव्य साहित्य में तीव्र देशभक्ति की भावना लक्षित की जा सकती है। सांस्कृतिक पुनरूत्थान, सामाजिक जागृति के साथ ही साथ राष्ट्रीय जागरण के स्वर भी प्रचुर मात्रा में विद्यमान थे। वस्तुतः छायावाद के उन्मेष के पीछे संस्कृति और इतिहास के दो अनुरोध कार्यरत थे, एक आध्यात्मिक और दूसरा राष्ट्रीय। यह बात ध्यान देने की है कि अंग्रेजों के आगमन के बाद बाह्य संस्कृति के हस्तक्षेप से विचलित भारतीय जनजीवन ईश्वर और धर्म के बारे में जहाँ एक तार्किक अपेक्षाकृत व्यापक दृष्टिकोण निर्मित करने की मानसिकता के दौर से गुजर रहा था, वहीं राष्ट्रीय भावना के स्तर पर वह सम्पूर्ण देश को जागृत और संगठित करना भी चाहता था जिससे सांस्कृतिक और राजनीतिक हस्तक्षेपों और गुलामी से निकलने का मार्ग प्रशस्त हो सकें। यही दो मुख्य अनुरोध थे, इन्हीं दोनों अनुरोधों के गर्भ से छायावाद ने जन्म लिया। यह और बात है। कि आगे चलकर रहस्यवाद और प्रगतिवाद के तत्व भी समसामयिक दबावों के कारण इसमें जुड़ते गये। छायावाद मुक्ति का काव्य है, इस मुक्ति में प्रेम, धर्म और राष्ट्रीयता तीनों की मुक्ति का स्वर सम्मिलित है। जयशंकर प्रसाद जी तो अपने एतिहासिक रचनाओं में भी राष्ट्र प्रेम दिखाने से नहीं चूके हैं- “अरुण यह मधुमय देश हमारा!

जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा।”²⁷

निराला तो अपने कविता ‘जागो फिर एक बार’ के माध्यम से भारत के लोगों में राष्ट्रीयता का संचार करना चाहते हैं जिससे लोग स्वतंत्रता के प्रति जागरूक होकर स्वतंत्रता संग्राम को मजबूती प्रदान करें-

“जागो फिर एक बार!

प्यारे जगाते हुए हारे सब तारे तुम्हें ,

अरुण-पंख तरुण-किरण

खड़ी खोल रही द्वार

जागो फिर एक बार।”²⁸

पंत, प्रसाद, महादेवी और निराला छायावाद के स्तम्भ कवियों के साथ-साथ अन्य छायावादी कवियों जैसे-रामकुमार वर्मा, भगवतीचरण वर्मा और उदयशंकर भट्ट ने भी अपनी रचनाओं के माध्यम से तत्कालीन परिवेश में घटित हो रहे तमाम चटनाक्रम को उकेरते हुए समाज के विभिन्न आयामों को बखूबी चित्रित किया है। अपने काव्य में लोककल्याण, अभावग्रस्त जन, दलितों, पिछड़ों, स्त्री, प्रकृति तथा राष्ट्रीय आंदोलन को आधार बनाकर लिखे अपने साहित्य में छायावादियों ने रोमानीयत का ऐसा रंग चढ़ाया की हिन्दी साहित्य में सदियों तक उनकी रंगत दिखलाई देती रहेगी।

संदर्भ:-

- 1 रत्न शंकर प्रसाद, प्रसाद ग्रंथावली 1, पृष्ठ संख्या-542
- 2 राम की शक्तिपूजा, अनामिका, पृष्ठ संख्या -167
- 3 अनामिका, राम की शक्तिपूजा, निराला, पृष्ठ संख्या -169
- 4 रत्न शंकर प्रसाद, कामायनी (इड़ा सर्ग) प्रसाद ग्रंथावली पृष्ठ संख्या 575
- 5 रत्नशंकर प्रसाद, प्रसाद ग्रंथावली, वर्ग सर्ग पृष्ठ संख्या -542
- 6 पल्लव पृष्ठ संख्या -3
- 7 महादेवी वर्मा, यामा ,पृष्ठ संख्या -99
- 8 रत्नशंकर प्रसाद, प्रसाद ग्रंथावली (श्रद्धा सर्ग) पृष्ठ संख्या -464
- 9 कमला प्रसाद पांडे, रास्ता इधर है, पृष्ठ संख्या -107
- 10 नामवर सिंह, पहलू, पृष्ठ संख्या -181

- 11 सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला, अणिमा पृष्ठ संख्या -6
- 12 सुमित्रानंदन पंत, युगांत पृष्ठ संख्या 16
- 13 निराला, अपरा (बादलराग) पृष्ठ संख्या -13
- 14 नामवर सिंह, छायावाद पृष्ठ संख्या -45
- 15 राम विलास शर्मा संपादक, रागविराग, पृष्ठ संख्या -127
- 16 जयशंकर प्रसाद, कामायनी पृष्ठ संख्या -106
- 17 सुमित्रा नंदन पंत, पल्लव पृष्ठ संख्या -47
- 18 महादेवी वर्मा, आधुनिक कवि भाग 1 अपने दृष्टिकोण से
- 19 अज्ञेय, रूपाम्बर पृष्ठ संख्या 10
- 20 अज्ञेय, रूपाम्बर पृष्ठ संख्या -7-8
- 21 महादेवी, यामा की भूमिका पृष्ठ संख्या -8
- 22 जयशंकर प्रसाद, लहर, पृष्ठ संख्या -14
- 23 महादेवी वर्मा, संस्मरण ग्रंथ पृष्ठ संख्या -122
- 24 महादेवी वर्मा, यामा पृष्ठ संख्या -6
- 25 निराला, परिमल पृष्ठ संख्या 135
- 26 डॉ विनय मोहन शर्मा, साहित्यवलोकन पृष्ठ संख्या -112
- 27 जयशंकर प्रसाद, चन्द्रगुप्त मौर्य, पंचम संस्करण 2002 पृष्ठ संख्या -57
- 28 निराला, अपरा (जागो फिर एक बार) पृष्ठ संख्या -16

महासमुन्द जिले के बीएड प्रशिक्षार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि पर व्यक्तित्व प्रकार एवं राजनैतिक अभिरूचि के परिपेक्ष्य में अध्ययन

डॉ० हेमन्त कुमार खटकर

गांव- सुखापाली,पोस्ट -बिछिया,वि.ख.-बसना, जिला -महासमुन्द (छ.ग.)

सारांश:- महामहिम पूर्व राष्ट्रपति डॉ.ए.पी.ने अब्दुल कलाम जी कहा था, भगवान ने हमारे मष्तिष्क और क्षमताएँ दी हैं। ईश्वर की प्रार्थना हमें इन शक्तियों को विकसित करने में मदद करती है। शिक्षा ऐसा मशाल है, जिससे अहंकार से उजाले की ओर जा सकते हैं एवं हम प्रकाशन हो सकते हैं अर्थात यह कह सकते हैं कि शिक्षा प्रकाश है जो सभी का विकास करती है और हमें तेजस्वी बनाने में सहायता प्रदान करती है। अन्तर्निहित शक्तियों को प्रस्फुरित कर हमें विकास की ओर अग्रसर करती है, जिससे सम्पूर्ण मानव को पतन नहीं हमेशा उत्थान की ओर ले जाता है, साथ ही साथ शिक्षा हमारे व्यवहार को उत्तम बनाने में मुख्य रूप से सहायक सिद्ध होता है और हमें सम्पूर्णता प्रदान करता है। अध्ययन ज्ञान या ग्रहण शक्ति को सुरक्षित रखने योग्यताओं को प्राप्त करने या समस्याओं का समाधान करने के लिए किया जाने वाला नियोजित प्रयास है। स्पष्ट है कि अध्ययन शक्ति अपनी स्वेच्छा से अपना ज्ञान ग्रहण शक्ति बढ़ाने के लिए करता है, जो अभ्यास के साथ आदत का रूप ग्रहण कर लेती है। शैक्षिक उपलब्धि का सामान्य अर्थ है कि व्यक्ति द्वारा अपनी अधिगम की पूरी प्रक्रिया के समय द्वारा प्राप्त उपलब्धि को कह सकते हैं। शैक्षणिक उपलब्धि एक मनोवैज्ञानिक शब्द है जिसका उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में प्राप्त ज्ञान के सन्दर्भ में किया जाता है। मनाविश्लेषणवादी युग ने व्यक्तित्व को तीन भागों में बांटा है-

- (1) अंतर्मुखी (2) बहिर्मुखी (3) उभयमुखी

जिला महासमुन्द की राजधानी रायपुर से 50 किलोमीटर पूर्व दिशा में राष्ट्रीय राजमार्ग 06 बम्बई से कोलकाता राजमार्ग से 10 किलोमीटर अंदर बसा हुआ है। यहां पहुंचने के लिए बसे रेल एवं निजी टैक्सियां आसानी पूर्वक मिल जाती है। महासमुन्द जिला शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यहां अनेकों महाविद्यालय, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी, हिन्दी माध्यम एवं अनेकों शासकिय एवं निजी विद्यालय तथा डाटा प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित हैं। दार्शनिक स्थल के रूप में जिले के महासमुन्द विकास खण्ड में राष्ट्रीय स्तर के दार्शनिक स्थल के रूप में सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर है। जिसे देखने देश विदेश से लोग आते हैं, तथा दार्शनिक स्थल के लिए बम्हनी में प्रसिद्ध मंदिर है जहाँ प्रत्येक वर्ष मेला लगता है तथा सिंचाई के लिए शहीद वीरनारायण जलासय है जो हजारों हेक्टेयर जमीन मे सिंचाई हो रहा है। बागबाहरा विकास खण्ड में खल्लारी माँ तथा घुंचापाली के चण्डी मंदिर में जंगली भालू प्रसाद ग्रहण करने तथा एवं पुजा करने आते हैं यह एक देखने वाली बात होती हैं। विकास खण्ड पिथौरा में बनदुर्गा मंदिर प्रसिद्ध है जहाँ दर्शन करने वाले गेरवा ले कर आते हैं। एवं मनोकामना माँग कर उसे मंदिर में चढाते हैं तथा जोकनदी अनवरत बह रही है। विकास खण्ड बसना में पूर्व राजा महाराजाओं का निवास गढफुलझर रहा है। जहां एक ऐतिहासिक मंदिर भी है, जहाँ श्रद्धालु पुजा करने जाते हैं साथ ही साथ वहाँ मिट्टी से अनेकों कलाकृतियां किया जा रहा है। जिससे लोग आत्मनिर्भर बन रहे हैं। विकास खण्ड सराईपाली ओडिसा राज्य से लगा हुआ महासमुन्द जिले का अंतिम छोर है, यहां का कुछ-कुछ नक्सली क्षेत्र में आता है। शिशुपाल पर्वत एवं सिंघोडा मंदिर देखते ही मन मोह लेता है क्योंकि यहां औद्योगिक क्षेत्र में बिरकोनी का नाम राष्ट्रीय स्तर में गिना जाता है। बीएड प्रशिक्षार्थियों में गुणात्मक एवं प्रभावी शिक्षा माता, पिता अध्ययापक, महाविद्यालय, समुदाय एवं समूह आदि शामिल हैं। बीएड प्रशिक्षार्थियों के व्यक्तित्व राजनैतिक अभिरूचि एवं शैक्षिक उपलब्धि में भिन्नता हो सकता है। चूँकि प्रशिक्षार्थियों के व्यक्तित्व राजनैतिक अभिरूचि एवं शैक्षिक

उपलब्धि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल एवं प्रभावी बना सकती है तथा सिर्फ अनुसंधान क्रियाविधि उपकरण एवं सांख्यिकीय सिद्धांत का उपयोग करके निष्कर्ष प्राप्त हो सकते हैं।

प्रस्तावना:-

शिक्षा मनुष्य की शक्ति का विशेष रूप से मानसिक शक्ति का विकास करती है। जिससे कि वह परम सत्य शिव और सुन्दरम का चिंतन करने के योग्य बन सके। शिक्षा एक व्यापक प्रत्यय है। यह जीवन पर्यन्त तक चलती है, और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित करती है। शिक्षा में प्रत्येक अनुभव आता है, अतः इसका कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं होता और न ही कोई निश्चित स्थान होता है। वह प्रत्येक स्थान पर प्राप्त की जा सकती है।

महामहिम पूर्व राष्ट्रपति डॉ.ए.पी.ने अब्दुल कलाम जी कहा था, भगवान ने हमारे मष्तिष्क और क्षमताएँ दी हैं। ईश्वर की प्रार्थना हमें इन शक्तियों को विकसित करने में मदद करती है। शिक्षा ऐसा मशाल है, जिससे अहंकार से उजाले की ओर जा सकते हैं एवं हम प्रकाशन हो सकते हैं अर्थात् यह कह सकते हैं कि शिक्षा प्रकाश है जो सभी का विकास करती है और हमें तेजस्वी बनाने में सहायता प्रदान करती है। अर्न्तनहित शक्तियों को प्रस्फुरित कर हमें विकास की ओर अग्रसर करती है, जिससे सम्पूर्ण मानव को पतन नहीं हमेशा उत्थान की ओर ले जाता है, साथ ही साथ शिक्षा हमारे व्यवहार को उत्तम बनाने में मुख्य रूप से सहायक सिद्ध होता है और हमें सम्पूर्णता प्रदान करता है। ज्ञान का संचय हमें संग्रहण करती है, जिसके फलस्वरूप अच्छे कार्यों को करने में तथा अच्छा व्यक्तित्व निर्माण में सहायता प्रदान करती है। जिससे व्यक्ति अपनी नैसर्गिक क्षमताओं को पूर्ण विकास कर सके तथा बदलते हुए परिवेश से अनुकूलन व समायोजन कर अपने विचार कार्य एवं कृति रूपी पुष्प की खुशबु दूर-दूर तक फैल सके तथा समाज एवं राष्ट्र के निर्माण एवं विकास में सक्रिय योगदान दे सके। भारत में शिक्षा को इस प्रकार स्रोत की संज्ञा दी है, जो मानव के प्रत्येक क्षेत्र में सच्चा पथ प्रदर्शन करती है। शिक्षा मानवीय उद्घृत करते हुए विभिन्न वर्ग संघर्षों तथा क्षेत्रियता जैसी बुराईयों को दूर कर समानता की भावना पल्लवित करती है।

रस्क के शब्दों में- अध्ययन ज्ञान या ग्रहण शक्ति को सुरक्षित रखने योग्यताओं को प्राप्त करने या समस्याओं का समाधान करने के लिए किया जाने वाला नियोजित प्रयास है। स्पष्ट है कि अध्ययन शक्ति अपनी स्वेच्छा से अपना ज्ञान ग्रहण शक्ति बढ़ाने के लिए करता है, जो अभ्यास के साथ आदत का रूप ग्रहण कर लेती है।

मार्गन एवं गिलीलैण्ड के मतानुसार:-

हम जो भी हैं, उन सब का योग व्यक्तित्व के नाम से पुकारा जाता है।

डेशिल के तानुसार:- व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का सम्पूर्ण चित्र होता है।

शैक्षिक उपलब्धि:-

शैक्षिक उपलब्धि का सामान्य अर्थ है कि व्यक्ति द्वारा अपनी अधिगम की पूरी प्रक्रिया के समय द्वारा प्राप्त उपलब्धि को कह सकते हैं। शैक्षणिक उपलब्धि एक मनोवैज्ञानिक शब्द है जिसका उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में प्राप्त ज्ञान के सन्दर्भ में किया जाता है।

जैसे- शैक्षणिक उपलब्धि सम्प्राप्ति अथवा शालेय उपलब्धि इत्यादि।

व्यक्तित्व:- व्यक्तित्व एक ऐसा तंत्र है जिसके अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष से मानसिक तथा शारीरिक दोनों की पहलू प्राप्त होता है। यह तंत्र में ऐसे तत्वों गणन होता है जो आपस में अंतक्रिया करते हैं। इस तंत्र के मुख्य तत्व शीलगुण, संवेग, आदत, ज्ञानशक्ति, चित्र, प्रकृति, चरित्र अभिप्रेरक आदि है जो सभी मानसिक गुण है, परन्तु इन सबका आधार शारीरिक अर्थात् व्यक्तित्व की ग्रंथीय क्रियाएँ एवं तंत्रिकीय प्रक्रियाएँ हैं। मनाविश्लेषणवादी युग ने व्यक्तित्व को तीन भागों में बांटा है-

- (1) अंतर्मुखी
- (2) बहिर्मुखी
- (3) उभयमुखी

राजनैतिक अभिरूची:- शैक्षिक क्षेत्र में जब कोई अनुसंधान कार्य किया जाता है तो उस अध्ययन की उपयोगिता महत्व प्रकृति आदि का औचित्य स्पष्ट करना इसलिए आवश्यक है कि इसके द्वारा यह सिद्ध किया जा सके कि इस अनुसंधान के परिणाम व निष्कर्ष शैक्षिक जगत को किस प्रकार प्रभावित करेंगे। लोकतांत्रिक देश व राज्य में प्रत्येक व्यक्ति या नागरिक को अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों का निर्धारण के लिए आवश्यक है कि राजनैतिक अभिरूचि लोगों को सजग बनाती है एवं

राजनैतिक समाज के खतरे को पहचान कर उसे दूर कर सकता है, बी.एड. प्रशिक्षार्थियों को विद्यार्थियों को पढाने हेतु प्रशिक्षित किया जाता है, अतः उन्हें विद्यार्थियों के व्यवहार, रुचि व इच्छा का ज्ञान होना आवश्यक है।

ग्रीण लीक के अनुसार:- अभिरूचि कुछ विशिष्ट कार्य कर सकने की अपनी स्वभाविक योग्यता है।

जिला महासमुन्द की राजधानी रायपुर से 50 किलोमीटर पूर्व दिशा में राष्ट्रीय राजमार्ग 06 बम्बई से कोलकाता राजमार्ग से 10 किलोमीटर अंदर बसा हुआ है। यहां पहुंचने के लिए बसे रेल एवं निजी टेक्सियां आसानी पूर्वक मिल जाती है। महासमुन्द जिला शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यहां अनेकों महाविद्यालय, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी, हिन्दी माध्यम एवं अनेकों शासकिय एवं निजी विद्यालय तथा डाटा प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित हैं। दार्शनिक स्थल के रूप में जिले के महासमुन्द विकास खण्ड में राष्ट्रीय स्तर के दार्शनिक स्थल के रूप में सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर है। जिसे देखने देश विदेश से लोग आते हैं, तथा दार्शनिक स्थल के लिए बम्हनी में प्रसिद्ध मंदिर है जहाँ प्रत्येक वर्ष मेला लगता है तथा सिंचाई के लिए शहीद वीरनारायण जलाशय है जो हजारों हेक्टेयर जमीन में सिंचाई हो रहा है। बागबाहरा विकास खण्ड में खल्लारी माँ तथा घुंचापाली के चण्डी मंदिर में जंगली भालू प्रसाद ग्रहण करने तथा एवं पुजा करने आते हैं यह एक देखने वाली बात होती है। विकास खण्ड पिथौरा में बनदुर्गा मंदिर प्रसिद्ध है जहाँ दर्शन करने वाले गेरवा ले कर आते हैं। एवं मनोकामना माँग कर उसे मंदिर में चढाते हैं तथा जोकनदी अनवरत बह रही है। विकास खण्ड बसना में पूर्व राजा महाराजाओं का निवास गढफुलझर रहा है। जहां एक ऐतिहासिक मंदिर भी है, जहाँ श्रद्धालु पुजा करने जाते हैं साथ ही साथ वहाँ मिट्टी से अनेकों कलाकृतियां किया जा रहा है। जिससे लोग आत्मनिर्भर बन रहे हैं। विकास खण्ड सराईपाली ओडिसा राज्य से लगा हुआ महासमुन्द जिले का अंतिम छोर है, यहां का कुछ-कुछ नक्सली क्षेत्र में आता है। शिशुपाल पर्वत एवं सिंगोडा मंदिर देखते ही मन मोह लेता है क्योंकि यहां औद्योगिक क्षेत्र में बिरकोनी का नाम राष्ट्रीय स्तर में गिना जाता है।

शोध का उद्देश्य:-

1. बीएड प्रशिक्षार्थियों के व्यक्तित्व का निर्धारण करना।
2. बीएड प्रशिक्षार्थियों के व्यवहारिक आदतों का निर्धारण करना।
3. अंतर्मुखी बहिर्मुखी छात्र-छात्राओं के व्यक्तित्व का गुटनात्मक अध्ययन करना।
4. बहिर्मुखी एवं उभयमुखी छात्र -छात्राओं के व्यक्तित्व का तुलनात्मक अध्ययन करना।
5. अंतर्मुखी एवं उभयमुखी छात्रों के व्यक्तित्व का तुलनात्मक अध्ययन करना।
6. शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति के व्यक्तित्व का तुलनात्मक अध्ययन करना।

इस क्षेत्र में किए गए अध्ययन:-

पुरी प्रेरण और कुमारी लीना (2009-10) ने प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के व्यक्तित्व पैटर्न एवं अध्ययन आदतों का अध्ययन किया और पाया कि व्यक्तित्व पैटर्न व किशोरियों के आशावादिता स्तर के बीच सार्थक सम्बंध नहीं है। कुछ व्यक्तित्व पैटर्न का अध्ययन आदत के साथ सम्बंध पाया गया है।

साव मीरा (2009 -10) ने अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले किशोरियों में अध्ययन के प्रति रुचि एवं शैक्षिक उपलब्धियों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया। अध्ययन के प्रति के प्रति रुचि ज्ञात करना एवं अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि का पता लगाना एवं दोनों के बीच ज्ञात करना। इन्होंने बहिर्मुखी एवं अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले छात्राओं में विभिन्न विषय क्षेत्र में अध्ययन के प्रति रुचि में सार्थक अंतर नहीं पाया एवं बहिर्मुखी एवं अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले किशोरियों का शैक्षिक उपलब्धि में अंतर पाया गया।

शर्मा अमर (2001) समाज सेवाओं के व्यक्तित्व के प्रकार से राजनैतिक में प्रभाव का अध्ययन पर शोध किया और निष्कर्ष पाया कि समाज सेवकों के व्यक्तित्व के प्रकार से राजनैतिक अभिरूचि में अंतर गया। बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले समाज सेवकों की राजनिति में प्रभाव अधिक थी वे सामाजिक क्रियाकलाप में ज्यादा सहभागी होते हैं। महिला समाज सेवक एवं पुरुष समाज सेवक राजनिति में प्रभाव में अंतर पाया गया।

सहाय युक्त (2005) महाविद्यालयीन लडकियों में राजनैतिक विज्ञान में रुचि का अध्ययन। अध्ययन से निष्कर्ष निकाला कि इस अध्ययन का उद्देश्य आदिवाशी और गैरआदिवाशी तथा अनुसूचित जनजातियों के महाविद्यालयीन लडकियों में राजनैतिक

विज्ञान में रूचि का अध्ययन करना है। इस उपकरण का प्रशासन 20 आदिवासी क्षेत्र 20 गैर आदिवासी क्षेत्र तथा 20 अनुसूचित जनजातिय वर्ग के 20 से 25 उम्र के लड़कियों को लिया गया है। इस मापनी में 15 क्षेत्र हैं। आदिवासी, गैर आदिवासी तथा अनुसूचित जनजाति के लड़कियों के अलग अलग राजनैतिक विज्ञान में रूचि के मापन के लिए माध्यिका एवं आकृत की गणना की गई। अंत में यह निष्कर्ष पाया कि मीविद्यालयीन लड़कियों के राजनैतिक विज्ञान से रूचि का सार्थक अंतर नहीं पाया गया है।

नोट किए गए कार्य के क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य का योगदान-

- बीएड प्रशिक्षार्थियों का व्यक्तित्व किस प्रकार अध्ययन आदत को प्रभावित करता है, यह स्पष्ट करने में सहायता प्राप्त हो सकेगी।
- शिक्षा के माध्यम से व्यक्तित्व का नैसर्गिक क्षमताओं का पूर्ण विकास निर्धारण हो सकता है।
- छात्राओं में उत्तम अध्ययन आदतों के विकास से उनकी शैक्षिक उपलब्धि को बढ़ाया जा सकेगी।
- बीएड शिक्षा महाविद्यालय में छात्राओं के व्यक्तित्व विषय चयन एवं अच्छी आदतों से आत्म विश्वास बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो सकेगी।
- अध्यापको के द्वारा छात्रा-छात्राओं के व्यक्तित्व की सही सादी जानकारी प्राप्त हो सकती है।
- छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि से उनकी राजनितिक अभिरूचि को पता लगाया जा सकता है।

प्रस्तावित अनुसंधान विधि:-

परिकल्पना:- अनुसंधान के प्रक्रम में समस्या का कथन के तुरंत पश्चात हमें उपयुक्त परिकल्पना की आवश्यक होता है परिकल्पना के लिए हमें विशिष्ट जानकारी होना आवश्यक है अन्यथा अनुसंधान कर्ता इधर-उधर भटकता है। परिकल्पना के अभाव में वैज्ञानिक अध्ययन प्रायः सम्भव नहीं हो सकता इसका मुख्य कारण यह है कि समस्या का स्वरूप अत्यधिक विषम, विस्तृत तथा विसरित रहता है। ऐसी समय में उनके व्यापक क्षेत्र को घटाया तथा न्यून करना आवश्यक होता है। अनुसंधान में परिकल्पना करना अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। ऐसा करने से अनुसंधानकर्ता को तर्क संगत आकड़ों के संकलन में ठीक-ठीक दिशा मिलती है तथा उपयुक्त वैध व शुद्ध निष्कर्षों के अनुमान में सुविधा व सरलता रहती है।

करलिंगर:- एक कल्पना दो अथवा दो से अधिक चरों के संबंध के विषय में एक कल्पनात्मक कथन होता है।

प्रस्तुत अध्ययन की शून्य परिकल्पना निम्नलिखित हो सकता है-

- H₀₁ :- अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी छात्राओं के आदतों में कोई सार्थक संबंध नहीं हो सकता।
H₀₂ :- अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी छात्राओं के आदतों में कोई सार्थक सम्बंध नहीं हो सकता
H₀₃ :- बहिर्मुखी एवं अंतर्मुखी छात्राओं के आदतों में कोई सार्थक सम्बंध नहीं हो सकता।
H₀₄ :- बीएड प्रशिक्षार्थियों के आदतों एवं परिवार विकास में कोई सार्थक सम्बंध नहीं हो सकता।
H₀₅ :- बीएड प्रशिक्षार्थियों के आदतों एवं शैक्षिक विकास में कोई सार्थक सम्बंध नहीं हो सकता
H₀₆ :- बीएड प्रशिक्षार्थियों के विषय चयन हेतु शैक्षिक गतिविधियों में कोई सार्थक सम्बंध नहीं हो सकता।

अनुसंधान विधि:- संक्षेपों में सर्वेक्षण किसी समाजिक स्थिति अथवा समस्या अथवा जीवसंख्या के परिभाषित उद्देश्यों हेतु वैज्ञानिक तथा व्यवस्थित रूप में विश्लेषण की एक विधि है- एच.एन मोर्स

प्रस्तुत अध्ययन में शोध उपकरणों का अनुप्रयोग करके सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है।

न्यादर्श:- किसी जनसंख्या या समष्टि से प्रतिनिधि के रूप में किसी मांग या संख्या का योजनानुसार चयन न्यादर्श कहलाता है- करलिंगर

प्रस्तुत अध्ययन में छत्तीसगढ राज्य के महासमुन्द जिले के विकास खण्ड क्रमशः सराईपाली, बसना पिथौरा, बागबाहरा, महासमुन्द में कितने शिक्षा महाविद्यालय संचालित हैं उनमें से 150 प्रशिक्षार्थियों का चयन यादृच्छिक प्रतिदर्शन आधार पर किया गया है।

सारिणी

क्रमांक	शिक्षा महाविद्यालय	प्रशिक्षार्थी	कुल
1	प्रतिभा शिक्षा महाविद्यालय	74	200
2	रामचंडी शिक्षा महाविद्यालय	40	100
3	इण्डियन शिक्षा महाविद्यालय	74	200
4	जय हिन्द शिक्षा महाविद्यालय	74	200
5	भयाम बाला जी शिक्षा महाविद्यालय	74	200
6	भाति बाई वाणिज्य एवं कला शिक्षा महा. वि.	74	200
7	रामदर्शन इंस्टीट्यूट एजुकेशन जंघोरा पिथौरा	40	100
योग		450	1200

प्रस्तुत अध्ययन में प्रदत्त संकलन के लिये दो प्रमापीकृत और एक स्वनिर्मित उपकरणों का उपयोग किया गया है। जिसका विवरण इस प्रकार है-

क्रमांक	मापित कर	निर्माणकर्ता	उपकरण का नाम
	व्यक्तित्व	पी.एफ अजीज और डॉ. रेखा गुप्ता (2015)	अंतर्मुखी बहिर्मुखीता अविशकारिक(IEI)
	राजनैतिक अभिरुचि	सुरेश कुमार सिंह एव बी.बी.पण्डेय (2012)	राजनैतिक अभिरुचि अविशकारिक (IPS)
	भौक्षिक उपलब्धि	स्वनिर्मित	भौक्षिक उपलब्धि मापनी परीक्षण

सांख्यिकी प्रविधियों का चयन:-

प्रस्तुत अध्ययन में एकत्रित प्रदत्तों के व्यवस्थापन प्रस्तुतीकरण और विश्लेषण के लिए सांख्यिकीय प्रक्रियाओं के साथ आलेखों का निर्माण किया गया है। इसके अन्तर्गत प्रदत्तों का विश्लेषण दो प्रकार से किया जा सकता है-

(1) वर्णात्मक सांख्यिकी विश्लेषण

प्रेक्षित व्यक्तियों के विशेष समूह या वर्ग में प्रदत्तों के विवरण प्रकृति के विश्लेषण के लिए मध्यमान, माध्यिका, मध्यमान, मानक विचलन की गणना की जाती है और सामान्यीकरण को उस समूह या वर्ग के लिए सीमित किया जा सकता है-

प्रस्तुत अध्ययन में अंग्राकित सूत्रों का उपयोग किया जा सकता है-

मानक विचलन

आनुमानिक सांख्यिकीय विश्लेषण:- प्रतिदर्श आंकड़ों के आधार पर समष्टि या जीव संख्या के सी विशेषता या गुण के मध्यमान, माध्यिका, मानक विचलन (प्राचलों) का अनुमान जिन सांख्यिकीय प्रक्रियाओं द्वारा किया जाता है, आनुमानिक सांख्यिकी कहा जा सकता है।

प्रस्तुत अध्ययन में एक दिषीय प्रसरण विश्लेषण के लिए मान की गणना अंग्राकित सूत्र द्वारा किया जायेगा।

चर

चर वे परिस्थितयां या विशेषताएँ हैं जिन्हें प्रयोगकर्ता नियंत्रित करता है जोड़ तोड़ करता है या अवलोकन करता है। किसी प्राणी या वस्तु के मापने योग्य गुणों को चर कहा जाता है- डी.एमेटो

आश्रित चर वह है जिसका प्रयोगकर्ता द्वारा निरीक्षण किया जाता है तथा रिकार्ड किया जाता है-केन्टोविज एवं रोडिष्टर प्रस्तुत अध्ययन के निम्न लिखित चर है-

स्वतंत्र चर- बीएड प्रशिक्षार्थी, महाविद्यालय

आश्रित चर- शैक्षिक उपलब्धि, व्यक्तित्व, राजनैतिक अभिरूची

अपेक्षित निष्कर्ष-

बीएड प्रशिक्षार्थियों में गुणात्मक एवं प्रभावी शिक्षा माता, पिता अध्ययापक, महाविद्यालय, समुदाय एवं समूह आदि शामिल हैं। बीएड प्रशिक्षार्थियों के व्यक्तित्व राजनैतिक अभिरूचि एवं शैक्षिक उपलब्धि में भिन्नता हो सकता है। चूंकि प्रशिक्षार्थियों के व्यक्तित्व राजनैतिक अभिरूचि एवं शैक्षिक उपलब्धि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल एवं प्रभावी बना सकती है तथा सिर्फ अनुसंधान क्रियाविधि उपकरण एवं सांख्यिकीय सिद्धांत का उपयोग करके निष्कर्ष प्राप्त हो सकते हैं।

- अंतर्मुखी एवं उभयमुखी छात्राओं के व्यक्तित्व में अंतर मिल सकता है।
- अंतर्मुखी छात्राओं के व्यक्तित्व उभयमुखी छात्राओं से बेहतर हो सकता है।
- अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी छात्राओं के व्यक्तित्व में अंतर हो सकता है।
- बीएड प्रशिक्षार्थियों के राजनैतिक अभिरूची में भी अंतर मिल सकता है।
- छात्राओं के शैक्षिक उपलब्धियों में भी अंतर मिल कता है।
- प्रशिक्षार्थियों में व्यक्तित्व आदत विषय चयन आत्मविश्वास पर भी अंतर प्राप्त हो सकता है।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

- कपिल एच.के (2009) अनुसंधान विधियां एच.पी.भार्गव बुक हाउस आगरा।
- कोल लोकेश (2007) मेथोडोलाजी ऑफ एजुकेशन रिसर्च। विकाश पब्लिकेशन हाऊस प्रा.लि. नोएडा।
- गुप्ता डॉ.एस.पी.और गुप्ता डॉ अल्का(2011) उच्चतर माध्यमिक में मनोविज्ञान शारदा पुस्तक भंडार इलाहाबाद। पृ. 238,239
- चंद्राकर एस.(2009-10)हाई स्कूल के विद्यार्थियों के हिंदी भाषा कौशल तथा अध्ययन आदतों एवं मनोवृत्तियों के सम्बंधों का अध्ययन एम. फिल शोध प्रबंध गुरुघासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ
- अहलुवालिया पी.एस.(2007)दी स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस आन पर्सनालिटी फैक्टर्स एंड प्रोफेशनल वैल्यू ऑफ टीचर्स इन केंद्रिय विद्यालय संगठन, सृजन शोध विशेषांक शोध एवं प्रकाशन विभाग सी.टी.ई. जामडोली जयपुर,राजस्थान पृ.50, 51।
- खटकर एच.के.(2022-23) महासमुन्द जिले में कक्षा ग्यारहवीं के छात्राओं के शैक्षिक उपलब्धि पर अध्ययन आदतों एवं उनके व्यक्तित्व प्रकार के परिपेक्ष्य में अध्ययन शोध श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय रायपुर, छत्तीसगढ।
- विदही एम.के.(1989-90) अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी छात्राओं शैक्षिक सामाजिक एवं कलात्मक अभिरूचि का तुलनात्मक अध्ययन।

माया दर्पण: कहानी एवं फिल्म का तुलनात्मक अध्ययन

डॉ० सरिता यादव

सहायक आचार्य, हिंदी विभाग, महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बहराइच

निर्मल वर्मा की कहानी पर आधारित व कुमार शाहनी द्वारा निर्देशित 'माया दर्पण' सामंतवाद के झूठे दंभ में फँसकर अकेलेपन की पीड़ा भोगती एक जमींदार की बेटी 'तरन' की कहानी है। इस फिल्म ने 1973ई० का सर्वश्रेष्ठ हिन्दी फिल्म का फिल्मफेयर अवार्ड भी जीता। इसकी तुलनात्मक समीक्षा निम्नलिखित बिन्दुओं के आधार पर की जाएगी-

1. कथा के आधार पर तुलनात्मक समीक्षा-

कहानी का आरंभ दोपहर को सोकर उठती हुई 'तरन' से होता है। तरन एक धनी जमींदार की बेटी है, जो अंग्रेजों के जमाने में दीवान थे। तरन का एक बड़ा भाई भी है जो दीवान साहब से झगड़ा करके घर छोड़कर चला गया है और अब असम में ही रहता है। घर पर कुल तीन सदस्य हैं- दीवान साहब, तरन और तरन की बाल-विधवा बुआ। आपसी अलगाव और चुप्पी के बीच पूरा परिवार ही अकेलेपन की पीड़ा भोग रहा है। दीवान साहब के पास अब न तो पहले की भाँति सत्ता का रोब रहा और न ही जमीन-जायदाद। संपत्ति के नाम पर अब एक बड़ी सी जर्जर हवेली ही उनके पास रह गई है किंतु वे आज भी अपने बीते दिनों के सामंती दंभ, रूढ़िवादी विचारों व अतीत-गौरव से खुद को मुक्त नहीं कर सकते हैं। उनका अतीत सदैव उनपर हावी रहता है, ऐसे में वे खुद को अकेला पाते हैं। तरन की शादी की उम्र निकलती जा रही है लेकिन वे उसकी शादी ऊँचे खानदान में करने की जिद पर अड़े हुए हैं। तरन की भी अपनी कुछ इच्छाएँ हैं, शारीरिक जरूरत है किन्तु इस पितृसत्तात्मक समाज में उसे अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति की भी आजादी नहीं है। हताश-निराश, अकेली, अपने आप में घुटती तरन के सूने जीवन में इंजीनियर बाबू हवा के उस ताजे झोंके की तरह हैं जो कुछ क्षण के लिए उसके सूनेपन को कहीं दूर उड़ा ले जाता है।

फिल्म की शुरुआत भी कहानी की भाँति तरन के दोपहर सोकर जागने से होती है। एक शाम इंजीनियर बाबू से मिलने के बाद तरन फैसला करती है कि "नहीं, वह कभी उस घर में वापस नहीं आएगी.... वह अपनी जिंदगी स्वयं जिएगी... उसे यहाँ अब रहने के लिए किसी का मोह पीछे नहीं खींचेगा....."¹

किंतु वह इस मोह से मुक्त नहीं हो पाती। दूसरे ही क्षण अपने अशक्त, अकेले, लाचार पिता को देखकर वह कातर हो उठी और उसने निर्णय लिया कि "वह अकेली रहेगी, किंतु बाबू की छाया से बँधी हुई।... और बाबू का अकेलापन हमेशा जिंदगी-भर उससे जुड़कर रहेगा। वह क्षण, जो आज शाम आया था, रेलवे लाइन के सामने, जब वह इंजीनियर बाबू के संग खड़ी थी, वह शायद गलत था, अपने संबंध में एक सुखद भ्रम से अधिक कुछ नहीं....वह क्षण फिर उसके जीवन में कभी नहीं आएगा।"²

'माया-दर्पण' फिल्म को देखने पर हम पाते हैं कि कहानी की मुख्य कथा को फिल्मकार ने ज्यों का त्यों रखा है। इसके अलावा फिल्मकार ने कुछ घटनाओं और पात्रों का सृजन भी किया है। जैसे तरन और इंजीनियर बाबू के बीच शारीरिक संबंध स्थापित होना, तरन के घर शंभु नामक एक नौकर का होना, काव्यात्मक पंक्तियों के माध्यम से तरन के मनोभावों की प्रस्तुति। ऐसी कई बातें हैं जो मूल कहानी में नहीं हैं। फिल्मकार द्वारा किया गया यह जोड़ और घटाव कहानी को फिल्मानुकूल बनाने के उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही किया गया है। जिससे फिल्म की प्रभावशीलता में वृद्धि हुई है।

2. पात्र एवं चरित्र-चित्रण के आधार पर तुलनात्मक समीक्षा-

कहानी के सभी पात्र फिल्म में यथावत् रखे गए हैं। हालांकि कहानी के एक पात्र दासबाबू का नाम बदलकर फिल्म में राजबाबू कर दिया गया है। इसके अलावा फिल्म में एक नये पात्र शंभु (नौकर) का सृजन फिल्मकार ने किया है। फिल्म के पात्र प्रभावशाली लगते हैं। तरन के मनोभावों की काव्यात्मक, संवेदनात्मक एवं मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। कहानी की तुलना में फिल्म की तरन अधिक मजबूत पात्र बनकर उभरी है। कहानी में तरन अपनी शारीरिक जरूरतों की ओर से मुँह मोड़कर अपने बूढ़े, बेबस, रूढ़िवादी पिता का साथ चुनती है जबकि फिल्म में इंजीनियर बाबू के यह कहने पर कि, “जरूरत को पहचानना ही स्वतंत्रता है।”³

तरन पूछती है कि यह पता कैसे चलेगा कि हमारी जरूरत क्या है? इंजीनियर बाबू उसे बताते हैं कि अपने घरे से बाहर आकर। तरन अपने घरे से बाहर निकल आती है। यह आत्मसजगता उसे पिता के और अपने बारे में सोचना सिखाती है। इंजीनियर बाबू का हाथ अपने सीने पर रखती हुई तरन कहती है- “मैं तुम्हारा हाथ सीने पर रख रही हूँ।”⁴ यहाँ ‘मैं’ बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह निर्णय इंजीनियर बाबू का नहीं स्वयं तरन का है। वह स्वयं को उन्हें समर्पित कर देती है। दोनों में शारीरिक संबंध बनते हैं। अगले दृश्य में तरन के चेहरे पर उदासी और अकेलेपन की पीड़ा की बजाय प्रफुल्लता दिखती है। इस तरह फिल्म परिवर्तित हो रहे मूल्यों को भी दर्शाती है।

3. संवादों के आधार पर तुलनात्मक समीक्षा-

मूल कहानी के अधिकतम संवाद फिल्म के अनुरूप ढालकर यथावत् फिल्मांतरित कर लिए गए हैं। इसके अलावा फिल्मकार ने कुछ नवीन संवादों की भी रचना की है, जिससे फिल्म में अधिक स्पष्टता एवं प्रभावशीलता उत्पन्न हुई है। तरन इंजीनियर बाबू से कहती है- “कभी-कभी घर के भीतर दम घुटने लगता है।”⁵ इंजीनियर बाबू का कथन है- “ऐसे ही हर चीज बदल रही है। हर चीज बार-बार बदलती रहेगी। शुरू में मैं डरता था फिर धीरे-धीरे जरूरी चीजों को पहचानने लगा। जरूरत को पहचानना ही स्वतंत्रता है।”⁶

तरन के यह पूछने पर कि इसके लिए क्या जरूरी है? ये पता चल सकता है? इंजीनियर बाबू उसे बताते हैं- “अपने से बाहर आकर। एक दिन अचानक लगता है कि हम खुले में आ गए हैं। यहाँ सब कुछ खुला है।”⁷

4. देशकाल व वातावरण के आधार पर तुलनात्मक समीक्षा-

पूँजीवाद के उदय के साथ परंपराओं, रूढ़ियों व जीवन-मूल्यों में व्यापक परिवर्तन घटित हुए। लड़ाई के दिनों में बनाए गए बैरक अब उखाड़े जा रहे हैं, मजदूरों के खोखलों के पीछे जो टीले हैं सड़कें बनने बाद उनको गिरा दिया जाएगा, रेलवे लाइन के पास की बंजर भूमि जोती जाएगी, नहर के दूसरी तरफ कारखाने बनेंगे। इस तरह देखते-देखते सबकुछ बदल जाएगा। देशकाल के अनुरूप ही पारंपरिक मूल्यों के क्षरण और आधुनिक मूल्यों के उदय के साथ-साथ उनके पारस्परिक टकराव को भी ‘माया दर्पण’ में उद्घाटित किया गया है। तरन अपनी शारीरिक जरूरतों को समझकर अपने प्रेमी से शारीरिक संबंध बनाती है। एक क्षण पहले यह निर्णय कर चुकी कि वह अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जिएगी अगले ही क्षण अपना निर्णय बदलती हुई कहती है- “वह अकेली रहेगी, किंतु बाबू की छाया से बंधी हुई।”⁸ दीवान साहब के रूढ़िवादी विचारों के कारण ही उनका लड़का उन्हें छोड़कर चला गया है। लेकिन फिर भी उनमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। इसकी पुष्टि बुआ के इस कथन से होती है- “लेकिन वे वैसे ही हैं जैसे पहले थे। कितना अभिमान है। तुम चली जाओगी तो भी उनका सिर नीचा नहीं होगा।”⁹

5. उद्देश्य के आधार पर तुलनात्मक समीक्षा-

‘माया दर्पण’ सामंती परिवेश में पली-बढ़ी जमींदार की बेटी ‘तरन’ की कहानी है; जो सामंती दंभ और रूढ़िवादी विचारों की जकड़न में फँसकर अकेलेपन की पीड़ा भोगती है। उसकी पीड़ा और बेबसी फिल्म में कहानी की भाँति बड़ी ही मार्मिकता से उद्घाटित हुई है। इस प्रकार ‘माया दर्पण’ कहानी का प्रभावशाली ढंग से सफल फिल्मांतरण हुआ है। और अगले दृश्य में अपने पैरों के पंजों को साड़ी के भीतर सिकोड़े बिना ही तरन अपने पिता के कमरे में प्रवेश करती है। अपने भय और संकोच के घरे से बाहर निकलती तरन अब अपनी जरूरतों को पहचानने लगी है।

माया दर्पण: भाषागत तुलनात्मक अध्ययन

कहानी की भाषा-शैली-

‘माया दर्पण’ कहानी में निर्मल वर्मा ने पात्रानुकूल, सहज, सरल व मार्मिक भाषा का प्रयोग किया है- “तुम यहाँ क्यों आई, तरन?– उनका गला भरा-सा आया, आँखों में कातरता छलछला उठी।”¹⁰ इसके साथ ही कहीं-कहीं दार्शनिकता का पुट भी देखने को मिलता है।

फिल्म की भाषा-शैली

कहानी का सिने-भाषा में रूपांतरण फिल्मकार ने कुशलतापूर्वक किया है। फिल्म की भाषा कहानी से मिलती-जुलती भाषा है जो पात्रों के अनुकूल है। अधिकांशतः संवाद यथावत् फिल्माए गए हैं इसके अलावा फिल्मकार ने नवीन एवं प्रभावशाली संवादों का सृजन भी किया है। जैसे इंजीनियर बाबू द्वारा तरन से यह कहना कि- “जरूरत को पहचानना ही स्वतंत्रता है।”¹¹

फिल्म भाषा की अपेक्षा दृश्यों में अधिक संवाद करती है। पात्रों के मनोभावों को अभिव्यक्त करने के लिए कहीं-कहीं फिल्मकार ने संवाद की बजाय उनके अभिनय का सहारा लिया है, जैसे तरन का अपने पिता के सामने जाने पर बार-बार अपने पैर के पंजों को सिकोड़कर साड़ी के भीतर छिपाना। इसी प्रकार तरन का अपनी माँ के बक्से से शादी के जोड़े निकालकर निहारना। उसकी वैवाहिक जीवन की कामना को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करता है।

निष्कर्ष-

मूल कृति एवं उस पर आधारित फिल्म की वस्तुगत व भाषागत आधार पर तुलनात्मक समीक्षा के दौरान हमने पाया कि कृति का यथावत् फिल्मांतरण नहीं हुआ अपितु उसमें आवश्यकतानुसार थोड़े-बहुत परिवर्तन हुए हैं और होना भी चाहिए क्योंकि यह दोनों दो अलग-अलग विधाएँ हैं इसलिए उनकी अपनी-अपनी सीमाएँ एवं संभावनाएँ हैं।

संदर्भ सूची

1. वर्मा, निर्मल, जलती झाड़ी, पृ.-43
2. वही, पृ.-45
3. फिल्म: माया दर्पण, 1972 ई.
4. वही
5. वही
6. वही,
7. वही
8. वर्मा, निर्मल, जलती झाड़ी, पृ.-45
9. फिल्म: माया दर्पण, 1972 ई.
10. वर्मा, निर्मल, जलती झाड़ी, पृ. 45
11. फिल्म: माया दर्पण, 1972 ई.

Rules of Natural Justice in the Illumination of Administrative Law

Ms. Ruchi Kaushik

Assistant Professor School of Law, Lingayas Vidyapeeth

Abstract

The concept of natural justice is fair and reasonable and it must be avoidable of Arbitrariness'. In public law, they are held implicit even in a contract between private parties. Principle of Natural Justice is an utterance which pre-owned for narrate the benchmark of procedural fairness of administrative process. Index Terms- Administrative Authority, Constitution, Natural Justice, Equality, since administrative law is a new field of the law, there are a lot of uncharted waters¹.

The author has made an effort to categorize the various and a collection of criteria that can be utilized to distinguish between the various administrative function kinds. The study then discusses the advantages and disadvantages of applying the concepts of natural justice to administrative activities after this categorization. After conducting this analysis, the author comes to the conclusion that administrative activities.

Introduction

The post-independence development is the expansion. The concept and state changed as a result of several socioeconomic and political developments, which was the most important factor in this spectacular evolution. Laissez-faire failed, which prompted a reevaluation of the position from state. It was advised that the state's operations not only broaden to address the new issues but also go beyond their conventional roles.

The ideology of socialism and humanitarianism increased the desire for government intervention area. This pressure prompts the state to start several social programmes. And the state started acting as the person's guardian in both his private and public life and resulted in an expansion of the scope of the state's powers. Administrative law as we know it now developed as a result of the administrative authority gaining more and more power. A subset of public law known as administrative law is primarily used to settle conflicts between citizens and the government, or public authorities. In which is based on justice and legally prescribed government.

Other than just those that are usually defined as Sovereign, the state performs several different sorts of functions. A broad range of discretionary power is granted to the authorities, their direct reports, and other agencies in order for them to carry out these duties in an appropriate manner. The desire humanitarian and socialist philosophy. The state starts a

lot of welfare measures as a result of this pressure. And the government started acting as the person's guardian in both in his personal and official life. Because of this, the scope of the state's powers expanded. The expansion of administrative law in its contemporary sense was a result of the administrative authority accumulating more and more power. On the one hand, the courts have the authority to interfere with something that the law completely forbids. However, the court has the power to step in because the authorities

While exercising its authority to accomplish a goal, it has done so in a way that is perceived as being unreasonable, irrational, or disproportionate². It's critical to know that the level of judicial review can change. Courts are increasingly adopting a flexible standard of review whose rigour varies based on the matter under consideration. When addressing the issue of administrative discretion, the Supreme Court emphasised how important it is when those principles of natural justice are violated.

Significance of Natural Justice

It offers everyone the chance to be heard equally: The second principle, Audi alteram partem, states that before making a decision, either both sides should be heard or one should be given the opportunity to explain himself. The parties should be given a fair chance. This principle gained prominence after the R v. University of Cambridge case, also known as the "Dr. Bentley Case"[5], in which Dr. Bentley's degree was revoked by the university because he disregarded the paperwork sent to him by the vice chancellor and said that he had behaved foolishly. The University of Cambridge was unable to cancel, according to the Court of King's Bench. Even God did not condemn Adam before he was given the opportunity to present his case, according to the judge Fortescue. As a result, "Right to Hearing" is a sine qua non and the ability to be heard is the first law of civilized jurisprudence as formed by Men & God.

Research Problem

The question of how much power an administrative authority actually uses arises when a statute or rule fails to provide any guidelines for how that authority may exercise its jurisdiction. The authority has decision-making authority when it is doing so.

To the adhere to natural justice's precepts. The aggrieved party always has the right to be heard when, even while there is silence over the proper course of action. The current study is to determine the extent of the administrative authorities.

Aims and Objectives

How is justice administered, and how fair is each situation? The following goals are set for the study's purposes:

- To assess the issues with broad discretion and the methods for controlling it, as well as to emphasise the significance of administrative discretion.
- To ascertain the extent.
- To determine trade trends in other countries such as the UK, US, and France Based on the principles of administrative discretion and natural justice.

Hypothesis

Authority in any modern state requires a certain amount of authority and Administrative discretion. Giving discretion is not a bad thing, but delegation Not specifying the parameter.

Methodology of the Study

This study explores concepts, principles, theories, and Cases and reports. Supreme Court judgments and textbooks, Journals, reports, case reports. Many cases have been referred to the High Court Participants from India and other countries will highlight their works³.

Growth and Development of Administrative Law

It was not until the turn of the century that it was recognised and developed as a field of public law. It is called the outstanding development of the 20th century. The main reasons for the development of administrative law transformation of the concept of the state, that is, a socio-economic and political change.

The failure of the laissez-faire system has brought about a shift in negative thinking. The concept of a police state in an active welfare state. increase the urban population has caused many problems such as overcrowding and unsanitary conditions. Summarise all living conditions, unemployment, labor exploitation, etc. National activities covered all aspects.

The civil servants, as administration can only operate according to the principles they recognise. Dharma was a broader term in England than the rule of law or duty. But America had no administrative law. The sense we learn it today. Administrative law is particularly important in India Building a welfare society has been proclaimed as a goal of the Indian Constitution. that is a management process was generated that led to further development. Administrative Law of India and People who oppose this abuse of power.

Rule of Law and Administrative Law in England

Dicey's rule concept includes three basic principles:

(a) Absolute Advantage or Ordinary Advantage Elimination. Dicey bases his argument on this principle, arguing that it is not French rule of law prevailing under the Droite administrative system. It established a separate administrative court to adjudicate inter-US litigation both the government and the people. Whereas in England the ordinary prevails. The court won.

Audi alteram partem or the rule of fair hearing

Audi alteram partem, or the notion of a fair hearing, is the second tenet of natural justice. It implies that no one shall be sentenced without being heard, and that the judging authority must act fairly. This rule states that a person must be given a reasonable opportunity before facing repercussions. According to this rule, the impacted party must be given the chance to present evidence in support of his claim. He should be informed of the evidence that will be used against him and given the chance to refute the other party's evidence.

Development of Administrative Discretion

Diseyan's formulation clearly states that Government should be limited. But dicey never develops a mechanism that: It would be appropriate to control executive power. There are good reasons for discretion, because discretion is important in any authority structure. Discretion does not exist or does not exist Inevitably and typically; it is somehow arbitrary and unlawful. The way in which they are exercised beyond what a detailed set of rules permits.

Administrative authorities have discretionary powers. it is inevitable on every level government and lies in insufficient discretion. authorities' matter Responsibilities should be given significant discretion to exercise Manage responsibilities effectively. Poor discretion is probably the bigger problem Excessive discretion⁴. When it turns out that the government

cannot run without them, the administration has discretionary powers, and it is necessary to design the legal system. Accordingly, how to limit this discretion in order to avoid the issue of discretion.

The third rule that has emerged throughout time states that any order passed impacting an individual's rights must be a verbal order. To prevent the potential of the action being arbitrary, this is necessary. A blatant order may be issued arbitrarily and irresponsibly without any justification. It serves as the justification for approving an order and verifies its arbitrariness. It is a step in achieving the goal of having the rule of law govern society.

The other component of the situation is that, in good faith, the party against whom an order is passed must be aware of the justifications for the order.

According to the ruling in Maneka Gandhi's case, it was against the rules of natural justice to withhold the justifications for seizing the petitioner's passport. Speaking orders must be issued for the orders against which appeals are made. Otherwise, the party who feels wronged is unable to convince the appellate authority that the order issued by the first authorities is flawed or violates the law. In these situations, naked directives effectively nullify the appeals process. It is true, nonetheless, that administrative authorities or tribunals are not permitted to issue specific orders similar to those issued by legal authorities. They might not be lengthy or extremely specific orders, but they must at least be issued for the orders against which appeals are made. Otherwise, the party who feels wronged is unable to convince the appellate authority that the order issued by the first authorities is flawed or violates the law. In these situations, naked directives effectively nullify the appeals process. It is true, nonetheless, that administrative authorities or tribunals are not permitted to issue specific orders similar to those issued by legal authorities. They may not be extensive or extremely thorough directives, but they must at least demonstrate that thought was put into them and specify the procedure by which a person is passed who is harmed, no matter how quickly. The minimum criteria mentioned above must be met; there cannot be any specific form in which the order may be passed. Our Supreme Court has frequently held that a speaking prohibition entail depriving a party of their right to appeal. Additionally, it has been ruled in some instances that the appellate authority must provide justification for the findings' reversal in addition to overturning the order.

Conclusion

Natural justice appeal panoramic to executive judgement. Its objective is to put a stop malicious and unjustness behaviour which are related to the inhabitant with make do the competent authorities.

A cornerstone of law, the idea of natural justice ensures that justice is administered in a fair and impartial manner. The prohibition against prejudice the Constitution of India contains a provision that codifies the idea of natural justice.

To safeguard public rights from arbitrary decisions by administrative bodies, the judiciary has adopted. It is vital to keep in mind that natural justice principles play a similar role in procedure as they do in holding the decision of the adjudicating authorities to be genuine. Natural justice concepts are outlined in Articles 14 and 21 of the Indian Constitution.

Footnote

2 Student of BA, LLB (H) Amity School.

3 AIR 1978 SC 851 (para 43)

4 AIR 1070 SC 150

Role of Restructuring of PSB'S in India's \$5 Trillion Economy

Dr. Ramveer

Assistant Professor, Department of Commerce, PGDAV College,
University of Delhi, Delhi, India.

Abstract:

Indian Banking is providing the world level quality of services to the customers. It's attracting millennial and young customers. Day by day several types of innovation and innovative ideas are applied for betterment of services to the citizens. Now, the world citizen's connectivity is fast and speedily with the help of Internet. So, we lived in global village. We required our banking facility and working like global standard. So that need for restructuring of our banking system and structure for fight in completion in the global platform. Smart banking is the today's requirement. For better service quality and increasing productivity of the assets, efficiently and effectively utilization of resources, by using advanced technologies such as- Collaboration tools, Artificial Intelligence (AI), Internet of things (IoT), and Machine learning(ML). Through the improving services facility with the quickly and speedily availability of services and reducing the waiting time of the customers The main aim of research paper is to study the role of restructuring of PSB's in India \$5 trillion economy on their performance. On one hand, PSB's are facing rigorous issue of increasing huge NPA's. NPA's is creating lot of problems in working of as well as developments and productivity of the PSB's. Due to that problem is negative impact of the working and adverse effect of leading. This study is purely based on the secondary data. The data derived from various online sources like website of RBI and website of PSB's. The performance of PSB's in teams of Advances, NPA's, Deposits, Net Profit and EPS, Interest Income, NII, during second decade of the 21st century.

Key words: Restructuring, Internet of Things (IoT), Artificial intelligence (AI) and Machine Learning (ML), and Digital banking.

Introduction:

The government of India taking several initiatives for economy growth such as reforms and development policy introduced by RBI as well as Ministry of finance in banking sector and finance sector. Recently in banking scoter are merged PSB's. The numbers of public sector banks are reduced 27 to 12. That is the structural changed or restructuring of PSB's. This process of government take positive decision for achieving the economy progress and development because the Indian population demanding more funds. That fund comes from the banking channels and borrowing from banks. The PSB's are the landscape of Indian economy. The banking sector of Indian economy is going through major changes, progress and development. The role of restructuring of PSB's in India's \$ 5 trillion economy is very

crucial as one of the leading and essential service sector. Now it is second largest country on the basis of population about 1.36 crore population. Nowadays, India's service sector is contributing more than half of the Indian GDP and the banking is most population service area in India. The significant role of restructuring of PSB's is essential to speed up the social economic development. The PSB's are playing a Major role in the economic development of developing economies, developed and undeveloped economies. Economic development and India's \$5 trillion economy involves investment in various sector of the economy. India is the most unequal society in the world. In any economy in this world are depending on the finance and financial institutions for development, business and day to day activities for performing task. Public sector banks are covered the economy more than 70 per cent. India will need to build world –class deep tech capabilities especially in service sector. The financial sector plays a major role in modern economies and banks are the corner stone of the financial system. They mobilize savings for investment; create opportunities to developing and growing our financial as well as banking sector. The role of restructuring of PSB's in Indian economy is greater. Day by day role is increasing in the rapidly growth of the economy and business activities in the country. The banking sector playing crucial role in development of industrial and environment for providing funding to borrowers. The most of the country and his business sectors are moving to India for investing and establishing global industry. So that India is biggest platform to world economy. The government also helps to investors for stating investment providing chiefs rate lands and electricity. Each and every economy of the world depends on the financial sector as well as banking sector. Without finance we are not fulfil our demands and wishes or comments. Banking involves each and every step of human life as well as economy development with the help of money we better or superior to others. Banking sector is vital role for economic development. Now, my research paper based on PSB's of the India, Banking sector is the old as human life of the earth. Since ancient time, the banking sector performs the task in better way and to reduce the cost of service and to increase the profit of the organization. Government of India is developing very good infrastructure for logistic support, new roads and high ways are being constructed to improve the connectivity across India which will drastically reduce transportation time to Ports and cities. For this type of activities needs for money. Thus, PSB's providing the facility and availability of funds for development of Indian economy. The roles of restructuring of public sector banks are increased day by day. The banking sector more focus to the centre of the economic activities of a nation. A strong and healthy banking system is essential for economic growth. The economic growth depends on the healthy and soundness banking sector and financial system of country.

Review of Literature:

In the Indian economy, the public sector banks playing crucial role for developments and progress of the economy without help of PSB's the economy cannot more and not grow in future because finance is the life blood of the economy. The public sector banks providing larger scale loans and advance to the economy. The market players have increased entry level barriers have erased. The economists and researchers have reorganised for soundness of banking positions with improving productivity and profitability and financial performance of banks. The banking sector is the main pillar of the economy of the any country. A paper that summarizes recently published development on a topic, without adding new data.

Uppal, R. K (2017)¹ in his research on the topic of "Banking with technology a new vision-

2020” They analysis the comparative efficiency of Indian banking sector in the way of customer satisfaction, profitability, productivity, costs, service quality and employees satisfaction. He find out his study digital banking reduce the working time and work stress of employees, they should be feeling relieved and like that technology.

Singh, Prof. Bhagirath and Sharma, Dr. Mukesh (2018)² “they find out that about 40 per cent of Indian’s lack seen even to the simplest kind of formal financial services. Government of India took initiative of financial inclusion for the achievement of inclusive growth in the country. The study also analysed the impact of literacy, income, card, education”.

Jayaraman, T. K. & Sharma, Ajeshni (2018)³ they try to analysis the India’s financial system as well as banking system is going through a crisis of unprecedented nature since 2010. Negative progress and performance of banks rising stress on public sector banks.

Jha and Bhome (2014)⁴, they are attempting to highlight the strategic aspects of green banking, opportunities and challenges faced by green banking in India. He found the more green banking initiatives as compared to ICICI Bank.

Georage, Binija (2015)⁵ his focus on the recent trends of banking sector is the back bone of banking in Indian has been through a long journey. He said “Today banking is known as innovative banking”. They said that public sector banks play crucial role in the development of undeveloped and developing economies by mobilization of resources and their better allocation.

Laxman, Dr. Vishnu (2018)⁶ his study based on technology available banking sector. This study specify the area of such as “Technology banking in Kerala: Socio – Economic Disparities and Implications in Advance” she find out the technology basically has certain in built problems as it is changing from time to time which make it unaffordable for certain sections.

Research Gap:

The PSB’s are day by day decreased profit margin as well as rapidly increase non-performing assets (NPA) and more time consuming at the tie of dealing customers. Thus customers are unsatisfied due to the employees performance are very poor and very low accuracy of the records. These are the problem of my research paper. These problems influenced the restructuring concepts in banking sector. The public sector banks launched the new products and services to the customers so need for restructuring of public sector banks.

Objectives Of Research:

- To study the structural changes in PSB’s in India.
- To find out the role of restructuring of PSB’s in India.
- To analysis the impact of restructuring of PSB’s in India’s \$ 5 trillion economy.
- To evaluate the restructuring effects on the profitability, productivity and efficiency of the employees of PSB’s.

Purpose Of Study:

The aim and purpose of this research paper is to investigate the relationship between restructuring effectiveness of PSB’s in terms of performance, productivity, profitability, efficiency and soundness.

Period Of The Study:

The present research study has been seven years from year 1st April, 2015 to 31st March, 2021.

Limitation Of Research:

This research paper is related to the PSB's only. The secondary data, which used for this research paper is based on annual reports of PSB's and RBI. The quality of this research depends on quality and reliability of data published in these reports. The main limitation of the study is based on six years' time duration from 2015 to 2021. There is no specific reason for this duration of data randomly taking that period for this research paper. There is the possibility of further updating of this research paper because of updating in future.

Research Methodology:

The researcher is used analytical and comparison methods in his research paper. This paper focus on the idea of restructuring of PSB's in India. In context of India's \$ 5 trillion economy particularly about the PSB's with the quantitative as well as quantitative tools for analysis of data collected from primary and secondary sources. Primary sources will include the documents and reports of government organisation such as RBI and PSB's. The secondary sources are includes – books, research articles, magazines, newspaper, websites etc. the results will not reflect the strength and weakness of the bank on the whole and is not an indication of the future. The research paper is intended to cover a six time span from 1st April, 2015 to 31st March, 2021 for analysing the effectiveness of restructuring in Indian Public Sector Banks. The data are obtained from the reports and annual reports of the PSB's and RBI bulletin or website.

Hypothesis of the Study:

The government commitment to restructuring the highly regulated PSB's appears strong. This has increased the profitability and efficiency of PSB's in India. The research hypotheses are trends of RoA, trends of RoE, trends of deposits and loan and advances. Trends of NPA are the indicator of banking sector progress, development and growth of banking business as well as economy progress and prosperity.

Restructuring of Public Sector Banks in India:

Reserve Bank of India (RBI):

Reserve Bank of India is the central bank of our country. It is the banker's bank of India. The main role is to guide, control, regulate and supervise banking sector and Indian economy. It is banker to the Government and bankers bank. It is deal with only institutions of finance and banks.it issues currency notes, regulates money supply, decide the monetary and credit policies, regulates, controls and maintains foreign exchange of the country. Also maintains foreign exchange of the country.

Public Sector Banks in India:

Public sector banks are whose control and ownership under the Government control. The higher authority are appointed or nominated by central government. These banks totally dedicated for public welfare and reached the last men of country. The main task of public sector banks is providing service to the society, not to make profit. Public sector banks will have to improve their efficiency. PSB's have been permitted to lay down policy of

accountability and responsibility of banks officials. The PSB's continued to be dominant part of the financial system. It seems there is a case for bringing greater uniformity in the structure of interest rates of cooperative banks and there by evolving an all India pattern for the PSB's system as whole. The enormous increase burden of NPA's in the loan accounts. These activities have made the Indian banking experience a unique one. Thus, all the PSB's which issued shares to private shareholders have been listed on the exchanges and subject to the same disclosure. As on 31st March, 2015 there were 26 Public Sector Banks in India. Now, today have only 12 Public Sector Banks in India. According the data after 2015 several types of changes and restructuring of PSB's. The number of banks is reduced by the merger and actuating. It is the restructuring PSB's effects on the economy as well as growth of the Indian economy.

The structure of PSB's has changed. In 2015, the total public sector banks are 26 in numbers but after 2015 reduced number of PSB's in India. In 2015, were 26 PSB's includes SBI (1), Associate Banks of SBI (6) and Nationalised Banks (20). In 2019, reduce the number of PSB's. They are remaining only 12 Public Sector Banks – such as SBI (1) and Nationalised Banks (11). In 2021, the PSB's are 12 only. They are providing facility and fulfil financial requirements of the world population. The reducing of PSB's due to the intention of government is building the global level financial institution. They provide more funds to borrowers as well as provide and cover largest business area. Other intention is reduce the NPA's stress from PSB's. Nowadays, Indian economy is third largest economy in the world. Our highest ranked bank- is State Bank of India lowered rank 55th in the world and is the only single bank to the ranked in the global top 100 banks. The style of working of PSB's are changed from motor and breaks to click order banking. We are moving without carrying hard cash in own pocket because easily doing payments of the customers or any seller of goods. We are moving without hard cash or purse with us. The type of hard cash is day by day reduced in the banking system. Plastic card and online transaction covered the more space in banking sector. Plastic card facilities as well as online transaction facility are save the money as well as save the time of consumers as well as bank employees. Only we, keep our plastic card (Debit cards and credit cards) with us for doing the any type of transaction and anywhere in the world economy. That is the safe and secure. Smartly transfer and quickly transaction, less time consuming, both side customer as well as financial sector. Mostly transfer money one account to another account within the help of electronic clearance. These types of methods are helping in reducing transaction cost as well as traction time. That facility helps also raising the efficiency of banks employees with raising productivity of the employees. It means the current time is the customer centric. Every minute banking regulatory and banking authorities improving the facility of customer with smartly provide service within second.

The bank set up the central processing centres for financial inclusion for rural loans, scale up coverage of micro insurance among banking customers. According to the O. P. Chawla⁷ said in his book “Banks capital ratio improved to Basel requirements and ratios of provisions against NPA's improved consequently, the published financial strength and profitability of PSB's seemingly improved.” The government while announcing the latest merger plans for PSB's did say the boards of banks shall get more freedom in the selection of independent directors and in deciding the role of board members. Among the measure were allowing banks to appoint chief risk officers at market –linked remuneration. In banking sector as well as financial system involves the social media for alternative solution for reaching millions customers. One study find out on average spend about 2.4 hour daily on social media⁸. The social media help banks in reviving the working style as well as business

policy. Social media used in customer grievance redress management conflicts between the manager's and lower level employees as well as customer's.

Role of Restructuring of PSB's:

Banking restructuring all over the world has two forms- the market approach route and government intervention method. Restructuring options means change the present structure in the new way of change in the banking policy, working in the working culture change in the capital requirements, governance and change in the managerial system, regulation and supervision and either change in the product and service of banking. Present status of the bank, may be change then impact of other stockholder of the organization.

- In April 2017, SBI merges five of its associate banks and one more to enter the list of top-50 banks of the world economy. Merged with parent, and to enter the global top 50 banks list in terms of size. The associate banks are SB of Hyderabad, SB of Bikaner & Jaipur; Bhartia Mahalia Bank; State Bank of Travancore; SB of Mysore and SB of Patiala.
- In 2017, the proposal by the government to consolidate ten PSB's into four large banks is expected to increase efficiency and reduce the cost of lending.
- From April 2019, Vijaya Bank and Dena Bank had become a part of Bank of Baroda.
- From April 1, 2020 Punjab National Bank (PNB), Oriental Bank of Commerce (OBC) and United Bank of India are merged and to form the nation's second –largest lender.
- After the mega merger of ten banks into four, the numbers of public sector banks in India were reduced from 27 banks to 12 banks. This decade has inarguably remained the most eventful for the banking industry ever- perhaps even more than the bank nationalization drive in the year 1970's.
- The Union Bank of India were amalgamated with Andhra Bank, and Corporation Bank.
- Allahabad Bank Merged with Indian Bank. Banks needed to be recapitalized in a new economy- both for growth need and for taking care of losses due to bad debts.
- The government has infused Rs. 3.43 lakh crore in PSB's since 2014.

Data Analysis of Public Sector Banks:

YEARS	ROA%	INDICATION	ROE%	INDICATION
2015	0.46	-	7.76	-
2016	-0.07	Decrease performance	-3.47	Decrease
2017	-0.10	Decrease performance	-2.05	Negative sign
2018	-0.84	Decrease performance	-14.62	Very poor performance due to the raising negative performance
2019	-0.65	Very less improve performance	-11.44	Improve positions from previous year to current year
2020	-0.20	Better position of PSB's	-4.2	More improve
2021	0.30	More better performance of PSB's	4.7	Wonderful improvement of PSB's from negative to positive.
Source of data: RBI website.				

Source of data: RBI website.

Soundness of PSB's:

PSB's support and strength of their capital position and also improved their asset quality, liquidity and leverage ratio. The number of banks under the Reserve Bank prompts corrective action (PCA) framework reduced from four at end –March 2020 to one at end September 2021, reflecting bank level as well as overall improvement in PSB's soundness indicators.

Resources raised by banks through private placements. PSB's raised 20 number of issues with amount raised Rs. 29.573 crore in the financial year 2019-20 and 36 number of issues with raised amount Rs. 58.697 crore in the financial year 2020-21.⁹ These indicators are showing the soundness of public sector banks. It means restructuring impact on the PSB's is positive. The PSB's helped to achieved \$ 5 trillion economy. The RBI created the Enforcement Department in the year 2017 for entrusted with ensuring uniformity and consistency in enforcement of regulating and engendering compliance in regulated entities (RE's). During 2020-21, the number of instances of impositions of penalty reduced, with enforcement action being PSB's- 29 instances of impositions of penalty and total penalty Rs. 36.1 crore in FY-2019-20 but in the FY 2020-21- instances of impositions of penalty is 4 and amount of penalty Rs. 9.5 crore. This is reduced amount as well as number of penalties, they indicating the strong position of banks and better improvement of PSB's.

Impact of Restructuring of PSB's in India's \$ 5 Trillion Economy

Changes in organization structure had to be accompanied by changes in systems and process, role definitions, inter faces within the organization and the external environment. The restructured massive training and coordination with line management; many public sector banks have undertaken organization restructuring and achieved different levels of success.

Mobile smart phones have also made a paradigm shift on banking working and social behaviours. That mobile phone is playing bigger role to build strong relationships to reduce costs and to keep strengthening the brand. The payment system of public sector banks adopted the electronic infrastructure in the country to accept payment through cards. Most vexing problem faced by Indian banking system and outstripping recoveries. Separation of NPA's is an important element in a comprehensive bank restructuring strategy in a comprehensive bank restructuring strategy.

Findings:

- Reduced the number of PSB's from 26 to 12.
- The quality and services of PSB's is now better and turning customer friendly.
- Round the clock banking, anywhere banking and digital access brought the customer and banks together all the time.
- The footfall of routine banking operations has come down. Now branches are engaged in increasing customer based by providing a diversified range of value – driven services. According to the research paper it was found that technology has paved a huge way for banking sector.
- Increasing efficiency and competitiveness.
- The research paper found the need of data analysis expert for the data analytics skills for betterment of the banking sector. Also required task force to monitor higher value NPA accounts of the PSB's.
- Resources raised by banks through private placements. PSB's raised 20 number of issues with amount raised Rs. 29.573 crore in the financial year 2019-20 and 36 number of issues with raised amount Rs. 58.697 crore in the financial year 2020-21

- In FY- 2020-21, the number of instances of impositions of penalty reduced, with enforcement action being PSB's- 29 instances of impositions of penalty and total penalty Rs. 36.1 crore in FY 2019-2020 but in the financial year 2020-2021- instances of impositions of penalty is 4 and amount of penalty Rs. 9.5 crore. This is reduced amount as well as number of penalties, they indicating the strong position of banks and better improvement of PSB's.

Conclusion:

Public sector banks are the main pillar of the economy. Traditional banking style as well as system and working not suitable for development of the economy, so need for restructuring of PSB's; mobilisation of deposit is output of the banks and on other it is input for the credit. A sound financial institution are the required for economic development. After the restructuring of PSB's, they achieved higher goals and target of the business. They achieve higher levels of productivity. The entire exercise of the financial sector reforms is aimed at improving profitability by improving efficiency and productivity. The survival and sustain in the complexed and competition of business environment. Only few banks are survival on the basis of profit margin and more interest income. Now that data and points described the performance and profitability and productivity of the PSB's. The public sector banks had adopted the loan origination software for customer services. Loan business rose very fast. The loan customers required fast and quicker service. The PSB's increasing their speed for better and fast service for achieving the \$ 5 trillion economy target. For achieving target need a efficiency and to improve customer service, the organizational structure is helped to achieved targets or goals of the economy. Technology helped in operational restructuring. Operational restructuring had to be revamped to use the synergy of technology. Public sector banks first moved to computerising banking operations to stay competitive and be able to offer banking services with better operational restructuring. Data centres were created to pool management information system to have a better grip on the monitoring of business growth. They could effectively move towards reducing operational cost and establishing better customer connect. The RBI too supported PSB's in introducing the changes to the operational restructuring of transactions., passbook maintenance, interest calculations on loans and deposits, customers records reconciling payments and cash withdrawals with some of them moving to bank offices under operational restructuring. So that, restructuring of PSB's are playing crucial role to achieve the \$ 5 Trillion economy

References:

Books:

- Uppal, R. K. (2017); "Banking with Technology A New Vision 2020", Bharti Publications, New Delhi.
- RBI- Feasibility trends and Progress Reports-June 2022
- Speech by Shri Shaktikanta Das, Governor, RBI, Delivered at the Bank of Baroda's Annual Banking Conference in Mumbai on July 22, 2022
- Chawla, O. P. (2019) "Evolution of Banking System in India since 1900", SAGE, New Delhi, p.p-246
- Global Web Index's Social Media Trends 2019 report
- Nath, Rachna "Sustainability is good for business as well as the planet"; Guest View, Mint, New Delhi, October 21st, 2022; 3/3; p.p-15.

- Uppal, R. K. (2017) “Banking with Technology: A Vision 2020” Bharti Publications, New Delhi.
- Singh, Prof. Bhagirath and Sharma, Dr. Mukesh (2018) “Socio- Economic Status and Financial Inclusion: A Study of Pratapgarh district of Rajasthan” Indian Journal of Accounting , Vol. 50 (1) June, 2018
- Jayaraman, T. K & Sharma, Ajeshni “Measurement Banking Efficiency In India: An Empirical Study of commercial Banks” Indian Journal of Accounting, Vol. 50 (1) June, 2018
- Jha, N and Bhome, (2014), “A study of Green Banking Trends in India” International Monthly Referred Journal of Research in Management & Technology, (5) 2, p.p-127 - 142
- Georage, Binija (2015) “Recent trends in banking sector – challenges and opportunities” International Journal of Current Research, 7 (10), p.p. 21913-21915
- Laxman, Dr. Vishnu (2018) “Technology Banking in KERALA: Socio-Economic Disparities and Implications in Acceptance” SERIALS PUBLICATIONS PVT. LTD.; New Delhi.

Government Publications & Magazines

- Report on Trend & Progress of Banking, Reserve Bank of India, Mumbai, 2014-15
- Report on Trend & Progress of Banking, Reserve Bank of India, Mumbai, 2015-16
- Report on Trend & Progress of Banking, Reserve Bank of India, Mumbai, 2016-17
- Report on Trend & Progress of Banking, Reserve Bank of India, Mumbai, 2017-18
- Report on Trend & Progress of Banking, Reserve Bank of India, Mumbai, 2018-19
- Report on Trend & Progress of Banking, Reserve Bank of India, Mumbai, 2019-20
- Report on Trend & Progress of Banking, Reserve Bank of India, Mumbai, 2020-21
- IBA Bulletin, Indian Banks Association, Mumbai

News Papers:

- The Hindu, New Delhi,
- Business Standard, New Delhi
- Mint, New Delhi

(Footnotes)

- ¹ Uppal, R. K. (2017) “Banking with Technology: A Vision 2020” Bharti Publications, New Delhi.
- ² Singh, Prof. Bhagirath and Sharma, Dr. Mukesh (2018) “Socio- Economic Status and Financial Inclusion: A Study of Pratapgarh district of Rajasthan” Indian Journal of Accounting , Vol. 50 (1) June, 2018
- ³ Jayaraman, T. K & Sharma, Ajeshni “Measurement Banking Efficiency In India: An Empirical Study of commercial Banks” Indian Journal of Accounting, Vol. 50 (1) June, 2018
- ⁴ Jha, N and Bhome, (2014), “A study of Green Banking Trends in India” International Monthly Referred Journal of Research in Management & Technology, (5) 2, p.p-127 - 142
- ⁵ Georage, Binija (2015) “Recent trends in banking sector – challenges and opportunities” International Journal of Current Research, 7 (10), p.p. 21913-21915
- ⁶ Laxman, Dr. Vishnu (2018) “Technology Banking in KERALA: Socio-Economic Disparities and Implications in Acceptance” SERIALS PUBLICATIONS PVT. LTD.; New Delhi
- ⁷ Chawla, O. P. (2019) “Evolution of Banking System in India since 1900”, SAGE, New Delhi, p.p-246
- ⁸ Global Web Index’s Social Media Trends 2019 report
- ⁹ RBI- Feasibility trends and Progress Reports-June 2022

Human Diet And Dietary Pattern In Purnea District

Mrinal Kumar Verma

PGT, NET, MA, BED

Abstract:-

In this age of globalization, the food habits and nutritional behaviour have been changing. The relationship between food and globalization is relatively a newer topic of research. Many of the agricultural products reach the consumers as processed food produced by the food industry. Dietary habits are habitual decisions a person makes when choosing what food to eat. Dietary choices can also define cultures and play a role in religion. In addition, the dietary pattern of different countries and regions have different characteristics that arose from the influence of several factors, such as geographical location, age, old tradition and customs. Geographical environment determines food availability of food materials like crops, vegetables, fruits, fish and animals, Physical landscape like soil, climate, vegetation, water bodies are related to diet and dietary pattern. Physical environment of the study area, Purnea district is differ to other parts of the state. Thus, a need remains to analyse the impact of geographical environment on diet and dietary pattern of Purnea district. Purnea district is situated in the sub-tropical zone total parts of the district is covered by fertile alluvial soil. Purnea district is an agricultural area. Rice, wheat, maize, are main food crops and jute, banana, oil, seed, pulses are main cash crops.. Important food materials in the district are White rice, Boiled Rice, Half boiled rice, Chakki Auta, Packet auta, Arhar, Masoor, Mung, Gram and Bakla are common pulses. Dal-Bhaat is popular in the study area. Boiled rice and Mung dal are common. Generally Hindu families are vegetarian and Muslim families are non-vegetarian. Popularities of fast food, Readymade food, and Hotal supply food among people of the district is in ascending trend. Dietary pattern of Purnea is related to the food habit of human being.

Key words – diet, dietary pattern, dietary habits, vegetarian, non-vegetarian, fast food.

Study Area:-

Study area, Purnea district is an integrated part of kosi plain situated between 25°13' 08" to 25°27' 59" N latitude and 86° 06' to 87° 08' E longitude extending over an area of 3229 square km with a total population of 3264619 as per 2011 censes. The district is bounded on the north by Araria and Kishanganj district, on the south by Katihar and Bhagalpur district, on the east by Kishanganj and north Dinajpur district of with Bengal and on the west by Madhepura district. It consists of 4 sub-division and 14 community development blocks, 3 towns and 1296 villages.. Purnea is the chief town and headquarters of the district.

Purnea district is an integrated part of the Kosi plain, a sub-region of Middle Ganga Plain. Study area is situated in the sub-tropical zone. Average annual temperature is 25°C and average annual rainfall is 110 mm in the district. In the ancient period, Purnea was covered with dense forest. (Purn Aranya)

Methodology

Methodology is the formulation of systematic and logically coherent methods for search for knowledge. A method is a system of explicit rules and processes. A geographical problem can be studied with different approaches. A researcher may take into consideration the phenomenon as a whole and describe it as it exists or may wish to analyze it by its components in measurable or quantifiable terms. The former approach is termed as qualitative approach and the latter is known as quantitative approach. Data collection and application is an important aspect of methods of study. Both primary and secondary data will utilize in this research. Primary data will be gathered by scholar during field survey of the study area and secondary data will be collected from publishes like Gazetteers of Purnea, Census handbook of Purnea . Suitable maps and diagrams will be prepared by cartographic techniques.

Hypothesis

The hypothesis derived from theories is termed as research hypothesis or working hypothesis. Available literature is considered as the major source of hypothesis. The chief characteristics of a usable hypothesis are that it must be empirically testable. Once we formulated the problem for research, we proceed to formulate tentative solutions or answer to it. There proposed answer or solution constitute the hypothesis which the researcher need to test on the basis of facts, which are to be collected in the course of our field work. The following hypotheses have been tested in this research.

1. dietary pattern is related to the food habit of human beings.
2. Geographical environment determines food habit of peoples of the study area, Purnea district.
3. Dietary pattern is related to the religion.
4. Rice, Pulses(Dal), Vegetables, Milk product are common food materials in the district.

Diet and Dietary Pattern

A healthy diet is a diet that helps maintain or improve overall health. A healthy diet provides the body with essential nutrition like fluid, adequate food energy, macronutrient and micronutrient. A healthy diet is essential for good health and nutrition. It protect against many chronic non-communicable diseases, such as heart diseases, diabetes and cancer. There are seven essential factors for a balanced diet like carbs, protein, fat, fiber, vitamins, minerals and water.

Table given below shows the proportion of balanced diet for adult person.

TABLE NO-01		
Proportion of Balanced Diet		
SL. NO	FOOD MATERIALS	PERCENTAGE
01	Cereals, Bread,	30
02	Vegetables	25
03	Fruits	20
04	Meat, Fish, Egg, Milk	15
05	Oil, Fat, Sugar, Sweets	10
	Total	100

Table given below shows food pyramid for balanced diet.

TABLE NO-02 Pyramid of Balanced Diet		
SL. NO	FOOD MATERIALS	PROPORTION
01	Cereals, Bread, Potatoes	06 or More Portions
02	Vegetables & Fruits	05 Portions
03	Milk, Cheese and Yogurt	03 Portions
04	Meat, Fish, Egg, Nuts	02 Portions
05	Oil, Fat, Sugar, Snacks, Drinks	Very Small Amount

Table given below shows the balanced diet proportion –

TABLE NO-03 Proportion of Balanced Diet		
SL. NO	FOOD MATERIALS.	PERCENTAGE
01	Vegetables & Fruits	40
02	Fiber Rich Carbohydrates	25
03	Protein	25
04	Fats	10
	Total	100

It is general suggestion of dietitians.

Eat Most: Cereals and Whole Grains

Eat More: Fruits and Vegetables

Eat Moderately: Dairy Products, Meat, Fish, Eggs, Beans

Eat Less: Fat, Oil, Sugar, Salt.

Drink 6-8 glasses of fluid (including water, weak tea, and soup) everyday.

Nutritionist recommended balanced diet for the man and women

Table no.04	
Food Group	
Select More	Rice and Alternative 5-7 serving per day
	Fruits/Vegetables 2 serving per day
	Meat and Alternative 2-3 serving per day
Select Less	Fats, Oil, Sugar and Salt use in small amount

The Indian diet is rich in nutritious food like grains, lentils, healthy fats, vegetables, dairy. And fruits. The diet of most Indian people are heavily influenced by religion, particularly Hinduism. The Hindu religion teaches nonviolence and that all living things should be valued equally.

A healthy eating pattern includes fruits, vegetables, protein, dairy, grains, and oils. A healthy eating pattern limits saturated fats and trans fats, added sugars, and sodium.

Four Common Types Of Eating

The four types of eating habits:

The four types of eating habits are: Fuel, Fun, Fog, and Storm.

- Fuel eating is when you are eating foods that support your body and its needs.
 - Fun eating is eating any foods that you love to eat that don't necessarily give you anything back.
 - Fog eating is any time you eat without awareness.
 - Storm eating is being eating out of control.
1. Fuel Eating- Fuel eating is when you are eating foods that support your body and its needs. This is clean eating. Eating real, whole, natural, minimally processed foods that provide you with energy and nourishment and feel good in your body. You want to eat fuel food 80% of the time. This is known as healthy food and suitable for sound health. There is no side effect of this type of eating.
 2. Fun Eating- Fun eating is eating any foods that you love to eat that don't necessarily give you anything back. In other words food that tasted great and you enjoy but don't offer any real nutritional value like cake, chips, pizza, burger, snakes etc. You want to pay careful attention when eating fun foods as to be sure you are receiving the pleasure that they provide. This could look like one small treat a day or two fun meals a week. The rule with fun eating is that you must enjoy each bit. This type of eating is very popular in young age group.
 3. Fog Eating:- Fog eating is any time you eat without awareness. You are munching on chips without even tasting them, you are sucking on your kids peanut butter and jelly crusts, while making lunch, you even realize how much you ate and don't even remember what is tasted like. Fog eating is not enjoyable or purposeful, it is an unconscious much that we are not even aware we are doing. The goal is to never to eat. This type of eating is not suitable for sound health for any persons.
 4. Storm Eating- Storm eating is binge eating or eating out of control. This type of eating is dangerous for health. It causes obesity and several diseases.

Dietary Pattern in Purnea District

Dietary pattern or food habit in Purnea district is divided according to religion and economic status. Hindu families have mixed dietary pattern like vegetarian and non-vegetarian. But Muslim families like non-vegetarian food. Hindu families are divided into sects like Kabirpanthi, Gayatri Parivar, Santmat, Arya Samaj, . They are pure vegetarian. Other Hindu families have mixed food habits like – Vegetarian and Non-vegetarian.

Vegetarian thali incorporated with Bhat(Rice) Dal (Pulse) and vegetables. Milk, milk products and Seasonal fruits like apple, orange, mango, guava, banana, are very common in vegetarian families. Other Hindu families use both vegetarian and non-vegetarian thali. Muslim family often use non-vegetarian thali with Bhat, fish, chicken, mutton, and Egg kari. Hindu families like Dahi-chura, with gur or sugar in breakfast. Muslim families like Murhi- Dalna in breakfast. In urban and market areas like Purnea, Kasba, Banmankhi, Baisi, Amour, Srinagar, Dhamdaha, there are many hotels. These hotels are supplying both vegetarian and non-vegetarian thali. Vegetarian hotels mentioned on their board 'Vaishanava Hotel' and non-vegetarian hotels mentioned on their board 'Mansahari Hotel'.

Dietary Pattern in Hindu Families

Hindu families begin their daily early morning with tea and biscuits, breakfast with Murhi-Dalna or Murhi-Ghughuni, Chura-Dahi, Sattu; lunch with bhat (boiled rice), dal(pulse), sabji(vegetable) as vegetarian and boiled rice with fish or mutton or chicken. Preparation of mutton with boiled potato is very common in Purnea. Fish with bringle and jhingali is also common but chicken is prepared separately. They usually use spices and dry chilli in huge proportion. Mustard oil is very common food oil in Hindu families. Barbhujia and Jhal-Murhi are very popular in evening breakfast. Puri-Jalebi and Litti-Chokha are very popular as Nasta materials in markets of Purnea. There is difference in dietary pattern in economically higher families and economically lower families. Poor families have not consumed breakfast, they directly take Bhat-Sabji as lunch. In night people take roti-sabji(home made bread and vegetable) with kheer, milk. Hindu families are divided into sects like Kabirpanthi, Gayatri Parivar, Santmat, Arya Samaj, . They are pure vegetarian.

Dietary Pattern in Muslim Families

Dietary pattern in Muslim families in Purnea district is different from Hindu families. Non vegetarian food is common in Muslim families. They begins their diet with Tea-Biscuits in the morning. Ghughuni-Murhi is common breakfast in Muslim families. Lunch in the day time is Boiled rice with fish or chicken or Egg curry. Amlet –Murhi or Amlet-Chura is very popular in the afternoon breakfast in muslim families. They take more tea in comparison with Hindu families. Muslim families utilize more mustard oil, dry chilli, garlic, onion than Hindu families.

Conclusion

Dietary pattern is related to food habit of human beings. Geographical environment impacts dietary pattern of district. Physical environment provide food materials. Purnea district is the heartland of Kosi plain, an integrated part of the middle Ganga plain. According soil type and fertility and also weather condition rice, wheat, maize, mung are common crops in Purnea district. Common food materials in the study area are Rice as Bhat(boiled rice), Wheat as Roti(bread) Mung as Pulse. Vegetable like potato, tomato,bringle, onion are common. Milk and milk products of cow and buffalo is mostly used by vegeterians. Mutton, chicken, fish, eggs are common non-vegeterian food materials. Dietary pattern is also related to religion. Non vegetarian food is most common in Muslim families. Socio-economic condition of Purnea district are impediment for balance and nutritious diet among people.

References/ Bibliograpgy:

1. Vidyarthi, L.P.(1979): Changing Dietary Pattern and Habits: A Socio-Cultural Study of Bihar , Concept Publisher, New Delhi.
2. Baghel, G.S.(1995): Geography of Human Resources , Mohit Publications, New Delhi.
3. Mishra, R.P.(1970) : Medical Geography of India , N B T New Delhi.
4. Nagla, Madhu(2020): Sociology of Food, Rawat Publication , New Delhi.
5. Acharya, K. T.(1998): Indian Food:A Historical Compassion, New Delhi, Oxford Publications,Bombay.
6. Nagla, M.(2007), "Feeding the Family in India: A Approach to Household Food Consumption", International Journal of Consumer Studies, 31,Pp.295-302.
7. Tyagi, D.S.(1990), Managing India's Food Economy:Problems and Alternatives, New Delhi , Sage Publications.

Freedom Fighter and Educationist Pandit Taranath (1891-1942 AD)

Dr. Bheemanna Ghanathe

Assistant Professor in History, Government Women's First Grade College,
Jewargi Colony, Kalaburagi

Abstract

Pandit Taranath was a great patron of art and education. Pandit Taranath was not only Journalist, Educationist, doctor In Ayurveda, freedom fighter but also great writer. It was through the efforts of Pandit a great awakening appeared in Hyderabad Karnataka districts. Through relentless campaigns, public speeches and revolutionary articles, Pandit Taranath inspired the people of Hyderabad Karnataka to revolt against Nizam tyranny.

Keywords: Nizam government, Humdard Middle School in Raichur, Sulabha Chikitse, Deena Bandu Kabir, Hyderabad Karnataka.

Introduction

Pandit Taranath was one of the great revolutionary sons of Karnataka. He had become almost a legend in his own life time. What Swami Vivekananda did for India in his capacity as social revolutionary, Taranath did the same for the Hyderabad Karnataka. He served for the protection of Kannada land and language, art and culture. He was well versed in fourteen languages and was a thinker, teacher, Guru Yogi, Artist, Actor, Doctor and so on. All these virtues moulded in a single star called "Pandit Taranath"

Taranath was born in Mangalore on 5th June, 1891. His father Rangarao, was a Saraswat Brahmin and mother name was Rajeevamma. He had a brother and three sisters. He got his traditional education by his mother and was greatly influenced by the personality of Lord Manik Prabhu of Humnabad. The art of acting and music were taught by his father in his childhood. But at an early age Taranath lost his parents and had to take care of his family. There by his family moved to Hyderabad from south Canara. Taranath completed his intermediate course and joined the medical college, where he got fame as the pet disciple of vice Principal Dr. Abdul Gani and he successfully completed his medical education

Immediately after completion of his medical degree he was appointed as Science teacher in Bidar. He refused to accept the invitation of the Nizam to come over to the Darbar and teach the children of the last Nizam Mir Osman Ali Khan Bahadur as it would amount to an act of accepting the Nizam's tyranny. Pandit Taranath made rousing speeches on the maladministration of Nizam and earned his displeasure. When he was transferred to Raichur in 1916, he quit the teaching job in Nizam government and joined the freedom struggle. He

became a disciple of Tilak and Gandhi. A case was filed by the Nizam police on Pandit Taranath on the ground that he was preparing the hand bombs.

Pandit Taranath opened a dispensary at Raichur to serve the poor people during the outbreak of Cholera and Plague in 1922-23. A staunch rationalist, Taranath united the Hindus and Muslims of Raichur district to wage war of crusade against casteism, untouchability and superstitions. As early as in 1920 he collected funds to help Khilafat movement led by its national leader Moulana Shoukat Ali but this act made him feel as a traitor by the Nizam state. As part of Khilafat movement Rao Bahadur was arrested by the Nizam in Arcot district of Tamil Nadu for his public speech. Taranath supported the deeds of Bahadur and lettered to the Nizam. His discourse on the Upanishadas and Geeta enlightened and encouraged Hindus to imbibe the spirit of patriotism, indomitable courage, self-confidence and vitality to build new India on democratic lines. By these actions, he emerged as a popular spokesman of the masses.

Taranath was an intellectual freedom fighter and great journalist; he was well versed in fourteen languages, so he decided to start the art of journalism. In 1924 he published the paper namely "Prema" with intention to teach the medical sciences and enhancing knowledge among his student community. The paper Prema was published for the period of quarterly in English and Kannada Languages.

Pandit himself wrote many articles on superstitions, child marriage, position of widows, and against illegal activities of the contemporary society. He traced special sign on the letter writing linguistic styles. He sent many articles on art, literature, music and revolutionary articles to the numerous Kannada magazines. The articles entitled 'Duty of the Age', 'Religious Liberty', and 'The Nizam as Indian Dyer' and others were published in the Hindu, Daily mail and Swaraj and in his own famous Journal Prema created a new band of workers around him fight for self-rule. His plays such as Deenabandukbir, Insaf and Mohnastra in Hindi created a wave of protest by public against the fanatic forces in Nizam's territory. The Government of Nizam expelled him from the territory for revolutionary ideas. Hence, he settled at Premayatana of Ramapur village on the bank of river Tungabhadra and it is 30 kilometres from Raichur, it was belonged to Bellary district in the Madras presidency of British India.

Taranath was great patron of art and education. In 1920 he was started Humdard Middle School in Raichur, he was pioneer of new education which he described it as *Nai Talim*. This National school was a potent force in bringing about national regeneration through training the youths on self-reliance, truth and love for nation. He was the first in the state who taught the students value of weapon of strikes and on how to act collectively. He criticized Nizam for accepting Nazarana from the people. He instigated the people to de-recognize the Nizam government by refusing to pay Nazarana.

Dr. Manik Rao the pleader of Raichur writes that the Hamdard School aims at uniting the Hindu and Muslims not as the politicians have done it, but on the strength of commands of their own respective prophets and sages to make the culture glitter. He gave importance to mind building instead of material building in the premises of Humdard. Pandit Taranath was not only Journalist, Educationist, freedom fighter but also great writer. He has written Nisarga and Devara Maga short stories Dharma Sambhava and Tayandirige (To the Mothers) collection of research articles on social work, Sulabha Chikitse are the works on medicine and Ayurveda, Deena Bandu Kabir, etc. The value of contribution by Taranatha lies in the

fact that when people in the state could not dream of freedom openly, Taranta exposed the slave running tendency of the Nizam and told the people in unmistakable terms to be up and rising. It was through the efforts of Pandit a great awakening appeared in Hyderabad Karnataka districts.

Reference

1. Nayawadi Y H ; Pandita Taranath ; A Study of Social Religious Reforms, Mysore, 2003. (Unpublished article)
2. Pandit Taranatharu (Kannada) by Laxmidevi Shashtri Prasaranga, Gulbarga
3. University, Gulbarga, 1997.
4. T.V. Adivesha: Life and Achievements of Pandit Taranath,
5. Guruprakash B Hugar ; Significance of Literature and Press in Freedom and Unification Movement of Hyderabad Karnataka (1890-1956). (Unpublished Theses)
6. Venkatesh Sangli: Hosagannadada Punnya Purusharu, (Kannada)
7. Basamma Shivasangappa: Role of Educational and Cultural Institutions in the movement of Freedom and Unification in North Karnataka. (Unpublished Theses)
8. Karma Veera: Kannada Weekly
9. Nagarika: Kannada Weekly Journal.
10. New India: English Weekly
11. Prabuddha Karnataka
12. Samuktha Karnataka: A Kannada Daily from Hubbli

A Study of Factor Influencing Online Shopping Behavior with Special Reference to the People of Bihar

Abhijeet Raj

PhD Research Scholar Department of Management Sciences, Maharaja Vinayak
Global University, Jaipur, India

Abstract

In order to better grasp the potential of online marketing, this study analyses the elements impacting the online buying behavior of different cities in the State of Bihar, India. A total of 211 participants filled out a questionnaire designed to collect information about their demographics and their motivations for shopping online. Statistical methods like factor analysis and correlation analysis are employed to uncover the interconnected web of elements that shape our propensity to buy things online. The findings showed that factors like trust, convenience, perceived risk, and price all played a beneficial role in influencing consumers' propensity to shop online. where factors like low cost and easy availability encourage consumers to do most of their purchasing online.

Keywords: Internet User, Online Shopping, Online Shopping Behavior, Trust, PU

1. Introduction

Since the internet has evolved into a worldwide network for information exchange and distribution, it has become an invaluable marketing tool that facilitates trade on a global scale. (Kearney, 2015) reports that online retail sales reached almost \$840 billion in 2014, which is more than the combined revenue of all traditional retail channels. \$695 billion dollars in 2013. Online shopping has huge potential, as evidenced by the consistent growth in sales. Businesses large and small can learn from the operations and success of e-commerce giants like Alibaba, Tencent, Amazon, Groupon, etc., which have inspired many corporations to abandon traditional storefronts in favour of online marketplaces (Kearney, Online Retail is Front and Center in the Quest for Growth., 2013). Despite the growth of e-commerce worldwide, Malaysia fell from the 30th spot in the Top 30th Global Retail E-Commerce ranking in 2015 to the 61st position in 2017.

Because there is no face-to-face connection during online purchases, understanding customer behavior can be challenging. (Mukherjee & Nath, 2007). As a result of the massive time and money spent trying to understand internet shoppers, retailers have progressed nothing in their knowledge of consumer habits. Even though both the public and commercial

sectors have worked hard to advance the online shopping platform, most consumers still prefer to purchase in physical stores.

Since 2005 (Ramayah & Ignatius, 2005) More over half of the people polled in a linked study by IPSOS Open Thought Exchange (2012) said they would rather shop at a physical store than online. 63 percent of internet users in the United States, for example, would conduct an online search before buying traditional consumer electronics online, but only 50 percent of internet users would go through with the purchase (NPD Group, 2011).

2. Review of Literature

2.1 TRUST and online shopping behavior

There are many ways that trust can be defined and quantified in the literature. For example, privacy protection can be defined as the ability to give users control over what happens to their personal data (Bhattacharjee, 2002) or perceived credibility can be defined as the degree to which one party believes that another party has the knowledge and skills to carry out a task competently and reliably (Cho, Kwon, & Lee, 2007). According to (Pavlou, 2003), consumers' trust in e-commerce is the belief that permits them to become vulnerable to the online sellers while knowing little to nothing about them beyond their reputations for goodwill and legitimacy (honesty, reliability, and integrity). According to (Min, Ji, & Qu, 2008), there are two sub-entities that make up the entity of trust: trust in technology and trust in service providers. According to (Bhattacharjee, 2002)'s analysis of e-commerce services, trust in service providers means ability - the user's perception of provider's competencies and knowledge relevant to the expected behaviour - and integrity - the user's perception that the service providers will adhere to a set of principles or rules of exchange acceptable to the users. Trust in technology refers to technical protocols, transaction standards, regulating policies, and payment systems.

2.2 PERCEIVED USEFULNESS and Online shopping behavior

Since its inception in 1989 when Davis first used this phrase (Davis, 1989), perceived utility has been a central construct in many of the proposed models for the adoption of new technologies. Also, it has seen extensive use in the research of mobile commerce. Perceived usefulness is positively correlated with m-commerce behavioral intention, as shown by studies such as (Jayasingh & Eze, 2015), (Kalinic & Marinkovic, 2016). It has been established (Hanafizadeh, Behboudi, Koshksaray, & Tabar, 2014), (Sharma, Govindaluri, Al-Muharrami, & Tarhini, 2017) and confirmed that the perception of utility influences the uptake of mobile banking and mobile coupons, respectively. Perceived utility has a beneficial effect on behavioral intention regarding m-services, as proven by (Zarmpou, Saprikis, Markos, & Vlachopoulou, 2012) and (Chen & Chen, 2009) [19], respectively. Perceived usefulness in this study is defined as the extent to which an individual believes that making purchases online from their mobile device will improve their productivity at work. A mobile gadget is sequentially beneficial if the m-user has a favorable belief in the presence of a use-performance connection.

2.3 Convenience and Online shopping behavior

New consumers are less likely to complete a purchase if they must deal with cumbersome processes, such as money transfers or cards not being accepted. As a result, eCommerce platforms should leverage the Internet's wealth of data, accessibility, and ease to provide a buying experience that is both comfortable and familiar to consumers (Li & Kuo, 1999).

Regular shoppers need to be able to make purchases quickly and easily on the site, like those made on Amazon with their one-click checkout system (Bellman, Lohse, & Johnson, 1999). It is recommended that designers keep the web interface simple, that products be easily searchable (Raijas & Tuunainen, 2001), that text be succinct and short to aid scan ability through informative headlines, that white space be used judiciously, that there be multiple levels of headings with colour text as visual cues, that the web page consume less memory, download faster (Sin & Tse, 2002), and that it be In their messaging, marketers should emphasize topics like saving time, ease of use, quick responses, and the absence of hassles associated with traditional buying.

2.4 Price and Online shopping behavior

Since product price is a major consideration for consumers when making a purchase decision, the web store should not charge more than the local brick and mortar competitors. Researchers have found that online shoppers are less likely to buy when prices are greater (Vrechopoulos, Siomkos, & Doukidis, 2001). Customers shop online because they offer a wide variety of goods at reasonable prices (Khan, Liang, & Shahzad, 2015). Offering a “purchase online, pick offline” option is one way for stores to attract customers and keep costs down. Because of this, customers will be able to avoid spending money on shipping and handling (Close & Kukar-Kinney, 2010). If shipping costs can be reduced, more people will be eager to make purchases from online stores (Liao & Cheung, 2011).

3. Objectives of the Study

- To examine the effect of trust in online shopping behavior.
- To analyse the impact of perceived usefulness in online shopping behavior.
- To evaluate the influence of price in online shopping behavior.
- To study the significance of convenience in online shopping behavior.

4. Research Methodology

The present study has conducted the research on to measure the impact of trust, perceived usefulness, convenient and price with online shopping behavior among the people of Bihar. The descriptive resigin has been done to measure the study. Questionnaire were distributed through email and it is the best option to reach the maximum number of people in less time (Sekaran & Bougie, 2016). The data were collected from 220 respondent out of which 9 respondents have missed some value. The total of 211 questionnaire has been collected for the study and Table contains the demographic profile of the respondents.

Table: 1. Demographic details of the respondents

<i>Demographic</i>	<i>Sample %</i>
AGE	
Below 20 years	5
Between 21-30 years	65
31-40 years	25
41-50 years	5
Marital Status	
Married	35
Unmarried	65

Education

Post-Graduation	55
Graduation	25
PhD	2
Others	18

Income per annum (in rupees)

Up to 2 lacs	35
2-5 lacs	45
5-10 lacs	15
10 lacs-15 lacs	5

Nature of employment

Government employee	15
Non-government employee	65
Business	10
Others	10

5. Data analysis and Interpretation

To collect the data a structured questionnaire has been made. The sample of 220 people of Bihar has been taken from different cities of Bihar. After removing the incomplete responded questionnaire, the sample of total 211 respondents has been used for further analysis. The questionnaire was filled through survey method by meeting the potential respondents face to face.

5.1 Sample profile

The profile of the respondents has been reported in the Table: 2. There are total 211 respondents. Out of which 130 are male and 81 are female. Most of the respondents are post graduate (55% respondents have post-graduation degree; 25% respondents are graduate; 15% are intermediate; 3% are senior secondary and rest 2% are doctorate holder). Most of the respondents have fall under the age group of 21-30 years which is 65% followed by 31-40 which is 25%; 5% of respondents are higher than 41 years and rest 5% are below 20 years of age. There are 65% of respondents are unmarried and rest 35% are married. Nature of employment is mostly dominated by Corporate Job nearly 65% followed by government job which is 15%; respondents who are doing business are 10% and rest 10% falls in the category others.

Table: 2 KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		.939
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	3264.601
	df	300
	Sig.	.000

5.2 KMO and Bartlett's test

KMO and bartlett's test is the first step is to identify variables. It confirms the homogeneity of the factor items and reliability acceptance. If KMO value is equal and more than 0.5 and value of significance for the bartlett's test is .05% then the minimum requirement is fulfilled

(Kaiser, 1974). The value of KMO and bartlett's test is .939 and it satisfy the minimum threshold. The KMO test confirms the data is suitable for factor analysis.

The overall significance of correlation matrices is tested with bartlett's test of sphericity and approx. chi-square is 3264.601.

Table:3 Results of EFA

Factor	Statements	Factor loading	Cronbach alpha
Trust	I hesitate to give my personal information on online websites	.502	.837
	Online Shopping is risky	.741	
	I feel monetary transactions in online shopping is safe	.737	
	I feel online shopping transactions' outcome is closed to my expectations	.718	
	I feel the terms of use are strictly followed while buying via online devices	.689	
Perceived Usefulness	I think you save time when you buy via online devices	.698	.874
	I think buying via online would increase my effectiveness	.690	
	I think buying products and services via online devices are cheaper	.689	
	I think buying via online devices would increase my usability	.659	
	I think buying via online devices would increase my productivity.	.679	
Convenient	I think shopping online takes less time	.776	.892
	Online shopping is convenient as compared to traditional shopping	.775	
	It is easy to shop on the internet.	.712	
	I believe online shopping can overtake the traditional shopping	.708	
	I prefer online shopping than traditional shopping	.612	
Price	Online shopping offers competitive prices	.698	.855
	Online shopping offers discounts and rewards.	.690	
	I dislike the idea of shipping charges when buying online.	.689	
	I would shop on the internet if the prices were lower	.659	
	Online shopping provides me good value at the same price.	.679	

5.3x Cronbach Alpha

Internal consistency of any data is checked by Cronbach alpha. Cronbach alpha are estimated for all the factors individually. (Field, 2013; N. Malhotra., 2006) Cronbach alpha is greater than .6 is good and acceptable. Cronbach alpha is greater than .8 for all the four factors. Convenient factor have highest Cronbach alpha which is .892 followed by perceived usefulness which is .874 and price and trust have .855 and .837 respectively.

5.4 Factor loading through EFA

Factor loading is estimated for factor rotation and extraction. It is applied using principal axis factor. There are four factors identified in this paper which is Trust, Perceived usefulness, Convenient and Price. Factor loading is greater than .45 is acceptable in literature (Field, 2013; N. Malhotra., 2006). All the factor loading is greater than .45 which approves the literature.

5.5 Correlation between Trust, Perceived Usefulness, Convenient, Price with Online shopping behavior.

Table 4: Relationship between Trust, PU, Convenience, and Price and Online Purchasing Behavior (5). All significant correlations between variables were found at the .01 level. The examination of correlations shows that there is a positive link between social influence and online shopping behavior (.537). (Pearson, 1920).

Table: 4 Correlations

Table: 4 Correlations						
		Trust	Per_Use	Con	Price	O_S_B
Trust	Pearson Correlation	1	.652**	.582**	.585**	.537**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000
	N	211	211	211	211	211
Per_Use	Pearson Correlation	.652**	1	.658**	.620**	.622**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000
	N	211	211	211	211	211
Con	Pearson Correlation	.582**	.658**	1	.584**	.632**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000
	N	211	211	211	211	211
Price	Pearson Correlation	.585**	.620**	.584**	1	.676**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000
	N	211	211	211	211	211
O_S_B	Pearson Correlation	.537**	.622**	.632**	.676**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	211	211	211	211	211

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

The connection between perceived usefulness and online-based purchasing decisions was analyzed by means of a Pearson correlation coefficient. The findings demonstrate a positive correlation between perceived utility and online-shopping behavior, at .622 level. Yet, it is fair to say that those with higher PU engage in more Online buying.

Correlation analysis was used to determine the strength of the link between convenience and online purchasing behavior, and the findings indicate that convenience positively influences online shopping behavior by a degree of .632. Yet, it does appear to have characteristics consistent with online shopping behavior.

Finally, we calculated a degree of connection between price and online purchasing activity of .676, suggesting that price can potentially encourage online shopping behavior.

6. Limitations of the study

The present study has certain limitations. First, the current study was done on different class of people, it might not be relevant for higher income of people. Second the sample for the study is too small and third the study is limited to Bihar only, it does not cover the different cities of India. The questionnaire is adopted from the different literature and author.

While this study has limitations, it does suggest that more qualitative research on the topic of online buying behavior in relation to employment status, gender inequality, and employment status is warranted. The research relied on both primary and secondary sources, each of which has its own limitations, which ultimately led to the study's findings. One might lessen the constraints and expand the sample size for more research.

7. Conclusion of the study

The current study adds significantly to the growing body of literature on the topic of consumer habits in the digital marketplace. It provides empirical evidence that trust, convenience, perceived risk, and price all play a role in influencing online customers' actions in a developing country.

In its focus on the role of trust, PU, convenient and price in predicting consumer behavior, this research is highly close. Young people represent a country's future and will be crucial participants in the development of the internet economy. This study provides more explanation for the correlation between intent to buy and online shopping behavior than any other study to date. It serves as a road map for future study, helping researchers capitalize on what works and eradicate what does not.

The research has some limitations, like the fact that it only looks at one state's cities as samples. Thus, it is recommended that in the future, researchers focus on selecting working people and including other variables that relate to online buying.

8. Implications of the Study

The current study put forward some important practical implication for the industry people and academicians. The industry personnel especially the marketing managers can focus more on price factor while framing their marketing strategy. The convenience can be next important factor which can be used by marketing team by incorporating prompt delivery service or on time delivery system. The company should try to build high level trust by communicating real and accurate information as the trust factor in influencing the online shopping behavior put forward the correlational value to be 50%. It has been well concluded by several researchers that higher level of trust can lead to customer loyalty. The academy can use the current study as a base to convoy the further research in the field of online shopping behavior. The academicians can incorporate controlled variables like age, gender and other demographic factors to study the relationship between the predicting variables over the outcome variable. Overall the study tries to add relevant information to the academic field through research study.

References

- A.T. Kearney., 2013. Online Retail is Front and Center in the Quest for Growth. Chicago: A.T. Kearney
- A.T. Kearney., 2015. The 2015 Global Retail E-Commerce Index: Global Retail E-Commerce Keeps On Clicking. Chicago: A.T. Kearney
- Bhattacharjee, A. (2002). Individual trust in online firms: Scale development and initial test. *Journal of management information systems*, 19(1), 211-241.
- Bellman, S., Lohse, G. L., & Johnson, E. J. (1999). Predictors of online buying behavior. *Communications of the ACM*, 42(12), 32-38.
- Cho, D. Y., Kwon, H. J., & Lee, H. Y. (2007, January). Analysis of trust in internet and mobile commerce adoption. In *2007 40th Annual Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS'07)* (pp. 50-50). IEEE.
- Close, A. G., & Kukar-Kinney, M. (2010). Beyond buying: Motivations behind consumers' online shopping cart use. *Journal of Business Research*, 63(9-10), 986-992.
- Field, A. (2013). *Discovering statistics using IBM SPSS statistics*. Sage.
- Kaiser, H. F. (1974). An index of factorial simplicity. *psychometrika*, 39(1), 31-36.

- Kaiser, H. F. (1974). An index of factorial simplicity. *psychometrika*, 39(1), 31-36.
- Khan, S. A., Liang, Y., & Shahzad, S. (2015). An empirical study of perceived factors affecting customer satisfaction to re-purchase intention in online stores in China. *Journal of Service Science and Management*, 8(03), 291.
- Liao, Z., & Cheung, M. T. (2001). Internet-based e-shopping and consumer attitudes: an empirical study. *Information & management*, 38(5), 299-306.
- Li, H., & Kuo, C. R. MG (1999). The impact of perceived channel utilities, shopping orientations, and demographics on the consumer's virtual buying behavior. *Journal of Computer Mediated Communication*, 5(2), 1-20.
- Min, Q., Ji, S., & Qu, G. (2008). Mobile commerce user acceptance study in China: a revised UTAUT model. *Tsinghua Science and Technology*, 13(3), 257-264.
- Mukherjee, A., & Nath, P. (2007). Role of electronic trust in online retailing: A re examination of the commitment trust theory. *European journal of marketing*.
- NPD Group. (2011). E-commerce and Consumer Electronics: Online Shopping and Purchasing". Washington: NPD Group.
- Pavlou, P. A. (2003). Consumer acceptance of electronic commerce: Integrating trust and risk with the technology acceptance model. *International journal of electronic commerce*, 7(3), 101-134.
- Pearson, K. (1920). Notes on the history of correlation. *Biometrika*, 13(1), 25-45.
- Raijas, A., & Tuunainen, V. K. (2001). Critical factors in electronic grocery shopping. *The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research*, 11(3), 255-265.
- Ramayah, T., & Ignatius, J. (2005). Impact of perceived usefulness, perceived ease of use and perceived enjoyment on intention to shop online. *ICFAI Journal of Systems Management (IJSM)*, 3(3), 36-51.
- Sin, L., & Tse, A. (2002). Profiling internet shoppers in Hong Kong: demographic, psychographic, attitudinal and experiential factors. *Journal of International Consumer Marketing*, 15(1), 7-29.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). Research methods for business: A skill building approach. John Wiley & Sons.
- Vrechopoulos, A. P., Siomkos, G. J., & Doukidis, G. I. (2001). Internet shopping adoption by Greek consumers. *European Journal of Innovation Management*, 4(3), 142-153.

Blockchain Technology as a Stepping stone Towards Responsible Artificial Intelligence in India- A Legal Analysis.

Yaman Kasturi

Prof. (Dr.) Eqbal Hussain *1

Abstract

We are on the cusp of the fourth industrial revolution in human history. Artificial intelligence, blockchain, robotics, and automation are just some of the technologies that hope to alter the current scenario. However, among them, the Blockchain Technology and the Artificial Intelligence stands out as a potentially transformative innovation because of its revolutionary nature. These technological advancements although made for convenience, can also turn violent if used without any regulation or at least ethics. Say for example plastics were once invented for making products more durable and long lasting, but no one knew about its limitations or the inventors were least bothered about the same. This is the point where we lack, because we usually tend to overestimate when it comes to management of technology. Talking about plastics, the globe is choking in it all around, hampering the entire ecosystems. Hence, it is inferred that technologies although made for human convenience, can prove fatal if left unchecked. Thus, the authors in this paper while delving deep into the path breaking technologies will also highlight as to how the Blockchain Technology can act as a stepping stone for implementing a *Responsible AI* ecosystem in India.

Keywords: Blockchain Technology, Artificial Intelligence, Law, Regulation, Responsible AI.

1. Introduction

In 1955 American scientist John McCarthy and a few of his friends began research into developing intelligent machines². McCarthy coined the term artificial intelligence for the first time in an AI conference in 1956³. The oldest definition by John Mc Carthy (1955) is one of the notable ones. He defined AI as- ‘a machine that could behave as though it were intelligent’⁴.

In India, the NITI Aayog has defined the term AI in its National strategy for AI as- “*The ability of machines to perform cognitive tasks like thinking, perceiving, learning, problem solving and decision making*”.⁵ Some define AI as – ‘*a discipline, which attempts to understand and then replicate intelligent behavior in machines*’⁶. The NITI Aayog has partnered with google to work on a range of initiatives to build artificial intelligence ecosystem across India⁷.

The objective is to augment capacity, health care, improve education and also built over all economic productivity of the country⁸. Elaine Rich defined AI as- ‘the study of how to make computers do things at which, at the moment, people are better.’⁹ After going through the above definitions, it can be concluded that the entire AI system may be grouped into four main categories, that are (i) *Act like humans*, (ii) *think like humans*, (iii) *think rationally*, and (iv) *act rationally*¹⁰. Not only in India, the entire globe has jolted with the vibrations of the technology, so much so that continuous efforts are being made on the global stage. In the year 2021, UNESCO came up with its first-ever global standard on AI ethics¹¹, which was adopted by 193 member states¹². The OECD brought its own AI policy¹³ which were built on the OECD AI Principles¹⁴.

On the other side of the picture is the Blockchain Technology which aims at bringing in transparency and trust amongst participants¹⁵. Equal efforts have been put to regulate the Blockchain Technology by both national¹⁶ and international bodies¹⁷. The Blockchain Technology can be defined as “*a kind of decentralized ledger technology which uses blocks to store any kind of data (or say transact), and are connected in the form of chains using cryptography as its core method*”¹⁸. The DLTs or Blockchain are of mainly four kinds¹⁹; *Public, Private, Consortium & Hybrid*²⁰. Basically, the term “blockchain technology” (BCT) refers to a subset of “distributed ledger technologies” (DLTs) that uses “blocks” to record and verify transactions between two parties²¹. They are characterized by their immutability (transactions and ledgers within them cannot be altered), trustlessness (no reliance on trusted third parties or intermediaries), borderlessness (they function on globally dispersed computer networks), and validation by a peer-to-peer network utilizing consensus algorithms²². The smart contracts executed on a blockchain can aid in reassuring the presence of responsible AI. The smart contracts are self-executory on a blockchain, which upon the fulfillment of the set conditions, execute on their own²³. In order to set up a less invasive AI, the blockchain technology can be the best solution of all.

2. Initiatives taken by the Government of India for Artificial Intelligence

In the year 2018, the Union government allocated funding for promoting research in AI²⁴. The budget also mentioned about the establishment of centres of excellence to invest in research, training and skilling in various areas including Artificial Intelligence under the aegis of the Department of Science and Technology²⁵. Further, making artificial intelligence (AI) in India and with India in mind is a key part of the government’s Make In India strategy (an endeavour to promote India as a worldwide manufacturing powerhouse)²⁶.

In August 2017, an Artificial Intelligence Task Force with ‘embedding AI in our Economic, Political, and Legal thought processes so that there is systemic capability to support the goal of India becoming one of the leaders of AI-rich economies’ was established by the Union Ministry of Commerce and Industry²⁷. Their March 2018 report focused on identifying 10 areas of significance for AI in India, with the overriding premise that AI is a scalable solution to socioeconomic problems²⁸. Industries such as manufacturing, agriculture, healthcare, technology for the disabled, national security, environmental protection, public utility provision, retail, customer service, and education are just a few examples. The paper set out to determine what the government’s function should be and how AI may be used to address large-scale issues. Among its many suggestions is the creation of a coordinating body to handle all things AI-related in India: the National Artificial Intelligence Mission.

In 2018, NITI Aayog teamed up with leading tech companies to launch AI initiatives in vital sectors like healthcare and agriculture²⁹. Based on its capabilities and qualities, India has the potential to become a worldwide leader in artificial intelligence (AI) with its own distinct brand of #AIforAI, which is the basis of this strategy plan.

In order to achieve the objectives of #AIforAll and fully realise the advantages of implementing AI on a large scale, the report highlights several obstacles that must be addressed³⁰. These include a deficiency in comprehensive expertise in AI research and application, a lack of accessible data ecosystems that support intelligent data, the high cost of resources and insufficient awareness of AI adoption, privacy and security concerns, including the absence of formal regulations surrounding data anonymization, and a dearth of collaborative approaches to AI adoption and application³¹.

Again in the year 2018, the Ministry of electronics and information technology formed four committees to further investigate on AI³². The four committees were the Citizen Centric Services, Data Platforms, Skilling, reskilling and R&D, Legal regulatory and Cybersecurity³³. Another major step is the FutureSkills PRIME, which is a MeitY-NASSCOM project³⁴. This B2C framework re-skills and up-skills IT workers in ten domains including AI. At present around 700,000 individuals have applied to the FutureSkills PRIME Portal, with 120,000 graduating³⁵. NIELIT/C-DAC Resource Centres taught 524 Trainers and 4292 Government Officials on these technologies. 8.9 lakh digital fluency badges have been obtained by 1.3 lakh unique learners. And the Deep-skilling courses have 36,528 students while AI Foundation courses have 47,744. The GOI has also launched the 'National AI Portal' (<https://indiaai.gov.in/>), a single repository of AI based initiatives in the Country at a single place³⁶.

For further empowering the masses in the real sense, various capacity building programmes have been promoted, namely, the 'Visvesvaraya PhD Scheme', the National Programme on Responsible use of AI specially for the youth³⁷, the establishment of the centre of Excellence for AI³⁸, the National Mission on Interdisciplinary Cyber-Physical Systems (NM-ICPS) for promoting R&D, the Responsible AI for social Empowerment (RAISE) organised by the Government of India. Not only this, the GOI has openly joined the league of leading economies including USA, UK, EU, Australia, Canada, *et.al.*, for the global partnership on AI³⁹.

3. How the Blockchain Technology can pave for *Responsible AI* in India

The innovations like AI are very likely to be misused, when it comes to intellectual usage. Although continuous mitigating steps are being taken in India to let the horizons of expand and not restrict its unprecedented growth in future. Currently, The Indian Patent Act, 1970 and the Copyright Act, 1957 as of now do not facilitate inventorship, authorship and ownership by Artificial Intelligence. Also, Section 3(k) of the Indian Patent Act, 1970 explicitly says that any mathematical/business method or a computer programme or algorithms run by AI are not patentable⁴⁰. What hinders the Patenting of AI and Machine Learning in India is the requirement to have a human inventor for innovating computer related inventions. Thus, in the 161st report by the parliament standing committee on Commerce for the review of the Intellectual Property Rights Regime in India (para 8.3), it has been stressed to review the provisions of both the legislations on a priority basis⁴¹. During the deliberations of the Committee, the various stakeholders also suggested that the Indian patent policies should provide protection for both AI-generated works and AI solutions to

foster innovation and research, which in turn contributes to creativity and financial prosperity⁴². It was suggested that rewarding the developer of an AI by providing legal protection for its creations (whether made autonomously or with human assistance and input) would encourage and excite the creator to think of more problems that might be solved using AI⁴³. The committee also looked into the matter from a 360 degree perspective and brought into focus the relevance and utility of the AI and Machine Learning. The committee recommended that a separate category of rights for AI and its related inventions and solutions should be created for their protection as IPR's.

India has been vocal about the use of AI in various sectors, but it is far from regulating it. A NITI Aayog paper proposed five areas (Healthcare, Agriculture, Education, Smart Cities & Infrastructure, and Smart Mobility & Transport) where AI can be useful⁴⁴. In that paper, the think-tank also noted the lack of regulation around AI as a major weakness for India⁴⁵. NITI Aayog while developing India's national strategy for AI, they emphasised on bringing in "*Responsible AI*". Responsible AI means it should be used ethically in a secure manner and the biases should be minimised⁴⁶.

On the one hand while the Blockchain has various potential applications in Industry 4.0, such as enhancing resilience, scalability, security, and autonomy. It can also be utilised to timestamp sensor data⁴⁷. A recent study indicates that Industry 4.0 and blockchain will have a substantial impact on future enterprise information systems⁴⁸. Blockchain further provides a secure and tamper-proof method for storing data and conducting value transactions, effectively addressing trust issues at the mechanism level⁴⁹. Also, it is welcomed in almost all the jurisdictions for its wide usage in bringing in data integrity⁵⁰, which is surprisingly the soul of the AI based systems. The coherence of both these path-breaking technologies can be a complete game changer⁵¹.

The use of AI with blockchain has grown over the past few years, but is still constrained by the pace of technological advancement in the field. Several industries might benefit from the use of AI, which would make their processes more streamlined and efficient, and blockchain, which could be used to securely store data because information is the "new currency" and thus must be protected⁵². The government has also conducted multiple research on the topic, and has concluded that AI and blockchain technology will play an important role in future growth as part of the E-Governance Mission⁵³.

The regulation of technology with the help of technology seems to be an attractive idea, often described as *Reg-Tech*⁵⁴. The digital record provided by blockchain can provide light on the architecture supporting AI and the provenance of the data it is utilising. The Blockchain Technology can help to enhance trust⁵⁵, which ultimately is crucial for bolstering confidence in the AI based ecosystems⁵⁶. Combining blockchain technology with AI has the potential to increase data security by creating an audit trail for the storage and distribution of AI models⁵⁷. Data integrity poses significant challenges for both users and developers within the AI community⁵⁸. Blockchain technology can ensure data integrity in AI-enabled systems⁵⁹. The utilisation of a distributed immutable ledger can even aid in preventing unauthorised access and data manipulation by potential hackers, as all transactions related to the data are securely recorded⁶⁰. Hence, we can see how the Blockchain Technology being decentralised in nature is a good alternative to the centralised data systems, which often leads to a chaotic result when AI applications are run on them⁶¹.

4. Conclusion

While India has been vocal about the use of AI in various sectors, it is still far from regulating it. A NITI Aayog paper proposed five areas (Healthcare, Agriculture, Education, Smart Cities & Infrastructure, and Smart Mobility & Transport) where AI can be useful⁶². In that paper, the think-tank also noted the lack of regulation around AI as a major weakness for India⁶³. NITI Aayog while developing India's national strategy for AI, they emphasised on bringing in "*Responsible AI*". Responsible AI means it should be used ethically in a secure manner and the biases should be minimised⁶⁴.

Several organizations have come up with ethical principles on AI. One of the best and intuitive are the Asilomar's principles (2017), which is a set of 23 principles⁶⁵. These principles very well established that the goal of research should be to not undirected AI pursuits but towards the benefit of mankind⁶⁶. Machine ethics is another new field which is concerned with giving machines ethical principles and moral values or procedure for discovering to resolve the ethical dilemmas they might encounter, mannered through their own decision making⁶⁷.

While admitting the dire need for regulating these *General-Purpose Technologies*⁶⁸, the technologies itself can be used as a stepping stone for one another. The potential of employing blockchain for AI regulation appears promising, yet there are obstacles that must be addressed. The challenges encompass scalability, energy efficiency, and the establishment of universally accepted regulatory standards for blockchain. As these technologies progress, it is probable that we will witness the emergence of novel solutions to address these challenges. The integration of blockchain and AI has the potential to enhance the safety and accountability of AI technology in the future. Blockchain has the potential to revolutionize the regulation of AI by promoting transparency, accountability, and decentralization. This transformative technology instills trust in AI, which is poised to redefine various aspects of our lives.

Thus, it can be succinctly concluded that the blockchain technology can in many ways contribute to bring in a *Responsible AI* ecosystem, such as the algorithms can be easily structured with the help of blockchain (one can choose the kind of blockchain according to their organizational set up) and minimum standards can be set for review and revision for algorithms⁶⁹.

Footnote

¹ *Research Scholar, Faculty of Law, Jamia Millia Islamia, New Delhi-25(Yamankasturi15@gmail.com)

Yaman Kasturi, is a recipient of Indian Council of Social Science Research Doctoral Fellowship, her article is largely an outcome of her doctoral work sponsored by ICSSR. However, the responsibility for the facts stated, opinions expressed and the conclusions drawn is entirely that of the author.

*Professor, Faculty of Law, Jamia Millia Islamia, New Delhi-25 (ehussain@jmi.ac.in)

² Dennis J. Baker and Paul H. Robinson (eds.), 'Artificial Intelligence and the Law' 1 (Routledge, Taylor & Francis Group, London and New York, 1st ed., 2021).

³ Simon Chesterman, "We, the Robots? Regulating Artificial Intelligence and the Limits of the Law" 1 (Cambridge University Press, U.K., 1st edn., 2021).

⁴ *Ibid.*

⁵ *Infra* Note 29

- ⁶ Major Aaron D. Kirk, 'Artificial Intelligence and the Fifth Domain' 80 *The Air Force Law Review* 187 (2019)
- ⁷ NITI Aayog, Google in partnership to grow AI ecosystem in India, *available at* <https://www.thehindubusinessline.com/news/niti-aayog-google-in-partnership-to-grow-ai-ecosystem-in-india/article23805535.ece> (last visited on 04/06/2021).
- ⁸ *Ibid.*
- ⁹ W. Keith Robinson, 'Enabling Artificial Intelligence' 60 (2) *Houston Law Review* 333 (2022)
- ¹⁰ Hallevy Gabriel, *When Robots Kill- Artificial Intelligence under Criminal Law 2*, Northeastern University Press, USA
- ¹¹ The main concern area is the protection of human rights (it consist of 10 core principle areas when it comes to human-rights centred approach, which includes Proportionality and Do no Harm, Safety and Security, Right to Privacy and Data Protection, Multi-stakeholder and adaptive governance and collaboration, Responsibility and Accountability, Transparency and Explain ability, Human oversight and determination, sustainability, awareness & Literacy and lastly, Fairness and Non-discrimination) and dignity including other extensive Policy Action Areas.
- ¹² UNESCO, "Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence" (2021)
- ¹³ The OECD AI Policy Observatory, an inclusive forum for public policy on AI, is focused on three primary traits namely: Multi-disciplinarily, Evidence-based analysis, and Global multi-stakeholder partnerships
- ¹⁴ OECD. AI, 'About OECD.AI' *available at* <https://oecd.ai/en/about> (last visited on 07/06/2021).
- ¹⁵ Alison Lui & Nicolas (ed.), "FinTech, Artificial Intelligence and the Law: Regulation and Crime Prevention" 126 (Routledge, 1st ed., 2021).
- ¹⁶ MeitY, "National Strategy on Blockchain: Towards Enabling Trusted Digital Platforms" (Dec, 2021).
- ¹⁷ World Bank Group, "Cryptocurrencies and Blockchain" (May, 2018).
- ¹⁸ Anne Rose, "GDPR Challenges for Blockchain Technology" 2(1) *Interactive Entertainment Law Review* 36 (2019).
- ¹⁹ The first one is a permissionless, open DLT, in which the users are allowed to access any data, anytime and anywhere. The public blockchain uses proof of work consensus method. The second type usually works through a restrictive network, which are uses with a few numbers of participants. Consortium Blockchains are pseudo-decentralized in nature meaning thereby more than one participant has the power to run programs, which can exchange information and do the mining. And lastly, the Hybrid blockchains are an amalgamation of both public and private blockchains, in which the nodes have full control over the data accordingly. They can either allow a particular set of data to be shared and the rest to be kept private accordingly.
- ²⁰ Ministry of Electronics & Information Technology, "Types of Blockchain" *available at* <https://blockchain.gov.in/types.html> (Last Visited on 18/09/21).
- ²¹ Meda Raghavendra, "Can Blockchain Technologies help tackle the opioid epidemic: A Narrative Review" 20 (10) *Pain Medicine* 1885 (2019).
- ²² *Ibid.*
- ²³ Court Uncourt, "Establishing Policies for Blockchain Technology" (2021).
- ²⁴ Ministry of Finance, 'Budget Speech of Arun Jaitley' (2018)
- ²⁵ *Id* at p 20.
- ²⁶ Make in India, *available at* <https://www.makeinindia.com/about> (last visited on 10/05/2022)
- ²⁷ Artificial Intelligence Task Force, *available at* <https://www.aif.org.in/> (last visited on 28/08/2022)
- ²⁸ *Ibid.*

- ²⁹ NITI Aayog, 'National Strategy for AI' (June, 2018).
- ³⁰ *Ibid.*
- ³¹ *Ibid.*
- ³² Surabhi Agarwal, 'IT Ministry has formed four committees for Artificial Intelligence: Ravi Shankar Prasad' *available at* <https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/policy/it-ministry-forms-four-committees-for-artificial-intelligence-ravi-shankar-prasad/articleshow/62853767.cms> (last visited on 25/04/2021).
- ³³ *Ibid.*
- ³⁴ Ministry of Electronics & IT, 'Artificial Intelligence' *available at* <https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1811372> (last visited on 03/05/2022).
- ³⁵ *Ibid.*
- ³⁶ *Ibid.*
- ³⁷ Ministry of Electronics & IT, "Vivesvaraya Ph.D. Scheme for Electronics & IT" *available at* <https://phd.dic.gov.in/> (Last visited on 07/08/21).
- ³⁸ Ministry of Electronics & IT, "Ravi Shankar Inaugurates NIC Command & Control Centre" *available at* <https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1559451> (Last visited on 10/11/2020).
- ³⁹ *Ibid.*
- ⁴⁰ Section 3 (k), The Indian Patent Act, 1970
- ⁴¹ Rajya Sabha, 'Review of the Intellectual Property Rights Regime in India' *161st Report* (2021).
- ⁴² *Ibid.*
- ⁴³ *Ibid.*
- ⁴⁴ Discussion paper on National Strategy for Artificial Intelligence, *available at* <https://niti.gov.in/national-strategy-artificial-intelligence>, (visited on 17/01/2020)
- ⁴⁵ *Ibid.*
- ⁴⁶ *Ibid.*
- ⁴⁷ Ling Li, "Blockchain Technology in Industry 4.0" 16(12) *Enterprise Information Systems* 1733 (2022).
- ⁴⁸ *Ibid.*
- ⁴⁹ Jing Chen, Xiaotie Deng, *et.al.*, "Blockchain Technology: Development and Prospects" 6 *National Science Review* 368 (2018).
- ⁵⁰ Michelle Alvarez, "A Comparative analysis of Cryptocurrency Regulation in the United States, Nigeria, and China: The Potential influence of illicit activities on Regulatory evolution" 25 (1) *ILSA Journal of International & Comparative Law* (2018).
- ⁵¹ Tendu Yogurtcu, "Data Integrity and AI: Why you need both to power trusted business decisions", *available at* <https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2021/12/29/data-integrity-and-ai-why-you-need-both-to-power-trusted-business-decisions/?sh=16888c2637d0> (Last Visited on 30/12/2021).
- ⁵² Safal Tom & Jefin Shaji, "Artificial Intelligence and Blockchain: The Tools of the Modern Era for Speedy Justice" 5(2) *International Journal of Law Management & Humanities* 216 (2022)
- ⁵³ Ministry of Electronics & Information Technology, "Promoting the Adoption of Cutting-edge Technologies to Create significant Economic and Societal Impact" *available at* <https://www.meity.gov.in/emerging-technologies-division> (Last visited on 10/10/2021).
- ⁵⁴ Jiang Jiaying, "Technology-Enabled Co-Regulation for Blockchain Implementation" 83(4) *University of Pittsburgh Law Review* 866 (2022).
- ⁵⁵ Jiaying Christine Jiang, "Regulating Blockchain? An Ex-Post Regulatory Impact Assessment of the U.S. Blockchain Regulatory Regime" 8(2) *Journal of Law & Cyber Warfare* 5 (2022).

- ⁵⁶ Since the records based on the Blockchain Technology are time-stamped, verified through various consensus mechanisms, it is easier for the regulators to audit the same as compared to the legacy systems.
- ⁵⁷ IBM, “Blockchain and Artificial Intelligence (AI)”, *available at* <https://www.ibm.com/topics/blockchain-ai> (Last visited on 05/08/2022).
- ⁵⁸ IBM, “How to build trust in AI with Blockchain Technology” *available at* <https://www.ibm.com/blog/build-trust-ai-blockchain-technology/> (Last Visited on 05/08/2022).
- ⁵⁹ *Ibid.*
- ⁶⁰ *Ibid.*
- ⁶¹ Mark Fenwick and Erik P.M. Vermeulen, “Technology and Corporate Governance” 48(1) *Texas Journal of Business Law* 14 (2019).
- ⁶² Discussion paper on National Strategy for Artificial Intelligence, *available at* <https://niti.gov.in/national-strategy-artificial-intelligence>, (visited on 17/01/2020)
- ⁶³ *Ibid.*
- ⁶⁴ *Ibid.*
- ⁶⁵ Rosario Girasa & Gino J. Scalabrini, ‘Regulation of Innovative Technologies: Blockchain, Artificial Intelligence and Quantum Computing’ 137 (Palgrave Macmillan, 2022).
- ⁶⁶ Future of Life Institute, ‘The Asilomar AI Principles’ (August, 2017).
- ⁶⁷ Steve John Thompson, ‘Machine Law, Ethics, and Morality in the Age of Artificial Intelligence’ 28 (IGI Global, U.S.A., 2021).
- ⁶⁸ Ethane Kane, “Is Blockchain a General Purpose Technology?” *available at* https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2932585 (Last visited on 28/02/2021)
- ⁶⁹ Anastasia Konina, “Regulating RegTech: The Benefits of a Globalized Approach” 25(3) *Lex Electronica* 113 (2020).

Indelible Imprints, Connected hearts: Unifying threads of Undivided India

Prof. Ravi Prakash Tekchandani

Professor, Department of Modern Indian Languages & Literary Studies,
University of Delhi

Dr. Neelam Mittal

Associate Professor, Department of English, Satyawati college (M),
University of Delhi.

Abstract:

India's independence from the British raj in 1947 has been a freedom fractured by the manoeuvres and the divide and rule policy of the coloniser, the impression of which is carried over to the present situation. Celebrating 75th year of independence, denominated by the honourable Prime Minister of India as 'Azadi ka Amrit Mahotsav', the Government of India's emphatic projection of the momentousness of this significant milestone is simultaneously an attempt at retrospection and introspection for reasons for the existing divisions, in a nation otherwise strongly gelled together by intersecting threads of language, literature, culture and society. This is also the reason that the 14th of August has been designated as the Partition Horror Remembrance Day by PM Modi. PM Modi volunteers a grand celebration of 75th year of Independence as Amrit Mahotsav, while remembering the partition of the country as a black spot in the history of the country: "Partition's pains can never be forgotten. Millions of our sisters and brothers were displaced and many lost their lives due to mindless hate and violence. In memory of the struggles and sacrifices of our people, 14th August will be observed as Partition Horrors Remembrance Day, May the Partition Horrors Remembrance Day keep reminding us of the need to remove the poison of social divisions, disharmony and further strengthen the spirit of oneness, social harmony and human empowerment." ("In Memory of Sacrifices & Struggles') The celebration of newly gained independence in 1947 witnessed the land called Hindustan divided by the shadow lines drawn on pieces of paper. Yet, there remains a core of undivided feelings nurtured in the hearts of the laymen, over and above the power politics of the establishment. The present paper dwells upon this undying, un-smothered, and perennial font of life nurtured in the heartfelt response of the common people, which finds articulation in strong narratives forming the collective consciousness of the Indian sub-continent. The paper addresses the question whether it is possible to divide the relics, the artefacts and the poets of the Indus valley heritage. Can we divide as 'mine and yours' the philosophers and their philosophy, the

heroes and their patriotism? In the backdrop of divisive politics, there exist the whimsicalities and the political ambitions of a few people out there to buttress their personal ambitions. On the contrary, the harmonious and unifying threads of the un-divided subcontinent are perspicuous in the powerful and resonant enunciations of the doyens of Sufi poetry Shah Abdul Latif, Bulleh Shah and Sachal Sarmast, as well as in the folk-narratives thriving across the border. The present paper expatiates these connecting links which form the matrix of indelible imprints and connected hearts of millions divided by a horrid stroke of destiny, the 1947 partition of India.

Keywords: Schismatic sensibility, indelible imprints, connected hearts, camaraderie, bonhomie, unified sensibility, mellifluous whole.

The question that comes to mind is - what was the gestalt of communal division, what trigger, what schismatic politics which led to the gory and harrowing act of partition and its aftermath, the mass-exodus of people crossing borders to find a supposedly safe haven, but ironically culminated in the shattered dreams, gratuitous killings, psychological angst, physical displacement and disorientation of people from their home and hearth. A glimpse at the merciless division of the collective legacy of the Indian subcontinent and absurdity of the same is significant. Should we remember Shaheed Bhagat Singh, born and martyred in present day Pakistan in 1931 as the patriot of Pakistan or of India? Our heart equally flows out to Hemu Kalani from Sindh, impacted by the martyrdom of young Bhagat Singh, followed the footsteps of his nationalist icon and hanged by the British in 1943 for his nationalist fervour and his passionate participation in Gandhiji's call for Quit India movement. Heroes cannot be divided! Over-ridden by an impulse to apportion our resources between the two nations, we come across the perplexing case of Indus valley civilization and the division of its legacy. An article called "The Curious Case of Mohen-jo-Daro : Whose Civilization is it Anyway?" by Hansa Malhotra, registers Pakistan's recent demand to bring back one of the most recognizable symbols of the Indus heritage, "The Dancing Girl", preserved in the national museum in New Delhi, laudably described as a stylistically poised female figure in a dancing posture. The archaeological department of India knocked down the demand by calling it absurd and preposterous in the wake of the settlement where the famous priest bust of same heritage was given to Pakistan and the dancing girl was apportioned to India. The divisive politics was stretched ad absurdum when an antique necklace excavated as a legacy of the Indus valley civilization, was broken into two, the two halves preserved separately across the border. The act becomes a symbolic as well as a literal act of splintering the sensibility of displaced and disoriented people across the border in the wake of partition. How is it possible to divide the poets, Shelley's "unacknowledged legislators of mankind" ("The Defence of Poetry")? No, it is not possible. Instead, the voice of unified sensibility vested in Shah Abdul Latif's supplication to God to shower divine benediction on Sindh and on the whole world is resonant with universal human love:

Sain! Sadaain karin, Sindhu mathe sukaaru,

Dost, tu dildaar, aalam sabhu aabaad karein.

Swami! Sadaa Sindhu desh par sukaal karna.

He mere dildaar dost, sadaa saare aalam ko aabaad karnaa. (Jotwani 20)

O God, may ever you on Sind

Bestow abundance rare;

Beloved! All the world let share

Thy grace, and fruitful be. (Risalo of Shah Abdul Latif)

Here is a saint poet from Sindh registering his cosmic consciousness, the spirit of togetherness, love and compassion for the people of Sindh and for the whole of the world. In a true Sufi spirit, communal discrimination and prejudice is not able to touch Latif's mystical instinct. Shah Latif gets as much solace in visiting Hingula devi in Baluchistan, one of the Shaktipeeths, as he received in his visit to the Kali temple in Sindh and as much by the Dwarka temple of Dwarkadhish, Lord Krishna. Such is the cosmic consciousness that found like-minded centrifugal spirit in the Sufi paradigm and was indubitably suffused with the Indian Vedantic thought: 'Vasudevaay kutumbkam', 'the world is my home', enthused with the spirit of the Rig Veda: "saCgacchadhwaC saCvadadhwaC/ saC vo manâCsi jânatâm." The verse wishes for a communion, where human beings make a harmonious forward march, speaking together, with microcosmic consciousness orchestrated towards macrocosmic unity.

Randhari Singh Dinkar in his book *Sanskriti ke Chaar Adhyay* makes a significant point by distinguishing between two aspects of every religion: first, 'shruti' and second, 'smriti'. Dinkar explains it hence:

Shruti is that part of religion from which all religions originate. Smriti is that point in its development where all religions become mutually disjunct and divergent. Shruti brings religion close to the invisible Reality. The process of its 'realization' or actuation leads to the increased prominence of temples, mosques and churches, which feeds the smriti of a religion. (Dinkar, 333)(Translation mine)

Hence, at the point of 'shruti', the quintessential human desire for close approximation to his divine essence is expressed. This pure human impulse is however lost in religion's journey towards 'smriti', the material monumental icons of religion, the temples and the mosques. Ramdhari Singh Dinkar eulogizes Vedantic thought as focusing on the invisible essence of religion, more so faith:

'Vedant' is a word of Hindu philosophy, but it is not 'Hindutva'. A real vedanti is neither a Hindu, nor Muslim, neither Buddhist, nor Christian. He is simply a good human being. (Translation mine)

Dinkar recounts the quintessential knowledge of religion which made Ramakrishna Paramhansa teach non-dualistic philosophy to Swami Vivekananda and which led to Vivekananda's dream of the prospective religion of India as one which amalgamates Vedantic and Islamic religions. James Fadiman elaborates upon the concept of Sufism in a manner which reinforces Dinkar's distinction between 'smriti' and 'shruti':

The roots of the tree of religion are founded in religious practices and principles, which focus on outer behaviour. The branches of the tree are mysticism, the spiritual disciplines that extend the individual upward, toward the infinite. The fruit of the tree is the Truth, or God.

(Fadiman, 2) (Translation mine)

Sant Singh Sekhon, in *A History of Punjabi Literature*, undercuts schismatic sensibility based on communal grounds with an example of the intense reverence offered at the dargah of Sufi saints in the Indian part of the Punjab and a parallel evocation of lord Krishna as the desired bridegroom by a young maiden across the border in folk songs sung by Muslim women. She sings:

*Why stand you under the sandalwood tree, my daughter?
I wait for you, O father, it's time to look for a groom,
What sort of a groom would you have, my daughter?
One like the moon in the stars,
And Krishna among the lunars, O father. (Sekhon 15)*

The value of these folk songs lies in their life-affirming force. That is why the real, factual, empirical, verifiable, material categories of existence are complemented by the not so real, the folk, the mythical, yet life-enhancing tropes ingrained in the psychology of the people. People are the source of these narratives, live with these narratives and gain solace and strength from them in the vicissitudes of everyday life.

In the modern context, we witness a transcendence of narrow insular identity in the consorted live performance of Sufi music at the UNESCO Mahatma Gandhi Institute of Education for Peace and Sustainable Development by two 1990 rock bands 'Indian Ocean' and 'Junoon', of Indian and Pakistani origin respectively, voice a consorted, passionate and an imperative message of togetherness, non-schismatic ethos, camaraderie and bonhomie between nations divided by man-made barriers. Salman Ahmed from Junoon remarks:

*Young men are passionate. They have the Junoon in their DNA.
("Indian Ocean and Junoon")*

Anurag Rao, Indian Ocean's assistant manager asserts, "A concert like this at UNESCO MGIEP goes on to show that it does not have to be this hate narrative...It can be about us enjoying each other's company, arts and culture." (ibid.)

Fractures caused by the partition have had ghastly impact psychologically and empirically; the dents and fissures caused by its harrowing experiences are indelible. However, while the fractures stubbornly haunt us, the imprints of deeply felt connections are equally strong. The present paper hence moves towards envisaging a hope for attaining harmony at the communal level and the attainment of a teleological holism in the future in an overwhelming humanitarian impulse which dismantles narrow, ethnocentric complacency and nefarious divisive impulses. This community, constituting a nation, rejoices together, celebrates together, participates in the Olympics and bemoans cultural loss or loss of iconic patriotic figures fighting for collective freedom. In this context the testimony of Sindhi writer K. R. Malkani from 1947 emerge as case studies and heart-touching narratives undermining staunch communal polarity as well as undercutting deeply entrenched differences between people now divided politically and geographically. Malkani recounts an incident of a Muslim gentleman fondly telling him that he has bought a "big framed group photograph" which he considered priceless because "the respected Seth of his village" figures in the picture. Indubitably, we witness a gigantic emotional reverence embedded in a simple but fond gesture of buying a relic, an otherwise commonplace acquisition, turned into a highly cherished memorabilium for the proud bearer. The narrative closes with Malkani's comment: "It was a memento for him" (Malkani ix). Another narrative recounts Malkani travelling in a bus. He notices how a muslim woman sitting on a seat reserved for women courteously offers the seat to an elderly Hindu neighbour. The Hindu man had to accept the seat on her insistence. The Muslim woman added in anguish: "I know, you, too, will go away"(Malkani ix). These are the counter-narratives, those horizontal peer to peer discursive cadences which undercut stringent communal dichotomy and antipathy amongst communities otherwise

understood at cross-roads with each other. Such narratives leave the readers baffled, astonished. Such factual narratives picked from empirical lived day-to-day existence form a set of micro-narratives which give us hope about the possibility of the victory of quintessential human instinct over and above narrow caste and communal confines.

Another potent marker of the undivided legacy of the Indian subcontinent is river Sindhu and the indelible memory of river Sindhu which finds a place of prominent eulogy in the Vedic hymns of the *Rig Veda*. On the banks of this revered river the Vedic hymns were composed by our ancient rishis and saints. The Aryan's adoration of the Sindhu finds a lucid register in *The Rig Veda*: "Unstoppable, irreversible, /with strong mighty flow, mighty Sindhu!/Bewitching and beautiful Sindhu. Sindhu is rich in strong horses,/ in chariots and cloth of many designs,/ Rich in golden ornaments,/ of unmeasured wealth..." (Gehani 22). Vedas are understood as the sacred Hindu texts. We owe heartfelt reverence to the hymns and pay tribute to the sacred Sindhu, now situated across the border. In this context, Prof. Ravi Prakash Tekchandani's travelogue "Saryu to Sindhu", deserves mention. The account centres around the soulful desire of the author's father, a first generation migrant from Sindh, to merge the holy waters of the sacred Saryu into, what he reverentially calls, 'Mother Sindhu', symbolic of the intense faith in bonhomie and consecration of the bond of union between the two nations:

Father had pronounced it hence: "Son, whenever you get an opportunity in life, bestow the holy water of Saryu into the flow of mother Sindhu, surging past Sadhubela. This concourse of the two rivers would be symbolic of the convergence of the splintered consciousness of a people divided by a dreadful stroke of destiny. Who knows, the intermingling of waters may result in a miracle, an upsurge of love and termination of exile and cessation of deportation of Sindhis from their native Sindh". (*Saryu se Sindhu*)

The quintessential identity of Bharat from ancient times, and its perspicuous in the contemporary context has three crucial markers:

(i) Life based on spiritualism: In his book *Of Grass and Roots: An Indianist's writings*, Dr. Motilal Jotwani quotes from page 58 of Michael Molly from his book *Experiencing the World's religions: Tradition, Challenge and Change*, published in California by Mayfield publishers, 1999:

Hinduism is more like a family of related beliefs and the name Hinduism, if used to suggest a unified religion, can be misleading...it is like a palace that began as a two room cottage. Over the centuries, wings have been built on it, and now it has countless rooms, stairs, corridors, statues, fountains and gardens. There is something here to please and astonish — and dismay— almost everyone.

What is pleasing and astonishing in the old denomination 'Hinduism' is that it is not a referent to the Hindu religion. No! It is a way of life with characteristics of openness and inclusivity. Sufis established a literary, cultural and ideational confluence with the extant mystical strain already present in the Indian sub-continent. In the Indian Vedantism, the divine consciousness is understood to dwell within the human consciousness. Here is a quote from *Ashtavakra Geeta*:

You pervade this universe and this universe pervades in you. You are really pure consciousness by nature. Do not be small-minded.

In a parallel exemplification of the four stages of Sufi conduct, James Fadiman endorses Ibn 'Arabi's explanation:

At the level of the law (shariah) there is “yours and mine”. That is, the law guarantees individual rights and ethical relations between people. At the level of the Sufi path (tariqah), “mine is yours, yours is mine”. The dervishes are expected to treat one another as brothers and sisters— to open their homes, their hearts and their purses to one another. At the level of truth (haqiqah), there is “no mine and no yours”...At the level of Gnosis (marifah), there is “no me and no you”.

Giving space to the ‘otherness’ of the other, along with a nascent knowledge that the self and the other are quintessentially one, forms the crux of our mystical thoughts. It is this credo voiced by Swami Vivekananda in Chicago in 1893 while addressing his brothers and sisters of America: “*Ekam Sat Vipra bahuda vadanti*”, “*Absolute Truth is one but it is manifest differently*”. Respecting other as much as the self, with a profound belief that any differences are secondary, the unified circle of quintessential human territory marked by the Indian Vedantic precept:

अयं निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम् द्य

उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम् ८

Ayam nijah paro veti gananaa laghu chetasam

Udaar charitaanam tu vasudhaiva kutumbakam.

(Maha Upanishad VI.71-73)

vFkkZr~ % ;g esjk gS];g mldk gS _ ,slh lksp ladqfpr fpÙk oksys O;fÙkQ;ksa dh
gksrh gS_blds foijhr mnkjpfjr okys yksxksa ds fy, rks ;g lEiw.kZ /jrh gh ,d ifjokj
tSlh gksrh gS I

Mean minded people get involved in the discourse of ‘Mine and yours’. Moving away from such reductive thinking, kind and compassionate people, the world is their home. The implication that ‘vasudha’, the ‘earth’ is my ‘kutumb’ ‘family’, is a call for unity in diversity and syncretism of various mystical systems.

Sufis carried forth the essence of love, compassion and unified sensibility at the core of the quintessential human foundation. Just as a river that passes through many countries is claimed by each as its own is still the same river, all mysticism has the same goal: the direct experience of the Divine. The direct experience of the divine makes up for the ‘shruti’, a common end for all religions, the different names given to the stream of river as it traverses different geographical terrains is the ‘smriti’, the distinct nomenclatures and ritualistic performances appended on different modalities of worship. The direct experience of the divine makes up for the ‘shruti’, a common end for all religions, the different names given to the stream of river as it traverses different geographical terrains is the ‘smriti’, the distinct nomenclatures and ritualistic performances appended on different religions. On the ontological plane, we come across Sain Bulleh Shah’s famous kafi “Muh aayi baat naa rahindi hai”: “Bin Sahu thi dooja kakhh nahin/ Par wekhan wali akkh nhi” (Shahi 133). Sain Bulleh Shah says this in the context of the mystical ‘unity of Being’, the ‘wahadat al wujud’, the concept of ‘All is He’. We need the ‘wekhan waali akkh’, ‘the seeing eye’ to realize the truth. There is the need for a requisite sensitivity and the perceptive eye to realize the wasteful and preposterous divisions founded on differences created by human beings themselves.

The shadow lines are man-made, a kind of satisfactory ego-factory in the service of self-elation (‘we are better’), ethnocentrism, fake sense of self-complacency and creation of binaries ‘us and them’, to use the title of a play by David Campton. The play is about the scepticism about the otherness of the other and the resultant insecurity once negativity takes hold of

human thoughts. Sufi poets of Sindh and Punjab, the kindergarten of the flowering of Sufism in India, are central to debunking man-made segregationist categories in the name of religion, voicing an emphatic denunciation of injustice and deviation from humanity. Bulleh Shah's famous kafi "Bullah ki jaana mai kaun" revamps quintessential human identity. while negating all given categories and conventional denominations Bulleh Shah undercuts and outgrows narrow communal and ideational political denominations:

*Naa mai moman vicch masitan
Naa mai vicch kufar diyan reeta,
Naa mai paakan vicch palitan,
Naa mai musa naa phiraun...(Shahi 150)
I know not who I am.
I am neither a believer going to the mosque.
Nor given to non-believing ways.
Neither clean nor unclean.
Neither Moses nor Pharaoh.
I know not who I am. (Sain Bulleh Shah 31)*

Bulleh Shah's Ranjha, the divine beloved, displays 'ishq-i-haqiqi', the acme of Sufi accomplishment and the marginal rebel figure of the nath-yogic tradition of Gorakhnath. Baba Bulleh Shah is a poet of both the nations across the man-made contours created on paper maps marking the boundaries of present day India and Pakistan.

The saint poet loves to declare his own 'baikaid' (emancipated) sensibility which debunks the narrow communal divisions through the figure of the divine Godhead. God marks His presence in the temple as well as the mosque, He is the one reading the kalma in mosques as well as chanting divine hymns in the temples:

*Kahun Turk ho kalma padte ho
Kahun Bhagat Hindu Jap karte ho*

Vinod Shahi in his book, *Bulleh Shah: Samay aur Paath*, in the chapter titled "Bharat ka bhi hai wah, Pakistan ka bhi hai: apni saanjhi srot chetna ki khoj" ("He belongs to Bharat as well as Pakistan: A search for our composite quintessential consciousness");

Bulleh Shah ke kalaam mai phaarsi parampara se aaya hua Mansur-al-hallaj ka anal haq bhi hai aur is daur mai dobara ubhar raha Sanskrit ke darshano ka asar bhi hai, jise ve "chetna ki achal pratikriti" "jaisi shabdavali ka prayog karte hue kuboote hain. (Shahi 31)

Bulleh Shah's verses endorse the Persian legacy of 'an'al Haqq' and the re-surfacing of Sanskrit philosophy, which he accepts as the abiding model of quintessential human consciousness. (Translation mine)

Hence, in the figure of Bulleh Shah we find an amalgamation which resists the reductive man-made confines. However, post-partition, there is a visible prioritization in the sphere of publication so that language becomes a site of division of the poet saint on linguistic grounds: Bulleh Shah was published in the Punjab of India in Gurmukhi and in Shahrukhi in the Punjab of Pakistan (Sekhon 15).

2) Discursive interrogation of schismatic sensibility by the Devotional Bhakti poets: The Indian subcontinent is a witness to the escalation of the importance of dervishes,

Sufi poets and scholars, saints, bhaktas and devotional poets whose unbiased sensibility emerged as the stronghold for the waning hopes of the dislocated and dis-oriented people. The formation of the order of the khalsa and the emergence of Guru Granth Sahib as the epitome of the inclusive and composite culture of India paved the way for the confluence of the teachings of the Sikh gurus, the Bhakti saints and the Sufi saints. As for the Sufi saints, the mystic bard of Sindh, Sachal Sarmast, the love-intoxicated, pays reverence to Allah, Kanha, Ram and Hanuman in a single breath. The poet declares: “Sachu! God is One without a shadow of doubt;/ The king in varied images sees His own spectacle;/ At one place He is Christ, at another Mohammad and at another Hanuman;/ He of His own choice has cast Himself in wonderment” (Advani 21).

Bhakti poets like Guru Nanak, Raidas, Dhanna, Sundardas, Dadu Dayal, Malukdas, Rajjab and Dharnidas have been the torch-bearers of an inclusive, accommodative, holistic view of life undercutting the differences based on caste, class and religion. It is interesting to note that most of these mystical revolutionaries were not Brahmin by birth. Kabirdas himself belonged to low class weaver caste (‘julaha’) and his identity never crystallized as either Hindu or Muslim. Their mystical stance was accommodative, inclusive and universal. Gorakhnath (10th century) who preceded Sant Kabir is noted for the following verse:

*Hindu dhyaave dehra, musalmaan maseet,
Jogi dhyaave parampad, jahn dehra naa maseet.
Hindu pays offers obeisance to the temple, Muslim pays deference at the mosque,
But the yogi pays homage to the supreme source, beyond the temple and the mosque.*

Bhakti saint poet Namdev (1170-1350 AD) from Maharashtra rejects asceticism and ascends the realization of One God to be attained through unremitting personal love for the lord, pronounced as ‘Vithola’. Chandidas in the thirteenth century in Bengal, strongly reverberates Bulleh Shah in his voice of revolt against traditional religious formalism. Kabir (1440-1518) stands as a Bhakti poet whose Hindu- Muslim ambiguous identity has as its concomitant a ‘mixing of Vedantic monism with Islamic Sufism’. The following verses of Kabir

*If caste was what the creator had in mind,
Why wasn't anyone born
With Siva's three-lined sign?
And if you're a Muslim
From a Muslim woman born,
Why weren't you circumscribed inside?
Hey brother, why do you want me to talk?
Talk and talk and the real thing gets lost.
are a stringent interrogation of meaningless schisms created by human beings.*

3) In the present context, there is a renewed emphasis on the teaching of Indian classical texts which form the discursive, cultural, and literary nucleus of our country. National Education Policy 2020 acknowledges an imperative need to overhaul the education system and the academic curriculum in order to lay emphasis on the rich heritage of the knowledge systems and the rich repository of knowledge embedded in great Indian scholars:

The Indian education system produced great scholars such as Charaka, Susruta, Aryabhata, Varahamihira, Bhaskaracharya, Brahmagupta, Chanakya, Chakrapani Datta, Madhava, Panini, Patanjali, Nagarjuna, Gautama, Pingala, Sankardev, Maitreyi, Gargi and Thiruvalluvar, among numerous others, who made seminal contributions to world knowledge in diverse fields such as mathematics, astronomy, metallurgy, medical science and surgery, civil engineering, architecture, shipbuilding and navigation, yoga, fine arts, chess, and more. Indian culture and philosophy have had a strong influence on the world. These rich legacies to world heritage must not only be nurtured and preserved for posterity but also researched, enhanced, and put to new uses through our education system.

Here is an emphatic focus on fostering “national pride, self-confidence, self-knowledge, cooperation, and integration”, through a refurbished education system which is not imported and adopted from abroad. Blindfold acceptance of the western theories and philosophies and knowledge systems as the benchmark of excellence is ridiculous. National Education Policy 2020 emphasises the need to break free from the westernised education system which Macaulay envisaged as capable of creating “a class of persons, Indian in blood and colour, but English in taste, in opinions, in morals, and in intellect”. On the contrary, the shift in the focus on NEP aims at “producing engaged, productive, and contributing citizens for building an equitable, inclusive, and plural society as envisaged by our Constitution.” (National Education Policy 2020).

Conclusion

Humans create schismatic discourses, propagate them, engage in self-righteous argumentation, and finally get enmeshed in self-generated polemics. The onus for generating and propagating life-denying schismatic discourses lies with human beings, the solution has also to be collectively initiated by them, while taking a detour of the essence of our consolidated incipient identity embodied in ‘unity in plurality’. India has a unified culture with diversity immanent in it. Like a tree with numerous branches, like the sun with infinitesimal rays of light, like a river flowing through varied terrains and yet maintaining its integrity, the multitudinous cultural markers of the Indian subcontinent epitomise a unified culture with infinitesimal diversity pointing towards a quintessential unity in diversity. Azadi ka Amrit Mahotsav, the celebration of 75th year of independence deserves a consolidated effort by all the citizens of the country to revisit that mellifluous whole, that unified sensibility, whose indelible imprints are present in the sublime cultural and literary heritage of the Indian subcontinent.

Works Cited

- Advani, Kalyan B. *Sachal*. New Delhi: Sahitya Akademi, 1971. Print.
- Campton, David. *Us and Them*. Canada: The Dramatic Publishing Company, 1977.
- ‘Dinkar’ Ramdhari Singh. *Sanskriti ke Chaar Adhyay*. Allahabad: Lok Bharti Prakashan, 1956.
- Gehani, Mohan. *History of Sindh*. <http://sindhology.org/wp-content/uploads/2016/07/History-of-Sindh-Page-21-to-160-Mohan-Gehani.pdf>. Accessed 5 Feb. 2022.
- “Indian Ocean and Junoon” <https://mgiep.unesco.org/article/indian-ocean-and-junoon-bring-india-and-pakistan-closer-at-a-unesco-mgiep-concert>. Accessed 5 Feb. 2022.
- “In Memory of Sacrifices & Struggles’: PM Modi Marks August 14 as Partition Horrors Remembrance Day”. *News18*. 14 August 2021. Retrieved 14 August 2021.
- Jotwani, Motilal, ed. *Shah Latif ka Kavya*. Trans. Manishankar Dwivedi. New Delhi: Sahitya Akademi, 1969. Print.

Maha Upanishad. https://en.wikipedia.org/wiki/Maha_Upanishad

Malkani, K.R. *The Sindh Story*. Delhi: Sindhi Academy, 1984. Print.

National Education Policy 2020

“Percy Bysshe Shelley - A Defense of Poetry - PDFCOFFEE.COM.” <https://pdfcoffee.com/percy-bysshe-shelley-a-defense-of-poetry-pdf-free.html>. Accessed 5 Feb. 2022..

Risalo of Shah Abdul Latif. Trans. Elsa Kazi. West Pakistan: Sindhi Adabi Board, 1965. Print.

Sain Bulleh Shah: The Mystic Muse. Trans. Kartar Singh Duggal. New Delhi: Abhinav publications, 1996. Print.

Sekhon, Sant Singh and Kartar Singh Duggal. *A History of Punjabi Literature*. New Delhi: Sahitya Akademi, 1992. Print.

Shahi, Vinod. *Bulleh Shah: Samay aur Paath*. Haryana: Aadhar Prakashan, 2012. Print.

”Siam Mapped: A History of the Geo-body of a Nation - Amazon.co.uk.” <https://www.amazon.co.uk/Siam-Mapped-History-Geo-body-Nation/dp/0824819748>. Accessed 6 Feb. 2022.

“The Curious Case of Mohenjo Daro: Whose Civilisation Is It Anyway?” 14 Oct. 2016, The Curious Case of Mohenjo Daro: Whose Civilisation Is It Anyway?. Accessed 27 Feb. 2022.

Imperialism cause of opium trade between India and China

Sunil Kumar

Assistant Professor, Department of Finance and Business Economics,
South Campus, University of Delhi

Abstract

This Paper delves into the evolution of Indian trade history with a particular focus on the opium trade between India and China during the 18th and 19th centuries, driven by imperialism. It highlights how opium became a significant commodity and underscores the British manipulation of the Chinese market to address their trade imbalance with China. The opium trade history between India and China is divided into two parallel trades: the Bengal opium trade dominated by the East India Company (E.I.C) and the Malwa opium trade, which was not a part of British commerce. It also examines the dire conditions of the peasants engaged in opium cultivation, dispelling the myth that only the British exploited these laborers. Overall, this paper sheds light on the historical complexities of the opium trade between India and China, its economic and social impacts, and the involvement of various stakeholders in this contentious trade.

Keywords: Opium, Trade, Bengal, Malwa, Colonial

Introduction

This paper discusses about the evolution of Indian trade history, how imperialism had driven the opium trade between India and China during the 18th and 19th century. This text focuses on how opium became a commercially significant product and emphasises is on how British forcefully manipulated the Chinese market for the proliferation of opium trade to correct the trade balance with China. In the history of opium trade between India and China, there were two different yet parallel opium trades, one known a Bengal opium trade, which was predominated by the East India Company (E.I.C) and the other which was never been part of British trade, better known as Malwa opium trade.

The wretched condition of the peasants who were involved in the cultivation of opium is under discussion. This paper also breaks the myth that the British were alone in exploiting these peasants. The Section I, deals with the India's colonial trade history. Section II and III, covers how the rise of the opium trade between India & China helped to reverse the balance of trade problem. Section IV, focuses on Malwa opium trade, a tough competitor of Bengal opium trade. Section V, explains the difficulties and problems of peasants involved in opium cultivation. Section VI, elaborates the different parties involved at different stages

of the opium trade. In section VII, the moral consent on opium trade is being discussed. Lastly, Section VIII represents a brief summary of the Paper.

Section I: India's Colonial Trade History

Trade occupied a prominent place in colonial India. In the late 15th century, the Portuguese navigator Vasco da Gama who came to India in 1498 became the first European to re-establish direct trade links with India. The colonial era in India is thought to have started with the establishment of this Portuguese trading centre in Quilon (Kollam, Kerala) in 1505 (Balachandran, 2020). The Portuguese lasted from 1505 to 1961 (Prabhakar, 2003). Dutch entered Indian subcontinent after Portuguese in 1605 and stayed till 1825. Dutch were looking to exchange the textile with spices in East India. Dutch also traded other items such as gems, silk and indigo in the Indian peninsula, saltpetre and opium in Bengal and pepper in Malabar. To establish its monopoly over the spice business, the Netherlands took Ceylon, which was under the dominion of Portugal in 1656, later in 1671, it overpowered the Portuguese forts in Malabar Coast, and these two locations were major spice growers. The influence of the Dutch ceased in the second half of the 18th century after confronting the defeat from the kingdom of Travancore in the Battle of Colachel in 1741. After the signing of the Anglo-Dutch Treaty in 1824, the Dutch lost all their remaining trading posts to the British.

Following the pursuit of Portuguese, Dutch and English, French also tried to establish their trade base in India. In 1674, they first settled in Pondicherry on the coast of Coromandel, in the southeast of India. They later travelled to Chandernagore in Bengal in 1688, Yanam in Andhra Pradesh in 1723, Mahé in 1725, and Karaikal in 1739. French and Dutch were more interested in the sale and exchange of animal fur. The French's greatest rival was the Brits, after the French lost the Battle of Plassey in 1757 and the Battle of Wandiwash in 1761 against British, the French territories in India were taken over by Great Britain. In 1816, the enclaves of Pondicherry, Yanam, Mahé, Karaikal and Chandernagore were repatriated to France. It was only after 7 years of Indian independence, that these places were integrated into the Republic of India. The Danish Trading Company made its way to India in 1616 and set up their plants in Tranquebar in Tamilnadu in 1620 and Serampur in Bengal in 1676. The Danish East India Company used to trade tea to Europe. The company failed to build its strong presence in India, by the 19th century, they had sold all their establishments to the British and returned home (Rasmussen, 1966).

The journey of the British to become the most successful imperial power in India, began in 1613 when the East India Company (EIC) established its first factory at Surat, Gujarat. The company used to trade in cotton, silk, indigo dye, sugar, salt, spices, saltpetre, tea and opium. From mid-1700 to late 1800, the EIC's share of world trade was almost half (Farrington, 2002). The collapse of Portugal and the expansion of the EIC gave fierce competition to Dutch merchants, which later on turned into Anglo-Dutch Wars. In the late 18th century, there was a tussle of dominance between the English and French. Initially the French were successful in winning some of the wars, but later the British dominated and defeated France. In 1765, EIC was authorized to collect revenues in Bengal, which helped them to sustain their military activities in the rest of India. Between 1700 and 1860, the composition of exports changed from processed products to raw materials and imports of

finished products (Peter, 2002). In the second quarter of the 19th century, cotton, indigo and opium accounted for the majority of India's exports. After the revolt of 1857 against the British EIC, India came under the direct rule of the British Crown. The British Raj lasted from 1858 till India got Independence on 15th August 1947.

Section II: Opium Trade during British Colonialism

The section above suggests that it was not the British who brought opium to India, the credit goes to the Portuguese and Dutch. They were the first to produce and trade opium from India to China (Britannica, T. Editors of Encyclopaedia, 2021). By 1773, the British understood the important role of opium in the economy and there on became the leading opium traders to China. At that time, British lost a huge sum of money while conquering various territories of India, and they wanted to cash in India for the same, this gave rise to a profitable business in opium. There was a high demand for Chinese tea, silk, furniture and pottery by Britain and other European nations, however, Chinese imports from these countries were quite low in terms of manufactured goods. Britisher found it difficult to reimburse their import dues other than gold or silver. History tells us that the British have been confronted with a trade imbalance with China and ran out of silver reserves, so they found their solution in the opium trade. Revenue from opium trade become the third highest revenue source for the EIC followed by the revenue from land and salt (Manuel, 2021) (Britannica, T. Editors of Encyclopaedia, 2021).

Opium was introduced by the Turks and the Arabs in China at the end of the 6th or early 7th century. Until the 17th century, Chinese opium consumption was confined to oral intake used to relieve pain and tension and soon smoking opium became common in China. EIC capitalised on this situation and increased its opium export legally as well as illegally to China and in return obtained silver. China's opium import rose from 200 chests to 1,000 chests annually from 1729 to 1767, and in 1830 it increased up to 10,000 chests per year. A year before the First Opium War between British and China, in 1838 the average 40,000 chests were imported into China, this was the first time China faced negative trade balance and British enjoyed the positive one (Britannica, T. Editors of Encyclopaedia, 2021) (Office of the Historian, Foreign Service Institute, 1789).

Money minting hypocritic British imperialist had just one motive to claw their expansion at the expense of health of thousands of opium addicts and continued to dump as much they could into China for their own benefits. Because of this, China faced serious social and economic issues. As a result, in 1839, Qing Dynasty confiscated and destroyed more than 20,000 chests of British opium that was kept in a warehouse in Canton, Guangzhou. This incident shattered by a war know as, the First Opium War between British and China, which ended in 1842, British won and captured Nanjing, Nanking. After the defeat of China, a peace treaty know as the Treaty of Nanjing was signed between the two. This discriminatory treaty gave special rights to the British to use 5 different Chinese ports for trading (Guangzhou, Xiamen, Fuzhou, Ningbo, and Shanghai), moreover, it was agreed that China will pay a large compensation and will also cede the island of Hong Kong to the Britain. The British Supplementary Treaty of the Bogue (Humen), signed in October 8, 1843, gave British citizens extraterritoriality¹ and most-favoured-nation status² (Britannica, T. Editors of Encyclopaedia, 2021).

The Second Opium War (1856-1860) took place between a British-French alliance and China. After the defeat of China, a Treaty of Tientsin was signed in 1858 and China was asked for greater concessions, to legalise opium trade, increasing the transportation of coolies to European colonies, allowing Britain and French people to enter China and abolishing the internal transit duties (lijin) on the imports (Zhihong, 2016) (Haythornthwaite, 2000). In 1860, when the Chinese refused to abide by the treaties, the alliance became hostile and captured Beijing, then burned down the emperor's summer palace, Yuanming Garden. Later, China agreed to endorse the treaties and surrender the southern part of Kowloon Peninsula, near Hong Kong (Britannica, T. Editors of Encyclopaedia, 2021). These treaties between western powers and China was better known as unequal treaties.

Section III: Colonial India opium trade with China

The following table shows Britain payment for Chinese imports, with 90% of these payments destined for Chinese tea imports. The import value increased seven times in seven decades; however, the share of British in Chinese imports was low.

Table 1: East India Co. Investment in Chinese Goods.

Period	Investment
1761-1770	43,65,847
1771-1780	45,76,975
1781-1790	1,09,97,770
1791-1800	1,40,55,250
1801-1810*	1,69,00,000
1811-1820*	1,87,00,000
1821-1830	1,90,98,326
1831-1833	53,14,801
* an estimate based on incomplete records	
Source: for 1761-1799 from E. H. Pritchard: <i>The Crucial Years of Early Anglo-Chinese Relations</i> (New Your, reprint, 1970), p-396;fro 1800-1833 from Morse: <i>opcit, II, III,IV, passim</i>	
Note: Whenever there is conversion from Canton currencies into British currency , the rate are: 1 Spanish \$=0.72 taels= £1	

British tea imports from China, was sustained through silver, British goods and Indian goods. The following table represents the share of British silver, Indian and British good in British export to China. The share of silver in India's export to China was high during 1700, gradually the share of silver declined and after the turn of century it became negligible. We can also see that Indian goods had a high share in the Britain-India exports to China, and gradually it occupied the major share. Because of the devaluation of the rupee, private exporter in India found it more profitable to export Indian goods rather than British goods. The credit for the expansion of the export share of Indian goods in the overall export, goes to British obsession with Chinese tea.

Table 2: Colonial India's exports to China

Period	British Silver		British Good		Indian Goods	
	£	%	£	%	£	%
1761-1770	24,93,190	52.3	11,13,951	23.4	1,55,040*	24.3
1771-1780	7,50,363	14.0	14,82,967	28.0	30,78,795	58.0
1781-1790	31,68,626	24.3	28,65,392	22.0	71,21,936	54.7
1791-1799	16,09,743	8.7	68,52,858	37.2	99,61,004	54.1
1801-1810	negligible		1,10,00,000**	33.3	22000000***	66.7
1811-1820	negligible		85,00,000****	28.3	2,15,02,772*****	71.2
1821-1830	negligible		76,04,126	16.4	3,87,54,787	83.6
1831-1833	negligible		26,01,289	16.0	1,35,39,173	84.0
<u>Note:</u>						
* Statistics of 1761-1763 missing						
** an estimate.						
*** an estimate based on the value of exports from Calcutta and Bombay						
**** E.I.C imports £ 8,213,926 private imports estimated at £ 287,000						
***** E.I.C imports £ 3,823,772 private imports estimated at £ 17,670,000						
<u>Source:</u> Data for 1761-1799 from Prichard: <i>op cit</i> , pp. 393-4,396, 401-2; for 1800-1833 from Morse: <i>op, cit, passim</i> ; Bengal Commercial Reports and Bombay Commercial Proceedings (both in India Office Library, London), <i>passim</i> .						

The table above shows how share of British silver considerably declined at the turn of the century. In the earlier section, it was discussed that in 19th century opium replaced silver as trade transfers from colonial India to China in exchange for tea and other imports (Lintner, 2000). In mid-19th century the trade deficit turned into trade surplus, and silver started to come back to India from China. India played a crucial role in British-Chinese trade, as it was the largest producer of opium.

Opium was an important commodity in the triangular trade between British-China-India. When we are discussing about the opium era of colonial India, we have two components to discuss first, Bengal opium and second, Malwa opium. Bengal opium (produced in Bihar and Orissa) trade can be termed as a lawful trade between colonialist India and China, whereas Malwa opium transfers were illegal (not in the control of E.I.C) and was mainly between non-colonialist India and China. After the defeat of Nawab of Bengal and French in Battle of Plassey in 1757, the E.I.C officially controlled the Bengal. Thereafter, the company started developing the east India into a leading opium producer. In 1808, the area under opium cultivation was around 45,736 bighas, which rose to 2,82,792 bighas in 1838³.

In the year 1820, the company took a decision to expand its Bengal opium production under the Bengal presidency. In 1821, opium became the first traded commodity before tea and remained at the top uptil late 19th century. The following table shows the number of chests of opium exported from India to China in 1795-1840. In the period 1821-1830, India's opium export to China nearly tripled (Chung, 1974). This gave an opportunity to other

opium producing areas to shove larger quantity than Bengal opium into the Chinese market (Farooqui, 1995) and we can observe in the following table, in 1821-1830, Malwa opium trade overshadowed Bengal opium trade to China.

Table 3: Number of Chests exported from India to China in 1795-1840

Period	Bengal	Malwa	Total	Annual Average
1795-1800	12,261	Nil	12,261	2,043.50
1801-1810	25,648	13,219	38,867	3,887
1811-1820	29,649	14,396	44,045	4,404.50
1821-1830	52,867	62,067	1,14,934	11,423
1831-1840	77,608	1,65,940	2,43,548	24,355

Source: Bengal Commercial Reports, vols. 13-52, H. B. Morse: The International Relations of the Chinese Empire (Shanghai, 1910), 1,209, Hsin-pao Chang: Commissioner Lin and the Opium War (Harvard, 1964), p.233.

Source: Bengal Commercial Reports, vols. 13-52, H. B. Morse: The International Relations of the Chinese Empire (Shanghai, 1910), 1,209, Hsin-pao Chang: Commissioner Lin and the Opium War (Harvard, 1964), p.233.

Section IV: Malwa story of opium trade

In the Chinese market, the biggest competitor of Bengal opium was the Malwa opium (generic name of opium produce in Malwa region), it was managed by Non-Company enterprises (Farooqui, 1995). D.E. Owen had mentioned that in the Chinese market, there was a very tough competition between Bengal and Malwa varieties in the period from 1814 to 1818 (Owen, 1934). During colonial times, Malwa was under the indirect British rule with several aboriginal leaders, of which the families of Schindia and Holkar were dominating, reigning over different parts of Malwa. Tan Chug mentioned that Malwa opium had some advantage over the Bengal opium, these were (Chung, 1974):

1. Chinese customer could get 75% of pure extracts from Malwa, compared to 57% from Bengal.
2. Packing of Malwa opium was small and flat, whereas Bengal was large and spherical in shape.
3. Malwa chest adopted Chinese units of weights, which made it easier to count.

Till the end of the first decade of the nineteenth century, E.I.C was not familiar with Malwa opium, due to its clandestine nature. Expanding Malwa opium exports to the Chinese market had created problems for the British administration as they had failed to stop this expansion. The major reason behind this expansion was lack of British control directly over the main opium-producing regions of western and central India. It was after winning the 3rd Anglo-Maratha war in 1817-1818, that the British expanded their territories. However, they were unable to control the main areas of opium cultivation in western and central India (Farooqui, 1995).

In the beginning of 1818, the British had tried to implement stringent policies to control the growing and trade of Malwa opium. The Company was under an impression that by choking the exit point of Malwa opium trade at Gujarat Cost they will be able to control its expansion. Thus, it attempted to persuade the Indian rulers in Gujarat to retain control

over the transit of Malwa opium through their territories. The other routes which were through Rajasthan and Sindh, were beyond the control of the British administration and therefore Malwa opium trade flourished through these routes. In 1820, British adopted a strategy to purchase the Malwa opium from the free market, unfortunately their plan failed, the private enterprises managed to keep the price high, and as a result, the Company was unable to purchase a large portion of opium. Another reason of high price was that the period 1820-21, was not good for opium cultivation. In 1823, British again changed its strategy, instead of buying from the free market, they made arrangements to purchase specified quantity of opium at a fixed price directly from the states of central India and Rajasthan. The Company kept on changing its strategy to curb the Malwa opium trade, but failed to do so [(Farooqui, 1995) (Markovits, 2008)]. The British official realised that they have to tolerate the presence of Malwa opium and half-heartedly opened the door of Bombay port for Malwa trade in 1830. They tried to in-cash the situation by putting heavy duties on the transit of Malwa opium through Bombay port. In 1821-1830, export of Malwa opium to China through Bombay port was 41 lakhs, which rose more than 1 crore in 1831-1840 (Chung, 1974). By 1848-49, Bombay Government collected Rs. 8,870,000 as revenue from duty on opium trade (Siddiqi, 1982).

Section V: Condition of Indian peasants cultivating opium

In 1773, E.I.C declared its monopoly over the Bengal opium trade. The monopoly meant that opium produced was purchased by the Company on predefined prices and then sold to the traders in an auction conducted at Calcutta. Initially, one year cultivation rights were distributed by the Company to contractors by calling applications. Later in 1781, these rights were extended to four years and in 1785 rights were distributed by an auction system. Advances were given to the contractors, out of which some cash remittances were given to the actual opium farmers.

In 1797, after abolishing the contract system, Company started to control the opium cultivation directly by appointing its own agents. Private cultivation of poppy crops was prohibited. The farmers were forced to work on Company norms, they were supposed to produce a fixed amount and on a fixed plot of land, which was delivered to the agents based on fixed government prices. If the farmers failed to fulfil their obligations, they were penalised by paying 3 times the advances paid to them and if there was a shortfall in cultivation due to farmer's negligence, they were supposed to pay the principal advance with 22% interest, later on it was increased to 24%. If the Company makes out that opium was sold to others, then fines were imposed, the amount of fine depended on whether the illicit sales confiscated or not (Prakash, 1987).

If the farmers wanted to be in the opium business, they didn't had any choice other than selling their produce to the Company. However he could refuse to cultivate opium and if he do so, his land was assigned to some other peasant who agrees to cultivate poppy. There was coercive behaviour of British against opium cultivators. Notwithstanding the Company's close control over opium production, the peasants were still able to illegally sell a certain quantity of opium to other merchants (Prakash, 1987). It can be assumed that the price which they get by selling outside, was much more then what they were getting from the Company, Benoy Chowdhury has written that sometimes the illegal price was 6 times higher than the monopoly price (Chowdhury, 1964). C.A Bayly has pointed out that Opium production for the farmers was unproductive for them in terms of labour cost, however

monopoly had severed an important role by providing an assured market for farmers to sell their opium produce at a fixed price not depending on the size of produce (Bayly, 1983).

The condition of peasants (both Bengal and Malwa region) involved in opium production was pathetic. The job of farmers was only confined from cultivation to collection of juice. Similar to the Bengal region in Malwa, opium production for growers was not cost effective, the price which the farmers get barely covers their cost of production (Bayly, 1983). With few exceptions, opium farmers in Malwa did not sell their produce directly to the market. They use to sell to traders, money lenders, sahuikars, mahajans etc, who lend their money as advances for opium production. Peasants were in continuous stress to pay high and mandatory government land tax and demands of the various other stakeholders, which forced them to take money on credit. We can get an idea of high land tax, under the governance of Holkar Sarkar, the land rent of opium was 5 rupee and 8 annas per bigha, while for wheat and jowar it was 1 rupee and 8 annas per bighas (Farooqui, 1995).

Benoy Chowdhury in his book has mentioned that opium farmers in Bengal region were relatively better than Malwa farmers if they sold a portion of their produce to the private traders on the price higher than the pre-fixed price by the E.IC (Chowdhury, 1964). It is evident that, even though Malwa the opium monopoly was absent in the Malwa region, farmers still couldn't have a full control on their production.

Section VI: Parties in Opium trade

Operators were involved at every stage of opium trade i.e, cultivation, transit through territories, shipping through ports and in cities where auction took place. The important communities that were involved in opium trade were Muslim's, Parsi's, Gurjrat's and Marwari's. At cultivation stage, sahuikars were involved, which were often Marwaris. Next Gomasthas mostly Marwari's and Gujaratis, collected the semi-refined opium from sahuikars and changed them into refined opium, which was packed into chests for transportation. There used to be managers, who used to manage the process from production to packaging. The famous names were, Ganga Appa in territory under Schindia's and trading house of Tantiah Joog in Holkar's court. Marwari merchants use to organise the caravan trips for opium transit through routes crossing Rajasthan and Sindh. Opium used to be shipped through Portuguese occupied ports, mainly Daman or Bombay. Gujarati merchants used to bribe the Portuguese officials and smuggle opium to China. There were the big capitalists and speculators who were involved in the opium auctions in Gujarat, Bombay and Calcutta (Markovits, 2008).

History of opium trade indicates that most of the trade was facilitated through Bombay and Daman port. Gradually after 1830, Bombay port became a hub for opium trade. British finally accepted the presence of Malwa trade and started collecting heavy transit cost. The flourishing opium trade through Bombay port brought many business communities to Bombay (Calangutcar, 2006-2007). In 1820's, many Parsis, Marwaris, Gurjaratis and Muslims started establishing their opium business base at Bombay (Farooqui, 1995).

Amalendu Guha has written about the important role played by the Parsi entrepreneurs in the rise of Malwa opium trade in the western India and Bombay (Guha, 1969). Jamsetjee Jejeebhoy (1783-1859) was a prominent Parsi merchant. He gained wealth through opium trade had started his journey with his relatives and later established his own company in 1818. By 1830, along with his other Indian partners he gained a monopoly in the supply network of Malwa opium, which was supplied through Bombay port to China. By the time

he retired, he had an estimated wealth of Rs. 40 crore. Later on, he became a philanthropist and queen gave him the award for the same. [(Palsetia, 2009) (Palsetia, 2005) (Manuel, 2021) (Swamy, 2021)].

Section VII: Moral Consent on Opium Trade

There was always been a trade-off between Economic and Ethical views on Opium trade. The trade in opium had created huge reservoirs of revenue for the colonist and other sections of the society that were directly or indirectly linked to the opium trade. Ethical questions started being raised due to the fact that opium has addictive nature with inelastic demand. At the start of the 20th century, anti opium movements had gained momentum. In London, Christians and Liberals resonated that opium trade through India was immoral. The efforts of these groups became fruitful in 1917, the year when India's exports of opium to China were prohibited (Lintner, 2000).

Tomas Manuel and M.R.N Swamy in their books have mentioned that Indian nationalist had turned a blind eye or reacted quite late to the problem that had the cropped due to the opium trade. It may be because opium was a huge source of revenue, and it was costly to lose it. They were considering alcohol over opium; it may be because the opportunity cost of alcohol was high among the middle class Indian, addiction of alcohol was seen as an economic danger especially for the middle class. For the first time in 1924, the Congress passed the resolution against opium; however, it was more about the resistance from the international forces like, China, which was strongly opposing opium consumption and trade. Therefore, international consensus played an important role in wiping out opium at the start of the 20th century [(Manuel, 2021) (Swamy, 2021)].

Section VIII: Summary

The British became the most prosperous of India's imperial powers, in the 18th and 19th century; through the trade of cotton, indigo and opium. In the pre-colonial period, opium was used for medical, ritual and ceremonial purpose. British changed this scenario, thus making opium a profitable commercial crop in India during 18th and 19th century (Deshpande, 2009).

Opium worked as a solution to the British-India negative trade balance with China. English colonists utilized India, the largest producer of opium in the 19th Century. Later British declared monopoly over the opium trade in the Bengal and Bihar region, however, opium production and trade in the Malwa region remained inaccessible. British failed to curb the Malwa opium trade, which was a tough competitor of Bengal opium trade in the Chinese market. In 1830, British half-heartedly opened Bombay port for Malwa opium, by collecting heavy transit duties. Bombay port became trading hub for opium in 19th century, which attracted many business communities to Bombay. Major trading communities were Marwaries, Muslims, Parsies, and Gujaraties.

The condition of the peasants involved in the opium cultivation was not so pleasant. It is a myth that the condition of opium cultivators of Bihar region were the only victims with miserable conditions, the same condition was reported in the Malwa region as well. The debate between economic benefits and ethical loss from opium trade from India did last long. It is a fact that, because of international consensus over societal damage done by opium trade that in the start of 20th century the trade of opium trade from India to China was banned.

References

- Bayly, C. A. (1983). *Rulers, Townsmen and Bazaars, North Indian Society in the Age of British*. Cambridge.
- Balachandran, P. K. (2020, March 10). *The ugly and good side of conversions in South Asia*. Retrieved from www.news.in.asia: <https://news.in.asia/the-ugly-and-good-side-of-conversions-in-south-asia/>
- Britannica, T. Editors of Encyclopaedia. (2021, September 27). *opium trade*. *Encyclopedia Britannica*. Retrieved from <https://www.britannica.com/topic/opium-trade>
- Calangutcar, A. (2006-2007). Marwaris in Opium Trade A Journey to Bombay in The 19th Century. *Proceedings of the Indian History Congress*, 67, 745-753. Retrieved from <https://www.jstor.org/stable/44147994>
- Chowdhury, B. (1964). *Growth of Commercial Agriculture in Bengal (1757-1900)* (Vol. 1). Calcutta.
- Chung, T. (1974). The Britain-China-India Trade Triangle (1771-1840). *The Indian Economic and Social History Review*, 11(4), 422-23.
- Deshpande, A. (2009). An Historical Overview of Opium Cultivation and Changing State Attitudes towards the Crop in India, 1878-2000 A.D. *Studies in History*, 25(1), 10-143. doi:10.1177/025764300902500105
- Farooqui, A. (1995). Opium enterprise and colonial intervention in Malwa and western India, 1800-1824. *The Indian Economic and Social History Review*, 32(4), 447-473.
- Farrington, A. (2002). *Trading Places: The East India Company and Asia 1600-1834*. British Library.
- Guha, A. (1969). Parsi Seths as Entrepreneurs, 1750-1850,. *Economic and Political Weekly*, 5(3), 107-115.
- Haythornthwaite, P. J. (2000). *The Colonial Wars Source Book*. Caxton.
- Lintner, B. (2000). The Golden Triangle Opium Trade: Overview. *Asia Pacific Media Services*(12), 1-30.
- Manuel, T. (2021). *Opium Inc*. HarperCollins India.
- Markovits, C. (2008). Bombay as a Business Centre in the Colonial Period. In *Merchants, Traders, Entrepreneurs* (pp. 128-151). London: Palgrave Macmillan.
- Office of the Historian, Foreign Service Institute. (1789). *The Opening to China Part I: the First Opium War, the United States, and the Treaty of Wangxia, 1839–1844*. Retrieved December 19, 2022, from Milestones 1830-1860 China-I: <https://history.state.gov/milestones/1830-1860/china-1>
- Owen, D. E. (1934). *British Opium Policy in China and India*. New Haven.
- Palsetia, J. S. (2005). Merchant Charity and Public Identity Formation in Colonial India: The Case of Jamsetjee Jejeebhoy. *Journal of Asian and African Studies*, 40(3), 197-217.
- Palsetia, J. S. (2009). The Parsis of India and the opium trade in China. 647-678. Federal Legal Publications.
- Peter, R. (2002). *A History of India*. Palgrave Macmillan.
- Prabhakar, P. W. (2003). Liberation of Goa, Daman and Diu. In N. Rai (Ed.), *Wars, Proxy-wars and Terrorism: Post Independent India* (1st ed., pp. 39-41). New Delhi: Mittal Publications.
- Prakash, O. (1987). Opium Monopoly in India and Indonesia in the Eighteenth Century. *The Indian Economic and Social History*, 24(1), 63-80.
- Rasmussen, P. R. (1966). *Tranquebar: The Danish East India Company 1616–1669*. University of Copenhagen.
- Siddiqi, A. (1982). The Business World of Jamsetjee Jejeebhoy. *The Indian Economic & Social History Review*, 19(3-4), 301-324. Retrieved from <https://doi.org/10.1177/001946468201900303>
- Swamy, M. N. (2021, 09 06). *Book Review: The British Raj Was Once a Narco-State*. Retrieved 02 07, 2023, from The Wire: <https://thewire.in/books/book-review-opium-inc-british-raj-narco-state>

Zhihong, S. (2016). *Central Government Silver Treasury: Revenue, Expenditure and Inventory Statistics, ca. 1667–1899*. China: BRILL. doi:<https://doi.org/10.1163/9789004307339>

Footnotes

- ¹ Means that if some Britisher is accused for a crime done by him in China, the local laws will not be applicable on him, but would be tried by British courts.
- ² If Chinese government gave any special consideration to one partner nation it might be granted to other foreign countries.
- ³ Source: H.R.C Wright: *East Indian Economic Problems of the Age of Cornwallis and Raffle* (London, 1961), p. 109, 113 Morse: *op, cit*, III, 339; Bengal Commercial vol, 30-52, B, Chowdhury: *Growth of Commercial Agriculture in Bengal* (Calcutta, 1964) p. 18, 46.

Good Governance through Constitutional Adjudication and Constitutionalism

Dr. Anjay Kumar

Assistant Professor (Senior Scale), Faculty of Law, University of Delhi, Delhi

Good Governance is means government in consonance with the values of constitution and constitutionalism. There eight indicators of Good Governance as per the United Nations are “Participatory, Rule of Law, Transparency, Responsiveness, Consensus Oriented, Equity and Inclusiveness, Effectiveness and Efficiency, and Accountability.” The role of the Constitutional Courts is significant in the good governance. The present scenario is commitment to the principles of democracy, rule of law implanted in constitutionalism, and good governance.

The Constitution for any state is a breathing document which breathes with its own principles. Every provision of the Indian constitution is rule of law it runs like a golden thread in the entire Constitution. Through the principle of judicial review the judiciary plays dual role as the protector of the Constitution and the guardian of fundamental rights.

Constitutional adjudication is foremost function of Constitutional Courts in a democracy. It could be one of three things. Firstly, the adjudication of a question of law upon the touchstone of a constitutional principle. Secondly, the testing of one constitutional principle with another constitutional principle and thirdly the understanding of a constitutional provision by which the scope and expanse of a provision is increased. During the Constitutional adjudications there is one common factor that has to be kept in mind, being that Constitution of nation is the supreme law and that any interpretation that would run counter to the constitution has to be avoided.

The basic structure doctrine effectively prevents the legislature from exceeding its limits and fixed the accountability of the intuitions of the State and last but not least the personality of the constitution must kept unchanged. Constitution is a means to for regulating the life of a nation, this article focuses on Good Governance through Constitutional Adjudication and Constitutionalism and investigates the different methods constitutional interpretation. The author concludes that the law at no point of time can be static concept. It has to evolve from time to time to ease the life of the people. The role the judiciary is equal with other organs of the government in the area good governance and transformative constitutionalism.

Key words: Good Governance, constitutionalism, Rule of Law, judicial review, constitutional interpretation, transformative constitutionalism.

“Invisible constitution” “floats in a vast, deep Ocean and crucially and invisibly in an ocean of ideas and experiences. And it is only in the depths of that ocean that the Constitution

finds its true meaning. It is by judicial interpretation that many times you breathe life into constitution and find its true meaning. Law cannot be confined to the mere words of the Constitution disregarding the gloss which life has written upon them. The courts fidelity to the Constitution secures its own subordination. But fidelity and creativity are not necessarily antagonistic; they may with devoted insight enhance one another¹ _____

_____ Prof. Lawrence Tribe

The 'Constitution' is a basic law of the country, it establishes the government and function and to demarcate the power of the organs of the government. The Constitution of India is breathing document capable of growth and expansion within accepted restrictions. It is a power map and symbolizes the values, principles and goal. The constitution mirrors the soul of the nation and is expression of highest will. Indian Constitution is a momentous viaduct between the past of a separated and conflicted society with unspeakable pain and injustice and a hope set up on the cosmopolitan values.

Good Governance: "good governance" plays a very important role in the governmental system and objective of every democratic country.² The term "governance" refers to all process of governing undertaken by Government and non-governmental organizations.³ It is a process of functioning and exercising authority to regulate affairs of the citizens. The "engine of good governance" is not only executive but all other stakeholders e.g., legislature, judiciary, media and civil society. The principles of good governance, however, are not new. In 'good governance the government and its institutions are 'accountable, effective and efficient, participatory, transparent, responsive, consensus-oriented, and equitable'. The citizens are empowered to take part in significant manner at the executive level.

Democracy and good governance: Democracy is a multifaceted as it is related to the principle of self-determination and confers autonomy to the people to make a decision on which suitable for them. In this system there is contribution of the citizens, directly or indirectly in the formation of the government. The right to democratic governance should be added-on with a fleshier concept of good governance.

In Good governance there is interaction between the office-holders in power and of citizens. The idea of good governance is the objective of both regional and constitutional law as well as of global law⁴. The citizens are entitled to be ruled in an excellent manner. It means the instrumentalities of the state to recognize human rights and dignity of the person while carrying out public affairs. The role of the citizens is active, accountable, responsive and above all of law abiding prudent man.

Constitutional law differs from ordinary law in that it is not mere law but fountainhead of all laws. One of the most fundamental needs for constitutional interpretation is, by its nature, constitutional rights are drafted in abstract terms and not absolute terms. Another important function of constitutional interpretation is to ensure that legislations that are passed by the legislature are not in contravention of the constitution. This is on the premise that a parliament is not supreme, but a constituted body. Therefore any law that is passed by the parliament which contravenes a constitutional principle would be void. The issue is regarding the principles on which a constitutional court would interpret the constitution to a given situation. Constitutional Adjudication or Constitutional interpretation is one of the foremost functions of constitutional courts in a democratic set up.

The codified constitution is nation founding document, which serves dual purpose of establishing the state and the rules for its governance. After the implementation of the

constitution the test of its working and execution starts. At this stage role of Constitutional adjudication comes into picture and plays crucial role. It bears a complicated connection with constitutional alteration. The necessity of adjudication arises as Constitution is a Multi generation document and particularly where the provision is abstract in nature.⁵

Constitutional Adjudication is one of the main functions of the constitutional Courts in a democratic republic. It is the process by which the constitutional Courts are dealing with the legitimacy and test of any Act or an administrative action. The 'Constitutional law' is dissimilar from ordinary law in objects sources, from the making of ordinary law, in rank and constitutional law is characterized by a certain weakness compared to ordinary law. Ordinary law is made by the government and applied and implemented on the public and if there is any disobedience administration is entitled to impose sanctions. Constitutional law is supreme law and applies to the government also and if there is disobedience the problem of imposing the sanctions arises. Here the role constitutional courts and constitutionalism becomes crucial. The core of constitutionalism is the submission of government to law; the very core of constitutional adjudication is to enforce constitutional law *vis-a-vis* government. A constitution without constitutional adjudication is just like not having a constitution at all.⁶

Constitutionality of a statute: The constitution is supreme in India and supremacy of parliament only in the area where provided by the Constitution itself. A law to be valid must conform to the constitutional norms. It reflects adjudication of a question of law upon the yardstick of a constitutional principle.⁷ It is also the testing of one constitutional rule with another constitutional rule⁸. The interpretation of a constitutional provision by which the scope and area of a provision is increased.⁹ In each of these interpretations there is one thing that has to keep in mind, being that the constitution of a nation is the supreme law and that any interpretation that would be run counter to the to the constitution has to be avoided.

Doctrine of interpretation followed from *A K Gopalan Case*¹⁰ to *Justice Puttaswami (retd.) Case*¹¹ in the interpretation of the Constitution

1. Doctrine of Article 21 being sole repository of right to life and personal liberty¹²
2. Doctrine of inalienable and natural right to life and personal liberty¹³
3. Doctrine of Absence of arbitrariness or doctrine of fairness and reasonableness
4. Doctrine of effect or consequences on Fundamental Rights.¹⁴
5. Doctrine of mutual exclusivity or Doctrine of object or Form of state action¹⁵
6. Doctrine of inter-relationship of Fundamental Rights¹⁶
7. Doctrine of post decisional hearing¹⁷
8. Doctrine of Inalienable and Natural Right to life and Personal liberty¹⁸
9. Doctrine of pith and substance¹⁹.
10. Doctrine of territorial Nexus.²⁰
11. Doctrine of colorable legislation²¹.
12. Doctrine of repugnancy.²²
13. Doctrine of harmonious construction.²³
14. Doctrine of severability.²⁴
15. Doctrine of eclipse.²⁵

Methods of Constitutional adjudications: The Originalism and Living Constitution are the two main schools come in picture in the adjudication of the constitution. The Textualism

or Originalism is largely the same thing. It is also referred to as a model of “fidelity”. Interpreting the meanings of the words used therein without placing, excessive reliance on the intention. In originalist approach means ‘what does it mean have to be taken consideration’ not ‘what it ought to mean’. The purpose is to prevent the change of personality of the Constitution and the main issue is how the sovereignty of the constitution remains in hand people of the country. Once it comes in hand of the judges they will give different color and shades, then color of constitution of changes according to their philosophy, ideas, and psychology. The color of your constitution changes over time if the approach of interpretation not mechanized as per the values of the Constitutionalism.

Originalism School has two branches first is “intentionalist” where ‘intention’ is important and second one is ‘Textualist’ where ‘text’ is most important rather than intention of the framers.²⁶ The framers of the Constitution may have their own personal vendetta, affiliation, social, economic and political background. It means while they are framing the constitution their intention cannot be common. The Living constitution contemplates that constitutional a law is not a static document but is a dynamic document. That which evolves itself over a period of time and with such evolution over a period a time its interpretation would also need to be altered keeping in mind the needs of the society. The fight between original and living interpretation gives to another approach- living originalism.

Textualism and Living interpretation: In the starting *A. K. Gopalan Case*²⁷ ‘originalist’ interpretation followed by the Courts than shifted to more living.²⁸ In *Keshavananda Bharathi v. State of Kerala*²⁹ the Supreme Court of India observed that the words ‘reason’ and ‘reasonable’ denoted the law of nature, which the different jurisdiction referred to differently but connoted the same meaning. The phrases “procedure established by law” and “due process of law”, according to the Court were nothing more than an interplay of words that have the ‘same soul but different bodies’. The fight between the “due process” phrase and the “procedure established by law” phrase finally concluded in the ruling of *Maneka Gandhi v. Union of India*³⁰ held that the procedure that was contemplated in Article 21 had to be a ‘fair, just and an equitable’ procedure and similarly the law had to be a reasonable law and not just any enacted piece. The Supreme Court of India significantly moved from its original stand of textualism to a more living constitutional stand. The Court has read the Art 21, the rights that have not expressly written either in the const or statue to its citizens but has held each of the right are critical for the welfare and well being of the citizens

In *Sunil Batra v. Delhi Administration*³¹ the Court stated, “True our Constitution has no ‘due process’ clause but after *R C Cooper Case*³² and *Maneka Gandhi Case*³³ the consequence is the same.” After the Maneka Gandhi, in a number of subsequent cases the Apex Court, in *M. H. Hoskot v. State of Maharashtra*³⁴; *Hussainara Khatoon v. Home Secretary, State of Bihar*³⁵; *Jolly George Verghese v. Bank of Cochin*³⁶ has also continued approving the due process clause into the Constitution. The Supreme Court shifted towards a living constitutional interpretation by vesting rights that were hitherto unknown to the people by a mean of interpreting the constitution. In this context Justice Vivan Bose in *State of West Bengal v. Anwar All Sarkar*³⁷ said “I find it impossible to read these portions of the Constitution without regard to the background out of which they arose. I cannot blot out their history and omit from consideration the brooding spirit of the times. They are not just dull, lifeless words static and hide-bound as in some mummified manuscript, but, living flames intended to give life to a great nation and order its being, tongues of dynamic fire,

potent to mould the future as well as guide the present. The Constitution must, in my judgment, be left elastic enough to meet from time to time the altering conditions of a changing world with its shifting emphasis and differing needs.”

The foremost objection of a living constitution is not that constitutionalism done by the courts, which is a body that is not elected by the people nor does it owe its allegiance to the people unlike a legislative body. Such being the case, originalists would contend that if there are fundamental changes that are required to be made to the constitution, such changes must be made in the form of amendments and not just through judicial decisions which do not have the backing of the people. The law at no point of time can be a static concept. It has to evolve from time to time to suit the needs of the people. It is no atypical fact that those who knock on the doors of the Court are the common men and women to whom the law at no point of time can or should be of a nature that hinders their path to justice.

Constitutionalism: The very soul of constitutionalism is the commitment to the value of constitution. The constitutional Courts in its judgments have tried to decode the ‘idea’ of constitutionalism and has used the term ‘constitutionalism’.³⁸ The term constitutionalism is the blend of two words. One is ‘constitutionalism’ and the second, ‘constitutionalism’. The last syllable the “ism” has an additional meaning(s) that denote a theory Constitutionalism is important word for various aspects of study of constitutions.

Transformative constitutionalism: Transformative constitutionalism is a “long-term project of constitutional enactment, interpretation, and enforcement committed in a historical context of conducive political developments) to transforming a country’s political and social institutions and power relationships in a democratic, participatory, and egalitarian direction.”³⁹ The role of the Judiciary invested with the power of judicial review or constitutional review which is based on the principle is that all laws are to be tested on the touchstone of constitutional law. The Supreme Court is the guardian of the constitution and the arbiter of all functions of all the organs of the state. It is for the court to uphold the Constitutional values and enforce the constitutional limitations. Judicial Review is the power of the superior courts to test the legality of any action.

Judicial Attitude on constitutionalism: The Apex Court used the term Constitutionalism while delivering the judgments⁴⁰ and constitutionalism must be echoed while the instrumentality of the state allocating the natural resources.⁴¹ Constitutionalism is not assured by the simple existence of a Constitution. Not constitution can be entirely written or unwritten.⁴² The end of the story is that the law is for the help of the common man this is the yardstick and to be kept in central point *viz-a viz* allegiance to democratic values, constitutionalism, accountability, transparency and the rule of law.⁴³ The Constitution assigned duty to every limbs of the government of caring the interests of, the welfare of and the security of the homeland. The supremacy of judicial review accepted to guarantee that lawmaking and law executing powers will remain *intra vires*. Nonetheless, the core of constitutionalism is that no one above the constitution and the judicial self-control cannot entail abandonment of the constitutional assigned job.⁴⁴ The Judicial review is an inbuilt part of constitutionalism and can not be diluted.⁴⁵

A Constitution is a thing forerunner to an authority, and ‘good governance’ is a child of the Constitution. Constitutional law accepts the survival of a State and rules that legalize the composition and role of the key limbs and their bonding with each other and to the social order. In a codified Constitution, the jurisdiction of interpretation lies with the constitutional

courts.⁴⁶ The 'Access to Justice' and Social Justice are allied and without the former the latter cannot be realized.⁴⁷ The Constitutionalism, rule of law and democratic governance are critical ways to institute an 'egalitarian social order' which is most important preambular objectives.⁴⁸ In India the President and Governor, a replicate of a constitutional monarch and a Cabinet answerable to Parliament, substantially embodying the conventions of the British Constitution-not a turnkey project imported from Britain, but an edifice made in India with the know-how of British Constitutionalism.⁴⁹ Article 14 is face of the classless will of the Constitution and is a patent cursor that arbitrariness is enemy of equality. The powers under Article 72 and Article 161 must be exercised within the four walls of the constitutionalism.⁵⁰ The Constitutionalism or constitutional cultures are not assured by the simple existence of a Constitution. The political maturity and traditions of the electorate afford essence to a Constitution and the power of the legislature is to be read with the constitutionalism.⁵¹ The teaching community should renovate their pledges with a spiritual in the framework of Constitutionalism, with secular principles to help the state to achieve an equal social order under the rule of law.⁵² There is no place of arbitrariness in the exercise of constitutional power and every type of power including constitutional power is subject to Constitutionalism.⁵³ Similarly "The power to pardon, grant remission and commutation, being of the greatest moment for the liberty of the citizen, cannot be a law unto itself but must be informed by the finer canons of constitutionalism."⁵⁴ In the territory of constitutionalism the principles of mutual trust and respect between the functionaries, helps in strengthening the working of the Constitution.⁵⁵

The constitutionalism dislikes totalitarianism and dictatorship. It is based on the principle of rule of law where subjective satisfaction is replaced by objectivity as per the provisions of the Constitution. This ultimately leads conversion of the democratic theory and constitutionalism in to moral relativism and moral realism.⁵⁶ Constitutionalism relates to the limits and aspirations and the interpretation of the Constitution as a codified text is concerned with aspirations to social justice, fraternity and fundamental principles.⁵⁷ The Constitution is a blood written document, prized heritage and, its identity not be allowed destroyed at any cost.⁵⁸

The principle of constitutionalism works on the model of controlled Constitution, check and balance and the separation of powers along with justifies principle of legality.⁵⁹ In the reign of constitutionalism there is accountability of power its use only for endorsement of constitutional principles and dreams.⁶⁰ And the very fundamental nature of constitutionalism is no limb of the government can travel beyond the area specified in the Constitution.⁶¹

Conclusion and Suggestions: The Constitution should not be too flexible or too rigid. It is not easy to redraft the constitution. If it is too rigid, it will hinder the growth of the vital, living, organic and vibrant people. The conflict between originalism, living constitution, and constitutionalism can be resolved by the rule of law, separation of powers, and judicial review. In the commencement, the Supreme Court followed the textualist approach. In *A.K. Gopalan Case*⁶² the Supreme Court decided that Art. 19, Art. 21 and Art. 22 related exclusively diverse issues, and be interpreted as separate provisions. The Supreme Court started using other methods of understanding. In a historical case of *the Fundamental Rights Case*,⁶³ the Apex Court ruled that amendment power of the union legislature is subject to the "doctrine of basic structure". The Court also unconditionally abandoned the approach *Gopalan Case* in *Maneka Gandhi Case* and changed the personality and aura of Art. 21.⁶⁴

Three Stages of the Public interest litigation⁶⁵

Stage-I: The focus on to protect Article 21, relaxation of the rule of *locus standi* so that that poverty illiteracy and ignorance not be allowed barrier to access to justice.

Stage -II: The focus on the environment, ecology and ecosystem

Stage-III: The focus on maintaining the integrity, transparency and good governance.

Morality and 'Living Constitution': The Supreme court of India used constitutional morality as a tool of interpretation while applying the doctrine of judicial review. In *Navej Singh Johar v. Union of India*,⁶⁶ the Court observes, "The Constitutional Courts have to recognize that the Constitutional rights would become a dead letter without their dynamic, vibrant and pragmatic interpretation. Therefore, it is necessary for the Constitutional Courts to inculcate in their judicial interpretation and decision making a sense of engagement and a sense of constitutional morality so that they, with the aid of judicial creativity, are able to fulfill their foremost constitutional obligation, that is, to protect the rights bestowed upon the citizens of our country by the Constitution." The Transformative Constitutionalism and the role of the judicial arm, it notes that "the idea is to steer the country and its institutions in a democratic egalitarian direction where there is increased protection of fundamental rights and other freedoms." In *Kapila Hingorani v. State of Bihar*⁶⁷ the Supreme Court observed that, "the interpretation of the Constitution or the laws cannot remain static. New rights will originate from the scheme of the 'Constitution' and leads to expansions of sphere of constitutional law. A Constitution is a living document with the inbuilt mechanism it expands itself and the Courts also possess positive position towards this expansion."⁶⁸The understanding of the 'Constitution' cannot be fixed to its original meaning and intention; otherwise the Constitution cannot meet the expectations of the humanity.⁶⁹

Basic structure doctrine and living constitution: The challenging relationship between the living constitution and the basic structure can be progressively lessened. In *Kesavananda Bharti Case*⁷⁰ the doctrine of basic structure laid down this doctrine but not defined. After *Bharti Case*⁷¹, several other features declared basic. In *Election Case*⁷², 'free and fair elections' in *Raghunathrao*⁷³, the principle of equality, in *Mandal Commission Case*⁷⁴, the 'rule of law' in *L. Chandra Kumar Case*,⁷⁵ judicial review, in *S.R. Bommai*⁷⁶, federalism and secularism, in *JMM Bribery Case*⁷⁷ 'parliamentary' democracy, in *9th schedule case*⁷⁸, the Art. 14 Art. 19 and Art. 21, the 'golden triangle' in *M. Nagaraj Case*,⁷⁹ 'egalitarian equality' was declared as basic structure.

Use of Doctrine of Basic Structure to strike down the constitutional amendments:

1. In 1964 17th CA, Art. 13(2)⁸⁰.
2. In 1971 the 25th CA, Art. 31C.⁸¹
3. In 1973 the 32nd CA, Art. 371(1).⁸²
4. In 1975 the 36th CA, Art. 329. In August 1975, the Thirty-Ninth Amendment, which among many other provisions withdrew the election of the Prime Minister from judicial review.⁸³
5. In 1976 the 42nd CA, Art. 368 (4) & (5).⁸⁴
6. In 1985 the 52nd CA, 1985 10th Sch. 7th Para⁸⁵.
7. In 1976 the 42nd CA, Art. 323 A (2)(d)⁸⁶
8. In 2015 the Constitution (Ninety-Ninth Amendment) Act, 2014 (99th Amendment) along with the National Judicial Appointments Commission Act, 2014 (NJAC Act). Art. 124A, Art. 124B & Art. 124-C.⁸⁷

Living constitutionalism is principally the course of action of constitutional expansion fashioned by the dealings of the courts with different organs of the government. To be aware of living constitutionalism, awareness of constitutional construction is important. It's hard to discount the argument that judicial activism can occasionally turn into judicial overreach, resulting in democratic gridlock. When the people delegate all of its major decisions to the judiciary, it misses out on the democratic exhilaration of fighting things through the democratic process.

Digitalization of the Courts rooms and artificial intelligence be used wherever possible. The Police Reforms to be implemented as per guidelines of the Supreme Court.⁸⁸ There should be restructuring of the complaint system in criminal law and filing e-FIRs be initiated.

Criminalization of Politics, corruption and delay in disposal of cases are great Challenges to Good Governance.⁸⁹ Corruption is foremost barrier in humanizing the eminence of governance.⁹⁰ There should be creation of special courts for political corruption and Resort Politics.⁹¹ Though the Supreme Court plays important role in the creation of right of education⁹² still the right to education be more strengthen towards the quality of education so that free and intelligent public opinion be created which plays very important role for good governance. There should be Transparency in appointment of judges and creation of national judicial infrastructure authority of India (NJIAD). The political parties and RTI: Political parties are most becoming most corrupt institution⁹³ need to be included under RTI. The constriction of the constitution must be welfaric understandable to prudent man. The healthiest, longest, widest, strongest constitution can continues as such if the people dealing with it are of positive and welfaric attitude. The check and balance is invisible element *i.e.*, constitutionalism remains always behind the textual personality of the law.

(Footnotes)

¹ *V. Sudhish Pai, Construing the Sounds of the Constitution's Speech: Meanings beyond Text available at: https://nja.gov.in/Concluded_Programmes/2018-19/P-1110_PPTs/10.Construing%20the%20Sounds%20of%20* (last visited on March 10, 2022).

² Good Governance Day (Susasan Divas) observed annually on 25-December.

³ The word good governance derived from the Greek verb 'kubernao' which means 'to steer'. The dictionary meaning of governance is way of governing.

⁴ The Universal Declaration of Human Rights, 1948, art. 28. It provides an individual entitlement to "a social and international order in which the rights and freedoms set forth in the UDHR can be fully realized."

⁵ Some provisions are absolute in nature where interpretation is not required for example Art. 58 of the Constitution of India provide a minimum age of 35 years and Art. 83 provides duration of House of People is 5 years.

⁶ Dieter Grimm, *Constitutionalism: Past, Present, and Future* (Oxford: OUP, 2016).

⁷ *Hamdard Dawakhana's Case*, AIR 1960 SC 554, Constitutionality of the Drugs and Magic Remedies (Objectionable Advertisement) Act 1954 was challenged.

⁸ *Mandal Commission Case*, AIR 1993 SC 477, 1992 Supp 2 SCR, *M Nagaraj & Ors. v. Union of India & Ors.* (2006) 8 SCC 212.

⁹ *Vishaka v. State of Rajasthan* ((1997) 6 SCC 241) *D.K Basu v. State of West Bengal* AIR 1997 SC 610

¹⁰ AIR 1950 SC 27

- ¹¹ (2017) 10 SCC 1
- ¹² *Habeas Corpus Case* 1976 AIR 1207, 1976 SCR 172
- ¹³ Justice K.S. Puttaswamy (Retd.) & Anr. v. Union of India & Ors. (2017) 10 SCC 1
- ¹⁴ *Fundamental Rights Case* AIR 1973 SC 1761, *Bennett Coleman and Co. v. UOI* AIR 1973 SC 106
- ¹⁵ *Gopalan Case* AIR 1950 SC 27
- ¹⁶ *Bank Nationalization case* AIR 1970 SC 564
- ¹⁷ *Maneka Gandhi v. UOI* AIR 1978 SC 597
- ¹⁸ *Justice K.S. Puttaswamy (Retd.) & Anr. v. Union of India & Ors.* (2017) 10 SCC 1; AIR 2017 SC 4161
- ¹⁹ *State of Bombay v. F N Balsara* AIR 1951 SC 318
- ²⁰ *RMDC v. UOI* AIR 1957 SC 628
- ²¹ *K.C Gajapati Naryana Deo v. State of Orissia* AIR 1953 SC 375
- ²² *Deep Chand v. State of U.P* AIR 1959 SC 648, *Hoecht Pharma Ltd. v. State of Bihar* AIR 1983 SC 1019, *M Karunanidhi v. UOI* AIR 1979 SC 898, *Zaverbhai Amaldas v. State of Bombay* 1954 AIR 752, 1955 SCR 799, *ITC Ltd. v. Agriculture Produce Market Committee*, AIR 2002 SC 852.
- ²³ *Godfrey Phillips India Ltd. v. State of UP* AIR 2005 SC 1103
- ²⁴ *Kihota Hollohan v. Zachillu* AIR 1993 SC 412
- ²⁵ *Bhikaji Narayan v. State of MP* AIR 1955 SC 781, *State of Gujarat v. Sri Ambika Mills* AIR 1974 SC 1300
- ²⁶ According to Justice Scalia, it is what is “said,” not what is “meant,” that is “the object of our inquiry.”
- ²⁷ AIR 1950 SC 27.
- ²⁸ The *Keshavananda Bharathi v. State of Kerala* impliedly overruled the *A K Gopalan Case* and held ‘due process’ is a common law concept. The ‘procedure established by law’ and ‘due process of law’ were nothing more than an interplay of words that have the “same soul but different bodies. A k Gopalan Case explicitly overruled in *Maneka Gandhi case*.
- ²⁹ AIR 1973 SC 1973.
- ³⁰ AIR 1978 SC 597.
- ³¹ AIR 1978 SC 1675.
- ³² AIR 1970 SC 564
- ³³ AIR 1978 SC 597
- ³⁴ AIR 1978 SC 1548.
- ³⁵ AIR 1979SC 1369.
- ³⁶ AIR 1980 SC 470.
- ³⁷ 1952 AIR 75, 1952 SCR 284.
- ³⁸ The term ‘Constitutionalism’ means limited government *i.e.*, legal limitation on government.”
- ³⁹ Available at:<https://repository.library.northeastern.edu/files/neu:332935/fulltext.pdf> (last visited on March 20, 2022).
- ⁴⁰ *State of Jammu & Kashmir v. Triloki Nath Khosa* (1974) 1 SCR 771
- ⁴¹ *Centre for Public Interest Litigation v. Union of India* (2012) 3 SCC 1 see also Art. 39(b) of the Constitution.
- ⁴² *S R Chaudhari v. State of Haryana* (1997) 1 PLR 531
- ⁴³ *Reliance Natural Resources Ltd. v. Reliance Industries Ltd* (2010) 7 SCC 1
- ⁴⁴ *G.V.K. Inds. Ltd. v. Income Tax Officer* (2011) 4 SCC 36
- ⁴⁵ *Amrik Singh Lyallpuri v. Union of India* AIR 1997 SC 1125

- 46 *B. R. Kapoor v. State of Tamil Nadu* AIR 2001 SC 3435
- 47 *State of Haryana v. Darshana Devi* 1979 AIR 855, 1979 SCR (3) 184, The Constitution of India, 1950, art.14 and 39A,
- 48 *Rajeev Mankotia v. The Secretary to the President of India* (1997) 10 SCC 441
- 49 *Shamsher Singh v. State of Punjab* AIR 1974 SC 2192
- 50 *Maru Ram v. Union of India* (1981) 1 SCC 107
- 51 *R.C. Poudyal v. Union of India* 1993 AIR 1804, 1993 SCR (1) 891
- 52 *Avinash Nagra v. Navodaya Vidyalaya Samiti* (1997) 2 SCC 534
- 53 *Swaran Singh v. State of U. P* (1998 (4) SCC 75)
- 54 *Satpal v. State of Haryana* AIR 2000 SC 1702, (2000) 5 SCC 270.
- 55 *Tirupati Balaji Developers Pvt. Ltd. v. State of Bihar* (2004) 5 SCC 1
- 56 *Rameshwar Prasad v. Union of India* (2006) 8 SCC 212
- 57 *M. Nagaraj v. Union of India* (2006) 8 SCC 212
- 58 Chandrachud, C.J., in *Minerva Mills Ltd. v UOI* AIR 1980 SC
- 59 *I. R. Coelho v. State of Tamil Nadu* (1999) 7 SCC 580
- 60 *Nandini Sundar v. State of Chhattisgarh* (2011) 7 SCC 547 , [2011] 8 SCR 1028
- 61 *Re: Ramlila Maidan Incident v. Home Secretary, Union of India*
- 62 AIR 1950 SC 27
- 63 AIR 1973 SC 1473
- 64 AIR 1978 SC 597; (1978) 1 SCC 248
- 65 *State Of Uttaranchal v. Balwant Singh Chaufal & Ors* 2010 (3) SCC 402)
- 66 AIR 2018 SC 4321
- 67 (2003) 6 SCC 1
- 68 *Kalpna Mehta v. Union of India* (2018) 7 SCC (1).
- 69 *Justice K.S. Puttaswamy (Retd.) & Anr. v. Union of India & Ors.* (2017) 10 SCC 1; AIR 2017 SC 4161, *State of West Bengal v. Committee for Protection of Democratic Rights* (2010) 3 SCC 571
- 70 (1973) 4 SCC 225; AIR 1973 SC 1461
- 71 *Ibid.*
- 72 1975 AIR 1590, 1975 SCC (2) 159
- 73 1993 AIR 1267, 1993 SCR (1) 480
- 74 AIR 1993 SC 477, 1992 Supp 2 SCR 454
- 75 AIR 1997 SC 1125
- 76 1994 AIR 1918, 1994 SCC (3)
- 77 (1998) 4 SCC 626.
- 78 *I R Coelho v. State of Tamil Nadu* (AIR 2007 SC 861)
- 79 (2006) 8 SCC 212
- 80 *I.C. Golak Nath Case* AIR 1967 SC
- 81 The Fundamental Right case, AIR 1973 SC 1463
- 82 *P. Smabhamurthy v UOI* AIR 1987 SC 663
- 83 *Election Case* (1975 AIR 865, 1975 SCR (3) 333)
- 84 *Minierva Mills Case* AIR 1980 SC 1789
- 85 *Kihoto Hollohin v. Zachilhu* AIR 1993. The 52nd Constitutional Amendment inserted 10th Schedule
- 86 *L. Chandra Kumar v. UOI* AIR 1997 SC 1125.
- 87 *Supreme Court Advocates on Record Association v. UOI* (2015) AIR 2015 SC 5457.
- 88 *Prakash Singh & Ors. v. Union of India & Ors.,* JT 2006 (12) SC 225

- ⁸⁹ *Available at*:<https://www.thehindu.com/news/national/india-slips-two-places-on-global-corruption-perception-index/article30634389.ecen-global-corruption-perception-index/article30634389.ece>(last visited on March 16, 2022).
- ⁹⁰ *Ibid.*
- ⁹¹ *Available at*:<https://www.hindustantimes.com/editorials/end-the-culture-of-resort-politics-101646830896139.html>(last visited on March 19, 2022).
- ⁹² *Mohini Jain v. State of Karnataka & Ors.* (1992) 3 SCC 666; *Unni Krishnan & Ors. v. State of Andhra Pradesh & Ors.* (1993) 1 SCC 645; *T.M.A. Pai Foundation & Ors. v. State of Karnataka & Ors.* (2002) 8 SCC 481; *Islamic Academy of Education & Anr. v. State of Karnataka & Ors.* (2003) 6 SCC 697; *P.A. Inamdar & Ors. v. State of Maharashtra & Ors.* (2005) 6 SCC 537.
- ⁹³ *Available at*:<https://www.transparency.org/en/press/political-parties-are-most-corrupt-institution-worldwide-according-to-ti-gl>(last visited on March 10, 2022).

Digital Technology: Safe and Responsible Use in School and Colleges

Dr. Shailja Anand Srivastava

Visiting Faculty, Department of Education, S.P.M. College , University of Allahabad

Education is continuously changing. It should be according to our society, culture and in present time our needs. At present modernization in every aspects is continuously going on. So digital technology has modified nearly aspects of modern life. Education become more interactive due to technology. Due to gasification the education has made learning fun and interactive. In fact it has also made it easier to understand difficult subjects. We can see in some of the areas like travel, work, entertainment, shopping, communication etc that have been transformed in recent decades. Digital technology define that devices which is more faster, lighter, compact and more versatile. We can store huge amount of knowledge and most around virtually immediately.

So digital technology is a powerful tool that can transform and support education in a lots of ways, to make easier for teachers and students. Digital technology also increase access to education resources. It also increased student engagement and children can learn at their pace with digital tools. Digital technology has also change the duties, responsibilities and role of teachers and students. Traditionally, teachers were the main source of information for children. But with the internet, information is accessible to everyone shifting the role of teachers. It is also a large part of our lives outside of the classroom. So, incorporating them in to education makes sense.

Importance of digital technology

Digital technology has great importance in various aspects like social connectivity, learning opportunities, versatile working, information storage, communication speeds, editing etc. It makes easy to stay in touch friends, family and work fastly even we are in another part of the word. We can express through various aspects like video, audio, words and exchange other media. It helps users to socialize through website nobody feels isolated in the digital word via social media, messaging, mobile phones, laptops, tablets etc. Our nature of work has also been transformed by digital technology. It increase connectivity options like work from home and as remote working becomes increasing very common. We can done our work from not only hundreds or even thousands of miles away without any difficulties. There is no need for all workers to be present in the same building. It also increase learning opportunities. Lessons and courses now can be delivered virtually online. We can easily interact with most of the world population and we can learn directly from sources. It is very helpful for those people having disabilities. It is increasing going machines smarter which means better standards of safety or a better experience for the user. Digital technology also enables the storage of massive amounts of information in small spaces. We can store large

amount of media like photos, videos, music etc on small devices. It has also a great importance in the field of media that is information can be easier to edit or manipulate. So we can see that digital technology safe and has great importance and responsible use in school and colleges.

Digital technology impacting what, where, how and why students learn. At present time most of the schools and colleges are using digital technology like the internet, laptops and tablets to easily and effectively connects students with the wide range of digital services and resources. Digital technology has many benefits of learning but also has some challenges and potential risks for students, colleges and schools. These challenges are real and create problems to school and colleges. We can broadly classified digital technology as follows- cyber safety, cyber crime and cyber security. Digital technology have a great role but it must be balanced through strategies that initiate skill development , knowledge for safe and responsible use of digital technology. It should also promote opportunities for students who are involved in the management of digital technology at the school. It should also promote corporation of the whole community in preventing and responding to incidents . Finally it's goals is to ensure the online safety for all the students.

Digital technology enhances the probability of employment prospects and individual variances in career choice. It's application gives permission to a students to participate, investigate and partake in logical methodology. There is some disadvantages of digital technology is also that is it is associated with sleep disorders among children when they used for long time. It also causes psychological or behavioral issues such as anxiety, depression, attention deficit or hyper activity disorder. Playing computer games induces a Rush of adrenaline. So there are numerous ways in which technologies can disrupt children's bedtime.

Aims

It's measure aim to support school and colleges in the management of safe and responsible use of digital technology for learning. Its purpose to provide information to the principal and teachers through digital technology. Responsible use of technology means engaging with technology safety respectfully and understanding right from wrong.

The overall aims for school and colleges is to create a learning environment involving the safe and responsible use of digital technology. This is largely achieved by positive and motivated culture of digital technology use where challenges are understood to exit. This approach should reduce negative outcomes by- Reducing the incidents of misconduct involving digital technology. Minimizing harm to students by effectively responding to incidents when they occur.

Steps for Use Digital Technology Safe and Responsibly

Digital technology as a valuable learning resource is immense. if students use the internet without safety awareness they may fall prey to legal activity or abuse such as cyber bullying, fraud or something even more serious. so awareness of internet safety norms is absolutely in dispensable to make children free to explore knowledge without feeling intimidated.

As a responsible user of technology student should follow the following steps like- keep username and passwords private, completely log out of computers and other technology services before leaving a computer, keep the documents and electronic data secure , use the technology ethically, students should do the best to keep the technology in there possessions safe and secure. They do not take technology from school unless given permission. They should use technology for only educational purposes. Schools need to promote a safe and secure educational environment for effective teaching and learning.

Measures to Use Digital Technology in a Safe and Responsible Manner

The measures that need to be promoted to ensure the safe and responsible use of digital technology have been stated as follows: (Digital technology,2015)

Prevention- The prevention activities that involve digital technology is better than coping with the problems that arise. An effective prevention strategy is comprised of activities such as promotional that guide the learning of the young individuals in the digital world and protective, these aim to alleviate the risk by implementation of protecting, support and intervention strategies.

Incident response-

There are occurrence of risks and to cope up with them in an efficient manner, it is vital to eliminate the risk associated with incidents. The educational institutions develop response plans, before any kind of incident occurs. The main purpose of the incident response is to alleviate distress and maintain security and protection. Emphasis is put up on the behaviour of the Individuals and one should maintain the integrity of the digital services. Schools advised to take the measures like educate students for safe and effective use of internet, make children explicitly aware of the rule for the acceptable use of the internet, install effective firewalls filtering and monitoring software mechanism in all the computers and regularly review filtering and blocking policies and procedures, various types of unsolicited contents available on internet must be blocked, isolate internet access from other school network, deploy digital surveillance system, make students using the internet to work in highly visible areas of the school, supervise and monitor all online activities in the light of educational objectives, allow students to access only pre selected websites appropriate to their age group, aware the teachers and other school staffs about internet safety norms, take strict disciplinary action against those who attempt to bypass filtering or to access inappropriate or illegal material, sensitize the parents about internet safety norms, disable the usernames and passwords of those who leave the school promptly, avoid digital and video images of individual students or teachers on school websites for safety of children, use only the license version of software's etc.

Safety of children in the school bus also- it is advise that the mobile phone to be made available in each of the school bus to deal with unprecedented emergency should be of basic model without internet facility and data storage. It is informed that carrying electronic communication devices transmission is not permitted in school and school bus without permission and verification of school authorities. The principal of the school and transport in charge should check the mobile phone available with the attendant of the bus.

Check And Control

Duties and responsibilities of Guardians / Teachers

It should be the responsibility of the parents in homes that the purpose for which their children are moving forward in digital technology is actually being fulfills or not, whether they are going in the right direction or not. They should keep checking, their children are not using digital technology safely and responsibly. So there is a need to control them. Similarly teachers should have a role in schools and colleges to monitor students from time to time to ensure that there the steps are going right in the direction of digital technology or not. So there should also control whether the purpose for which digital technology is being used is actually being full filled or not. Thus digital technology through check and control, irresponsibly and unsefe uses can be reduced.

So we have several advantages of learning through digital technology and at the same time have some disadvantages in education. According to(Digital technology, 2015) cited by Kapoor 2018 “the digital challenges are real and prove to be impediments within the course of attainment of knowledge and information. Measures are required to be implemented to overcome the problems and challenges associated with digital technology.

Conclusion

It has been understood that digital technology has gained prominence all over the world. All individuals have purposes that make use of digital technology. They have to communicate with others, acquire information, generate awareness, share information and upgrade their knowledge and skills. In order to achieve the purpose, it is vital for the individuals to possess efficient knowledge and skills to make use of digital technology. In order to achievement of goals and objectives it is vital that individuals be provided within the tools and equipment that is required to collaborate and work in integration.

In education and management to avoid un favorable effects and different ownership one should adopt clear road maps to ensure that digital workplace provides miserable business values and individuals are able to put into operations various technologies that may enhance their job functions. There are numerous types of digital technologies. Laptops, Smartphone, computers are the ones that are extensively made use of in all areas. The individuals make use of these technologies in the management of their homes. So it is vital for the individuals to posses the knowledge of what are the technologies within the organization, in which they are working and how their use will vary.

References

1. “Internet safety”, Wikipedia, the free encyclopaedia https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_safety
2. “The cyber safety handbook,” https://www.bmc.org/sites/default/files/About_Us/CyberSafetyHandbk-AARP.pdf
3. S. Clegg,” THINK before you,” www.joshshipp.com
4. “Digital safety and responsibility,” <https://www.fwisd.org/Page/24606,”>
5. “Raising digital citizens,” <https://staysafeonline.org/get-involved/at-home/raising-digital-citizens/>
6. Digital technology. Safe and responsible use in schools.(2015). Retrieved October 22, 2017 from <http://www.education.govt.nz/assets/Documents/School/Managing-and-supporting-students/DigitalTechnologySafeAndResponsibleUseInSchs.pdf>
7. Innovating Education and Educating for Innovation. The power of Digital Technologies and Skills. (2016). Retrieved October 22, 2017 from <https://www.oecd.org/edu/cei/GEIS2016-Background-document.pdf>
8. The Digital workplace: Think, share, Do. Transform your Employee Experience(n.d.) Retrieved October 22, 2017 from https://www2deloitte.com/content/dam/Deloitte/mx/Documents/human-capitals/The_digital_workplace.pdf
9. N.Willard, Cyber Savvy: Embracing Digital Safety and Civility. Sage,2011
- 10.“ Top 10 Internet safety rules & what not to do online,” <https://usa.kaspersky.com/resource-center/preemptive-safety/top-10-internet-safety-rules-and-what-not-to-do-online>

Demystifying the Different Stages of Crime

Dr. Savita Mishra

Abstract

Crime poses a threat to the well-being and security of society, putting its members at risk. To deter citizens from engaging in anti-social and barbaric actions, punishment serves as a guiding principle in criminal laws. Unlike civil law, which focuses on individual rights, criminal offenses primarily impact public interests. It's important to note that an act itself is not inherently criminal; it only becomes illegal when the actor commits it with the required intent to do harm. In this study, the researcher aims to explore and shed light on the various stages of criminal behavior, aiming to provide clarity in distinguishing punishable stages from those that are not. Furthermore, it is crucial to conduct an analysis with other countries and examine the rules that exist for differentiating between various stages of crime. This would contribute to enhancing our understanding of the subject matter. Moreover, the stages of crime play a significant role in determining the severity of punishment, making it imperative to provide detailed explanations and elucidate their significance.

Introduction

Criminal law is the body that defines acts that are illegal and can affect individuals, property, and society. Crime endangers and jeopardises well-being and security of the society. Punishment is used as a torchbearer in these criminal laws. This is done to discourage and ban citizens from anti-social and barbaric actions and behaviour. A key aspect of criminal offenses is that they affect public interests rather than individual rights that are part of civil law. In India, criminal law is governed by both substantive and procedural law. The substantive law consists of the Indian Penal Code, 1860¹ and the procedural law consists of the Criminal Procedure Code, 1973.² The essential concept of criminal responsibility is that there must be both a guilty act which is defined as *actus reus* and a guilty intention which is defined as *mens rea*. No act is *per se* criminal. It only becomes illegal when the actor performs it with the necessary guilty intent. There are few circumstances where the guilty mind is not required to show criminal culpability. The criminal law as we see today has evolved through different stages. The first civilizations broadly did not differentiate between civil and criminal law. Early codes did not separate criminal and civil law. After the 12th-century revival of Roman law, the 6th-century Roman taxonomy and jurisprudence provided the basis for the differentiation between criminal and civil law in European law from that time to the present day.³ The first sign of the modernized differentiation between criminal and civil acts appeared during the Norman invasion of England.⁴ The evolution of state justice in courts became evident in the 18th century, when European countries started police services. From that point on, criminal law formalized enforcement mechanisms and allowed them to develop as recognizable entities. Now it important to note that every crime, especially

one committed with specific intent, is preceded by a thorough procedure or series of stages. The four stages of crime recognized under the Indian Penal Code⁵ are Intention, Preparation, Attempt and Accomplishment. First stage involves the intention of the offender to commit a crime. Second stage involves the offender making preparations to commit the crime. Third stage involves the offender taking concrete steps towards committing the crime. Fourth stage is the final stage where the offender completes the offense and violates the law. These will be discussed further in the research project.

Intention To Commit The Crime

The first stage of a crime is the intention or the mental element of the crime, also known as “mens rea.” For a crime to have occurred, the person must have had the intention or the knowledge that their actions would result in a criminal offense. The intent is an essential element of the crime, as it is the mental state that demonstrates a person’s culpability and determines the severity of the crime. There is a legal maxim to highlight the importance of intention in determining the criminal liability. The Supreme Court in the case of *State of Rajasthan vs Shera Ram*⁶ declared that “for committing a crime, the intent and act both are regarded to be the ingredients of the crime, actus non facit reum nisi mens sit rea.” And in this way this maxim was upheld. ACTUS NON FACIT REUM NISI MEN SIT REA means that “An act per se is not guilty unless it is accompanied by a guilty mind.” Intention can take many forms, including purposeful, knowing, reckless, or negligent. Purposeful intent is when a person intends to commit a specific crime, while knowing intent is when they are aware that their actions will result in a criminal offense. Reckless intent is when a person disregards the risks associated with their actions, and negligent intent is when a person fails to act as a reasonable person would under similar circumstances.

Proving intention can be challenging as it is often based on circumstantial evidence. However, prosecutors may present evidence such as the person’s behavior leading up to the crime, their statements or confessions, or their prior criminal history to demonstrate their intent. Mental illness, intoxication, or coercion can also affect a person’s intention to commit a crime. In cases of mental illness, a person’s capacity to form the requisite intent may be impaired. In cases of intoxication, a person’s ability to form the intent may also be affected, particularly if they were involuntarily intoxicated. Coercion can also negate the intent element, as a person may be compelled to commit a crime under duress or threat of harm.⁷ The concept of intention also plays a role in determining criminal liability. In general, a person must have acted with a guilty mind or mens rea to be found guilty of a crime. Additionally, it is also pertinent to mention that the intention must stand in relation to a person who is either alive or who is believed to be alive. This was observed by the court in the case of *Palani Goundan V. Emperor*.⁸ However, some crimes, such as strict liability offenses, do not require intent. These certain offences have a direct influence on society, and their effect would be so severe without the mental component, that they have shook the foundation of civilization. These offenses impose liability regardless of the person’s intent, such as selling alcohol to a minor or kidnapping, etc. The maxim of Actus Non Facit Reus Nisi Men Sit Rea relates to fault based liability and not strict liability⁹. As it is practically difficult to know someone else’s intentions, mere intention will not be considered a crime.¹⁰ As the famous saying goes “the state of a man’s mind is as much a fact as the state of his digestion.”¹¹ This was observed in the case of *Edgington v Fitzmaurice*. Hence, at this stage, it is very difficult to determine a man’s criminal responsibility since it is difficult to ascertain his intent.

Preparation To Commit The Crime

It is important to understand that after an intention to commit a crime has been established it is necessary for the parties who decide to commit the crime that they need to prepare for the crime in order to lead the crime to a fruitful position. This phase of crime is classified as the preparation phase of crime. This phase of crime is present in most cases of offence be it organised or unorganised. When considering commission of an organised crime, the phase of preparation is a long one filled with lots of manoeuvring as established by forensic and criminal psychology as in cases of organised criminal activity. The better the preparation the higher is the chance regarding the occurrence of a particular event for the offenders to make the crime successful. The occurrence of such particular event may or may not be directly linked to that of the criminal objective would ultimately lead to the successful commission of an offence.

The use of the preparation phase is applicable to basic procurement of tools to an extremely complicated and complex situation of multiple arrangements like hiring mercenaries, placing traps, setting up of internet-based traps to setting up of a suitable situation for the purpose of escaping after the commission of crime or in case of emergency situation like failure of occurrence of crime after attempting it.

As established by law, preparation alone is not punishable for crime in India except some situations and instances that provide us an opportunity to prevent the commission of a particular offence. Such offences include offences of waging war¹², dacoity¹³, counterfeiting of coins¹⁴ and depredation of state¹⁵. The legal interpretation behind this judicial action is that the above-mentioned crimes are an offence against the state and in an event where such actions were to take place would lead to grave consequences for the society.

While prosecution of crime for preparation is limited to very few offences most of the offences are not liable to be tried in India. The logic to not do so is because, the criminal law in India instead of being preventive in nature is reformatory in nature. If, one was to nab the person in the early preparation stage of crime he may have deterred the criminal action but, there still is suppression of rights of a person who without having committed the crime may have been imprisoned. Thus, in case of Indian criminal law and criminal jurisprudence there is a respite given to the accused in cases of preparation as there still lingers a probability that due to reasons like fear of law, consequence or morality one would backdown from the preparation stage of crime and would thus lead to no commission of crime and preventive detention or arrest of a person unless the crime if committed is so grave in nature that if not deterred it may affect the society as a whole in a very aggressive manner.

While such an approach is humanitarian and progressive in view it presents us with complicated problems such as the detection and differentiation of people who are willing to commit a crime and to go to whatever lengths and needs possible and is against the criminal based police control model wherein¹⁶, the main of the state is to prevent the commission of crime and to stop it at a before it can commence. Such view of judicial approach may lead to reduction in crime rates but may affect the individual rights and freedoms of the citizens of the nation.

Attempt To Commit The Crime

The third stage of a crime is an attempt. An attempt occurs when a person intends to commit a crime and takes a substantial step toward completing the crime, but ultimately

fails to complete it. In other words, an attempt is a criminal act that falls short of the intended goal. This was observed by the court in the case of *Aman Kumar and Anr. vs State Of Haryana*.¹⁷ The law recognizes that an attempt to commit a crime is still a serious offense because it shows that the person had the intention to commit the crime and took significant steps toward carrying it out.¹⁸ Attempted crimes are punished less severely than completed crimes, but they are still punishable by law. To establish that a defendant attempted to commit a crime, the prosecution must show that the defendant had the specific intent to commit the crime and took a substantial step toward completing it. The specific intent element means that the defendant must have intended to commit the specific crime and not just engaged in a general criminal activity.

A substantial step is an act that is more than mere preparation but falls short of completing the crime. This was also observed by the court in the case of *Aman Kumar and Anr vs State Of Haryana*.¹⁹ For example, if a person intends to rob a bank and buys a gun, that may not be considered a substantial step because it is merely preparatory. However, if the person goes to the bank, brandishes the gun, and demands money, that would be considered a substantial step toward completing the crime. The punishment for an attempted crime varies depending on the nature of the offense. In some cases, the punishment may be the same as the punishment for a completed crime, while in other cases, the punishment may be less severe. The severity of the punishment also depends on the extent of the defendant's intent and the danger posed by the attempted crime. In addition to criminal punishment, attempted crimes can also have other consequences. For example, a person who attempts to commit a crime may be barred from certain professions or lose certain civil rights, such as the right to vote. According to the Indian Penal Code²⁰, making an attempt to commit a crime is unlawful. It has been made available under a couple of provisions for offences. Yet, Section 511 of the Indian Penal Code²¹ comes into play if there are no particular provisions in the IPC for penalising attempts to conduct a crime.

Distinction Between Preparation And Attempt

It is necessary to also differentiate between the different phases and layer of phases of crime. Mainly, the difference between the transition from the stage of preparation to that of the attempt phase, which is more than a mere phase of preparation and moves towards a more heinous territory. Some of the offences so attempted to be committed becomes punishable at the attempt stage and it becomes labyrinthine to determine the stage of crime so committed. In order to identify the so-called phases which, have a thin line between them²², there are various rules and legal conundrums available with us that help us to determine the phase of crime so committed and would thus be able to make the accused liable accordingly. As mentioned in the section 511 of the IPC we come to know about the basis of differentiation of attempt and preparation as mentioned in the section of the Indian Penal Code the commission of an inchoate offence is punishable in nature and thus, the basis of differentiation becomes even more important as such differentiation may convict the accused to a punishment.

The current cornerstone for the detection and division of attempt and preparation can be divided into the rules of:

1. Proximity rule
2. Doctrine of Locus Poenitentiae

3. Equivocality test

4. Attempt to impossible acts

The first test, the proximity test was established in the Mohd. Yakub case²³ wherein, the Supreme Court held that first there must be an intention to commit the crime or particular offence, secondly there must have been a committed keeping in mind the intended offence or act. Lastly, the committed act should move towards the so-called act or become proximate to the commission of the offence or crime. Upon fulfilment of such conditions and judicial recognition of the facts would lead to the accused person being punished for the inchoate offence as committed.

Second rule denotes the Doctrine of Locus Poenitentiae which literally means change of mind and there persists a probability for a person to change his mind just before the commission of crime for multiple reasons including fear of being caught, change of heart, moral awakening or any personal reasons. Upon such change of mind, one prevents to undertake such acts and as prescribed the judgement of Malkait Singh v the State of Punjab²⁴ one is not to be held liable. This rule is in resonance with the humanitarian view aimed at trying to reform the criminals from the conduction of crime.

The third test is the equivocality test which mixes both the set of rules the proximate rule and the doctrine of locus poenitentiae which denotes the equivocality test wherein, the accused must have taken a step that unequivocally presents a fact that the accused wanted to commit the act. The step so taken should be evident in itself the person so accused should be held to be liable for the inchoate offence. This rule was expounded in the case of State v Parasamal²⁵.

Finally, even if an action fulfilling all the situations for commission of inchoate offence is committed so as to an act that is impossible in itself would still lead to the punishing of the accused regarding the commission of inchoate offence²⁶.

In ancient India the criminal law did not consider the culpability regarding the phase of attempt or 'Chesta' as mentioned in the Arthasasthra written by Kautilya, while they were punishable²⁷, they were per se not divided into a unique set of attempts but was either included in the phase of commission of crime or included in the phase of preparation. Later on, after the merger of both the ancient Vedic criminal law concept and the European common law concept of criminal law the phases of commission of crime were properly divided and presented into intention, preparation, attempt and commission of crime.

Accomplishment of Crime

The Final stage of crime wherein, the accused has committed the so-called act and the result is the commission of an offence. At this stage of crime, an offence has occurred and the culpability at this stage is extremely high and the defences available with the accused are very few. Such cases wherein, the act so accomplished fails to come into effect or do not result in an actual result would lead to the act being held as an inchoate offence or an attempt and would thus be punishable similarly. Some of the few defences available after the case of crime has been accomplished are the absence of mens rea for the purported action which according to the Indian law makers if stated explicitly in the IPC would lead to reduction in the quantum of punishment accordingly, in cases of offences so committed if the offence were present without any mens rea stated then the accused would be thus liable without any presence of mens rea²⁸. While in most cases the mens rea element needs to be

proved in some cases there is no mention of mens rea. Such differentiation arises out of the rule of necessary implication used in India for the purposes of convicting accused on the basis of mens rea as stated in the Indian Penal code and in case of absence of one, the rule is need not to be followed and the accused can be simply convicted without necessarily showing a case of presence of mens rea or a guilty mind.

Phases of Crime and their Culpability Around the World

The United States of America similar to India follows a judiciary system centered around the common law system established in the early English judicial reforms and thus has some similarities to that of Indian jurisprudence. While, they both are similar in approach to criminal law they vary from each other in many aspects as a result of varied ideologies and differing judicial evolutions²⁹.

This is necessarily evident in the federal structure of the United States. Due to their practice of absolute federalism, the laws as implemented by the states vary from each other and even though they possess a model penal code similar to the Indian Penal code. Thus, a lot of differences arise in the event of criminal laws.

The first case is that while there is no necessary punishment levied on preparation in India excepting few cases in the event of detection of a robbery tool or any other preparation for any crime whatsoever it is punishable in few states of United States such as New York³⁰.

Similarly, the difference in punishment levied is also divided into multiple tests such as:

1. Proximity test
2. Res ipsa loquitor test
3. Probable desistance test
4. Substantial test

The first test is similar to that of the Proximity test that is practiced by the Indian judiciary in the differentiation amongst the attempt and preparation³¹. Similar to the Indian version it is mostly accepted throughout the states and also brings in the actions required to complete the steps.

The second test the Res ipsa loquitor test is similar to the equivocality test in India and quantifies the intent with which one was about to commit the crime. If the criminal intent or step so taken pointed out an unequivocal approach in the persons demeanour one could say that an attempt had taken place³².

The third test of probable desistance is again similar to that of the Indian Doctrine of Locus Poenitentiae which explains the possibility of change of mind in case of the accused who if chose not to perform the action would lead to separation of the preparation phase of crime to that of the attempted phase of crime³³. Again, in consonance with the Indian doctrine it states out similar reasons and change of mind regarding a change in the heart of the accused to commit the crime.

The final test relates to that of the substantive test which is stated in the Model Penal Code of the USA which is preventive in nature and may also include preparatory actions that may lead to charging the accused with punishment in the preparatory phase itself³⁴. Not in consonance with the Indian judicial approach, such test is absent from the due process model states and nations such as India.

Lastly, while one may be punishable for conduction of an impossible act in India it is in fact a defence in the USA available with the accused while one may be punishable for the

impossible actions committed in India it is difficult to prosecute him as the act in itself becomes void and he becomes free from any culpability whatsoever making him free from any liability whatsoever.

As a colony of the United Kingdom, India started to practice the common law approach to judiciary and thus, as a result of such evolution is nearly identical to the UK criminal law system. Apart from using nearly all of the same concepts and doctrines in the phases of crime and their differentiation including impossible acts the only point where, the UK differs from India is the rule of necessary implication³⁵ which is present in India but absent in that of UK criminal law and thus makes the scope of convicting the accused in the UK a little more difficult. While such a step acknowledges the due process of criminal control model, the mens rea in the UK law is nevertheless similar to that of the Indian law and in presence of such conditions one can easily charge a person for the crime so conducted and can punish him accordingly.

Conclusion

Crime and offence are subjective in nature and therefore vary from each other subject to spatial and temporal variations. While, they may be subject to change the cognizance of crime and offence is nearly the same and properly established around the world. The basic concept of crime and its steps are the intention and motive to insinuate a person towards an objective which he wishes to achieve through nefarious means, second is the preparation he makes to achieve the step. The step of preparation varies for each type of crime and offence, it may be very short to relatively longer. Next moving on towards the stage of attempt, there rises a considerable dilemma regarding the basis of differentiation between the current stage of attempt and the earlier step of preparation. This problem has been solved to an extent by the foundations of doctrines and rules as established by the judiciary. This leads on to the final step of the crime that is the accomplishment. The judiciary around the world has focused on prosecuting the accused of crimes only at the last two stages while believes them to be innocent otherwise. This fact is clearly demonstrated by many nations around the world with a few exceptions such as the US which prosecutes the accused even at the preparatory stage. This attribute is quite in contrast to the United Kingdom which preaches a more humanitarian approach to crime control model. This distinction can clearly be traced back to the early foundations and ideology of the respective nations' judiciary and governments. While, the two common law countries preach an extreme approach in the criminal apprehension bandwidth, the Indian judiciary has approached a well-meaning and nuanced approach to it maintaining the balance between the societies need and the individual rights.

References

- Adams, G. (1921). *The Origin of the English Courts of Common Law*. Yale Law Journal.
- Findley, K. (2008). *Toward a new paradigm of criminal justice: how the innocence movement merges crime control and due process*. Texas Tech Law Review.
- Gaur, K. (2004). *A Text Book of The Indian Penal Code* (3 ed.). Universal Law Publishing Company.
- Gaur, K. (2019). *Commentary on the Indian Penal Code* (3rd ed.). Central Law Publications.
- Ratanlal, & Dhirajlal. (2020). *The Indian Penal Code*. LexisNexis.
- Robinson, P. H. (1980). A Brief History of Distinctions in Criminal Culpability. *Hastings Law Journal*.
- Singh, M. (1991). *Law Relating to attempts: need for a fresh look*. Journal of the Indian Law Institute.
- Srivastava, O. (2010). *Principles of Criminal Law* (5th ed.). Eastern Book Company.

Footnotes

- ¹ Indian Penal Code, 1860
- ² Code of Criminal Procedure, 1973
- ³ O.P. Srivastava, *Principles of Criminal Law*, (5th edn, Eastern Book Company 2010)
- ⁴ Paul H. Robinson, 'A Brief History of Distinctions in Criminal Culpability' (1980) 31 *Hastings LJ* 815
- ⁵ Indian Penal Code, 1860
- ⁶ *State of Rajasthan v Shera Ram* (2012) 1 SCC 602
- ⁷ Ratanlal & Dhirajlal, *The Indian Penal Code* (LexisNexis 2020).
- ⁸ *Palani Goundan V. Emperor* 1919 SCC OnLine Mad 67
- ⁹ O.P. Srivastava, *Principles of Criminal Law*, (5th edn, Eastern Book Company 2010)
- ¹⁰ K.D. Gaur, *A Text Book of The Indian Penal Code*, (3rd edn, Universal Law Publishing Company 2004)
- ¹¹ *Edgington v Fitzmaurice* (1885) 29 Ch D 459.
- ¹² The Indian Penal Code 1860, Section 121
- ¹³ The Indian Penal Code 1860, Section 391
- ¹⁴ The Indian Penal Code 1860, Section 232
- ¹⁵ The Indian Penal Code 1860, Section 126
- ¹⁶ KA Findley, 'Toward a new paradigm of criminal justice: how the innocence movement merges crime control and due process' (2008) *TTLR* 133
- ¹⁷ *Aman Kumar and Anr. vs State Of Haryana* (2004) 4 SCC 379
- ¹⁸ K.D. Gaur, 'Commentary on the Indian Penal Code' (3rd edn, Central Law Publications 2019)
- ¹⁹ *Aman Kumar and Anr vs State Of Haryana* (2004) 4 SCC 379
- ²⁰ Indian Penal Code, 1860
- ²¹ Indian Penal Code, 1860, Section 511
- ²² *Abhayanand Mishra v State of Bihar* 1961 AIR 1968
- ²³ *State of Maharashtra v Mohd. Yakub S/O Abdul Hamid* 1980 AIR 1111
- ²⁴ *Malkiat Singh & Anr v State of Punjab* 1970 AIR 713
- ²⁵ *State v Parasmal* AIR 1969 Raj 65
- ²⁶ The Indian Penal Code 1860 S 511
- ²⁷ M Singh, 'Law Relating to attempts: need for a fresh look' (1991) *JILI* 395
- ²⁸ *State v Baijnath Bansari* 1962 CriLJ 417
- ²⁹ GB Adams, 'The Origin of the English Courts of Common Law' (1921) *YLJ* 798
- ³⁰ The New York Penal Law 2010 S 110
- ³¹ *People v Dillon* 815 NYS2d 574
- ³² *Hamiel v State of Wisconsin* 92 Wis2d 656
- ³³ *United States v Mandujano* 425 US 564 (1976)
- ³⁴ Model Penal Code 1962 S 5.01
- ³⁵ *Regina v Special Commissioner and Anr* [2002] UKHL 21

Socio-economic impact on Water, Sanitation, and Hygiene services: An analysis

Dr. R. N. Tiwari

Head, Dept. of Economics, A.N.D. College, Shahpur Patori, Samastipur, L.N.Mithila University, Kameshwar Nagar, Darbhanga

Manjari Nath

Assistant Professor, Department of Economics, A.N.D. College Shahpur Patory, Samastipur, L.N.Mithila University, Kameshwar Nagar, Darbhanga

Abstract

Water, Sanitation and hygiene services are key to ensure water security and global adaptation. Indeed, there is no water security or adaptive capacity if populations have no access to safe, sufficient and affordable water to meet essential needs for drinking, sanitation and hygiene, to safeguard health and well-being, and to fulfil basic human rights. This is aligned with IPCC's conclusion that the most effective measures to address patterns of risks due to climate change and reduce near-term vulnerability are "programs that implement and improve basic public health measures such as provision of clean water and sanitation. Improved sanitation has been shown to have great impacts on people's health and economy. However, the progress of achieving the Millennium Development Goals (MDGs) on halving the proportion of people without access to clean water and basic sanitation by 2015 has thus far been delayed. One of the reasons for the slow progress is that policy makers, as well as the general public, have not fully understood the importance of the improved sanitation solutions. This paper, by gathering relevant research findings, aims to report and discuss currently available evidence on the economic aspects of sanitation, including the economic impacts of unimproved sanitation and the costs and economic benefits of some common improved sanitation options in developing countries.

Keywords: economics, cost, impacts, sanitation, developing countries

Introduction

Article 7, the Global Goal on Adaptation (GGA), was established by Parties to the Paris Agreement for enhancing adaptive capacity, strengthening resilience and reducing vulnerability to climate change with a view to contributing to sustainable development and ensuring an adequate adaptation response.

At COP26 in Glasgow, a comprehensive two-year Glasgow–Sharm el-Sheikh (GlaSS) work programme on the GGA was established and launched to pave the way forward for

operationalization by COP28. At COP27 in Sharm El Sheikh, Parties decided to initiate the development of a framework for the GGA to be undertaken through a structured approach containing a set of dimensions, themes and cross-cutting considerations. The framework, once consolidated, will guide the achievement of the global goal on adaptation and the review of overall progress in achieving it.

This article is a concerted effort by international partners working towards universal access to safe drinking water, sanitation and hygiene services (WASH) under the umbrella of the Sanitation and Water for All Partnership (SWA) and aims at providing an input to the Glasgow–Sharm el-Sheikh work programme on how climate-resilient water, sanitation and hygiene services can be integrated in the ‘water’ theme within the GGA Framework, noting that these services are also an essential component for the ‘settlements and key infrastructure’, ‘health’ and ‘poverty and livelihoods’ themes. The rationale for a strong inclusion of these services as part of the GGA framework is that climate change clearly impacts these essential services, exposing vulnerable populations to greater levels of risk. Therefore, building adaptive and resilient water, sanitation and hygiene services is an essential component of building global adaptation.

The document starts by providing an overview of how water, sanitation and hygiene services fit in the context of water security and global adaptation. The following section highlights the impact of climate change upon these services: decreasing health outcomes, limiting socio-economic development, and increasing political fragility. Having clearly established the role that water, sanitation and hygiene services play within the context of climate adaptation, the document then proposes key strategies for the inclusion of such services in solutions. Initial considerations for target-setting and illustrative metrics for the GGA Framework are suggested, followed by cross-cutting considerations that relate water, sanitation and hygiene services to health, food security, and gender.

A similar structural approach as that proposed in this document could be followed by stakeholders supporting the provision of other essential services (e.g., health, education, nutrition).

Water, Sanitation and Hygiene Services

The UN Water working definition of water security refers to “the capacity of a population to safeguard sustainable access to adequate quantities of acceptable quality water for sustaining livelihoods, human well-being, and socio-economic development, for ensuring protection against water-borne pollution and water-related disasters, and for preserving ecosystems in a climate of peace and political stability.”

There are four key dimensions to water security implicit in that definition, and all relate, in one way or another, to water, sanitation and hygiene services and systems. Indeed, there is no water security or adaptive capacity if populations have no access to safe, sufficient and affordable water to meet essential needs for drinking, sanitation and hygiene, to safeguard health and well-being, and to fulfil basic human rights. Human well-being cannot be addressed when the risk of intense weather events and slow onset changes to climate threaten the availability and/or reliable provision of water, sanitation, and hygiene services. Effective sanitation services that prevent groundwater or freshwater contamination are also foundational to safeguarding the health of rivers and oceans which support healthy populations and livelihoods.

Another important aspect of the UN-Water framing for water security is ensuring that populations are resilient to climate-related hazards. This introduces the concept of community resilience: the understanding that there are no climate-resilient populations that do not have resilient access to water and sanitation services. This concept is supported by the IPCC's conclusion that the most effective measures to address patterns of risks due to climate change and reduce near-term vulnerability are "programs that implement and improve basic public health measures such as provision of clean water and sanitation. This is where WATER, SANITATION AND HYGIENE and water security most strongly show their dependency upon each other: Upstream water conditions, including safe treatment of waste and promotion of ecosystem health, are necessary to safeguard downstream biodiversity, ecosystem services and the water resources necessary for resilient populations.

Climate change impacts upon water, sanitation and hygiene services: decreasing health outcomes, limiting socio-economic development and increasing political fragility

Water is the primary medium through which we feel the effects of climate change. Its impacts on water, sanitation and hygiene services have a huge negative effect on communities, who legitimately expect their governments, local authorities and other stakeholders like the private sector, to provide for solutions. Increased hydrological variability, water scarcity, and extreme weather events disrupt all points along the water to wastewater chain e.g., water treatment, storage supply and wastewater collection. Water and sanitation services to all users, people, industry, agriculture are all jeopardized, and public health is put at huge risk. A lack of finance to put preventative measures in place and increase resilience of utilities and service providers simply increases these risks. Countries that are unprepared to deal with changes in climate and corresponding increased levels of water scarcity and/or extreme weather events potentially face having to find billions of dollars every year for repairing and/or restoring such services.

The IPCC7 expresses high confidence that the future global burden of climate-sensitive diseases and conditions will depend not only on emissions but also adaptation pathways and the efficacy of public health systems, and sanitation services. Projections under mid-range emissions scenarios show an additional 250,000 deaths per year by 2050 (compared to 1961–1990) due to malaria, heat, childhood under nutrition and diarrhoea. Mortality and morbidity will continue to escalate as exposures become more frequent and intense, putting additional strain on health and economic systems, reducing capacity to respond, particularly in resource poor regions. Vulnerable groups include young children, pregnant women, indigenous peoples, those with pre-existing diseases, physical labourers and those in low socioeconomic conditions. Therefore, how communities are prepared to deal with these changes will make a big difference in public health outcomes.

Flooding and increased precipitation can be deadly in areas with unsafe or insufficient water and sanitation services, or where open defecation is practiced. Floods can inundate, destroy or damage infrastructure such as water distribution points and toilets. When sewer systems, latrines and toilets are flooded and damaged, they can contaminate water supplies, making water deadly to drink. Peaks in diarrheal mortality and morbidity are commonly associated with seasonal rains, flooding and extreme weather. Indeed, the latest IPCC work group II report (2022) concludes that heavy rainfall events and flooding are associated with increased water-borne diseases, particularly diarrheal diseases, including cholera and other gastrointestinal infections in high, middle and low-income countries. Water insecurity and inadequate water, sanitation and hygiene increase disease risk.

Recurring floods can cause communities to abandon safe sanitation and hygiene practices and return to defecating in the open, which can further increase waterborne disease outbreaks and pollution of the surrounding environment including water sources and freshwater ecosystems.

Ice Melting Represents an Unsustainable Drinking Source for Many Millions

Ice and snow cover is decreasing significantly in most regions because of global warming. Melting snow, glaciers and sea ice impact access to water in the present and greatly threaten to change water sources in the future since many communities rely on meltwater for their water supply of essential household water needs. Indeed, in the Andes Mountains in South America and in High Mountain Asia, glacier melt is a major source of drinking water and irrigation for several hundred million people. As ice melts, it not only contributes to rising sea levels but also depletes other freshwater resources. Warming temperatures in circumpolar regions can lead to introduction of new waterborne diseases for indigenous and remote communities relying on traditional water sources. Coupled with melting permafrost, housing conditions and lack of infrastructure in remote locations, the risks to traditional water collection and existing water systems for circumpolar populations is significant.

Sea Level Rise Leads to Freshwater Salinization in Coastal Areas

Rising sea levels can lead to saltwater infiltrating freshwater sources, rendering the water undrinkable. Rising sea levels are already having a major impact, particularly in low-lying coastal areas and Small Island Developing States, which, when combined, are home to at least 25 per cent of the world's population.

The Contribution of Water Supply, Sanitation and Hygiene to Adaptation

Access to water and sanitation is not only a human right but a critical entry point to sustainable environmental, social and economic development. It reduces community vulnerability to climate impacts, thereby closing gender gaps, improving education and enhancing human health and wellbeing.

The most vulnerable regions are those characterized by the compound challenges of high levels of poverty, a significant population without access to services such as water and sanitation, wealth and gender inequalities, and governance challenges. Within those, it is the marginalized communities have the most urgent need for improved adaptive capacity. Climate risks additionally extend to those currently having access to water, sanitation and hygiene services, as in many cases they are not climate resilient.

Through consultations, and as a concerted effort among water, sanitation and hygiene partners, the following figure has been developed to illustrate key adaptation strategies. This concept has been adopted by the Green Climate Fund (GCF) in the recently released GCF Water Security Guidelines, and it is suggested that, seeking complementarily, the GGA framework adopts a similar approach. Other stakeholders working on the provision of other essential services (e.g., health, education, nutrition) could adopt a similar approach.

Water, Sanitation and Hygiene Cross-cutting Considerations for the GGA Framework

The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) Working Group II's most updated report (2022) expresses that integrated multi-sectoral strategies that address social inequities (e.g., gender, ethnicity) and social protection of low-income groups will increase the effectiveness of adaptation responses for water and food security. The explanation is that multiple interacting factors help to ensure that adaptive communities have water and food security, including: addressing poverty, social inequities, violent conflict, provision of social services such as water and sanitation, social safety nets and vital ecosystem services. Differentiated responses based on water and food security level and climate risk increase effectiveness, such as social protection programmes for extreme events, medium-term responses such as local food procurement for school meals, community seed banks or well construction to build adaptive capacity. Longer term responses include strengthening ecosystem services, local and regional markets, enhanced capacity and reducing systemic gender, land tenure and other social inequalities as part of a rights-based approach. In the urban context, policies that account for social inclusion in governance and rights to green urban spaces will enhance urban agriculture's potential for food and water security and other ecosystem services.

The IPCC Working Group II also expresses high confidence in the fact that continued investment in general health systems and in systems enhancing health protection is an effective adaptation strategy in the short to medium term. The burden of diseases could be reduced and resilience increased through health systems, by strengthening access to water and sanitation.

Economic impacts of unimproved sanitation

Poor sanitation causes economic losses associated with the direct costs of treating sanitation-related illnesses and lost income through reduced or lost productivity. In addition, poor sanitation also leads to time and effort losses due to distant or inadequate sanitation facilities, lower product quality resulting from poor water quality, reduced income from tourism (due to a high risk of contamination and disease) and clean up costs.

Conclusion

If the global response to the threat of climate change needs to be addressed in the context of sustainable development and efforts to eradicate poverty, as the climate Paris Agreement aims, a much closer collaboration between water and climate is urgently needed. The synergies and common grounds between SDG 6 targets to achieve “universal access to water and sanitation”, SDG 13 targets on “climate action”, and the GGA Framework, must foster ways in which climate and water planners identify water, sanitation and hygiene adaptation priorities. The strategies and approach suggested in this paper could be easily replicated by stakeholders working with the provision of other essential services (e.g., health, nutrition, education), fostering further adaptation synergies and complementarities.

Supporting adaptation and resilient water, sanitation and hygiene services, as well as other essential services, makes sense from an economic perspective for all involved. Resilient water, sanitation and hygiene systems are a key element to ensuring water security and have strong connections to food security and global health. They foster community resilience

by reducing human, social, environmental and physical vulnerability. Resilient water, sanitation and hygiene services also contribute to avoiding or reducing conflict in areas affected by water scarcity. It provides an opportunity to policy makers and service providers to rethink access to essential services, adhere to a circular economy and green growth. It improves several pending aspects of service provision.

This article aimed to show that sanitation is fundamental to both good health and social and economic development. Given the current state of knowledge, sanitation is undeniably a profitable investment. It is clear that achieving the MDG sanitation target not only saves lives but also stimulates gender equality, supports environmental safety, bolsters education and provides a foundation for economic growth. Policy makers, development partners as well as the general population should act now to improve the current sanitation situation, especially in developing countries. As several low-cost sanitation options are available, a good strategy would be to encourage people in poorer areas to start with the most simple types of sanitation and then to progress over time towards higher specification and higher cost ones. Since the evidence that we have at our disposal today is based on a number of assumptions, more detailed studies are needed to produce more precise estimates on the cost and benefits of these sanitation measures, and how they relate to other relevant factors.

References

1. World Health Organization . UNICEF: Progress on sanitation and drinking-water-2010 update. Geneva: World Health Organization; 2010.
2. Mara D, Lane J, Scott B, Trouba D. Sanitation and Health. *PLoS Med.* 7(11):e1000363. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
3. Muegge OJ. Environmental sanitation and disease control as it looks to your State Board of Health. *Wisconsin Medical Journal.* 1953;52(7):419.
4. Fewtrell L, Kaufmann RB, Kay D, Enanoria W, Haller L, Colford JM., Jr Water, sanitation, and hygiene interventions to reduce diarrhoea in less developed countries: a systematic review and meta-analysis. *The Lancet Infectious Diseases.* 2005;5(1):42–52.
5. Mathers CD, Lopez AD, Murray CJL. The burden of disease and mortality by condition: data, methods, and results for 2001. In: Lopez AD, Ezzati M, Jamison DT, Murray CJL, editors. *Global Burden of Disease and Risk Factors.* New York: Oxford University Press; 2006. pp. 45–240.
6. World Health Organization . Global health risks: mortality and burden of disease attributable to selected major risks. Geneva: World Health Organization; 2009.
7. World Health Organization . Regional and Global Costs of Attaining the Water Supply and Sanitation Target (Target 10) of the Millennium Development Goals. Geneva: World Health Organization; 2008. [Google Scholar]
8. Hutton G, Haller L, Bartram J. Global costs-benefit analysis of water supply and sanitation interventions. *J Water Health.* 2007;5(4):481–502.
9. Acharya A, Paunio M. *Environmental Health and Child Survival; Epidemiology, Economics, Experiences.* Washington DC: The World Bank (Environment Department); 2008.
10. Anupam Tyagi, Hutton G. *Economic impacts of sanitation in India.* Hanoi: World Bank; 2008.
11. Rosemarin A, Ekane N, Caldwell I, et al. *Pathways for Sustainable Sanitation: Achieving the Millennium Development Goals.* Stockholm: Stockholm Environment Institute; 2005.
12. Dollar D, Gatti R. *Gender Inequality, Income and Growth: Are Good Times Good for Women?* Working Paper Series no 1. Washington DC: The World Bank; 1999.
13. Shandra CL, Shandra JM, London B. *World Bank Structural Adjustment, Water, and Sanitation: A Cross-National Analysis of Child Mortality in Sub-Saharan Africa.* Organization and Environment. 2011;24(2):107–29.

Uses of Computer Subject in Teacher Training College

Sangeeta Kumari

Research Scholar, Education, O.P.J.S. University, Churu, Rajasthan

Dr. Gridhar Lal Sharma

Deptt. Of Education, O.P.J.S. University, Churu, Rajasthan

Abstract:

Due to the recent advancements and its scope, computer technology has become an indispensable tool of instruction at virtually all educational levels and in all academic areas. All subject-teachers and students today are expected to use computers in teaching-learning process. In order to integrate computers in education system several initiatives are taken by the policy makers, stake holders, government and non government organizations and agencies in various developed and developing countries across the globe. This paper attempts to overview the initiatives taken by different agencies in the developing country India for implementation of computers in the field of education.....!!!

Introduction

Due to recent advancement in information technology innovations and computer usage, the education system is rapidly transforming. The schools use ICT tools to create, circulate, communicate, record and manage learning experiences and teaching outcomes. The teaching provides technology-supported learning, therefore computer technology has become integral to teaching and learning. Researchers Harris (2000); Kellenberger and Hendricks (2000); and Martin and Ofori-Attah (2005), Bhalla (2013), identified that teachers could use computers for different purposes like, for teaching purposes, administration purposes, and personal purposes. Thus, computers can help educators in designing and promoting the teaching and learning process (Sinko and Lehtinen, 1999; Smeets, Mooij, Bamps, Bartolomé, Lowyck, Redmond, and Steffens, 1999). Regarding the efficacy of the use of computers in these ways, there was a general concurrence that when combined with traditional instruction, the use of computers could increase student learning and produce higher academic achievement in a variety of subject areas than does traditional instruction alone (Sheingold and Hadley, 1993; Means and Olson, 1995; Sivin-Kachala, Bialo and Langford, 1997; Bracewell, Breuleux, Laferriere, Benoit, and Abdous, 1998). Generally, it is accepted that computers have the potential to enhance teaching and learning (Shute and Psootka, 1996; Glennan and Melmed, 1996; Roschelle, Pea, Hoadley, Gordin, and Means, 2000).

Therefore, keeping in view the importance and scope of computers in education, several initiatives are taken by the policy makers, stake holders, government and non government

organizations and agencies in various developed and developing countries across the globe, in order to integrate computers in education system.

Initiatives In India

This section provides an overview of several initiatives, policies and practices by various government and non-government educational agencies in India for implementation of computers in the field of education.

The Context of National Policies on Education

Constitution of India Article 21 A - Right to Education 1950: “The State shall provide free and compulsory education to all children of the age of six to fourteen years in such manner as the State may, by law, determine.”

National Policy on Education & Programme of Action 1992 envisaged, “Modern communication technologies have potential to bypass several stages and sequences in process of development encountered in earlier decades.”

Learning without Burden: Report of the National Advisory Committee 1992 (Yashpal Committee Recommendations): The committee emphasized on the greater use of the electronic media be made for the creation of child-centered social ethos in the country. A regular television programme addressed to students, teachers, parents and possibly called ‘Shiksha Darshan’ be launched, along the lines of the ‘Krishi Darshan’. The content of the B.Ed. programme should be restructured to ensure its relevance to the changing needs of school education and to make it more practicum-centred. Pre-service teacher education programme, being a professional course, has to be a rigorous, thorough and intensive. Therefore, B.Ed. degree courses by correspondence be derecognised.

The Prime Minister of India Sh. Narendra Modi in his address to the nation from the Red Fort on 71st Independence Day 15th August 2017: “... We have been striving to bring in the changes through technology.In the education sector, we have taken an important step to grant the universities freedom from restrictions to make them the world class universities. the government is willing to provide funds up to Rs. 1,000 crores.... We have appealed to them and I am confident that the education institutions of our country will certainly come forward and make it a success...”

Computers in the Phase of Initiation

School computing began in India in the early eighties through sporadic initiatives of a handful of private schools. It gained momentum with a pilot project titled Computer Literacy and Studies in Schools (CLASS) jointly launched by Ministry of Human Resource Development and NCERT in 1984. The objectives of the project, detailed in the report of a National Workshop (NCERT, 1984) were to: provide students with a broad understanding of computers and their uses; familiarize students with the range of computer applications in all walks of human life and the potential of the computer as an information processing tool; de-mystify computers and develop a degree of ease and familiarity with computers which would be conducive to develop individual creativity in identifying and developing applications relevant to the immediate environment of the child.

A social rationale! But then with severe limitations of resources, inadequate training of teachers and with no legitimate place for computing in the school timetable, the computer literacy programme was a spectator sport. CLASS was an assortment of unstructured

computer-based activities limited to secondary classes; the instructional use of computer was extremely limited (IEA, 1993).

Information Technology Action Plan: The IT Action Plan (1998) adopted by the Government of India took a comprehensive view of computers in school education to create an IT literate and IT skilled society. As a consequence, in the year 2000, the Ministry of Human Resource Development sought the deficiencies in the CLASS project to be rectified in the Revised CLASS Project which was launched as CLASS 2000. CLASS 2000 has the following three components: Computer literacy in 10,000 schools; Computer-aided learning in 1,000 schools; Computer-based education in 100 Smart Schools will become model centres for others. It is expected that the Smart Schools would make the best use of available computer and communication technology to bring about changes in the content, process and outcome of education. The IT task force made recommendations for introduction of IT in the education sector including schools, following which the central government introduced several schemes like Vidyanthi Computer Scheme, Shikshak Computer Scheme and School Computer Scheme to enable purchase of computers by students and teachers at affordable costs.

National Curriculum Framework for School Education 2000 addresses at length the question of integration of ICT into schooling, acknowledges the pedagogical rationale behind this integration and brings to the fore its manifold implications. With respect to large-scale introduction of ICT in schools, the Framework pleads for - Adequate infrastructure facilities; Children's access to global resources; Professional development opportunity for teachers; Development of appropriate curriculum models and pedagogy that makes the best use of ICT facilities; Availability of appropriate learning materials in support of the curriculum. Soon after, in 2001, NCERT brought out the Curriculum Guide Syllabus for Information Technology in Schools within the framework of general education (i.e., upto class ten), based upon the recommendations of the National Curriculum Framework 2000 and Project CLASS 2000. The Curriculum Guide is a comprehensive approach to the use of ICT in schools. It is: an argument for ICT an agent of change, a framework for ICT- extended activities in schools, a case for a spiral curriculum for ICT that can be integrated into general education, a model for approaching ICT competencies within the context of subject areas, an appeal that all teachers be able to handle ICT to facilitate children's learning and guide them on when, how and which ICT resource may enhance the learning process. Based on its curriculum guide and syllabus, NCERT has brought out three volumes, titled Learning with Computers (2002), which are expected to be useful for teacher and children alike. These volumes are not on computers per se. Rather; they are expected to take children through the experience of using the technology in a variety of contexts. Each of these volumes contains graded activities for children, often linked to their curricula, and notes for teachers at the end of every chapter.

Computers in Latest Trends

12th Five Year Plan: India's this last 5-year plan with mission "Faster, more Inclusive and Sustainable Growth" focuses is on the development of ICT skills among students and teachers. This will be implemented in partnership with the states and private providers, and will be a sub-mission of the National Mission of ICT of MHRD. The MHRD's 12th five year plan document for teacher education "TeachR" pertains to ICT integration in Teacher Education through Learning Management System LMS.

National Mission in Education through ICT: To enhance the current enrollment rate in Higher Education, to equip the students with IT skills, for preparing them for jobs in the growing services sector and making them self-learners in the cyber world in order to make them 'Netizens', the central government has launched a scheme called the National Mission in Education through ICT. The scheme is to provide connectivity to all institutions of higher learning to world of knowledge in the cyber space, to leverage the potential of ICT, in providing high quality knowledge modules with right e-contents, to address to the personalized needs of learners, in order to take care of their aspirations. These modules are to be delivered through 'One Stop Education Portal' - "SAKSHAT". The content development task for 'SAKSHAT' is looked after by the Content Advisory Committee (CAC) for the respective subject, which consists of representatives from educational institutions like IGNOU, Delhi University, Kendriya Vidyalaya Sangathan (KVS), Navodyaya Vidyalaya Sangathan (NVS), National Institute of Open Schooling (NIOS) and National Council for Educational Research and Training (NCERT), NGOs and prominent academicians in the field. For delivering benefits of ICT enabled learning, the national mission would focus on achieving technological breakthrough by not only developing low cost and low power consuming access devices to be made available for free on Education Satellite (EDUSAT) and Direct to Home (DTH) platforms for every subject for every class in various languages to every Indian, but also providing training and empowerment for teachers to effectively use new methods of teaching-learning.

National Policy on ICT in School Education 2009: The absence of a national ICT for education policy has led to a proliferation of individualistic, expensive and unreplicable ICT initiatives across several states in India. Consequently, the Department of School Education & Literacy, Ministry of Human Resource Development along with the Global e-Schools and Communities Initiative (GeSCI) has started the process for formulating the National Policy on ICT in School Education which aims at preparing youth to participate creatively in the establishment, sustenance and growth of a knowledge society leading to all round socio-economic development of the nation and global competitiveness. The ICT Policy mission is to devise, catalyse, support, sustain ICT and ICT enabled activities and processes in order to improve access, quality and efficiency in the school system. The policy promotes the universal, equitable, open and free access to ICT enabled tools and resources to all students and teachers. It also promotes networking, research, evaluation and experimentation in ICT tools and ICT enabled practices to utilise the potentials of ICT in school education. However, considering that India has some 1.2 mn schools with 290 mn students attending school every day; thirty-five state boards and two central boards and a number of educational agencies are involved as stakeholders. Also, to evolve a mechanism to ensure that knowledge, expertise and skills are shared across all states and territories; and building in house capacities to conduct regular updates for ensuring a dynamic and live policy. While the policy is still in the pipeline, some of the salient recommendations include enabling schools and colleges to use ICT in an integration mode, the radio, television and computer; implementing the scheme under the Build- Own-Operate-Transfer (BOOT) model with private sector participation wherein a private organisation or consortium (BOOT provider) is involved to maintain IT infrastructure in schools by designing, building, owning and operating the scheme for a defined period of time and then transferring this ownership across to the public education system. Considering that last mile implement-ability is an issue in education the follow up team should understand how ICT tools address last mile

realities. While devising the policy for the use of ICT in school education, there should be uniformity in syllabus as well as synchronization between lectures.

National Organisations:

In 1961, the Government of India established the National Council of Educational Research and Training (NCERT) as an autonomous organization to assist and advise central and state governments in the implementation of their policies for education and teacher preparation. Over the years, the Council has evolved into a unique organization, with its increasing range of activities and its major concern is to integrate ICT into school education. Developing training materials for teachers and syllabus and instructional materials for students form a key part of the Department of Computer Education and Technological Aids (DCETA) at NCERT. At the National Centre for Computer Education of the Department the activities are undertaken for holding training/orientation programmes for teachers towards basic ICT skills relevant to school education and to develop the ability to use ICT-based learning materials for the classroom. The Indira Gandhi National Open University (IGNOU), established by an Act of Parliament in 1985 with the dual responsibilities of enhancing access and equity to higher education through distance mode and promoting, coordinating and determining standards in open learning. IGNOU makes use of ICT extensively for imparting education. In addition to self-instructional printed materials, the university utilizes Audio/Video programme tapes; tele-conferencing; Gyan Vani (FM Radio); Gyan Darshan (educational TV channels); eGyanKosh (digital learning resources), the national repository on open learning material and integrated with One Stop Portal 'SAKSHAT' of MHRD for use nationwide; computer networks for imparting instructions. At the National level, IGNOU has been designated as the nodal agency to coordinate all activities concerning the utilization of the facilities offered by EDUSAT. EDUSAT or GSAT-3 launched in 2004 by the Indian Space Research Organisation (ISRO) is the first Indian satellite built exclusively to serve the educational sector, to meet the demand for an interactive satellite-based distance education system for the country.

The National Council for Teacher Education, since 1973, is an advisory body for the Central and State Governments on all matters pertaining to teacher education. With its main objective to achieve planned and coordinated development of teacher education system throughout the country, it regulates and maintains and Standards in the teacher education system and for matters connected therewith. The mandate given to the NCTE is very broad and covers the whole gamut of teacher education programmes including research and training of persons for equipping them to teach at pre-primary, primary, secondary and senior secondary stages in schools, and non-formal education, part-time education, adult education and distance (correspondence) education courses. NCTE vide revised Regulations 2014, under Government of India Gazette Notification No.346 (F.No. 51-1/2014/NCTE/N&S) addressed the recommendations of the Justice Verma Commission (JVC) appointed by the Government at the instance of the Hon'ble Supreme Court of India. Herein ICT, Yoga Education, Gender and Disability/Inclusive Education are made integral part of each teacher-education curriculum. In order to assimilate technology in pedagogy of teacher education (from NTT to M.Ed.), the TeachR, a ranking and accreditation framework for Teacher Education Institutes TEIs has implemented a mandate for all TEIs to deploy their own cloud based campus management software (CMS) and Learning Management Software (LMS).

Public Private Partnership: Public-private partnerships (PPPs) are partnerships between a government organization and private sector companies. While pursuing its policy of tapping educational potential in “Corporate Social Responsibility (CSR)” divisions of major IT corporations, the government has gained rich dividends over the years in the form of empowered teachers and confident students. Private sector is encouraged to invest part of its profit towards philanthropic activities in the education sector by adopting Government schools for improvement of infrastructure and resources like, library, science lab., audio-visual and ICT infrastructure, art workshops, sports facilities, drinking water and toilet facilities, etc. The Public Private Partnership model seems to have emerged as the most successful model for bridging the digital divide in the country; and ICT in education, especially computer-aided learning, is well on its way to achieve its purpose exercising a positive impact on raising learning standards as well as in reducing dropout rates among children in these schools across the country.

Intel India has been working for the past ten years with various central and state education bodies offering programs in higher education, teacher training, informal education and science promotion, etc. The Intel Teach Program is a professional development program that helps teachers across India, enhance 21st century learning through the effective use of ICT. The Intel Learn Program is a program for learners, aged 8 to 16, and in underserved communities across India, to promote 21st century learning skills critical for student success in today’s knowledge economy: skills such as digital literacy, problem solving, critical thinking and collaboration. The Intel Computer Clubhouse Network is an after-school learning program that enables youth in underserved areas to access cutting-edge technology and become motivated learners.

Through Partners in Learning, Microsoft is partnering with governments, educators, and local content and curriculum providers to create sustainable educational programs to train teachers and prepare students to succeed in the global economy. The Partners in Learning (PiL) initiative comprises three distinct yet complementary programs: the Partners in Learning Grants; Partners in Learning Fresh Start for Donated PCs; and Partners in Learning School Agreement. In India, Partners in Learning is part of a larger Microsoft-sponsored educational initiative called Project Shiksha, launched by Bill Gates, Microsoft chairman in 2002. India’s Partners in Learning initiative, is expected to establish Microsoft IT Academies for Teacher Training in a total of 10 Indian states and implement training and curriculum programs that are expected to reach 80,000 teachers and 3.5 million students during the first five years. Microsoft India also makes its technologies accessible and affordable to educational institutions and students through special licensing programs including licensing Microsoft software at approximately 20% of the market cost; campus-wide site licensing program through easy annual or term based subscriptions; programs like PiL for government schools, MSIS (Microsoft Student Innovation Suite) for government-funded student PC programs, student option for students procuring laptops/PCs etc, further subsidize the cost of licensing Microsoft software.

The cooperate companies like Educomp, Edutech, Digital Divide Partners, also foresaw the computer demand in schools and recognized the business potential in computer education in schools. Aptech, NIIT, Zee Education, Satyam Education Services. Sterling Infotech, Bizkool are some of the companies along with a number of internet world-wide-web sites such as classteacher.com, connectschool.com, egurucool.com, classontheweb.com,

eduempire.com, etc. They assist academic institutions, companies and government to enhance their performance and optimize their human capital investments by facilitating learning and development. Their educational programs involve comprehensive education infrastructure implementation, teacher training and content development projects.

The Oracle Education Foundation OEF's web portal ThinkQuest (erstwhile "Think.com"), launched in India in 2004, is a protected, online learning platform that enables teachers to integrate learning projects into their classroom curriculum and students to develop critical 21st century skills, including creativity, communication, teamwork, and technology skills. ThinkQuest currently supports over 146,000 students and teachers in 1,100 schools across the country, including Kendriya Vidyalayas, Navodaya Vidyalayas, DPS, DAV and other schools.

The British Council, in collaboration with the Tony Blair Faith Foundation, in 2009, launched two pilot projects called "Connecting Classrooms" and "Face to Faith" across the country to bring classrooms all over the world together and for students to "get a feel of the world beyond boundaries". The Connecting Classrooms initiative seeks to "build lasting partnerships between schools in the UK and others around the world" while the "Face to Faith" initiative is an "educational programme that engages secondary school students of different faiths across the world in learning directly with, from and about each other". The officials said that while the Connecting Classrooms initiative aims at partnering schools and equipping school heads and teachers with skills in new technologies, the Face to Faith initiative helps the partnering schools in providing some content-faith to talk about. The projects have already been launched in 15 countries. The schools that have signed up for the projects in Delhi will be provided with video conferencing software and webcams. "By means of video conferencing and an online community, students of different faiths can work together," said Ian Jamison, Face to Faith facilitator. "It is about celebrating diversity."

A multinational technology company Google specializes in Internet-related services and products, which include online advertising technologies, search engine, cloud computing, software, and hardware. The google through moodle has also now entered in teacher education and school curriculum through LMS. Moodle developed by Martin Dougiamas is a free and open- source learning management system written in PHP and distributed under the GNU General Public License, is used to create private websites with online courses for educators and trainers to achieve learning goals. The Moodle is an education software that offers learning management system LMS to help teachers and trainers create and deliver effective online learning environments used by millions world-wide. A learning management system (LMS) is a software application used to deliver and manage instructional content, teacher's lectures, notes, books, links, assignments, tests, announcements, and typically handles student registration, online course administration, tracking, and assessment of student work.

Conclusion

Information and Communications Technology (ICT) can impact student learning when schools have the requisite infrastructure, equipments, support and skilled teachers to integrate it into curriculum.

Schools use a diverse set of ICT tools to communicate, create, disseminate, store, and manage information. When teachers are trained to integrate ICT in curriculum, these approaches can lead to enabling students better prepared to deal with ongoing global

technological change. In India, being a developing country so many initiatives, mandates, provisioning towards implementation computer technology in education have been taken by the stakeholders and policy makers, and it's still an ongoing process. In order to aim effective use of ICT in teaching and learning, the country's planners must consider the demand and supply equation, the availability and maintenance of requisite infrastructure and hardware-software, the support to teachers and learners, the accessibility to the updates, and the scope for research and innovations in the field.

References

- Biswal, A., & Das, A. 2001. Computers & Education curriculum for schools: an integrated approach. *Journal of Indian Education*, 27(1), 3-15.
- Brennan, (1991); Kolehmainen, 1992. Pina and Harris, (1993) in AC Pan (1999) Effective Approaches To Teach Computer Applications To Teachers. *Technology and Teacher Education*. Retrieved on 15 August, 2017 from editlib.org
- Bruce (2000). In Roblyer, M. D. 200). *Integrating educational technology into teaching*. (3rd ed.). Columbus, NJ: Merrill Prentice Hall.
- Dwyer, D. C. 2002. Since computers came to school. *Educational Technology*, 42(4), 17-18.
- Earle, R. S. 2002. The integration of instructional technology into public education: promises and challenges. *Educational Technology*, 42(1), 5-13.
- EDUREACH partnering with central and state governments to bridge the digital divide Retrieved on 15 March, 2017 from <http://www.educomp.com/Services/ICT.aspx>
- Fallows, S., & Bhanot, R. 2002. *Educational development through information and communication technology* (pp. 87-100). London: Kogan Page Ltd.
- Fouts, J. T. 2000. Research on computers and education: past, present and future. Prepared for the Bill and Melinda Gates Foundation. Retrieved on 24 April, 2016 from EBSCOhost (Academic Search Elite) database.
- Fulton, K., & Honey, M. 2002. Emerging technologies in education. *Educational Technology*, 42(4), 6-8.
- Ghosh, C. N. 2001. Computers & Education in India in the next millennium. *Journal of Indian Education*, 27(3), 27-35.
- Guha, S. 2000. Are we all technically prepared? Teachers' perspective on the causes of comfort or discomfort in using computers at elementary grade teaching. Atlanta, GA: The Annual Meeting of the National Association for the Education of Young Children. ERIC Document Reproduction Service No. ED 456101.
- Harris, J. M. 2000. Utilization of computer technology by teachers at Carl Schurz High School, A Chicago Public School (Illinois), *Dissertation Abstracts International*, 61(6), 2268.
- Hernandez-Ramos, P. 2005. If not here, where? Understanding teachers' use of technology in Silicon Valley Schools, Santa Clara University. Retrieved on 29 June, 2017 from <http://www.scu.edu/sts/communityofscholars/upload/jrte-38-1-039-her.pdf>
- Hirsch. 2002. In Roblyer, M. D. 2003. *Integrating educational technology into teaching*. (3rd ed.). Columbus, OH and Upper Saddle River, NJ: Merrill Prentice Hall.
- Kapur, A. 2007. *Transforming schools- empowering children*. Delhi: Sage Pub.
- Malik, M. 2001. Education Beyond 2000- revolution in education through information technology. *Journal of Indian Education*, 27(3), 17-26.
- Mallik, U. 2001. Computers in Indian schools. *Journal of Indian Education*, 27(3), 6-12.
- Mallik, U. 2002. Computers and schools shifting perceptions, changing models. *Journal of Indian Education*, 28(2), 3-12.

- Merrill, M. D. 2002. Effective use of instructional technology requires educational reform. *Educational Technology*, 42(4), 13-16.
- Mission Document. 2009. National mission on education through information and communication technology retrieved on 5 January, 2018 from <http://www.education.nic.in/dl/MissionDocument.pdf>
- Mohd Yunus, M. 2007. Malaysian ESL teachers' use of ICT in their classrooms: expectations and realities. *ReCALL*, 19(1), 79-95. Retrieved on 30 April, 2017 from EBSCOhost (Academic Search Elite) database. MOODLE 2018. Retrieved on 25 January, 2018 from <https://moodle.com>
- Mooij, T., & Smeets, E. 2001. Modeling and supporting ICT implementation in secondary schools. *Computers & Education*, 36, 265-281.
- Mukhopadhyay, M. 2006. *Story of EDUSAT*. Delhi: Shipra Publications.
- National Policy on Information and Communication Technology (ICT) in School Education. 2009. Department of School Education and Literacy Ministry of Human Resource Development Government of India. Retrieved on 2 January 2018 <http://www.education.nic.in/secedu/ict.pdf>
- NCERT. 2001. *Curriculum Guide syllabus for information technology in schools NCERT*. Retrieved on 13 May, 2017 from <http://www.ncert.nic.in/html/itcurriculum.htm>
- NCERT. 2007. *Seventh all India school education survey – Teachers and their qualifications* (pp. 259-261). India: NCERT – NIC.
- NCTE Regulations 2014. Retrieved on 15 January, 2018 from http://ncte-india.org/ncte_new/?page_id=782
- Pandey, V.C. 2005. *Teaching in a technology-rich environment*. Delhi: Isha.
- Pant, M. M. 2001. Computers in school education. *Journal of Indian Education*, 27(3), 13-16.
- Planning Commission - Government of India 2008. *Eleventh five year plan (2007-2012) Social Sector*. Vol. II, New Delhi: Oxford University Press.
- Planning Commission Government of India 2004. *India vision 202: The report plus background papers*. New Delhi: Academic Foundation.
- Prakash, A. 2000. Integration of technology in the teaching-learning process. *Journal of Indian Education*, 27(3), 76-84.

Social Media and Dalits: Representation, Issues, and Coverage

Swadesh Singh, Smriti Yadav¹

Abstract

In the digital age, social media has become a potent tool for amplifying marginalized voices, shaping discourse, and catalyzing social and political movements. This study focuses on the role of social media in empowering Dalits, who are a marginalized, under-represented and misrepresented community especially with reference to the mainstream media. Through a content analysis of the Twitter handles of some Dalit social media influencers from April to June 2023, we explore how Dalits utilize social media to raise their voices, engage with issues, and challenge dominant narratives. In addition to the online content analysis, a few case studies have been taken with reference to political, social and economic issues which have gained relevance in the past 4-5 years. The analysis reveals strategies employed by Dalit influencers, including hashtag activism, pan-platform engagement, and impact on governance. While social media offers transformative potential, it also presents challenges like disinformation and bias. This research underscores the power of alternative media in fostering inclusivity and shaping the future of public discourse.

Keywords: Dalit, Media, Social Media, Twitter, Discrimination, Influencers, democratization

Introduction

In the digital age, social media has emerged as a powerful tool, amplifying marginalized voices, driving public discourse, and catalyzing social and political movements. Online media offers a more democratic and interactive space compared to traditional print and TV, and it is expected to increasingly involve marginalized voices, including Dalits. Social media now sets the agenda for mainstream media. The beauty of social media platforms lies in the fact that everyone becomes an editor, reporter, and columnist, empowering individuals to decide what content deserves to be shared online. It has the potential to democratize the flow of information, promote inclusivity, and pave the way for a more pluralistic and equitable media landscape.

In this transformative landscape, Dalits, one of the marginalized communities in India, face significant challenges within the context of a modernized, liberalized, and privatized society. Despite some progress in their socio-economic status, their advancements remain limited compared to other caste groups. However, in the political sphere, Dalits have experienced increased representation and emerged as a substantial force, thanks to constitutional safeguards and their numerical strength. Media, functioning as a watchdog and the fourth pillar of democracy, plays a critical role in examining the representation and exclusion of Dalits in social and political realms. As several research works suggest, the

representation of Dalits in mainstream media remains limited, and though there has been an increase in the coverage of Dalit issues, it often lacks sensitivity and quality. To address this disparity, Dalit individuals and organizations have started creating a counter public sphere through alternative media. Today, dedicated newspapers, magazines, and digital platforms provide a Dalit perspective on various debates, empowering the community to shape their narrative and raise awareness about their issues. This research aims to understand the impact of alternative media in fostering a more inclusive public discourse and empowering Digital Dalits who have found their voice in the digital realm, forging a path towards greater visibility and representation in the media landscape.

Methodology Adopted

In order to understand the discourse formation around Dalits' issues on social media, a comprehensive content analysis was conducted on various Twitter handles associated with Dalit political leaders, influencers, and organizations. Twitter, with its emphasis on written content within a 280-character limit, provided an ideal platform for in-depth analysis. The platform's dynamic nature facilitated real-time tracking of trending topics and influential users, capturing timely insights and amplifying marginalized voices on a global scale. Spanning four months, from 1st April to 30th June 2023, the study aimed to shed light on the experiences, challenges, and achievements of Dalit individuals and communities.

Digital Dalits: Resonating Voices on Social Media

The content analysis focused on tweets from prominent Dalit influencers and organizations, reflecting their views on various social, political, and economic issues impacting Dalit communities. Through this analysis, valuable insights were gained into how Dalits engage with the platform to raise their voices, address significant issues, and employ elements such as language, sentiment, satire, or sarcasm to convey their message effectively. By examining this discourse, we can better understand the ways in which social media serves as a platform for empowering marginalized communities and promoting inclusive discussions. To investigate the dynamic utilization of social media by Dalits, we have conducted an empirical analysis utilizing tweets from the notable social media influencers' handles. The tweets and the analysis are as follows:

Chandra Shekhar Aazad, an Ambedkarite activist and lawyer, is the co-founder and president of Bhim Army, having 1.1 million followers on Twitter, making him one of the most influential Dalit voices on the platform. His tweets reflect his commitment to social justice and empowerment of marginalized communities, particularly Dalits.

In a tweet on February 17, Aazad emphasized the need for the Bahujan Samaj to protest for their demands, highlighting their potential to form governments through their votes.² This tweet amassed 153K views, 1,669 retweets, and 7,703 likes. In a tweet on February 23 on the occasion of Sant Gadge Maharaj's birth anniversary, he urged action for adequate housing.³ Azad's call for social activism on the issue of inadequate housing resonated with many since the tweet gained significant traction with 187.6K views, 1,814 retweets, and 9,715 likes. On April 1, he criticized the BJP's slogan "Sabka Saath, Sabka Vikas" in the context of municipal elections, exposing discrepancies in Dalit reservation.⁴ This tweet received 118.6K views, 1,410 retweets, and 5,185 likes, reflecting the widespread concern for Dalit representation in governance.

Aazad's tweets draw attention to social issues, inspire collective action, and highlight the importance of preserving constitutional provisions for marginalized communities, earning significant engagement and support from his followers.

Mayawati is the National President of Bahujan Samaj Party (BSP) and a former Chief Minister of Uttar Pradesh, serving four terms (1995, 1997, 2002, & 2007). She has a Twitter following of 3.2 million on her handle.

On March 1, Mayawati accused Congress and BJP of engaging in deceptive caste-based politics during the Rayaipur convention.⁵ She emphasized the undermining of reservation and promotion in government and private sectors. The tweet garnered 119.3K views, 1,030 retweets, and 4,173 likes. On April 23, she tweeted about the Nitish government in Bihar planning to release Anand Mohan, who was involved in the brutal murder of IAS officer Krishnaiah from the Dalit community in Mahbubnagar, Andhra Pradesh (now Telangana).⁶ The tweet highlighted concerns about anti-Dalit sentiments and called for the Bihar government to seriously reconsider this matter. The post received 416.8K views, 2,331 retweets, and 8,706 likes.

Mayawati's Twitter account primarily focuses on promoting the significance of Bahujan Samaj Party (BSP) as the political representative of marginalized communities in India. Her tweets resonate with her followers, the BSP handle, and other influential voices within the party, resulting in widespread engagement and support.

Dr. Udit Raj is the Chairman of Unorganised Workers & Employees Congress (KKC). He also holds the position of National Chairman of the All India Confederation of SC/ST Organizations. He is an ex-IRS officer (Indian Revenue Service) and an ex-Member of Parliament (MP). Dr. Udit Raj's Twitter handle has a following of 409.9K.

He actively uses Twitter to engage with social and political issues, addressing topics related to caste discrimination, representation, and social justice.

On Jan 9, Dr. Udit Raj questioned the caste representation in media organizations. He shared an incident where he asked a news TV anchor about the number of SC/ST/OBC reporters they have, which prompted a notable change in their expression.⁷ This tweet garnered significant attention with 44.2K views, 448 retweets, and 1,923 likes.

On Jan 12, Dr. Udit Raj's tweet with the phrase "ढोल गवाँर सूद्र पसु नारी। सकल ताड़ना के अधिकारी। ये रामचरित्र मानस का ही अंश है ना, या किसी और का?" gained immense attention with 2.2 million views, 2,074 retweets, 855 quotes, and 12.5 thousand likes. The tweet sparked intense discussions and critical comments due to its reference to Ramcharitmanas and diverse interpretations offered by people. It also faced both support and backlash for its perspective.

On Jan 28, Dr. Udit Raj tweeted about a temple in Karnataka being shut as an 'untouchable' groom headed for a ritual.⁸ He highlighted the dilemma faced by Dalits who follow Hinduism, as they are humiliated and vilified for doing so, while being accused of forced conversion if they walk away from it.

On Feb 15, Dr. Udit Raj mentioned an event where President Mukherjee referred to Dr. B.R. Ambedkar as his god. He thanked Mukherjee for this honesty and requested the Chief Justice of India to appoint some SC/ST judges and vice-chancellors. While the tweet received significant attention with 36.1K views, 278 retweets, and 1,386 likes, the comments section was filled with critical responses, with many raising concerns about the reservation system and appointments based on merit.

Jignesh Mevani is an Indian politician, lawyer, activist, and former journalist. He has been serving as the representative of the Vadgam constituency in the Gujarat Legislative Assembly. He is affiliated with the Indian National Congress party and serves as the convener

of the Rashtriya Dalit Adhikar Manch (RDAM). Jignesh Mevani has 1 million followers on Twitter.

On February 16, Mevani tweeted about caste discrimination at IIT Mumbai, mentioning a case of suicide by a 19-year-old boy named Darshan Solanki due to discrimination based on his caste.⁹ The tweet received 82,000 views, 734 retweets, and 4,632 likes. Mevani persistently tweeted on the issue with great fervour.

On February 25, Mevani tweeted, “The first step in fighting caste discrimination is to acknowledge that discrimination on the basis of caste do exist. Hence, Seattle became the first U.S state to recognise the problem and pass a resolution banning any form of discrimination on the basis of caste. Jai bhim!” The tweet received 52.3 thousand views, 447 retweets, and 2,816 likes. The development was celebrated across Dalit influencer pages.

On March 22, he tweeted about recent Dalit atrocities in Gujarat, highlighting incidents of sewer cleaning deaths, alleged rape, and a video showing a Dalit being beaten by local goons.¹⁰ The tweet garnered significant traction with 266.3 thousand views, 3,026 retweets, and 6,710 likes. Tweets highlighting alleged atrocities on Dalits often attract significant attention and elicit emotional responses and rational questioning.

On April 29, he tweeted about the tragic death of Nisha, a young woman from Gujarat, whose body was found in Visnagar Tehsil, Mehsana district.¹¹ The tweet questioned the lack of arrests in the case and the absence of empathy from the Chief Minister.

Vijay Sampla is the Chairman of the National Commission for Scheduled Castes, former Union Minister in the Government of India, former State President of the BJP in Punjab, and former Member of Parliament from Hoshiarpur. He has a Twitter following of 62.7K followers. Through his tweets, he showcases the potential of social media in holding authorities accountable for social justice for marginalized communities.

On January 1st, Vijay Sampla, the Chairman of the National Commission for Scheduled Castes, responded¹² to a tweet by a woman who raised concerns about caste-based discrimination in Tamil Nadu. The tweet showcased a video where individuals from an upper-caste allegedly contaminated water in a tank to prevent people from the Scheduled Caste community from drinking it. Mr. Sampla acknowledged the issue and demanded action from the Maharashtra government, indicating his commitment to addressing such incidents.

On the same day, he responded¹³ to another tweet about alleged caste discrimination on the reality show “Bigg Boss 16,” where derogatory comments were made about a contestant’s caste. Mr. Sampla took note of the tweet from The News Beak, an Ambedkarite Media Organization, and informed that action has been demanded in response to the matter.

On February 23rd, Mr. Sampla responded¹⁴ to a tweet¹⁵ about a serious incident of violence during a Dalit youth’s wedding procession in Bharatpur. The tweet alleged that members of the dominant community physically assaulted Dalit individuals during the wedding procession, leading to three people being seriously injured and hospitalized. Mr. Sampla acknowledged the severity of the incident and called for immediate action from the Rajasthan Police and the National Commission for Scheduled Castes.

It is evident from these tweets that Mr. Vijay Sampla is actively using his position as the Chairman of the National Commission for Scheduled Castes to address issues of caste-based discrimination and atrocities against Dalits. His responses on Twitter demonstrate his efforts to raise awareness about such incidents and demand appropriate action from relevant authorities.

BJP SC Morcha, as a wing of the Bharatiya Janata Party (BJP) dedicated to the Scheduled Caste community, maintains a Twitter handle with a following of 11.4K. The focus of the tweets is primarily on providing information about the efforts of various government ministries in improving the status of SC/ST communities.

On March 4, the handle shared a tweet celebrating the procurement of 1,182.78 Cr. from 7,718 SC/ST owned MSEs in FY 2022-23, underlining the commitment to #SabkaSathSabkaVikas and #AzadiKaAmritMahotsav.¹⁶ The tweet received 77 views indicating minimal engagement.

On the same date, the handle tweeted about the National SC/ST Hub's role in providing professional support to SC & ST Entrepreneurs to fulfill obligations under the Central Govt Public Procurement Policy for Micro-Small Enterprises Order 2012, along with adopting applicable business practices under the Stand-Up India initiative. This tweet garnered 81 views.

Another tweet informed about the Special Credit Linked Capital Subsidy Scheme (SCLCSS) introduced under the National SC-ST Hub, aiming to promote the setting up of new enterprises by aspiring entrepreneurs and capacity building of existing MSEs for enhanced participation of SC/ST entrepreneurs in public procurement.¹⁷ The tweet received 124 views.

On March 4, the handle shared information about offering residential and non-residential courses to eligible SC/ST entrepreneurs in various sectors such as Handicrafts, Handlooms, Apparel, Textile, Electronics & Hardware, IT/Food industry, and emerging sectors. This tweet garnered relatively more attention with 181 views and 27 likes.

Overall, the tweets from the BJP SC Morcha aim to inform people about the various government initiatives, programs, and progress made in promoting the welfare and empowerment of SC/ST communities. However, the lack of controversial content or direct targeting of individuals or parties might be a reason for the limited engagement on these tweets. Nevertheless, the platform disseminates information and updates on government efforts to support the SC/ST communities.

DICCI, the Dalit Indian Chamber of Commerce and Industry, is an association dedicated to promoting business enterprises for Dalits. Founded in 2005 by Milind Kamble, its motto is "Be Job Givers - Not Job Seekers." With a following of 5,954 on Twitter, DICCI actively empowers fellow Dalits by providing opportunities for self-reliance.

DICCI retweeted the tweet from National SC-ST Hub's twitter handle. The retweet made on April 13 was about promoting entrepreneurship and creating more avenues for existing SC-ST entrepreneurs and aspiring entrepreneurs of SC-ST entrepreneurs through a "Business Accelerator Program" organized by IIM Jammu, DICCI, and CII in collaboration with NSSH (National SC-ST Hub).¹⁸ By retweeting this content, DICCI showcased its support and endorsement of the "Business Accelerator Program" initiative, which aims to empower SC-ST entrepreneurs and their wards, offering them opportunities to grow and succeed in the business world. This act of retweeting demonstrates DICCI's collaborative approach and active involvement in promoting entrepreneurship and self-reliance among the Dalit community.

The Shudra is an Ambedkarite Media Organization on Twitter with a following of 173.1K followers. They have also established their own news channel, Youtube account and social media page, allowing them to report content on social media while referencing their own

news channel, which gives them substantial control over the dissemination of discourse and effectively reaches their target audience.

On Jan 1, they retweeted The News Beak¹⁹, raising the issue of casteism slurs in Bigg Boss, which gained significant engagement with 206.8K views. On Jan 13, they retweeted Sumit Chauhan,²⁰ the Founding Editor of both The Shudra and The News Beak, to analyze and discuss problematic aspects of Tulsidas's texts. The tweet garnered 47.2K views and 2,229 likes, showcasing their unique form of discourse. Similarly, on Feb 6, they retweeted The News Beak,²¹ discussing the origin of caste-based discrimination in Hindu scriptures, and on Feb 7, they retweeted The News Beak,²² highlighting the Dalit Literary Fest 2023 as a counter to Brahmanical ideas.

On Feb 13, they tweeted about the case of Darshan Solanki, a Dalit student at IIT Bombay, raising concerns about caste-based discrimination and received significant engagement with 46.3K views, 677 retweets, and 1,628 likes.²³

On Feb 16, they retweeted The News Beak, sharing an exclusive interview with Seattle City Council Member @cmkshama discussing the Anti-Caste Law in America, showcasing their approach of disseminating news through their independent online news media organization, and gained moderate engagement and reach on the platform. Through their active retweeting of The News Beak, analyzing historical texts, and reporting current events, The Shudra utilizes Twitter to raise awareness about Dalit issues.

The subsequent section delves into content analysis of three case studies to discern how issues concerning Dalits are raised and received on social media. Through an analytical examination of these case studies, we aim to gain insights into the mechanisms of issue amplification and reception within the realm of social media.

From Marginalization to Mobilization: Dalits Embrace Social Media

For our case study, we explored three critical Dalit issues, each representing a distinct dimension – social, political, and economic. These issues have significantly shaped the Dalit discourse concerning their social, political, and economic realities in India.

The first case revolves around the Hathras incident of 2020, involving the brutal assault of a young Dalit woman in Uttar Pradesh. Social media played a crucial role in disseminating information, organizing protests, and demanding justice, with influential personalities amplifying the case's visibility. The second case study focuses on the 2018 Supreme Court judgment on the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, introducing safeguards to prevent misuse. However, this decision sparked protests by Dalit communities, who believed it weakened the Act's protection for their rights and led to political repercussions for the then ruling party in the subsequent elections in November, 2018. Social media played a vital role in mobilizing public support and shedding light on the sensitivity and political implications of caste-based social justice issues. The third case centers on the Stand-Up India scheme, a government initiative fostering entrepreneurship and economic empowerment among marginalized communities. Social media played a pivotal role in disseminating information, showcasing its impact, and facilitating discussions on its effectiveness.

The Hathras Incident: A Cry for Justice

The Hathras incident, a case of sexual assault and brutality against a young Dalit woman in Hathras district, Uttar Pradesh, India, shook the nation in September 2020. The victim,

a 19-year-old Dalit girl, was allegedly gang-raped by four men from an upper-caste community. Tragically, she succumbed to her injuries two weeks later. The incident's heinous nature and the alleged mishandling of the case by local authorities, including the cremation of the victim without her family's consent, sparked widespread outrage and protests across the country.

As news of the Hathras incident broke, social media became a crucial platform for disseminating information, expressing outrage, and demanding justice. On September 29th, the day of the victim's death, the incident gained significant attention on social media platforms like Twitter and Facebook, with hashtags such as #Hathras trending widely. Journalist Tanushree Pande's timely reporting and videos of the victim's cremation without her family's consent further intensified discussions on social media.²⁴ Her continuous updates on social media throughout the night provided real-time information to netizens, fueling their anger and calls for justice.

The incident's virality on social media was also driven by influential personalities, celebrities, and prominent figures who expressed their outrage and grief within hours of the victim's demise. Actors like Akshay Kumar²⁵, Abhishek Bachchan²⁶, Farhan Akhtar and cricketers like Suresh Raina²⁷ and Virat Kohli were among those who took to Twitter to demand strict actions against the perpetrators and justice for the victim. Social media also played a pivotal role in mobilizing protests and demonstrations across the country. Activists, civil society groups, and concerned citizens used platforms like Twitter to organize protests, candlelight vigils, and virtual events to express solidarity with the victim's family and demand justice.

However, the incident also exposed the dark side of social media, with misinformation and polarizing narratives spreading rapidly. Some individuals presented a completely different perspective of the Hathras incident, suggesting that it was not a case of gang-rape or caste atrocity but rather an honor killing. Such views found support from those who sought to delegitimize the victim's suffering and cast doubts on the veracity of the reports. This led to heated debates and discussions on social media, reflecting the platform's potential for both positive change and the dissemination of harmful narratives.

In the aftermath of the incident, social media continued to be a space for demanding justice and accountability. People used hashtags like #JusticeForManishaValmiki²⁸ and #DalitLivesMatter to keep the issue alive and ensure it stayed in the public consciousness. Discussions on social media put pressure on authorities to take swift action. The continuous pressure from social media users led to the formation of a Special Investigation Team (SIT) to probe the case. Social media played a crucial role in drawing national attention to this issue within a short span of time, leading to widespread public outcry and demands for justice. The tweets by journalists, celebrities, and influencers acted as catalysts, amplifying the voices of those seeking accountability and exposing the brutality faced by marginalized communities.

The SC/ST Act Judgment: Public Outcry and Political Responses

The Subhash Kashinath Mahajan v. State of Maharashtra case in March 2018 involved the Supreme Court of India bringing safeguards to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (SC/ST Act) to prevent its misuse. However, this ruling sparked protests by Dalit communities who believed that the introduced safeguards weakened the Act's potency in safeguarding their rights. Social media played a pivotal role in mobilizing people on a massive scale.²⁹ Representatives of the SC/ST caste groups called

for a national strike on April 2, 2018, and the message spread rapidly on various social media platforms. Hashtags, messages, and videos related to the protests went viral, galvanizing support and uniting voices from different parts of the country. People shared real-time updates, videos, and images. Social media platforms served as an avenue for protestors to voice their opinions, present diverse views on the matter, and discuss the implications of the judgment.³⁰ The protests had far-reaching consequences in the political arena, as evident in the elections in Madhya Pradesh, where the ruling party, BJP, faced electoral setbacks due to the heated situation and discontent among various sections of society.³¹ Social media played a significant role in amplifying the voices of opposition, exerting pressure on the government to address the concerns raised by the protestors.

The incident served as a stark reminder of how sensitive issues related to caste and social justice can become highly contentious and polarizing. The government's swift response in filing a review petition and later introducing an amendment bill³² to restore the Act's original provisions was, in part, a response to the public pressure exerted with help of social media.³³ It reaffirmed the significant role that social media can play in fostering social and political change. It also highlighted the complexities involved in addressing social and political issues concerning caste.

The STAND-UP scheme: Empowering Dalit Entrepreneurs

The Stand-Up India scheme, launched by the Government of India on April 5, 2016, is a flagship initiative aimed at promoting entrepreneurship and economic empowerment among marginalized communities, particularly Scheduled Castes (SCs), Scheduled Tribes (STs), and women. The scheme facilitates access to credit and financial support for aspiring entrepreneurs from these disadvantaged backgrounds, encouraging them to set up greenfield enterprises. It aims to foster the growth of startups and promote self-employment, thus transforming beneficiaries into job creators rather than just job seekers. As a first-of-its-kind initiative with specific focus and objectives, the Stand-Up India scheme is distinct from historical precedents and is designed to address barriers that have hindered aspiring entrepreneurs from SC, ST, and women backgrounds in starting their own businesses.

Social media has played a crucial role in spreading awareness about the Stand-Up India scheme and its impact.³⁴ Government officials, organizations, and entrepreneurs have utilized various social media platforms to share information about the scheme's benefits, eligibility criteria, and success stories.³⁵ They have disseminated updates, policy changes, and training programs related to the scheme through posts, videos, and live sessions, ensuring wider access to information. Social media has also facilitated networking and collaboration among entrepreneurs from marginalized communities, providing a space for knowledge-sharing and peer support.

In April 2023, on the completion of 7 years of the scheme, Finance Minister Nirmala Sitharaman announced that the government has sanctioned more than ¹ 40,700 crore to over 1.8 lakh accounts under the Stand Up India scheme in the last seven years.³⁶ Furthermore, to spread awareness about this initiative and its positive impact on Dalit lives, the scheme has received extensive promotion through tweets from various government handles, including PIB³⁷, Prasar Bharati³⁸, Ministry of Finance³⁹, the President of India's handle, and PMO India⁴⁰. Additionally, several private news organizations have also tweeted about the scheme

Dr. Milind Kamble, an Indian entrepreneur, who founded the Dalit Indian Chamber of Commerce and Industry (DICCI) and received the Padma Shri in 2013, often posts about government initiatives for Dalits. In a February 26, 2020 tweet, Dr. Kamble posted about the news that Government of India has extended the Stand Up India Scheme (SUIS) until 2025. The extension aims to give further impetus to the scheme. He tagged several prominent accounts, including @PMOIndia, @narendramodi, @nitin_gadkari, @sidbiofficial, and @PIB_India, to ensure broader visibility and engagement regarding the government's commitment to empowering entrepreneurs from marginalized backgrounds.

Additionally, beneficiaries have used social media to provide feedback and raise concerns about the scheme, enabling the government and stakeholders to address grievances and improve implementation. The dynamic and inclusive nature of social media has been instrumental in promoting and supporting the Stand-Up India scheme, reaching a broader audience and empowering aspiring entrepreneurs from disadvantaged backgrounds.

Through various tweets, social media posts provide diverse perspectives and updates on the Stand-Up India scheme.⁴¹ Social media also acts as a platform for people to express their opinions about the scheme's effectiveness and its alignment with its original purpose.⁴² There are calls for revisiting the eligibility criteria to ensure that it continues to serve its intended objective of promoting entrepreneurship among SC/ST communities. It can be said that social media disseminates updates about the government scheme, keeps the audience informed and engaged, fosters connections and support, and offers mentorship opportunities for the beneficiaries. It enables entrepreneurs from marginalized backgrounds to learn and access valuable resources, thereby empowering them on their entrepreneurial journey.

The analysis of three critical Dalit issues highlights the profound impact of social media in shaping public discourse, mobilizing support, and advocating for change. The Hathras incident exemplified how social media disseminates information, amplifies voices, and fuels protests for justice. The Subhash Kashinath Mahajan v. State of Maharashtra case demonstrated social media's role in widespread mobilization and political consequences. Conversely, the Stand-Up India scheme showcased how social media helps in promoting government initiatives, empowering marginalized communities, and fostering entrepreneurship.

The analysis highlights the transformative impact of alternative media, empowering marginalized communities like Dalits to amplify their voices and challenge dominant narratives globally. Alternative media in India has become a powerful platform for addressing specific issues and promoting citizen participation. It reflects social change as educated and empowered Dalits utilize this medium to demand justice and shed light on injustice. Alternative media fosters a culture of dialogue and intellectual exchange, providing a space for diverse ideological viewpoints to flourish. Looking ahead, online platforms are expected to play an even larger role, empowering marginalized voices and revolutionizing mainstream media's agenda-setting power. The dimensions noted in the analysis for the purpose of this study have been mentioned as follows:

Empowering Voices on Multiple Platforms

Dalit influencers effectively use diverse social media platforms to disseminate information, share personal stories, and draw attention to community issues. They reach a broader audience through videos, images, and concise messages on platforms like YouTube, Instagram, and Twitter. Social media is crucial for promoting awareness and advocating for Dalit rights. The three case studies taken above showcase this analysis.

Hashtag Activism, Use of Satire and Sarcasm

Hashtags like #DalitLivesMatter mobilize widespread support, engaging not only the Dalit community but also celebrities and activists. Dalit influencers amplify each other's voices, building a collective movement. Satirical techniques, including meme pages, engage a wider audience and create awareness about social issues. Emotional appeal and sentiment ignition lead to humanizing Dalit struggles, making advocacy more impactful and empowering individuals to share their experiences. These interconnected strategies on social media lead to raising awareness on issues faced by Dalits and other marginalized communities.

Impact of Pan-Platform Engagement and Convergence of Social Media Platforms

Cross-platform engagement enables broader reach and dissemination of information. Reposting and retweeting content from fellow influencers strengthens advocacy efforts. Influencers maximize impact by strategically using different platforms. Some of them create detailed YouTube videos, providing in-depth analysis on specific issues. They cross-post these videos on platforms like Twitter and Facebook, catering to diverse content preferences and reaching different demographics effectively. Such unique engagement features and the viral potential of their content amplify their messages, enabling them to reach diverse demographics effectively.

Spreading Top-Down Information and Influencing Governance

Social media bridges the communication gap between the government and marginalized communities like Dalits. It enables access to information about policies and schemes directly from authorities and provides a platform for voicing concerns and demands. Dalits utilize social media to demand inclusive policies, drive social change, and promote awareness of justice issues. This interactive process fosters transparency and accountability in governance, empowering marginalized communities to influence policy decisions that impact their lives. Social media becomes a catalyst for social change, fostering solidarity and empowering communities like Dalits to demand justice, equality, and better opportunities for their upliftment.

Social Media Driving Mainstream Media and Independent Discourse Formation

Social media's influence extends beyond its platform as it drives mainstream media coverage by setting the news agenda. By rapidly disseminating trending topics and amplifying issues, social media at times compels mainstream media to take notice, leading to broader coverage and discussion of important Dalit concerns. Additionally, it facilitates the formation of independent discourse, enabling Dalit communities to engage in discussions on their terms and shape public narratives about their issues.

The analysis also reveals how social media can act as a double-edged sword. It enables the free flow of information, but the absence of stringent fact-checking can lead to the spread of disinformation. The fast-paced and unfiltered nature of social media contributes to the rapid dissemination of misinformation, necessitating critical thinking and media literacy skills. Alongside the potential for positive change, social media also presents risks, including abuse, harassment, and harmful content. Social media influencers, including those from

Dalit backgrounds, may display biases in their posts, aligning with their ideologies and promoting partisan agendas. Responsible social media usage calls for fact-checking, reliance on credible sources, and self-regulation to maintain integrity in advocacy. Moreover, the amplification of unverified claims poses concerns, highlighting the importance of critical consumption and discerning credible information sources. Additionally, the echo chamber effect can limit outreach, hindering engagement with opposing views. Overcoming these challenges entails promoting media literacy and critical thinking among users. By addressing these issues, Dalit social media influencers can harness the power of social media for meaningful change, amplify community concerns, and foster an inclusive and informed online discourse.

Footnotes

- ¹ This article is part of the ICSSR project titled Media and the Marginalised: A Study of the Internet Era for Marginalised Section by Project Director Dr. Swadesh Singh, Assistant Professor, Satyawati College, University of Delhi where Smriti Yadav worked as research assistant.

End Notes and References

- ¹ Aazad, Chandra Shekhar (@BhimArmyChief). “एबहुजन समाज अपनी मांगों के लिये एकजुट होकर सड़कों पर संघर्ष करेगा तो हो सकता है बहरी सरकारें सुन ले लेकिन ये तय है कि अगर बहुजन समाज अपने अधिकारों के लिये एकजुट होकर वोट करेगा तो सरकार बनेगी। जब हम अपने वोट से सरकार बनाने में सक्षम हैं तो दूसरो के भरोसे क्यों रहे। सेवक नहीं शासक बनो” *Twitter*, 17 February 2023, <https://twitter.com/BhimArmyChief/status/1626505320452481027>.
- ² Aazad, Chandra Shekhar (@BhimArmyChief). “सरकारी नाकामियों के कारण आजादी के 75 साल बाद भी लोग कच्चे मकानों में रहने को मजबूर हैं। सन्त समाज के गौरव सन्त गाडगे महाराज जी की जयंती के पावन अवसर पर हम मध्यप्रदेश में सबको पक्का मकान दिलाने के आंदोलन की शुरुआत करते हैं।” *Twitter*, 23 February 2023, <https://twitter.com/BhimArmyChief/status/1628663141067550721>.
- ³ Aazad, Chandra Shekhar (@BhimArmyChief). “नगर निकाय चुनाव में दलितों के आरक्षण के साथ दिन दहाड़े डकैती। यह है भाजपा का षसबका साथ सबका विकास का छलावा। 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी में दलितों की नगरीय आबादी 22.27 % है जबकि 21% आरक्षण प्राप्त है। इस हिसाब से नगर निगम की 04 सीटें आरक्षित होनी चाहिए लेकिन सिर्फ 02 की गई। इसी तरह नगर पालिका की 42 सीटें आरक्षित होनी चाहिए लेकिन सिर्फ 27 की गई और नगर पंचायत की 114 सीटों के स्थान पर केवल 74 सीटें दलितों के लिए आरक्षित की गई हैं। बाबा साहब के संघर्षों से प्राप्त संविधान प्रदत्त व्यवस्था(आरक्षण) से हम एक इंच भी छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे।” *Twitter*, 1 April 2023, <https://twitter.com/BhimArmyChief/status/1642104159041380353>.
- ⁴ Mayawati (@Mayawati). “1. कांग्रेस पार्टी द्वारा रायपुर अधिवेशन में जातीय जनगणना व प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण आदि को लेकर कही गई बातें छलावा तथा घोर चुनावी स्वार्थ की इनकी राजनीति नहीं तो और क्या है, क्योंकि सत्ता में होने पर कांग्रेस ठीक इसका उलटा ही करती है। बीजेपी का भी रवैया ऐसा ही छलावापूर्ण।
2. साथ ही, प्रोन्नति में आरक्षण के चर्चित व महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर कांग्रेस व भाजपा द्वारा सपा को आगे करके सम्बंधित बिल को संसद में पारित नहीं होने देने के जातिवादी षडयंत्र को भला कौन भुला सकता है, जिसका अति-दुःखद व दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम इन वर्गों को आजतक भुगतना पड़ रहा है।
3. इन्हीं बीएसपी-विरोधी पार्टियों के षडयंत्र का परिणाम है कि सरकारी नौकरी व शिक्षा में इन वर्गों का आरक्षण लगभग निष्क्रिय एवं निष्प्रभावी बन गया है तथा इनकी आरक्षित सीटें वर्षों से खाली हैं जबकि ईडब्लूएस का नया लागू कोटा सरकार मुस्तैदी से भरती है। अतः हर स्तर पर सावधानी जरूरी।
4. इतना ही नहीं कांग्रेस व अन्य जातिवादी पार्टियाँ सत्ता में रहते खासकर दलित व आदिवासी वर्ग को पार्टी संगठन में भी उच्च पदों से दरकिनार रखती हैं अर्थात् अच्छे वक्त में अन्य वर्गों को ही पूरा महत्व तथा सत्ता से बाहर होने पर बुरे वक्त में इनकी याद एवं उनके वोट के लिए घड़ियाली आंसूझू जूजजमत् 1 डंतबी 2023ए <https://twitter.com/Mayawati/status/1630814189064433664>.
- ⁵ Mayawati (@Mayawati). “1. बिहार की नीतीश सरकार द्वारा, आन्ध्र प्रदेश (अब तेलंगाना) महबूबनगर के रहने वाले गरीब दलित समाज से आईएस बने बेहद ईमानदार जी. कृष्णैया की निर्दयता से की गई हत्या मामले में आनन्द मोहन को नियम बदल कर रिहा करने की तैयारी देश भर में दलित विरोधी निगेटिव कारणों से काफी चर्चाओं में है। 2. आनन्द मोहन बिहार में कई सरकारों की मजबूरी रहे हैं, लेकिन गोपालगंज के तत्कालीन डीएम श्री कृष्णैया की हत्या मामले को लेकर नीतीश सरकार का यह दलित विरोधी व अपराध समर्थक कार्य से देश भर के दलित समाज में काफी रोष है। चाहे कुछ मजबूरी हो किन्तु बिहार सरकार इस पर जरूर पुनर्विचार करे।” *Twitter*, 23 April 2023, <https://twitter.com/Mayawati/status/1649981500387999745>.

- 6 Raj, Udit (@Dr_Uditraj). “जब मीडिया के एंकर कहें कि जाति कहाँ रही तब लगता है कि इससे भी बड़ा झूठ और कुछ हो सकता है। आज मैं Z टीवी के एंकर पूछ ही लिया कि कितने SC/ST/OBC उनके यहाँ रिपोर्टर हैं। चेहरा देखते ही बना।” *Twitter*, 9 January 2023, https://twitter.com/Dr_Uditraj/status/1612495441027006465.
- 7 Raj, Udit (@Dr_Uditraj). “Temple in Karnataka shut as ‘untouchable’ groom heads for ritual. If dalits follow Hinduism, de r humiliated & vilified & if walk away from it then r accused for forced conversion. Means denial of human treatments on this side & other as well.” *Twitter*, 28 January 2023, https://twitter.com/Dr_Uditraj/status/1619163988922892290.
- 8 Mevani, Jignesh (@Jigneshmevani80). “IIT . मुंबई जैसी प्रसिद्ध संस्था में आज भी जातिगत भेदभाव होना एक कड़वी सच्चाई है। अहमदाबाद के 19 वर्षीय दर्शन सोलंकी जाति के आधार पर भेदभाव होने से तंग आकर आत्महत्या करने को मजबूर हुए। आज दर्शन के परिवार को मिलकर मेरी संवेदना व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की।” *Twitter*, 16 February 2023, <https://twitter.com/jigneshmevani80/status/1626180620203487233>.
- 9 Mevani, Jignesh (@Jigneshmevani80). “In last 24 hours, Gujarat has witnessed atleast four cases of dalit atrocities. Two People died of sewer cleaning in Rajkot. One young girl was allegedly raped & killed in Mahisagar dist. This is another video where a dalit is being beaten by local goons. Amrit Kaal?” *Twitter*, 22 March 2023, <https://twitter.com/jigneshmevani80/status/1638489519258480640>.
- 10 Mevani, Jignesh (@Jigneshmevani80). “यह मोमबत्तियां गुजरात की बेटी निशा के लिए है। 28 अप्रैल के दिन प्रदेश के मेहसाणा जिले के विसनगर तहसील में 21 साल की इस बेटी की लाश पाई गई थी। आज तक एक भी आरोपी की न गिरफ्तारी हुई है; ना ही राज्य के मुख्यमंत्री ने संवेदना के दो शब्द कहे है। आखिरकार निशा दलित की बेटी जो ठहरी” *Twitter*, 29 April 2023, <https://twitter.com/jigneshmevani80/status/1652366788053864448>.
- 11 Sampla, Vijay (@thevijaysampla). “अति घृणित कृत्य है। @tnpoliceoffl मामले की पूरी जानकारी एवं कार्यवाही रिपोर्ट बिना विलंब, @NCSC_GoI को भिजवाएं।” *Twitter*, 1 January 2023, <https://twitter.com/thevijaysampla/status/1609570142966657024>.
- 12 Sampla, Vijay (@thevijaysampla). “मामले का संज्ञान लेकर महाराष्ट्र सरकार से कार्यवाही रिपोर्ट मांगी है।” *Twitter*, 1 January 2023, <https://twitter.com/thevijaysampla/status/1609568060469567488>.
- 13 Sampla, Vijay (@thevijaysampla). “आरोप अति गंभीर है @RajPoliceHelp कार्यवाही रिपोर्ट @NCSC_GoI को तुरंत भिजवाएं।” *Twitter*, 23 February 2023, <https://twitter.com/thevijaysampla/status/1628484190223364096>.
- 14 First India News (@1stIndiaNews). “#Bharatpur #कामां: दलित युवक की बारात निकासी के दौरान मारपीट समुदाय विशेष के लोगों पर लगाया गया मारपीट का आरोप, मारपीट के दौरान तीन बाराती हुए लहलुहान, दो की हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल @BharatpurPolice” *Twitter*, 22 February 2023, <https://twitter.com/1stIndiaNews/status/1628222890679361536>.
- 15 BJP SC Morcha (@BJPSCMorcha). “HUGE!!! 1,182.78 Cr. Procurement from 7,718 SC/ST owned MSEs in FY 2022-23 (31st January 2023) #SabkaSathSabkaVikas #AzadiKaAmritMahotsav.” *Twitter*, 4 March 2023, <https://twitter.com/BJPSCMorcha/status/1631918146389942272>.
- 16 BJP SC Morcha (@BJPSCMorcha). “Special Credit Linked Capital Subsidy Scheme (SCLCSS) was introduced under National SC-ST Hub to promote setting up of new enterprises by aspiring entrepreneurs and capacity building of existing MSEs for enhanced participation of SC/ST entrepreneurs in the public procurement.” *Twitter*, 4 March 2023, <https://twitter.com/BJPSCMorcha/status/1631939536736452608>.
- 17 National SC-ST Hub (@scsthub). “To promote entrepreneurship and create more avenues for the Existing SC-ST entrepreneurs and the wards (aspiring entrepreneurs) of SC-ST entrepreneurs, “Business Accelerator Program” is being organised by @IIMJammu, @DICCIOrg and @FollowCII in collaboration with NSSH. #nssh.” *Twitter*, 13 April 2023, <https://twitter.com/scsthub/status/1646463566353145856>.
- 18 The News Beak (@TheNewsBeak). “जातिवाद: Salman Khan के शो #BiggBoss16 में हो रहा है जातिवाद? Archana Gautam की जाति पर किए गए बेहद घटिया कमेंट।” *Twitter*, 1 January 2023, <https://twitter.com/TheNewsBeak/status/1609542659798110209>.

- 19 Chauhan, Sumit (@Sumitchauhaan). “ब्राह्मण कवि तुलसीदास ने रामचरितमानस में शूद्रों, महिलाओं के खिलाफ बहुत सी गलत बातें लिखी हुई हैं। आज हम तुलसीदास की ब्राह्मणवादी चौपाईयों की सप्रसंग व्याख्या करने जा रहे हैं और वो भी पेज नंबर के साथ।” *Twitter*, 13 January 2023, <https://twitter.com/Sumitchauhaan/status/1613904341664149504>.
- 20 The News Beak (@TheNewsBeak). भागवत ने क्यों कहा श्भगवान ने नहीं, ब्राह्मणों ने बनाई हैं जातियां? अगर ब्राह्मणों ने बनाई हैं जातियां तो क्या झूठे हैं ब्राह्मणों के लिखे धर्म ग्रंथ? शाम 7 बजे से ऑनलाइन चर्चा.” *Twitter*, 6 February 2023, <https://twitter.com/TheNewsBeak/status/1622483338446651392>.
- 21 The News Beak (@TheNewsBeak). ““मनुवादियों के अड्डों को टक्कर देता दलित लिटरेचर फेस्ट 2023, मनुवाद की छाती पर, बिरसा-फुले, आंबेडकर” *Twitter*, 7 February 2023, <https://twitter.com/TheNewsBeak/status/1622935209330225154>.
- 22 The Shudra (@TheShudra). एक और रोहित वेमुला?@iitbombay में दलित छात्र दर्शन सोलंकी सुसाइड केस में सीनियर छात्रों ने जाहिर की जाति-भेद की आशंका। सीनियर छात्र ने @TheNewsBeak “दर्शन मुझसे मिला था, उसने कहा था कि जाति पता चलने के बाद रूममेट और दोस्तों का व्यवहार बदल गया है” #DarshanSolanki.” *Twitter*, 13 February 2023, <https://twitter.com/TheShudra/status/1625114605453447170>.
- 23 Pandey, Tanushree (@TanushreePande). “HAPPENING NOW — #Hathras rape victim’s body has reached her native village, Boolgarhi in Hathras, where the horrific incident took place. SP, DM, Joint Magistrate all here accompanying the family. My camera person Wakar and I will get you all the updates all through the night.” *Twitter*, 30 September 2020, <https://twitter.com/TanushreePande/status/1311035509246894080>. Pandey, Tanushree (@TanushreePande). “ABSOLUTELY UNBELIEVABLE - Right behind me is the body of #HathrasCase victim burning. Police barricaded the family inside their home and burnt the body without letting anybody know. When we questioned the police, this is what they did.” *Twitter*, 30 September 2023, <https://twitter.com/TanushreePande/status/1311054885970821121>.
- 24 Kumar, Akshay (@akshaykumar). “Angry & Frustrated!Such brutality in #Hathras gangrape.When will this stop?Our laws & their enforcement must be so strict that the mere thought of punishment makes rapists shudder with fear!Hang the culprits.Raise ur voice to safeguard daughters & sisters-its the least we can do,” *Twitter*, 29 September 2023, <https://twitter.com/akshaykumar/status/1310868139148632066>.
- 25 Bachchan, Abhishek (@juniorbachchan). “THIS MUST STOP!!!! #Hathras Beyond disgusted.” *Twitter*, 29 September 2020. <https://twitter.com/juniorbachchan/status/1310941901026144267>.
- 26 Raina, Suresh (@ImRaina). “It pains a lot to even hear this. A girl from UP was tortured & gang raped at #Hathras has lost her life today. We need to take strict actions against the culprits. This needs to stop NOW, our women deserve every right to go outside without any fear. #JusticeForManishaValmiki.” *Twitter*, 29 September 2020, <https://twitter.com/ImRaina/status/1310957048708952064>.
- 27 Gutta, Jwala (@Guttajwala). “Why was she cremated without her family??? #JusticeForManishaValmiki #Hathras Tweet by Jwala Gutta.” *Twitter*, 30 September 2020, <https://twitter.com/Guttajwala/status/1311218031536693248>.
- 28 Mevani, Jignesh (@jigneshmevani80). “Do Join - A conference at Ahmedabad against apex court judgement on Atrocities act.” *Twitter*, 7 April 2018, <https://twitter.com/jigneshmevani80/status/982621800927412224>.
- 29 Navayan, B. Karthik (@Navayan). “The Supreme Judgement diluting SC, ST (PoA) Act is burnt today at Ambedkar Statue, Tank Bund, Hyderabad.” *Twitter*, 14 April 2018, <https://twitter.com/Navayan/status/985196798485516293>. ; Dash, Nistha R. (@DashNistha). “SC/ST act is misused just like 498a section to coerce blackmail. SC has given a reasonable judgement. I oppose #BharatBandh” *Twitter*, 2 April 2018, <https://twitter.com/DashNistha/status/980670694768885761>. ; Kharge, Priyank (@PriyankKharge). “What was the need to dilute SC/ST Act at a time when atrocities against Dalits are increasing? Should the emphasis not be on strengthening it? Is this Sabka Saath, Sabka Vikas, @narendramodi? #BharatBandh

@BJP4Karnataka your thoughts?" *Twitter*, 2 April 2018, <https://twitter.com/PriyankKharge/status/980707691214655489>.

- ³⁰ Ratan, Ravi (@scribe_it). "Upper caste shop keepers in M.P have put banners against SC ST amendment bill. Morons don't even know that 85% of their customers are bahujans. SC ST should boycott such bigots." *Twitter*, 23 August 2018, https://twitter.com/scribe_it/status/1032652730995695617. ; Mishra, Ashutosh (@JournoAshutosh). "So SC/ST amendment Bill has triggered massive anger amongst upper Caste against BJP & Modi particularly. Hardcore supporters threatening to support "NOTA" in 2019. Will Caste Politics dominate religion politics in 2019?" *Twitter*, 4 September 2018, <https://twitter.com/JournoAshutosh/status/1036955509918560257>. ; Asian News International (@ANI). "Madhya Pradesh: Locals in Bhopal say- SC/ST reservation should be abolished. It is affecting the general category in a huge way. We will certainly vote for NOTA in the upcoming elections if this continues." *Twitter*, 14 October 2018, <https://twitter.com/ANI/status/1051344876158283776>.
- ³¹ Reality Check India (@realitycheckind). "Cabinet Approves Bill to Overturn Supreme Court Order on SC/ST Act, Reinstate Stringent Provisions <https://news18.com/news/politics/cabinet-gives-nod-to-bill-to-restore-provisions-of-dalit-atrocity-law-1830595.html>..." *Twitter*, 1 August 2018, <https://twitter.com/realitycheckind/status/1024637131942023168>.
Asian News International (@ANI). "The Constitution (123rd Amendment) Bill, 2017 passed in Lok Sabha. The bill grants National Commission on Backward Classes (NCBC) constitutional status, par with National Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes (NCSC and NCST)." *Twitter*, 2 August 2018, <https://twitter.com/ANI/status/1025010879497039874>.
- ³² Prasad, Ravi Shankar (@rsprasad). "Review petition by the Government against the SC judgement on SC/ST Protection Act shall be filed positively on tomorrow, Monday, April 2" *Twitter*, 1 April 2018, <https://twitter.com/rsprasad/status/980465550051569665>.
- ³³ Ministry of Finance (@FinMinIndia). "Stand up India Scheme was launched on 5th April 2016 to promote entrepreneurship at grassroot level focusing on economic empowerment and job creation. This scheme has been extended up to the year 2025. (1/6) #EmpoweringEnterprisingSCSTandWomen @nsitharamanoffc @Anurag_Office" *Twitter*, 5 April 2021, <https://twitter.com/FinMinIndia/status/1378897813895929856>.
- ³⁴ Kovind, Ram Nath (@rashtrapatibhvn). "Schemes such as MUDRA and Stand-Up India are channelling funds to aspirational entrepreneurs. I will request all bankers to keep a keen eye and not let a good idea die for lack of funding: President Kovind." *Twitter*, 12 February 2020, <https://twitter.com/rashtrapatibhvn/status/1227503756553510912>. ; Jaitley, Arun (@arunjaitley). "My speech at the launch of 'Stand Up India' Scheme, FM Arun Jaitley on Stand Up India scheme: Govt's vision has been to ensure the financial inclusion of every citizen." *Twitter*, 6 April 2016, <https://twitter.com/arunjaitley/status/717514087798673408>. ; Asian News International (@ANI). "Noida: PM Narendra Modi flags off e-rickshaws under 'Stand Up India' scheme." *Twitter*, 5 Apr 2016, <https://twitter.com/ANI/status/717321713764012032>.
- ³⁵ Fortune India (@FortuneIndia). "The government has sanctioned more than ¹ 40,700 crore to over 1.8 lakh accounts under Stand Up India scheme in the last seven years, Finance Minister Nirmala Sitharaman says on Wednesday. @nsitharaman @nsitharamanoffc." *Twitter*, 5 April 2023, <https://twitter.com/FortuneIndia/status/1643578335333699585>.
- ³⁶ Press Information Bureau (@PIB_India). "7 years of #StandUpIndia Scheme, Rs. 40,700 crores sanctioned to over 1,80,630 accounts under Stand-Up India Scheme, Over 1.44 lakh loans worth Rs. 33,152 crore sanctioned to Women Details: <https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2023/apr/doc202345178201.pdf>... #AmritKaal." *Twitter*, 5 April 2023, https://twitter.com/PIB_India/status/1643531894385184768.
- ³⁷ Prasar Bharati News Services & Digital Platform (@PBNS_India). "Over the course of six years, more than Rs 30,160 crore in loans were sanctioned to over 1,33,995 accounts through the

StandUp India Scheme. TG Link: https://t.me/pbns_india/24697...” *Twitter*, 5 April 2022, https://twitter.com/PBNS_India/status/1511294720080683009.

- ³⁸ Ministry of Finance (@FinMinIndia). “Stand Up India Scheme: Promoting SC/ST youth to become entrepreneurs and job providers.” It consisted of a string of 6 tweets conveying the essence of the scheme in a clear and easily comprehensible manner.” *Twitter*, 31 January 2017, <https://twitter.com/FinMinIndia/status/826450464996618240>.
- ³⁹ PMO India (@PMOIndia). “The job seeker has to become a job creator: PM @narendramodi on the importance of ‘Stand up India’ scheme.” *Twitter*, 5 April 2016, <https://twitter.com/PMOIndia/status/717315746267725824>.
- ⁴⁰ P.Wilson (@PWilsonDMK). “To my question on the funds allotted under Stand Up India Scheme ; Details of SC, ST, woman candidates who have availed the scheme for setting up green field enterprises in entire country and in Tamil Nadu, Hon’ Minister of State in the Ministry of Finance has replied as follows (document from Ministry of Finance’s answer to P.Wilson’s questions attached with the tweet).” *Twitter*, 26 July 2022, <https://twitter.com/PWilsonDMK/status/1551913236118638594>.
- ⁴¹ Mandal, Dilip (@Profdilipmandal). “The Stand Up India scheme was launched with the aim of promoting entrepreneurship and self-employment among SC/ST communities, who have historically faced social and economic exclusion. The scheme was meant to address this issue. It’s not serving it’s purpose.” *Twitter*, 5 April 2023, <https://twitter.com/Profdilipmandal/status/1643543044476776450>.